

हकीकत किताबेवी प्रकाशन न : 21

मिप्ताह-उल-जन्ना

(जन्नत की राह के लिए किताब)

मुहम्मद बिन कुतुबुद्दीन इज़नीकी
के ज़रिए लिखित

हुसैन हिल्मी इशिक के ज़रिए
संशोधित

हकीकत किताबेवी
के ज़रिए हिन्दी संस्करण

पहला संस्करण



हकीकत किताबेवी

दारुशशफेका कैड 57 पी.के : 35 34083

फोन: +90.212.523 4556 - +90.532 5843 फैक्स: +90.212.523 3693

<http://www.hakikatkitabevi.com>

e-mail: info@hakikatkitabevi.com

फातिह-इस्तानबुल/तुर्की

जन्नत के रास्ते के लिए किताब का तआरुफ

अल्लाह तआला ने पैगम्बर 'अलैहिम-उस-सलाम' को इस दुनिया में पैदा किए हुए इंसानों के दरमियान उनकी ख़िदमत के लिए भेजा ताकि दुनिया में लोग खुशियाँ, राहत और सुकून हासिल कर सकें और एक दूसरे के साथ भाई चारे के साथ रहें और अल्लाह की इबादत करने व किस तरह इसके फराइज़ अदा किये जाएँ, सिखाने के लिए भेजा उन चुनिन्दा लोगों के ज़रिये जो हर तरह से इंसानियत में सबसे अच्छे थे। इसने अपने पैदा किये गुलामों को दुनिया में रहने का सबसे अच्छा रास्ता बताया। अल्लाह ने यह भी पैगाम पहुँचाया के मुहम्मद 'अलैहिस्सलाम' सबसे बड़े, पहले और आख़री पैगम्बर हैं। यह पैगम्बर व अलैहिम अस सलावातु व तस्लीमात सारी दुनिया के पैगम्बर हैं। और जब तक दुनिया है वह अमर रहेंगे। अल्लाह की आसमानी किताब जिसका नाम **कुरानुल-करीम** है जोकि इसने अपने सबसे प्यारे नबी को एक फरिश्ते के ज़रिये टुकड़ों-टुकड़ों में 23 सालों के दौरान ज़ाहीर की इसने अपनी हुकूमत और मनाहियतें फरमाई क्योंकि कुरानुल-करीम अरबी ज़बान में है और इसमें इंसान की समझ से ज़्यादा समझदारी की बातें हैं। इसलिए मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने सहाबा को कुरान के तमाम मुश्किल ईल्म को शुरूआत से आख़िर तक समझाया। अलैहिम-उर-रिज़वान ने कहा: **“कोई भी शख्स जो कुरानुल-करीम को बेरी वज़ाहत से अलग समझाता है तो वह एक मुश्किल बन जाएगा।”** इस्लामिक उलेमा जिन्होंने असहाबा-ए-ईकराम से हमारे हुज़ूर नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' की वज़ाहतें सुनी इन्होंने इसे आसान और हर किसी के लिए समझने लायक बनाया और इन्हे तफ़सीर से किताबों में लिखा। इन उलेमाओं को अहले अस-मुन्ना के उलेमा (सुन्नी उलेमा) कहा

जाता है। वह किताबें जो अहले सुन्नत के उलेमाओं ने कुरानुल-करीम की वज़ाहतों और हमारे नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के वयानातों के इन्तेज़ाब नमूनों के ज़रिये लिखीं जिन्हें हदीस-शरीफ कहा जाता है और वह ईल्म-ए-हाल की किताबें कहलाती हैं। वह लोग जो इस्लामिक मज़हब की सच्ची और मुनासिब जानकारी हासिल करना चाहते हैं जोकि अल्लाहु तआला कुरानुल-करीम में सिखाता है उनको ईल्म-ए-हाल की इन किताबों को पढ़ना चाहिए।

किताब का असली उनवान, जन्नत के रास्ते के लिए किताब है, जोकि इस वक़्त हम मिफ़्ताह-उल-जन्ना में पेश कर रहे हैं जिसका मतलब जन्नत के दरवाज़े की चाबी है। यह मुहम्मद बिन कुतुबुद्दीन इज़नीकी 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के ज़रिये लिखी गई, जिनका इत्तेक़ाल एडार्ने हेज़िरल लुनार सन 885 [1480 A.D.] में हुआ।

इस्लाम के बड़े आलिम सय्यद अब्दुल हकिम एफेंदी 'रहीमाहुल्लाहु तआला' (1281 [1865 A.D.], ने बशाहकाला वान 1362 [1943 A.D.], अन्कारा, तुर्की) में कायम किया। "मिफ़्ताह-उल-जन्ना के हक़दार लेखक बहुत नेक इन्सान कहे गए। इस किताब को पढ़ना बहुत फायदेमंद होगा।" इसलिए हमने इस किताब को प्रकाशित किया है। किताब में इधर और उधर वज़ाहत और जो ब्रेकीटों में जोड़े गए तारीफों के ख़त दूसरी किताबों से लिए गए हैं वह ज़ाती राय और तफ़्सीर के इज़हार के मतलब के ज़रिए से हैं। अल्लाह तआला हम सभी को अलगाववाद और एक दूसरे में फूट से बचाए। जोकि मुसलमानों के लिए ज़रूरी नतिजात हैं इस्लाम के दुश्मन लामज़हबी बेवफ़ा मुशिरकों के ज़रिए दिमागी सुधारवादी मुसलमानों के नाम से पिंजरे में गिराने के घात लगाए हुए हैं। जिनमें से कुछ मज़हबी मर्दों के लिए गुज़र गए। अल्लाह हम सभी को अहले सुन्नत के मज़हब से जोड़े रखे। पहला और वाहिद रास्ता प्यारे हुज़ूर नबी

‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के मुताबिक़त रास्ते पर चलाए! और हम सभी को ऐसे रास्ते से नवाज़े जिसमें हम एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे की मदद करें! आमीन।

[जब कोई शख्स कुछ करने वाला हो, पहला ख़तरा (ख़याल) उसके दिल में आता है, तो फिर वो उस चीज़ को करने की नीयत करता है। उसकी इस नीयत को **नीय्या(त)** कहते हैं। फिर यह शख्स अपने अज़ाए को उस चीज़ को करने का हुक्म देता है। शख्स जो अज़ाओं को हुक्म दे रहा है उसे **कसद** या **टेशेब्बस** (करने का तरीका कहते हैं।) अज़ाए जो काम कर रहे हैं इन्हें **केस्ब** कहते हैं। जो दिल काम करता है उसे **अख़लाक़** (व्यवहार, अचरण) कहते हैं। ऐसी छः जगहें जहाँ से ख़तरा दिल में आता है: ख़तरा जो अल्लाह के डर से आता है उसे **वाहे** कहते हैं। वाहे सिर्फ़ नवियों के दिलों से आती है। ख़तरा जो फ़रिशतों के ज़रिए लाया गया उसे **इलहाम** (प्रेरणा) कहते हैं। इलहाम नवियों ‘अलैहिम-अस-सलावातु-वत-तसलीमात और (सालिह) मुसलमानों के दिल से आता हैं। सालिह मुसलमानों के ज़रिए दिया गया ख़तरा **नसीहत** (वकीली सलाह) कहलाता है। वाहे, इलहाम और नसीहत हमेशा अच्छी और फायदेमंद है। जो शैतान से ख़तरा आता है उसे **वसवसा** (शुबा और शक) कहते हैं, वह ख़तरा जो खुद की नफ़्स [आदमी की फ़ितरत में कुदरती महलक ताक़त] से आये उसे **हवा** (जज़्बा जुनून, कामुक कल्पना) कहते हैं, और ख़तरा जो शैतान के साथ से आता है उसे **इशहफ़ाल** (लालच धोखे) कहते हैं। नसीहत (वकीली सलाह) किसी को भी दी जा सकती है। वसवसा और हवा फ़ासिख़ [गुनेहगार, नाफ़रमान मुसलमान] और मुशिकों से मुसलमानों के दिलों में आता है दोनों शैतान नुक़सानदायक है। चीज़ें जो अल्लाहु तआला पसंद करते हैं और इसकी मंजूरी देते हैं वह **अच्छी** चीज़ें कहलाती हैं, और जो यह नापसंद करते हैं वह **फैना** (बुरी शैतानी चीज़ें) कहलाती हैं। क्योंकि अल्लाहु तआला रहम करने वाले हैं, इन्होंने **कुरानुल करीम** में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें फरमाई हैं। इनके

एहकाम और मनाहीयतें एहकाम-ए-इस्लामिया की मिलावट कहलाती है। अगर कोई दिल अच्छे साथी की वजह के ज़रिए एहकाम-ए-इस्लामिया अपनाता है और इसलिए इसको कुबूल करता है, यह पाक और नूर से मुकम्मल हो जाएगा, यह इस दुनिया और आख़िरत दोनों में खुशियाँ और सुकून हासिल करेगा। एक दिल जो अपनी नफ़्स और शैतान पर अमल करने के ज़रिए एहकाम-ए-इस्लामिया से इंकार करेगा जो इसके शैतान और ज़िंदीग्र लोगों के ज़रिए जुबानी और लिखित बयानातों पर यक़ीन लाने का नतीजा बनेगा, यह सड़ा हुआ और सियाह बन जाएगा, एक नूर से मुकम्मल दिल एहकाम-ए-इस्लामिया को मानते हुए ज़ायेका बन जाएगा। एक दिल जो सियाह बन गया है वह शैतानी साथ नफ़्स, और शैतान का लुत्फ़ उठाएगा, अल्लाहु तआला बहुत रहम करने वाला है, यह पूरी दुनिया में हर नवजात पैदा हुए बच्चे के लिए पाक दिल बनाता है। वाद में, माँ-बाप या शैतानी साथ उसका दिल सियाह कर देते हैं अपने खुद के दिल के जैसे।]

जन्नत की राह के लिए किताब

अल्हम्दुलिल्लाहि-ल-लजी जे-अलैना मिनत-तालिबीना वल्लि इल्मि
मिनर-रागिबीना वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदीनिल लजी अरसलहु रहमतन
लिल आलमीना व अला आलिहि असहाबिहि अजमाईन ।

इस्लाम

अल्लाह एक है और मौजूद है

अल्लाह तआला ने तमाम मख़लूकात बनाई तमाम चीज़ें नाबूद थीं। अल्लाह तआला अकेले मौजूद थे। यह हमेशा मौजूद है। यह कोई मख़लूक नहीं है जो बाद में वुजूद में आई हो। अगर यह पहले नाबूद रहे होंगे, तो ज़रूरी ही कोई कुदरत हुई होगी इनको बनाने के लिए। कुछ वुजूद पैदा करने की ताक़त की आदम की मौजूदगी के लिए ग़ैर मौजूद चीज़ को आदम मौजूदगी के मुसलसल होने पर जोर देता है ताकि यह वुजूद में ना आ सके। अगर ताक़त

का मालिक इसे वुजूद में बनाता है, तो अल्लाह तआला वह अबदी है जो ताक़त को वुजूद में लाते हैं। इसके बजाए, अगर बाद में यह बहस की गई के तख़लीकी ताक़त साथ में वुजूद में आई, तो इसका किसी दूसरी ताक़त में तख़लीक करना होगा, लामेहदूद तख़लीकात में ख़ामख़ा बदल जाता है। किसी तरह से इसका मतलब होता है कि तख़लीकात के लिए ग़ैर मौजूदगी की शुरुआती तख़लीकातों की ग़ैर मौजूदगी में तख़लीक का नतिजा जो मुतासिर हुआ। जब तख़लीकात नाबूद हैं, तब यह चीज़ें और रूहानी तख़लीक जो हम

आस पास देखते और सुनते है सभी को नाबूद हो जाना है। जब से चीज़ें वुजूद में आई और रूहें मौजूद हुई हैं उनका ज़रूरी कोई एक हमेशा वुजूदी ख़ालिक रहा है।

अल्लाह तआला ने पहले सादे मादे बनाए, तमाम वुजूदी चीज़ों की घटक, रूहें और फरिशतें। सादे मादे अब तत्व करार दे दिए गए हैं। आज 105 तत्व जाने जाते है। अल्लाह तआला ने बनाए और हमेशा बना रहे हैं, हर मादा और हर चीज़ इन 105 तत्वों में से है। लौहा, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस सभी इनमें से एक-एक तत्व हैं। अल्लाह तआला ने नहीं फरमाया कि कितने लाखों साल पहले इन्होंने यह तत्व बनाए। और न ही हमें यह बताया के कब इन्होंने ज़मीन बनानी शुरू की, जन्मतें और ज़िन्दा मख़लुकात, जोकि इन तत्वों से बने मजनुआत है। ज़िन्दा और ग़ैर ज़िन्दा हर चीज़ का अपनी ज़िन्दगी का अरसा है जिसके दौरान यह मौजूदगी में रहते है। अल्लाह तआला इसे तब बनाते है जब इसका वक़्त आ जाता है, और जब इसका वक़्त पूरा हो जाता है इसे मिटा देते है। यह शून्य से कुछ ही चीज़ें नहीं बनाते, बल्कि कुछ और भी दूसरी चीज़ों से बनाते है, हल्के-हल्के या फिर अचानक से, पर इस तरह पिछला वुजूद में आता है और बाद के लिए मौजूद रहता है।

अल्लाह तआला ने आदमी और इसकी रूह को बेजान मादों से बनाया है, इसलिए आदमी कभी मौजूद नहीं रहे। जानवर, पौधें, जिन्नात, फरिशतें आदमी से पहले बना दिए गए थे, पहले आदमी का नाम आदम (आदम 'अलैहिस्सलातु व सलाम') था। और इनसे (अल्लाह तआला ने) औरत को बनाया। और फिर इन दोनों से तमाम मानवजाति फैली। हम वह हर चीज़ देखते हैं, ज़िन्दा और ग़ैर ज़िन्दा जो लोगों के समान बदलती है। कुछ चीज़ें अबदी हैं वह कभी नहीं बदलतीं। जिस्मानी वाक़ियात में, मादों के हाल और रूप बदलते है। अब तक केमिकल रद्द अम्ल उनकी फितरत और सार बदलता है, मादें

मौजूद होना बन्द हो जाते हैं, जब दूसरे मादें मौजूदगी में आते हैं। जवाहरी वाक्यात में, दूसरी तरफ जबकि अनासर ऐनर्जी गायब हो जाते हैं। यह सभी चीजों का अम्ल एक दूसरे से वुजूद में आने का अम्ल बिना शुरूआत के अवदी नहीं हो सकता। उनको शून्य से बने शुरूआती मादों से जारी किया गया। अवदी का मतलब बिना किसी शुरूआत से है।

इस्लाम के दुश्मन अपने आपको (वैज्ञानिक) साइंसदा मर्द के रूप में बदल लेते हैं और कहते हैं के आदमी बंदरों से बनाए गए थे। वह कहते हैं के अंग्रेजी डॉक्टर नाम डरावीन ऐसा कहते हैं। लेकिन वह झूठे हैं। डरावीन (चरलेस [1809-82 A.D.]) ने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने ज़िन्दा मख़लूकों के बीच बका को मायेपादत करने की जद्दो जहद की। इनकी किताब **प्रजातियों के मूल** में इन्होंने लिखा के ज़िन्दा मख़लूकात को जो माहोल सबसे बेहतर लगा वह उसमे पनपी और इसी तरह इन्होंने कुछ ग़ैर ज़रूरी बदलाव अपना लिए। इन्होंने नहीं कहा एक प्रजाति दूसरे में बदलती है। एक बैठक सन 1980 सलफ़ोर्ड में ब्रिटिश ऐसोसीएशन फ़ोर दा ऐडवांसमेन्ट ऑफ़ साइंस (British Association for the advancement of science) का आगाज़ किया गया खानसीआ यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन दुरन्त ने कहा के डरावीन के मर्दों के माख़ज़ अख़तासवादी वज़ाहत एक ज़दीद मिथक तब्दील किया गया, साइंस और समाजी तरक्की के नुक़सान, तरक्की के दुनियावी मिथकों व साइंसी तेहकीकों पर एक नाटकीय असर हुआ है, इसने तवाही, ग़ैर ज़रूरी बहसों की तरफ़ रहनुमाई की। और सकल के लिए साइंस का ग़लत इस्तेमाल किया। इसने ऐसा नतिजा निकाला के अब डरावीन का नज़रीया अलग लगता है, तवाही के डेर और कपटी ख़्यालातों को पीछे छोड़कर। [डॉक्टर जॉन दोरन्त (यूनीवर्सिटी ऑफ़ खेनसीआ, वेल्स) ये हवाले के तौर पर के “कैसे तरक्की एक साइंसी मिथक बन गई” “नए साइंसदाए साइंसी।” 11 सितम्बर 1980, p. 765.] यह बयानात जो प्रोफेसर दोरन्त के अपने हम वतन के बारे

में दिए उन दिलचस्प जवाबों में से हैं जो साइंस के नाम से डार्विनवादी को दिए गए। सबसे बड़ी वजह जोकि लोगों को किसी संस्कृती रंगने में लगी हुई है जिसका नज़रिया दर्जा-ए-तरक्की के रूप में है। वह किसी साइंसी इरादों को बर्दाश्त नहीं करते तो इस तरह कहे गए नज़रिए का शोषण किया गया मादी (भौतिकवादी) के औज़ार की तरह उकसावे की एक बहस के आदमी बंदरों से पनपे और इल्म में इसका कोई पिछला मनज़र नहीं है। यह आगे की तमाम साइंस् से किया जा रहा है। यह डरावीन की बहस नहीं है, या तो यह इस्लाम के झूठे दुश्मनों पर मुशतमिल है साइंस और इल्म से अनजान है। एक इल्म वाला आदमी या कोई साइंसदा इस तरह के जाहिलाना, मज़हका ख़ैज़ बयानात नहीं दे सकता। अगर एक यूनीवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ शख्स अय्याशी की ओर जाता है और भूल जाता है के इसने स्कूल में क्या पढ़ा था वजाए अपनी साइंसी पढ़ाई से दूर रखने के जिसमें यह अहम था तो यह कभी भी इल्म वाला या साइंसदा नहीं हो सकता। कितनी बदतर है इसकी इस्लाम के लिए नफ़रत अपने इल्म और साइंस के नाम से झूठी और नख़ली तेहरीरों को फैलाने की कोशिश और समाज के लिए बेवफ़ाई के आधार पर नुक़सानदायक सूक्ष्मजीव को ख़त्म करते हैं। उस हालत में इसका डिप्लोमा लक़व और पद नौजवानों को शिकार व शोषण करने के लिए दिखावटी बन जाता है। नख़ली साइंसदां जो अपने झूठ और इल्म व साइंस के नाम में बदनामी फैलाते हैं जिन्हें **साइंसी धोकेबाज़** कहा जाता है।

क्या अल्लाह तआला लोगों से चाहते हैं के दुनिया में इन्हें राहत और सुकून से जीना चाहिए और आख़रत में वेशुमार खुशी हासिल कर सकें। इसी वजह से यह काम की चीज़ों का हुक्म फरमाते हैं ताकी वह खुशी की वजह बनें और नुक़सानदायक चीज़ों से मनाहियत फरमाई जोकि दोज़ख़ की वजह बनेगी। अगर कोई शख्स अपने मज़हबी होने पे बेपरवाह या नास्तिक है, एक ईमान वाला या ग़ैर ईमान वाला, अपने आपको एहक़ामें इस्लामिया यानि

अल्लाह तआला के हुक्मात और मनाहियतों में अपनाता है, जाने या अनजाने में बराबर है, राहत व सुकून की हद वह अपनी दुनियावी हासिल करेंगे उनकी अताअत के मायार फवाअद के निज़ाम से बड़ा रास्ता तनासिब में हो जाएंगे यह ज़्यादातर लोगों के साथ समान है के कोई भी जो सही दवा लेता है वह विमारी से या किसी और रोग से निजात पा लेगा। हाल ही की कामयाबी की बहुत ज़्यादा तादाद में नास्तिक और नास्तिक वृत्ति का शख्स और लोग कुरानुल करीम की मंजूरी के ज़रिए काम करके लुत्फ उठा रहे हैं। कुरानुल करीम को मान कर हमेशा की खुशी हासिल कर रहे हैं। किसी तरह, सिर्फ यह तभी मुमकिन है जब अताअत (आज्ञाकारिता) इसे जानते हुए एक ईमान वाले के ज़रिए।

अल्लाह का शुरुआती हुक्म **ईमान** का होना है और **कुफ़** वह है जिसे अल्लाहु तआला ने बिना किसी ख़राबी के पहले मना फरमाया है। ईमान का मतलब इस सच पे यकीन करना है के मुहम्मद ‘अलैहिस्सलातु सलाम’ अल्लाह तआला के आख़री नबी हैं। वाहे राह के ज़रिए अल्लाह तआला ने आपके द्वारा अपने हुक्मात पहुँचाए। दूसरे अलफ़ाज़ों में अल्लाह ने अपने एहकाम-ए-इस्लामिया एक फरिश्ते द्वारा पहुँचाए, और आपकी वारी लोगों को सभी समझाने की थी। एक लफ़्ज़ जिसे कुरानुल करीम कहते हैं उसे अल्लाह तआला ने एक फरिश्ते द्वारा पहुँचाया। एक किताब जिसमें कुरानुल करीम का पूरा पाठ शामिल है उसे **मुशहाफ़** (कुरानुल करीम की एक नक़ल) कहते हैं। कुरानुल करीम आप मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के खुद के बनाए बयानात नहीं हैं। यह अल्लाह तआला के लफ़्ज़ हैं कोई शख्स भी इतना काबिल नहीं है के एक अकेला बयान भी इसकी कमाल आयत के बराबर बना सके। कुरानुल करीम में नियमों ने सिखाया, अजतमाई (समूहिक) को **इस्लाम** कहते हैं। एक शख्स जो इन सभी को अपने दिल से मानता है उसे **मोमिन** (ईमान वाला) कहते हैं और या **मुसलमान**। इनमें से किसी एक को भी नापसंद करने को **कुफ़**

कहते हैं (यानी अल्लाह तआला से बैर)। मौत के बाद ऊपर जाने पे ईमान, जिनों और फरिश्तों की मौजूदगी, यह सच है के आदम 'अलैहिस्सलातु व सलाम' पूरी मानवजाति के वालिद हैं और शुरूआती नवियों के भी, यह सिर्फ दिलों की तिजारत है। इन सचों को तालीमियत कहते हैं **ईमान** या **इतिकाद** या **अकाईद** के मुताल्लिक तरीकों के तौर पर जिसका ख़ास ख़याल रहे मनाहियतों से ज़रूर ही बचा जाए जिस्मानी और दिली दोनों तौर पर, यह जरूरी है कि दोनों पर ईमान हो और उनको करे या उनसे बचे इनको **एहकाम-ए-इस्लामिया** की तालीमियत कहते हैं। उनपे भरोसा हो ईमान के साथ। उनपे मशक या नज़रअंदाज़ करना **इबादत** है पहले नीयत करके एहकाम-ए-इस्लामिया को मानना इबादत है। अल्लाह तआला के हुक्मात और मनाहियतें **एहकाम-ए-इस्लामिया** या **एहकाम-ए-इलाहीया** कहलाते हैं। हुक्मात को **फर्ज़** कहते हैं, और मनाहियतों को **हराम** कहते हैं जैसे देखा जाता है, एक शख्स जो इनमें से किसी भी फर्ज़ियात को मना या नफरत करता है तो वह **काफिर** (अल्लाह का दुश्मन) बन जाता है। एक शख्स जो उनमें लापरवाही बरदता है हालांकि यह मर्द (या औरत) उनपे ईमान रखता है तो यह काफिर नहीं बनता: यह मर्द या औरत **फासिख़** (गुनेहगार) मुसलमान बन जाता है। एक मुसलमान जो इस्लाम की तालीमियत पर भरोसा रखता है और इसको अपने अमल में लाने की पूरी कोशिश करता है उसे **सालिह** मुसलमान (अच्छा शख्स) कहते हैं। एक मुसलमान जो इस्लाम के हुक्मात का पालन करता है और एक मुर्शिद को प्यार करता है सिर्फ इसलिए के वह अल्लाहु तआला की इनायत और प्यार हासिल कर सके उसे **सालिह** (अच्छा) शख्स कहते हैं। एक शख्स जिसने अल्लाहु तआला का प्यार और इनायत हासिल कर ली उसे एक **आरिफ** या एक **वली** कहते हैं। एक वली जो दूसरों के लिए इस प्यार को हासिल कराने के लिए ज़रिए के तौर पर काम करता है उसे एक **मुर्शिद** कहते हैं। यह सभी चुर्नीदा लोग सामूहिक (एक साथ) होकर **सादिख़** लोग कहलाते हैं। यह सभी लोग सालिह है। एक सालिह ई

मान वाला कभी भी दोज़ग़्र में नहीं जायेगा। एक काफ़िर (अल्लाह का दुश्मन) ज़रूर ही दोज़ग़्र में जायेगा। यह कभी भी दोज़ग़्र से बाहर नहीं निकाला जायेगा और यह हमेशा के लिए दोज़ग़्र का निशाना बन जायेगा। अगर काफ़िर के पास ईमान है तो वह (ईमान वाला बन जाता है) इसके गुनाह सीधे माफ़ कर दिए जायेंगे। अगर एक फ़ासिग़्र शख़्स तौबा करता है और इबादत के फ़राईज़ पे अमल करना शुरू कर देता है, तो यह दोज़ग़्र में कभी नहीं जाएगा, और सीधे जन्नत में शामिल होगा, सालिह ईमान वालों की तरह। अगर यह तौबा नहीं करता हो सकता है कि यह शफ़ाअत (हिमायत) को हासिल करने के ज़रिए या बिना किसी मतलब के सीधे जन्नत में शामिल हो जाए, या दोज़ग़्र में जले जितना की यह अपने गुनाहों के लिए हक़दार है और जन्नत में बाद में दाख़िल हो, दोनों में से कोई एक।

जब कुरानुल करीम नाज़ील हुआ था, इसका व्याकरण अरबी ज़बान से मेल खाता था जो उस वक़्त लोगों के ज़रिए बोली जा रही थी, और यह काव्यात्मक रूप में है। दूसरे शब्दों में, इसके छंद संबंधी कविता की तरह है। यह अरबी ज़बान की नाज़ुक बारीकियों से भरा है। यह अरबी साईंस में बूबसूरत अलफ़ाज़ों से है, बैदी, बयान, मैलानी और वेलाग़हत की तरह। इसी वजह से इसे समझना बहुत मुश्किल है। एक शख़्स जो अरबी ज़बान के व्यंजनों को नहीं जानता वह कुरानुल करीम को पूरी तरह नहीं समझ सकता चाहे यह शख़्स अरबी में पढ़ा लिखा हो जब की लोग इन व्याकरणों के ज्ञानी होने के बावजूद यह समझने में नाकाबिल रहे, इसलिए हमारे माहिर, मुबारक नबी, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझाया। कुरानुल करीम की वज़ाहतों को हदीस-ए-शरीफ़ कहते हैं। असहाबा-ए-ईकराम ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अलैहिम अजमाईन’ ने हुज़ूर नबी ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ से जो तालीमियत सुनी उसे नई पीढ़ी को इज़हार किया। [वराए मेहरबानी हक़दार किताब सहाबा ‘मुबारक’ को देखें, हकीकत किताबेवी की ही एक

अशाअत, फातिहा इस्तानबुल तुर्की।] वक्त के अमल में धीरे-धीरे दिलों में एक गहरापन लिया, ताकि नए मुसलमान अपनी मकामी सोच के साथ कुरानुल करीम की व्याख्या करने की कोशिश और मुय़तसिर नज़रें डालें, इस तरह हमारे हुज़ूर की वज़ाहतों के नापसंदीदाह मायने हासिल करें, इस्लामिक दुश्मनों के साथ अफसोसनाक दरारे खड़ी करीं, उनके 72 ग़लत मुशिरकी भरोसे दिखवाई दिए। जो मुसलमान इस तरह के ईमान से हटाने वाले भरोसे अपना लेते हैं उनको **बिद्दी लोग** कहते हैं। और यह सीधे दोज़ख़ में जायेंगे, लेकिन मुसलमान होने के नाते, वह हमेशा के लिए दोज़ख़ में नहीं रहेंगे, दोज़ख़ से बाहर निकलेंगे, वह जन्नत में दाख़िला करेंगे। अगर कोई शख़्स कुरानुल करीम या हदीस शरीफ़ में साफ़-साफ़ फरमाये गए ईमान में से किसी एक में भी असहमती रखता है, वह शख़्स अपना ईमान खो बैठेगा। इसे एक **मुलहिद** कहा जाता है। एक मुलहिद सोचता है कि यह मुसलमान है।

इस्लामिक उलेमा जिन्होंने एतिकाद की तालीमियत असहाबा-ए-ई कराम ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अलैहिम अजमाईन’ से सही तरीके से सीखी और यह सही तालीमियत किताबों में लिखी, जिसे **अहल-अस-सुन्नत** ‘रहमतुल्लाह तआला अलैयहि अजमाईन’ कहा जाता है। यह वह उलेमा हैं जिन्होंने चार में से किसी एक में इजतिहाद का दरजा हासिल कर लिया हो इन उलेमाओं को सिर्फ़ असहाबा-ए-ईकराम से सीखा हुआ माना गया, बजाए अपनी अक्ल व नज़रिए से कुरानुल करीम के मायनों को समझने की कोशिश से उन्होंने सच्ची राह फैलाई जो उन्होंने हमारे नबी से सीखी थी, बजाए अपनी खुद की सोच पे अमल करने से। तुर्की की रियासत मुसलमानों की रियासत थी, उन्होंने सुन्नी मज़हब अपनाया।

जैसे की समझा जाता है जो अब तक लिखा है, और जैसे की यह काफी कीमती किताबों में भी लिखा है, अपने आप को दुनिया और आख़िरत

दोनों में आपदाओं से महफूज़ रखने के लिए और एक राहत भरी खुशनुमा ज़िन्दगी की रहनुमाई के लिए, अहले सुन्ना के उलेमाओं के ज़रिए सिखाए हुए ईमान को अपनाना ज़रूरी है ताकि, उनके उसूलों का पालन सीखें और उन सब पे यकीन करें। एक शख्स जो सुन्नी ईमान नहीं मानता वह या तो **अहले बिद्दत** यानि एक मुशिरक मुसलमान या फिर एक **मुलहीद** यानि काफिर बन जायेगा एक ईमान वाले का दूसरा फर्ज़ यह है कि वह सच्चे ईमान और सही एतिकाद के साथ हो वह सालिह बनता है, जिसका मतलब अल्लाहु तआला की इनायत और प्यार हासिल करना है। इसके साथ ख़ात्सा नज़र में, हर एक को चाहिए के वह इस्लाम से मुताल्लिक तालीमियत हासिल करे के क्या करना ज़रूरी है और क्या करना ग़ैर ज़रूरी है, जिस्मानी और दिल के साथ और इसके मुताल्लिक ज़िन्दगी जिए। दूसरे अलफ़ाज़ों में, हर एक को चाहिए की इबादत के फर्ज़ अदा करे। अहले सुन्नत के उलेमाओं ने इबादत के चार अलग तरीकों से फर्ज़ यात समझाए हैं। इसलिए इस्लाम के चार सबूती **मज़हब**। [चार मज़हब जो इस्लाम से मुताल्लिक अमल और जिन्हें इस्लाम इख़्तियार करता है वह: **हनफी, शाफी, मालिकी और हनबाली** है। इन चारों मज़हबों की ज़्यादा जानकारी के लिए हकीकत किताबेवी प्रकाशन इस्तानबुल में मौजूद है।] क्योंकि वह बातें जिनपर वह एक दूसरे से अलग हैं वह मामलात बहुत कम और ग़ैर ज़रूरी हैं, और जब से हूबहू उसूलों के पालन ने इन्हें एक दूसरे से जोड़ा, फिर दोनों ने एक दूसरे को हमदर्दी और एक दूसरे को इज़्ज़त दी। इन चारों में से किसी एक मज़हब के अताअत में हर एक मुसलमान को उनकी इबादत के फर्ज़ियात पे अमल करना चाहिए। वह एक शख्स जो अपने आप को इन चारों मज़हबों में से किसी एक में भी नहीं कुबूलता यह (सिर्फ सच्ची राह) अहले सुन्नत दुरुस्त सच छोड़ देगा, जोकि अहमद बिन मुहम्मद बिन इसाईल तहतावीस ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ (d. 1231 [1815 A.D.] के हकदार ‘धेवायीह’ के वाव में भी लिखी है। अलाउद्दीन हसकाफीस ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ (1021,

हसकफ - 1088 [1677 A.D.]) तशरीह के लिए हकदार किताब **दुर्-उल-मुख्तार**।

अगर एक काफिर (गैर ईमान वाला) कहता है, “मैं मुसलमान बन गया हूँ” उसका यकीन करा जाएगा, चाहे वह जंग में बेपरवाही से कैद कर लिया गया है यह वह जो ऐसा इतमिनान के वक्त कहता है। लेकिन फिर इसे फौरन **ईमान के छः ज़रूरीयात** सीखनी होगी और उनपे यकीन करना होगा। उसके बाद इसको इस्लाम के हुक्मात जिसे (फज़्र) कहते हैं और इसकी मनाहियतें जिसे हराम कहते हैं सीखना होगा उसपे पालन करना होगा जब भी यह इस मर्द (या औरत) पे मौजूदा बन जाते हैं और जब भी उनके पास ऐसे करने का मौका हो। अगर वह उनको नहीं सीखते या उनमें से किसी एक को भी मामूली और गुफ़लत में लेते हैं हालांकि इन्होंने ऐसा सीख लिया है, उनको अल्लाह तआला के मज़हब से नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा। वह अपना ईमान खो देंगे। लोग जो इस तरह अपना ईमान खो देते हैं उनको **मुरतद** (स्वपक्ष त्यागी) कहा जाता है। मुरतद, वह लोग जो आपस में मज़हबी लोगों के तौर पर बातचीत करते हैं और इस तरह मुसलमानों को ग़लत राह दिखाते हैं इनको **ज़िन्दीख़** कहा जाता है। हमें ज़िन्दीख़ या उनके झूठ पर यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे की यह तुर्कीश संस्करण के 116वें सफे पर लिखा है। **सियार-ए-कबीर** हकदार किताब के लिए और बाब के आखिरी हिस्से में भी के किसी काफिर के निकाह से निपटना (शादी करार इस्लाम के ज़रिए हुक्म में है) हकदार **दुर्-उल-मुख्तार** किताब में है के, अगर एक शख्स इस्लाम को ज़ाहिर किए बिना बालिग़ हो जाता है और अपने दिमाग़ में सोचे बिना के यह मुसलमान है, अगर यह अनजानपन इस्लाम को न जानने की वजह से है और दुनियावी मफ़ाद के रूप में नहीं, तो इसे मुरतद माना जाएगा (स्वपक्ष त्यागी) यह **दुर्-उल-मुख्तार** के काफ़िरी निकाह व्यवहार के आखिरी बाब में लिखा है। [वह किताब मुहम्मद बिन हसन बिन अब्दुल्लाह बिन तावूस बिन हुरमुज़

शेयबानी (इमाम मुहम्मद) ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ 135 [752 A.D.] वासित - 189 [805 A.D.] शेय के ज़रिए लिखी गई, इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम जो इमाम अबू हनफी ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ के ज़रिए सिखाए गए। शोम्स अल अइम्मा अबू वकर मुहम्मद बिन अहमद ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ (d. 483 [1090 A.D.] ने किताब के लिए तफसीरी लिखी, और वह तफसीरी खुव्वाजा मुहम्मद मुनिब एफेंदी आयानतब के (d. 1238 A.H.) ज़रिए तुर्की में की गई।] जब कोई मुसलमान लड़की जो शादी शुदा (एक इस्लामिक तरीके से करार हुई) निकाह बालिग़ उम्र में इस्लाम को बिना जाने हुआ, उसका निकाह (यानि इस्लामिक शादी करार) अमान्य हो जाएगी। (दूसरे अलफ़ाज़ों में वह मुरतद बन जाएगी) अल्लाहु तआला के औसाफ़ उसको सिखाने होंगे। उसको वह दुबारा दोहराना होगा जो वह सुनती और कहती है, ‘मैं उनपे ईमान रखती हूँ।’ इब्नी आबीदीन ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ इस मामले को समझाते हैं के निम्नानुसार “जब लड़की छोटी है, (यानि बालिग़ होने की उम्र से पहले,) वह एक मुसलमान है, जबसे उसका मज़हब उसके वालीदेन (माँ, बाप) के बाद नामित होगा। जब वह बालिग़ हो जाती है तो वह माँ बाप के मज़हब पे निर्भर नहीं करती। इस्लाम में जब वह अनजान रूप से बालिग़ होती है, वह एक मुरतद बन जाती है, अगर कोई शख्स जो इस्लाम के उसूलों पे यकीन न रखता हो हालांकि उसने कलमा-ए-तौहीद बोलते हुए सुना है, यानि अगर यह कहता है, “**ला इलाहा इल-लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह,**” यह मुसलमान नहीं बनेगा। एक शख्स जो इस्लाम के छः उसूलों पे ईमान रखता है और अपने ईमान में उसका इज़हार करता है के आमन्तु बिल्लाही “पढ़ता है, और जो कहता है, के मैं अल्लाह तआला के हुक्मात और मनाहीयतें कुबूल करता हूँ,” वह मुसलमान है। इसी वजह से, हर एक मुसलमान को अपने बच्चों को (इस्लाम के छः उसूलों का ईमान में होना) का इज़हार वा याद दिलाना चाहिए “अमन्तु बिल्लाही व मलाइकतीही वा कुतुबीही वा रसूलिही वा ल योम-

इल-आग्रिरी वा वील-कादरी खाएरीही वा शैरीही मीन-अलाही तआला वाल-वा-सूवा-द-अल-मौत हक्कून अश-हादू-अन-ला ईलाहा इल-लल्लाह वा अश हदू-अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू वा रसूलूहु” और इसके अच्छे से मतलब सिखाना चाहिए। अगर एक बच्चा इन छः उसूलों पे ईमान नहीं रखता या इस्लाम के हुक्मात और मनाहियतों में से किसी एक पे भी और यह नहीं कहता के ये इनपे ईमान रखता है, यह एक मुरतद बन जाता है, एक मुसलमान नहीं, जब यह वालिग होता है, इन छः उसूलों पे तफसीली जानकारी हकदार किताब **ईमान और इस्लाम** में मौजूद है। (इस्तानबुल में हकीकत किताबेवी का ही एक प्रकाशन) हर मुसलमान को खुद को उस किताब को पढ़ना चाहिए, और अपने बच्चों को भी साथ में पढ़ाना चाहिए, इस तरह उनके ईमान को मज़बूत करना चाहिए, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि जान पहचान वाले इससे मुताल्लिक पढ़ सकें। हमें अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि वह मुरतद की तरफ न उठें। बचपन के शुरूआती दौर में ही, हमें उनको ईमान, इस्लाम, वज़ू, गुस्ल और नमाज़ सिखानी चाहिए। माँ बाप का सबसे पहला फर्ज़ अपनी औलाद को मुसलमान उठाना है। [सआदते अबदिया की चौथी पुलिका, हकीकत किताबेवी का ही एक प्रकाशन, इन तालीमियतों को बढ़ातें है।]

यह **दुरेर वा गुरेर** हकदार किताब में फरमाया गया है: “एक मर्द जो मुरतद बन चुका है उसे ज़रूरी है कि मुसलमान बनने के लिए कहे। [मुहम्मद मौला हुसराव ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’, के ज़रिए लिखी गई, तीसरे शेख़-उल-इस्लाम तर्क।] इसकी शक़ शुबा ज़रूरी है कि स्पष्ट और ख़ल्स हो। अगर यह राहत के वक़्त के लिए कहता है, तो इसे तीन दिन जेल में बन्द रखा जाएगा। अगर यह तौबा करता है (यानि गुनाह के लिए पछताता है और अल्लाहु तआला से माफ़ी की भीक माँगता और वादा करता है कि यह अब वह गुनाह नहीं करेगा।) तो इसकी तौबा कुबूल की जाएगी। अगर यह तौबा नहीं

करता, तब यह मुसलमानी फैसले के ज़रिए मौत के लिए उठा लिया जाएगा। एक औरत जो मुर्तद बन गई है उसे मारा नहीं जाएगा, उसे जेल में बन्द कर दिया जाएगा और तब तक बन्द रखा जाएगा जब तक वह एक मुसलमान नहीं बन जाती। अगर वह दार-उल-हारब से पलायन करती है, जब तक वह दार-उल-हारब में है तो वह जारिया नहीं होती। अगर वह पकड़ी जाती है तो वह जारिया बन जाएगी। जब वह एक मुर्तद बन जाती है उसका निकाह वातिल और शून्य हो जाता है। उसकी तमाम जायदाद उसके अधिकार से निकल जाती है, (यानि वह जायदाद अब उसकी नहीं रहती) अगर वह दुबारा मुसलमान बन जाए वह जायदाद उसकी दुबारा हो सकती है। जब वह मरती है या दार-उल-हारब से पलायन करती है (या जैसे की वह दार-उल-हारब में थी एक मुर्तद बनती है) उसकी जायदाद उसके वारिसों की विरासत हो जाएगी। (अगर उसके वारिस नहीं हैं, तो वह जायदाद उनकी हो जाएगी जिनका बैतुल माल से हक़दारी का हिस्सा निकलता है।) [बराए महरबानी सआदते अबदिया के पाँचवीं पुलिका का पहला बाब देखें।] एक मुर्तद दूसरे मुर्तद की जायदाद का वारिस नहीं बन सकता। जायदाद जोकि एक मुर्तद के ज़रिए कमाई गई वह उस मर्द या औरत की नहीं होगी जैसे की यह मुर्तद थे यह मुसलमानों के लिए (फै) (मृतक के बराबर है) (फै छोटे बाब में शीर्षक काफिरों की शादी में समझाया गया है और सआदते अबदिया की पाँचवीं पुलिका के बारवें बाब से जुड़ा हुआ है।) उसका तमाम समाजिक लेन देन ख़रीदने और बेचने के मुताल्लिक, रेंटल ऐग्रीमेंट, और दिए हुए तोहफ़ें वातिल बन जाएंगे। बराए महरबानी सआदते अबदिया के पुलिका के 31वें बाब को देखें। अगर वह दुबारा मुसलमान बन जाती है तो वह अपने पुराने हाल में तब्दील हो जाएंगे और सही बन जाएंगे। उसे अपनी पहली इबादत के फर्ज़ की कज़ा अदा नहीं करनी होगी, हज़ के अपवाद के साथ, जो उसे दुबारा अदा

करना होगा, “इबादत के तीन शुरूआती फर्ज़ जो नए ईमान वाले को सीखने होते हैं के कैसे वज़ू, गुस्ल और नमाज़ अदा करें।

ईमान के छः ज़रूरी उसूल: के अल्लाह तआला मौजूद और एक है और इसके औसाफ पे (ईमान होना) (यानि यकीन) फरिश्तें, नबियाँ, जन्नत की किताबें, वाक्यात जो आखिरत में होंगे, कादा और कदार। बाद में हमें चाहिए की उनमें से हर एक को अलग-अलग समझें।

मुख़तसिर में, हमें इस्लाम के हुक्मात और मनाहियतें जिस्मानी और दिली दोनों से ज़रूर ही माननी चाहिए, और हमारे दिलों को सतर्क होना चाहिए ऐसा न हो की वह ग़फलत (फरामोशी, अनजानपन, सुस्ती, उदासीनता।) में डूब जाए अगर किसी शख्स का दिल चौकन्ना नहीं है (यानि, अगर यह अल्लाह तआला की मौजूदगी, महानता और जन्नत में नेमतों के ज़ायक़े और दोज़ख़ की आग के उत्साह को,) दिमाग़ में नहीं रखता तो उस शख्स के जिस्म के लिए इस्लाम को कुबूलना बहुत मुश्किल होगा। (इस्लामिक साईंस) के उलेमा जिन्हें फिकह कहा जाता है (जोकि इस्लाम के हुक्मात और मनाहियतें सिखाते हैं) फ़तवे बताते हैं (यानि मुसलमानों के लिए अधिकृत इस्लामिक उलेमाओं के ज़रिए दिए गए जवाबात।) इबादत के फर्ज़ अदा करने के तरीकों के बारे में सवालात) यह अल्लाह के बन्दें के अमल को आसान बनाते हैं। [तरीक़े जिनपर फतवा बुनियाद रखता है वह फतवा से संलग्न होता है।] जिस्म इस्लाम को फुर्ती से अपने आप कुबूलता है, आराम और चाहत दिल को पाक बनाना चाहती है। किसी तरह, अगर किसी शख्स के औसाफ सिर्फ दिल के पाक होने पे ग़ौर करते हैं और अख़लाक़ के अच्छे होने पे और अब तक जिस्मानी ठंडे कंधे इस्लाम की फरमावरदारी में, तो यह एक **मुलहीद** है इस तरह के लोग यानि निराली कामयाबी। [इस तरह से अनजान ग़लत इलाज़ करने वालों की ख़बर उनपे सांस छोड़ने के ज़रिए दे रहे हैं,] उन्हें **इस्तीदराज** कहा जाता है

और यह दोज़ख़ में दोनों को तारीफ़ करने वालों और कामयाबी के मालिकों को नीचे खींच लेगे। एक दिल के अलामत के वह पाक है और एक नफ़्स जोकि मुतमईन (सीखने के काबिल है) तो इसका जिस् इस्लाम अपने आप चाहत से कुबूलगा। यह बहाना, “के मेरा दिल पाक है, मेरे दिल में देखो,” उन लोगों के ज़रिए जो अपने एहसास-ए-अज़ाए और जिस् को इस्लाम के मुताबिक़ नहीं कुबूलते, ऐसे कहना बेकार है, वह अपने आप और अपने आस पास के लोगों को धोका दे रहे हैं।]

ईमान के औसाफ़

अहले सुन्नत के उलेमा कहते हैं कि ईमान के छः औसाफ़ हैं:

आमन्तु बिल्लाही: में यह यकीन रखता है कि अल्लाहु अज़ीम-उश-शान मौजूद और एक है; मेरा इनपे ईमान है।

अल्लाहु अज़ीम-उश-शान मौजूद और एक है।

अल्लाह के लिए कोई शरीक या नज़ीर नहीं है (इनका कोई साथी या इनके जैसा कोई नहीं है।)

यह मूनीज़ाह है, जगह या मकान से (आज़ाद) है। (यह किसी स्थाई जगह पर नहीं है।)

यह अपने कमाल के औसाफ़ों के साथ मुतासिफ़ है। इनके कमाल के औसाफ़ हैं।

यह आज़ाद और औसाफ़ों के दोष से बहुत दूर है। वह इनके अंदर नहीं समाते।

कमाल के औसाफ इनमें मौजूद हैं। और औसाफ के दोष हम में मौजूद है।

दोष के औसाफ जोकि हमारे पास कमियाँ है जैसे की बिना हाथ और पैरों के, आँखों के, बीमारी और सेहत, खाना-पीना, और इसी तरह के काफी दूसरे दोष।

अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के ज़रिए मौजूद औसाफ कमाल के औसाफ हैं। जैसे की इसकी बनाई ज़मीने, जन्तों और इसी तरह के तमाम मख़लूक़ात जो हवा में, पानी में, ज़मीन पर और ज़मीन के अंदर जो रह रहे हैं, यह बहुत सी मख़लूक़ों को हर वक़्त मौजूदगी में रखते है कुछ जो हम जानते हैं, और लाजवाब महानात जोकि हम ध्यान में लाने के काबिल भी नहीं हैं - इन्सान के दिमागी मौजूदा गुंजाइश के -अल्लाह रिज़्क (ख़ाना, जीविका) दे रहा है हमको और इन तमाम मख़लूक़ातों को, और इनके कमाल के दूसरे औसाफ यह कादिर-ए-मतलब (खुदा) है। हर एक मख़लूक़ अल्लाह अज़ीम-उश-शान के कमाल के औसाफों से काम करते हैं।

22 औसाफ़ात जो अल्लाह अज़ीम-उश-शान के बारे में है और जो हमें भी जानना वाजिब है। इनके **22** दूसरे औसाफ हैं जो की मुहाल (समझ से बाहर, नामुम्किन है) इनके लिए होना)।

वाजिब का मतलब ज़रूरी। यह औसाफ अल्लाहु अज़ीम-उश-शान में मौजूद हैं। औसाफ जो मुहाल हैं वह इनमें मौजूद नहीं हैं। मुहाल वाजिब का उलटा है, इसका मतलब “मौजूद नहीं हो सकता है”।

अल्लाह अज़ीम-उश-शान के बारे में एक औसाफ जिसे सिफाते नफ़सीया कहते हैं जोकि हमारे लिए जानना वाजिब है: **वुजूद** जिसका मतलब मौजूदगी से है।

परंपरा के ज़रिए साबित किए गए सबूत के अल्लाहु अज़ीमु-शान अल्लाह तआला के कौल-ए-शरीफ में मौजूद है (मुबारक वयानात) जो पढ़ते हैं: “इन्नेनी इन्लाहु।” दिमागी तौर पर साबित किए गए सबूत यह है के ज़रूरी है ख़ालिक मौजूद है जिसने इन सभी मय़बूलों को बनाया। इन के लिए मौजूदगी में न होना मुहाल होगा।

सिफ़ात-ए-नफ़्सीया का मतलब के धात इसके बग़ैर (शख़्स) और यह धात के बग़ैर सोचे व इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अल्लाह अज़ीम-उश-शान के बारे में पाँच औसाफ़ जो सिफ़ात-ए-धातिया में करार दिया गया और जोकि हमारे लिए जानना वाजिब है: वह उलूहियत के औसाफ़ से भी जाने जाते हैं।

1- किदेम (या किदाम), जिसका मतलब के अल्लाहु अज़ीम-उश-शान की मौजूदगी के लिए कोई शुरूआत ज़रूरी नहीं है।

2- बाका मतलब के अल्लाहु अज़ीम-उश-शान की मौजूदगी के लिए कोई ख़ात्मा नहीं है, जो वाजिब-उल-वुजूद भी कहा जाता है, यह अल्लाह तआला के ज़रिए (क़ुरानुल करीम) की हदीद सूरा में तीसरी आयत-ए-करीमा में फ़रमाया गया है। यह दिमागी सबूत है कि अगर इनकी मौजूदगी की शुरूआत और या ख़ात्मा होता तो यह अजीज़ और अधुरे होते। तो यह मुहाल है (इनकी मौजूदगी के लिए शुरूआत का ख़ात्मा होना न मुमकिन है।)

3- कियाम बी-नफ़्सीही, जिसका मतलब अल्लाहु अज़ीम-उश-शान को अपनी धात में किसी की ज़रूरत नहीं है, और न ही औसाफ़ या अमाल में। यह परंपरा के ज़रिए सबूत है मुहम्मद ‘अलैहिस्सलाम’ की सूरा की आख़िरी आयत-ए-करीमा है। यह दिमागी सबूत है कि अगर इनके यह औसाफ़ नहीं

होते तो ये नाकाविल और नामुकम्मल होते। अलाह अज़ीम-उश-शान के बारे नाकाविल या नामुकम्मल होना मुहाल है।

4- मुख़ालफ़त-उन-लिल-हवादीस, का मतलब अल्लाहु अज़ीम-उश-शान किसी की तरह नहीं है, इनकी धात (शख्स) साथ-साथ इनके औसाफ़ में। यह पंरपरा के ज़रिए सबूत है के अल्लाह तआला ने शूरा सूरा की ग्यारवीं आयत-ए-करीमा में फरमाया है यह दिमागी सबूत है कि अगर इनके यह औसाफ़ नहीं होते तो ये नाकाविल और नामुकम्मल होते। अल्लाह अज़ीम-उश-शान के बारे में नाकाविल या नामुकम्मल होना मुहाल है।

5- वाहदानीयत मतलब के अल्लाह अज़ीम-उश-शान का कोई शरीक (साथी) या नज़ीर (से मिलता जुलता, या जैसा) नहीं है। न ही इनकी धात, औसाफ़ या आमाल में। यह पंरपरा के ज़रिए सबूत है अल्लाह तआला की इख़्लास सूरा की पहली आयत-ए-करीमा में। यह दिमागी सबूत है के अगर इनका कोई साथी था तो तमाम मख़लुकात ग़ैर मौजूद होती, जैसे की उनमें से कोई एक कुछ करना चाहता, तो दूसरा वाला उस तरह नहीं कर पाता।

[इस्लामिक उलेमाओं की एकता के हिसाब से, **वुजूद**, जिसका मतलब मौजूदगी एक अलग औसाफ़ है, इनके मुताबिक **सिफ़ात-ए-धातिया** के नीचे छः पदवी है।]

सिफात-ए-सबुतिया

अल्लाह अज़ीम-उश-शान के बारे में आठ औसाफ हैं जो हमें जानना वाजिब है जो सिफात-ए-सबुतिया की श्रेणी में आते हैं: हयात, इल्म, सेम, बसर, इरादा, कुदरत, कलाम, तेकवीन।

इन आसाफों के मतलब निम्नलिखित में दिए गए हैं:

1- हयात मतलब के अल्लाह अज़ीम-उश-शान ज़िन्दा है। यह रिवायतों के ज़रिए सबूत है के अल्लाह तआला का शुरूआती हिस्सा सूरह बकरा है 255वीं आयत-ए-करीमा में है। यह दिमागी सबूत है कि अगर अल्लाह तआला ज़िन्दा नहीं होते तो यह मय़लुकात वुजूद में नहीं आ पाती।

2- इल्म मतलब अल्लाह तआला के पास इल्म है। यह रिवायतों के ज़रिए सबूत के अल्लाह तआला की हशर सूरा की 22वीं आयत-ए-करीमा में यह दिमागी सच्चा सबूत है के अगर अल्लाह अज़ीम-उश-शान को इल्म न होता तो यह नाकाबिल और नामुकम्मल होते। अल्लाह अज़ीम-उश-शान के बारे में नाकाबिल और नामुकम्मल होना मुहाल (नामुमकिन) है।

3- सेम मतलब अल्लाह तआला सुनता है। यह रिवायतों के ज़रिए सबूत है कि अल्लाह तआला की इसरा सूरा की पहली आयत-ए-करीमा में दिमागी सबूत यह है के अगर यह ना सुनता तो यह नाकाबिल और नामुकम्मल होता, अल्लाह अज़ीम-उश-शान के लिए नाकाबिल या नामुकम्मल होना मुहाल है।

4- बसर मतलब के अल्लाह अज़ीम-उश-शान देखता है दुबारा रिवायतों के ज़रिए सबूत है, अल्लाह तआला की पहली आयत-ए-करीमा

में।दिमागी सबूत यह है के अगर अल्लाहु अज़ीम-उश-शान नहीं देखते तो यह नाकाबिल और नामुकम्मल होते।अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के मुताल्लिक नाकाबिल या नामुकम्मल होना मुहाल है।

5- इरादा मतलब अल्लाहु तआला चाहता है।जो वो चाहता है वह होता है, जब तक यह नहीं चाहता एक चीज़ भी जगह से नहीं हिलती।इसको मय़्रलुकात की (मौजूदगी) की चाहत थी और इनको बना दिया।यह रिवायतों के ज़रिए सबूत है अल्लाह तआला की सूरह इब्राहीम की 27वीं आयत-ए-करीमा में।इसका दिमागी सबूत यह है के अगर इसके पास चाहत न होती तो यह नाकाबिल और नामुकम्मल होता।और इसके लिए नाकाबिल या नामुकम्मल होना मुहाल नामुमकिन है, अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के बारे में यह हकीकत का उल्टा, वेबुनियाद है।

6- कुदरत मतलब अल्लाहु अज़ीम-उश-शान सबसे ज़्यादा ताक़त वाला है।यह रिवायत के ज़रिए सबूत है के अल्लाहु तआला के सूरह अल इमरान में 165वीं आयत-ए-करीमा में दिमागी सबूत है के अगर यह सबसे ज़्यादा ताक़त वाला नहीं होता तो यह नाकाबिल और नामुकम्मल होता।अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के लिए नाकाबिल या नामुकम्मल होना मुहाल है।

7- कलाम (या केलाम) मतलब अल्लाहु अज़ीम-उश-शान की तक़रीर है।यह रिवायत के ज़रिए सबूत है अल्लाहु तआला की सूरह निसा में 164वीं आयत-ए-करीमा में।

8- तेकवीन मतलब के अल्लाहु अज़ीम-उश-शान तय़्रलीकी है, यानि (इसके पास तय़्रलीकी ताक़त है) तो ही यह तय़्रलीक़ करता है यह अकेले ही तमाम को ग़ैर मौजूदगी से बनाता है, इसके अलावा कोई और तय़्रलीकी नहीं

है। रिवायतों के ज़रिए सबूत है के अल्लाहु तआला की ज़ूमर (या ज़ूमेर) सूरा की 62वीं आयत-ए-करीमा में। दिमागी सबूत है कि ज़मीन पर और जन्नतों में इसकी बहुत ख़ूबसूरत मख़लुकात की किस्में हैं, यह तमाम का वाहिद ख़ालिक है। किसी की ग़ैर मौजूदगी में उसे तख़लीकी कहना कुफ़्र होगा यानी यह उस शख्स का ईमान खोने की वजह होगी। आदमी कुछ नहीं बना सकता।

अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के पास आठ सिफात-ए-मा-नविय्या (ग़ैर माद्दी सिफाते) हैं जोकि हमें जानना वाजिब हैं: हायून, अलीमुन, समीउन, बासीरून, मूरीदुन कादीरून, मुताकल्लीमुन, मुकव्वीनुन। [लेटिन हुरूफ तेहजी में मुताबादील प्रति लेखन पाठकों के लिए तकनीकी अलफ़ाज़ों के तल्फ़ुज़ को आसान बनाने की नीयत से मदद करने का इरादा किया है।]

इन मुवारक औसाफों के मतलब निम्नलिखित में हैं:

हायून: अल्लाहु अज़ीम-उश-शान ज़िन्दा है।

अलीमुन: अल्लाहु अज़ीम-उश-शान इस तरह के इल्म से जानता है जैसे की इल्म-ए-कादीमी (अवदी इल्म)।

समीउन: अल्लाहु अज़ीम-उश-शान सुनता है और सुन रहा है जोकि अवदी (सेम-ए-कदीम) है।

बासीरून: अल्लाहु अज़ीम-उश-शान देखता है।

मूरीदुन: अल्लाहु अज़ीम-उश-शान एक इरादे ऐ कुदरत-ए-कदीमी (अवदी ताकत) के साथ चाहता है।

कादीरून: अल्लाहु अज़ीम-उश-शान अपनी कुदरत-ए-कदीमा (अवदी शक्ति) के साथ ताकत वाला है।

मुताकल्लीमुन: अल्लाह अज़ीम-उश-शान के पास तकरीर है, जोकि कलाम-ए-कदीम (अबदी तकरीर) है।

मुकव्वीनुन: अल्लाह अज़ीम-उश-शान तख़लीकी है, और यही सभी को बनाता है।

औसाफ़ जो अल्लाहु तआला के बारे में मुहाल है वह निम्नलिखित औसाफ़ों के उल्टे है।

व मलाईकतिही: मैं अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के फरिश्तों पे भी यकीन रखता हूँ, मेरा उनपे ईमान है। अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के पास फरिश्ते हैं। इसने इन्हें नूर (चमक, लाइट) से बनाया है। वह जिस्म (शरीर) है। जिस्म (शरीर) जो इस सबब में बताया गया है वह वाला जिस्म नहीं है (जो भौतिक विज्ञान की किताबों में बताया गया है।) वह खाते पीते नहीं हैं, उनके बीच यौन क्रिया नहीं होती, वह जन्तों से नीचे उतरते हैं और वापस जन्तों के लिए उड़ जाते हैं, वह अलग भेस में नज़र आते हैं। उन्होंने कभी पलक झपकने के बराबर भी अल्लाहु अज़ीम-उश-शान की नाफरमानी नहीं की, हमारी तरह कभी भी गुनाह नहीं किया। उनमें मुर्करब और अम्बिया है। [बराए मेहरबानी वारा का पाँचवा दरजा, मुर्करबों के लिए सआदते अबदिया की छठी पुलिका के पहले बाब देखें।]

व कुतूबीही: मैं अल्लाहु अज़ीम-उश-शान की आसमानी किताबों पे भी यकीन रखता हूँ।

अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के पास किताबें हैं। कुरानुल करीम में 104 किताबों के नाम दिए गए हैं। उन किताबों में 100 किताबें छोटी हैं उनको 'सूहूफ़' कहा जाता है और इनमें चार किताबें अहम हैं। (तवरात या तौराह) हज़रत मूसा 'अलैहिस्सलाम' (मोज़ीस) को नीचे भेजी गई, दाऊद (डेवीड)

‘अलैहिस्सलाम’ को ज़ूबूर भेजी गई, इनजील ईसा (जिजस) ‘अलैहिस्सलाम’ को और कुरानुल करीम हमारे नबी मुहम्मद ‘अलैहिस्सलाम’ को। जवाब नहीं दे सकते नामक, हमारी ही एक अशाअत तौराह और बाईबल के बारे में तफसीली जानकारी पेश करता है जोकि आज यहूदियों और ईसाईयों के ज़रिए पढ़ी जा रही है।

सौ सूहूफ का (सहीफा की जमा) जोकि चादर, या पन्ना या नोटबुक, मतलब में बदलती है सचमुच दस सूहूफ आदम ‘अलैहिस्सलाम’ को नीचे भेजे गए थे, 50 सूहूफ शिस (सेठ) ‘अलैहिस्सलाम’ को, तीस सूहूफ इदरीस ‘अलैहिस्सलाम’ को और दस सूहूफ इब्राहिम ‘अलैहिस्सलाम’ को, यह सभी जिवराईल ‘अलैहिस्सलाम’ के ज़रिए नीचे लाये गए, कुरानुल अज़ीम-उश-शान आसमानी किताबों की आखिरी किताब है जो नीचे भेजी गई। कुरानुल करीम के अहिस्ता-अहिस्ता आयतों के उतराव में तेइस साल लगे, और इसके नियम दुनिया के ख़ाले तक चलेंगे। इसे अभिनिषेद से [यानि गलत होने से] और इन्सानी प्रक्षेप से [यानि किसी बदलाव करने से या इन्सानी जाति के अशुद्ध बनाने से बचाया गया।]

व रसूलिहि: मैं अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के नबी ‘अलैहिम अस-सलावातु व अत-तसलीमात’ पे भी ईमान रखता हूँ।

अल्लाह तआला के पास नबी ‘अलैहिम अस-सलावातु व अत-तसलीमात’ है। तमाम नबियाँ इन्सान है। आदम ‘अलैहिस्सलाम’ पहले नबी है, और हमारे नबी, मुहम्मद मुस्तुफा ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहिम वसल्लम’ आखिरी नबी है। इन दो नबियों के बीच बहुत से नबी आए और गए, अल्लाह अज़ीम-उश-शान उनकी गिनती जानता है।

नबी 'अलैहिम अस-सलावातु व अत-तसलीमात' के बारे में पाँच औसाफ जो हमें जानना वाजिब है: सिदग्र, अमानत, तब्लीग्र, इसमत, फेतानत।

1- सिदक़: तमाम नबी 'अलैहिम अस-सलावातु व अत-तसलीमात' अपने लफ़्ज़ के पक्के हैं। जो भी वह कहते हैं वह सच होता है।

2- अमानत: वह कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते।

3- तब्लीग़: वह अल्लाहु अज़ीम-उश-शान के तमाम हुक्मात और मनाहियतें जानते हैं और उनको अपनी उम्मत तक पहुँचाते हैं।

4- इसमत: गुनाह करने से बहुत दूर होना कब्र और अमर एक जैसे हैं, वह कभी भी गुनाह नहीं करते, नबी 'अलैहिम अस सलाम' का ही सिर्फ़ ऐसा गुट है जो बेगुनाह है, [हालांकि शिया कहते हैं अब बेगुनाह लोगों का दूसरा गुट भी है।]

5- फेतानत: इसका मतलब के तमाम नबी 'अलैहिम अस-सलावातु व अत-तसलीमात' दूसरे लोगों से ज़्यादा समझदार हैं।

पाँच औसाफ जो नबी 'अलैहिम अस-सलावातु व अत-तसलीमात' के लिए जायज़ (मुमकिन का हुक्म है) वह एक दुनिया से हिजरत करते हैं, (यानि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में) यानि आग्रिहत, वह दुनिया के शौकीन नहीं होते।

28 मुबारक नबियों के नाम जो कुराने अज़ीम-उश-शान में दिए गए हैं, उलेमाओं के बयानातों का कहना है कि हर किसी को नबियों को जानना वाजिब है।

नबियों 'अलैहिम अस-सलावात-उ-वस-सलाम' के नाम:

आदम, इदरीस, नूह, शिस (सेठ), हूद, सालिह, लूत, इब्राहीम, इस्माईल, इशहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, युनूस, इल्यास, अलैसा, ज़लकीफल, अय्यूब, ज़ेकेरीया, याहया, ईसा और मुहम्मद 'सलावातूही आला नबीयीना वा अलैहिम'। कुछ नामों पे असहमति थी जोकि उज़ेर, लुकमान और जुलकरनैन है। इस्लाम के कुछ उलेमाओं ने कहा के यह तीन लोग और हिज़ीर 'अलैहिस्सलाम' भी नबी थे, जबके दूसरे (यानि इस्लाम के दूसरे उलेमाओं) ने कहा के वह औलिया थे। यह मख़्तूवात-ए-मासुमीय्या के दूसरे खंड के 26वें ख़त पे लिखा है के रीति रिवाज़ी उलेमात के हवाले से हिज़ीर 'अलैहिस्सलाम' यकीनी नबी थे। [यह मुहम्मद मासूम फारूकी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' के ज़रिए लिखा गया (1007, सरहिन्द - 1079 [1668 A.D.], एक ही जगह) हज़रत इमामे ख़वानी 'कुद्दीसा सीरुहमा' के तीसरे बेटे।] जैसे की यह 182वें ख़त में फरमाया गया है, हिज़ीर 'अलैहिस्सलाम' दिखाई देते हैं और इन्सान के भेस में चीज़ें करते हैं वह नहीं दिख़ाते के यह मौजूदगी में हैं। अल्लाह तआला ने इनकी रूह और साथ में बहुत से नबियों की रूहों को इन्सानी भेस में दिख़ने की इजाज़त दी है। उनको देखने से यह नहीं दिख़ता के वह ज़िन्दा हैं।

और तुम पे भी क्या मौजूदा है के यह कहना के, "मैं अलहमुदुल्लीलाह हूँ, हज़रत आदम 'अलैहिस्सलाम' की एक औलाद और एक उम्मत के (ईमान वाला मुसलमान) हाल ही के नबियों के वक़्त के, वहावियाँ इस सच से इन्कार

करते हैं के आदम 'अलैहिस्सलाम' एक नबी थे। इसीलिए, और इसी वजह से वह मुशिरकी मुसलमान कहलाए जाते हैं। वह काफिर (ग़ैर ईमान वाले) हैं।

व-अल-यौम-इल-आख़िरी: मैं दिन के होने पे यकीन रखता हूँ, मेरा भी इसपे ईमान है। अल्लाह तआला के लिए कि इन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी। कयामत का दिन जब शुरू होगा तब लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे और यह तब तक चलता रहेगा जब तक लोग अपनी जगहों पर नहीं पहुँचेंगे। जन्नत या दोज़ख़ (जो कि दोनों में से कोई एक है)। हम सभी को मरना है और उसके बाद दोबारा ज़िन्दा होना है। जन्नत और दोज़ख़ और मिज़ान (काटे) और सिरात का पुल और हशर (जमा) और नशर [हशर का मैदान छोड़ते हुए जन्नत या दोज़ख़] और कब्र में अज़ाब और दो फरिशतें नामुनकर और नकीर के ज़रिए किए गए सवालात सब हक़ (सच) में हैं। वह ज़रूर ही तज़ुरवेकार होंगे।

व-बिल-क़दर-ल-ख़ैरीही-व-शरेही-मिन-अल्लाही तआला: मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि तमाम पिछले और अगले वाक्यात अच्छे और बुरे सभी इसी तरह से अपनी जगह पर गए और अल्लाहु अज़ीम-उश-शान की तकदीर के साथ जगह लेंगे, यानी अवदी गुज़िश्ता में ठीक तरह से इसके इल्म और हक़ के साथ, और इनके किस्मत के वक्तों के साथ बनाना और अपनी लिखावट के साथ उनको लौह-ए-महफूज़ में लिखना। मेरे दिल में कभी कोई शक नहीं है। [बराए मेहरवानी सआदते अबदिया की तीसरी पुलिका का तेईसवाँ वाव देखें।]

अश-हादु-अन-ला-ईलाहा-इल-लल्लाह-वा-अश-हादु-अन्ना-मुहम्मदन-अब्दुहु-वा-रसुलुह।

और मेरा मज़हब भी इतिफ़ाद में है, [यानि उसूलों पे यकीन होना] **अहले सुन्नत व अल जमात** का मज़हब है और मैं इस मज़हब में हूँ। और दूसरे 72 फिरकों द्वारा बनाए गए असूल ग़लत और मुश्किली है। वह दोज़ख़ में जायेंगे।

[वो मुसलमान जो तमाम असहाबा-ए-ईकराम अलैयहिम उर रिज़वान को प्यार करते हैं उनको **अहल-अस-सुन्नत** के गुट का कहा जाता है। तमाम असहाबा-ए-ईकराम सीखे हुए थे और आदिल मुसलमान थे। उन्होंने सोहबत को हासिल किया, (यानी मुबारक साथ, मौजूदगी) पूरी इन्सानियत के हुज़ूर की (यानि रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’) और इनकी मदद की। जबकि एक सहाबी जिन्होंने इस (बहुत ज़्यादा कीमती) सोहबत को बहुत कम हासिल किया वह एक वली से बढ़ कर है जो तमाम औलियाओं के बड़े हैं और मगर जो एक सहाबी नहीं है। हाल एक वाहिद सोहबत और तवाज्जूस अल्लाहु तआला के उस मेहबूब से तर्जुबा हुई और इनके साथ के असर से कमाल हासिल हुआ और वह सांस किसी पे भी नहीं गिरी जिसने वो मौजूदगी हासिल नहीं की, वह पास होने की खुशसिबी थी। तमाम असहाबा-ए-ईकराम ‘रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन’ अपनी नफ़्स की इच्छाओं के कहर से महफूज़ थे। [वराए मेहरबानी नफ़्स के लिए **सआदते अबदिया** की दूसरी पुलिका का 43वाँ वाव देखें।] जितनी जल्दी वह (रसूलुल्लाह की) पहली सोहबत हासिल करते हैं। हम को सभी को प्यार करने का हुक्म है। यह हक़दार **सीरत-उल-इस्लाम** किताब में शुरूआती सायफों पे तफ़सीर से लिखी हुई है। [मुहम्मद बिन अबू बकर ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ (d. 573 (1178 A.D.) के ज़रिए लिखी गई। इसकी तफ़सीरी याकूब बिन सय्यद अली ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ (d. 931 (1525 A.D.) के ज़रिए लिखी गई।] असहाबा-ए-ईकराम ‘अलैहिम-उर-रिज़वान’ के बारे में जितनी नम्रता से बात कर सको उतना करो। उनके बारे में कभी बुरा मत कहो। जैसे 72 (मज़हब

से हटाने वाले) फिरके: उनमें से कुछ ने मामला बहुत बढ़ा दिया है, जबकि दूसरे इसमें बेपरवाह हैं, कुछ ने यकीन दिमाग में बैठे रखा है, जिस दौरान ग्रीक और दूसरे फिलोस्फर फिलोस्फी में गिरे। इस तरह उन्होंने उन चीज़ों पे मशक्कत की जो इस्लाम में नहीं थी और जो इस्लाम के उल्टे (विपरीत) थी। उन्होंने बिदतों को गले लगाया, (यानि वो अकाईद और मशक्कत जो इस्लाम के साथ नहीं करनी चाहिए थी और जोकि इस्लामी अकाईद और मशक्कत के नाम में जोड़ा गया) उन्होंने सुन्नत (यानि इस्लाम) को त्याग किया। वहा इस्लामी हसतियाँ दिखाई दीं जैसे की हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर 'रज़ि-अल्लाहु अन्हुमा', इजमा से मुताल्लिक असहाबा-ए-ई कराम के सबसे बड़े दरजे के (इस्लामी उलेमाओं की एकता), दरअसल उनमें से कुछ के ज़रिए महसूस की गई नाराज़गी हमारे हुज़ूर नबी 'अलैहिस्सलाम' के नाम से बचने का चारा नहीं था। वहाँ कुछ मौजूदा लोग जिन्होंने इस सच को मानने से इन्कार कर दिया के हमारे हुज़ूर नबी मिराज की रात को जिस्मानी और रूहानी दोनों रूप से ऊपर ले जाये गए हैं (जोकि सआदते अबदिया की तीसरी पुलिका के साठवें बाव में तफसीर से समझाया गया है।)

यह देखना काफी डर भरा है के मास्सर इस्लामी उलेमा **इस्लामिया** नमक फिरके की जगह बोल रहे हैं, बिदत के (72) फिरकों में सबसे ज़्यादा नुकसान दायक)। वह नौजवानों को भटकाने की कोशिश व ज़हर घोलने में लगे है लिखावटों और बहकाने वाले काफिर झूठों के ज़रिए इस तरह के वह मुबारक मर्द व औरत हमारे हुज़ूर के पूर्वज नबी ग़ैर ईमान वाले थे और हमारे मुबारक हुज़ूर नबी 'अलैहिस्सलाम' ने पहले जानवर कुरबान किए, पहले बुतों को नबी नामंकित किया गया था, और बहकावट में शियाई किताबों की मदद कर रहे है। यह साफ-साफ देखा जा सकता है कि (पराजयवादियों) निराशात्मक किस तरह इस्लाम के मज़हब को कमज़ोर बनाने में लगे हैं, नौजवानों का ईमान चुराने के लिए, और उनपे ग़ैर ईमान का धब्बा लगाने के लिए। कुरानुल करीम

की एक आयत से मुराद है: “एक शख्स जो कुरानुल करीम की तशरीह अपने दिमाग से करेगा वह काफिर बन जायेगा” इस्लामी उलेमाओं के पास अदब था (जैसे की इस्लाम के ज़रिए सिखाए गए, अच्छे अदब)। काफिर लगन के साथ लिखेंगे व बात करेंगे। वह मशक्कत से सोचेंगे के उन्हें कुछ ग़लत कहना चाहिए और बिना किसी रोकथाम के बात करेंगे, मिसाल के तौर पर **एदिल्ला-ए-शर-इया** से सच्ची मालूमियत बताने की बजाए यानि इस्लामी इल्म से चार एहम तरीकों को लेने की बजाए अपनी खुद की ग़लत राय देंगे और इस्लाम के नाम में ग़ैर मज़हबी आवाज़ की कोशिश करेंगे। यह नहीं है के हर एक मुसलमान ऐसा करता है या कोई अकेला इस्लामी आलिम। हमें बहुत ज़रूरी है के ऐसे मुशिरक लोगों को समझें जो हमारे मुबारक हुज़ूर ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की काबलियत या असहाबा-ए-ईकराम ‘रिज़वानुल्लाही तआला अलैहिम अजमाइन’ की महानता नहीं महसूस कर पाए। हमें उनके भटका देने वाले तरीकों और गन्दे अक़ाईद अलफ़ाज़ों को समझना होगा जोकि जानलेवा ज़हर की तरह है।

हिन्दी में एक फारसी लाइन:

**अगर वह मेरे ईमान पे हमला करते हैं
मैं एक विलो पत्ते की तरह थरथराता हूँ।**

अल्लाहु तआला हमारे दिलों में अपने मेहबूब के लिए प्यार बढ़ाए, इसके दुश्मनों को प्यार करने की वजह से दोज़ख़ में गिरने से महफूज़ फरमाए। दिल में ईमान के आसार मौजूद रहे और अल्लाह तआला के मुबारक लोगों को प्यार करते रहें।

अमाल में चार मज़हब है, (इस्लामिक तरीके, इबादत के फर्ज़, अमाल और हरकतें) यह इमाम आज़म (अबु हनीफा), इमाम शाफी, इमाम मालिक, और इमाम अहमद बिन हनबल 'रहमतुल्लाहि अलैहिम' के मज़हब से है।

यह ज़रूरी है के इन चारों मज़हबों में से किसी एक को ज़रूर कुवूलें। चारों मज़हब सही और सच्चे है। चारों अहल अस सुन्नत के साथ है। हम इमाम आज़म के मज़हब में हैं, जो मुसलमान इस मज़हब में हैं उन्हें **हनफी** कहा जाता है। इमाम आज़म का मज़हब सवाब और सही है। [सवाब लफज़ एक विशेषण और एक संज्ञा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई व्यवहार सवाब है। इसका मतलब अल्लाह तआला इसे बहुत पसन्द करते हैं और आख़रत में इसको इसका ईनाम दिया जाएगा।] यहाँ पे साथ में यह संभावना भी है कि हो सकता है कि यह गलत हो, के अन्य तीन मज़हब गलत हैं, हम कहते हैं के साथ में यह संभावना भी है के हो सकता है के यह सही हो।

और यह भी के ईमान वाले के साथ ईमान हमेशा रहेगा अपने पे निर्भर 6 शर्तों और वजहों को छोड़े वगैर:

1- हमें ग़ैब (अनजाना, अनदेखा), पे ईमान था। हमारा ईमान ग़ैब में था ज़ाहिर (जाना हुआ, देखा हुआ) में नहीं था हम अल्लाहु अज़ीम-उश-शान को अपनी आँखों से देखने में नाक़ाबिल रहे है। लेकिन फिर भी हमें यकीन है, हमारे पास ईमान था जैसे की हमने इसे देखा हो, हमारे पास कभी भी कोई ऐसा शक नहीं रहा है:

2- ज़मीन पर और जन्नतों में, इन्सानों, जिनों, फरिश्तों और नवियों 'अलैहिम अस सलावातु-व-अत तसलीमात' के बीच, कोई ऐसा मख़्लूक नहीं है जो ग़ैब को जान सके। अल्लाह अज़ीम-उश-शान ग़ैब के बारे में अकेले जानने

वाले है, और यह जिस भी मख़लूक को चुनना चाहते हैं उसे ग़ैब से ख़बर देते हैं। [ग़ैब मतलब कुछ भी जोकि एहसास अज़ाए के ज़रिए या तर्जवात के हिसाब के ज़रिए समझा जा सके। ग़ैब सिर्फ़ उन लोगों के ज़रिए जाना जा सकता है जिसको अल्लाह ग़ैब की ख़बर दे।]

3- हराम को हराम जानना और ऐसे ही उसपे यक़ीन रखना।

4- हलाल को हलाल जानना और ऐसे ही उसपे यक़ीन रखना।

5- अल्लाह अज़ीम-उश-शान के अज़ाब से खुदको महफूज़ न समझना, और हमेशा इससे डरते रहना।

6- अल्लाह अज़ीम-उश-शान के रहम की उम्मीद न छोड़ना चाहे आप कितने भी गुनाहगार हों।

अगर कोई शख्स यह छः शर्तें पूरी नहीं करता हालांकि यह उनमें से पाँच पूरी करता है, या फिर उनमें से यह एक पूरी करता है और पाँच पूरी नहीं करता, तो उस शख्स का ईमान और इस्लाम सही नहीं होगा।

ऐसी 40 चीज़ें हैं जो किसी शख्स के एक पल में ईमान के साथ होने की वजह हैं उनका ईमान बाद में खोने के लिए:

1- बिदत को अपनाना, जिसका मतलब किसी के ईमान के साथ बहना। [अहले सुन्नत के ज़रिए सिखाए गए ईमान के उसूलों में थोड़ी भी कमी ईमान से हटाने वाले के लिए वजह बन जाएगी ग़ैर मज़हबी या एक मुश्रिक बनाने की। अगर कोई शख्स कुछ मानने से इन्कार करता है जोकि मानना लाज़िम है, वह शख्स उसी वक़्त काफ़िर (ग़ैर ईमान वाला) बन जाता है। यह

बिदत या जहालत होगी के कुछ लाज़िम को मानने से इन्कार करना। एक बिदती या जहालत को अपनाने वाले की वजह ग़ैर ईमान में मरने की होगी।]

2- ईमान जो कमज़ोर है यानि बिना अमाल के ईमान (लाज़िम तरीक़े या इबादत के फ़रईज़)।

3- किसी के नौ अंग जानना व सही रास्ता छोड़ना।

4- कब्र के गुनाहों को लगातार करते रहना। [इसलिए मुसलमानों को शराब नहीं लेनी चाहिए और मुसलमान औरतों व लड़कियों को अपने सर, बाल, बियाने, कलाई नामहरम मर्द को नहीं दिखानी चाहिए।] [बराए मेहरबानी महरम और नामहरम के बारे में तफ़सीली जानकारी के लिए सआदते अबदिया की पाँचवी पुलिका के 12वें बाब पर नज़र डालें।]

5- इस्लाम के साथ होने का शुक्र ख़त्म करना।

6- आख़िरत में बिना ईमान के जाने से ना डरना।

7- ज़ालिमत मुस्तक़िल रखना।

8- अज़ाने मुहम्मदी को ना सुनना जोकि सुन्नत के ज़रिए पढ़ी जा रही है। [एक शख्स जो होती हुई अज़ान की वेईज़ज़ती करता है वह उसी वक़्त मुशिरक बन जाता है] (अज़ान सुन्नत के हिसाब से कैसे अदा करनी फ़रमाई गई, यानि इस्लाम के, यह सआदते अबदिया की चौथी पुलिका के 11वें बाब में खुलासे से बताई गई है।)

9- अपने माँ बाप का हुक्म न मानना, उनके हुक्मात जो इस्लाम के मुताल्लिक़ और जोकि मुवाह है उनको गुस्से से इन्कार कर देना।

10- एक दम से कसम खाना जब की वह सच्चे हैं ।

11- नमाज़ की हालत में रुकू पे ता-दिल-ए-अरकान को नज़रअंदाज़ करना (नमाज़ के दौरान जिस्म को मोड़ना) कोमा पे, रुकू के बाद सीधे खड़े होना, दो सजदों पे (नमाज़ के दौरान सजदा करना) तादिल-ए-अरकान मतलब तुमानियत में रहना, यानि, बिना हिले-डुले इतनी देर जब तक कोई “सुबहान-अल्लाह ।” कहे ।

12- यह सोचना के नमाज़ ग़ैर ज़रूरी है और इसको सीखना ज़रूरी न समझते हुए परिवार और बच्चों के लिए, और दूसरों को नमाज़ अदा करने से रोकना ।

13- हामर (शराब) पीना या और कोई ऐसी चीज़ पीना जो बहुत ज़्यादा नशा करे, अगर कोई थोड़ी सी भी शराब ले तो उस हाल में भी हूबहू नियम लागू होता है ।

14- ईमान वालों को मुश्किलों में डालना ।

15- किसी वली या इस्लाम के सीखे हुए की दिख़ावट करना अपने आप को मज़हबी आदमी दिख़ाना, अहले सुन्नत की तालीमियत हासिल किए वग़ैर एक उपदेशक बनना । इस तरह झूठों के ज़रिए लिखी हुई ग़लत मज़हबी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए । उनके ख़तवात और बयानातों में शामिल नहीं होना चाहिए ।

16- किसी की गुनेहगारता भूल जाना, या उसको तबज्जो न देना ।

17- तकबीर, यानि, किसी पे बहुत ज़्यादा फ़ख़र करना ।

18- उजब (खुदी तारीफ) यानि किसी का इल्म और नेकियाँ हासिल करना ।

19- मुनाफिक होना: यानि मुनाफिकत, दुगना मुग्बोटापन ।

20- लालचपन: किसी मुसलमान भाई से हसद करना ।

21- सरकार या किसी (उस्ताद) के हुक्मात न मानना (जबकि) वह हुक्मात इस्लाम के ख़िलाफ नहीं हैं, उनके हुक्मात के ख़िलाफ जाना जोकि इस्लाम के ख़िलाफ हैं ।

22- किसी शख्स को बिना परखे उसे कहना कि वो ऐसा है या वैसा है ।

23- एक कट्टर झूठा बनना ।

24- आलिमों को नज़रअंदाज़ करना । [अहले सुन्नत की लिखी हुई किताबों को न पढ़ना ।]

25- सुन्नत की हद से ज़्यादा बड़ी मूर्छें बढ़ाना ।

26- मर्द के लिए रेशम पहनना । मसनूअी (कृत्रिम) रेशम या रेशम धागों और कपास बाने से बुने हुए कपड़े पहनना जायज़ है ।

27- आदतीन चुगलख़ोर बनना ।

28- अपने पड़ोसियों को परेशान करना, हत्ता कि वो काफिर हों ।

29- दुनियावी कामों के लिए हद से ज़्यादा गुस्ता दिखाना ।

30- सूद लेना और देना ।

31- लम्बी आस्तीनों और स्कर्ट जैसे कपड़ों को घमण्ड के साथ पहनना ।

32- जादू करना ।

33- किसी सालिह (धार्मिक) रिश्तेदार महरम की कभी ज़ियारत न करना ।

34- अल्लाह तआला के पसन्दीदा बन्दे को नापसन्द करना और उस शख्स को पसन्द करना जिसे तुम जानते हो कि वह इस्लाम को नापाक करने की कोशिश में है ।

35- तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान भाई के ख़िलाफ़ शिकवा रखना या बर्दाश्त करना ।

36- ज़िना को आदत बना लेना ।

37- लौंडेबाज़ी (गुदामैथुन) करना और उसके बाद तौबा [तौबा करने से मुराद है अपने किये हुए गुनाह के लिए अल्लाहु तआला से माफ़ी माँगना और वादा करना कि वो गुनाह दुबारा नहीं होगा ।] नहीं करना । लिवाता (गुदामैथुन) का मतलब है कि अपना अज़ू तनासिल (लिंग) किसी दूसरे शख्स की गुदा (पैग़ाने का हिस्सा) में डालना । लिंग आदमी के जिस्म का वो हिस्सा है जहाँ से पेशाब किया जाता है । औरत का हिस्सा फैरज (योनि) भी इसी काम के लिए है ।

38- फिक की किताबों में दिये गये तरीक़े से और सुन्नत और वक़्त के मुताबिक़ अज़ान न देने से, और सुन्नत के, तरीक़े के मुताबिक़ अज़ान का एहताराम न करना ।

39- किसी शख्स को देखना जो हराम कर रहा हो और उसे न रोकना। एक खूबसूरत ज़वान में, हालांकि तुमसे वो करने की काबिलियत हो।

40- अपनी बीबी बेटियों को इस्लाम के मुताल्लिक़ यानि हराम चीज़ों से आगाह करना जैसे अपना सिर और बदन बिना ढके बाहर न जाने देना, या ज़ेवर और इतर के मुताल्लिक़।

ईमान के मायने हैं, उन सच्चाईयों को दिल से कुबूलना और ज़वान से गवाही देना जिन्हें नबी करीम ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अल्लाह तआला के हुक्म से फरमाया। और **इस्लाम** का मतलब है मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ को मानना और आपकी सिखाई गई चीज़ों पर अमल करना।

साथ ही **दीन और मिल्लत** पर्यायवाची हैं। **दीन और मिल्लत** के मायने इतिफ़ाद हैं यानि इस्लामी बुनियादें, जो नबी अल्लाहु तआला से लाये।

इस्लाम या **अहक़ाम-ए-इस्लामिया** के मायने अमल के हैं, यानि हरकती आमाल, जो हमारे नबी ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ अल्लाहु तआला से लाये।

साथ ही, **ईमान-ए-इजमली**, यानि कम वज़ाहत से यकीन करना एक (मुसलमान) के लिए काफी है। ईमान का विस्तार से जानना ज़रूरी नहीं। एक मुकल्लिद ईमान यानि बिना समझे यकीन, सहीह है। कुछ मामलों में वज़ाहत ज़रूरी है।

ईमान के तीन स्तर हैं: ईमान-ए-तकलीदी, ईमान-ए-इस्तिदलाली और ईमान-ए-हकीकी।

ईमान-ए-तकलीदी। इस तबके के इन्सान फर्ज़, सुन्नत, वाजिव, मुस्तहब के बारे में नहीं जानता है। वो अपने माँ-बाप के ईमान को अपनाता है और इबादत करता है। ऐसा ईमान रखने वाले लोग अनिश्चित है।

ईमान-ए-इस्तिदलाली। इस तबके का इन्सान फर्ज़, वाजिव मुस्तहब हराम, हलाल सबको जानता है। यह दोनों ईमान के यकीन और इल्म को साबित रखते है। इन्होंने अपने मज़हबी उस्तादों और किताबों से सीखा है। ऐसे लोगों का ईमान मज़बूत है।

ईमान-ए-हकीकी। अगर सारी मख़लूक रब के खिलाफ हो जाये तो इस तबके का इन्सान अल्लाह को नहीं नकारेगा। उसमें कोई शक व शुबा नहीं होगा। इस तबके के लोगों का ईमान अम्बियाओं के ईमान के बराबर होता है। यह ईमान बाकी दोनों से ऊपर है।

साथ ही इस्लामी कानून अमल के मुताबिक है ईमान के नहीं। ईमान, अकेला जन्नत में दाख़िल होने के लिए काफी है। तो उसमे अमल के साथ जाने का सवाल अलग लगता है। अमल के बिना ईमान कुबूल है। पर दूसरी तरफ ईमान के बिना अमल बेकार है। इबादत, नेक काम वगैरह करना बगैर ईमान के फिज़ूल है और यह आख़िरत में काम न आयेंगे। ईमान किसी और को तोहफे में नहीं दिया जा सकता जबकि अमल का सवाब किसी को तोहफे में दे सकते है। कोई अपनी आख़िरी ख़्वाहिश में किसी के नाम ईमान नहीं लिख सकता। पर वो अपनी मौत के बाद अपने लिए अमल करने के बारे में अपने रिश्तेदारों को बता सकता है। एक इन्सान जो अमल को अन्देखा करता है वो काफिर नहीं बनेगा। पर जो ईमान को छोड़ता है और अमल को कमतरी में लेता है काफिर बन जाता है। एक इन्सान अच्छे उज़र के साथ या कुछ करने में काबिल न हो वो अमल से छूट ले जाता है। पर किसी भी तरह ईमान में छूट नहीं है।

हर नबी ने एक ही ईमान अपनी उम्मत तक पहुँचाया। फिर भी वो एक दूसरे के कानूनों, कायदों और मज़हबी इबादतों में अलग थे।

साथ ही ईमान दो तरह के होते हैं। एक है ईमानएग़्बिलकी और ईमान एँकसबी।

ईमान-ए-ख़िलकी बन्दगी से कहना, “बेला (हाँ),” अहद-ए-मिसाक के वक़्त। [आख़िरत और दोबारा उठाया जाना किताब के पहले वाब का तीसरा पैराग्राफ़ देखें।]

ईमान-ए-कसबी वो ईमान है जो वालिग़ होने पर मिलता है। हर किसी का ईमान एक जैसा है। पर वो फिर भी अमाल में अलग है।

ईमान फ़र्ज़-ए-दाईम (हमेशा ज़रूरी) है, पर अमल फ़र्ज़ (ज़रूरी) बन जाता है अपना वक़्त आने पर।

ईमान काफ़िर और मुसलमान दोनों के लिये फ़र्ज़ है। अमल सिर्फ़ मुसलमानों के लिये फ़र्ज़ है।

साथ ही ईमान की आठ शाखाएँ हैं:

ईमान-ए-मतबू फरिशतों का ईमान है।

ईमान-ए-मासूम नबियों का ईमान है।

ईमान-ए-मकबूल ईमान वालों का ईमान है।

ईमान-ए-मौकूफ़ विद्वत के लोगों का ग़लत ईमान है।

ईमान-ए-मरदूद मुनाफ़िकों का झूठा ईमान है।

ईमान-ए-तकलीदी उन लोगों का ईमान है जिन्होंने इसे इस्लामी उस्तादों के बजाये अपने मौवाप से सुना। इनका ईमान नाजुक है।

ईमान-ए-इस्तिदलाली उन लोगों का ईमान है जो मौला-ए-मुताली को जानते हैं और सबूतों से उसका अनुमान लगाते हैं। इनका ईमान कट्टर है।

ईमाने हकीकी एक शख्स का ईमान जो अपने रब (अल्लाहु तआला) के होने पर इन्कार नहीं करता, चाहे पूरी कायनात रब के न होने पर एकमत हो जाये, उस शख्स के दिल में कोई शक या शुबा नहीं होता। जैसा कि हमने पहले लिखा है कि यह आला लोगों का ईमान होता है।

ईमान एक 3 गुना आयात है:

पहला, यह तलवार से गर्दन बचाता है।

दूसरे, यह माल पर जज़िया और ख़रज़ से बचाता है। इमेहरबानी करके जज़िया और ख़िराज के लिए सआदते अबदिया के पहले एडिशन का 20वां, दूसरे एडिशन का तैंतीसवां, चौथे एडिशन का इक्कीसवां, और पाँचवें एडिशन का पहला व बारवाँ और छठे एडिशन का छठा बाब देखें। उ

तीसरे, यह उसके जिस्म को अबदी जहन्नुम की आग से बचाता है।

“आमन्तु बिल्लाहि...,” को सिफाते ईमान या मोमिनुन बिह या ज़ाते ईमान या अस्ली ईमान भी कहते हैं, इसकी इज़ज़त और मरतबे के लिए। (यह इस्लाम की बुनियादों का इज़हार है और इसके आगे है: “...व मलाईकतिहि व कुतुबिहि, व रसूलिहि, वल यौमि आख़िरी, व बिल कदरी, ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला व बादुल मौत हक्कुन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदुअन्ना मुहम्मदन अबदुहु व रसूलुहु।”)

साथ ही ईमान के दो मेज़ार हैं, यानि वक़्त का वो शुवा जहाँ शख्स पर ईमान लाज़िम हो जाता है। समझदारी की उम्र और बालिग़ता की उम्र।

साथ ही ईमान की दो वजहें हैं सारी मग़बूलूक़ का बनना और क़ुरान करीम का नाज़िल होना।

साथ ही, सबूत दो तरह के होते हैं: दलीले अक़ली (दिमागी सबूत) और दलील-ए-नक़ली (रिवायती सबूत)।

साथ ही, ईमान के दो असली उसूल हैं: इकरारून बिल्लिसान (ज़बान से दावे के साथ कहना) और तसदीक़ून बिल जेनान (दिल से कुबूल करना)। और इसके लिए दो शर्तें मुक़रर हैं:

जो शर्त दिल के लिये मुक़रर की गई है कि उसमें कोई शक़ या शूबा या हिचकिचाहट न हो, और ज़बान की शर्त यह है कि जो वो कहता हो उसका उसे इल्म हो।

साथ ही, क्या ईमान एक मग़बूलूक़ है? यह मग़बूलूक़ नहीं है क्योंकि यह अल्लाहु तआला की तरफ़ से दी गई हिदायत है। दूसरी तरफ़ यह बन्दों की तज़दीक़ और ऐलान से जुड़ी है, तो यह उस नज़रिये से मग़बूलूक़ हो जाती है।

क्या पूरा ईमान वाहिद है या जमा?

यह दिल में एक पूरा है और अंगों में बहुसंख्या (जमा) में है।

यकीन के मायने हैं अल्लाहु तआला की ज़ात और कमाल को जानना।

ख़ौफ़ मतलब अल्लाह से डर।

रेजा का मतलब है अल्लाह तआला से रहम की उम्मीद न खोना ।

मुहब्बतुल्लाह का मतलब है अल्लाह और उसके पैगम्बर 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' से प्यार का होना और उसके ईमान वालों और इस्लामी ईमान से भी मुहब्बत होना ।

हया का मतलब है अल्लाह और उसके पैगम्बर 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के आगे शर्मसार होना ।

तवक्कुल के मायने है अपना सब कुछ अल्लाह का समझना । और किसी चीज़ के शुरू करने से पहले उसके लिए अल्लाह पर भरोसा करना । [सआदते अबदिया के तीसरे एडिशन के 35वें वाव में तव्वकुल की वज़ाहत है]

साथ ही, ईमान, इस्लाम और एहसान किसे कहते हैं?

ईमान मतलब मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के ज़रिये बताई गई सभी सच्चाईयों पर यक़ीन रखना ।

इस्लाम का मतलब अल्लाहु तआला के बताये गए हुक्म को करना और मना की गई चीज़ों से बचना ।

एहसान मायने है इस तरीके से इबादत करना जैसे तुम अल्लाह तआला को देख रहे हो ।

ईमान; इसके लफ़्ज़ी मायने है 'सकारात्मक तज़दीक' । इस्लाम का मतलब है 6 उसूलों को मानना और तज़दीक करना ।

मारीफत का मतलब है कि अल्लाहु तआला हर कमाल का मालिक है और किसी भी तरह की कमी से پاک है।

तौहीद के मायने है अल्लाहु का एक होने पर ईमान रखना और उसका कोई शरीक नहीं बनाना।

इस्लाम (अहकामुल इस्लामिया) का मतलब है अल्लाह तआला के हुक्म और मनाही।

दीन-व-मिल्लत का मतलब है वफात तक ईमान के स्तूनों पर कायम रहने का करार।

साथ ही, ईमान पाँच कुलबन्दियों में महफूज़ है:

1- यकीन

2- इख़्लास

3- फर्ज़ को करना और हराम से बचना।

4- मुन्नत पर अमल करना।

5- अदब में मुसतकिल मिजाज़ी रहना और इसके लिए होशियार रहना। इख़ाने और पीने से मुताल्लिक आदाब का इल्म सआदते अबदिया के छठे एडिशन के छठे बाब में है। उ

कोई शख्स जो इन पाँच कुलबन्दियों में मुसतहकिम है वो ईमान में भी मुसतहकिम होगा। इनमें से किसी भी एक को नकारने से दुश्मनी बढ़ेगी। आदमी के चार दुश्मन हैं: सीधे हाथ पर शैतान साथी; उल्टे हाथ पर इंसान की नफ्स; उसके आगे दुनिया का शौक; और पीछे शैतान; यह चारों दुश्मन ईमान को

ख़त्म करने की होड़ में लगे हुए है। वो सिर्फ़ शैतानी सोहबत नहीं होती जो किसी को घर, पैसा या दुनियावी झूठ और धोखे में फसाते है। सबसे बुरी शैतानी सोहबत वो है जो किसी का ईमान, अदब, यकीन, हया और तहज़ीब ख़राब करे और दुनिया और आख़िरत दोनों को बर्बाद करे। अल्लाहु तआला ऐसी शैतानी ताकतों से हमें और हमारे ईमान को बचाए।

कलिमा-ए-तौहीद, यानि “**ला इलाहा इल्लल्लाह**,” कहने के मुबारक मायने है: अल्लाह तआला के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं। अल्लाह लाशरीक़ है। वो हमेशा से है और वाहिद है। उसका कोई शरीक़ नहीं और न ही नाज़िर (उससे मिलता जुलता)। वो जगह और वक़्त से पाक़ है।

“**मुहम्मदुन रसूलुल्लाह**” के मायने है हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ अल्लाह के बन्दे और रसूल है। हम आपकी उम्मत में से है, अल्हम्दुलिल्लाह।

साथ ही कलिमा-ए-तौहीद के आठ नाम है:

- 1- कलिमा-ए-शहादत।
- 2- कलिमा-ए-तौहीद।
- 3- कलिमा-ए-इज़्लास।
- 4- कलिमा-ए-तक़वा।
- 5- कलिमा-ए-तय्यबा।
- 6- दावतुल हक़।
- 7- उरवातुल वुधक़ा।

8- कलिमा-ए-धेमीरातुल-जन्त ।

साथ ही इस्लाम की शर्तें पूरा करना भी ज़रूरी है । [कुछ अच्छा करना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और बुरी चीज़ों से बचना क्योंकि अल्लाह ने मना करा है इस्लाम कहलाता है ।] नीयत करना उसके मायने जानना और उसे पढ़ना और दोहराना इज़्जत बख़्श तरीक़े से ।

और ज़िक्र करने के लिये चार चीज़ों की ज़रूरत है: तज़दीक, ताज़ीम, हलावत और हुस्मत ।

एक शख्स जो तज़दीक छोड़ देता है तो वो मुनाफ़िक़ है; जो शख्स ताज़ीम छोड़ता है तो वो विद्वती है शख्स जो हलावत छोड़े वो पाग़बंड़ी है; वो दिग्बावा करता है; शख्स जो हुस्मत छोड़ता है वो फ़ासिक़ है । इन सबको नकारना कुफ़्र है ।

साथ ही, ज़िक्र तीन तरह का है:

1- ज़िक्र-ए-अवाम ।

2- ज़िक्र-ए-ख़्वास ।

3- ज़िक्र-ए-अग़्वास ।

ज़िक्र-ए-अवाम ना सीखे हुए लोगों का ज़िक्र है । ज़िक्र-ए-ख़्वास इस्लामी आलिमों का ज़िक्र है, ज़िक्र-ए-अग़्वास नवियों का ज़िक्र है ।

साथ ही, इन्सान तीन अंगों से ज़िक्र करता है:

1- ज़बान से ज़िक्र यानि कलिमा-ए-शहादत कहना ।

2- तौहीद और तस्वीह करना और कुरान करीम को पढ़ना और याद करना ।

3- दिल से ज़िक्र करना ।

दिल से ज़िक्र तीन तरह के होते हैं:

1- अल्लाह तआला की तरफ मुतव्वजा करने वाले सबूतों का ध्यान करना ।

2- अहकामुल इस्लामिया के सबूतों का ध्यान करना ।

3- मग्बूलूक के इसरार का ध्यान करना ।

तफसीर के आलिमों ने सूरह बकरा की 152वीं आयत की वज़ाहत इस तरह की है: कुरान करीम में बयान है: “ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम ताआत अल्लाह तआला की फरमावरदारी के साथ मेरा ज़िक्र करोगे मैं तुम्हारे ज़िक्र के बदले में तुम्हें रहमत दूँगा। अगर तुम मेरा ज़िक्र इबादत और फरयाद के ज़रिये करोगे तो मैं तुम्हारे ज़िक्र के बदले तुम्हें इजाबत यानि फरयाद कुबूल करूँगा। अगर तुम मेरा ज़िक्र ताआत के साथ करोगे तो मैं तुम्हारे ज़िक्र का बदला अपने नईम जन्नत से दूँगा। अगर तुम मेरा ज़िक्र तन्हाई में करोगे तो मैं तुम्हारे ज़िक्र का बदला जमिय्याति कुवरा यानि महशर की जगह में से दूँगा। अगर तुम गरीबी में मेरा ज़िक्र करोगे तो मैं तुम्हारे ज़िक्र के एवज़ में अपनी मदद से नवाज़ूँगा। अगर तुम मेरा ज़िक्र इजाबत यानि मेरे दिये हुए का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाऊँगा तुम्हारे ज़िक्र के बदले। अगर तुम मेरा ज़िक्र सिदक और इख़्लास के तरीक़े से करोगे तो मैं तुम्हारे ज़िक्र के बदले तुम्हें ख़लास और निजात दूँगा। अगर तुम मेरा ज़िक्र

फातिहा शरीफ से और फातिहा शरीफ में रूबुबियत से करेंगे तो मैं तुम्हारे ज़िक्र के एवज़ में तुम्हें रहमत दूँगा।”

साथ ही इस्लामी आलिमों ने ज़िक्र के कई सौ फायदे बताये हैं हम उनमें से कुछ लिखेंगे:

जब कोई मुसलमान ज़िक्र करता है, अल्लाहु तआला उससे राज़ी होता है। फरिशतें उससे खुश होते हैं। शैतान दुखी होता है। इंसान का दिल कोमल और नर्म हो जाता है। वो इबादत खुद दिल से और जोश से करता है। ज़िक्र दिल से ग़म निकाल देता है दिल को खुशमिजाज़ बनाता है और चेहरे को नूर से भर देता है। वो शख्स बहादुर हो जाता है और मुहबतुल्लाह को पा लेता है। मारीफातुल्लाह से एक दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, ताकि वो औलियाओं से फ़ैज़ हासिल कर सके। वो कुछ साठ अख़लाक-ए-हमीदा से नवाज़ा जाता है।

“अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह”, इस कलमे के मुबारक मायने हैं: हज़रत मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ इस वक़्त के नबी, अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।

आपने ख़ाया, पिया और निकाह किया। आपके बेटों और बेटियाँ थीं। और सारी औलादें हज़रत ख़दीजा ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हा’ से थीं। सिर्फ़ इब्राहीम एक ज़ारिया जिसका नाम मारिया था उससे हुई। और दूध छोड़ने के बाद उसका भी इंतक़ाल हो गया। सिर्फ़ फातिमा ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हा’ को छोड़के आपकी सारी औलादें आपसे पहले वफ़ात पा गईं। आपने अपनी बेटी फातिमा का निकाह हज़रत अली ‘करीमुल्लाह’ से कराया। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, हज़रत अली और हज़रत फातिमा सबसे अफ़ज़ल हैं। और आप ही रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की सबसे प्यारी बेटी हैं।

रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की ग्यारह मुबारक वीवियाँ हैं: हज़रत ख़दीजा, सौवदा, आयशा, हफ़सा, उम्मी सलेगा, उम्मी हबीबा, ज़ैनब बिनत जैश, ज़ैनब बिनते हुज़ैमा, मैमुना, जुवैयरिय्या, सफ़ीय्या ह्यरज़ि-अल्लाहु अन्हुमाह।

अदिल्ला-ए-शरीय्या किताब, सुन्नत, इज्मा-ए-उम्मत, और कियासुल मुजतहिद से बना है। इन चार स्रोतों से इस्लामी आलिमों ने मज़हब इल्म निकाला है। अल्लाह तआला के कलाम को किताब कहते हैं। सुन्नत, कौल-ए-रसूल यानि जो रसूलुल्लाह ने फरमाया फीले-ए-रसूल अल्लाह के रसूल की करी हुई चीज़ें और तक्रिर-ए-रसूल अल्लाह के रसूल की तौफीक और तज़दीक है। इज्मा-ए-उम्मत एक ही सदी में मौजूद मुजतहिदों की इतिफ़ाकी राय है मसलन असहाबा-ए-ईकराम ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम’ के ज़रिये या चार मज़हबों से। कियास मुजतहिदों के ज़रिये दो अलग चीज़ों पर निकाली गई समानता है।

साथ ही, मज़हब के लफ़्ज़ी मायने हैं, रास्ता। हमारे पास दो अलग रास्ते हैं एक रास्ता इतिफ़ाद का है और दूसरा रास्ता अमल का है।

हमारा रहबर इमाम, अबू मनसूर मातुरीदी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ के इतिफ़ाद का रास्ता है। उनका रास्ता **अहले सुन्नत** कहलाता है। इस अमल के रास्ते में हमारे रहबर इमामे आजम अबू हनीफा ‘रहमतुल्लाहि तआला’ है। उनका रास्ता **हनफी मज़हब** कहलाता है।

अबू मनसूर मातुरीदी का नाम मुहम्मद है, आपके वालिद का नाम भी मुहम्मद है, आपके परदादा का नाम भी मुहम्मद है और आपके उस्ताद का नाम अबू नसर-ए-इयाद ‘रहमतुल्लाहि तआला’ है।

अबू नसर-ए-इयाद के उस्ताद का नाम अबू वकर-ए-जुरजानी है, उनके उस्ताद का नाम अबू सुलेमान जुरजानी उनके उस्तादों के नाम अबू यूसुफ और इमाम-ए-मुहम्मद शैवानी है। और इन दो बड़ी हस्तियों के उस्ताद है इमामे आजम अबू हनीफा 'रहमतुल्लाहि तआला' तो इमामे आजम दोनों मामलों में ख़ास रहबर है हमारे इतिक़ाद के मज़हब में और अमल के मज़हब में।

मुसलमानों के तीन ईमाम रहबर है, उन्हें जानना फर्ज़ है। हमारे ईमाम जिन्होंने कुरान करीम के हुक्म और मनाही को आज्ञा दी। हमारे ईमाम जिन्होंने हमें यह बताया यानी इस्लाम में रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने। हमारे ईमाम जिन्होंने हमें ज़ोर दिया यानि जो करा उसे देखा वो रसूलुल्लाह की तरफ से मुस्लिम राज्य का वज़ीर है।

इमामे आजम के उस्ताद का नाम हम्माद है, जिनके उस्ताद का नाम इब्राहिम नेहाई जिनके उस्ताद अलकाम बिन कैस जो उस वक़्त हज़रत नेहाई के मामा भी थे। हज़रत अलकामा के उस्ताद अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद 'रहमतुल्लाहि तआला' है, जिनको इल्म हुज़ूर पाक 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' से मिला।

यह इल्म रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' को जिवराईल 'अलैहिस्सलाम' से मिला। अपनी वारी में जिवराईल 'अलैहिस्सलाम' को वह हुक्म अल्लाहु तआला अज़ीमुश्शान से मिला।

अल्लाह तआला ने इंसान पर चार ज़ेवर अता फरमाये: अक़्ल, ई मान, हया और फील यानि अमल-ए-सालिह।

साथ ही, इबादत और सालिह काम तभी कुबूल होते हैं जब पाँच शर्तें पूरी हो ईमान, इल्म, नीयत, ख़ुलूस, यानी, इख़लास किसी का हक़ न मारना (जिन्हे कुल का हक़ कहा जाता है।) सबसे पहले अहले सुन्नत पर यकीन रखना है और सारी शर्तें जो इबादत के वक़्त इस्तेमाल होती हैं उन्हें जानना।

[किसी अमल का सहीह होना उसके कुबूल होने से अलग है। इबादत की कुछ अपनी शर्तें और फराइज़ हैं जिनका पूरा होना उस इबादत के सहीह होने के लिए ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक भी मौजूद नहीं है तो इबादत सहीह नहीं होगी। यह उस इबादत को न करने के बराबर ही है और इसके लिए वो खुदको अज़ाब में मुबतिला होने से नहीं बचा सकता। अगर इबादत कुबूल न हुई हो पर सहीह हो तो उसपे कोई अज़ाब नहीं है। यानि मुसलमान ऐसी इबादत के लिए कोई सवाब हासिल नहीं करेगा। इबादत के कुबूल होने के लिये पहले उसका सहीह होना लाज़िम है; यानि ऊपर कही गई पाँच शर्तों का मुकम्मल होना ज़रूरी है। कुल के हक इन शर्तों में से है।] इमामे रब्बानी ‘रहमतुल्लाहि तआला’ अपनी किताब **मकतूबात** के दूसरे जिल्द के 87वें ख़त में लिखते हैं। [यह ख़त **सआदत अबदिया** के तीसरी जिल्द के 15वें वाब में मौजूद है।] “अगर कोई शख्स नवियों के जैसे अमल करता है और फिर भी कुल का हक़ बरकरार रखता है, उतना जितना दंक है [यानि उसकी मिकदार से] वो जन्नत में तब तक दाख़िल न होगा जब तक उसे अदा न कर दे।” [उसकी दुआएं कुबूल नहीं होगी।]

इन्ने हजर-ए-मक्की ‘रहमतुल्लाहि तआला’ अपनी किताब **ज़ेवाजिर** के 187वें गुनाह के काम में फरमाते हैं: सूरह बकरा की 188वीं आयत कहती है: “ऐ ईमान वालों! एक दूसरे का माल बातिल की तरह ख़ल मत करो!” उस तरह से मायने है फिरौती सूद जुआ चोरी धोखा गरारी झूठ गवाह वगैरह में सर्फ़ करना। कुछ हदीस शरीफ़ इस तरह है: “एक शख्स जो हलाल में से खर्च करता है और फर्ज़ करता है और हराम से बचता है और बिना किसी वजह के दूसरों को नुक़सान नहीं पहुँचाता वो जन्नत में जायेगा।” और “एक जिस्म जो हराम में मुबतिला है जहन्नुम में जलाया जायेगा” और “अगर लोग किसी इन्सान के गुस्से और नुक़सान से खुद को हिफाज़त से महफूज़ नहीं करते, वो शख्स अपनी नमाज़, ज़कात या ईमान का फायदा नहीं ले सकता।” और

“अगर एक इन्सान का जिलबाब हराम से है तो उसकी नमाज़ कुबूल नहीं होगी।” इजिलबाब के मायने है औरत का पूरा दुपट्टा। दूसरा लम्बा कपड़ा जिसे आदमी पहनते है उसे भी जिलबाब कहते है। कुछ लोगों की राय यह भी है कि जिलबाब औरत के पहनने का दो टुकड़ों वाला चारशफ है, हदीस शरीफ बयान करती है कि आदमी भी चारशफ पहनते है। यह ज़ाहिर है कि उनकी कमज़ोर बहस जाहिल और ऊटपटांग यकीन दिखाती है। दो सौ वे हदीस शरीफ गुनाह का काम “वो शख्स जो मिलावटी तिजारत करता है वो हमारे समाज से नहीं है। उसका ठिकाना जहन्नुम है।” यह हदीस शरीफ में लिखा है जोकि 210वें गुनाह के काम में लिखी है: “जहन्नुम उन लोगों का ठिकाना है जो अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से परेशान करते है हत्ता कि वो नमाज़ पढ़े या रोज़ा रखे या बहुत ज़्यादा अमल करता हो।” चाहे किसी का पड़ोसी काफिर क्यों न हो, यह ज़रूरी है कि उसे तंग न किया जाये, उन पर एहसान किये जाये और उनसे नरमी से पेश आया जाये। 313वें गुनाह के काम में हदीस शरीफ का बयान है कि: “एक शख्स जो अमन के ज़माने में किसी काफिर को नाहक क़त्ल करता है वो जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकता।” दूसरी हदीस शरीफ है: “जब दो मुसलमान दुनियावी मामले में लड़ते है, तो मरने वाला और मारने वाला दोनो जहन्नुम में जाते है।” 317वें गुनाह के काम में हदीस शरीफ बयान है: “लोगों पर जुल्म करने वाला आख़िरत के दिन अज़ाब में होगा।” तो यही बात गैर मुस्लिमों के साथ जुल्म करने पर भी है। 350वें गुनाह के काम में हदीस शरीफ बयान है कि: “तीन लोगों की फरयादे यकीनन कुबूल की जायेंगी: मज़लूमों की, मुसाफ़िरों की और वालदैन की।” “एक मज़लूम शख्स की फरयाद न मन्ज़ूर नहीं की जायेगी हत्ता कि वो एक काफिर हो।” 402वें गुनाह के काम में हदीस शरीफ है कि: “एक शख्स जो अपने दोस्त को मार डाले वो हमारे समाज से नहीं है हत्ता कि उसका दोस्त काफिर ही क्यों न हो।” 409वें गुनाह के काम में हदीस शरीफ है कि: “सारे गुनाहों में से किसी

के खिलाफ बढ़ती हुई हुकूमत, उसकी होगी जिसके अज़ाब में सबसे ज़्यादा तेज़ी बरती जायेगी।” ज़ेवाज़िर का हमारा तर्जुमा यहाँ मुकम्मल हुआ। ऐ मुसलमानों! अगर तुम अल्लाह की रहमत हासिल करना और अपनी दुआओं और इबादात की कुबूलियत चाहते हो तो ऊपर लिखी हुई हदीसों को अपने दिल में गाढ़ लो! किसी के माल, जान या इज़्ज़त को नुक़सान न पहुँचाओ! मुसलमान और गैरमुसलमान एक जैसे हैं। किसी को तकलीफ़ मत दो! लोगों को उनका हक़ दो! ‘मेहर’ देना कुल के हक़ में से एक हक़ है [सआदत अबदिया के छठे एडिशन का 15वां बाब और पाँचवें एडिशन का 12वां बाब देखें] उस औरत को जिसको उसने तलाक़ दिया हो अगर वो ‘मेहर’ नहीं अदा करता तो दुनिया व आख़िरत दोनों में बहुत सख़्त अज़ाब झेलेगा। कुल के हक़ हय़ानि इन्सानों और मख़लूकों में से सबसे अहम हक़ जिसको अदा न करने पर सबसे ख़तरनाक अज़ाब मिलेगा वो है अपने रिश्तेदारों को इस्लाम सिख़ाना ख़त्म कर देना ख़ासकर कि जब वो किसी की सरपरस्ती और हिफ़ाज़त में हो तो। अगर कोई शख़्स दूसरे लोगों को जुल्मों सितम या धोखे की बिना पर इस्लाम की तालीम लेने से और इबादत करने से रोकता है तो वो शख़्स इस्लाम न मानने वाला और इस्लाम का दुश्मन समझा जाता है। इसकी एक मिसाल है अहले सुन्नत की तालीम को नापाक करने और इस्लामी मज़हब को ख़त्म करने में करी जाने वाली कोशिशें, जोकि विद्वती लोगों और किसी अलग मज़हब के लोगों की तरफ़ से हैं, तवाहक़ुन बयानों और दंगे कराने वाली बातों के ज़रिये। कभी हुकूमत या कानून के खिलाफ़ मत खड़े हो। अपने टैक्स भरो। हुकूमत के खिलाफ़ खड़ा होना गुनाह का काम है, यह **बरीका** किताब में लिखा है। (जोकि मुहम्मद बिन मुस्तफ़ा हादिमी ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ के ज़रिये लिखी गई। d. 1176 (1762 A.D.), हादिम, कोनया तुर्की) चाहे तुम दारु-उल-हर्ब में हो, यानी काफ़िरों का मुल्क। उनके कानून को मत तोड़ो! फितना मत फैलाओ! जो लोग इस्लाम पर हमला करते हैं विद्वती हैं या जो चार में से

किसी भी मज़हब से नहीं है उन्हें दोस्त न बनाओ! उनकी किताबें और अख़बार मत पढ़ो! उनके रेडियो और टेलीविज़न के प्रोग्रामों को अपने घरों में मत आने दो! उन लोगों के साथ **अमर-ए-मारूफ़** (यानि इस्लाम की तालीम) दो जो तुम्हारी सुने! दूसरे लफ़्ज़ों में उन्हें ख़ूबसूरत अख़्बालाक़ से इस्लाम की इज़्ज़त और अज़मत लोगों में बिख़ेरो जो तुम्हारे आस पास हो!

इन्हे आविदीन ‘रहमतुल्लाहि तआला’ [फिक के आलिम, जिनका असली नाम सय्यद मुहम्मद अमीन बिन ‘उमर बिन’ अब्दुल अज़ीज़ (1198 [1784 A.D.], दामस्कस - 1252 [1836], उसी जगह) **दुर्र-उल-मुख़्तार** के ऐनोटेसन में आपने 5 जिल्द लिखी **रद-उल-मुख़्तार** की। **दुर्र-उल-मुख़्तार**, **अलाउद्दीन हसकफ़ी** ‘रहमतुल्लाह तआला अलैहि’ के ज़रिये लिखी गई थी (1021, हसकफ - 1088 [1677]), **सआदते अबदिया** के छठे एडिशन के 100 और 30वें वाव जिनमे फिक की तालीम है वो **रदुल-मुख़्तार** से ही लिये गये हैं।] पहले वाव में फरमाते हैं: सैव एतेइन सवाअतैन यानि जनन संबंधी और गुदा का हिस्सा, चारों मज़हब में ग़ालिध आवरत है। [सआदत अबदिया के चौथे एडिशन का 8वां वाव देखे।] चारों मज़हब में शर्मगाहें छुपाना फर्ज़ है। एक शख्स जो इनको ढकने में अहमियत नहीं दिख़ाता वो काफिर हो जाता है। एक शख्स जो अपने घुटने दिख़ाता है उसे अमर-ए-मारूफ़ देना चाहिए ताकि वो अपने घुटनों को ढक सके। हालांकि अमर-ए-मारूफ़ को नर्म अलफ़ाज़ों में सिख़ाना चाहिए। और उसकी तरफ से कि गयी ज़िद्दि हरकत को ख़ामोशी से जवाब देना चाहिए। जांघों को दिख़ाती हुई जिद, दूसरी तरफ़ डांटी जानी चाहिए। अगर कोई शख्स अपने सेवेतैन को खोलते हुए और उसे न ढकने पर आमादा हो तो उसकी शिकायत अदालत में करनी चाहिए जो उसे ढकने पर मज़बूर करे। यही तरीका गुनाह के गहरा होने पर भी होता है, आदमी के अवरत हिस्सों को देखना।” मुसलमान औरतों के लिए फर्ज़ है कि वो ना-महरम मर्दों और गैर-मुस्लिम औरतों के सामने अपना पूरा जिस्म हाथ

और चेहरे को छोड़कर, ढक कर रखे, इसका मतलब है कि वो अपने पैर, बाहे और बाल ऐसे लोगों की मौजूदगी में छुपा के रखे, (ना महरम लोगों मर्द या औरत के बारे में **सआदत** **अबदिया** 5वें एडिशन के 12वें बाब में लिखा है।) शाफी मज़हब में चेहरा छुपाना भी फर्ज है। अगर उनके बाप या शौहर इसमें अहमियत नहीं दिखाने तो वो काफिर हो जाते हैं। लड़कों के लिए नाचना या खुले पैर खेल खेलना कबीरा गुनाह है, और लड़कियों के लिए भी यही बिना अपना सर और बाल ढके करना या करता देखना। एक मुसलमान को अपना वक्त खेल खेलने में या बेकार चीज़ें करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि इसका फायदा नमाज़ पढ़कर और सीखकर उठाना चाहिए। **किमया-ए-सआदत** में बयान है: “जैसा कि औरतों के लिए खुले सिर, बाल और नंगे हाथ व पैर बाहर जाना हराम है, वैसे ही बारीक, ज़ेवर लगे, कसे हुए और खुशबू लगे हुए कपड़े पहन के जाना भी हराम है। बालबैन, शौहर या भाई जो अपनी औरतों को इसके लिए माफ़ कर देते हैं या उसका साथ देते हैं या पसन्द करते हैं वो भी उसके अज़ाब में हिस्सेदार हैं। दूसरे लफ़्ज़ों में वो भी उनके साथ जहन्नुम में जलाये जायेंगे। अगर वो तौबा कर ले, वो माफ़ कर दिये जायेंगे और नहीं जलाये जायेंगे। अल्लाह तआला तौबा करने वालों को पसन्द करता है।

जवगत और गज़ावत-ए-पैगम्बरी

नबी की मुबारक वीवियाँ और पाक लड़ाईयाँ

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' चालीस साल के थे, जब हज़रत जिवराईल आपके पास आये और आपको बताया कि वो नबी है। तीन साल बाद आपने मक्का में अपनी नबुव्वत का ऐलान किया। उस साल को **बिधात** का साल कहा जाता है। आपने **27** बार जिहाद (मज़हबी लड़ाई) किया। उनमें से **9** में आपने खुद ही हमला किया। **18** पाक लड़ाईयों में आप खुद कमांडर थे। आपके चार बेटों चार बेटियाँ ग्यारह वीवियाँ बारह चाचा व मामा और छः ख़ालाये थी। आप ने **25** साल की उमर में ख़दीजातुलकुवरा से निकाह किया। ख़दीजा-तुल-कुवरा के इन्तेकाल के एक साल बाद आपने यानि **55** साल की उम्र में भी अल्लाह के हुक्म से हज़रत अबू बकर 'रज़ि-अल्लाहु अन्ह' की बेटी आइशा से निकाह किया। और **63** बरस की उम्र में आपने अपने कमरे में वफ़ात पाई जो मस्जिद के पास था। आपको उसी कमरे में दफनाया गया। जब मस्जिद को बसीअ किया गया था। तो वो कमरा भी मस्जिद में आ गया था। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर 'रज़ि-अल्लाहु अन्हुम' भी इसी कमरे में दफनाये गये। हगीरा के सातवें साल में आपने, उमै हबीबा से निकाह किया, जोकि मक्का के कुरैश काफ़िरों के सरदार अबू सूफयान की बेटी थी। अबु सूफयान, हज़रत उमर 'रज़ि-अल्लाहु अन्ह' के वालिद थे। मक्का के फतह होने पर वो ईमान लाये। रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने हफसा से निकाह किया जो हज़रत उमर 'रज़ि-अल्लाहु अन्ह' की बेटी थी। हिजरत के पाँचवें साल में, आपने जुवैरिया को ख़रीदा, जोकि बनी मुसतलाक़ कबीले की पकड़ी गई बांदी थी हम्पूरेसी की पाक लड़ाईह और सरदार की बेटी थी, उसे छुड़ाया और उससे निकाह किया (यानि आपने

इस्लामी तौर से उनसे शादी की जिसका ज़िक्र तफ़सील में **सआदत अदबिया** के पाँचवे एडिशन के बारवें बाब में है।) मज़हब तरगीब के लिये आपने उम्मा सालामा, सेवदा, ज़ैनब बिन हुज़ैमा, मैमुना और सफ़िय्या ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हुमा’ से निकाह किया; आपके चाचा की बेटी ज़ैनब से निकाह अल्लाहु तआला ने करवाया।

जिबराईल ‘अलैहिस्सलाम’ आपके पास **24** हज़ार दफ़ा आये। आप **52** साल के थे जब आप मेराज [**सआदत अबदिया** के तीसरे एडिशन के **60**वें बाब में मेराज का ज़िक्र तफ़सीर से है।] पर गये। **53** साल की उमर में आपने मक्का से मदीना हिजरत की। आप और अबू बकर सेवर नाम की गुफा में तीन रातों तक रुके और पीर की रात को गुफा को छोड़ रवाना हुए। हफ़्तों पैदल चलने के बाद, वो कूवा पहुँचे, जो मदीना का एक गाँव था। वो **20** सितम्बर को पीर के दिन पहुँचे। और जब वो मदीना पहुँचे वो उसी हफ़्ते का जुमा था।

रमज़ान के मुबारक महीने में बदर की पाक लड़ाई, हिजरत के दूसरे साल, पीर के दिन लड़ी गई। **313** मुसलमान जिहादी जिसमें **8** अलग-अलग कामों में थे, उनके ख़िलाफ़ हज़ारों कुरैश थे। **13** सहावियों ने शहादत हासिल की। अबु जहल और **70** अलग काफ़िर क़त्ल किये गये।

हैगीरा के तीसरे साल में शव्वाल के महीने में उहुद की पाक लड़ाई हुई। **700** मुसलमानों की फौज, तीन हज़ार मज़बूत काफ़िरों के ख़िलाफ़ थी। **70** सहाबा अकरम शहीद हुए। उहुद की लड़ाई के चार साल बाद **70** जवान सहाबा इस्लाम के मिशन पर नजद के बाशिन्दों के पास भेजे गये। जब वो एक जगह जिसका नाम **बीरी मैमुना** पहुँचे तो पूरे गुप ने घात लगाकर उनपर हमला किया, दो सहावियों को छोड़के सब शहीद हो गये।

पाँचवा हैरीगल साल हन्दक की लड़ाई का गवाह है। 10 हजार काफ़िरों के मुकाबले में तीन हजार मुसलमान थे। काफ़िरों ने मदीना का मुहासिरा करा। मुसलमानों ने पहले ही मदीना के नीचे एक खाई खोद दी थी। एक साथ पहले हैबर की पाक लड़ाई में जोकि सातवें साल में हुई थी, एक समझौता बैतु-र-रिज़वान, हुदैबिया नाम की जगह में हुआ। मुता का पाक जिहाद बीजान्दी कैसर हैराकुलैस के खिलाफ हुआ। तीन हजार मुसलमान, सौ हजार मज़बूत बीजान्टीन फौज के खिलाफ थे। जाफर तय्यर 'रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह' ने इस जंग में शहादत पाई। ख़ालिद बिन वालिद के ज़रिये ये जंग जीती गई। मक्का आठवे साल में फतह हुआ। हुनैन एक मशहूर और बड़ी मज़हबी जंग है। वो जीत के साथ ख़ुस हुई। हैबर एक जानी मानी गढ़ी है। रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने हज़रत अली 'रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह' को भेजा और गढ़ी पर फतह हासिल हुई। यह वो जगह थी जहाँ रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' को ज़हरीला ख़ाना पेश किया गया था और आपने मना कर दिया था। वहाँ से वापसी के वक़्त हज़रत आईशा बदनामी का शिकार हुई, जिसने अल्लाह के नबी को बहुत ग़मगीन कर दिया। आयते करीमा नाज़िल हुई, जिससे पता चला कि वो बदनामी एक शैतानी झूठ था। ताईफ की जीत भी मशहूर है।

*अगर तुम खुशी चाहो, ऐ नौजवान,
तो मेरे बच्चों, लगातार इस्लाम के लिए रोज़े रखो।*

*यह फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और मनदूब है,
और साथ ही साथ अमर-ए-बिल मारुफ़।*

*हमेशा इन्हें पूरा करो, कोई भी छूटे ना,
सगीरा और कबीरा एक जैसे हैं।*

मकरूह और हराम से बचना भी जरूरी है,
कुल का हक अदा करना भी लाज़िम है।

सीधे अहले सुन्नत से सीखो!
और जो सीखो उसे फौरन अमल में लाओ!

ईमान की वज़ाहत के बारे में

ईमान की 12 वज़ाहते हैं: मेरा रब अल्लाह तआला है। इसके सबूत का लेख सूरह वक़रा की 163वीं आयत में मौजूद है। मेरे नबी हज़रत मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' है। इसके सबूत का लेख सूरह फातिहा की 28वीं और 29वीं आयत में है। मेरा मज़हब इस्लाम है। इसका सबूत सूरह अल इमरान की 19वीं आयत में है। मेरी किताब कुरान करीम है। इसका सबूत सूरह वक़रा की दूसरी आयत में है। मेरा क़िबला काबा शरीफ है। इसका सबूत सूरह वक़रा की 144वीं आयत में है।

मेरा मज़हब इतिक़ाद में अहले सुन्नत वल जमाअत है। इसका सबूत सूरत अनआम की 153वीं आयत में है।

मेरे सबसे पहले पुरखे हज़रत आदम है। इसका सबूत सूरह आराफ की 172वीं आयत में मौजूद है।

मेरी मिल्लत, मिल्लत-ए-इस्लाम है। सूरह हज की 78वीं आयत मेरी बात का सबूत है।

मैं मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' की उम्मत में से हूँ। इसका सबूत सूरह अल इमरान की 110वीं आयत में मौजूद है।

मैं एक सही (हक्कान) मोमिन हूँ। सूरह अन्फाल की चौथी आयतुल करीम इसका सबूत है। अल हम्दु लिल्लाहि अला तौफिकिहि वस तग़फ़िरुल्लाहा मिन कुल्ली तक्सरीन।

इल्म, अमल से पाँच वजहों से बड़ा है: जिस चीज़ का इल्म मुहताज है उसका अमल मुहताज है। इल्म ज़रूरी है जबकि अमल उससे अलग नहीं किया जा सकता। इल्म खुद व खुद फायदा पहुँचा सकता है जबकि अमल बिना इल्म के फायदा नहीं दे सकता।

इल्म, अक़ल से ऊंचा है। जैसे पहले (साविक) कदीम है पर आख़िरुल ज़िक्र हदीस है। (यानि वो लावजूद से वजूद में आई।)

आदमी के ज़ीनत (ज़ेवरात) उसके इख़्लास के साथ है। इख़्लास की ज़ीनत ईमान के साथ है। ईमान की ज़ीनत ज़न्नत के साथ है। ज़न्नत की ज़ीनत है हुरीस, ग़िलमन और जमालुल्लाह में। यानि अल्लाह तआला को इस तरह देखना जो न सोचा जा सकता है न बयान किया जा सकता है।

साथ ही, अगर अमल ईमान का हिस्सा होता तो एक हायज़ा (महावारी) याफ़ता औरत को हर रोज़ की नमाज़ से दोष मुक्त (साक़ित) नहीं किया जाता। इसलिए, ईमान इससे साक़ित नहीं किया जा सकता।

कलमा-ए-शहादत का कम से कम ज़िन्दगी में एक बार कहना फ़र्ज़ है। मुहम्मद सूरत की 19वीं आयत इसका सबूत है।

कलमा-ए-शहादत कहने की चार शर्तें हैं: जब ज़बान इसे कहे तो दिल साथ हो (यानि दिल से हो)। इसके मायने का इल्म होना। इसे साफ़ दिल से बोलना। इसे ताज़ीम के साथ बोलना।

यहाँ कुछ 130 फायदे है कलमा-ए-शहादत बोलने के। पर, चार चीज़ों के होने से इसके सारे फायदे ख़त्म हो जाते हैं। यह चार चीज़ें हैं: शिर्क, शक, तशबीह और तआतिल। शिर्क का मतलब है अल्लाह तआला का शरीक बनाना। शक का मतलब है मेक्स (संदेह) मज़हब में। तशबीह के मायने हैं अल्लाह तआला को एक ग़ैर हकीकी (काल्पनिक) हयात में मिलना। तआतिल के मायने हैं (यक़ीन रखना) और कहना कि, “अल्लाह तआला चीज़ों के साथ कुछ नहीं करता, हर शय वजूद में आती है जब उसका वक़्त आता है।”

और साथ ही इस लेख में 130 में से 30 फायदे लिखे हैं। यह है 30 फायदे, पाँच वो जो दुनिया में हैं, अगले पाँच मरने के वक़्त, अगले पाँच कब्र के, अगले पाँच उस जगह के जिसे अरासात कहते हैं, अगले पाँच दोज़ख़ के और आख़िरी पाँच जन्त के। दुनिया के पाँच फायदे इस तरह हैं:

- 1- उसका नाम ख़ूबसूरती से लिया जायेगा।
 - 2- उसमें अहक़ाम-ए-इस्लामिया मौजूद होंगे।
 - 3- उसकी गर्दन तलवार से महफूज़ होगी।
 - 4- अल्लाह अज़ीमुश्शान उससे राज़ी होगा।
 - 5- सारे ईमान वाले उसकी तरफ़ खिचेंगे।
- मौत के वक़्त के पाँच फायदे यह हैं कि:

1- इज़राईल ‘अलैहिस्सलाम’ (मौत के फरिशतें) बहुत ख़ूबसूरत शक़ल में सामने आयेंगे।

2- फरिश्ता उसकी रूह जिस्म से ऐसे निकालेगा जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है।

3- जन्नत की खुशबू उस तक पहुँचेगी।

4- उसकी रूह को इल्लियीन (जन्नत के आठ बागों में सबसे ऊपर) पर ऊपर तक ले जाया जायेगा और फरिश्तें अच्छी ख़ब्रों के साथ वहाँ आयेंगे।

5- एक आवाज़ कहेगी: “मरहवा (ख़ुश आमदीद), ऐ ईमान वाले, तेरी किस्मत में जन्नत है।”

उसकी कब्र के पाँच फायदे हैं:

1- उसकी कब्र कुशादा (बड़ी, विशाल) होगी।

2- (सवालातों के फरिश्तों) मुनकर व नकीर बेहद ख़ूबसूरत शक़्ल में सामने आयेंगे।

3- एक फरिश्ता उसे वो सिखायेगा जो वो नहीं जानता।

4- अल्लाहु तआला उसके ज़हन की हौसला अफज़ाई करेगा।

5- वो जन्नत में अपना घर देखेगा।

अरासात के पाँच फायदे हैं:

1- हिसाब के सवालात और सुनवाई जो इन्सान के साथ होने वाली होती है उसमें आसानी।

2- उस इन्सान के नामा-ए-आमाल (यानि इन्सान की ज़िन्दगी का लफ़्ज़ वा लफ़्ज़ हिसाब जो उसने कहा या करा) उसके सीधे हाथ में दिया जायेगा ।

3- उसके सवाब का वज़न पैमाने पर ज़्यादा वज़नी होगा ।

4- वो 'अर्श-ए-रहमान' के साए में बैठेगा ।

5- वो बिजली की रफ़्तार से पुल-ए-सिरात को पार करेगा ।

जहन्नुम में पाँच फायदे इस तरह हैं:

1- वो जहन्नुम में दाख़िल नहीं होगा और उसकी आँखें वाकी जहन्नुमियों की तरह भूरे रंग में तबदील नहीं होगी ।

2- वो अपने शैतान से लड़ाई नहीं करेगा ।

3- न उसके हाथों में आग के कफ़ चढ़ाए जाएँगे और न ही गले में आग की जंज़ीर ।

4- उसे हमीम (वेइन्तेहा गर्म पानी) पीने की सज़ा भी नहीं मिलेगी ।

5- वो हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा ।

जन्नत में पाँच फायदे हैं:

1- हर फरिश्ता उसका इस्तक़बाल करेगा ।

2- सिद्धिकियों के साथ दोस्ती रहेगी ।

3- जन्नत उसका अबदी ठिकाना होगी ।

4- अल्लाह तआला उससे राज़ी रहेगा ।

5- वो शख्स अल्लाह तआला को देखने की अज़मत हासिल करेगा ।

[काज़ी ज़दा अहमद अफेन्दी (1133-1197 [1783 A.D.]) अपनी किताब फरादुल फवाईद में अमेन्तु के शहर में फरमाते हैं: जहन्नुम सात परतों से बनी है जो एक के ऊपर एक है। हर नीचे की परत की आग ऊपरी परत से ज़्यादा शदीद है। मुसलमान अपने न बख़्शे हुए गुनाहों के लिये दोज़ख़ की पहली परत में जलाये जायेंगे जब तक अपने गुनाहों का हिसाब पूरा न कर ले: फिर वो जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाख़िल कर लिया जायेंगे। बाकी की छः परतें बाकी अलग-अलग काफ़िरों को जलाने के लिए हैं। मुनाफ़िक सातवीं परत में जलाये जायेंगे और सबसे शदीद अज़ाब झेलेंगे। ये दो चेहरे वाले काफ़िर हैं जो अपनी बातों से इस्लामी हैं पर दिल से काफ़िर हैं। जब काफ़िर जल के राख़ हो जायेंगे तो उन्हें दोबारा बनाया जायेंगा और दोबारा जलाया जायेंगा, ये जलने का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। जन्नत और जहन्नुम अब भी मौजूद हैं कुछ इस्लामी आलिमों के मुताबिक़, जहन्नुम का पता मालूम नहीं है। जबकि कुछ के मुताबिक़ यह ज़मीन की सात परतों के नीचे है। इनके यह लफ़ज़ दिख़ाते हैं कि यह ज़मीन में मौजूद नहीं चूँकि चांद, सूरज, ज़मीन, सितारे सब पहले आसमान के नीचे हैं तो, हम जिस ज़मीन पर हैं यहाँ की सात परतों के नीचे एक जन्नत है। इसलिए जहन्नुम ज़रूर जन्नत की सात परतों में से एक है।]

कुफ़ के वजहें

कुफ़ तीन तरह का होता है, [यानि अल्लाह से दुशमनीः] कुफ़-ए-इनादी, कुफ़-ए-जेहली (या जाहली), और कुफ़-ए-हुक्मी।

कुफ़-ए-इनादी एक शख्स का जान बूझकर इस्लाम और ईमान से किया जाने वाला ज़िद्दी इन्कार है, यानि अबू जहल, फिरऔन, नमरुद और शैदाद (शदाद बिन आद) जैसे लोगों का कुफ़। इन लोगों को सीधे यह कहना कि यह लोग दोज़खी है, जायज़ है।

कुफ़-ए-जहली: जैसा कि आम लोगों में मौजूद काफिर यह जानते हैं कि इस्लाम सही मज़हब है और अज़ाने मुहम्मदी को सुनते हैं, अगर तुम उनसे कहते हो कि, “आओ, मुसलमान बनो,” तो वो कहते हैं, “अपनी ज़िन्दगी का तरीका वो है जो हमने अपने दादा-परदादाओं और परिवार से सीखा है। हम उसे ही जारी रखेंगे।”

कुफ़-ए-हुक्मी के मायने हैं, तहकीर (तौहीन जैसा सलूक), की जगह ताज़ीम (अज़मत जैसा सलूक) और ताज़ीम की जगह तहकीर।

औलिया और अम्बिया (नबीयों) और अल्लाहु तआला के उलेमाओं और उनके बयानों और फिक की किताबों और दिये गये फतवों को अज़मत न देते हुए बल्कि तौहीन करना भी कुफ़ है। काफिरों के मज़हबी संस्कार को पसन्द करना और जुम्मार (एक पुजारी के ज़रिये पहने जाने वाली रस्सी) पहनना बिना किसी ज़रूरत के और पादरी कपड़े पहनना और क्रोस जैसे निशानों का पहनना भी कुफ़ है।

कुफ़्र से सात नुक़सान हैं: यह यकीन और निकाह को ख़त्म करता है। ऐसे इन्सान के ज़रिये मारे गये ख़ाये जाने वाले जानवर को भी नहीं ख़ाया जा सकता (चाहे उसने इस्लाम की शर्तों के मुताबिक़ उस जानवर का गला घोटा हो) उसका अपने हलाल के साथ किया हुआ भी ज़िना बन जाता है। उस आदमी को क़ल्ल करना वाजिब हो जाता है। ज़न्त उससे दूर हो जाती है। जहन्नुम उसके नज़दीक़ हो जाता है। अगर वो कुफ़्र की हालत में मर जाता है तो उसके लिये नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाई जाती।

अगर कोई शख्स अपनी ख़्वाहिश से कहता है कि, “फला फला के पास फला फला चीज़ है (या नहीं है)। अगर मैं ग़लत हूँ तो हो सकता है मैं एक काफ़िर हूँ,” उसने एक कसम ख़ाई है जो उसे कुफ़्र में घसीटती है, इस बात से बेपरवाह हो कि उस शख्स ने किसी मख़सूस चीज़ का नाम लिया हो या नहीं। उसके ईमान और निकाह की तज़दीद ज़रूरी है।

इस्लाम में मना किये गये काम जैसे ज़िना, सूद या झूठ बोलना को यह कहना कि, “काश! यह हलाल होते, तो मैं इसे कर लेता!” भी कुफ़्र का सबब बनता है।

मसलन अगर कोई शख्स कहे: “मैं नवियों पर ईमान रखता हूँ। पर मैं नहीं जानता कि आदम ‘अलैहिस्सलाम’ एक नबी है,” तो वो काफ़िर हो जाता है। एक शख्स जो नहीं जानता कि हज़रत मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ आख़िरी नबी है वो भी काफ़िर हो जाता है।

जैसा कि इस्लामी आलिमों के ज़रिये बयान है कि अगर एक इन्सान कहता है: “अगर नबी ‘अलैहि सल्लातु वस्सलाम’ ने जो कहा है वो सच है तो हम निजात पा चुके हैं।” तो वो काफ़िर हो जाता है। बिरगिवी ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ ने फ़रमाया: “अगर वो इन्सान इसको शक़ के नज़रिये या भाव से

कहता है तो वो काफिर हो जाता है। पर अगर वो इसे इलज़ाम के भाव से कहता है तो काफिर नहीं होता।

यह इस्लाम के उलेमाओं की तरफ से बयान है कि अगर एक शख्स को साथ में नमाज़ पढ़ने की दावत दी जाये और वो जवाब दे कि वो नहीं पढ़ेगा तो वो काफिर हो जाता है। पर वो काफिर नहीं होगा अगर उसके कहने का मतलब है: “मैं आपकी सलाह पर नमाज़ नहीं पढ़ूँगा। मैं ऐसा करूँगा क्योंकि अल्लाहु तआला ने ऐसा हुक्म दिया है।”

अगर लोग किसी ख़ास शख्स पर कहते हैं: “एक हाथ की मुठ्ठी से छोटी दाढ़ी मत उगाओं या उसे इतना छोटा करो कि वो एक हाथ की मुठ्ठी में आ जाये या अपने नाखून काटो क्योंकि यह हमारे रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की सुन्नत है,” और अगर वो शख्स कहता है कि, “नहीं मैं वो नहीं करूँगा जो तुम कहते हो।” तो वो काफिर हो जाता है। यही चीज़ दूसरी सुन्नतों के मुताल्लिक भी लागू होती है, पर यह सुन्नत आम हो यानि आम तौर पर सुनी हुई हो और तबस्सुर के तरीके से कि सवाल में काम भी एक सुन्नत है। इसकी एक मिसाल (दाँतों का साफ करना) मिसवाक (पहले या बुजू के दौरान) है। हज़रत विरगिवी [ज़ैनुल मुहम्मद विरगिवी अफेन्दी ‘रहमतुल्लाहि ताला अलैहि’ [928 (1521 A.D.)], बलिकेसिर ‘981 [1573], विरगी व] ने इस मुद्दे पर कुछ जोड़ा है: “अगर वो सुन्नत को नकारते हुए कुछ कहे तो वो कुफ़्र होगा। पर यह कुफ़्र नहीं होगा अगर वो कहे: ‘मैं सिर्फ़ ऐसा तुम्हारे कहने से नहीं करूँगा क्योंकि यह तुमने कहा है। पर मैं इसे इसलिए करूँगा क्योंकि यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है।

[यूसुफ़ करदवी अपनी किताब अल हलाल वल हराम फिल इस्लाम के चौथे एडिशन के इक्यासिवे सफ़हे पर लिखते हैं कि: किताब हदीस शरीफ़ या जामी सहीह [मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’

(194 [810 A.D.], बुग़्रारा - 256 (870), समरकन्द के ज़रिये इकट्ठा की गई] में बयान है: “मुशरिकों से उल्टे बरताव करो! अपनी दाढ़ी बढ़ाओ! अपनी मूँछे काटो!” यह हदीस शरीफ अपनी दाढ़ी काटने से रोकती है और उसे एक मुठ्ठी से छोटा रखने को कहती है। आग की इबादत करने वालों ने अपनी दाढ़ी काट दी। और कुछ ने अपनी दाढ़ी ही हटा दी। यह हदीस शरीफ हमें उनके रिवाज़ के बरअक्स करने का हुक्म देती है। कुछ फिक के आलिम यह भी कहते हैं कि इस हदीस शरीफ के मुताबिक दाढ़ी उगाना वाजिब है और दाढ़ी पूरी कटवाना हराम है। उनमें से एक इब्ने तैमिया दाढ़ी पूरी कटवाने के ख़िलाफ़ बड़ी सख़्ती से लिखते हैं। दूसरी तरफ़ कुछ इस्लामी आलिमों के मुताबिक़ यह एक रिवायती चीज़ है, न कि इबादती। किताब फतह-कोट-इयाद में बयान है कि किसी को दाढ़ी कटवाना मकरूह है। यह इस मामले की सच्चाई है। यह हदीस शरीफ़ इस मामले के लिये नहीं दिखाई जा सकती जिसमें दाढ़ी उगाना वाजिब है। इसलिए हदीस शरीफ़ में बयान है: “यहूदी और ईसाई नहीं रंगवाते (बाल और दाढ़ी), जो वो करते हैं उसके बरअक्स करो।” दूसरे लफ़्ज़ों में हदीस शरीफ बाल और दाढ़ी रंगवाने को कहती है। पर यह हदीस शरीफ़ यह नहीं कहती कि किसी के बाल या दाढ़ी रंगवाना वाजिब है। यह बताती है कि ऐसा करना मुस्तहब है। कुछ असहाबे अक़रम ने अपने बाल और दाढ़ी भी रंगवाए थे। पर ज़्यादातर ने ऐसा नहीं किया था। अगर यह सब के सब करते तो ऐसा करना वाजिब हो जाता। तो हदीस शरीफ़ का दाढ़ी के मुताल्लिक़ भी मामला ऐसा ही है: यह दिखाता है कि दाढ़ी उगाना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। हमारे किसी इस्लामी आलिम ने दाढ़ी को कटवाने की रिवायत नहीं दी। उनके ज़माने में दाढ़ी उगाना रिवायती था। [ये मुसलमानों के रिवायती कामों की न पैरवी करके बदनामी झेलना है। यह मकरूह है। अगर इससे फितना फैले तो यह हराम भी है।] यहाँ हम करदवी का तर्जुमा ख़त्म करते हैं। अपनी किताब के इफ़तिताह में करदवी लिखते हैं कि उन्होंने चारों मज़हबों के फिक

के इल्म को मिलाया है और किसी को एक मज़हब इख़्तियार करना मुनासिब नहीं माना। इसलिए वो अहले सुन्नत के आलिमों के बताये गये रास्ते से भटक गये। अहले सुन्नत के आलिमों ने फरमाया है कि एक शख्स को चार में से किसी एक मज़हब की पैरवी करनी है पर वो शख्स जो इन्हे मिलाता है वो ला मज़हबी जिन्दीक हो जाता है। चूंकि करदवी के लिखे हुए बयान जोकि दाढ़ी बढ़ाने से मुताल्लिक थे वो हनफी मज़हब के इल्म के मुताबिक थे, पढ़ने वाले से इल्तजा की जाती है कि वो सबूतों पर यकीन करे। हज़रत अब्दुल हक देहलवी ‘रहमतुल्लाहि तआला’ (958 [1551 A.D.] 1052 [1642], दिल्ली) ऐश्यातुल लेमियात के तीसरे एडिशन में फरमाते हैं कि, “इस्लामी आलिम जो उस वक़्त में रहते थे जिसके बाल और दाढ़ी रंगवाये जाते थे। तो यह दिख़ाता है कि किसी ख़ास जगह की रिवायत को नहीं अपनाना चाहिए। जोकि मकरूह है। मुहम्मद बिन मुस्तफा हादिमी ‘रहमतुल्लाहि तआला’ (d. 1176 [1762 A.D.] हादिम, कोनया, तुर्कीह अपनी किताब बरीका में फरमाते हैं: हदीस शरीफ में बयान है कि: ‘अपनी मुँछे छोटी और दाढ़ी बड़ी बढ़ाओ।’ इसलिए किसी की दाढ़ी काटना या उसे हाथ की मुठठी से छोटा उगाना मना है। एक मुठठी के बराबर दाढ़ी उगाना सुन्नत है। जब वो मुठठी से बड़े हो जाए तो उसे काटना भी सुन्नत है।” निचले होठ से लेके हाथ की बड़ी उंगली से छोटी उंगली तक की मुठठी एक हाथ की मुठठी है। अगर कोई सुल्तान किसी सुन्नत को करने का हुक्म देता है हत्ता कि वो मुवाह हो पर उसे करना वाजिब हो जाता है। यह सुल्तान का कहना है और मुसलमानों के लिए हुक्म। कई जगहों पर दाढ़ी की मुठठी से ज़्यादा बढ़ाना भी वाजिब है। इसे न बढ़ाना या काटना वाजिब के ख़िलाफ़ जाना है। यह मकरूह तहरीमी है। ऐसा करने वाले इन्सान पर मस्जिद में जमाअत का इमाम बनना (नमाज़ के लिए) जायज़ नहीं। पर दारुल हर्ब में दाढ़ी काटना जायज़ है क्योंकि ऐसा न करने से वो शख्स अपना काम खो सकता है और अपनी गुज़र करता रहे और इस्लाम के लिए ख़िदमत

करता रहे। बिना किसी उज़र के इसे छोटा करना या काटना मकरूह है। एक मुठ्ठी से छोटी दाढ़ी बढ़ाना विद्वत है यह सोचके कि वो सुन्नत कर रहे है। इसका मतलब सुन्नत को बदलना है। विद्वत का काम करना क़ल्ल से बड़ा कबीरा गुनाह है।]

मसलन एक लड़की और लड़का बालिग़ापन की उम्र तक पहुँच गये थे और उन्होंने निकाह कर लिया, और फिर भी ईमान के अरकानों के बारे में किये गये सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे, इसका मतलब यह हुआ कि वो मुसलमान नहीं। उनका निकाह तभी सहीह होगा जब उन्हें ईमान के अरकान सिखाये जाए और उनका निकाह दुबारा कराया जाये। 54 फ़र्ज़ों से मुताल्लिक़ बाब देखे।

अगर कोई शख्स अपनी मूँछें काटता है और दूसरा शख्स उसे कहे, “यह अच्छा नहीं है”, तो दूसरे शख्स के ईमान खोने का डर रहता है। क्योंकि मूँछों को काटना सुन्नत है और दूसरे शख्स ने सुन्नत को मज़ाक में लिया।

अगर कोई शख्स अपने पूरे जिस्म पर रेशम के कपड़े पहनता है और दूसरा शख्स उसे देख के कहता है, “तुम्हे ये मुबारक साबित हो”, तो दूसरे शख्स के ईमान खोने का डर है।

अगर कोई शख्स मकरूह काम करता है, किवले की तरफ पैर करके लेटना और किवले की तरफ थूकना या पेशाब करना, और बाकी लोग उसे रोके मकरूह करने से और के झिड़क कर कहे, “काश हमारे सारे गुनाह ऐसे ही माफ करने लायक होते”, तो उसके ईमान खोने का डर है। क्योंकि उसने मकरूह के बारे में इस तरह बात की है जैसे वो कोई ग़ैर अहमयती मामला हो।

साथ ही, अगर कोई नौकर अपने मालिक के कमरे में घुसता है और अपने मालिक को कहता है, “अस्सलामु अलैकुम, सर,” और कोई तीसरा

शख्स जो मालिक के साथ कमरे में मौजूद हो, नौकर को डांटते हुए कहता है, “चुप रह, बेअदब इंसान! कोई अपने मालिक को इस तरह सलाम नहीं कर सकता”, तो वो तीसरा इन्सान काफिर हो जाता है। अगर उसका मतलब उसे और अच्छे से समझाने का था तो वो काफिर नहीं होगा। अगर कोई किसी की पीठ पीछे चुगली करता है और कहता है, “मैंने कुछ ग्वास नहीं किया है, क्या मैंने किया है”, वो काफिर हो जाता है, आलिमों के मुताबिक। क्योंकि उसने एक हराम काम किया है।

अगर कोई शख्स कहता है, “अगर अल्लाह तआला मुझे जन्नत दे, फिर भी मैं तुम्हारे बिना जन्नत में दाखिल नहीं होऊँगा” या “अगर मुझे किसी और के साथ जन्नत में दाखिल होने का हुक्म हो तो मैं नहीं होऊँगा” या “अगर अल्लाह तआला मुझे जन्नत दे तो मैं उससे ज़्यादा अल्लाह का दीदार करना पसन्द करूँगा” आलिमों के मुताबिक ये बातें कुफ़्र का सबब बनती हैं। आलिमों के मुताबिक यह कहना कि ईमान घटता व बढ़ता है भी कुफ़्र है। विरगिवी के मुताबिक **मुमिनुन बिह** के साथ ईमान का बढ़ना व घटना कहना कुफ़्र है। पर यकीन व कुव्वते-ए-सिदक के हिसाब से कहना कुफ़्र नहीं है। ईमान की कमी और बढ़ोतरी पर कई मुजतहिदों के वयान हैं।

आलिमों ने कहा है कि यह कहना कुफ़्र है कि “किबले दो है एक काबा और एक जेरुसलम में।” विरगिवी के मुताबिक, दो किबले अभी मौजूद हैं कहना कुफ़्र है। पर यह कहना कुफ़्र नहीं कि “बैत मुकद्दस एक किबला था पर बाद में काबा किबला बना। अगर कोई शख्स बेवजह किसी मज़हबी आलिम की कसम खाता है तो उसके ईमान ख़ोने का डर रहता है।

इस्लाम से अलग ईबादतों या काफिरों के इस्लाम से अलग बातों पर यकीन और पसन्द करना भी कुफ़्र है।

आलिमों के मुताबिक अगर कोई कहता है कि मजूसियों का एक अच्छा तरीका खाते वक़्त बात न करना या यह मजूसियों का अच्छा काम यह है कि महावारी या हैज़ के दौरान बीबी से हमबिस्तरी न करना। तो वो काफिर हो जाता है।

अगर कोई शख्स किसी से पूछता है कि क्या वो ईमान वाला है और दूसरा कहता है, “इन्शाअल्लाह...” इसकी वज़ाहत न कर पाना कुफ़्र है।

अगर कोई शख्स किसी के बेटे से मुखातिब होते हुए कहता है कि “अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा ज़रूरी है।” वो काफिर हो जाता है।

अगर कोई औरत अपनी कमर पर काला रस्सा बांधती है और पूछने पर कहे कि यह जुन्नार है, वो काफिर हो जाती है और अपने शौहर के लिये हराम।

अगर कोई शख्स हराम चीज़ को खाने से पहले “बिस्मिल्लाह” कहता है तो वो काफिर हो जाता है। हज़रत बिरगिवी ने फरमाया “जितना यह फकीर जानता है, हराम लीयानिही खाने वाला शख्स काफिर हो जाता है। [यानि, शराब, गंदा गोश्त] यह तभी है जब वो शख्स जानता हो कि जो वो खा रहा है हराम-ए-लीयानिही (यानि वो खाना जिसकी इस्लाम में मनाही है।) यह करते हुए उसने अल्लाह के नाम को हल्के में लिया। उसके लिए वो चीज़ें हराम हो जाती है। इमामों से रिवायत है कि फिरौती के पैसों से ख़रीदा हुआ ख़ाना हराम नहीं पर फिरौती के पैसे हराम है। [इस मसले को जानने के लिये सआदते अबदिया के छठे एडिशन का पहला बाब पढ़े। जोकि हकीकत किताबवी, फातिह, इस्तानबुल तुर्की में मौजूद है।] अगर कोई शख्स दूसरे को कहता है कि, “काश अल्लाह तेरी रूह को कुफ़्र में ले जाये”, इस्लामी आलिम इसपे एक राय नहीं कि वो काफिर बन जायेगा। एक सच्चाई से, इस्लामी आलिम इस बात

पर एकमत है कि अपना कुफ़्र मंज़ूर करना भी कुफ़्र है। किसी दूसरे के कुफ़्र की मंजूरी पर दूसरे इस्लामी आलिम कहते हैं कि यह कुफ़्र होगा जब खुद कुफ़्र इसको मंज़ूर करेगा। पर यह कुफ़्र नहीं होगा कि उसके कुफ़्र की मंजूरी की बिना फिस्क (गुनाह) है- उसका अज़ाब शदीद और हमेशा रहने वाला होगा। विरगिवी 'रहीमाहुल्लाहु तआला' फरमाते हैं: “हम इस कौल को अहम जानते हैं। हज़रत मूसा 'अलैहिस्सलाम' की सच्ची कहानी कुरान करीम में इसका सबूत देती है।”

अगर कोई शख्स कहता है, “अल्लाहु तआला जानता है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया”, पर वो खुद जानता है कि वो उसने किया है, वो काफिर हो जाता है। ऐसा कहके वो हक़ तआला शानहु की हिकमत की आड़ में जहालत की बात की है।

अगर एक औरत निकाह करती है और फिर दोनों आदमी और औरत कहते हैं कि अल्लाह तआला और नबी गवाह है, दोनों काफिर हो जायेंगे। क्योंकि हमारे नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ग़ैब को नहीं जानते थे जब वो ज़िन्दा थे। वो ग़ैब को जानते हैं यह कहना कुफ़्र है।

अगर कोई शख्स कहता है कि वो जानता है कि चोरी का माल या खोई हुई चीज़ कहाँ है, जो वो खुद और जो उसपे यकीन करे काफिर हो जाते हैं। अगर वो कहता है कि उसे जिन ख़बर देते हैं तब भी वो काफिर हो जाता है। सिर्फ़ अल्लाह तआला ग़ैब को जानता है या जिसे वो ख़बर दे वो, न कोई नबी न जिन।

आलिमों ने वयान किया है, कि एक शख्स जो अल्लाह की कसम खाना चाहता है और दूसरा शख्स कहता है, “मैं नहीं चाहता कि तुम अल्लाह

की कसम खाओं बल्कि मुझे तलाक़, इज़ज़त वगैरह की कसम चाहिए”, तो दूसरा काफिर हो जाता है।

अगर एक शख्स दूसरे से कहता है कि, “तुम्हारा चेहरा मुझे मौत के फरिशतों की याद दिलाता है”, तो वो काफिर बन जाता है। क्योंकि मौत का फरिश्ता बहुत बड़ा फरिश्ता है।

अगर कोई शख्स कहता है कि, “कितना अच्छा होता अगर नमाज़ न पढ़नी होती” काफिर हो जाता है। जैसा कि मज़हबी आलिमों ने बयान किया है, अगर एक शख्स दूसरे को कहता है, “चलो नमाज़ पढ़ने”, और दूसरा जवाब देता है, “मेरे लिए नमाज़ पढ़ना मुश्किल है”, दूसरा काफिर हो जाता है।

अगर कोई शख्स कहता है, “अल्लाह तआला जन्नत में मेरा गवाह है”, वो काफिर हो जाता है क्योंकि अल्लाह तआला जगह से पाक है। [साथ ही जो अल्लाह को ‘वालिद’ कहता है काफिर हो जाता है।]

अगर कोई शख्स कहता है, “रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने ख़ाने के बाद अपनी मुबारक उंगली चाटी थी,” और दूसरा शख्स कहता है कि ऐसा करना अशिष्ट व्यवहार है तो दूसरा काफिर हो जाता है।

अगर कोई कहता है कि, “रिज़क अल्लाह से आता है पर फिर भी बन्दे की हरकत ज़रूरी है,” इसका बयान शिर्क होगा। चूंकि बन्दों की हरकत भी अल्लाह ही बनाता है। अगर कोई शख्स कहता है कि यहूदी होने से अच्छा नसरानी होना है वो काफिर हो जाता है। कोई यह कह सकता है कि यहूदी नसरानियों से ज़्यादा बेहतर है।

अगर कोई कहे कि ख़यानत के लिए काफिर होना अफ़ज़ल है, काफिर हो जाता है।

अगर कोई शख्स कहता है, “इल्म से मेरा क्या लेना देना,” या “जैसा उलेमा ने कहा है वैसा कौन कर सकता है,” या एक लिखा हुआ फतवा ज़मीन पर फेक देता है और कहता है, “मज़हबी लोगों के अलफ़ाज़ अच्छे नहीं हैं,” वो काफ़िर हो जाते हैं।

अगर कोई शख्स एक शख्स से जिससे उसका झगड़ा हो गया हो, कहता है कि “चलो इस्लामी अदालत चले,” और दूसरा कहता है, “मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक पुलिस मुझे न ले जाए,” या “मैं इस्लाम कैसे जानूँ,” दूसरा काफ़िर हो जाता है।

अगर कोई शख्स कुछ कहता है जिससे कुफ़्र आता है वो और जो उसपे हँसे काफ़िर हो जाता है। दूसरे की हँसी कुफ़्र नहीं होगी अगर वो ज़रूरी हो तो।

अगर कोई शख्स कहता है, “ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अल्लाह न हो,” या “अल्लाह जन्नत में है” वो इस्लामी आलिमों के मुताबिक़ काफ़िर हो जाता है।

कोई जो कहे की मैशायख़ की रूह हमेशा हाज़िर रहती है और जानती हैं तो वो काफ़िर हो जाता है। ऐसा कहना कुफ़्र नहीं की वो हाज़िर होंगे।

शख्स जो कहता है, “मैं इस्लाम नहीं जानता या नहीं जानना चाहता,” काफ़िर हो जाता है।

अगर कोई शख्स कहता है, “अगर आदम ‘अलैहिस्सलाम’ ने गेहूँ नहीं खाया होता तो हम शाकी नहीं बनते,” वो काफ़िर हो जाता है। इस्लामी आलिम

इस बात पर एक राय नहीं है कि यह कुफ़्र होगा या नहीं अगर वो कहे, “... हम आज ज़मीन पर नहीं होते।”

अगर कोई कहे, आदम ‘अलैहिस्सलाम’ ने कपड़े बुने थे और दूसरा कहे कि, “तो हम जुलाहे के बेटे हैं,” दूसरा काफिर हो जाता है।

अगर कोई शख्स सगीरा गुनाह करता है और वो उस शख्स को यह कहे जो उसे तौबा करने की राय दे की “मैंने तौबा करने लायक कौनसा गुनाह किया है।” तो वो काफिर हो जाता है।

अगर कोई शख्स दूसरे से कहता है, “चलो साथ में मज़हबी आलिम के पास चलते हैं,” या “चलो इल्मे फिक और इल्मे हाल की किताबें पढ़कर सीखें,” और दूसरा जवाब दे की, “इल्म से मेरा क्या लेना देना,” दूसरा काफिर हो जाता है। इसका मतलब इल्म की तौहीन करना है। एक शख्स जो फिक या तफसीर की किताबों की तौहीन करता है वो काफिर हो जाता है। काफिर जो चार में से एक मज़हब के उलेमाओं की किताबों पर हमला करने वाले काफिरों को शाम विज्ञानी या जिन्दीक कहते हैं।

अगर कोई शख्स नहीं जानता कि इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं जैसे की “तुम किस की औलाद हो?”, “तुम किसकी मिल्लत में से हो?” “इतिहाद में तुम्हारे मज़हब का इमाम कौन है?” और “अमल के मज़हब में तुम्हारा इमाम कौन है?” तो वो काफिर हो जाता है।

इस्लामी आलिमों के ज़रिए बयान किया गया है कि अगर एक शख्स एक हराम-ए-कतिय्या (जो ज़रूर हराम है) –जैसे सुअर और शराब–, को ‘हलाल’ कहते हैं या हलाल-ए-कतिय्या (जो ज़रूर हलाल है), को ‘हराम’ कहता है, वो काफिर बन जाता है। [तम्बाकू को हराम कहना ख़तरनाक है।]

[सआदते अबदिया के छठें ऐडिशन का चौथा बाव देखे जिसमें तम्बाकू के बारे में बताया गया है।]

यह करना कुफ्र है कि कोई हराम काम काश हलाल होता, अगर वो काम हराम बनाया गया है सभी मज़हबों में और वो अगर हिक्मत का विरोध में हो उस चीज़ के हलाल के लिए। इसकी मिसालें: ज़िना, गुदामैथुन, पेट भर जाने के बाद भी खाना, सूद लेना और देना। शराब के लिए सोचना की काश ये हलाल होती कुफ्र नहीं होती है। क्योंकि शराब पुराने नवियों की उम्मतों में हराम नहीं थी। कुरान करीम के बीच के लफ़्ज़ लेके उनका मज़ाक बनाना कुफ्र है। अगर कोई इंसान कहता है किसी को जिसका नाम याहया है कि, **“या यहया! हुज़ इल किताबा,”** के काफिर हो जाता है। यही कानून कुरान करीम की आयतों को संगीत, नाच या गाने के साथ पढ़ने पर भी है।

यह कहना आफत है, **“मैं अभी पहुँचा हूँ, विस्मिल्लाह।”** अगर कोई शख्स कहता है **‘मा ख़लक़ल्लाह’**, किसी चीज़ को देखकर जिसका वो इरादा कर लेता है, अगर उसे इसके मायने नहीं पता तो वो काफिर हो जाता है।

यह कहना आफत है कि, **“मैं अभी तुम्हारी क़सम नहीं खाऊँगा, क्योंकि उन्होंने क़सम खाने को ‘गुनाह’ कहा है।”**

यह कहना आफत है कि, **“तुम तो जिवराईल की तरह पूरी तरह से नंगे हो।”** इसका मतलब तुम उनका मज़ाक उड़ा रहे हो।

अल्लाह तआला के अलावा किसी की क़सम खाना हराम है। एक शख्स हराम काम करने से मुस्तद या काफिर नहीं बनता। पर वो हराम के बारे में हलाल बोलने से काफिर हो जाता है यानि मनसूसन अलैहि (जिसे नाम में हराम करार दे दिया जा चुका है जोकि हदीस शरीफ और आयत करीमा में साफ अलफ़ाज़ों में है।)

और साथ ही अगर कोई शख्स अपने बेटे के सर या अपने सिर पर हाथ रख कर अल्लाह की कसम खाता है, यानि अगर वो कहता है, वल्लाहि मेरे बेटे के सर की कसम, तो उसके कुफ्र में पढ़ने का डर है।

अहकाम-ए-इस्लामिया

इस्लामी मज़हब के हुक्म और मनाहियों को मिलाकर **अहकाम-ए-इस्लामिया** या **इस्लाम** कहा जाता है। यह आठ चीज़ों से मिलकर बना है: **फर्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, हराम, मकरूह और मुफिसद**।

फर्ज़ अल्लाह अज़ीम ओ शान का हुक्म है। और इसलिए उसके हुक्म सबूत के साथ साफ साफ ज़ाहिर है। दूसरे लफ्ज़ों में, उसने आयतुल करीमा में साफ साफ बयान फरमाया है। वो शख्स जो इसे नकारता है या इसको एहमियत नहीं देता वो काफिर बन जाता है। मसलन (अल्लाह तआला का हुक्म जिसे फर्ज़ कहते हैं): ईमान, कुरान, वजू करना, नमाज़ अदा करना, ज़कात अदा करना, हज करना, जुनूब की हालत में गुस्ल करना, [अपने पूरे जिस्म को इस्लामी तरीके से धोना]।

फर्ज़ तीन तरह के होते हैं: फर्ज़े दायिम, फर्ज़े मुवक्कत और फर्ज़े अल्ल किफाया। फर्ज़े दायिम के मायने हैं **आमन्तु बिल्लाहि...**, को पूरा याद करना और उसके मायने पर ईमान रखना। फर्ज़े मुवक्कत वो फर्ज़ है जो हम उसके बताए गए वक़्त के आने पर अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ पाँच वक़्त की नमाज़ अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, इल्म और तिजारत के मामले की बारीक्या सीखना। फर्ज़े अल्ल किफाया एक गुप या समूह को दिया गया अल्लाह का हुक्म है, समूह में चाहे पचास लोग हो या सौ या ज़्यादा, अगर वो चीज़ उनमें से एक शख्स भी कर लेता है तो पूरा समूह

साकित हो जाता है इसकी एक मिसाल सलाम की है। [सआदते अबदिया के तीसरे ऐडिशन के 62वें बाव को देखें जिसमें मुसलमानों को सलाम के बारे में लिखा गया है।] कुछ दूसरी मिसालें हैं नमाज़े जनाज़ा पढ़ना, मरे हुए मुसलमान को नहलाना, अरबी में सर्फ और नौह सीखना, हाफ़िज़ बनना, वुजूब का सीखना, अपनी कला और ज़रूरत के मुताबिक़ से ज़्यादा दुनियावी और दीनी इल्म का सीखना।

साथ ही एक फ़र्ज़ में पाँच फ़र्ज़ होते हैं। यह फ़र्ज़ हैं: इल्म-ए-फ़र्ज़, आमाले फ़र्ज़, मिकदार-ए-फ़र्ज़, इतिकाद-ए-फ़र्ज़, इख़्लास-ए-फ़र्ज़, और इन्कारे फ़र्ज़। इन्कारे फ़र्ज़ कुफ़्र है।

वाजिब अल्लाहु अज़ीमुशान का हुक्म है फिर भी अस्पष्ट लिखित सबूतों से समझी गई है। अगर कोई शख्स किसी वाजिब काम को वाजिब मानने से इन्कार करता है तो वो काफ़िर नहीं होगा। फिर भी वाजिब को न अदा करने से जहन्नुम में अज़ाब झेलना पड़ेगा। इसकी मिसालें हैं: विव्र की नमाज़ में दुआए कुनूत का पढ़ना, कुरबानी करना, रमज़ाने शरीफ़ की ईद में फितरा अदा करना, और जब भी सजदा शरीफ़ की आयत सुनो सजदा-ए-तिलावत का अदा करना। एक वाजिब में चार वाजिब और एक फ़र्ज़ होता है: इल्मे वाजिब, आमाले वाजिब, मिकदारे वाजिब, इतिकादे वाजिब, और इख़्लासे फ़र्ज़। फ़र्ज़ या वाजिब का मज़ाक बनाना हराम है।

रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के ज़रिए एक या दो बार करी गई चीज़ें सुन्नत हैं। इसको छोड़ने वाला शख्स आख़िरत में अज़ाब में नहीं होगा। पर अगर कोई शख्स बिना किसी अच्छे बहाने के (उज़र) इसे छोड़ने की आदत बना लेता है तो वो आख़िरत इताब का हक़दार है, साथ ही वो उसके सवाब से महरूम रहेगा। इसकी मिसालें हैं: मिसवाक़ करना, अज़ान देना व इक़ामत करना, जमात के साथ नमाज़ पढ़ना, किसी की शादी की शाम को

खाना परोसना, अपने बेटे या बेटों की खतना करना। सुन्नतें तीन तरह की हैं: सुन्नते मुआविकदा, सुन्नते गैर मुआविकदा, और सुन्नते अल्ल कफाया।

सुन्नते मुआविकदा की मिसालें हैं: फर्ज नमाज़ के फर्ज पहले की सुन्नतें, जुहर की नमाज़ की शुरू की और फर्ज के बाद की सुन्नतें और ईशा की नमाज़ के बाद की सुन्नतें। यह सुन्नतें, सुन्नते मुआविकदा कहलाती हैं। कुछ इस्लामी आलिम फर्ज की सुन्नतों को वाजिब भी बताते हैं। बिना किसी उज़र के यह सुन्नतें नहीं छोड़ी जा सकती। जो शख्स इन से नफरत करता है वो काफिर बन जाता है।

सुन्नतें और मुआविकदा की मिसालें हैं: असर नमाज़ की सुन्नतें और ईशा की नमाज़ की शुरू की सुन्नतें। इनको कई दफा भी छोड़ देने से कोई फर्क नहीं है पर इन्हे कभी न करने से आखिरत में ज़िल्लत मिलेगी और शफाअत से महरूमियत भी।

[हालाबी और कुदुरी ने लिखा है की इबादत के दो तरीके हैं: फराईज़ और फज़ाइल। इबादत के वो काम जो न तो वाजिब हैं न फर्ज फज़ाइल या नाफिला कहलाते हैं। हर रोज़ की पाँच वक़्त की नमाज़ों में सुन्नतें नाफिला इबादत हैं जो फर्ज में हुई कमियों को पूरा करती हैं। दूसरे लफ़्ज़ों में यह फर्जों में हुई नुक़सान की तलाफी करता है। पर यह बात हमें धोखे में न डाले कि सुन्नतें हमारी छोड़ी हुई फर्ज नमाज़ों की भरपाई कर पायेगी। फर्ज छोड़कर जहन्नुम का अज़ाब झेलने वाले इन्सान को सुन्नत नहीं बचा सकती। एक शख्स जिसने बिना किसी उज़र के फर्ज नमाज़ छोड़ी है और सुन्नत पढ़ी हो तो उसकी सुन्नत नमाज़ सही नहीं होगी। सुन्नत नमाज़ के लिए सही नियत का होना लाज़िम है। अगर नियत सही नहीं है तो सुन्नत इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। तभी वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िन्दगी में कई नमाज़ें छोड़ी हैं उन्हें चाहिए कि वो चार वक़्त नमाज़ों की सुन्नतों में कज़ा की भी नीयत करे। जब

वो यह नीयत करेंगे तो उनकी कज़ा नमाज़ें भी पूरी होंगी और उस वक़्त की सुन्नतें भी अदा होंगी। ऐसा करने से मुराद सुन्नत छोड़ना नहीं है।] [इस दोहरी नीयत के बारे में सआदत अबदिया के चौथे एडिशन के 23वें बाब में लिखा है।]

सुन्नत-ए-अल्ल किफ़ाया ऐसी सुन्नत है जिसके गुप में से कम से कम एक शख्स के अदा किए जाने पर पूरे गुप उससे साकित हो जाता है। सलाम, इतिकाफ और विस्मिल्लाह पढ़ना जब कोई काम शुरू करो उससे पहले, इसकी कुछ मिसालें हैं।

अगर कोई शख्स जो खाना खाने से पहले विस्मिल्लाह नहीं पढ़ता वो तीन नुक़सानों में रहता है: 1- शैतान उसके खाने में शरीक हो जाता है। 2- जो खाना वो खाता है वो उसके जिस्म के लिए नुक़सान और बीमारी का सबब बनता है। 3- उसके खाने में बरक़त नहीं होती है।

अगर वो विस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो उसे तीन फ़ायदें होते हैं: 1- शैतान उसके खाने में हिस्सेदार नहीं बनता। 2- उसका खाना उसके जिस्म में शफ़ा का सबब बनता है। 3- उसके खाने में बरक़त होती है। [अगर कोई विस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता है तो उसे जब भी याद आये खाने के दौरान, पढ़ लेनी चाहिए।]

मुस्तहब के मायने उन चीज़ों से है जो रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अपनी ज़िन्दगी में एक या दो बार किए हों। वो शख्स जो इसे न करे वो न तो आख़िरत में अज़ाब में होगा और न ही ज़लील होगा। और न ही इसे अदा न करने पर शफ़ात से महरूम रहेगा। इसकी मिसालें हैं: नफ़िल नमाज़ पढ़ना, नफ़िल रोज़ें रखना, उमरा करना, नफ़िल हज़ करना, और नफ़िल सदका देना।

मुवाह वो काम है जिन्हें अच्छे काम की नीयत से करा जाए तो सवाब है और बुरे काम की नीयत से करा जाए तो अज़ाब है। इसको छोड़ने से अज़ाब नहीं है। चलना, बैठना, घर खरीदना, हर तरह का खाना खाना जो हलाल हो, और हर तरह के कपड़े पहनना, सबका हलाल होना ज़रूरी है।

हराम वो चीज़ है जिसे अल्लाह तआला ने कुरान करीम में साफ मना करार दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में यह वो न करने वाली चीज़ें हैं जिसे उसने कुरान करीम में बयान फरमाया है। एक शख्स जो हराम को नकारता है या हल्के में लेता है, वो काफिर बन जाता है। वो शख्स जो हराम करता है पर यकीन रखता है कि यह हराम है वो काफिर नहीं बनता। वो फासिक हो जाता है। [इब्ने आबिदीन 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' अपनी तहरीर एक इमाम के मुताल्लिक में फरमाते हैं [इस मामले में इमाम का मतलब वो शख्स जो जमाअत को नमाज़ पढ़ाता है जिसका ज़िकर **सआदत अदबिया** के चौथें एडिशन के 12वें बाब में है।] “एक फासिक इमाम के पीछे नमाज़ मत पढ़ो। फासिक का मतलब है वो मुसलमान जो कबीरा गुनाह जैसे शराब पीना, ज़िना और सूद लेना वगैरह करता हो। [एक सगीरा गुनाह के बार-बार करने से वो कबीरा में तब्दील हो जाता है।] एक ऐसी जगह जहाँ जुमे की नमाज़ एक से ज़्यादा मस्जिदों में पढ़ाई जाती हो तो तुम्हें सालिह इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी चाहिए न कि एक फासिक इमाम के पीछे। फासिक शख्स से हकारत और धोखे से पेश आना वाजिब है। हालांकि अगर पता हो कि कोई शख्स फासिक है तो उसे इमाम बनना ही नहीं चाहिए था। उसे इमाम बनाने से मुराद है उसे बड़े इन्सान की तरह मानना और उसकी इज़ज़त करना। अगर कोई शख्स फासिक है और साथ ही वो किसी मज़हब में से नहीं है तो उसे इमाम बनाना मकरूहे तहरीमी है। हराम से बचना **तकवा** कहलाता है। उन चीज़ों से बचना जिनके हराम या हलाल होने में शक शुबा है **वारा** कहलाता है। बिना हलाल न हो कि पर कुछ शक वाली चीज़ करनी चाहिए उसे **जुहद** कहते हैं। अगर दारूल हरब में रहने वाला कोई शख्स

ईमान ले आता है तो उसपे वाजिब है कि वो दारुल इस्लाम की जानिब हिजरत करे।]

हराम दो तरह के होते हैं: उनमें से एक है **हराम-लि-आयनीहि** और दूसरा **हराम-लि-गैरिही**। पहले वाला हराम, जौहर है, यह हमेशा हराम है। इसकी मिसालें हैं: कल्ल, ज़िना, गुदमैथुन, शराब पीना, जुआ खेलना, सुअर खाना, औरतों, लड़कियों के लिए उनका नंगें सिर, पैर, हाथ बाहर जाना। अगर कोई शख्स मर्द या औरत, ऊपर लिखे हुए काम करता/करती है और उन्हें हलाल समझते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ती है यानि वो इस बात को एहमियत नहीं देते कि अल्लाह तआला ने उन्हें हराम बनाया है तो वो काफिर हो जाते हैं। फिर भी अगर लोग यह जानते हुए भी कि यह चीज़ें हराम हैं और उसे करते हुए अल्लाह का भी डर रखते हैं तो वो काफिर नहीं होंगे पर जहन्नुम के अज़ाब के हक़दार होंगे।

हराम लि गैरिहि वो काम है जो हराम तरीक़े से किए जाने पर हराम बन जाता है हालांकि वो हराम नहीं है। इसकी मिसालें हैं: किसी के बगीचे में घुसना और बिना उसके मालिक की इजाज़त के उसका फल खा लेना; किसी दूसरे की जायदाद या पैसा चुरा लेना और खर्च कर देना। अगर कोई शख्स ऐसा करता है और बिस्मिल्लाह कहता है या इसे हलाल कहता है वो काफिर नहीं बनेगा। अगर इस दुनिया में कोई शख्स जो के दाने के बराबर भी किसी का माल मार लेता है तो आख़िरत में अल्लाह तआला उसके बदले में मज़लूम इन्सान को 700 मक़बूल नमाज़ें देगा जो जमाअत में पढ़ी गई हो। आख़िरत में इबादत से ज़्यादा सवाब इन हरामों से बचने पर मिलेगा।

मकरूह के मायने वो जो अमल के ज़रिए कमाये गए सवाब को ख़राब कर दे। मकरूह दो तरह के होते हैं: कराहते तहरिमिय्या और कराहते तनज़िहिय्या।

कराहते तहरिमिय्या से मुराद वाजिव का छोड़ना है। यह हराम के करीब है। कराहते तनजिनिय्या सुन्नत को छोड़ना है। यह हलाल के करीब है। अगर कोई शख्स कराहते तहरिमिय्या जान बूझ कर करता है तो वो नाफरमान और गुनाहगार बन जाता है। जहन्नुम की आग का हकदार है। अगर वो इसे नमाज़ के दौरान करता है तो उसे वो नमाज़ दोबारा पढ़नी होगी। अगर उसने यह गलती से किया हो तो उसे सजदा सहू करना लाज़िम है। (नमाज़ के आख़िर में) [सआदते अदबिया के चौथें एडिशन के 16वें बाब में सजदा सहू मौजूद है।] तब नमाज़ को दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं। वो शख्स जिसने कराहते तनजिहिय्या किया हो उसे अज़ाब नहीं दिया जायेगा। पर वो धिक्कारा जायेगा और शफाअत से महरूम रहेगा अगर वो आदतन इसे करता रहेगा। इसकी मिसालें हैं: एक घोड़े में से गोश्त खाना, चूहे या बिल्ली का बचा हुआ खाना खाना, किसी शराब बनाने वाले को अंगूर बेचना।

वो चीज़ जो अमल को ख़त्म कर देती है उसे मुफसिद कहते हैं। इसकी मिसालें हैं: किसी को ईमान, नमाज़, निकाह, हज ज़कात या ख़रीद फरोख़्त अदा करते वक़्त उसका वो काम बिगाड़ देना।

[एक मुसलमान जो फ़र्ज़, वाजिव, सुन्नत अदा करता है और हराम और मकरूह से बचता वो अजर या सवाब यानि आख़िरत में सिला से नवाज़ा जाएगा। अगर कोई शख्स हराम या मकरूह करता है या फ़र्ज़ और वाजिव को नकारता है तो वो गुनाहगार दर्ज कर लिया जाता है। एक हराम से बचने का सवाब एक फ़र्ज़ अदा करने से ज़्यादा है। एक फ़र्ज़ को अदा करने का सवाब एक मकरूह से बचने के सवाब से ज़्यादा है। जोकि अपनी बारी में सुन्नत से कई गुना बढ़कर है। मुवाह में से वो चीज़ें जो अल्लाह तआला को पसंद है उन्हें ख़ैरात और हसनात कहते हैं, हालांकि सवाब उस शख्स को दिया जायेगा जो

अदा करेगा, इसका सवाब सुन्नत के सवाब से कम है। यह समझ के कोई काम करना कि इसका ईनाम मिलेगा उसे **कुरबत** कहते हैं।

अल्लाह तआला अपने बन्दों के लिए बहुत शफीक बनकर उसके लिए मज़हब भेजे, जोकि राहत और खुशी के ज़रिये है। आख़िरी मज़हब मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' का मज़हब है। बाकी मज़हब शैतानी लोगों ने तब्दील कर दिए। अगर कोई इन्सान, मुसलमान या ग़ैर मुस्लिम, अपनी ज़िन्दगी इस मज़हब के मुताबिक़ गुज़ारता है बिना इसके कि वो इसे जानता है या नहीं जानता, वो इस दुनिया में कोई ग़म में नहीं होगा। इस कहावत की मिसाल अमेरिकन और यूरोपियन काफ़िर इस मज़हब के मुताबिक़ काम कर रहे हैं। हालांकि काफ़िरों को आख़िरत में कोई सवाब या ईनाम नहीं है। जो शख्स ऐसा काम करता है वो मुसलमान है और इस्लाम को मानता है, उसे आख़िरत में रहमतें मिलेंगी।]

इस्लामी इमारत

इस्लामी इमारत के पाँच हिस्से हैं, दूसरे लफ़्ज़ों में इस्लाम पाँच बुनियादों से बनाता है। पहला है कलमा-ए-शहादत का कहना और उसपर ईमान लाना और उसके मतलब का जानना। दूसरा हर दिन पाँच वक़्ता नमाज़ उसके बताये गए वक़्त पर अदा करना। तीसरा रमज़ान के पाक महीने के पूरे रोज़ें रखना। चौथा ज़कात देना सालाना, जबकि वो फ़र्ज़ हो जाये। ज़िन्दगी में कम से कम एक बार हज करना। [इन पाँचों बुनियादों में से दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवी वज़ाहत से **सआदत अदबिये** के चौथे और पाँचवें एडिशन में मौजूद है।] अल्लाह तआला के इन पाँच हुक्मों को मानना और हराम से बचना **इबादत करना** कहलाता है। यह एक नफ़िला इबादत होगी अगर कोई शख्स बुजुब और अदा के साथ हज न अदा करे; या वो पहले हज अदा कर चुका हो

और दूबारा कर रहा हो। ऐसे कामों को करना जायज़ नहीं है जो विद्वत या हराम की तरफ जा सकते हो। हज़रत इमामे रब्बानी कुदीसा सिररूह अपने 29वें 100वें और 23वें और 124वें ख़तूत व अब्दुल्लाह देहलवी कुदुसी सिरूहि अपने 26वें ख़त मकामाते मज़ारिया में, नफ़िल हज या उमरा की इजाज़त न दो। (अफीफुद्दीन अब्दुल्लाह बिन इसाद याफ़ि 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि', 698 [1298 A.D.], यमन - 768 [1367], मक्का, अपनी 'जुहद' की गुफ़्तगू में लिखते हैं, मकामाते अशारा का एक हिस्सा (दस हिस्से), अपनी किताब जिसका नाम) नशर-उल-महासिन-इल-ग़लिय्या: "जब इमाम नेवेवी, बड़े आलिम और एक वली, से पूछा गया: आप हर सुन्नत का पालन करते हो। पर आपने एक सुन्नत छोड़ दी, बड़ी सुन्नत निकाह, आपने जवाब दिया, "मुझे डर है इस सुन्नत को करके मैं और हराम काम न कर बैठूँ। इमाम यहया वेवेही ने 676 में दमस्कस में वफ़ात पाई [1277 A.D.] प्रोफ़ेसर हबीबुर्रहमान जामिया-ए-हबीबिया के डीन, 1401 [1981 A.D.] में हज पर गये। जब आपने देखा कि एक वहाबी इमाम लाऊड स्पीकर पर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ा रहा है, आपने अपनी नमाज़ अलग पढ़ी। इसके लिए उन्हें हथकड़ी पहना दी गई और जेल भेज दिया गया और सवाल किया गया कि तुमने जमात के साथ नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी। जब उन्होंने कहा कि एक बड़ी जमात के साथ नमाज़ पढ़ते वक़्त लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं तो उन्हें हज करने से रोक दिया और अपराधी करार दिया गया।

पहली चीज़ जो इन्सान के लिए ज़रूरी है ईमान और यकीन का सीखना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। पुराने ज़माने में इस्लामी आलिमों से ईमान सीखना बहुत आसान था। जिस नये ज़माने में हम रह रहे हैं यहाँ कहीं भी इस्लामी आलिम नहीं हैं जाहिल और कमअक्ल जो अंग्रेज़ों के हाथों विक चुके हैं वो तक़ीबन नज़दीक और दूर हर तरफ फैल चुके हैं मज़हबी लोगों के नाम पर। सिर्फ़ एक ही तरीका है यकीन और ईमान सीखने

का और वो है अहले सुन्नत के आलिमों की किताबें पढ़ कर। यह किताबें अल्लाह तआला की रहमत है। इस्लाम के दुश्मन गलत किताबों के ज़रिए नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनके लिए सच्ची मज़हबी किताबें खोजना ज़्यादा मुश्किल हो जाये। यह एक मायूस करने वाली मुहताजाना ख़बर है कि नौजवान बस इसे खेल समझ रहे हैं। यह बीमारी जवान लोगों में फैल रही है। ऐसी चीज़ों से हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें अपने बच्चों को ईमान और सही किताबों के बारे में बताना चाहिए। और ऐसे अपने बच्चों को नुकसानात से बचा सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बच्चें आजकल अपने कुछ ख़तरनाक खेलों में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि वो खाना भी भूल जाते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए उनकी स्कूल की किताबें पढ़ना और पास होना भी मुश्किल हो जाता है। वालदैन को कैसे न कैसे उनके बच्चों को किताबें पढ़ने की तरफ़ मुतव्वजा करना पड़ेगा। **सआदते अबदिया**, मसलन पढ़नी चाहिए। जो शख्स इसे पढ़ेगा वो न सिर्फ़ ईमान सीखेगा बल्कि इस्लाम के दुश्मनों के धोखे से भी बचेगा। अगर माँ बाप अपने इस फर्ज़ में कोताही करते हैं तो आने वाली जवानों की कौम हमारे मुल्क को ख़ूब नुकसान पहुँचायेगी।

एक और ख़ास हिस्सा जिसपे वालदैन को ख़याल रखना चाहिए वे हैं ‘सतरे अवरत’, (जो **सआदते अबदिया** के चौथे एडिशन के 8वें बाब में इसका ज़िक्र है।) हम आजकल देखते हैं कि हमारे नौजवान खुले पैर और नंगें बदन बहुत ख़तरनाक खेलों में लगे हुए हैं। सतरे अवरत छुपाना बहुत अहम फर्ज़ है। वो इन्सान जो इस पर एहमियत नहीं देते वो अपना ईमान भी खो सकते हैं। मुसलमान मस्जिदों में या तो अपनी नमाज़ों से ज़्यादा सवाब कमाने जाते हैं या तब्लीग़ वयान सुनने। इन कामों के बरअक्स भी मस्जिद में जाने पर बहुत सवाब है। एक जगह जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं अपने अवरत हिस्सों को खोलकर वो मस्जिद नहीं हो सकती; यह फिस्क (गुनाह) का जमावड़ा है। कई इस्लामी किताबों में लिखा है कि फिस्क की जगह पर जाना हराम है। जो लोग

ऐसी मस्जिदों में जाते हैं वो फिस्क के जमावाड़े में जा रहे हैं जो गुनाह हैं। एक शख्स जो ऐसी मस्जिद में सवाब कमाने और बयान सुनने जाता है वो सवाब के बदले गुनाह कमा कर लौटता है। जब लोग खुले अवरत हिस्सों के साथ मस्जिद में घुसते हैं तो वो मुसलमानों को भी गुनहगार बनाते हैं। जिस तरह से अवरत हिस्सों को खुला छोड़ना कबीरा गुनाह है। इसलिए मुसलमान जो ऐसी मस्जिदों में जाते हैं और गुनाह कमाते हैं और सवाब के बदले ग़ज़बे इलाही कमाते हैं।

नमाज़ का बाब

नमाज़ के 12 फ़र्ज़ हैं: 7 बाहर के और 5 अंदर के।

फ़र्ज़ जो बाहर के हैं: तहारत, हँदैस से; नजासत से तहारत; सतरे अवरत; इस्तिकवाल-ए-किबला; वक़्त; नियत; तकबीर-ए-इफ़तिताह। अन्दर के फ़र्ज़ हैं: कियाम; किरात; रूकू हर एक रकअत में; सजदा हर रकअत में 2 बार; कज़ा-ए-आख़िरा में तशहहुद में बैठना जितनी देर हो सके। नमाज़ के फ़र्ज़ों को **रूकन** कहते हैं। सजदे में माथा और पंजों (पैरों के) को ज़मीन पर रखना फ़र्ज़ है।

हँदैस से तहारत के मायने हैं, अगर वुजू न हो तो वुजू करना, जुनूब की हालत में गुस्ल करना, और अगर आस पास पानी न हो और वुजू या गुस्ल ज़रूरी हो तो तैयम्मूम करना। हँदैस से तहारत को पूरा करने के लिए तीन शर्तें हैं।

इस्तिन्जा और इस्तिबारा (जिसका ज़िक्र आगे किया जायेगा) का बारीकी से ख़्याल रखना, जब धो रहे हो, जब सिर का मसह कर रहे हो, ऐसी जगहों को सूखा न छोड़ देना जिनका गीला करना फ़र्ज़ हो।

नजासत से तहारत पूरा होने की तीन शर्तें हैं: नमाज़ के वक़्त पहले हुए कपड़ों का नजासत से पाक होना। नमाज़ पढ़ते वक़्त पढ़ने वाले के जिस्म का पाक होना। नमाज़ पढ़ने की जगह का पाक होना। [इस बाब का आख़िर देखे जो 54 फ़र्ज़ों के बारे में है!]

सतरे अवरत के पूरा होने के लिए तीन शर्तें हैं: हनफी मज़हब में, आदमी के लिए अपनी नाभी के नीचे से अपने घुटनों के बिल्कुल नीचे तक के हिस्से को छुपाना। अपने पैरों को नमाज़ के वक़्त ढक कर रखना आदमी के लिए सुन्नत है।

आज़ाद औरत के लिए, अपने हाथ और चेहरे के अलावा बाकी हिस्सों को न दिखाना, आलिमों के मुताबिक़ उसके पैरों का भी शामिल होने पर अपवाद है।

जारिया औरतों के लिए उनके जिस्म के पीछे के हिस्से का ऊपरी हिस्सा और छाती से घुटनों तक ढक कर रखना। [वो औरतें जो बिना अपना सिर हाथ या पैर ढके बाहर जाती हैं या जो बिल्कुल बदन से चिपके हुए कपड़ें पहनती हैं और उन्हें मर्द देखता है तो वो गुनाहगार हैं क्योंकि वो हराम कर रहें हैं। वो इन्सान जो इस सच्चाई से कान बन्द कर लेता है वो काफ़िर और मुरतद हो जाता है।]

इस्तिक़वाल-ए-किब्ला के पूरा होने की तीन शर्तें हैं: क़िबले की तरफ़ रूख़ करना।

अपनी छाती क़िबले की तरफ़ से न मोड़ना जब तक कि नमाज़ पूरी न हो जाए।

अपने आप को अल्लाहु तआला के दीवान-ए-मा-नावी में शार्इस्ता करना ।

नमाज़ के वक़्त के पूरा होने की तीन शर्तें हैं: नमाज़ का वक़्त कब शुरू और कब ख़त्म होता है इसका इल्म रखना । नमाज़ के वक़्त पर नमाज़ को मुलतवी न करना बल्कि पहले पढ़ना मकरूह है ।

नियत के मायने है नमाज़ का फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब का जानना और उसे अपने दिल से गुज़ारना और हर एक लफ़्ज़ को दिल से समझना । वित्र नमाज़ इमाम आज़म के मुताबिक़ वाजिब, दो इमामों के मुताबिक़ सुन्नत (यानि अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद) और शाफी और मालिकी मज़हब में है । [मालिकी मज़हब के मुताबिक़ किसी हरज (इस्लाम की बताई गई मुश्किल) के होने पर वित्र को छोड़ा जा सकता है ।]

तकबीरे इफ़्तिताह में आदमी अपने हाथों को कान तक ले जाता है और दिल जागता और चौकस रहें ।

कियाम के पूरा होने की तीन शर्तें हैं: क़िब्ले की तरफ़ रूख़ होना, सजदे की जगह पर देखना (यानि वो जगह जहाँ तुम अपना माथा लगाओंगे) और कियाम के दौरान ना डोलना ।

किरात के पूरा होने की तीन शर्तें हैं: जब ज़रूरत हो तो कलाम को ऊँचा पढ़ना, और जब अकेले में हो तो ऐसे पढ़ना की आवाज़ खुद के कानों तक पहुँच जाए, और लफ़्ज़ों की सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना । कुराने करीम की जिस आयत को आप पढ़ रहे हो उसके मायने सोचना । तजवीद के कानूनों को समझना जो तुम आयतों में पढ़ते हो । तकबीर जो नमाज़ से पहले पढ़ते हैं और जो भी नमाज़ में पढ़ा जाता है और अज़ान को अरबी ज़बान में होना चाहिए । इन अरबी आयतों को कैसे पढ़ना है यह उस हाफ़िज़ से सीखना

चाहिए जो इस्लाम जानता हो और इल्मे हाल के मज़हब की किताबों का पालन करता है। लैटिन लफ्ज़ों में लिखी हुई कुरान करीम की आयतों को सही से नहीं पढ़ा जा सकता। इसे पढ़ना गलती भरा होगा। कुरान करीम की तफ़सीर मुमकिन है। जबकि इसका तर्जुमा इस सवाल से बाहर है। किलवे जैसे ‘करान का तुर्की तर्जुमा’ जो लामज़हबियों के ज़रिए लिखी गई है वो सही नहीं है। वो गलत और ख़ामियों वाली है। हर मुसलमान को कुरान करीम सीखना चाहिए ताकि वो कुरान करीम और नमाज़ को सही से पढ़ सके। वो नमाज़ जिसमें आयत करीम सही और इबादत सही अदा की जाए वो कुबूल होगी। **तबीग़-उस-सलात** किताब में लिखा है: “अगर नमाज़ में कोई शख्स आयत करीम और इबादत पढ़ता है जो 9 इस्लामी आलिमों के मुताबिक़ गलत और एक के मुताबिक़ सही है तो, हमें उसकी नमाज़ को फ़ासिद की नमाज़ के तरीक़े से नहीं देखना चाहिए।” (फ़ासिद वो इबादत होती है जो कुबूल न हुई हो।)

रुकू के पूरा होने की तीन शर्तें हैं: क़िल्बे की तरफ़ रुकू करना, अच्छी तरह झुकना (अंग्रेज़ी के अक्षर ‘L’ की तरह ऊपर से नीचे) कमर और सिर एक स्तर पर रखना। तुमानिनत (वो वक़्त जब तक तुम्हारा दिल आज़ीज़ न हो जाए) के वक़्त कम इस तरह रहना।

सज्दा पूरा होने की तीन शर्तें: सज्दे के लिए उस तरह से झुकना जैसा मुन्नत में बताया गया है। क़िल्बे की तरफ़ सज्दा करना; एक लाइन में नाक और माथा ज़मीन पर लगाते हुए। और तुमानिनत तक उसी तरह सज्दे में रहना। [किसी सेहतमंद इंसान के लिए जायज़ होगा कि वो उस स्तर से 25 CM. ऊँची चीज़ पर सज्दा करे। (जिस जगह पर वो नमाज़ पढ़ रहे हो), पर ऐसा करना मकरूह है। हमारे नबी ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ और सहाबा अक़रम में से किसी ने भी स्तर ऊँची चीज़ पर सज्दा नहीं किया। किसी ऊँची चीज़ पर सज्दा करना नमाज़ को फ़ासिद कर देता है।]

कज़ा-ए-आग्रिवा के पूरा होने की तीन शर्तें हैं: 1- आदमी के लिए अपने उल्टे पैर पर बैठना जबकि उल्टा पंजा खड़ा रहे, औरत के तीन तवररूक पर बैठना, यानि कूल्हों पर बैठना और दोनों पैर सीधी तरफ से बाहर निकालना। 2- तहीय्यत को ताज़ीम से पढ़ना। 3- कज़ा-ए-आग्रिवा में सलाकत और बाकी दुआये पढ़ना। नमाज़ के बाद की दुआएँ अगले लेख में सिखाई जायेंगी।

गुस्ल का तरीका

हनफी मज़हब में गुस्ल करने के 3 फर्ज़ हैं, मालिकी मज़हब में 5 फर्ज़, और 2 फर्ज़ शाफी मज़हब में है और एक फर्ज़ हनवाली मज़हब में है।

हनफी मज़हब में:

1- पहले मुँह में पानी डाल कर कुल्ला करे पानी दाँतों के अन्दर जाना फर्ज़ है। कुल्ला अच्छे से करना ताकि बचे हुए टुकड़े निकल जाए [एक मुसलमान जो हनफी मज़हब से है वो तब तक अपना दाँत नहीं भरवा सकता जब तक कि ज़रूरत न हो, वो एक मसनूअी कर सकता है ताकि जब वो गुस्ल करे उसे भी निकाल कर धोले। एक मुसलमान जिसका दाँत भरा हुआ हो बिना किसी ज़रूरत के वो ऐसा मुसलमान होगा जिसका उज़र हर्ज (मुश्किल) की बिना पर है और उसे झेलना पड़ेगा, उसे गुस्ल के वक़्त मालिकी या शाफी मज़हब की नकल करनी पड़ेगी। उस मामले में, उसे नमाज़ पढ़ने में या वुज़ू या गुस्ल में यह कहना पड़ेगा कि, “मैं शाफी या मालिकी मज़हब की नकल कर रहा हूँ।”

2- एक बार नाक में पानी डालें।

3- एक बार पूरा शरीर धो लो। शरीर का हर हिस्सा धोना फर्ज है जिस हिस्से को धोने में परेशनी न हो। और कुछ हिस्सा शरीर का रह जाता है जैसे के मल मूत्र के आस पास की जगह जहाँ अक्सर पानी नहीं पहुँच पाता है। इस स्थिति में (अल्लाह ताला फरमाते हैं) कि उसका गुस्ल माना जायेगा।

जैसे की आप पुरानी किताबों में पढ़ चुके हैं **दुर्-उल-मुख्तार** अगर खाने का कोई अंश आपके दाँतों में लगा रह जाता है या दाँतों के खाली जगह में चुपका रह जाता है। तो इस स्थिति में गुस्ल सही नहीं माना जाता है। यह स्थिति फतवे के अन्दर आती है। [फतवा वो है जो मुस्लिम आलिमों के द्वारा दी गई राय, मज़हबी मुद्दों पर। वह राय जोकि आलिमों द्वारा दी गई हो और उसपे सब आलिमों की रज़ामंदी हो।] पानी का मुँह के हर हिस्से में धुसना दाँतों के दरमियान और खाली स्थान तक पहुँचना अन्दर का हर हिस्सा गीला होना चाहिए अगर कुछ आपके दाँतों के दरमियान जा कर सब जगह गीली हो जाती है, अगर कुछ ठोस पदार्थ आपके दाँतों में लगा रह जाता है और पानी वहाँ तक पहुँच जाता है और उस हिस्से को गिला कर देता है, तो उस स्थिति में उलेमाओं की राय यह की वो पानी की तबाही को बचा लेगा और यह इस बात की सच्चाई है। **इब्ने आबिदीन** 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' इस मामले को ऐसे ब्यान करते हैं: यह किताब **खूलासा-त-उल-फतवाह** में लिखा है, कि वो अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता (पानी की तबाही क्योंकि, तरल है, यह खाने के अन्दर तक जा सकता है (ऐसे यह अन्दर तक जा कर पदार्थ लगे हुए हिस्से को भी गीला कर देगा।) अगर हम पाते हैं की पानी उस हिस्से तक पहुँच जाता है पर पदार्थ के दाँत पर लगे हुए से अन्दर प्रवेश नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में गुस्ल सही नहीं माना जाता है, यह वो सच है जिस पर सारे आलिमों की एक राय है। यही बात किताब **हिलया-त-उल-मुजल्ली**, (जिसको लिखने वाले इब्नी इमीर हज़) हालावी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' d. 879 [1474 A.D.] अगर कुछ खाने के अंश दाँतों के दरमियान रह जाते हैं और कुल्ला करने के

बावजूद वो अंश नहीं निकल पाते और पानी अन्दर तक नहीं पहुँच पाता उस स्थिति में भी गुस्ल ठीक नहीं माना जायेगा। इसके अन्दर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है (दूसरे शब्दों में, यह ऐसा कुछ नहीं है जो अपने आप हो जाए।) नहीं इसमें वो हर्ज है [इनको साफ़ करते समय (और जिस्म)]

हालाबी-ए-सगीर किताब में लिखा है, अगर किसी इंसान के गुस्ल के दौरान कुछ खाने के अंश या ब्रेड का टुकड़ा या कोई भी चीज़ दाँतों के दरमियान रह जाती है तो उसका गुस्ल सही नहीं माना जाएगा, फतवाह के तहत, भले ही वह ये नहीं जानता की पानी (गुस्ल में लिया गया) अंश तक पहुँचा है की नहीं। इसके तहत फतवाह जो की **खुलासा-त-उल-फतवाह** में है। कुछ उलेमाओं के तहत गुस्ल सही नहीं माना जाता अगर ठोस (खाने का टुकड़ा) दाँतों में अटका रह जाता है। इसका अखिरी फैसला किताब **ज़ाहिरा-त-उल-फतवाह** में है (लिखने वाले बुरहानउद्दीन महमूद बिन ताजुद्दीन अहमद बिन अब्दुल अजीज बुख़ारी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' 551 [1156 A.D.] - शहीद 616 [1219]।) यह एक मान्य फैसला है। गुस्ल के लिए अगर, पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और गीला नहीं कर पाता और वहाँ ना कोई ज़रूरत है और ना ही कोई हर्ज है।

दुरु-उल-मुनताका: [लिखने वाले आलाउद्दीन हासकाफी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' 1021, हसकाफ -1088 [1677 A.D.] में लिखा है गुस्ल के विषय में अगर खाने के कुछ अंश आप के दाँतों के दरमियान रह जाता है, और तो उस पर कुछ इस्लामिक उलेमाओं का कहना है कि वह गुस्ल ठीक है पर इसके साथ-साथ कुछ का कहना है की हमें खुद की भलाई के लिए गुस्ल करने से पहले बचे हुए खाने को अपने हाथों के द्वारा निकाल लेना चाहिए। **माराक-ईल-फालहा** की कमनटरी **ताहतवी** में लिखा है, अगर खाने का कोई अंश आपके दाँतों के दरमियान रह जाता है तो आपका गुस्ल सही

है। क्योंकि पानी एक तरल पदार्थ है और वो असानी से दाँतों के दरमियान रिस-रिस कर पहुँच सकता है। अगर ये कुछ पदार्थ जो की खाने के बाद भी रह गया हो और ठोस बन गया हो तो वो गुस्ल से बचा लेता है। इसलिए यह **फत-ह-उल-कादीर** में लिखा हुआ है।

बाहर-उर-रईक किताब में लिखा है। वो गुस्ल ठीक है अगर अपने दाँतों की जगह में कुछ रह जाता है यानि खाने या ब्रेड के कुछ अंश क्योंकि गुस्ल के समय जब पानी मुँह में लेकर कुल्ली की जाती है तो पानी रिस-रिस कर अन्दर की जगह तक पहुँच जाता है। यही बात तेजनीस (और तजनीस) किताब में भी लिखी हुई है। **सदर-उश-शहीद हुसामादीन** कहते हैं यह गुस्ल ठीक नहीं है और इसलिए बचे हुए अंशों को निकालना जरूरी है और पानी का अन्दर तक पहुँचना जरूरी है। इसलिए यही सुरक्षित रास्ता है की पहले उसे निकाल ले ताकि पानी अन्दर तक सही से जा सके।

फातवा-ए-हिन्दीया: किताब में लिखा है यह बेहस सच्चाई के बहुत करीब है। कि अगर कोई इन्सान गुस्ल करने में यह धारणा का इस्तेमाल करता है यानि वे इन्सान जिसके गुस्ल करते वक़्त दाँतों के बीच खाने के कुछ अंश रह गए और उसने गुस्ल कर लिया और पानी वहाँ तक पहुँच गया हो तो उसका गुस्ल ठीक है। यही बेहस **ज़ाहीदी** में लिखी हुई है। सबसे अच्छा यह रहेगा अगर आप उस अंश या खाने के टुकड़े को निकाल ले और पानी अन्दर तक जा सके और दाँतों के दरमियान और खाली जगह में अन्दर तक असानी से घुस सके। इस प्रकार **कादीखान** किताब में कहा गया है **नातीफ़ी** किताब में लिखा हुआ है कि गुस्ल करते वक़्त अगर कुछ खाने का अंश आपके दाँतों के दरमियान चुपका रह गया है तो वे गुस्ल पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा इसलिए जरूरी यह है की उसे निकालने के बाद अच्छे से पानी खाली स्थान तक पहुँचाए।

किताब **अल-मजमूआत-उज-जुहदिया:** में लिखा है; अगर दाँत में फंसा खाना ठोस गोली बन जाता है और उसी मात्रा से बचा रहता है, तो वो बेपरवाह गुस्ल से भी बचेगा। ऐसा ही **हलबी** में भी लिखा है। इस पर बहस नहीं की जा सकती कि, “बचे हुए खाने को निकालने में कोई हर्ज या मुश्किल नहीं है, पर भरे हुए दाँत नहीं निकाले जा सकते; तो उन्हें निकालने में हर्ज है।” हाँ यहाँ हर्ज है। जब इंसान पर कोई चीज़ हारम हो जाती है। तो उसपर किसी और मज़हब की नकल करना उज़र हो जाता है। फर्ज़ को छोड़ना कोई उज़र नहीं। एक शख्स फर्ज़ को न पढ़ने से तक दोषमुक्त हो सकता है जब दूसरे मज़हब की नकल करते हुए भी वो मुमकिन न हो। जिसका मतलब है कि ज़रूरत और हर्ज का एक साथ होना। अगर यह पूछा जाये कि, “किसी का दाँत का भरवाना उसको दर्द से बचने की नीयत से किया जाये। तो क्या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है (यानि फर्ज़ से दोषमुक्त होने और बिना दाँत धोये)” तब हमारा जवाब होगा, “वहाँ एक ज़रूरत होगी जोकि दूसरे मज़हब के मुताबिक रास्ता बताएगी।”

वह बहस, “गुस्ल करते वक़्त दाँतों का धोना, दाँतों के भरे हुई ऊपरी परत की तरफ चली गई है” इस्लाम के मुताबिक नहीं है। तहतावी (अहमद बिन मुहम्मद बिन इस्माईल) अपनी किताब **इमदादुल फतह:** की टिप्पणी में फरमाते हैं: “किसी शख्स का वुजू जो अपने मेस्ट पर रखकर वुजू तोड़ने के बाद, वुजू का टूटना मेस्ट पर असर करेगा पैरों पर। [मेस्ट के भाव और उज़र होने, के मुताल्लिक मालूमात के लिए **सआदते अबदिया** के चौथे एडिशन का तीसरा बाव देखें।] यह फ़िक्ह का बयान वुजू बनाने और मेस्ट पहनने से संबंध रखती है। इसे गुस्ल करने या दाँत भरवाने से जोड़ने से मतलब है व्यक्तिगत फतवा जारी करने जैसा है। किसी फतवे पर अंगुली उठाना। और न ही यह घनी दाढ़ी और भरे हुए दाँत को मिलाने में विपरित है। वुजू करते हुए दाढ़ी के अन्दर की खाल को धोना ज़रूरी नहीं है। यह फर्ज़ है तो गुस्ल में भी होगा वो

अपनी घनी दाढ़ी की खाल को धोयेगा। तो उस शख्स का गुस्ला और वो लोग जो उसपे यकीन करते हैं और नमाज़ अदा करे तो उनकी नमाज़ सही नहीं होगी।

न ही यह ऐसा कुछ है जो फिक्कह की किताबों में हो जो दाँत के भर जाने को पैरों की दरारों को महरम से भरने से तुलना करे या लकड़ी की कमठी को जकड़ा जाये जख्म में या टूटे पैरों पर या बेंडेज से। अगर कोई हर्ज या मुश्किल हो सकती है उन्हे जख्म से हटाने में तो यह मुश्किल नहीं की दूसरे मज़हब की नकल की जाये। इन तीन बातों से वो अन्दर से धोने पर दोषमुक्त हो जाता है।

जबकी तुम्हे छूट है कि तुम अपनी मर्ज़ी से अपने सड़े हुए या दर्द देने वाले दाँत को भरवाओं क्योंकि तुम उसे हटाना या बदलवाना नहीं चाहते एक नकली दाँत या दाँतों से तो उसे भरवाना या दाँत लगवाना कोई ज़रूरत पैदा नहीं करता है। यह कहना कि यह एक ज़रूरत है अपने में ही दोषमुक्त होने का कारण बनता है अन्दर के हिस्से को धोने के। तब दूसरे मज़हब की नकल करना मुश्किल है। किसी को कोई हक़ नहीं कि वो ज़रूरत को एक चीज़ की तरह इस्तेमाल करे दूसरे लोगों को बुरा कहने के लिए, जो फिक्कह की किताब पढ़ता हो और शाफी और मालिकी की मज़हब का पालन करता है।

ज़रूरत के मायने हैं अलौकिक वजह जो किसी को, कोई चीज़ करने पर मजबूर करती हो, यानि वजह जिसका कोई चारा नहीं। ज़रूरत की मिसालें हैं, इस्लामी हुक्म या, मनाही, दर्द, अपना हाथ या अपनी जान खोने का ख़तरा और कोई चारा ना होना। हरज, दूसरी तरफ़ की मुश्किलें, जो किसी चीज़ को बचाने में की गई जिसे तुमने करा हो या फर्ज़ अदा करने से बचाने या हaram के काम से बचाने। अल्लाह तआला के हुक्म और मनाही को अहकाम-ए-इस्लमिया कहते हैं। अहकाम-ए-इस्लमिया का पालन करते हुए यानि कोई हुक्म मानते हुए

या कोई मनाही से बचते हुए तुम अपने मज़हब के आलिमों की लिखी हुई किसी एक बात जो आम तौर पर सबको पता हो उसका इस्तेमाल करते हो। अगर चुने हुए में से कोई हर्ज (मुश्किल) है उस बात पे जो तुम कर चुके हो तो आप सबसे कम तबज्जो दी गई बयानात पर अमल करो। (जिसे तुम्हारे मज़हब के आलिमों ने बताया है) अगर उस बयान में कोई हर्ज आता है तो तुम दूसरे मज़हब पर जा सकते हो उस मुद्दे से मुतालिक। अगर दूसरे मज़हब में भी हर्ज आता है तो तुम उस मुद्दे को गौर से देखो कि उस मामले, जिसे करने में हर्ज आये, उसे करने की ज़रूरत है भी या नहीं।

1- जब किसी काम को करने की ज़रूरत हो (जो फर्ज है) जो हर्ज पैदा कर रही हो, तो तुम उस फर्ज को पूरा करने से साकित हो जाते हो।

2- जब किसी हरज वाली चीज़ को करने की ज़रूरत न हो [मसलन नाखून पौलिश], या कोई ज़रूरत हो और उसको करने के और भी तरीकें हो और तुम वो चुनते हो जो हरज था, तो जो इबादत तुम करते हो वो सही नहीं होगी। तुम्हे इबादत का वो रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें हर्ज न हो। हर्ज या मुश्किल के होने पर दूसरा मज़हब इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात से बेपरवाह कि इसकी ज़रूरत है की नहीं, यह किताब **फतवा-ए-हदिसिय्या** (इब्ने-हज़र-ए-मक्की 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि', 899 [1494 A.D.] - 974 [1566], मक्का) और **खुलासा-त-उत-तहकीक** (अब्दुल घहनी नबलुसी 'रही-मुहुल्लाहु तआला' 1050 [1640 A.D.], दमसकस, 1143 [1731],) में तहतवी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' को ऐनोटेशन से शरबलाली 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' की किताब **मेराकिल फेलाह** और हलील इसिरदी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' की किताब **माफूवत** में भी लिखा है। मौला हलील (असअरदीई) गुजर गए 1259 [1843 A.D.]। एक हनफी मुसलमान जो अपने दर्द करते हुए या सड़े हुए दाँत को उखड़वाने या दूसरे दाँत लगवाने के बजाये उसे साफ़

करवा के भरवाना चाहता है तो उसे गुस्ल के वक्त मालिकी या शाफी मज़हब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों मज़हबों में नाक और मुँह में पानी डालना फर्ज नहीं है। और मालिकी या शाफी मज़हब की नक़ल करना आसान है। तुम्हे नीयत करनी पड़ेगी, यानि पूरे दिल से कि तुम गुस्ल, वुजू करने में फला मज़हब की नक़ल कर रहे हो या नमाज़ पढ़ने से पहले, और अगर तुम भूल जाते हो, तो नमाज़ के बाद या जब भी याद आये। इस मामले में जो वुजू और नमाज़ तुम अदा करते हो वो शाफी या मालिकी मज़हब के मुताबिक़ सही होगा। शाफी मज़हब के मुताबिक़ उनका सही होने के लिये तुम्हे अपना वुजू दोबारा करना पड़ेगा अगर जो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा किसी औरत के जिस्म से छू जाता है यह औरत उन 18 औरतों में से है जिन्हे निकाह के लिए हराम कर दिया गया हो [औरत जिनसे निकाह जायज़ नहीं है, उससे मुताल्लिक़ मालूमात के लिए सआदते अब्दिया के 5वें एडिशन का 12वां बाब देखें।] या जब तुम्हारी हथेली तुम्हारे काबा अवरत (यानि गुप्त अंगों को छुए) और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए सूरह फातिहा का पढ़ना। मालिकी मज़हब की नक़ल जानने के लिए सआदते अब्दिया के चौथे एडिशन का 6वां भाग देखे। किसी दूसरे मज़हब की नक़ल करने से मुराद अपना मज़हब बदलना नहीं है। एक हनफी मुसलमान जो दूसरे मज़हब की नक़ल करता है वो हनफी मज़हब से बाहर नहीं होता। वो अपने आप को उस मज़हब के फर्ज और मुफ़िसद के मुताबिक़ ढाल लेता है। वो वाजिव मकरूह और सुन्नत में अपने मज़हब का पालन करता है।

फिक्ह के आलिमों की बातें गुस्ल के मुताल्लिक़ अभी भी बाकी है, ऐसे लोग जो किसी मज़हब में से भी नहीं है उनकी लेखों की कोशिशों को सुना जा रह है। वो कहते हैं कि यह 1332 [1913 अ।ड।] के फतवे में लिखा है सबील-उर-रशीद किताब में कि दाँत को भरवाना जायज़ है। सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि यह ग़लत मज़हब सुधारकों की बातें हैं और बिना

किसी मज़हब के लोगों का घेरा है। इनका एक लेखक इस्माईल हक्की जो मनास्तिर (बितोला) था, एक कपटी मिस्री था। दूसरा इज़मीर का इस्माइल हक्की, वो इसमें भी आगे का शख्स था जो की महमत अब्दुह से धोखा खाया हुआ था, थामरों का मुफ्ती मिस्री और इस्लाम सुधारक था। उस ने हाई स्कूल की तालिम इज़मीर और टीचर की तालीम इस्तान्बुल से ली। उसके पास एक कमज़ोर और कम इस्लामी तालीम थी। यूनिजन पार्टियों से मदद लेके वो मदरसे का उस्ताद बन गया और अब्दुसो सुधारकों के विचारों को फैलाने लगा। तारीफी भाषण जो इस्माईल हक्की ने अपनी किताब **तलफ़ीक-ए-मज़ाहिब** में लिखा है, जो कि राशिद रिदा जोकि मिस्र के थे उनकी तर्जुमा थी और बाद में अहम हमदी अक्सकी, से तर्जुमा हुई जो एक पीड़ित चेला था उसके जहरीले धोखे और अपने अंदर के धोखे का।

इस्माईल हक्की के इस बयान पर चर्चा करते हुए फ़िक्कह के आलिमों ने इस बात पर ध्यान दिया कि किताबों को आगे रखते हुए दाँतों पर सोने की तारें लगवाना जायज़ है, किताबें मसलन (मुहम्मद शैवानी की किताब) **सियारे कबीर** जोकि आलिमों को ये इल्म देती है कि सोने का तार सिल्वर के तार के मुकाबले ज़रूरत कि है या नहीं, पूरे मामले से पता चला कि दाँत एक ज़रूरत है। पर सवाल यह था कि एक भरे हुए दाँत के इन्सान का गुस्ल सही होगा या नहीं और ना की दाँत पर सोने या चांदी का तार चड़वाना। बिना सही सवाल जाने इज़मीर के इस्माईल हक्की ने अपने निष्कर्षों को नतीजा बताते हुए सवालों का जवाब दिया। कि उसने जो किया वो सरासर गलत था। यह एक अपने आप को धोखा देने वाला काम है इस्लामी आलिमों के फतवे के खिलाफ। उसकी यह कोशिश उससे बदतर थी। गुस्ल पर फ़िक्कह के आलिमों के बयान का हवाला देते हुए, उसने उन्हें अपनी ज़ाती राय में ठुकरा दिया। मसलन वो कहता है, “जैसे की बहर में बयान है, जहाँ पानी का पहुँचना मुश्किल हो वहाँ पानी को पहुँचाना जरूरी नहीं है।” दूसरी तरफ **बहर** किताब में लिखा है:

“...जिस्म के वो हिस्से जहाँ पानी का पहुँचना मुश्किल है।” यानि उसने वो चीज़ें मिलाई जो कोई शख्स लाज़मी तौर पर कर सकता है या जो किसी ने लाज़मी तौर पर किया हो। न ही वो अपने इस बयान में सही था कि “अगर औरत के लिये सिर धोना नुकसान दायक है तो वो अपना सिर नहीं धोती।” जोकि किताब **दुर्-उल-मुख्तार** में सबूत के तौर पर लिखा है कि भरे हुए दाँतों से किया गया गुस्ल जायज़ है। एक जिस्मी बीमारी के कारण पानी से सिर को नुकसान पहुंचता है। जबकि दाँतों को भरना एक खुद अपनी पसन्द से है। यह इसलिए है क्योंकि यह सवाल यानि दाँत भरे हुए बन्दे का गुस्ल जायज़ होगा या नहीं अलग से किताब **दुर्-उल-मुख्तार** में लिखा है।

जो भी चाले और अज़ाब अब तक बताई गई है वो इज़मीर के इस्माईल हक्की की शैतानी को बताने के लिये कम है। वो मसलन, इतना दुराचारी था कि वो इस्लामी आलिमों को अपने लिए झूठा गवाह बना लेता था यह कह के, “यह जरूरी नहीं कि चांदी या सोने के भरे हुए दाँत के अन्दर तक पानी जाये गुस्ल के दौरान या उसके अन्दर की चीज़ों को धोना। फिक्ह के आलिमों ने एकमत राय रखकर कहा है कि उस दाँत के लिए एक ज़रूरत है और ज़रूरत के लिए जरूरी नहीं है कि पानी उस जिस्म के हिस्से तक पहुँचे।” फिक्ह के किसी हनफी आलिम ने यह नहीं कहा कि दाँत को भरवाना ज़रूरत है। दरअसल जिस वक़्त फिक्ह के आलिम थे उस वक़्त दाँत भरवाने जैसा मसला नहीं था। **सियार-ए-कबीर** किताब के 64वें पन्ने पर लिखा है जोकि एक सबूत है मुहम्मद शैवानी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ की कही हुई बात का कि एक शख्स के लिए अपना टूटा दाँत बदलवाना या सोने की तार लगवाना जायज़ होगा। किताब दाँत भरवाने के बारे में कुछ नहीं बताती। यह इज़मीर के इस्माईल हक्की की एकमत झूठी बाते है। फ़िमासन संप्रदाय के लोग, बिना किसी मज़हब के और पांखड़ी है जो वाद में आए मुसलमानों को धोखे में डालने वाले बयान दिए। उन्होंने गलत चीज़ें और बातें लिखी।

इमाम मुहम्मद शैबानी 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' में बयान किया कि एक लड़खड़ाते हुए दाँत को सोने या चांदी के तार से बांधा जा सकता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ऐसा करना जायज़ होगा। ऐसी चीज़ें इस्माईल हक्की के ज़रिए रखी गई। मुफ़्तियों और मज़हब के दूसरे कीमती लोगों ने इस्माइल हक्की इज़मीरी के ख़िलाफ़ अपने जवाब रखे ताकि सही के सामने ग़लत को परखा जाये। जैसा कि पिछले लेख में ऊपर लिखा है। उनमें से एक अलिम यूनुस ज़ादे अहमद वेहबी अफेन्दी 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' वोल्वादिन (तुर्की) भी थे। यह बड़े आलिम ने साबित किया कि दाँत भरे हुए इन्सान का गुस्ल सही नहीं होगा।

आवर्धिक प्रशासन किताब **सबील-उर-रशाद** को इतना दानिशमंदाल तो होना चाहिए कि अल्प चाल रोज़गार जैसा लेख इज़मिर के ज़रिये लिखा हुआ, ताकि वो इसे जरूर समझे, इसको सहारा देना उसमें फ़तवें जोड़ के, "...गुस्ल सही होगा," दूसरे एडिशन, 1329 [1911 A.D.] में, फतवा की किताब **मजमूआ-ए-जदीदा** में। हालांकि कि जिसे यह फतवा कह रहे हैं वो पहले एडिशन की किताब से नदारद है। 1299 A.H., जबकी यह गुमराही बात दूसरे एडिशन में है जो कुख्यात यूनियन पार्टी के ज़रिये खड़े किये गये आदमी, मूसा कज़ीम शेख़-उल-इस्लाम ने जोड़ी है। तो सबील-उर-रशीद ने निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है एक मनगढ़ंत बयान जोकि एक फ़िमासन ने इस्लाम के सुधारकों का सहारा देने के लिए पेश किया। किसी भी फ़िक्ह के आलिम ने दाँत के भर पाने को ज़रूरत नहीं कहा। और जो लोग ऐसा कहते हैं वो गुमराह इंसान या इस्लाम के सुधारकों या बिना किसी मज़हब के या वहाबियों, से भटके हुए लोग हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है।

अहमद (बिन मुहम्मद बिन इस्माईल) तहतवी 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' अपनी किताब **मेराकिल फ़लाह** की ऐनोटेशन में कहते हैं, "जब (तुम एक

जमात में होते हो) और (इमाम के पीछे) नमाज़ पढ़ते हो जो की तीन में से किसी एक मज़हब से है। जो नमाज़ तुम पढ़ोगे वो होगी यह ध्यान में रखते हुए कि तुम्हारे मज़हब की ऐसी बात जो नमाज़ को ख़राब कर देती हो वो उस इमाम में ना हो या अगर उसमें नमाज़ ख़राब करने वाली कोई बात है और तुम्हे उसका इल्म हो। यह भरोसेमन्द कौल है। दूसरे कौल के मुताबिक़ सही है तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना सही है इस बात को न सोचते हुए की जो तुम्हारे मज़हब में बात है वो उसमें न हो। यही बात इब्ने अबिदीन में भी लिखी है। जैसा कि इस बयान से जाना जा सकता है जो कि तहतवी 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' ने तहतवी के हवाले में लिखी है, यहाँ दो अलग-अलग आलिमों के कौल है इस मामले पर कि एक हनफी मुसलमान के लिए जिसका दाँत भरा हुआ नहीं है वो जमाअत में नमाज़ उस ईमाम के पीछे पढ़ता है जिसका दाँत भरा हुआ है तो वो सही नमाज़ होगी: पहले कौल के मुताबिक़ एक हनफी मुसलमान बिना दाँत भरा के दाँत भरे हुए ईमाम के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। यह इमाम हिन्दुवानी 'रहमतुल्लाहि अलैहि' का इजतिहाद है। यही कानून शाफी मज़हब में भी है। जब तक यह पता न हो कि सालिह इमाम जिसका दाँत भरा हुआ है वो शाफी या मालिकी मज़हब की नकल न कर रहा हो। हनफी मुसलमानों जिनका दाँत भरा हुआ नहीं है उसको उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी चाहिए। तांक-झांक करते हुए इमाम से पूछना कि वो मालिकी या शाफी मज़हब की नकल कर रहा है जायज़ नहीं है। दूसरा कौल कमज़ोर है। हालांकि पहले लिखा जा चुका है कि जब कोई हरज हो तो कमज़ोर कौल पर काम करना चाहिए। फैलाने से बचाएगा, ऐसा किताब **हदीका** में भी लिखा है। अगर कोई मुसलमान चारों मज़हब से नफरत करता है और फिक के बताये तरीकों पर अमल नहीं करता, तो उसे सुन्नी नहीं माना जायेगा। और जो शख्स सुन्नी नहीं या तो वो विद्वती है या पाखंडी है, या उसने अपना ईमान खो दिया है और मुरतद बन गया है। हम यह नहीं कह रहे कि तुम्हे अपने दाँत नहीं भरवाने

चाहिए। हम हमारे भाईयों और बहनों को जिन्होंने अपने दाँत भरवा रखे हैं उनको सही और कुबूल होने वाली इबादत का तरीका बता रहे हैं। हम उन्हें आसान रास्तें दिखा रहे हैं।

गुस्ल 15 तरह के है, उनमें से पाँच फर्ज़ है, पाँच वाजिब, चार सुन्नत है और एक मुस्तहब। गुस्ल जो फर्ज़ है: जब एक औरत (और एक लड़की) किसी की महावारी का महीना पूरा हो, संभोग के बाद, वीर्य के निकलने जाने के बाद, रात को वीर्य निकलने के बाद जब वीर्य को बिस्तर पर या अपनी पतलून में देखे, बताये हुए वक़्त से पहले गुस्ल फर्ज़ है जब एक बिना अदा की गई नमाज़ पूरी हो जाये।

किस स्थिति में गुस्ल वाजिब है। और मरने के बाद मुसलमान पर गुस्ल वाजिब है: और बच्चे पर गुस्ल जब वाजिब हो जाता है जब वो अपनी जवानी की उम्र में आ जाता है। और उसे अच्छे बूरे का फर्क पता लगने लगता है। जब पति और पत्नी दोनों साथ सोते हैं। और सुबह उठ कर देखते हैं की कुछ वीर्य उनके ईर्द-गिर्द है और यह पता नहीं होता की यह वीर्य दोनों में से किसका है तो ऐसी हालत में पति और पत्नी दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। जब आप खुद को देखते हो कुछ वीर्य पढ़ा और आपको यह पता नहीं होता यह कब निकला तो इस हालत में भी उस इन्सान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है और जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे उस जगह से खून निकले या ना निकाले पर उस औरत पर इस स्थिति में गुस्ल वाजिब हो जाता है। (खून निकलने की स्थिति में गुस्ल फर्ज़ होता है।)

गुस्ल जो सुन्नत है: जुम्मे के दिन के लिए गुस्ल करना और ईर्द के दिनों और एहराम के वक़्त -आपकी नीयत पर और अराफ़ात (पहाड़) [मेहरबानी करके चौथा भाग देखे चौथे एडिशन सआदत अबदिया का “गुस्ल” और सातवें एडिशन का सातवें भाग का “हज”] पर चढ़ने से पहले गुस्ल जो

मुस्ताहाब है: जब एक काफिर मुसलमान होता है, इस स्थिति में उस पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है और उसकी स्थिति मुसलमान बनने से पहले जुनूब की है तो उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, (जिसका मतलब जिस हालत में गुस्ल करना जरूरी है वरना, उसके लिए गुस्ल करना मुस्ताहाब हो जाता है।

गुस्ल में तीन तरह के हराम होते हैं:

1- गुस्ल करते वक़्त आदमी और औरतों के लिए नाभि के नीचे और घुटनों से ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाना; (दूसरे शब्दों में नाभि से नीचे और घुटनों से ऊपर का हिस्सा किसी दूसरे आदमी को दिखाना हराम है, और औरतों के लिए भी गुस्ल के दौरान यही हिस्सों को दूसरी औरत को, दिखाना हराम है)

2- कौल के तेहत, मुसलमान औरत के लिए हराम है की वो गुस्ल के दौरान खूद को ग़ैर मज़हबी औरत को दिखाए (यह कानून बाकी वक़्तों पर भी लागू होता है)

3- पानी का फिज़ूल खर्ची; (गुस्ल के वक़्त पानी का फिज़ूल खर्च करना भी हराम होता है)

हनफी मज़हब में गुस्ल के दरमियान 13 सुन्नतें देखी जाती है।

1- पानी से इस्तनजा करे। दूसरे शब्दों में अपने गुप्त अंगों को पानी से साफ़ करना।

2- हाथों को कलाई तक धोना।

3- अगर कोई असल नजासत आपके जिसम के किसी हिस्से पर लगा हुआ है तो उसे हटा लेना।

4- मसमज़ा और इस्तीनशाख़ करने में ज़्यादा ध्यान होना, (मसमसा मतलब मुँह को पानी से खंगोलना (कुल्ला करना) और इस्तीनशाख़ मतलब नाक के ज़रिए से पानी को ऊपर लेना।) वह गुस्ल सही नहीं होगा जिसमें मुँह या नाक के अन्दर के हिस्से को एक सूई की नोक के बराबर भी गीला ना किया हो जब गुस्ल करने की शुरूआत हो नमाज़ के लिए बुजू करा जाए।

5- गुस्ल करने के लिए (नियत) करना।

6- हाथों के ज़रिए, हर एक अंग को रगड़कर पानी डालना।

7- पहले सर पर पानी डालना, उसके बाद दाएं और बाएं कंधे पर, हर एक पर तीन मरतबा।

8- हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच खींचना करना, दूसरे अलफ़ाज़ों में उंगलियों के बीच गीला करना।

9- क़िब्ले की तरफ पीठ या उसका सामना ना करना।

10- गुस्ल के दरमियान दुनयवी मामलातों पर न बोलना।

11- मज़मज़ा और इस्तीनशाख़ को तीन-तीन मरतबा करना।

12- हर एक अंग को धोने की शुरूआत सीधी तरफ से करना।

13- उस जगह पेशाब न करना जहाँ तुम बुजू करते हो अगर यह वह जगह है जहाँ पानी पुल बना रहा है। (गुस्ल के लिए इस्तेमाल होता है) इन सुन्नतों के अलावा दूसरी सुन्नतें हैं जो हमने दर्ज की हैं।

तौहीद की इबादत

या अल्लाह, या अल्लाह। ला इलाहा इल-लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। या रहमान, या रहीम, या अफुवू या करीम, फा फू अन्नी वा रहमानी या इनहाम अर राहीमीन! तवाफफानी मुस्लिमान वा अल हिकनी बिस सालीहीन। अल्लाहुम्मागफीली वा ली आबाई वा उम्माहाती वा ली आबाई वा उम्माहाती ज़वजाती वा ली अजदादी वा जद्दाती वा लेवनाई वा वेनाती वा ली ई हवाती वा अहावाती वा ली अमामी वा अम्माती वा ली अहवाली वा हालाती वी ली उसताज़ी। अब्दुल हकीम-ए-अरवासी वा ली काफफा तील मु मीनीना वल मोमीनात 'रहमतुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन'।

हैद वा निफास के मुताल्लिक़ बाब (महावारी और ज़च्चा अवधि)

महावारी की अवधि कम से कम तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन की होती है। ज़च्चा अवधि के सबसे कम दिनों की कोई अवधि नहीं है। जब भी ख़ून का बहाव ग़ात्मे की कगार की तरफ आए यह ज़रूरी होगी के गुस्ल करे और नमाज़ रोज़ें अदा करें यह ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन तक है। अगर कम से कम तीन दिन की हद से पहले महावारी का ख़ूनी बहाव रुक जाता है, औरत को ना पढ़ी हुई नमाज़ों की इबादत की कज़ा अदा ना करने की चिंता हो जाती है क्योंकि उसने सोचा के वह अभी महावारी के दौर से गुजर रही है। [इबादत फर्ज़ को कज़ा करना यानी इसको इसके फरमाए गए वक़्त के बाद अदा करना।] इस मामले में गुस्ल ज़रूरी नहीं है। अगर तीन दिन के दौरान के बाद ख़ूनी बहाव रुकता है, तो उसे गुस्ल करना होगा और नमाज़ें

फरमाए गए वक़्त के साथ अदा करनी होगी जब ख़ूनी बहाव रुकता है। (ज़्यादा से ज़्यादा) दस दिन की हद के बाद, वह गुस्ल करे और वक़्त के हिसाब से नमाज़ अदा करे, चाहे ख़ूनी बहाव ना रुका हो। जब (ज़्यादा से ज़्यादा) चालीस दिन का दौरान ख़त्म हुआ हो और इसलिए इसने गुस्ल कर लिया हो, वह बिल्कुल अपनी नमाज़ें अदा करे चाहे ख़ूनी बहाव ख़त्म की कगार पे ना आया हो। महावारी या ज़च्चा के दिनों के दौरान की तमाम तरह की ख़ूनी बहाव का फैसला करना बहुत ज़रूरी है, (हल्के पीले रंग का और गन्दगी के समान होता है।)

अगर महावारी के दस दिनों में या जेर के चालीस दिनों में एक या दो दिन ख़ूनी बहाव लगातार नहीं होता और वह गुस्ल कर लेती है और रोज़े रखती है क्योंकि इसने सोच के ख़ूनी बहाव आखिरी कगार पे आ गया है और फिर दुबारा ख़ूनी बहाव हो जाता है, तो उसको उन रोज़ों की कज़ा अदा करना होगा (जैसे की इसने उनको बिल्कुल भी ना रखा हो), और इसको दुबारा गुस्ल करना होगा जब भी ख़ूनी बहाव ख़त्म हो जाए। अगर इसकी आदत से पहले ख़ूनी बहाव रुकता है और अभी तक (ख़ूनी बहाव) का तीसरा दिन हो, तब वह गुस्ल करे और अपनी नमाज़ अदा करे। हालांकि इसकी आदत के ख़ात्मे से पहले इसका अपने शौहर (पति) के साथ संभोग नहीं हुआ है। जेर के लिए भी हूबहू नियम लागू होता है। अगर इसकी आदत के ख़ात्मे के बाद ख़ूनी बहाव ख़ात्मे पे आता है और अभी तक ख़ूनी बहाव के शुरूआती या दसवाँ दिन हो, यह पूरी अवधि हैद तर्जुवा की गई। [दिनों के उस दौरान के बीच जब ख़ूनी बहाव होता हुआ दिखता है और वह दिन जब यह रुकावट में दिखता है आदत कहलाता है। यह हनफी मज़हब में कम से कम तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन है। शाफी और हनवाली मज़हब में यह कम से कम एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है।] बराए मेहरबानी तफसीली मालूमात के लिए सआदते अदबिया की पुलिका के 14वें संस्करण 2008 के 50वें सफे को

देखें।] अगर ख़ूनी बहाव खात्मे पे ना आए और दसवें दिन के बाद भी लगातार रहे, तो उसकी आदत के बाद ख़ूनी बहाव हैद नहीं है, और उन ज़्यादा दिनों के लिए उसे इबादत को कज़ा अदा करना होगा (यानी उसकी आदत के बाद वाले दिन।) महावारी के चालीस दिन और ज़च्चा के दस दिन एक जैसे है।

जब हैद (ख़ूनी बहाव) या निफास (ज़च्चा ख़ूनी बहाव) रमज़ान में दिन की शुरूआत के बाद ख़त्म होता है, वह खाती पीती नहीं है, जैसे के वह रोज़े से हो, हालांकि, यह रोज़े के लिए नहीं होगा, (यानी उसको इस मुबारक महीने रमज़ान के बाद रोज़ा रखना होगा) और अगर ख़ूनी बहाव सवरे के बाद शुरू हो जाता है, और बाद दोपहर नज़र आता है, तो वह अकेले में खा पी सकती है, आम बोलचाल के साथ, अगर कोई औरत देखती है के वह ख़ूनी बहाव कर रही है, तो उसे नमाज़ और रोज़े की अदाएंगी को रोकना होगा, अगर यह तीसरे दिन के ख़त्म होने से पहले तक रहता है, तो वह ख़त्म होने की हद तक सब से नमाज़ के वक़्त तक इंतज़ार करती है, अगर ख़ूनी बहाव दुबारा नहीं होता, तो वह वुजू बनाती है और नमाज़ अदा करती है, और अगर ख़ूनी बहाव दुबारा होता है, तो वह दुबारा नमाज़ छोड़ती है, तो वह करीब की नमाज़ के वक़्त तक इंतज़ार करती है, उस हालत में जब ख़ूनी बहाव दुबारा नहीं होता, वह इसी तरह लगातार करती जब तक तीसरे दिन ख़त्म नहीं होता, और इसी बीच के वक़्त में गुस्ल ज़रूरी नहीं होता, वुजू बनाना भी काफी होगा, अगर ख़ूनी बहाव के बाद ख़त्म होता है, वह दुबारा नमाज़ के अच्छे व मुनासिब वक़्त होने तक इंतज़ार करती है और गुस्ल करती है और अपनी नमाज़ अदा करती है अगर ख़ूनी बहाव दुबारा नहीं हुआ हो तो, अगर वह हुआ हो, तो वह नमाज़ अदा नहीं करती, अगर इस तरह से दस दिन तक चलता है, तब वह गुस्ल करती है और अपनी नमाज़ अदा करती है, पक्की ख़ूनी बहाव की हालत में भी, यह नियम निफास (ज़च्चा) पे भी लागू होता है हालांकि ख़ूनी

बहाव के हर एक के ख़ात्मे के बाद गुस्ल ज़रूरी होगा, जबकि यह रमज़ान में पहले दिन ही ख़त्म हुआ हो, अगर यह सुबह होने से पहले ख़त्म हुआ हो, वह अपना रोज़ा रखती है अगर कूशलूक के वक़्त के बाद ख़ूनी बहाव होता है (जोकि पूर्वाह्न के दौरान) या दोपहर के बाद, उसको रोज़ा नहीं होगा उसको इसका कज़ा अदा करना होगा (मुबारक महीने रमज़ान के बाद)।

गर्भपात की हालत में, यह ऐसा होगा जैसे की इसने एक निर्दोष बच्चे को जन्म दिया है अगर इस बच्चे के बाल मुँह या नाक कायम हो गया है, अगर उसका कोई अंग कायम नहीं हुआ हो, तो यह निफ़ास (ज़च्चा) की हालत नहीं है, हालांकि, अगर वह तीन या ज़्यादा दिनों से ख़ूनी बहाव की हालत में है, यह हैद (महावारी) का मामला है। अभी तक यह महावारी का मामला नहीं है, दोनों में से कोई एक है, अगर गर्भपात पहली महावारी की ख़ूनी बहाव के 15 या ज़्यादा दिनों के बाद ख़त्म होता है, या अगर 15 दिन नहीं बिताए पहली महावारी के ख़ूनी बहाव के ख़ात्मे के बाद। यह ख़ूनी बहाव का है, ख़ूनी नाक मामला से कोई बदलाव नहीं। इसको अपनी नमाज़ अदा करनी है। इसको रोज़ा रखना है। और उसको अपने पति के साथ विस्तर पर जाने से पहले गुस्ल ज़रूरी नहीं है।

(इस्लाम के महान आलिम (ज़ैन-उद्दीन) मुहम्मद विरगीवी (बिन अली) ‘रहमतुल्लाह अलैहि’ (928 [1521 A.D.] वाली केसीर फ़तैगू के 981 [1573], में वीरगी, अयदिन, तुर्की।) ने एक बहुत ज़्यादा कीमती किताब लिखी है हक़दार ज़ेहर-उल-मुताहहीलीन और औरतों की महावारी और ज़च्चा हालातों को समझाया वह किताब अरबी ज़बान में है। अल्लामा शामी सय्यद मुहम्मद ऐमीम (या अमीन) बिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इब्नी आबीदीन ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ (1198 [1784 अ।ड।] डमसकस - 1252 [1836], हूबहू जगह) ने इस किताब को बढ़ाया और मेनहेल-उल-वारीदीन नाम

रखा। यहाँ पे संराश है के **मेनहेल** (उल वारीदीन) क्या लिखा है: यहाँ फिकह के उलेमाओं के एक मत के ज़रिए फरमाया गया के (इस्लामी तालीमियत) जिसे इल्म-ए-हाल कहते है उसे हर एक मुसलमान मर्द और औरत को सिखाना फर्ज है। उस मामले के लिए औरत और उनके शौहरों को हैद और निफास से मुताल्लिक तालीमियत सीखनी चाहिए। शौहरों को अपनी वीवियों को सिखाना चाहिए, या अगर वह भी नहीं जानते तो उनको दूसरी औरतों से मालूमियत हासिल करने दे जो उसकी तालीमियत रखती है, एक औरत जिसका शौहर उसे सिखाने से रोके वह अपने शौहर की इजाज़त के बगैर बाहर जाए और सीखे औरतों के मुताल्लिक यह तालीमियते गुमनामी में डूबी हुई दिखती है, आगे के तौर पर मज़हब का कोई आदमी भी उनके बारे में नहीं जानता, मज़हब के माअसर आदमीयों ने इतना ज़्यादा नहीं सीखा के खूनी बहाव जिससे हैद कहते है (मासिक धर्म), निफास (लोधीअल ख़ात्मे) और इस्तीहादा (अत्यातर्व) के अलावा कुछ बता सके। उन्होंने इन मुद्दों के बढ़ावे की किताबों पे मालिकियत नहीं रखी। और वह शख्स जिसके पास इससे मुताल्लिक तालीमियत की किताबे है इसको पढ़ व समझ नहीं सकता। क्योंकि यह तालीमियत समझाने के लिए मुश्किल है। दूसरे अलफ़ाज़ों में मज़हबी मामलात जैसे की वुजू, नमाज़, कुरआन-अल-करीम का (पढ़ना) रोज़ा, इतीकाफ, हज (तीर्थ यात्रा), वालिग (उम्र) तक पहुँच, शादी, तलाक़, एक (तलाक़शुदा) औरत के लिए इद्दत की अवधि, इस्तीवारा, वगैरह-वगैरह। खूनी बहाव (की तराहियत के) मुताल्लिक जानकारी को हासिल करने की ज़रूरत इसे अच्छे से समझने में मेरी आधी ज़िन्दगी लग गई। मुझे चाहिए के मैं अपनी मुसलमान बेहनों को साफ़-साफ़ समझाऊ इनके फायदे के लिए जो कुछ भी मैंने सीखा।

हैद खून है जो तंदरूस्त लड़की की योनि से बहता है (कम से कम) आठ साल की उम्र के फौरन बाद, या सीधे मुकम्मल तहारत की एक अवधि के बाद एक औरत की उसकी पहली कामयाब महावारी के आखिरी मिनट बाद,

और जोकि कम से कम तीन दिन लगातार रहती है। इस खूनी बहाव को **सही खूनी बहाव** भी कहते हैं। (या सही मासिक धर्म) अगर आदत की अवधि के 15 या ज़्यादा दिनों के बाद खूनी बहाव महसूस नहीं किया गया और जोकि महावारी की अवधियों के बीच है, तहारत की इस अवधि को **सही तहारत** कहते हैं। अगर तहारत के 15 या ज़्यादा दिन की अवधि के पहले या बाद में फ़ासिद खूनी बहाव के दिन मौजूद हो या सही तहारत के बीच की अवधि यह तमाम दिन (बाधित होते हैं इसलिए फ़ासिद खूनी बहाव के दिन कहलाते हैं) इन्हें **हक्मी तहारत** या **फ़ासिद तहारत** कहा जाता है। अवधियाँ जो खूनी जो खून बहाव के बग़ैर और अब जो 15 दिनों से कम है उन्हें फ़ासिद तहारत कहा जाता है। सहीह तहारत और हुक्मी तहारत को **पूरी तहारत** कहा जाता है। खूनी बहाव जो पूरी तहारत की अवधि के पहले या बाद में महसूस हो और जोकि (कम से कम) तीन दिन तक लगातार हो दोनों हैद की अलग अवधियाँ हैं।

सफ़ेद रआयत के साथ खून का कोई भी रंग, और फिर धुंधला रंग मिलाकर हैद का खून है।

जब एक लड़की महावारी शुरू कर देती है तो वह **बालिग़** हो जाती है। (यानी वो बालिग़ की उम्र तक पहुँच गई है।) दूसरे अलफ़ाज़ों में, वह एक औरत हो गई है। उन दिनों के बीच की संख्या जब खूनी बहाव महसूस होता है और वह दिन जब खूनी बहाव ख़त्म होता है इसे **आदत** की अवधि कहते हैं। आदत की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन और कम से कम तीन दिन है। शाफी और हनवाली मज़हबों में यह ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और कम से कम 1 दिन है।

हैद ना रुकने वाला खूनी बहाव नहीं है। अगर एक खूनी बहाव शुरू और ख़त्म होता हुआ महसूस हो और फिर एक या दो दिन बाद दुबारा होता हुआ महसूस हो, तहारत का वक़्त जो इस दरमियान होता है और जो तीन दिन

से भी कम का होता है, अगर खून लगातार बहता है तो इसे उस अवधि में शामिल करना ज़रूरी है, इस्लामिक उलेमाओं की आम राय के हिसाब से अगर वह तहारत तीन दिन या ज़्यादा लगातार रहती है और फिर हैद के दसवें दिन से पहले ख़ात्मे पे आ जाती है तो यह शामिल किया जाएगा के वह ख़ूनी बहाव दस तीन तक लगातार रहा, इमाम मुहम्मद 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के रिपोर्ट के मुताबिक़ जो इमाम आजम अबू हनीफ़ा 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' बताते हैं। और फिर उलेमाओं की रिपोर्ट इमाम मुहम्मद के ज़रिए बताई गई। दूसरे अलफ़ाज़ों में, इमाम अबू यूसुफ़ 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक़ तहारत के तमाम दिन जो पन्द्रह (15) दिन से पहले ख़त्म हो गए हैं वह भी उस अवधि में शामिल कर लिए जाएंगे जैसे कि अगर खून लगातार बहता है। अगर एक लड़की ख़ूनी बहाव को एक दिन के लिए महसूस करती है और फिर 14 दिन के बाद तहारत का तर्जुमा करती है और इसके बाद ख़ूनी बहाव एक दिन के लिए फिर दुबारा होता है; या अगर एक औरत ख़ूनी बहाव से गुज़र रही है और उसके बाद तहारत के दस दिन सीधे एक दिन के ख़ूनी बहाव पे अमल करते हैं या तीन दिन ख़ूनी बहाव महसूस करती है और उसके बाद पाँच दिन की तहारत में चली जाती है और फिर दुबारा एक दिन के लिए ख़ूनी बहाव करती है; लड़की के पहले दस दिन उसकी महावारी अवधि बनाते हैं। जिसे आदत कहते हैं। इमाम अबू यूसुफ़ के मुताबिक़। जैसे की पहले वाली औरत के उसकी आदत के बराबर के दिन महावारी है, उसके बाद सीधे तमाम दिन इस्तीहादा है (उत्पार्तव) बाद की औरत के तमाम नौ दिन महावारी है। इमाम मुहम्मद 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक़ पहली रिवायत, (यानी उलेमाई रिपोट) के पहले वाली औरत के सिर्फ़ 9 दिन महावारी (हैद) है। इमाम मुहम्मद की दूसरी रिवायत के मुताबिक़ पहले वाली औरत के सिर्फ़ पहले तीन दिन महावारी है। और इसके अलावा कोई महावारी नहीं है। हमारी हाल की किताब के लिए हक़दार किताब मुलतेखा (या मुलतखा) से तर्जुमा किया हुआ, हमने

इमाम मुहम्मद की पहली रिवायत की रोशनी में तमाम जानकारी लिख दी है। [इबराहीम बिन मुहम्मद हालाबी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' 866, अलेप्पो - 956 [1549 A.D.] के ज़रिए इस्तानबुल में लिखी गई। यह किताब फ़ेन्च ज़बान में भी मौजूद है।] एक दिन, (इस संदर्भ में) यानी पूरे 24 घंटों, यह ग़ैर शादीशुदा (अछूत) औरत के लिए मासिक धर्मों के दौरान मुसताहब है, और शादीशुदा औरत के लिए भी हमेशा, के अपनी जननांग के मुँह पे कपड़े का टुकड़ा (पेड, सेन्टेरी तोलीया, तंपन) लगाना, और उसपे परफ़ीयूम इस्तेमाल करना। यह उनके लिए मकरूह होगा अगर पूरा खुरसूफ़ अपनी योनि में घुसेड़ दे। एक लड़की जो महीनों के लिए हर एक दिन खुरसूफ़ पे ख़ून का होना महसूस करे आख़िर में ये माना जाएगा के वह पहले 10 दिन महावारी में थी और बाकी बीस दिन वह इस्तीहादा में चल रही थी (हर महीने के) यह नियम लगातार ख़ूनी बहाव तक लागू होता है, जोकि **इस्तिमरार** करार करता है। अगर एक लड़की तीन दिन ख़ूनी बहाव होता हुआ महसूस करती है और फिर एक दिन ना महसूस होता है और फिर उसे एक दिन दुबारा महसूस करती है और फिर उसके बाद दो दिन तक न होता हुआ महसूस करती है फिर उसको एक दिन दुबारा महसूस करती है और एक दिन दुबारा उसको ना महसूस करती है और फिर एक दिन दुबारा महसूस करती है। तमाम दस दिन महावारी के दिन है। अगर वह एक दिन ख़ून देखती है और उसके बाद वाले दिनों में नहीं देखती और अगर यह दस दिन तक लगातार होता है हर महीने तो नमाज़ रोज़े से हर एक दिन दूर होती है, जब भी वह ख़ून देखती है, और गुस्ल कर के हर दूसरे दिन अपनी रोज़मर्रा की नमाज़ अदा करती है यानी जबभी ख़ूनी बहाव रुक जाता है [मिसाइल-ए-सहारह-ए-वीकाया]। [फ़ारसी ज़बान में वह किताब अब्दुल हक़ सजादील सरहिन्दी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' के ज़रिए लिखी गई।] वह ख़ूनी बहाव जो तीन दिन से कम लगातार होता है, जो बहात्तर घंटों के बराबर है या 5 मिनट से छोटा हो सकता है, एक नई नौजवान हुई

लड़की के लिए, जोकि दसवें दिन के बाद भी लगातार चलता रहता है जब यह दस दिनों से लगातार चलता है, या, एक औरत के लिए जो नई नहीं है, जो औरत अपनी आदत में चल रही है न सिर्फ उसकी आदत बल्कि दस दिन से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, या जो गर्भवती या ऐसे के दौरान चल रही है ऐसा यानी (बड़ी) औरत या एक कच्ची उम्र नौ साल की लड़की यह महावारी में नहीं है, इसे **इस्तीहादा** कहा जाता है (अत्यातर्व), या फ़ासिद ख़ूनी बहाव। एक औरत 55 साल की उम्र के पास **ऐसा** हो जाती है। अगर एक औरत जिसकी आदत महसूस करती है जब आधा सूरज निकल चुका होता है और 11वीं सुबह को दो तिहाई सूरज निकलने तक ख़ूनी बहाव रहता है। अपनी आदत के पाँच दिन इस्तीहादा (अत्यातर्व) के ज़्यादा ख़ूनी बहाव में चली गई है। उसके ख़ूनी बहाव ने (ज़्यादा से ज़्यादा) दस दिन व दस रातों की हद सूरज के एक तिहाई के ज़रिए पार कर दी है। जब दस दिन ख़त्म हो जाए, उसको ज़रूर ही गुस्ल कर लेना चाहिए और जो उसने अपने आदत के दौरान नमाज़ छोड़ी थी उनकी क़ज़ा नमाज़ अदा कर देनी चाहिए।

एक इस्तीहादा के दौरान होती हुई औरत उधार औरत है, जैसे कोई लगातार पेशाब या लगातार नाक के ख़ूनी बहाव बीमारी से ग्रस्त उसको रोज़े नमाज़ अदा करने होंगे और उसके लिए जिस्मानी संबंध (संभोग) जायज़ होगा।

इमाम मुहम्मद की कौल के मुताबिक़, अगर एक लड़की अपनी ज़िन्दगी में पहली बार ख़ूनी बहाव का तर्जुबा करती है, और अगर यह एक दिन लगातार हो और आठ दिन रुक-रुक के और सिर्फ़ दसवें दिन दुबारा हो, सारे दस दिन महावारी है। अगर किसी तरह वह एक दिन ख़ूनी बहाव करती है और बाकी नौ दिन ख़ूनी बहाव ठहरता है और फिर ग़्वायें दिन होता है, उनमें से कोई भी महावारी नहीं है। दो दिन का ख़ूनी बहाव इस्तीहादा है। यह पहले

भी बताया गया है, दसवें दिन के बाद महसूस खूनी बहाव के पहले तहारत के दिन महावारी में नहीं गिने जाते। अगर वह दसवें और ग्यारवें दिन खूनी बहाव महसूस करती है, इनके बीच तहारत के दिन महावारी के रूप में गिने जाएंगे और इसी तरह पहले दस दिन महावारी होगी और ग्यारवा दिन इस्तीहादा हो जाएगा।

खूनी बहाव जिसे इस्तीहादा (अत्यातर्व) कहते हैं वह बीमारी की निशानी है। उसका ज़्यादा दिन तक बहना ख़तरनाक हो सकता है। किसी डॉक्टर के साथ इसका मशवरा करना ज़रूरी है। लाल गेंद का ड्रेगन का खून कहा जाता है यह खूनी बहाव को रोक देगा अगर यह छोटी गेंदों में लपेटा हुआ हो और दिन में दो बार कुछ पानी के साथ निगल लिया जाए, एक ग्राम सुबह और एक शाम को। सलाह के मुताबिक पाँच ग्राम रोज़ाना है, एक औरत की महावारी की अवधि साथ ही में तहारत भी, हर महीने में हूबहू दिन होती है। इस सबक में, एक महीना एक हैद की शुरुआत और दूसरे के बीच की लम्बाई है। हर एक औरत को दिल से उन दिनों और घन्टों को याद करना चाहिए जिनमें वह महावारी में खूनी बहाव करती है और अपने तहारत के दिनों और घन्टों को भी, यानी अपनी आदत को। किसी औरत की आदत सालों साल नहीं बदलती। अगर यह बदलती है, तो उसको अपने हैद और तहारत के दिनों को याद रखना होगा।

हकदार किताब **मेनहेल** (उल-वारीदीन) एक आदत के बदलाव के बारे में पेश करती है। अगर एक औरत अपनी पहली हुई महावारी के हूबहू वक़्त और दिन महावारी करती है, तो यह माना जाना चाहिए के उसकी आदत बदली नहीं है। अगर यह वक़्त व दिन बदल देती है तब इसकी आदत बदल गई है। और इस बदलाव की तराहियतें निम्नलिखित पन्नों में समझाई जाएंगी। अगर यह सिर्फ एक बार होने के बाहर है तो आदत को बदला हुआ

माना जाएगा यह नियम फ़तवे के ज़रिए भी तसदीक है। अगर एक औरत सही तहारत के अवधि के बाद आदत में छः दिन ख़ून महसूस करती है, यह छः दिन उसके नये हैद होगा, नई आदत तहारत के दिन भी एक वाक्य होने पर बदल जाएंगे जब यह बदलते हैं, आदत का वक़्त होता है। मसला एक औरत की आदत तहारत के 25 दिन बाद पाँच दिन ख़ूनी बहाव है; अगर इसकी नई आदत तीन दिन का ख़ूनी बहाव बन जाती है तहारत के 25 दिन बाद या तहारत के 23 दिन बाद पाँच दिन का ख़ूनी बहाव, तब ख़ूनी बहाव के दिन या वो तहारत के, बताए तरतीब, वह संख्या में बदल गई है। इसी तरह अगर ख़ूनी बहाव की हद दस दिन से ज़्यादा होती है, तो वह फ़ासिद ख़ूनी बहाव अपनी जगह लेता है और उस फ़ासिद ख़ूनी बहाव के आख़िरी तीन या ज़्यादा दिन पहले हुई आदत के दिनों में मिल जाते हैं और उसकी पहली आदत के दिन नई तहारत में मिल जाते हैं, उसकी पहली आदत में मिले हुए दिन उसकी नई आदत है। अब उसकी आदत बदल गई है अगर उसकी आदत पाँच दिन है और ख़ूनी बहाव सात दिन पहले शुरू हो गया है तो उसकी तहारत के दिन ख़त्म हो गए हैं और वह ख़ूनी बहाव लगातार 11 दिन लगातार रहता है, वह ख़ूनी बहाव फ़ासिद ख़ूनी बहाव है क्योंकि यह दस दिन से ज़्यादा हो गया है, उस ख़ूनी बहाव के तीन दिन से ज़्यादा यानी चार दिन, उसकी पहले वाली आदत में, और उसकी पहले हुई आदत नई तहारत में एक दिन बड़ जाता है, हालांकि उस वक़्त की अवधि जिसमें यह हुई वह नहीं बदली है। आदत में इस तरह के बदलावों के लिए हमें कुछ वज़ाहत फ़राहम करते हैं:

अगर ख़ूनी बहाव के नए दिन जो संख्या में हैं पहले वालों से अलग और दस दिनों से ज़्यादा लगातार होते हैं और उनके तीन या ज़्यादा दिन पहले वाली आदत के दिनों में नहीं बदलते, उस वक़्त का दौरान जब आदत बदलती है, (आदत के) दिनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता और जब ख़ून महसूस होता है तबसे इसकी शुरूआत होती है, अगर एक औरत जिसकी

आदत पाँच दिन कोई ख़ूनी बहाव महसूस नहीं करती अगले महीने के पाँच दिनों में, या अगर वह शुरूआत के पहले तीन दिन कोई ख़ूनी बहाव महसूस नहीं करती, और उसके बाद वह 11 दिन ख़ूनी बहाव महसूस करती है, उसकी महावारी की अवधि पाँच दिन की है, जब ख़ूनी बहाव पहली बार महसूस होता है ये तभी से शुरू होता है: अब उसकी आदत का वक़्त बदल गया है, अगर नई ख़ूनी बहाव के तीन या ज़्यादा दिन उसकी पहली वाली आदत के दिनों में मिल जाते हैं, तो सिर्फ़ यह तीन (या ज़्यादा) दिन महावारी है, बचे हुए दिन इस्तीहादा (अत्यातर्व) अगर वह अपनी पिछली आदत से पहले ख़ूनी बहाव महसूस करे और फिर अपनी आदत में कोई ख़ूनी बहाव महसूस न करे और (पिछली) अपनी पिछली आदत के बाद सीधे एक दिन ख़ूनी बहाव महसूस करे, इमाम अबू यूसुफ़ के मुताबिक़, तहारत के पाँच दिन इनके बीच में है, महावारी, और उसकी आदत नहीं बदली। अगर वह अपनी पहली आदत के आख़िरी तीन दिनों में ख़ूनी बहाव महसूस करे और फिर उसके बाद सीधे आठ दिन ज़्यादा इसके पहले तीन दिन महावारी है, और जो इसकी संख्या बदली है। अगर ख़ूनी बहाव के दिन कुछ काफी है तो वह अतिरिक्त दस दिन से ज़्यादा नहीं होंगे और इसी तरह से यह एक सही तहारत होगी, पूरी संख्या, (यानी आठ दिनों से कम जुड़े हुए तीन) महावारी है। अगर वह तहारत फ़ासिद तहारत का अनुगमन करती है, तो उसकी आदत नहीं बदलेगी। अगर उसकी आदत पाँच दिन और फिर वह छः (6) दिन और ख़ूनी बहाव महसूस करती है और उसके बाद (14) दिन तहारत में चली जाती है और फिर एक दिन का ख़ूनी बहाव, उसकी आदत नहीं बदली है, हमने ग़ैर हकीकी के ऊपर (11) मिसाल दी है वह औरत जिसके के हैद पाँच दिन होते हैं और तहारत के (55) दिन उसकी व्याख्या में जोड़ने के लिए जो अब तक कहा जा चुका है:

1- अगर यह औरत महावारी की पाँच दिनों की अवधि में चली जाती है और तहारत के (15) दिनों में और उसके बाद (11) दिन ख़ूनी बहाव में

इसकी पहली और सामान्य आदत में कोई खूनी बहाव नहीं होगा, जो (55) दिनों के बाद हुई (और फिर इसकी आदत के पाँच दिनों के आखिर में) तो आदत का वक्त बदल गया है लेकिन इसको दिनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है। आखिरी (11) दिनों के पहले पाँच दिन महावारी है।

2- अगर वह तहारत के (60) दिनों के बाद पाँच दिन के लिए खूनी बहाव में चली जाती है और (11) दिनों के खूनी बहाव में उस मसले के आखिरी (11) दिनों के आखिर वाले दो दिन आदत की अवधि में हो गए हैं, हालांकि तबसे वह तीन दिनों से कम हो गए हैं, आदत के दिनों की संख्या नहीं बदलती हालांकि इसका वक्त बदलता है। तो, उन (11) दिनों के पहले पाँच दिन महावारी है।

3- अगर वह महावारी के पाँच दिन और तहारत के (48) दिनों का तर्जुबा करती है और फिर बारह (12) दिनों के खूनी बहाव का उन (12) दिनों में पाँच दिन तहारत के सामान्य (55) दिनों में से है, और पाँच दिन महावारी है तो, कोई बदलाव नहीं हुआ।

4- अगर वह पाँच दिनों के खूनी बहाव और (54) दिनों की तहारत में जाती है फिर एक दिन के खूनी बहाव में और तहारत के चौदह (14) दिन और फिर एक दिन के खूनी बहाव में, इनके बीच एक दिन का दरमियान (वह शुरूआती दिन) वही, इसकी सामान्य तहारत का आखिरी दिन है, तभी से 14 दिन निफास अधुरी तहारत है। (दूसरे अलफ़ाज़ों में, क्योंकि यह पाँच दिनों से कम है मुकम्मल तहारत की कुवूलियत से) यह दिन खूनी बहाव के, और उनमें से पहले पाँच महावारी है। आदत का वक्त और इसके दिनों की संख्या नहीं बदली है।

5- तहारत के (57) दिनों के बाद (5) दिनों के खूनी सिलसिले में फिर तहारत के (14) के बाद तीन दिनों का खूनी बहाव और एक दिन के खूनी बहाव का अमल, खूनी बहाव के तीन दिन आदत के वक़्त के साथ है। और वह (14) दिन जो उनपे अमल करते हैं उन्हें खूनी बहाव के दिन गिना गया हालांकि, जबसे (11) दिनों की संख्या बड़ी है, तभी से आदत के सिर्फ दिनों की संख्या में बदलाव आया है।

6- अगर पाँच (5) दिनों का खूनी बहाव और (55) दिनों की तहारत और फिर (9) दिनों का खूनी बहाव जोकि सही तहारत के बाद है, उसका तर्जुबा किया गया, खूनी बहाव के पाँच (आखिरी) दिन महावारी है। सिर्फ आदत के (दिनों की संख्या) बदल गई है। आदत और उसके बाद के वक़्त में तीन दिन से ज़्यादा है।

7- अगर पाँच दिनों के खूनी बहाव तहारत के (50) दिन और खूनी बहाव के दस दिन बाद, यह दस दिन हैद (महावारी) है। तहारत के आदत के दिन (50) दिनों में बदल गए हैं। खूनी बहाव के दिन आदत के वक़्त और इसकी संख्या में है।

8- अगर खूनी बहाव के पाँच दिन और तहारत के (54) दिन और आठ दिनों का खूनी बहाव। आठ दिन महावारी के, और इसके तीन दिन से ज़्यादा आदत में है। महावारी की संख्या और तहारत एक दिन के ज़रिए बदल गए हैं।

9- अगर पाँच दिनों का खूनी बहाव और पचास दिनों तहारत और सात दिनों का खूनी बहाव, और सात दिन महावारी में, निसाब के दिनों की जितनी संख्या है यह पहले आदत है और कम से कम तीन दिन आदत में

है। तो, हैद अपने वक़्त और दिनों की संख्या दोनों में बदल गया है जबकि तहारत के दिन सिर्फ संख्या में बदले हैं।

10- अगर तहारत के (58) दिन और (5) दिनों के ख़ूनी बहाव और तीन दिनों का ख़ूनी बहाव तीन तो हैद है, और उनमें से दो दिन अब भी आदत के वक़्त में हैं और एक दिन के हैं। हैद की आदत वक़्त और दिनों की संख्या दोनों में बदल गई है, और तहारत सिर्फ अपने दिनों की संख्या में बदली है।

11- अगर (5) दिनों का ख़ूनी बहाव और (64) दिन तहारत और सात (7) या (11) को ख़ूनी बहाव, पहले उप मामले में सात दिन महावारी है, जबकि बदलाव पे आदत और इसके वक़्त में जगह ली। बाद वाले उप मामले में (11) में से पहले पाँच दिन महावारी है, और बचे छः दिन इस्तीहादा ही रहे। आदत सिर्फ अपने वक़्त में बदलती है। जबसे ख़ूनी बहाव दस दिन से ज़्यादा लगातार हुआ है, संख्या नहीं बदलती, तहारत दिनों की संख्या में बदलती है।

यह इमाम फख़रुद्दीन ओटोमान जेलाई 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' (d. 743 [1343 A.D.], मिस्त्र) के ज़रिए इनकी किताब तेबयीन-उल-हकाईय़ के ज़रिए फरमाया गया, और अहमद बिन मुहम्मद शेलबी 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' (d. 1031 [1621 A.D.] मिस्त्र के ज़रिए, किताब की तशरीख़ में कि: "अगर वह आदत एक दिन पहले ख़ूनी बहाव में चली जाती है और दस दिन की तहारत और फिर एक दिन का ख़ूनी बहाव, इमाम अबू यूसुफ़ 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक़, उसका हैद उन दस दिन शुरू होता है जिस दौरान उसने कोई ख़ूनी बहाव महसूस नहीं किया और वह उसकी आदत के बराबर लगातार रहा। उसके नये हैद के पहले और आख़िरी दिन (रक्तहीन) बिना ख़ून के हैं। ख़ूनी बहाव आदत के पहले और दसवें दिन के बाद महसूस किया गया,

जिसका मतलब के इनके दरमियान फ़ासिद तहारत ख़ूनी बहाव के दिनों में गिनी जाएगी। इमाम मुहम्मद 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक़ पूरी अवधि ग़ैर महावारी है अगर एक औरत की आदत तहारत के (25) दिनों के बाद (5) दिनों के ख़ूनी बहाव की है:

“1- अगर वह शुरूआती एक दिन ख़ूनी बहाव में चली जाए और एक दिन सीधे तहारत में ख़ूनी बहाव का वह दिन और उसके बाद ख़ूनी बहाव शुरू होता है इसी अन्दाज़ में चालू रहता है जिसे इस्तेमरार (लगातार, ज़ारी) कहते हैं जो इसे 10वें दिन से परे करती है, आदत के मुताबिक़, इसके पाँच दिन महावारी है, इमाम अबू यूसुफ़ के हिसाब से। इसके पहले और बाद के दिन (अत्यातर्व) ख़ूनी बहाव (इस्तीहादा) है। इमाम मुहम्मद के मुताबिक़, ख़ूनी बहाव के तीन दिन, यानी जो उसकी आदत से सहमत है वह महावारी है। वह तीन दिन दूसरे, तीसरे और चौथे दिन है उसकी आदत के। वह अपनी आदत के पहले दिन कोई ख़ूनी बहाव महसूस नहीं करती। उन दिनों का पाँचवा दिन जब वह ख़ूनी बहाव महसूस करती है, दूसरे अलफ़ाज़ों में, यह उसकी आदत के बाहर है।

“2- अगर वह अपनी आदत के पहले दिन ख़ूनी बहाव महसूस करती है और उसके बाद एक दिन के लिए तहारियत में चली जाती है जोकि लगातार ख़ूनी बहाव के बाद आती है उसे इस्तेमरार कहते हैं जो इसे दसवें (10) दिन से दूर करती है, पाँच दिन, यानी जब तक उसकी आदत महावारी है, जैसे के यह इस्लामिक उलेमाओं के एक मत से फरमाया गया है के इसके पहले और आख़िरी दिन ख़ूनी होते हैं।

“3- अगर वह अपनी आदत के तीन दिन ख़ूनी बहाव महसूस करती है और उसके बाद दो अन्य दिनों के लिए तहारियत में चली जाती है और फिर उसके बाद एक इस्तिमरार जो इसे दसवें दिन से दूर करती है, उसकी पाँच दिन

की आदत महावारी है, इमाम अबू यूसुफ के मुताबिक। इमाम मुहम्मद के मुताबिक उसकी आदत के पहले दिन महावारी है। इमाम मुहम्मद के इज्तीहाद में महावारी के पहले और आखिरी दिन ज़रूर ही ख़ूनी होगा।”

यह हक़दार किताबों **बहर और दूर-उल-मनतेखा** में फरमाया गया है: “अगर ख़ूनी बहाव आदत की अवधि को पार कर जाए और दस दिनों के ख़त्म होने से पहले तक रहे और फिर (15) दिनों के दौरान इसके ख़ात्मे तक कभी दुबारा नहीं हुए, वह बढ़े हुए दिनों का ख़ूनी बहाव महावारी है यह इस्लामिक उलेमाओं के एक मत से फरमाया गया। उस मामले में, आदत के दिन बदल जाएंगे। अगर (15) दिनों या रातों के दौरान एक बार भी ख़ून बाहर आ जाता है, तो उसकी आदत में बढ़े हुए दिन महावारी नहीं होंगे; वह (अत्यातर्व) (इस्तीहादा) होंगे और जब वह दिन अत्यातर्व जाने जाएंगे। तो वह नमाज़ों की कज़ा अदा करेगी जोकि उसने उन दिनों नहीं पढ़ी।” यह उसके लिए मुस्तहिब होगा के उस नमाज़ के वक़्त लगभग ख़ात्मे तक इंतज़ार करे जिसमें उसे ख़ूनी बहाव होता है, अगर आदत के पूरे होने के बाद ख़ात्मा अपनी जगह लेता है और अब दस दिन के पहले। तो वह गुस्ल करे और अपनी वक़्ती नमाज़ें अदा करे। वाटी बाद में जायज़ हो जाता है। अगर वह नमाज़ और गुस्ल छोड़ देती है जैसे की वह इंतज़ार कर रही है, तब, जब उस नमाज़ का वक़्त पूरा हो जाए, वाटी बिना गुस्ल के जायज़ होगा।

जब एक लड़की अपनी ज़िन्दगी में पहली बार ख़ूनी बहाव महसूस करती है और या औरत अपनी आदत के (15) दिन के ख़ात्मे के बाद, अगर ख़ूनी बहाव महसूस करती है (इन दिनों मिसाली लोगों में) ख़ूनी बहाव तीन दिन से पहले तक रहता है, तो इन दोनों लोगों को इबादत के ख़ात्मे के करीब तक इंतज़ार करना होगा (जिसमें ख़ात्मा अपनी जगह लेगा) फिर, वह बिना गुस्ल के वुजू बनाए वक़्ती नमाज़ें अदा करे और (उन तीन दिनों से कम लगातार ख़ूनी

बहाव के दौरान) छोड़ी गई नमाज़ों की कज़ा अदा करे। अगर उस नमाज़ की अदायगी के बाद ख़ूनी बहाव दुबारा होता है, तो वह नमाज़ न पढ़े अगर वह दुबारा हो रहा हो, वह इबादत के ख़ात्मे की तरफ़ वुजू बनाए और (अगर कोई नमाज़ छुटी हुई) हो तो उन ना पढ़ी हुई नमाज़ों की कज़ा अदा करे वह इस तरह से तीन दिन के ख़ात्मे तक करते रहे। हालांकि, अगर गुस्ल कर लिया गया है तो वाटी हलाल नहीं है।

अगर (दोनों में से किसी मिसाल में) ख़ूनी बहाव तीन दिन के अलावा लगातार रहता है और आदत के पूरा होने तक होता है। वाटी (वैवाहिक रिश्ता) आदत की अवधि के पूरे होने तक हलाल नहीं होता। हालांकि, अगर उसने इबादत के आख़िर तक कोई ख़ून का धब्बा महसूस नहीं किया वह गुस्ल बनाती है और नमाज़ अदा करती है। उसको उस नमाज़ की कज़ा अदा नहीं करनी होगी (जोकि इसने इस बीच अदा नहीं की) अगर ख़ूनी बहाव के ख़ात्मे के दिन के बाद कोई ख़ून बाहर नहीं आता, तो वह रोज़ा रखती है, वह दिन जब यह ख़त्म होता है वह उसकी नई आदत ख़ात्मा है हालांकि, अगर ख़ूनी बहाव दुबारा होता है, तो वह नमाज़ें छोड़ देती है। और वह रोज़ा जो उसने रख लिया, तो वह रमज़ान के बाद उसकी कज़ा अदा करेगी। अगर ख़ूनी बहाव ख़त्म होता है, तो दुबारा वह गुस्ल करेगी इबादत के करीबी वक़्त तक और अपनी नमाज़ें अदा करेगी। वह रोज़ें रखेगी। वह इस तरह से दस दिन के बीतने तक करती रहेगी दसवें दिन के बाद वह दुबारा गुस्ल के बीच नमाज़ पढ़ेगी जबकि वह ख़ूनी बहाव महसूस करती है, और वाटी (वैवाहिक रिश्ता) गुस्ल के पहले तक हलाल होगा। मगर, वातेय के पहले गुस्ल करना मुस्तहिब है। अगर ख़ूनी बहाव दिन होने से पहले शुरू होता है और अगर सिर्फ़ इतना वक़्त काफी है कि गुस्ल करके कपड़े पहन लिए जाएं और फिर दिन होने से पहले, “अल्लाहु अकबर” कहना का भी वक़्त नहीं, वह शुरूआती दिन का रोज़ा रखती है। फिर उसको पिछली रात की इबादत की कज़ा अदा नहीं करनी

होगा। अगर उसको पास यह कहने का भी काफी वक़्त है के, अल्लाहु अकबर, यानी तक्वीर (कहने का) तो उसको रात की इबादत की कज़ा अदा करनी होगा। मगर महावारी इफ़्तार से पहले शुरू हो जाती है। (यानी सैर-ए-सूरज के डूबने का वक़्त, रोज़ा खोलने का वक़्त,) तो (उसी वक़्त) उसका रोज़ा टूट जाता है। [बराए मेहरबानी **सआदते अदबिया** की चौथी पूलिका के दसवें बाब में देखें इबादत के वक़्त की तफ़सीली जानकारी के लिए] वह इसकी रमज़ान के बाद कज़ा अदा करती है। अगर नमाज़ के दौरान महावारी होती है उसकी नमाज़ टूट जाती है, जब वह साफ़ हो जाती है, (यानी अपनी महावारी के आख़िर में जब वह गुस्ल कर लेती है।) अगर वह फ़र्ज़ नमाज़ थी तो उसको इसकी कज़ा अदा नहीं करनी होगी अगर वह नफ़िला (ज़रूरत से ज़्यादा) नमाज़ थी तो उसको किसी भी तरह इसकी कज़ा अदा करनी होगी। दिन निकलने के बाद जब वह उठती है और अपने खुरसूफ़ पैड पर ख़ून महसूस करती है, उसी को महावारी उसी वक़्त शुरू हो जाती है। अगर उठने के बाद वह अपने पैड को साफ़ देखती है, तो वह अपनी नींद में महावारी से बाहर आ जाती है, इन दोनों मसलों में (पिछली) रात की इबादत करना फ़र्ज़ है। नमाज़ों का फ़र्ज़ होना साफ़ सुथरा होने पर निर्भर है, (यानी महावारी का न होना) उस नमाज़ के आख़िरी मिनट पे कोई औरत अगर यह महसूस करती है के वक़्ती नमाज़ से पहले महावारी में है तो उसको उस नमाज़ की कज़ा अदा नहीं करनी।

महावारी की दो अवधियों के बीच **मुकम्मल तहारत** होगी। अगर वह अवधि मुकम्मल अवधि है यह वह है जो **सही तहारत** (करार दी गई है) पहले का सीधा ख़ूनी बहाव और बाद का दोनों अलग अलग हैद है यह इस्लामिक उलेमाओं के एक मत से फरमाया गया है। हैद के दस दिन के दौरान ख़ूनी बहाव के बीच तहारत के दिन महावारी माने गए हैं, इस्तीहादा के दिनों के दौरान दस दिन के बाद के दिन तहारत के दिन माने गए हैं। अगर कोई लड़की

15 दिनों के बाद 3 दिन के ख़ूनी बहाव में चली जाती है एक दिन के ख़ूनी बहाव के बाद बिना किसी ख़ूनी बहाव के तहारत के एक दिन के बाद तीन दिन के ख़ूनी बहाव के ज़रिए, शुरुआत के और आख़िर के तीन दिन जिसमें वह ख़ूनी बहाव महसूस करती है वा हैद की दो अलग अवधियाँ है क्योंकि इसकी आदत तीन दिन के लिए होगी, दूसरा हैद पहले हैद के बीच में एक दिन के ख़ूनी बहाव के साथ शुरू नहीं हो सकता। वह (ख़ूनी बहाव) का एक दिन फ़ासिद से पहले मुकम्मल तहारत बनाता है। मौला हुसराव 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' (d. 885 [1480 A.D.]) के हवाले से फरमाया गया जैसे की इनकी गुहरेर शेरनबलाली की तफ़सीरी में है: "अगर एक लड़की तहारत के चौदह (14) दिन बाद एक दिन के लिए ख़ूनी बहाव में चली जाती है फिर आठ दिन की तहारत के बाद एक दिन का ख़ूनी बहाव सात दिन की तहारत फिर एक दिन का ख़ूनी बहाव तीन दिन की तहारत के तीन दिन फिर एक दिन का ख़ूनी बहाव दो दिन की तहारत के बाद फिर एक दिन का ख़ूनी बहाव, इसके (45) दिन, इन चौदह (14) दोनों में सिर्फ़ दस दिन महावारी है, और इस्तीहादा (अत्यातर्व) के दूसरे दिन इमाम मुहम्मद 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक़ इन दस दिनों के बाद एक नई महावारी अवधि नहीं होती तब से कोई मुकम्मल तहारत जगह नहीं लेती। तहारत के वह दिन जो उसके बाद आते हैं ऐसे कुबूल नहीं किए जब ख़ूनी बहाव लगातार होता है, तभी से वह हैद की अवधि में नहीं है। "इमाम अबू यूसुफ़ 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक़ दूसरे अलफ़ाज़ों में, तहारत की अवधि के पहले दस दिन और चौथवें दस दिन हर एक तरफ़ से महावारी है।" इमाम अबू यूसुफ़ के मुताबिक़, फ़ासिद तहारत के दिन जोकि उनके बाद आते हैं यह वह दिन है जब ख़ूनी बहाव को लगातार होता हुआ माना जाता है। और पहले मामले के मुताबिक़, महावारी के दस दिन के बाद बीस (20) दिन तहारत के दिन है और आख़िरी दस दिन (यानी चौथवें दस दिन) महावारी है। अगर ख़ूनी बहाव बीच में बग़ैर तहारत के दिनों

के (15) दिन लगातार रहता है यानी बहाव के हाल में जिसे इस्तेमरार कहते हैं, यह हिसाब उसकी आदत की बुनयाद पे है। वह, उसकी आदत की शुरूआत है, पिछले महीने की तहारत के दिनों की संख्या के बराबर एक तहारत अवधि और उसके बाद उसकी आदत तक महावारी, ज़रूरी रहेगी।

अगर एक लड़की पे इस्तेमरार रहता है, तो निम्नलिखित (4) हलतों में से कोई एक मामला हो सकता है। यह हकदार किताबचा **मेनहेल-उल-वारीदीन** में फरमाया गया है।

1- अगर ख़ूनी बहाव अबीदेस महसूस हो, तो पहले दस महावारी कुबूल किए जाएंगे। और उसके बाद के बीस (20) दिन तहारत ही रहेंगे।

2- अगर कोई लड़की सही तहारत की अवधि के बाद एक सही ख़ूनी बहाव की अवधि में होने के बाद इस्तेमरार का तर्जुबा करती है, तो यह लड़की एक पक्की आदत के साथ औरत बन गई है। मिसाल के तौर पर, अगर वह तहारत के चालीस दिनों के बाद पाँच दिन के ख़ूनी बहाव में चली जाती है, तो इस्तेमरार के पहले पाँच दिन महावारी माने जाएंगे और निम्नलिखित चालीस दिन तहारत के दिन ही है। यह नियम बहाव के होने तक लागू रहता है।

3- अगर वह फ़ासिद ख़ूनी बहाव की अवधि में चली जाती है फ़ासिद तहारत की अवधि के बाद, तो कोई भी अवधि महावारी नहीं मानी जाएगी। अगर तहारत फ़ासिद थी क्योंकि यह (15) दिनों से छोटी थी, वह ख़ूनी बहाव जो पहली बार महसूस किया वो उसकी (अबीदेद) माना जाएगा यानी यह इस्तिमरार में बदल गया है। अगर तहारत के चौदह (14) दिनों के बाद (11) दिनों का ख़ूनी बहाव और उसके बाद (एक लगातार ख़ूनी बहाव की स्थिती) इस्तिमरार, ख़ूनी बहाव की पहली अवधि फ़ासिद है क्योंकि इसने दस दिन पार कर दिए। ख़ूनी बहाव का ग्यारवाँ दिन और इस्तिमरार के पहले पाँच

दिन तहारत की अवधि में जोड़े जाएंगें, और तहारत के बीस दिनों के बाद अतिरिक्त पाँचवें दिन से यह महावारी के दस दिनों का चक्र बन जाएगा, अगर तहारत पूरी की मगर अब फ़ासिद है क्योंकि ख़ूनी बहाव के दिन इसमें मिल गए हैं, तो दुबारा, पहला ख़ूनी बहाव इस्तिमरार में बदला हुआ माना जाएगा, अगर तहारत के तमाम दिन और ख़ूनी बहाव के दिन तीस दिन से ज़्यादा नहीं होते। और अगर उसके तमाम दिन तीस से ज़्यादा होते हैं, तो पहले दस दिन महावारी माने जाएंगें और इस्तिमरार तक के तमाम दिन तहारत के दिन माने जाएंगें, जहाँ तहारत के बीस दिनों के बाद दस दिनों की महावारी कायम होगी यह नियम उस हाल में लागू होता है जहाँ तहारत के बीस दिन के बाद ग्यारह दिन का ख़ूनी बहाव होता है और उसके बाद उसका इस्तिमरार शुरू होता है।

4- अगर वह साही ख़ूनी बहाव में चल रही हो और उसके बाद फ़ासिद तहारत में, साही ख़ूनी बहाव के दिन महावारी होंगें, और उसके बाद एक तीस दिन की अवधि आएगी जिसे तहारत माना जाएगा, मिसाल के तौर पर, अगर तहारत के चौदह दिन बाद इस्तिमरार पाँच दिन के ख़ूनी बहाव के बाद होता है, तो पहले पाँच दिन तहारत है और उसके बाद के (25) दिन तहारत के दिन हैं। इस्तिमरार के पहले ग्यारह दिन तहारत के दिन माने जाएंगें 25 दिनों के इज़ाफ़े के तौर पर फिर से, महावारी के पाँच दिन तहारत के (25) दिनों में जमा हो जाएंगें इसी तरह, अगर इस्तिमरार तहारत के 15 दिन बाद और तीन दिन के ख़ूनी बहाव के बाद हो, 15 दिन की तहारत और एक दिन के ख़ूनी बहाव के बाद, पहले तीन दिन सही ख़ूनी बहाव के दिन हैं (महावारी के दिन हैं) इस्तिमरार तक के तमाम दिन फ़ासिद तहारत के दिन माने जाएंगें। इसी तरह इसके हैद का तीन दिन का चक्र और तहारत के (31) दिन होगा। किसी तरह, इस्तेमरार के दौरान, तीन दिन हैद और 27 दिन तहारत के बदले में होंगें। अगर तहारत की दूसरी अवधि 14 दिनों की थी, तो इमाम अबू यूसुफ़ के मुताबिक़ ख़ूनी बहाव लगातार होता हुआ माना जाएगा, जिस मामले

में पहले दो दिन (उन 14 दिनों में से) एक दिन में मिला लिए (14 दिनों से पहले) जैसे की महावारी की गिनती करना और तहारत के 15 दिनों के बाद, तो फिर, तहारत के 15 दिनों के बाद खूनी बहाव के पहले तीन दिन होगा जोकि सही अवधि है वह आदत मानी जाएगी।

एक औरत जो अपनी आदत का वक़्त भूल जाए उसे **मुहाय्यीरा** या **दाल्ला** कहते हैं।

निफास मतलब जेर। खून जो श्रण गर्भपात के बाद बाहर आए वह निफास है (जेर, ज़च्चा) अगर पैदा होने वाले बच्चे के हाथ, पैर और सर बन गए हैं। तो निफास के लिए कोई कम से कम वक़्त का कोई पैमाना नहीं है। जब भी खूनी बहाव होता है, वह गुस्ल करती है और अपनी रोज़ाना की नमाज़ें फिर से शुरू कर देती है। हालांकि वह अपने वैवाहिक संबंध फिर से शुरू नहीं कर सकती अपनी आदत के दिनों के बराबर तक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लम्बाई 40 दिन की है। एक बार अगर 40वां दिन ख़त्स हो जाए, वह गुस्ल करती है और अपनी नमाज़ें अदा करना शुरू करती है चाहे अभी तक खूनी बहाव न रुका हो। वह खून जो 40वें दिन के बाद बाहर आता है वह इस्तीहादा (अत्यातर्व) है। अगर एक औरत अपने पहले बच्चे के जन्म के 25 दिन में साफ़ हो जाती है, इसकी आदत 25 दिन की है। अगर वह औरत दूसरे बच्चे के बाद 45 दिन खूनी बहाव करती है, तो इसकी निफास 20 दिन की गिनी जाएगी बचे हुए 25 दिन इस्तीहादा है। वह उन 20 दिनों के दौरान छोड़ी हुई नमाज़ों की कज़ा नमाज़ अदा करती है। इसलिए निफास के दिनों को भी याद रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर खूनी बहाव होता है, 45 दिनों के बजाए 35 दिनों में, तमाम चालीस दिन निफास है, और इसका निफास 25 दिनों से 35 दिनों में बदल गया है।

अगर, रमज़ान में, कोई औरत सेहरी (सवेरे) के वक़्त बाद महावारी या प्रसवजन्य रूख़नी बहाव करती है तो वह उस दिन के दौरान कुछ खाती पीती नहीं है। लेकिन (रमज़ान) के बाद वह उस दिन के रोज़े के लिए क़ज़ा अदा करती है। अगर उसके हैद या निफ़ास सेहरी के वक़्त के बाद शुरू होता है, दोपहर होने के बाद, वह उस दिन खाती पीती है।

हैद या निफ़ास के दिनों के दौरान, चारों मज़हबों में नमाज़ रोज़ा अदा करना हराम है, मस्जिद में जाना, कुरानुल करीम को पढ़ना या पकड़ना, तवाफ़ करना, (काबा-ए-मुअज़्ज़मा के आस-पास परिक्रमा करना मस्जिद-ए-हराम के अंदर) और रातीक्रिया करना। वह अपने रोज़ों की क़ज़ा अदा करती है लेकिन अपनी नमाज़ों का नहीं, वह वुजू बनाती है और अगर वह नमाज़ अदा करती है तो अपनी जानमाज़ पे बैठती है, और वह ज़िक्र करती है और तसबीह पढ़ती है, वह इतना सबाब कमाती है जितना की उसने सबसे अच्छी नमाज़ अदा करके कमाया हो।

यह हक़दार किताब **जवहरा-त-उन-नीय्यारा** में फरमाया गया है: [हक़दार किताब **सिराज-उल-वाहहाज** की तीसरी जिल्द का मुख़्तसिर वरज़न जो अबू बकर बिन अली हदाद-ए-येमेनी ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ (d. 800 [1397 A.D.]) ने **मुख़्तसर-ए-कुदुरी** के तौर पर तफ़सीर से लिखा। जोकि अबुल हुसैन अहमद बिन मुहम्मद बग़दादी ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ (362 [973 A.D.] - 428 [1037], बग़दाद) के ज़रिए लिखी गई थी।] “एक औरत को अपने शौहर को इकतला कर देना चाहिए कि उसके हैद शुरू हो गए हैं। जब उसका शौहर उससे पूछे। अगर वह नहीं बताती तो यह उस औरत के लिए बहुत बड़ा गुनाह होगा। अगर वह कहती है कि उसके हैद ख़त्म हो गए हैं और अगर उसकी तहारत चल रही हो तो फिर भी वह बहुत बड़ी गुनाहगार होगी: हमारे नबी ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: ‘एक

औरत जो अपने शौहर से हैद की शुरूआत और खाल्सा छुपाती है वह एक शापित है'। किसी को अपनी बीवी के साथ गुदा संभोग करना हराम है, उसकी महावारी अवधि के दौरान या अगर वह साफ हो। यह एक बहुत बड़ा गुनाह है।" एक शख्स जो यह गुनाह अपनी बीवी के साथ करता है वह एक शापित है। जबकि लौंडेबाज़ी इससे भी बदतर गुनाह है। इसे लीवाता कहते हैं और इसे हबीतह (अत्यधिक गंदा) कहा जाता है। अनबीया सूरा में इसकी सच्चाई है। जैसे की यह बिरगीवी की तफसीर में बताया गया है, हमारे नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: 'अगर तुम बहुत से लोगों में लौंडेबाज़ी के काम में दो लोगों को पकड़ लो, तो दोनों को जान से मार दो!' कुछ इस्लामिक उलेमाओं के मुताबिक दोनों को जला देना ज़रूरी है, दोनों साथी इस धिनौने काम के बाद जुनूब बन जाते हैं। किसी के पास एक ऐनेमा होना उसको जुनूब नहीं बनाएगा, हालांकि यह उसका रोज़ा (फ़ेज़ीय्या) तोड़ देगा।

अगर किसी औरत को नमाज़ के वक़्त हैद महसूस हो जोकि नमाज़ उसने अभी अदा नहीं की, तो फिर उसको उस नमाज़ की कज़ा नमाज़ अदा नहीं करनी होगी। [वराए मेहरबानी सआदते अबदिया की चौथी पूलिका का चौथा बाव पढ़े!]

वुजू के मुताल्लिक

हनफी मज़हब में वुजू के चार फ़र्ज़यात (या फ़र्ज़) हैं, सात फ़र्ज़यात मालिकी मज़हब में है, और छः फ़र्ज़यात शहाफी और हनवाली मज़हबों में। जो हनफी मज़हब में हैं वो यह हैं:

1- अपना चेहरा धोना।

2- अपनी कलाई व कोहनी को धोना।

3- गुद्दी पे मसाह बनाना ।

4- एड़ी की हड्डियों के साथ, पैरों को धोना ।

चार तरह के वुजू हैं: पहली तरह का फर्ज, दूसरी तरह के वाजिब, तीसरी तरह का सुन्नत और चौथी तरह का मनधुव ।

वुजू की चार मिसालें जो फर्ज हैं: कुरानुल करीम के एहकामों के मुताबिक वुजू बनाना या पाँचों इबादात को अदा करना जिसे नमाज़ कहते हैं या नमाज़-ए-जनाज़ा अदा करना- तफसीर से सआदते अदबिया की पाँचवी पूलिका के 15वें बाव में समझाया गया है या तिलावत का सजदा करना- तफसीर से सआदते अदबिया की चौथी पूलिका के 16वें बाव में समझाया गया

वुजू जोकि वाजिब है वह तावाफ ए ज़ियारत के लिए बनाया गया वुजू है जो की सआदते अदबिया की 5वें पूलिका के 7वें बाव में समझाया गया है ।

वुजू एक वह सुन्नत जो कुरानुल करीम को पढ़ने के लिए है (बिना पकड़े) या मुसलमानों के कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए, या गुस्ल से पहले वुजू बनाना ।

एक वुजू जोकि मनधुव है यह वह है जो तुम विस्तर पर जाने से पहले बनाते हो और या उठने के बाद, अगर तुम किसी के बारे में झूठ या अफवाह बताते हो या संगीत की तरफ उत्सुकता, यह मनधुव है उस गुनाह के लिए तौबा या अस्तग़फ़ार करना और फिर वुजू बनाना ।

यह भी मनधुव है के जब तुम एक इल्म (जानकारी) की एक सभा के लिए वुजू बना के जाते हो, या तुम अपने वुजू को दुबारा बनाते हो हालांकि

तुमने जो वुजू बनाया या वो अभी भी है लेकिन कुछ ऐसा करने के बाद जो बिना वुजू के करना मुनासिब नहीं है, (मिसाल के तौर पर तुमने नमाज़ अदा की) अगर तुमने इबादत का वह कर्म अदा नहीं किया (उस वुजू के साथ जो तुमने किया था) तो यह मकरूह होगा के अगर तुम दुबारा वुजू बनाते हो हालांकि तुम्हारा वुजू है।

पानी के मुताल्लिक

चार तरह के पानी होते हैं: मा-ए-मुतलख़, मा-ए-मुक़य्याद, मा-ए-मेशहकूक; मा-ए-मुस्तामल। [‘मा यानि पानी’।]

1- मा-ए-मुतलख़ की मिसालें बरसात का पानी, समुद्र का पानी, बहता हुआ मोसमी बहार का पानी और कुएं का पानी। इन तमाम पानी में गन्दगी को साफ़ करने की ख़ूबी होती है। और यह किसी भी मक़सद के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है।

2- मा-ए-मुक़य्याद की मिसाल, ख़रबूजे का जूस, तरबूज का जूस, अंगूर का जूस, फूलों का जूस, वगैरह है।

इस तरह के पानी की प्रक्रिया गन्दी चीज़ को साफ़ करने की होती है लेकिन यह गुस्ल और वुजू के लिए इस्तेमाल लायक नहीं है।

3- गंधे के या ख़च्चर के ज़रिए छोड़ा गया पानी जिसकी माँ गंधी हो उसे मा-ए-मेशहकूक कहते हैं।

गुस्ल और वुजू के लिए यह पानी जाइज़ होगा। हर किसी के पास अपनी पसंद होगी एक के बाद एक या दोनों में से किसी एक को करने की।

4- अगर जिस के किसी हिस्से को छू कर पानी ज़मीन पर गिर जाए या जब यह जिस को छोड़ता है मा मुस्तामल बन जाता है, (यानि, हिस्से धुल गए है,) यह (इस्लामी उलेमाओं) के बीच एक सवाल बन गया है ज़रूर ही, यह बन गया है तभी यह जिस को छोड़ता है, (यानि इस इजतीहाद से फतवा मान्य है।) [इजतिहाद लफज़ सआदते अबदिया के छठी पूलिका में कई जगह समझाया गया है, मिसाल के तौर पर, पहली पूलिका के पच्चीसवें में, छब्बीसवें में, सत्ताइसवें बाबों में, और तीसरी पूलिका के दसवें और उन्नीसवें बाबों में] इसी पे आधारित, तीन तरह की अलग-अलग राय है। (यानि बयानात जिसमें मुजताहीद अपने इजतीहाद सामने रखते हैं।) इमाम आजम (अबू हनीफा) 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक यह नजासत-ए-गलीज़ा (काबा नजासत) है। [नजासत, अपनी तराहियतों के साथ सआदते अबदिया के चौथी पूलिका के छठे बाब में समझाया गया है।] इमाम अबू यूसुफ 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक, यह नजासत-ए-खाफीफा है। और इमाम मुहम्मद 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक यह साफ़ है। यह आख़री का मसला लागू हुआ (निर्णायक फतवे के मुताबिक)

बुजू के बुजूव के लिए नौ शर्तें है पूरी करने के लिए, (यानि, ताकि बुजू मौजूदा हो:)

- 1- एक मुसलमान होना।
- 2- बालिग़ की उम्र तक पहुँचा हुआ होना।
- 3- होशमंद होना।
- 4- बग़ैर बुजू के होना।
- 5- बुजू के इस्तेमाल के लिए पानी का साफ़ होना।

6- वुजू की जानकारी हासिल होना ।

7- (औरत के लिए) महावारी में ना होना ।

8- (औरत के लिए) जोकि ज़चगी की अवधि में न हो ।

9- रोज़ाना की (पाँचों) नमाज़ें, नमाज़ का वक़्त आने पे, [यह नवीं शर्त उस शख्स पे लागू होती है जो उज़र के साथ हो, (जो सआदते अबदिया के आख़री पेरे में समझाया गया है ।)

वुजू की सुन्नतें: जिसमें से 25 फरमाई गई है ।

1- “आऊजु...,” कहना (यानि: “आऊजु-बिल्लाही-मि-नश-शैतुआनि-र-रज़ीम । ”

2- बिस्मिल्लाह कहना, (यानि “बिस्मिल्लाह-हिर-रहमान-निर-रहीम । ”) कहना ।

3- हाथों को धोना ।

4- उंगलियों के बीच ख़िलाल करना, (यानि उंगलियों को एक दूसरे के बीच में डालना जैसे की कंघी के दांत एक दूसरे में फंसा देते है ।

5- मुँह में पानी डालना ।

6- नाक में पानी डालना ।

7- हनफी मज़हब में नीयत करना, सुन्नत है, फर्ज़ नहीं, शाफी मज़हब में मुँह धोते वक़्त नीयत करना फर्ज़ है । और मालिकी मज़हब में हाथों के धोने के दौरान नीयत करना फर्ज़ है ।

8- मुँह का किस्ले के रूख की तरफ होना ।

9- दाढ़ी का खिलाल करना (अपनी उंगलियों को कंधे के जैसे इस्तेमाल करके) [अगर यह घनी है] ।

10- दाढ़ी का मसह करना ।

11- सीधे हाथ से शुरू करना ।

12- पैर की उंगलियों के बीच उल्टे हाथ की छोटी उंगली से खिलाल करना, सीधे पैर की छोटी उंगलियों से शुरूआत करना ।

13- सर का मसह करना (पूरे) सर को कवर करते हुए ।

14- कानों पे मसह करना और गुद्दी पे, उस पानी को इस्तेमाल करते हुए जो सर का मसह करते हुए बचा है ।

15- तरतीब से चलना, (यानि वुजू में हिस्सों को तरतीब से धोना ।)

16- बीच में ना रुकना यानि वुजू में एक के बाद एक हिस्सों को धोना ।

17- सर का मसह करते वक़्त माथे से शुरू करना ।

18- मिस्वाक का इस्तेमाल करना ।

19- पानी को आँखों के किनारे और भंवों तक पहुँचाना ।

20- दल्क यानि हाथों से आराम से उन जगहों को मलना जिन्हे धोया हो ।

21- किसी ऊँची चीज़ पर खड़े होकर वुजू करना ।

22- हर हिस्से को तीन बार धोना ।

23- जिससे वुजू किया हो उस बर्तन (घड़े) को भरकर रखना ।

24- वुजू करते वक़्त दुनियावी बातें न करना ।

25- अपनी नीयत बनाये रखना ।

मिस्वाक का इस्तेमाल

मिस्वाक करने के 15 फायदें हैं। यह फायदें सिराज-उल-वाहाज नामक किताब से निकाले गए हैं (तीन जिल्द में बताया गया है अबू वक्र बिन अली हद्दाद यमनी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' d. 800 [1397 A.D.], से मुखासर-ई-कुदूरी नामक किताब, जो अपनी वारी में अबुल हुसैन अहमद बिन मुहम्मद बग़दादी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि', 362 [973 A.D.] - 428 [1037], बग़दाद के ज़रिए लिखी गई) इस तरह हैं:

1- मरते समय कलीमा-ए-शहादत नसीब होगा ।

2- मसूड़ों को मज़बूत करता है ।

3- यह छाती से बलग़म को साफ़ करता है । (यह बलग़म का सबसे ठीक इलाज है)

4- पित्ते से निकलने वाले ज़्यादा जूस को रोकता है ।

- 5- यह मुँह के दर्द को रोकता है।
- 6- बदबूदार सांस को रोकता है।
- 7- अल्लाहु तआला उस इन्सान से खुश होते है जो मिस्वाक करता है।
- 8- खोपड़ी की नसों को मज़बूत करता है।
- 9- शैतान दुखी होता है (जब आप मिस्वाक करते है)
- 10- आपकी आँखे नूर से चमकने लगेंगीं (जब आप मिस्वाक का इस्तेमाल करते है।)
- 11- यह तुम्हारी नेकियों को बढ़ाता है। (खैर और हसनात)
- 12- मिस्वाक करके आप सुन्नत अदा करते हो (जब आप मिस्वाक करते है)
- 13- आपका मुँह एकदम साफ हो जाएगा।
- 14- तुम्हारी बातें फसीह हो जाएगी।
- 15- दो रकात नमाज़ पढ़ी गई हुई (मिस्वाक करने के बाद) उन सत्तर रकात नमाज़ों से अफज़ल है जिसमें मिस्वाक नहीं किया हो।

वुजू के मुस्तहब

उनमें से छः यह हैं जो नीचे लिखे हुए हैं।

- 1- ज़बान से नीयत कर लेना पर दिल से नीयत ना करना।
- 2- कानों के बचे हुए पानी से मसह करना (गर्दन के पिछले हिस्से को धोना)
- 3- क़िब्ले की तरफ पैर करके ना धोना।
- 4- वुजू का बचा हुआ पानी, अगर हो सके तो, क़िब्ले की तरफ खड़े होकर पीना।
- 5- वुजू के बाद कुछ पानी से अपने कपड़ों पर छींटे मारना।
- 6- अपने धुले हुए हिस्सों को साफ तौलिया से साफ करना।

इन्ने आबिदीन अपने वयान में वुजू के टूटने पर कहते हैं: “अगर कोई चीज़ जो तुम्हारे मज़हब में मकरूह नहीं है, दूसरे मज़हब में फ़र्ज़ है (तीन में से एक मज़हब में) तो तुम्हारे लिए वो करना मुस्तहब है।” इमामे रब्बानी अपने (286वें) ख़त में लिखते हैं: “क्योंकि मालिकी मज़हब में वुजू के दौरान हाथों को धीरे से अपने बांहों पर मलना फ़र्ज़ है। हम (हनफी मज़हबियों) को भी मलना चाहिए।” इन्ने आबिदीन ने फरमाया जैसा कि उन्होंने तलाक़-ए-रिज़ी में वज़ाहत की है: [एक किस्म का तलाक़। जिसके बारे में सआदते अबदिया के छठे एडिशन के 15वें वाव में वयान है] हनफी मज़हब के मुसलमान का मालिकी मज़हब की नक़ल करना क़ाविले तारीफ़ है। चूंकि इमाम मालिकी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शगिर्द की तरह हैं। जब हनफी आलिम कोई

कौल हनफी मज़हब में नहीं ढूँढ पाते तो वो मालिकी मज़हब के मुताबिक़ फतवा देते हैं। बाकी मज़हबों के मुकाबले मालिकी मज़हब, हनफी मज़हब के ज़्यादा करीब है।

वुजू के मकरूह

इनमें से 18 कुछ इस तरह हैं।

- 1- पानी का मुँह पर तेज़ी से मारना।
- 2- वुजू के इस्तेमाल करने वाले पानी में फूँक मारना।
- 3- तीन बार से कम अंगों का धोना (तीन बार धोना चाहिए)।
- 4- तीन बार से ज़्यादा धो लेना।
- 5- वुजू के पानी में थूकना जिसे आप वुजू में इस्तेमाल कर रहे हैं।
- 6- वुजू के पानी में नाक का सिनकना वुजू करते समय।
- 7- पानी का गले में जाना ग़रारा करते समय।
- 8- क़िब्ले की तरफ पीठ करके बैठना (जब आप वुजू बना रहे हों)
- 9- आँखों को तेज़ी से बन्द करना।
- 10- आँखें चौड़ी करना।
- 11- उल्टे तरफ के हाथ से वुजू की शुरुआत करना।
- 12- नाक से पानी निकालते समय सीधे हाथ का इस्तेमाल करना।

13- मुँह में पानी डालते वक़्त उल्टे हाथ से पानी मुँह में डालना ।

14- उल्टे हाथ से नाक में पानी डालना वुज़ू करते में ।

15- ज़मीन पर पैर पटकना (और फर्श)

16- सूरज से गर्म हुए पानी से वुज़ू करना ।

17- मा-ई-मुसतामल पानी इस्तेमाल न करना (इससे पहले लिखे हुए पानी के प्रकारों को देखें)

18- दुनियावी बातें करना ।

वुज़ू तोड़ने वाले

इनमें से 24 इस तरह हैं:

1- पिछले हिस्से से निकलने वाली चीज़ें ।

2- अगले हिस्से से बहने वाली चीज़ें ।

3- कीड़े और पत्थर या इनके जैसी चीज़ को आगे या पीछे से देना ।

4- एक ऐनेमा होना ।

5- दवाई जो इन्जेक्शन के ज़रिए औरत की बच्चेदानी में दी गई हो उसका बाहर आ जाना ।

6- अगर आप कोई दवाई कान में डालते हो और जो मुँह से बाहर आ जाती है। तो आपका वुजू टूट जाता है। [अगर यह पसीजता है आपके कान या नाक से तो आपका वुजू नहीं टूटता (फतवाह-ए-हिन्दीया) ।]

7- एक रूई की बल्ली का एक मर्द के पेशाबगाह से गिला होकर गिर जाना [अगर वो रूई की बल्ली आधी बाहर है और बाहर का हिस्सा सूखा है तो जब तक उसका वुजू नहीं टूटेगा जब तक वो निकल कर गिर न जाए।]

8- उस रूई के हिस्से का गिर जाना, अगर वो हिस्सा फिर भी गिला रह जाता है।

9- मुँह भर कर उल्टी। अगर इसमें बलगम की मात्रा कम है तो आपका वुजू एक तरह से नहीं टूटता है। अगरचे किसी इन्सान के मुँह से सोते हुए पानी निकल जाता है, अगर वह पीलापन का हो।

10- बीमारी की वजह से ज़्यादा आँसू से वुजू टूट जाता है। किसी खुशी के मौके पर आए हुए आँसू से वुजू नहीं टूटता और प्याज़ काटने पर आने वाले आँसू से भी नहीं टूटता।

11- खून, पस या पीला पानी किसी की नाक से निकलेगा तो वुजू टूट जाएगा अगर चाहे यह बाहर आए या नहीं। नज़ला जुकाम के आने पर या बहने पर वुजू नहीं टूटता है।

12- थूक के साथ ज़्यादा मात्रा में खून का आना।

13- अगर आप देखते हैं कि जिस चीज़ को आपने काटा है उसपर खून का दाग है तो आपका वुजू टूट जाएगा अगर आपके दांत पर खून का धब्बा होता है। अगर नहीं है, तो नहीं टूटेगा।

14- अगर आप अपने जिस्म के किसी हिस्से से खून रिसता हुआ बहता देखते हैं और वो फैल रहा हो, चाहे वो थोड़ा हो, आपका वुजू टूट जाएगा अगर आप हनफ़ी मज़हब से हैं तो, और अगर आप मालिकी और शाफ़ी मज़हब से हैं तो वुजू नहीं टूटेगा।

15- मसलन आप बिना काठी के घोड़े पर सवार हो; जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा हो उससे गिर जाने पर वुजू टूट जाता है।

16- जब तुम्हें शक हो कि तुमने वुजू बनाया है कि नहीं, तुम्हारे जान-ए-ग़ालिब यह होना चाहिए कि तुम बिना वुजू के हो।

17- अगर कोई आदमी अपनी औरत के वस्त्रहीन स्थिति में गले लगता है (तो उनका वुजू टूट जाएगा)।

18- अगर आप वुजू करते वक़्त अपना कोई हिस्सा धोना भूल गए हो और आपको पता ना हो कि वो कौनसा हिस्सा है (तो आपका वुजू टूट जाता है)

19- अगर आपके किसी हिस्से में छाला लगा है और उसमें से पस और खून और पीला पानी निकलता है, चाहे खुद निकले या खुद नोचले, (तो आपका वुजू टूट जाएगा।)

20- मान लीजिए आपके जख़्म है, उसमें नज़्स का पानी और पीले रंग का पानी खून और पस है बीच में, तुम्हारे शरीर में, तो आपका वुजू टूट जाता है अगर आपके दुरुस्त हिस्से से पट्टी या रुई बन्धी हो नज़्स के मामले में। आलिमों ने कहा है कि अगर उस चोट के पानी में कोई रंग नहीं है तो आपका वुजू माना जाएगा। यह उन इन्सानों के लिए है जो बीमार रहते हैं जैसे के ख़ुजली, चेचक और एकज़ेमा है।

21- मान लीजिए कुछ करते में आपकी आँख लग जाती है; (तो आपका वुजू टूट जाएगा) अगर आप इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि अगर आपके नीचे से कोई तकीया निकाल लेता है फिर भी आपकी आँख नहीं खुलती।

22- नमाज़ के रूकू और सज्दे के दौरान, इतनी ज़ोर से हँसना कि खुद को या तुम्हारे साथ वाले शख्स को उसकी आवाज़ सुनाई दे, तुम्हारा वुजू टूट जाएगा, और जो नमाज़ तुम पढ़ रहे होंगे वो फ़ासिद हो जाएगी। [दूसरे लफ़्ज़ों में इतनी ज़ोर से हँसना कि सिर्फ़ तुम उसे सुन सको कोई और नहीं सिर्फ़ तुम्हारी नमाज़ तोड़ता है वुजू नहीं।]

23- मिर्गी का दौरा या बेहोशी वुजू तोड़ देती है।

24- जब तुम्हारे कान से पस, पीला पानी या खून निकले और वो जिस्म के उस हिस्से तक पहुँच जाए जिसे गुस्ल में धोना ज़रूरी है। (तुम्हारा वुजू टूट जाएगा।)

*हमसे यूरोप ने सीखा कि लोगों के बीच कैसे खुद को साफ रखते हैं।
इससे पहले उनके घर ऐसी बदबू मारते थे कि वो एक दूसरे की सांसे सूँघ पाते थे।*

*यह सिर्फ़ मुसलमान ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सफ़ाई फैलाई,
और इंसानियत को एक कड़वे दुश्मन से बचाया।*

बुजू के दौरान पढ़ी जाने वाली दुआएँ

बुजू शुरू करने से पहले पढ़ो: “बिस्मिल्लाहिल-अज़ीम-वल-हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल-इस्लामी व अला तौफिकिल-ईमानी अलहम्दुलिल्लाहिल लज़ी जा अल-अल मा ताहूरन व जा अल-अल इस्लामा नूरान।”

जब तुम पानी मुँह में डालो तो कहो: “अल्लाहुम्मा-मेस्किनी मिन हौदी नव्यियका कैसेन ला आज़माऊ वादेहू आवदन।”

जब तुम अपनी नाक में पानी डालो तो कहो: “अल्लाहुम्मा एरिहनी रयिहतल जन्तती वर-जुक्नी मिन नैमिहा वला तूरीहनी रायिहतन-नारी।”

जब चेहरा धो तो कहो: “अल्लाहुम्मा वाय्यिद वेजही विनूरिका यौमा तैवयददू बुजूहू अवलियैका वला तुसव्विद वेजही विजुनूबी यौमा तैसवेददू बुजूहू अदैका।”

जब अपना सीधा हाथ (कुहनी समेत) धो तो कहो: “अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी वियेमिनि व हसिवनी हिसाबन यसीरन।”

जब अपना उल्टा हाथ (कुहनी समेत) धो तो कहो: “अल्लाहुम्मा ला तुतूनी किताबी विशिमली वला मिन वराई ज़हरी वला तुहासिब्बी हिसाबन शैदिदान।”

जब तुम मसह करो सिर का तो कहो: “अल्लाहुम्मा हररिम शारी वा वेशारी अलन्नारी वा अज़िललेनी तहता जिल्ली अरशिका यौमा ला जिल्ला इल्ला ज़िल्लुका ।”

जब तुम कानों का मसह करो तो कहो: “अल्लाहुम्मा-जअलनी मिनल्ला-ज़िना यशतामि ऊना-ल-कौला फ यत्तैबिऊना अहसेनेह ।”

जब तुम अपने गर्दन के पीछे का मसह कर रहे हो तो कहो: “अल्लाहुम्मा अतीक रेकावती मिन-अन-नारी वहफज़ मिन- एस-सेलासिली वल-अगलाल ।”

जब तुम अपना सीधा पैर धो तो कहो: “अल्लाहुम्मा तहव्वित कदामय्या अल-स-सिराती यौमा तैज़िल्लू फिहिल अक़दाम ।”

जब अपना उल्टा पैर धो तो कहो: “अल्लाहुम्मा ला ततरूद कदामय्या अल-स-सिराती यौमा ततरूद कुल्लू अक़दामी अदाईका । अल्लाहुम्मा-ज-अल सायी मेशकूरन व जेन्वी मग़फ़ूरन व अमाली मक़बूलन व तिज़ारती लेन तेबूरा ।”

जब तुम अपना वुज़ू पूरा कर चुको तो कहो: “अल्लाहुम्मा-ज-अलनी मिन-अत-तेव्वाविना वज-अलनी मिन अल- मुतेताहरिना वज अलनी मिन इबादिका-स-सालिहिना वज अलनी मिन अल लज़ीना ला खौफ़ुन अलैहिम वाला हुम यहज़ुनून ।”

फिर आसमान की तरफ़ देख के कहो: “सुब्हानाकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदुअन ला इलाहा इल्ला अन्ता वहदका ला शरीका लका व अन्ता मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका ।”

फिर सूरह **इन्ना अनज़लना** एक, दो या तीन बार पढ़े, इसे पढ़ने में पहले, “**बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम** पढ़े।”

मज़हबी तालीम सीखना और अपने परिवार को सिखाना बहुत ज़रूरी है। रोज़े महशर में शौहर की पकड़ होगी अपनी बीवियों के लिए।

तय्यम्मुम के बारे में

हनफी मज़हब में तय्यम्मुम सही है नमाज़ के वक़्त से पहले। यह बाकी के तीन मज़हब में ठीक नहीं है। तय्यम्मुम में तीन फ़र्ज़ हैं: वुजू के लिए तय्यम्मुम किया जाता है वैसे ही गुस्ल के लिए भी तय्यम्मुम किया जाता है वैसे ही गुस्ल के लिए भी तय्यम्मुम होता है दोनों के लिए नीयत अलग है इसलिए, दोनों को एक दूसरे कि जगह नहीं रखा जा सकता है।

1- पहले नीयत करना, जो बहुत ज़रूरी है।

2- दोनों हाथों से मिट्टी को छूना उसके बाद पूरे चेहरे पर मसह करना, चेहरे को हाथों से छुपा लेना।

3- फिर से दोनों हाथ मिट्टी पर लगा कर पहले सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर मसह करना फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर मसह करना, (कुहनी तक) यह सब रूकन है (यानि यह सब करना तय्यम्मुम में फ़र्ज़ है। अगर आप इनमें से कोई एक भी छोड़ देते हैं, तो आपका तय्यम्मुम शून्य हो जाएगा)

कुराने पाक में सूरह निसा की 43वीं आयत और सूरह मायदा की छठी आयत इस बात का सबूत है कि तय्यम्मुम फ़र्ज़ है। मालिकी और शाफी मज़हब में (जिसे आप वुजू की जगह इस्तेमाल करते हैं नमाज़ अदा करने के

लिए) नमाज़ से पहले तय्यम्मुम करना जायज़ नहीं है, और एक से ज़्यादा नमाज़ अदा नहीं की जा सकती एक बार तय्यम्मुम करने पर। (दूसरों शब्दों में, आपको हर एक नई नमाज़ के लिए दुबारा तय्यम्मुम करना होगा, जब तक के मुकर्रर वक़्त ना हो जाए)

तय्यम्मुम करते में छः चीज़ों को करने की इजाज़त नहीं है, जब उस पर धूल मिट्टी हो। वो छः चीज़ें यह हैं: लोहा, तांबा, पीतल, टीन, सोना, चांदी और दूसरी धातुएँ, तय्यम्मुम इन चीज़ों को छोड़ कर सब से किया जा सकता है, जो गर्म करने से पिघल जाए: शीशा, जो गर्म करने से नरम हो जाए; घुटा हुआ चीनी मिट्टी के बरतन। जब के इसके मादे ज़मीनी होने चाहिए।

मिट्टी वाली ज़मीन जहाँ किसी ने पेशाब कर दिया और वह स्थान सूख गया तो नमाज़ पढ़ी जा सकती है लेकिन तय्यम्मुम नहीं किया जा सकता उस मिट्टी से।

तय्यम्मुम कि इजाज़त जब है, जब आप सब जगह पानी देख चुके हो और पानी ना मिले और आदिल और सालिह मुसलमान से भी पूछ लिया हो (आदिल मुसलमान वो है जिसने कभी कबीरा गुनाह नहीं किया हो और जो कभी आदतन सगीरा गुनाह ना करता हो। एक सालिह मुसलमान जो कि हराम काम से भी बचता है बल्कि जिसमें उसे शक-शुदा चीज़ों से भी बचता है। **सआदते अबदिया** के छठे बाब में शक-शुदा में देखें।)

तय्यम्मुम करते में पाँच चीज़ों को करना ज़रूरी है:

1- तय्यम्मुम के लिए नीयत करना। 2- मसहा करना। 3- जिस चीज़ से हम तय्यम्मुम कर रहे है उसका मिट्टी से ताल्लुक होना। अगर वह मिट्टी का नहीं बना हुआ है, तो उस पर मिट्टी की धूल का होना चाहिए। 4- जिस चीज़ से आप तय्यम्मुम कर रहे है और धूल दोनों का साफ (पाक) होना ज़रूरी

है। 5- अगर आप सच में पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं (बुजू करने के लिए)। [बीमारी के बाद की कमजोरी भी उज़र है, (जिस मामले में आप तय्यम्मुम कर सकते हैं बिना पानी के बुजू किए)। बुढ़ापे में कमजोरी के मामले में बैठ कर नमाज़ को अदा कर सकते हैं।

तय्यम्मुम करते में सात सुन्नतें हैं:

1- बिस्मिल्लाह का पढ़ना, (इसका मतलब, “बिस्मिल्लाहि-र-रहमानि-र-रहीम,” तय्यम्मुम शुरू करने से पहले)। 2- हाथों को साफ मिट्टी पर रखना। 3- दोनों हाथों को मिट्टी या जिस चीज़ से आप तय्यम्मुम कर रहे हो धीरे-धीरे घिसना, हाथों को आगे पीछे कर के। 4- उंगलियों को खोलना। 5- दोनों हाथों को मिला कर उसकी धूल को छोड़ना। 6- सबसे पहले मुँह का मसह करना। 7- दोनों हाथ मिला कर कुहनी तक मसह करना।

पानी ढूँढने के लिए चार शर्तें मुकर्रर हैं।

1- तुम्हारी जगह बसी हुई हो।

2- अगर कोई इत्तिला कर दी गई हो पानी होने की।

3- अगर तुम मुतमईन हो कि वहाँ पानी है।

4- अगर तुम किसी डरावनी जगह पर न हो।

अगर कोई शख्स पानी ढूँढ लेता है और तब पानी की जगह मीलों दूर हो तो (वहाँ जाने के बजाए उस शख्स का तय्यम्मुम करना जायज़ है।) अगर फासला एक मील से छोटा है और वहाँ पहुँचने तक नमाज़ का वक़्त न निकलेगा तो तय्यम्मुम करना जायज़ नहीं। [एक मील 4000 ज़रा के बराबर है, यानि $0.48 \times 4000 = 1920$ मीटर हनफी मज़हब में।]

दूसरी तरफ अगर वो पानी ढूँढता है, पर उसे ढूँढने में नाकाम रह जाता है, और तय्यम्मूम करके नमाज़ पढ़ लेता है, और फिर पानी देखता है, वो क्या उसे नमाज़ दुबारा पढ़नी चाहिए? यह सवाल इस्लामी आलिमों में बहस का मुद्दा रहा है। इसका एकमत हल यह निकला कि जो नमाज़ उसने पढ़ी है उसे उसको दुबारा नहीं पढ़ना होगा।

अगर कोई शख्स पूरा भीगा हुआ है पर फिर भी पानी ढूँढ नहीं पाता वुजू के लिए और तय्यम्मूम के लिए भी कुछ नहीं पाता तो उसे मिट्टी के टुकड़े को सुखाकर उससे तय्यम्मूम करना चाहिए। मसलन कुछ लोगों ने तय्यम्मूम कर लिया पर उनमें से किसी एक ने पानी देख लिया तो सबका तय्यम्मूम ख़राब और ख़ारिज हो जाएगा।

अगर कोई शख्स कुछ पानी लेकर आता है और कहता है कि यह पानी पूरे गुप के वुजू के लिए है तो पूरे गुप का किया हुआ तय्यम्मूम फ़ासिद (ख़ारिज) हो जाता है। पर अगर उसने कहा हो कि यह पानी सबके लिए है पर वो पानी सिर्फ़ एक शख्स के वुजू लिए काफी हो तो बाकीयों का किया हुआ तय्यम्मूम सहीह होगा।

मसलन कोई शख्स जुनूब [जुनूब ऐसी हालत है जिसमें शख्स पर गुस्ल वाजिब हो जाता है जैसे संभोग के बाद या मनी निकलने की वजह से। गुस्ल का बाव देखें।] की हालत में हो और एक मस्जिद के सिवा कहीं पानी न ढूँढ पाए तो पहले वो गुस्ल का तय्यम्मूम करे और फिर मस्जिद से पानी लाए। पर अगर वो मस्जिद में भी पानी न ढूँढ पाए तो उसे एक और तय्यम्मूम करके नमाज़ अदा करनी चाहिए।

मसलन कोई शख्स मस्जिद में बैठा हो और उसे मनी निकलने जैसा एहसास हो तो वो तय्यम्मूम करे और मस्जिद छोड़ दे।

मसलन एक शख्स के हाथ नहीं है, वो तय्यमुम कर सकता है। पर अगर उसकी मदद करने वाला कोई हो तो इस्तिन्जा न करने से नहीं बच सकता। [इस्तिन्जा के मायने है किसी शख्स का पेशाब या पखाना करने के बाद अपने उन हिस्सों को पाक करना। सआदते अबदिया के चौथे एडिशन का छठें बाब का आखिरी हिस्सा देखें।] पर अगर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है तो वो उससे बच सकता है।

अगर किसी शख्स के पास हाथ और पैर दोनों न हो तो, वो तराफेई न। (यानि इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद शैबानी) के मुताबिक वो नमाज़ पढ़ने से दोष मुक्त हो जाएगा। इमाम अबू यूसुफ के मुताबिक उसे फिर भी नमाज़ पढ़नी चाहिए।

दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज़ के लिए तय्यमुम करना जायज़ नहीं। दूसरे अलफाज़ों में किसी शख्स के पास इतना वक़्त नहीं कि वो वुजू कर सके और उसकी जुम्मे की नमाज़ निकल रही हो तो भी उसके लिए तय्यमुम करना जायज़ नहीं। [जिन लोगों कि जुम्मे की नमाज़ छूट जाती है उनके लिए जुहर की नमाज़ होती है। उन्हे जुहर की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी।] किताब **दुर्र-उल-मुख्तार** में भी बयान है कि खजूर के रस जिसे निषेध [सआदते अबदिया के छठें एडिशन का तीसरे बाब का ग्यारवां पैराग्राफ देखें] कहते हैं उससे वुजू करना भी जायज़ नहीं है।

अगर किसी सफर के दौरान किसी शख्स को मनी निकलने का एहसास होता है तो तय्यमुम करे और फज्र की नमाज़ अदा करे। फिर वो दोपहर तक अपना सफर जारी रखे। फिर जब वो असर के वक़्त के करीब पहुँच जाए और जुहर का वक़्त बस थोड़ा ही बचा हो तो फिर तय्यमुम करे और जुहर की नमाज़ अदा करे। मसलन अगर वो शख्स असर के बाद पानी खोज लेता है तो क्या उसे फज्र और जुहर की नमाज़ दुबारा पढ़नी पड़ेगी?

इस्लामी आलिम इस सवाल के जवाब तक नहीं पहुँच पाए। एक कौल के मुताबिक उसे ऐसा करना पड़ेगा और दूसरे कौल के मुताबिक उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शायद यह मसला 'तरतीब' के मामले के बाद बना है (और जिसकी वज़ाहत **सआदते अबदिया** के चौथे एडिशन के 23वें बाब के सातवें पैराग्राफ में मौजूद है।)

मसलन एक शख्स गधे पर कुछ पानी लेकर जा रहा है और अपना गधा खो देता है; यह शख्स (नमाज़ के वक़्त जब वुजू की ज़रूरत हो) तय्यम्मुम करे और नमाज़ अदा करे। जब वो नमाज़ अदा कर रहा हो और अपने गधे की आवाज़ सुने तो उसका वुजू टूट जाता है।

मसलन एक शख्स घोड़े पर सवार हो के जा रहा हो और उसके उतरने की सूरत में उसके साथी उसका इंतज़ार नहीं कर सकते; वो घोड़े पर ही अपना तय्यम्मुम करे और इमा के साथ अपनी नमाज़ पढ़े।

अगर कोई शख्स किसी ख़तरनाक सफ़र पर है ठंडे मौसम में, जिससे गुस्ल करना उसे बीमार बना सकता है, तब वो नमाज़ तय्यम्मुम के साथ पढ़ सकता है।

एक शख्स जो दूर सफ़र पर जाता हो उसे हमेशा अपने साथ एक टाई ल या ईट रखनी चाहिए। ताकि अगर वो कोई ऐसी जगह पहुँचे जहाँ चीज़ें गीली हो तो ईट से तय्यम्मुम कर सके और नमाज़ अदा कर सके।

मसलन एक शख्स ईद की नमाज़ पढ़ना शुरू करता है और किसी वजह से उसका वुजू टूट जाता है (नमाज़ के दौरान); के तय्यम्मुम करे और अपनी नमाज़ पूरी करे अगर उसे डर हो कि उसकी ईद की नमाज़ छूट जाएगी या भीड़ में फंसा हुआ पाने पर वो तय्यम्मुम करे और अपनी नमाज़ पूरी करे। यह कौल इमामे आजम अबू हनीफा के मुताबिक है। इमामैन [इमाम अबू

यूसुफ और इमाम मुहम्मद शैबानी, दो बड़े शागिर्द इमामे आजम अबू हनीफा के] के कौल के मुताबिक, उसे वुजू करना चाहिए।

[[अहमद बिन मुहम्मद इस्माईल) तहतवी ऐनोटेशन (अबुल इब्नास हसन बिन अम्मार) शरब्लाली (कमेनटेटी किताब) को **भेराक-उल-फिलाह** में बयान है: “बीमारी एक उज़र है (इस्लाम के तरीके से अच्छा बहाना) तय्यम्मूम के लिए (वुजू की जगह पर)। एक तन्दरूस्त इन्सान के लिए यह उज़र नहीं कि वो बीमार होने के ख़ौफ से वुजू न करे। आलिम जिन्होंने कहा कि एक तन्दरूस्त बन्दे का अपना रोज़ा कज़ा (बाद में रखना रोज़ा) करना जायज़ है अगर उसे लगता है कि वो बीमार हो जायेगा वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है, उन्होंने यह भी कहा है कि उस शख्स के लिए तय्यम्मूम भी जायज़ है बीमार होने के डर से। ‘बीमार हो जाने’ के मायने चार हैं: पानी सेहत के लिए ख़तरनाक हो, हरकत करना ख़तरनाक हो। किसी का पानी न इस्तेमाल कर पाना। और किसी का तय्यम्मूम भी न कर पाना। ख़तरा तब भांपा जाता है जब किसी को ख़ुद महसूस हो रहा या किसी आदिल मुसलमान डॉक्टर या किसी जानकार ने चेतावनी दी हो तो। अगर कोई आदिल मुसलमान डॉक्टर नहीं मिलता तो ऐसा डॉक्टर जिसके गुनाह ख़ुले और आम न हो उसकी बात मान सकते हैं। अगर कोई शख्स पानी से ख़ुद वुजू नहीं कर सकता तो वो जब तय्यम्मूम कर सकता है जब उसकी मदद करने वाला कोई न हो। अगर उसके बच्चें दोस्त, नौकर उसकी मदद कर सकते हैं वुजू करने में तो दोस्ती के लिए यह लोग वुजू कराने में उसकी मदद करेंगे। इमामे आजम के मुताबिक उसे पैसों के बदले किसी से यह नहीं करवाना होगा। जो शख्स तय्यम्मूम नहीं कर सकता उसे नमाज़ कज़ा के लिए छोड़नी चाहिए। हालांकि शौहर और बीवी वुजू में एक दूसरे की मदद नहीं करते न नमाज़ में, पर शौहर को बीवी से मदद के लिए पूछना चाहिए। मसलन एक शहर या गाँव के बाहर का आदमी गर्म पानी नहीं ढूँढ पाता है; और वो तय्यम्मूम कर सकता है इस बात के डर से कि ठंडे पानी

का गुस्ला उसे बीमार कर देगा। [एक फतवे के मुताबिक यह कानून शहरी इलाकों में भी लागू है। अगर शख्स के आधे से ज़्यादा हाथ पैर सूजे हुए हो तो वो बुजू की जगह तय्यम्मूम कर सकता है। अगर सूजा हुआ हिस्सा सिर्फ उसके आधे हाथ या पैर पर है तो वो आधे हिस्से पर बुजू और बाकी हिस्से पर मसह करे। अगर मसह उसके सूजे हुए हिस्से को नुकसान पहुँचाता है तो वो पट्टी के ऊपर से मसह करले। अगर यह भी उसे नुकसान पहुँचाता है तो वो मसह भी न करे। अगर उसके सिर पर कोई चोट है जिससे मसह करने से दोषमुक्त हो जाता है। मसलन कोई शख्स जिसका चेहरा सूजा हुआ है और हाथों पर चोट है उन जगहों पर जहाँ धोना फर्ज है तब वो शख्स तय्यम्मूम नहीं कर सकता; तो वो नमाज़ बिना बुजू के पढ़ेगा और उसे वो नमाज़ दुहरानी भी नहीं होगी। अगर उसका चेहरा ठीक है वो चेहरा धोता है। उसके पास कोई मददगार नहीं है तो वो अपना चेहरा मिट्टी पर मलता है। अगर किसी शख्स का एक हाथ माज़ूर है या कटा हुआ है या चोटिला है तो वो दूसरे हाथ से बुजू करता है। अगर उसके दोनों हाथ ऐसे हैं तो वो चेहरा मिट्टी पर मलता है। अगर उसकी चोट पर कोई महरम प्लास्टर या कवर लगा हुआ होता है चोट को बचाने के लिए जिससे वो उस कपड़े प्लास्टर वगैरह पर भी मसह नहीं कर सकता तो वो बस बड़ी जगहों पर मसह करे और उसके बीच में भी जिस जगह चोट नहीं है। अगर मुमकिन हो तो प्लास्टर महरम हटा कर चोट का मसह करना चाहिए और ठीक हिस्से को पानी से धोना चाहिए। यह चीज़ें बुजू करने के बाद ज़रूरी नहीं कि लगाई जाये; और न ही इसके इस्तेमाल की कोई आग्रिरी हद है। एक चोटीले पैर का मसह करना और दूसरे को धोना जायज़ है। अगर कोई चीज़ जो चोट पर लगी हुई हो और जख्म सही होने से पहले निकल जाए तो बुजू नहीं टूटता उस महरम ही जिसपे मसह किया गया हो, उसे बदला जाए बुजू के बाद तो भी बुजू नहीं टूटता। अगर कोई महरम टूटे नाज़ून या चोटीले नाज़ून पर लगा हो या किसी के पैर की चोट पर उसे नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इसे निकालना

जोग्रिम भरा हो सकता है। वो ऐसे हालत में आ जाता है जिसे ‘शक’ कहते हैं, जिसमें उसे उस महरम के बाहरी हिस्से धोने होते हैं। अगर धोना खतरनाक हो तो वो उसका मसह करे। अगर मसह भी खतरनाक है तो वो मसह भी न करे। [जैसा कि यही कानून बाकी तीन मज़हबों में भी है, तो मज़हब की नक़ल करने का यहाँ तक नहीं है।] यह मरहम, एक पट्टी की तरह है। यह बात इब्ने आबिदीन कि किताब में लिखी है। पर किसी के दांत भरे हुए होना एक अलग मसला है। इसके लिए मालिकी या शाफी मज़हब की नक़ल की जा सकती है। अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है बिना खुद को कुछ करे और इसी हालत में अगली 6 नमाज़ों तक रहता है तो उसे छूटी हुई नमाज़ों की कज़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। (दूसरे लफ़्ज़ों में उसे वो नमाज़ें दुबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी।) इस बात से बेपरवाह की किताबी नमाज़ें गलत पढ़ी गई इमा के तरीके से, उसे अपनी नीयत में यह नहीं जोड़ना पड़ेगा कि इसकी इश्कात भी पढ़नी है।” (इश्कात और दौर के लिए सआदते अबदिया के पाँचवें एडिशन का 21वां बाव पढ़ें)

इब्ने आबिदीन ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ फरमाते हैं: “किसी सेहतमंद इन्सान के लिए अपने हाथ पैर का बुजू या मसह किसी दूसरे के ज़रिए कराना मकरूह है। किसी दूसरे शख्स का उसके लिए बुजू का पानी भरके लाना या जब वो बुजू करे तो पानी डालना जायज़ है। अगर कोई बतिली गंदगी उसके कपड़ों पर है या उसके विस्तर पर हर वक़्त रहती हो या उसे बदलना बहुत भारी हो, तो वो अपने नजस के कपड़ों में ही नमाज़ अदा करता है। अगर प्लास्टर, मरहम पट्टी या कपड़ा जो चोट पर बंधा हुआ हो और निकल कर गिर जाए जब चोट ठीक हो चुकी हो तो बुजू टूट जाता है। अगर चोट ठीक हो चुकी है पर उसकी मरहम पट्टी नहीं निकाली गई जबकि उसे बिना किसी नुक़सान के निकाला जा सकता था जब भी बुजू/गुस्ल टूट जाता है।

अल्लाह तआला बीमारी और दर्द अपने प्यारे बन्दों को उनके गुनाह कम और जन्नत की बरकतों को बढ़ाने के लिए देता है। वो मुश्किलों में उसकी इवादात करते हैं। इसके बदले में अल्लाह तआला उनको इस जहाँ में सुकून देता है और रिज़क में बरकत देता है। (खाना, पीना और ज़रूरत की चीज़ें जिसका वादा उसने अपने सारे बन्दों से किया है ताक्यामत तक अपने हर बन्दे के बारे में काफी जानकारी **सआदते अबदिया** के छोटे बाब में है।) वो वैसा ही रिज़क और बरकत उन बन्दों को नहीं देता जो उसकी इवादात को नज़रअंदाज़ करते हैं। यह लोग बहुत मेहनत, फरेबी और गददारी से कमाते हैं और अपनी ज़िन्दगी मज़े और अय्याशी में गुज़ारते हैं जोकि अबदी नहीं है। बाद में यह लोग हस्पताल या जेल में होते हैं अपनी वाक़ी की ज़िन्दगी दुख में काटते हुए। और आख़िर में मिलने वाला अज़ाब उससे भी कहीं गुना शदीद है।]

इस्तिंजा, इस्तिबरा और इस्तिंका

जाने हुए जिस्मी हिस्सों को धोना इस्तिंजा कहते हैं। इस्तिबरा के मायने हैं, पेशाब के बाद, थोड़ी देर चलना या कुछ करना जिससे पेशाब की जगह सूख जाये (वुजू करने से पहले)। इस्तिंका के मायने दिल का मुतमईन होना जिस्मानी सफाई से।

इस्तिंजा चार तरह से होता है:

पहले जो फर्ज़ है: अगर कपड़ों या जिस्म पर एक दिरहम से ज़्यादा नजासत हो या उस जगह का जहाँ नमाज़ पढ़नी हो। यह फर्ज़ है कि उस नजासत को पानी से पाक किया जाए। इस्तिंजा फर्ज़ है तब भी जब गुस्ल किया जाए। [एक दिरहम एक मिथकाल के बराबर है। जोकि चार ग्राम और 80 सेंटीग्राम है]

एक वो जो वाजिब है: एक दिरहम के बराबर नजासत पहनना या नमाज़ अदा करने की जगह पर हो तो उसको हटाना वाजिब है।

अगर वो एक दिरहम से कम है तो उसे हटाना सुन्नत है।

एक वो जो मुस्तहब है: अगर नजासत बहुत ही कम है तो उसे हटाना मुस्तहब है। एक वो जो मनदूब है; कूल्हों के गीले होने की शकल में जब कोई हवा मारता है तो उसे साफ करना मनदूब है।

सूखे कूल्हों से हवा छोड़ने के बाद धोना विदत है।

इस्तिंजा की सुन्नतें: खुद को एक मिट्टी के ढेले या मिट्टी से साफ करना और बाद में साफ हिस्से को पानी से धोना सुन्नत है।

अगर नजासत पूरे तरीके से साफ न की गई हो और एक दिरहम से कम रह गई हो, अगर वो एक दिरहम गुदा के आस पास के हिस्से को गन्दा कर रहा हो, तो उसे पानी से धोना फर्ज़ हो जाता है। फिर उस हिस्से को सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए या हाथ से अगर कपड़ा न हो तो।

इस्तिंजा करने में सिर्फ एक मुस्तहब है: विषम गिनती में पत्थरों को लेना। दूसरे लफ़्ज़ों में पत्थरों की गिनती तीन, पाँच या सात हो।

[एक शख्स जो लगातार पेशाब आने की बीमारी में है तो उसे 12X12 c.m का एक कपड़ा अपने साथ रखना चाहिए और उसके कोने पर एक आधा मीटर लम्बी रस्सी बांधनी चाहिए। पेशाबगाह की जगह पर उस कपड़े को बांधना चाहिए और रस्सी उस कपड़े के हिस्से के चारों ओर बांधनी चाहिए यानि पेशाबगाह की जगह पर। इसका बंद हुआ हिस्सा दुगना हो जाता है, दोगुना हिस्सा बंधे हुए हिस्से में से जाना चाहिए और खींचना चाहिए जिससे

कपड़ा मज़बूती से जाना चाहिए और खींचना चाहिए जिससे कपड़ा मज़बूती से लग जाये। इसका ढीला हिस्सा एक लूप में बंधा हुआ हो। जोकि कूल्हों में पिन के सहारे लगा हो। पेशाब के वक़्त पिन खोल कर कपड़ा खोला जाए रस्सी खींचके। अगर पिन से मुश्किल हो तो तार से बांधा जाए जो पिन से जुड़ी हो। कुछ बूंदे लोगों की पेशाबगाह सिकुड़ी हुई होती है, तो उनपर कपड़ा बांधना ना मुमकिन हो जाता है। ऐसे लोगों को अपनी पेशाबगाह और अंडकोष एक नायलॉन की थैली में रखनी चाहिए और थैली का मुँह बंद कर देना चाहिए। एक हनफी शख्स जो वेइन्तेहा पेशाब आने की बीमारी में मुक्तिला हो और फिर भी उसके पास कोई अज़र न हो वुजू, गुस्ल और नमाज़ अदा करने के लिए मालिकी मज़हब की नक़ल करता है। **किताबुल-फ़िक्ह अलल-मज़हिबि-ल-एरबा** में बयान है जोकि मिस्त्री इस्लामी आलिम की तय्यार की हुई थी अब्दुर-रहमान जरीरी ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ (d. 1384 A.H.) जमिउल अज़हर के एक प्रोफेसर: “मालिकी मज़हब के दूसरे कौल के मुताबिक, जब एक नाकदिल या बूढ़ा शख्स इस हालत में आ जाता है जिससे उसका वुजू टूट जाए, तो वो उज़र का शख्स हो जाता है। जिससे वो वुजू टूटने से दोषमुक्त हो जाता है। हनफी और शाफी मज़हब में (एक कड़ी हालत) है जिसमें हराज को इस कौल की नक़ल करनी पड़ती है (इजतिहाद)।” [एक हनफी मुस्लिम जिसका पेशाब नमाज़ के दौरान बेकाबू निकल रहा हो वो इस कौल से मालिकी मज़हब की नक़ल करे जब हालत सही न हो तो। नियत करके वो उज़र का शख्स बनके अपनी नमाज़ पूरी करता है।]

नमाज़ कैसे पढ़े

नमाज़ को चार किस्मों से पढ़ते हैं: फर्ज़ से, वाजिब से, सुन्नत से, मुस्तहब से। हनफी मज़हब में हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत है। हथेली

किस्से की तरफ करना सुन्नत है। आदमी के लिए अपने हाथों को कान की लौ से अंगूठे से छूना, और औरतों को अपने कंधे की ऊँचाई तक उठाना और “अल्लाहु अकबर” कहना फर्ज है। अपने हाथों को तक्वीर के बाद बांध लेना सुन्नत है। (तक्वीर यानि अल्लाहु अकबर कहना)। अपना सीधा हाथ उल्टे सीधा पर रखना सुन्नत है। मर्द के लिए अपने हाथ नाभी के नीचे बांधना सुन्नत है और औरतों के लिए अपनी छाती पर। आदमी के लिए अपनी उल्टे हाथ की कलाई पर सीधा हाथ रखना मुस्तहब है, एक पंजे की तरह।

नमाज़ में इमाम के और उन लोगों के लिए जो उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो, सुब्हानका [सुब्हानका इस तरह है: “सुब्हानाकल्लाहुम्मा व बिहमिदिका व तबारकस्मु का व तआला जददू का व ला इलाहा ऐरूक”] पढ़ना सुन्नत है। (सुब्हानका के बाद) आउजु बिल्लाहि मिनश शैत्वाने रजीम कहना सुन्नत है, इमाम के लिए। या उस शख्स के लिए जो अपनी अलग नमाज़ पढ़ रहा हो (उसके लिए नहीं जो इमाम के साथ पढ़ रहा हो।) विस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। (आउजु के बाद)। फातिहा शरीफ पढ़ना वाजिब है (कुरान करीम की पहली सूरह); तीन आयतें या एक लम्बी आयत पढ़ना सूरह फातिहा के बाद फर्ज है, सुन्नत नमाज़ों की हर रकअत में खड़े होकर एक आयत पढ़ना फर्ज है, और वित्र की सारी रकअतों में भी, जब अकेले नमाज़ पढ़ रहे हो, फर्ज की आखिरी दो रकअतों में (जिनमें चार रकअतें होती हैं।)

कमर के बल रूकू के लिए झुकना फर्ज है; इसी हालत में उस वक़्त तक रहना जब तक तुम तीन बार “सुब्हानल्लाह” न पढ़ लो वाजिब है। “सुब्हाना रब्बियल अज़ीम” तीन बार कहना सुन्नत है। इसे पाँच या सात बार कहना मुस्तहब है। जब तुम रूकू से उठो और सज्दे में जाने से पहले बिना हिले खड़े रहो जब तक तुम “सुब्हानल्लाह” न पढ़ लो, इमाम अबू यूसुफ के

मुताबिक यह फर्ज है और तराफेईन की तरफ से वाजिब। हालांकि कुछ आलिमों के मुताबिक यह सुन्नत है, कि वाजिब का कौल हावी है।

सज्दे के लिए सिर का ज़मीन पर लगाना फर्ज है। और उसी में रहना जब तक कि तुम “**सुब्हानल्लाह**” न कहलो। “**सुब्हाना रब्बियल अज़ीम**” तीन बार कहना सुन्नत और पाँच या सात बार कहना मुस्तहब है।

इब्ने आबिदीन ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने फरमाया: “सज्दा करते वक़्त, पहले दोनों घुटनों, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, और आख़िर में माथा, ज़मीन से लगाओ। अंगूठा और कान एक लकीर में होने चाहिए। शाफ़ी मज़हब में हाथ कंधों की लकीर में होने चाहिए। कम से कम एक पैर के पंजे का ज़मीन पर होना फर्ज है। ज़मीन इतनी मज़बूत तो होनी चाहिए कि उसमें तुम्हारा सिर न धंस सके। एक चादर, गेहूँ की छाड़ जानमाज़, ज़मीन पर बिछाकर इस मसले को देखा जा सकता है। एक मेज़, सोफ़ा ऐसी चीज़ें ज़मीन के बदले इस्तेमाल की जा सकती है। झूलें, कपड़ें, गलीचा या पेड़ों की बनी चटाई और लटका हुआ चिमड़ा को ज़मीन की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेजान चीज़ें जैसे चावल, बाजरा या पटसन के बीजों पर सज्दा करना सही नहीं है। अगर सज्दा करने की जगह की ऊँचाई आधा ज़रा है यानि बारह उंगलियों के जोड़े के बराबर (25 c.m), घुटने रखने की जगह के मुकाबिल तो तुम्हारी नमाज़ सही होगी; पर फिर भी यह मकरूह है। सज्दे के दौरान तुम्हारी कुहनिया जिस्म से दूर रहनी चाहिए और तुम्हारा उदरीय हिस्सा तुम्हारी जांघों से साफ़ दिखता हो। तुम्हारे पैरों के पंजे क़िब्ले के रूख़ पर हो। रूकू के लिए झुकते वक़्त अपनी ऐड़ियों की हड्डियों को मिलाना सुन्नत है, तो इन्हे सज्दे में भी मिलाना चाहिए।

जब एक औरत नमाज़ पढ़ती है तो वो अपने हाथ कंधों तक उठाती है। उसके हाथ उसकी आस्तीनों से बाहर नहीं होने चाहिए। वो अपनी छाती पर

हाथ रखती है। उसकी सीधी हथेली उल्टे हाथ पर होती है। वो अपना जिस्म, रूकू के लिए हल्का सा झुकाती है। उसकी कमर उसके सिर की लाइन में नहीं होनी चाहिए। वो रूकू करते में अपनी उंगलियाँ नहीं खोलती और न दोनों सज्दों में। वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। वो अपने हाथ घुटनों पर रखती है जोकि झुके हुए होने चाहिए। वो घुटनों को नहीं जोड़ती। और सज्दे में वो अपने हाथ ज़मीन पर बिछा देती है, जिससे उसकी कुहनियाँ पेट के पास रहती है। उसका पेट उसकी जांघों से मिला होना चाहिए। तशहहुद (बिठने में) में वो अपने दोनों पैर सीधी तरफ को निकाल देती है। उसकी उंगलियाँ घुटनों की तरफ इशारा करती हुई होनी चाहिए। [आदमी भी अपने घुटने नहीं जोड़ते, (जब तशहहुद में बैठते है)] उसकी उंगलियाँ बंद और एक दूसरे को छूती हुई होनी चाहिए। औरतों के लिए आपस में या मर्दों की जमात में नमाज़ पढ़ना मकरूह है। उनके लिए जुम्मे या ईद की नमाज़ पढ़ना फर्ज़ नहीं है। (दूसरे लफज़ों में अल्लाह तआला ने उन्हे यह दो नमाज़ें पढ़ने का हुक्म नहीं दिया (इन दो नमाज़ों की वज़ाहत के बारे में सआदते अबदिया के चौथे एडिशन के 21वें और 22वें वाव में बयान है।) कुरबान की ईद में यह तकबीरे तशरीक फर्ज़ नमाज़ों के बाद अहिस्ता से पढ़ती है। उनके लिए सुबह की नमाज़ को उसके नये वक़्त पर पढ़ना मुस्तहब नहीं है। वो नमाज़ में पढ़ी जाने वाली दुआएँ तेज़ नहीं पढ़ती।” यहाँ हम अपने इब्ने आबिदीन का तर्जुमा ख़त्म करते हैं। सय्यद अहमद हमावी बिन मुहम्मद मक्की ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ (d. 1098 [1686 A.D.]) अपनी किताब **उयून-उल-बसैर** में फरमाते हैं जोकि किताब **एशबाह** (और जोकि जेनुल आबिदीन इब्राहीम इब्ने नुजैम-ए-मिस्त्री ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ 926 A.D. - 970 [1562 A.D.], मिस्त्र की लिखी हुई) की कमेंटरी में बयान है। औरतों के लिए अपने सिर से बालों को हटाना, शेव करके या केमिकल इस्तेमाल करके मकरूह है। [पर यह जायज़ है कि वो कानों तक अपने बाल छोटे कर सके, पर यह ध्यान रहे कि वो मर्दों की

तरह न दिखें।] औरत के लिए अज्ञान पढ़ना या इकायात देना मकरूह है। (जिसकी बारे में सआदते अबदिया के चौथें एडिशन के ग्यारवें बाब में बयान है।) वो बिना अपने शौहर के या किसी महरम रिश्तेदार के लम्बे सफर पर नहीं जा सकती। [सआदते अबदिया के चौथे एडिशन का 15वां बाब देखें] उसे हज के दौरान अपना सिर नहीं दिखाना चाहिए। वो एक इबादत नाम साय, सफा और मारवा (हज के दौरान) की पहाड़ियों के बीच अदा करती है चाहे उसकी महावारी ही क्यों न चल रही हो। वो काबा से कुछ दूरी पर तफाव करती है। उसे खुतबा नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि यह सहीह है कि उसकी आवाज़ अवरत है। वो हज के दौरान मेस्ट पहनती है। औरत को जनाजे में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वो मुरतद बन भी जाये तो उसे न मारा जाए। वो हद (एक सज़ा) या किसान (जिसके बारे में सआदते अबदिया के छठे एडिशन के 10 से 15वें बाब में बयान है।) की अदालत में गवाह नहीं बन सकती। उसे मस्जिद में इतिकाफ कतई नहीं करना [इतिकाफ के लिए सआदते अबदिया का चौथे एडिशन का नौवां बाब देखें] उसके लिए अपने हाथ पैर हिना (मेहन्दी) से रंगना जायज़ है। [पर उसे नाखूनों पर पालिश नहीं करनी चाहिए।] वो कुछ मामले जैसे विरासत, गवाही और नफाका [सआदते अबदिया के छठे एडिशन का आठवां बाब देखें] देने में मर्द की आधी है। एक मुहासिना औरत अदालत में नहीं बुलाई जाती। वकील या उसके किसी बन्दे को उसके घर जाना पड़ता है। (एक मुहासिना या मुहासीन औरत वो है जो शादी शुदा और पाकसाज़ हो। सआदते अबदिया के छठे एडिशन के 10वें बाब के 5वें और छठे पैराग्राफ पढ़ें और हद कज़फ के लिए उनवान के नीचे का भी पैराग्राफ पढ़ें।) एक जवान औरत किसी नामहरम मर्द को सलाम नहीं करती या किसी ग़मगीन नामहरम मर्द को तसल्ली देना या किसी के छींकने के (अलहमुदिलिल्लाह कहने के बाद) वाद कुछ कहना या किसी नामहरम मर्द के

कहने पर उसे कुबूल करना। वो किसी कमरे में नामहरम मर्द के साथ नहीं रह सकती। यहाँ हम हमावी का तर्जुमा ख़त्म करते हैं।

कज़ा-ए-उला (नमाज़ की पहली बैठक) में बैठना वाजिब है। कज़ा-ए-उला आख़िरा (नमाज़ की आख़िरी बैठक) में बैठना फ़र्ज़ है। बैठे हुए हुआ तेहिyyात पढ़ना वाजिब है।

सवालात पढ़ना सुन्नत है सिर्फ़ नमाज़ की आख़िरी बैठक में जोकि फ़र्ज़ है और वो जो वाजिब है और जुहर की नमाज़ के पहले की सुन्नतों में और जुमे की नमाज़ की शुरू और बाद की सुन्नतों में भी। और दोनों बैठकों में बाकी नमाज़ों के [जैसे चार रकअत सुन्नत असर और रात की नमाज़ों के]। सलाम कहना वाजिब है (यानि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह) (दोनों तरफ़ सिर घुमा कर सलाम पढ़ना) सलाम फेरते वक़्त दोनों कंधों को देखना सुन्नत है। और तवज्जो के साथ देखना मुस्तहब है।

नमाज़ की कुबूलियत और सहीह होने की शर्तें [तुम्हारा हराम से बचना] है खुशू और तकवा और मालायानी और तरक-ए-केसल और इब्दाद को रोकना। खुशू के मायने है अल्लाह तआला का डर; तकवा का मतलब अपने नौ आजूओं (जिस्म के हिस्से) को हराम और मकरूह से बचाना, मालायानी को रोकने से मुराद उन बातों से है जो न दुनिया और न आख़िरत में फायदा पहुँचाती हैं; तरक-ए-केसल के मायने है नमाज़ की हरकतों को समझने में हिचकिचाहट दिखाना; इब्दाद के मायने उन चीज़ों को न करना जो तुम करते आये हो और नमाज़ के लिए जल्दी करना जब तुम अज़ाने मुहम्मदी सुनों और उसके साथ बरकरारी रखना।

नमाज़ के मायने है पढ़ने में खुलूस रखना [जिसका मतलब है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ना] तपक्कुर का मतलब दूसरे मसलों को न

सोचना नमाज़ में, ख़ौफ़ का मतलब अल्लाह का डर; रोज़ा के मायने हैं अल्लाह तआला को राज़ी करने की उम्मीद; रूयातल तफ़सीर मतलब अपने आपको कमतर समझना; मुजाहदा मतलब अपनी नफ़्स और शैतान से लड़ना।

जब अज़ाने मुहम्मदी पढ़ी जाए तो तुम सोचो जैसे इसाफ़ील 'अलैहिस्सलाम' सूर फूंक रहे हो; जब तुम वुजू के लिए खड़े हो तो सोचो जैसे तुम आख़िरत के दिन अपनी कब्रों से खड़े हो रहे हो, जब मस्जिद के लिए जाओ तो सोचो जैसे महशर के मैदान में जा रहे हो; जब मुअज़्ज़िन इक़ामत कहे और लोग सफ़हों में खड़े हो जाए तो सोचो जैसे 120 बड़ी सफ़हे खड़ी हैं महशर के मैदान में, उनमें से 80 लाईनें हमारे नबी की उम्मत की होगी और 40 बाकी नबियों की। उसके बाद तुम इमाम के पीछे हो और इमाम सूरह फ़ातिहा कहना शुरू करता है तब तुम सोचो की तुम्हारे सीधे हाथ पर जन्नत, उल्टे पर दोज़ख़ है और इज़राईल 'अलैहिस्सलाम' तुम्हारे पीछे है और बैतुल्लाह तुम्हारे उल्टे और कब्र तुमसे पहले है और पुल सिरात तुम्हारे पैरों के नीचे। अगर (महशर की जगह) तुम्हारी पूछताछ आसानी से हो जाती है तो तुमको ज़रूर ही सोचना होगा, अगर तुम्हारी इबादत सर पे ताज पहना देती है, आख़िरत के सफ़र में तुम्हारे साथ साथी होगा, और तुम्हारी कब्र में रोशनी होगी या फिर यह तुम्हारे दाँतों में एक पुराने चीथड़े की तरह ख़तरा बन जाएगा।

*ओ, तू दुनिया, तमाम बदगुमान तेरा नफ़ा है, और तू बहुत नीच है!
मौत की आंधी ने तेरे तमाम शोभा के नाम में प्रस्ताव्ये को तबाह कर दिया है।*

अज़ान-ए-मुहम्मदी

निम्नलिखित भाग हक़दार किताब **दूर-उल-मुख़्तार** किताब से तर्जुमा किया गया और इसकी कमेंटरी हक़दार **इब्ने आबिदीन** से:

एक तख़्ख़वी इख़्तियार मुसलमान उन ख़्वास अलफ़ाज़ों की तिलावत करता है जोकि इस्लाम की तालीमियत के तरीकों वाली किताब से सिखाए गए हैं और तख़्ख़वी इख़्तियार मुसलमान के ज़रिए पढ़ी गई अज़ान **अज़ान-ए-मुहम्मदी** कहलाती है। दूसरे अलफ़ाज़ों में वह शख्स जो अज़ान पढ़ने जा रहा है उसे चाहिए के मिनार पर चढ़े और खड़े हो के अरबी अलफ़ाज़ों की तिलावत करे। वह अज़ान नहीं होगी जिसके संस्करणों को किसी दूसरी ज़वान में पढ़ा जाए जबकि चाहे उनके मतलबों से वाकिफ हो। अज़ान पढ़ने का मकसद रोज़ाना की पाँचों इबादत (जिसे नमाज़ कहते हैं) के वक़्त का ऐलान करना है। यह मर्द के लिए सुन्नत मुअक्कद है कि वह मस्जिद के बाहर किसी ऊँचे चबूतरे पे चढ़ के अज़ान पढ़े। औरत के लिए अज़ान या इक़ामत पढ़ना मकरूह है। और उनको अपनी आवाज़ को किसी (ना-महरम) मर्द को सुनाना हराम है।

मोअज़ज़न (यानि वह शख्स जो अज़ान पढ़ाने जा रहा है,) उसे मस्जिद के बाहर ऊँचे चबूतरे पे चढ़ना होगा और अज़ान को इतनी ऊँची आवाज़ से पढ़ना होगा जितना की पड़ोसियों तक उसकी आवाज़ पहुँच जाए इसके लिए यह जाइज़ नहीं है के बहुत तेज़ चिल्लाए। जैसे कि ये, “**ऐक़बेर** (या अक़वर)” कहता है, यह या तो इसके आख़िर जेज़्म (या जज़्म) की सूरत में ठहराव ले सकता है या (अरबी लिपी की आवाज़ में एक ‘आ’ को आवाज़ में दिखा सकता है जिसे उसतून कहते हैं। इसी तरह पढ़ते हुए लगातार रख सकता है। यह अरबी लिपी में यू को आवाज़ में दिखाते हुए नहीं पढ़ता जिसे ओइतरा कहते हैं। यह हलाल नहीं है कि इसमें आवाज़ी बिंदू लगाए या इसकी आवाज़ को बढ़ाए या इसको ध्वन्यात्मक लम्बा कर दे या इसको गाने की धुन में पढ़े, या इस तरह के बदहाल ग़ैर इस्तेमाल लायक़ को सुने। नमाज़ के दौरान अपना सर सीधी तरफ़ और उल्टी तरफ़ मोड़ना सुन्नत है और क्रमानुसार ‘सलात’ और ‘फ़लाह’ पढ़ी जा रही हो। पैर और सीना क़िल्बे के रूख़ से दूर ना हटे अज़ान के दौरान या यह मीनार से पढ़ी गई हो; और इस बीच (करार

अज्ञान देने वाला) मोअज़्ज़न मिनार के घिराव बरामदे में मुड़ता है। सबसे पहली मिनार हज़रत मुआवीया ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हा’ (19 B.H. - 60 [680 A.D.]) के हुक्म पे बनी थी। वहाँ पे रसूलुल्लाह की मस्जिद पे चबूतरा बनाया गया था। विलाल हवाशी ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हा’ (d. 20 A.H. डमसकस) ने इसकी तामीर की थी, अज्ञान देने के लिए। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने विलाल को हुक्म दिया (अज्ञान पढ़ने के दौरान) अपनी उंगलियों को कानों पे रखने का। अज्ञान के दौरान बातचीत अज्ञान को दुबारा अदाएगी करने पे मजबूर करती है। यह जाइज़ है कि एक शख्स से ज़्यादा लोग अगर साथ मिलकर अज्ञान पढ़े हालांकि, अज्ञान सही नहीं होगी अगर उनमें से किसी एक शख्स के ज़रिए बोले गए अलफ़ाज़ दूसरे लोगों के ज़रिए नहीं बोले गए। बैठ कर अज्ञान पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मोअज़्ज़न के लिए सालिह मुसलमान होना सुन्नत है। और अज्ञान के दौरान के सुन्नती काम जानना व अज्ञान के वक़्त जानना, रोज़ाना स्थिरता से व लगातार अज्ञान देना, और यह सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना नाकि पैसों के लिए। हालांकि, यह जाइज़ होगा के उसे वज़ीफ़ा दिया जाए और वह इसे कुबूले। कम उम्र व बालिगी की उम्र से पहले बच्चे की दी गई अज्ञान सही नहीं होगी। इसकी आवाज़ चिड़िया के गाने के समान होगी या एक आवाज़ जोकि किसी गाने बनाने वाली चीज़ से निकाली गई हो। [उस मसले के लिए, अज्ञान या इक़ामत लाउड स्पीकर के ज़रिए पढ़ी हुई सही नहीं होगी। किसी फ़ासिख़ शख्स के ज़रिए पढ़ी गई अज्ञान अस्थिर होगी। और जमात में इमाम के ज़रिए पढ़ी तकवीर उस फ़ासिख़ शख्स का दोहराना अस्थिर होगा। इसके लिए अज्ञान पढ़ना मकरूह है। यह बहुत ज़रूरी है के मोअज़्ज़न अज्ञान के मुक़र्रर वक़्त को जानने के बाद अज्ञान की शुरूआत करे और दूसरे मुसलमानों को नमाज़ को मुक़र्रर वक़्त पे अदा करने को जानना चाहिए, अगर कोई मुसलमान नमाज़ का वक़्त शुरू होने से पहले ही ग़ैर मुक़र्रर तौर पर नमाज़ की अदाएगी शुरू कर दे। जो नमाज़ यह पढ़ता है

सही नहीं होगी। हालांकि की अगर बाद में यह पता चलता है कि अदा की गई सही नहीं होगी। कलेंडर के सहीपन के मुताल्लिक होने के लिए (एक देश की मिआद) दार-उल-हर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। उस मुसलमान शख्स से ज़रूर पूछना चाहिए जिसका ईमान सालिह है व सीख़ा हुआ है और इससे सच्चाई सीख़नी चाहिए।] मान लीजिए अज़ान एक साथ कई जगह (हकीकी सुन्नत तरीके से) पढ़ी गई और तुमने वह सब सुनी; तुम्हें सिर्फ पहली वाली अज़ान दोहरानी चाहिए जो तुमने सुनी और अगर यह उस मस्जिद से है जहाँ तुम रोज़ाना की नमाज़ अदा करते आ रहे हो, तुम्हें वहाँ जमात के लिए जाना चाहिए। अगर तुम कुरानुल करीम पढ़ रहे हो तो इसके बाद तुम्हें इसे दोहराना चाहिए। अगर तुम जमात में नमाज़ पढ़ रहे हो शौचालय में हो या खाना खा रहे हो या अगर मस्जिद में या मज़हबी इल्म सीख़ रहे या सिख़ा रहे हो तो तुम्हें इसको दोहराना नहीं होगा। एक अज़ान जो अरबी ज़बान के सिवाए पढ़ी जा रही है या इस तरह की उसकी आवाज़ बिल्कुल गाने बजाने की तरह लग रही है सुन्नत का उल्लंघन है। किसी शख्स के लिए यह मुस्तहिब है कि वह जब अज़ान होते हुए सुने तो बैठे से खड़े हो जाए या अगर यह चल रहा हो तो चलते हुए रुक जाए। यह निम्नानुसार कसमों से निपटने में कसमे विषय के साथ फरमाया गया है: (मुसलमान) हुक्मत के लिए हर एक क्वार्टर में मस्जिद की तामीर करना वाजिब है। मस्जिदे बेत-उल-माल के पैसे से तामीर कि जाती है। अगर हुक्मत कोई मस्जिद नहीं बनाती तो मुसलमानों को मस्जिद का तामीर करना वाजिब है।

[जैसे की यह देखा जाता है, अगर इस्लाम का पालन हुआ और शहर के हर एक क्वार्टर में मस्जिद की तामीर हुई, अज़ान हर शहर में होगी और हर एक अपने क्वार्टर में अज़ान होती हुई सुनेगा। फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी कि मोअज़ज़न बहुत तेज़ चिल्लाए या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करे। लाउड स्पीकर विद्वत है जो अज़ान की सुन्नतों के उल्लंघन की वजह बनती है। यह इन

सुन्तों की खूबसूरती खोने की वजह बनती है। यही वजह है कि सात सौ पन्द्रहवें लेख और 37वां संकल्प एक कमीशन के साथ मज़हबी कामों की पढ़ाई को (तुर्की में) 1.12.1954 में मज़हबी मामलातों के विदेशालय के आदेश पे मंज़ूर कर लिया गया, निम्नानुसार पढ़े: “(मस्जिद में) मिनारों पे लाउड स्पीकरों की किश्त ख़ास तौर पर मना है। अगर जमात (मुसलमानों का समूह जमाअत में नमाज़ पढ़ाने वालों) में इमाम की तक्वीर सुनी जाए तो यह बहुत अच्छा होगा, फिर कोई एक मोअज़्ज़न और/या शख्स जो दूर है वह इमाम की आवाज़ दूसरों तक पहुँचा सकता है।” यह हक़दार किताब **अल-फ़िख-उ-अलल मज़ाहिब-उल-अरबा’अ** में सज़्दा-ए-तिलावत के व्यवहार के बाब में लम्बाई से समझाया गया है और **सआदते अबदिया** के आख़िरी आधे के 16वें बाब की चौथी पृथिका में भी के कुरानुल करीम पढ़ा गया या (उसकी तिलावत की गई) या रेडियो पे अज़ान पढ़ी गई या उसपे टैप रखा लाउड स्पीकर के ज़रिए अदा की गई आवाज़ को आदम की नहीं माना जाएगा, वह उस अज़ान देने वाले की सक्रीय चुंबकिये और बिजली के उपकरणों के ज़रिए बनाई हुई एक आला आवाज़ है, और वह उस शख्स की आवाज़ जैसी हो सकती है हालांकि यह आदम की असली आवाज़ नहीं है जोकि उत्पादित की वजाहें होती है। इस्लाम के ज़रिए **अज़ान-ए-मुहम्मदी** के आवाज़ एक सालिह मुसलमान की होनी चाहिए। वह आवाज़ जो किसी पाईप से बाहर निकल रही है वह अज़ान नहीं है। एलमली के हामिद ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ अफेन्दी, एक समकालीन इस्लामिक उलेमा, अपनी तफसीर की किताब के तीसरे खंड के तेइस्सो इकसठवें सफे पे निम्नानुसार फरमाते हैं: [जैसे की यह देखा जाता है। सुनने और ख़ामोशी के मुताल्लिक हुक्मात किरात मौजूदा तौर पर बनाए गए, जोकि एक भाषाई गतिविधी में बदलता है और बताए जोड़बंदी जगहों को नज़र में रखते हुए इरादे और समझ के साथ व्यक्त। असलियत में जबकि जिबराईल(यानि महादूत जिबराईल) के ज़रिए किए गए कर्म, (कुरानुल करीम को मुहम्मद

‘अलैहिस्सलाम’ के इलहाम का दौरान) (मुबारक नबी) किरात अदा करने का कर्म था, बजाए खुदी में किरात अदा करने को। (अल्लाह तआला के ज़रिए से) किया हुआ नेक काम, दूसरे हाथ वह तनज़ील (इलहाम) का कर्म था और किरात (के कर्म) की तज़लीक़। इसीलिए आवाज़ जो बददिमागी से हो रही है किरात नहीं कहलाई जा सकती, और ना ही हमें ऐसी आवाज़ कहनी चाहिए जो किरात की जगह से परिलक्षित हुई। यह उस मसले के लिए था जोकि फुकाहा है, (यानि वह इस्लामिक उलेमा जो इस्लाम की शाखा में एहम वा सांइसी शाखा के **फिकह** करार,) ने फरमाया के कोई किरात की गूँज होती हुई किरात नहीं कही जाएगी और यह किसी अदाएगी में ज़रूरी नहीं होगी, जैसे की सज़्दे की अदाएगी करार तिलावत, [बराए मेहरबानी **सआदते अबदिया** की चौथी पूलिका के बाद के हिस्से का 16वां बाब देखें।] जो मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है जो पढ़ता या तिलावत सुनता है सज़्दे की किसी आयत को किसी ख़ास किताब से की हुई सम्पूर्ण रची पढ़ाई किरात की गतिविधि नहीं है, इसी तरह, किसी आवाज़ की गुनगुनाहट गूँज को सुनना या जो किसी चीज़ के ज़रिए बनाई जा रही हो (जैसे की कोई गाने बजाने का यंत्र) बजना किरात की गतिविधि को सही से ना सुनना है। इसीलिए, आवाज़, या ध्वनि किसी रिकॉर्ड प्लेयर या रेडियो (या फिर कोई टेलीविज़न व डी.वी.डी प्लेयर) कुरानुल करीम पढ़ते या तिलावत करते हुए किसी आदमी की आवाज़ को असर करना। यह गूँज है और किरात का उत्पादित करना है, ना की अपने आप में किरात, और इसीलिए यह सुनवाई और ख़ामोशी नहीं बनाता जोकि (मुसलमान पे लाज़िम है जो इसे सुनता है) दूसरे अलफ़ाज़ों में, कुरानुल करीम की (आयतों में) जोकि वाजिब (लाज़िम) है उनको चुपचाप से सुनना जिसकी तिलावत किरात के कर्म में कि जा रही है, ना की आयतों की (ध्वनियाँ) जो बजाई जा रही है, अभी तक सच है के इसको सुनना वाजिब का काम या मुस्तहिब नहीं है कोई भी हल नहीं निकालना चाहिए के इसको सुनना जाइज़ नहीं है या इसको ना सुनना

वाजिव है, कुरानुल करीम की आयते करीमा (रेडियो वगैराह) पे बजाना और कुरानुल करीम से आयतों को सुनना और तरीके से बजाना दो अलग गतिविधियाँ हैं। यह ज़ाहिर है कि (रेडियो वगैराह) पे कुरानुल करीम की आयतों को बजाना मुनासिब नहीं है या इसको संगीत के तौर पर देना। हकीकत में, कुरानुल करीम को पढ़ना या तिलावत करना एक कुरबत का काम है, [बराए मेहरबानी सआदते अबदिया की पहली पूलिका का पहले बाब का 13वां पैरा देखें।] यह एक गुनेहगारी का काम है के गलत जगहों पर इबादत करना। हालांकि यह गलती का काम (कुछ लोगों के ज़रिए) होता है, इसे ना सुनना बजाए इसे सुनने के एक दूसरी गलती का काम होगा। मिसाल के तौर पर किरात अदा करना गुनाह का काम है, (यानि कुरानुल करीम) को सार्वजनिक स्नान की जगह पढ़ना या तिलावत करना। मगर इसे (दूसरों के ज़रिए) अदा करवाने से यह कोई सबाब (आख़िरत में ईनाम) नहीं कमायेगा इसे ना सुनना, या तो कुछ टोकन के ज़रिए, यह पहले से ही अनिश्चित अनुमान है के कुरानुल करीम की अदाएगी में किरात की गूँज को सुनना पाबंदी नहीं है या यह ज़्यादातर हूबहू उत्पादत ही है किसी रिकोर्ड प्लेयर का बजता हुआ होना या रेडियो पे प्रसारण होता हुआ, इसे ना सुनने के जाली कर्तव्य के तनाव में नहीं आना चाहिए। यह किसी किरात से मिलता जुलता है, हालांकि यह अपने आप में किरात नहीं है। यह कलाम-ए-नफसी के सूचक की तरह है। (यानि अल्लाहु तआला का अलफ़ाज़) इसीलिए, हालांकि यह वाजिव या मुस्तहिब नहीं है जैसे की किरात की ख़ुदी को सुनना। यह सिर्फ़ जाइज़ ही नहीं, बल्कि सराहनिय भी है: असलियत में, इसका असम्मान करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। उस तरह की कोई हालत किसी के लिए बराबर है जिसमें कोई मुसलमान कुरानुल करीम का कोई सफ़ा किसी जगह पड़े हुए देखता है, (यानि पाक चीज़) और उस मसले में उसकी आला इज़्ज़त के लिए यह इसका फ़र्ज़ होगा के उसको

उठाए और उसकी पाकिज़गी के लिए किसी मुनासिब जगह रखे बजाए नज़र अंदाज़ करके आगे बढ़ने से।”]

यह फिक्र की बहुत सी किताबों में लिखा है, मिसाल के तौर पर **कादीखानः** “अज़ान को पढ़ना सुन्नत का काम है। क्योंकि यह इस्लामी मज़हब की एक ख़ुसूसियत अलामत है, अगर किसी ख़ास शहर या क्वार्टर के निवासी अज़ान नहीं पढ़ते, तो हुक्मात को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करना चाहिए। कोई मोहज़ज़ीन, (यानि वह मुसलमान जिसका काम अज़ान पढ़ना है) उसे क़िल्ले का ख़ूब और रोज़ाना की पाँचों नमाज़ों का वक़्त पता होना चाहिए। इसे पढ़ना सुन्नत है (यानि अज़ान को) ख़ड़ी स्थिती के साथ क़िल्ले के ख़ूब की तरफ़ शुरूआत से आख़िर तक पढ़ना। अज़ान पढ़ाने का मक़सद लोगों को रोज़ाना की पाँचों वक़्त की नमाज़ और इफ़तार के वक़्त का (यानि, वह वक़्त जब मुसलमान रोज़ा खोलते हैं।) के वक़्त के बारे में इकतला करना है। कोई शख्स जो नमाज़ के वक़्त नहीं जानता या किसी फ़ासिख़ का अज़ान पढ़ना फितने की वजाहें होती है। यह एक नासमझ बच्चे या किसी शराब पिये हुए या किसी दिमागी हालत के ख़राब शख्स से या कोई जुनूब शख्स या औरत का अज़ान पढ़ना मकरूह है। इस तरह के मसले में मोअज़ज़न के ज़रिए अज़ान दुबारा पढ़ी जाएगी। [मवलीद को अदा करने से बहुत सारा सवाब मिलता है और या किसी जगह पर मवलीद को सुनने के मक़सद से जाने से। औरत के लिए किसी भी तरह अपनी आवाज़ मवलीद पढ़ने के दौरान या अज़ान या गाने के ज़रिए या ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बोलने पर अपनी आवाज़ किसी नामहरम मर्द को सुनाना हराम है। और नामहरम मर्द के लिए उसे सुनना। कोई औरत (जो इस तरह की इबादत करने वाली है) उसे सिर्फ़ औरतों के बीच करनी चाहिए, और इसे बिल्कुल भी अपनी आवाज़ टेप या रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए और उसे ना ही अपनी आवाज़ को रेडियो या टेलीविज़न पे प्रसारित करना चाहिए।] हालांकि यह मर्द के लिए भी मकरूह है वहाँ बैठना या बिना किसी

वुजू के या किसी शख्स को जानवर पे सवारी (जैसे की घोड़ा) किसी शहरी क्षेत्र में अज़ान पढ़ना, या उनमें से किसी के ज़रिए पढ़ी गई अज़ान को दुबारा नहीं पढ़ना होगा। अज़ान जोकि किसी मिनार पे पढ़ी जाती है या (कहीं सीधे) मस्जिद के बाहर। यह मस्जिद में नहीं पढ़ी जानी चाहिए। इसे तेलहीन में पढ़ना मकरूह है, यानि मधुर स्वर में पढ़ना और अक्षरों को लम्बा खींचना ऐसे की अलफ़ाज़ बिगड़ जाए। अज़ान अरबी के अलावा किसी और ज़बान में नहीं पढ़ी जानी चाहिए।” यह **फतवा-ए-हिन्दीया** नामित किताब में फरमाया गया है: मोअज़ज़न के लिए बहुत ज़्यादा चिल्लाना हल्ता इतना के अपने आप को थका देना मकरूह है (जैसे की यह अज़ान पढ़ता है) **इब्नी आबिदीन** ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला फरमाते है: “मोअज़ज़न के लिए यह सुन्नत है कि अज़ान पढ़ाने के लिए किसी ऊँची जगह पढ़े ताकि दूर की जगहों के लोगों तक आवाज़ पहुँच जाए। एक मोअज़ज़न से ज़्यादा मोअज़ज़नों का एक साथ अज़ान पढ़ना जायज़ है,” जैसे की यह उलेमाओं की राहों से समझा जाता है, के अज़ान का या इकामत का या (जमात में) नमाज़ पढ़ाना लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से बिदत है, और बिदत करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस शरीफ बताती है: **“अगर कोई शख्स बिदत करता है, इसका कोई भी इबादत का काम कुबूल होने लायक नहीं होगा,”** हालांकि लाउड स्पीकर के ज़रिए से सुनी आवाज़ इन्सान की आवाज़ से बहुत मिलती जुलती होती है, यह अपने आप में इन्सान की आवाज़ नहीं है। यह एक ध्वनि है जो टुकड़ों-टुकड़ों में चुम्बकत्व के ज़रिए आगे बढ़ती है। यह वह आवाज़ नहीं है जोकि शख्स चबुतरे पे खड़े होकर देता है। गुनाह दो गुना बढ़ जाते है जब वह अपने सीधी, उल्टी तरफ या मिनार या छत पे पीछे की तरफ खड़ा देते है, तो वह आवाज़ किल्ले के खूब में नहीं आती। दूसरे हाथ यह ज़रूरी नहीं है, के आवाज़ दूर वाली जगहों तक जाए या हम लाउड स्पीकर पे एकटक धात्विक चिल्लाए इसलिए यह वाजिब है कि हर क्वार्टर में एक मस्जिद बने, इसलिए अज़ान सभी क्वार्टर में पढ़ी जाएगी और

क्वार्टर की अज्ञान तमाम निवासियों के ज़रिए सुनी जाएगी। इसके अलावा, **अज्ञान-ए-जावक** कुछ जायज़ है। एक मोअज़्ज़न से ज़्यादा लोगों का एक साथ अज्ञान पढ़ना **अज्ञान-ए-जावक** कहलाता है। इन्सान की एक मर्मिक आवाज़ अफर से सुनी जाएगी ताज़े लोगों का ईमान, दिल और रूह खिसकेगा। [मोअज़्ज़न अज्ञान अदा करता है और इमाम किरात अपनी कुदरती आवाज़ों में इतनी ऊँची के मस्जिद के आस-पास के लोगों के ज़रिए सुनी जाए और इसी तरह से मस्जिद के अन्दर जमात में, इनके लिए यह मकरूह है कि अपनी आवाज़ को इतना खींचना के अफर से सुनी जाए। किसी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल निरर्थक व्यपार भी दिखता है।] मुख़तसर तौर पर, वह आवाज़ जो हार्न जिसे लाउड स्पीकर कहते हैं से आती है वह अज्ञान नहीं है। **अज्ञान-ए-मुहम्मदी** वह है जो मोअज़्ज़न के मुँह से आती है। एक हदीस शरीफ हक़दार किताब **हिलया-त-उल-औलिया** में फरमाई गई और इस्लाम के महान आलिम के ज़रिए लिखी गई जिनका नाम अबू नुयम इसफाहनी (अहमद बिन अब्दुल्लाह) ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ (336 [948 A.D.] - 430 [1039]) निम्नानुसार पढ़ते हैं: “अज्ञान की आवाज़ जो की किसी संगीती यंत्र से आती है वह शैतान की आवाज़ है। वह लोग जो अज्ञान को अदा करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं शैतान मोअज़्ज़न है।”

निम्नानुसार हदीस-शरीफ में फरमाया गया है: “जैसे ही कयामत का दिन कुरानुल करीम के नज़दीक आएगा तो वह मिज़मारों के ज़रिए पढ़ा जाएगा और या तिलावत की जाएगी। इसकी पढ़ाई (या तिलावत) अल्लाह के रहम के लिए नहीं होगी बल्कि खुशी के लिए। “बहुत सारे लोग हैं जो कुरानुल करीम की तिलावत करते हैं, मगर कुरानुल करीम उनकी निंदा करता है।” “एक वक़्त आएगा जब मोअज़्ज़न मुसलमानों के माध्य होंगे।” “एक वक़्त आएगा जब कुरानुल करीम मिज़मारों के ज़रिए पढ़ा जाएगा। (जो ऐसा करते हैं) अल्लाहु तआला उन लोगों की निंदा करेंगे।” मिज़मार मतलब संगीती यंत्रों

और पाइपों की तमाम तराहियतें। लाउड स्पीकर मिज़मार है, मोअज़्ज़नों को भी इन हदीस शरीफों से डरना चाहिए और (इबादत के कामों) को लाउड स्पीकर के ज़रिए अदा करने से नज़र अंदाज़ करना चाहिए। कुछ मज़हबी आशक्षित लोग दावा करते हैं की लाउड स्पीकर इस्तेमाल लायक है क्योंकि यह आवाज़ों को दूर जगहों तक पहुँचाता है। हमारे नबी ने फरमाया: “इबादत के कर्म इस तरह अदा करो जैसे की तुम मुझे और मेरे सहाबाओं को अदा करते हुए देखते हो! वह लोग जो इबादत के कर्मों को बदलते हैं उन्हें अहल-ए-विद्वत कहा जाता है (विद्वती लोग, जिन्होंने विद्वत अपनाई)। विद्वत को अपनाने वाले लोग पक्का ही दोज़ख में जाएंगे। उनका कोई भी इबादत का काम कुबूल नहीं होगा।” यह कहना सही नहीं है के, “हम इबादत के कर्मों में इस्तेमाल लायक चीज़ें जोड़ रहे हैं।” इस तरह के बयानात मज़हबी दुश्मनों के ज़रिए झूठ है। वस इस्लामी उलेमा, जानते हैं कि कहाँ कोई बदलाव इस्तेमाल लायक होगा। इन महान उलेमाओं को मुजताहिद कहा जाता है। मुजताहिद अपने आप से कोई बदलाव नहीं करते। वह जानते हैं कुछ अतिरिक्त या बदलाव विद्वत होगा, यह आम राय है कि ‘मिज़मार’ के ज़रिए अज़ान पढ़ना विद्वत है यह किसी शख्स का दिल है जो उसे अल्लाह तआला का रहम और प्यार हासिल कराता है। जन्म से ही दिल एक साफ आईने की तरह है। इबादत के कर्म इसकी पवित्रता बढ़ाते हैं और चमकाते हैं। गुनाह और विद्वतें दिल को सिया कर देती हैं ताकि यह फयाज़े और नूर जोकि इसपे प्यार की राह के ज़रिए आते हैं को ज़्यादा दूर तक हासिल ना कर सके। सालिह मुसलमान मरने की इस हालत को एहसास करते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। वह गुनाह करना नहीं चाहते, वह इबादत के ज़्यादा कर्म अदा करना चाहते हैं। रोज़ाना की पाँच वक़्त की नमाज़ों को अदा करने के अलावा, वह ख़्वाहिश करते हैं कि वह ज़्यादा अदा कर पाते। इन्सानी नफ्स गुनाह करना पसंद करता है; यह ऐसा कुछ महसूस कराती है कि ये इस्तेमाल लायक है। तमाम विद्वतें और गुनाह इन्सानी नफ्स का पोषण

और पक्का कर देते हैं। जोकि अल्लाह तआला के दुश्मन है। इसका एक उदाहरण लाउड स्पीकर वाली अज्ञान है। रऊफ अहमद, 'अब्दुल्लाह देहलवी के एक वारिस, निम्नानुसार दुर्-उल-माआरिफ की प्रस्तावना में फरमाते हैं: "कुरानुल करीम की तिलावत लाउड स्पीकर के ज़रिए करना हराम है या इबादत के ज़रिए अदा करना जिसे मिज़मार कहते हैं। इसकी एक मिसाल लाउड स्पीकर के ज़रिए अज्ञान देना है।

[यह निम्नानुसार शाफी किताबों में फरमाया गया है हकदार अल-मुकाद्दीमा-त-उल-हदरमीया (अब्दुल्लाह बिन अबद-उर-रहमान) और अल-अनवार-ली अमाल-इल-अबरार (यूसुफ अरदेबीली d. 799 अ।ज। के ज़रिए): "शाफी मज़हब में सही रहने के लिए, उस इमाम के लिए एक काम जो (जमात में नमाज़ पढ़ा रहा है।) (एक ख़ास मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई जाए) किसी मुसलमान के ज़रिए जो उस मस्जिद से बाहर है, तीन हालात होंगे जोकि पूरे किए जाए: 1) उसको (इस हालत में होना होगा के) इमाम को देख पाए; 2) उसको इमाम को सुनना होगा; 3) वहाँ तीन सौ ज़रा ($300 \times 0.42 = 126$ मीटर) से ज़्यादा दूरी ना हो इसके और (जमात के) सबसे पिछली लाइन के बीच। ना ही हनफी मज़हब और ना ही शाफी मज़हब में वह नमाज़ सही है जो दूर इमाम को देखते और या सुनते हुए अदा कि जा रही है, और जोकि टी.वी पे देखा जा रहा है। यह बिद्दत का काम है के इबादत के कर्मों में ऐसे तरीकों को जोड़ना जो की सलाफ-ए-सालिहीन के वक़्त के दौरान ताल्लुक नहीं रखते थे। जैसे की यह निसा सूरा की 104वीं आयत-ए-करीमा से समझा जाता है लोग जो बिद्दत की कोशिश करते हैं जैसे कि अज्ञान, नमाज़ में रेडियो, टी.वी और लाउड स्पीकरों के साथ, वह दोज़ख़ में जाएंगे। वह अज्ञान जो लाउड स्पीकरों या रेडियो में सुनी जाती है वह अपने आप में अज्ञान नहीं है, लेकिन यह इससे बहुत मिलती जुलती है। कुछ उपलक्ष्यों के ज़रिए, किसी शख्स की

शीशे या फोटो पे नज़र इसकी खुदी को नहीं दर्शाती, लेकिन दुरुस्ती दिखने के बावजूद यह बहुत मिलती जुलती है।]

नमाज़ के वाजिबात: हनफी मज़हब में नमाज़ के वाजिबात निम्नानुसार हैं: “सुब्हानाका...” पढ़ने के बाद फिर कुछ ना पढ़ना (जब तुम जमात में नमाज़ पढ़ रहे हो) इमाम के पीछे, इमाम के लिए (जब वह जमात में नमाज़ पढ़ा रहा है।) और किसी शख्स के लिए जो अपनी नमाज़ पढ़ रहा हो, सूरा का कहना जिसे फातिहा शरीफ कहते हैं नमाज़ की दोनों रकातों में से (किसी) एक पे जोकि फर्ज़ है और किसी दूसरी तरह की नमाज़ में हर रकात पे। एक अतिरिक्त सूरा कहना जिसे ज़म्मे-सूरा कहते हैं किसी नमाज़ की पहली दो रकातों में हर एक पे जोकि फर्ज़ और तीन या चार रकातों से ताल्लुक रखते हैं और किसी भी तरह की नमाज़ की हर एक रकात पे। फातिहा शरीफा को पहली दो रकातों में बाँटना तीन या चार रकातों की नमाज़ में। एक फर्ज़ से दूसरे फर्ज़ पे जाना। ज़म्मे-सूरा को पढ़ने से पहले फातिहा पढ़ना। कज़ा-ए-उला के लिए बैठना (बैठने का पहला आसन)। एक के बाद एक (दो) सज्दे करने। (करार इबादत का कहना) (बैठने के आखिरी आसन में) कज़ा-ए-आखिरा के दौरान तेहीय्यात। सलाम फैर के नमाज़ को मुकम्मल करना, (यानि “अस्सलाम अलैयकुम वा रहमतुल्लाह का कहना”) सलात-ए-वितर के दौरान कुनुत दुआ का पढ़ना। ईद की नमाज़ की अदाएगी के दौरान। अतिरिक्त तकवीरें पढ़ाना। वह दुआएँ पढ़ना (जो नमाज़ के दौरान पढ़नी चाहिए) इकाहफा के साथ, (यानि ज़वान दबाकर कहना) जिस पर उन्हे इकाहफा के साथ कहनी होगी और जेहर का साथ, (यानि स्पष्ट रूप से) जिसपे उन्हे जेहर के साथ कहना होगा। नमाज़ के वक़्त तुम्हे तादील-ए-अरकान महसूस करना होगा, [जिसका मतलब जैसे के शुरूआती पाठ में समझाया गया है, तुम्हे एक घड़ी तक बिना हिले डुले रहना होगा इतना की तुम “सुब्हानाल्लाह” कह सको। रूकू और कवमा के दौरान, जिसका मतलब रूकू की हालत के बाद की

खड़ी हालत- और दो सज्दों और जलसा के दौरान -जिसका मतलब दो सज्दों के दरमियान बैठी हुई हालत) नमाज़ के दौरान यह स्तब्ध रूख़ तुमानीनत कहलाते है।] तिलावत का सज्दा करना अगर तुम नमाज़ के दौरान तिलावत की एक आयत कहते हो या (जमात में नमाज़) के दौरान तुम इमाम को कोई कहते हुए सुनते हो।(जब लाज़िम हो) सज्दा-ए-साह करना।(सज्दा-ए-तिलावत और सज्दा-ए-साह **सआदते अबदिया** की चौथी पूलिका के 16वें बाब में समझाए गए है) नमाज़ों में जो फ़र्ज़ और चार रक़ातों वाली होती है, तेहीय्यत दुआ पढ़ने के बाद एक दम खड़े हो जाना, क़ज़ा-ए-उला पे, सुस्ती के बग़ैर।तमाम मामलों में अपने आप को इमाम से मेल बिठाना।एक कौल के मुताबिक, फ़र्ज़ नमाज़ें जमात के साथ पढ़ना सिवाए उज़र की हालत में, (यानि इस्लाम के ज़रिए बताई गई सही वजह) जो तुम्हे ऐसा करने में बाधा डालती है।सारी तैइस नमाज़ों के बाद जो तुम सुबह की नमाज़ अराफ़ा के दिन से पढ़ते हो (जोकि कुरबानी की ईद से एक दिन पहले से लेकर) कुरबान की ईद के चौथे दिन की दोपहरी नमाज़ के बाद तक है (वह आख़िरी नमाज़ **तकबीरे-ए-तेशरीख़** में कहने के लिए शामिल है।जोकि **सआदते अबदिया** की चौथी पूलिका के 22वें बाब में समझाई गई है।)

नमाज़ की सुन्नतें: हनफी मज़हब में नमाज़ की सुन्नतें इस तरह है।

तकबीरे इफ़तिताह में (यानि वो तकबीर जो नमाज़ शुरू करते वक़्त पढ़ते है) और तकबीरे कुनूत (यानि ‘अल्लाहु अक़बर’ कहना नमाज़ की आख़िरी खड़े होने से पहले) में भी वित्र की नमाज़ में, मर्द का अपने हाथ कानों की लौ तक उठाना और औरत का कंधों की उँचाई तक दोनों के लिए हथेली क़िस्से की तरफ़ खोलना क़ियाम (खड़े होने की हालत) के दौरान उल्टे हाथ की कलाई को अंगूठे और छोटी उंगली से पकड़ना सीधे हाथ की।औरतें अपना सीधा हाथ उल्टे के उपर रखती है।मर्द हाथ नाभी के नीचे बांधता है और

औरतें छाती पर। हर नमाज़ की पहली रकअत में दुआ ‘सुब्हानका...,’ पढ़ना - इमाम के लिए भी जमाअत के शख्स के लिए भी और अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिए भी। इमाम और अकेले नमाज़ पढ़ने वाले शख्स के लिए सुब्हानका के वाद आउजु और विस्मिल्लाह पढ़ना पहली रकअत में। इसी तरह इमाम और अकेले पढ़ने वाले के लिए हर रकअत में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले विस्मिल्लाह पढ़ना। इमाम और उसके पीछे पढ़ रहे जमाअतियों के लिए सूरह फातिहा ख़त्म होने पर हल्के से आमीन कहना, जब इमाम “...वलद दवाल्लीन,” जोकि कुरान करीम की पहली सूरह का आख़िरी अलफ़ाज़ है और फातिहा है, और हर एक शख्स पर [जो शख्स अकेले नमाज़ पढ़ रहा हो], जब वो फातिहा पूरी पढ़ ले। तक्वीर कहना (यानि अल्लाहु अकबर) जब रूकू के लिए झुको कियाम से। अपने हाथ घुटनों पर उंगलियाँ खोल कर रखना। “सुब्हाना रब्बियल अज़ीम” रूकू में तीन बार कहना। रूकू में तुम्हारी कमर और सिर एक लाईन में रहना चाहिए। [कुछ कानून सिर्फ़ मर्दों के लिए है। हम चाहते हैं औरतें, औरतों की नमाज़ के मुताल्लिक सआदते अबदिया के चौथे एडिशन के 14वें वाब का आख़िरी पैराग्राफ़ पढ़ें।] इमाम (जो जमाअत में नमाज़ पढ़ा रहा हो) और अकेले नमाज़ पढ़ रहे शख्स के लिए रूकू से उठते वक़्त “समी अल्लाहु लिमन हमीदह” पढ़ना। मुसलमान जो जमाअत में नमाज़ पढ़ रहा हो या अपनी खुद की वो रूकू से खड़े होने के बाद “रब्बना लकल हमद” पढ़ना। कियाम से सज्दे में जाते वक़्त “अल्लाहु अकबर” कहना। सज्दे में ‘सुब्हाना रब्बियल आला’ कहना। पहले सज्दे से उठते हुए “अल्लाहु अकबर” कहना। दूसरे सज्दे में जाते वक़्त “अल्लाहु अकबर” कहना। सज्दे में उंगलियों का एक साथ रखना। सज्दे में मर्द के लिए घुटनों का ज़मीन पर रखना और जांघें एक दूसरे से दूर रखना और औरत के लिए दोनों जांघों को पेट के करीब लाना। दूसरे सज्दे से उठते वक़्त “अल्लाहु अकबर” कहना। आदमी को अपने उल्टे पैर पर बैठना चाहिए सीधा पैर खड़ा करके। कज़ा-ए-आख़िरा में सलावात

शरीफ पढ़ना। सलाम के लिए अपना सिर दांये बांये घुमाना। अतहिय्यात हालत में दोनों हाथ पैरों पर रखना और उंगलियों की नोकों को घुटनों की लाईन में रखना और उंगलियों को वैसे ही छोड़ देना। सज्दे में अपने हाथ और पैर के पंजों को किव्ले के रुख पर रखना और उसी वक़्त तुम्हारे हाथों का तुम्हारे कानों की सफ में होना। एक वक़्त में सज्दे में तुम्हारे सात जिस्म के हिस्सों का ज़मीन से लगना। फ़र्ज़ नमाज़ों में की जिसमें चार रकअतें हो उनमें से आख़िरी दो में सिर्फ़ सूरह फातिहा पढ़ना। जैसा सुन्नत-ए-शरीफ़ा में बयान है उस तरीक़े से अज़ाने मुहम्मदी पढ़ना। आदमी के लिए फ़र्ज़ नमाज़ से पहले इक़ामत पढ़ना, चाहे वो जमाअत में हो या अकेले।

नमाज़ के मुस्तहब: हनफी मज़हब के मुस्तहब इस तरह हैं:

जमाअत में जब मुअज़्ज़िन कहे ‘हय्या अलस सलाह’ तो बैठे न रहना जब वो इक़ामत पढ़े तो (जो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की दावत की आवाज़ है।) मर्द के लिए जब वो तक्वीरे इफतिताह और तक्वीर कुनूत, वित्र के लिए पढ़के हाथ उठाए तो हाथ के अंगूठे से कानों की लौ का छूना। कियाम के दौरान कलाई को मजबूती से पकड़ना। कियाम के वक़्त सज्दे की जगह पर देखना। रुकू और सज्दे में तस्बीह (यानि रब्बियल अज़ीम और रब्बियल आला) पाँच या सात बार कहना। जब रुकू करो अपने पैरों को देखना। जब रुकू के लिए जाओ तो पैरों को करीब लाना। जब रुकू से उठ कर वापस कियाम में जाओ तो पैर एक दूसरे से दूर करना। अपना माथा ज़मीन पर रखने से पहले अपनी नाक रखना। सज्दे में अपनी नाक के दोनों तरफ देखना। सलाम फेरते वक़्त अपने कन्धों को देखना। जमाअत में इमाम के पीछे उल्टे हाथ की तरफ के शख्स को यह नीयत रखना कि वो इमाम को सलाम कह रहा है और हफाज़ा के फरिश्तों को भी। और मुसलमान जो जमाअत में है। [हकीकत किताबेवी, फातिहा इस्तानबुल की किताब ईमान और इस्लाम के बाब ‘ईमान

की बुनियादों में' 21वां पैराग्राफ देखें जो हफ़ाज़ा जिन्हें किरामन कातिबीन भी कहते हैं उनके मुताल्लिक है।] सीधे हाथ पर नमाज़ पढ़ने वाले का यह नीयत करना कि वो हफ़ाज़ा के फरिश्तों और जमाअत को सलाम कह रहे हैं। वो शख्स जिसके दांये बांये कोई नहीं हैं वो नीयत करे कि वो हफ़ाज़ा के फरिश्तों को सलाम कह रहा है। नमाज़ के दौरान आये हुए पसीने को न साफ करना। ख़ांसी से बचना। ऊंघ से बचना। अतहिय्यात में बैठने की सूरत में अपनी जांघों को देखना। इमाम के लिए नमाज़ के बाद अपनी जमाअत की तरफ चेहरा घुमाना।

नमाज़ के अदब

1- अकेले पढ़ने वाले और इमाम के पीछे साथ पढ़ने वालों को सलाम के बाद यह दुआ पढ़े: “अल्लाहुम्मा अन्तस सलामु व मिन्कस्सलाम तबारकता या जुल ज़लाली वल इकराम।” उसके बाद तीन बार यह कहे: “अस्तग़फिरुल्लाहि-ल-अजीम- अल-लजी ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूमा व अतूबू इलैहि।” यह दुआ इस्तिग़फार है। इसे बिना वुजू के भी पढ़ना जायज़ है।

2- उसके बाद (आयत-ए-करीमा) आयतल कुर्सी पढ़े।

3- 33 मरतबा “सुब्हानल्लाह” पढ़े।

4- 33 मरतबा “अलहम्दुलिल्लाह” पढ़े।

5- 33 मरतबा “अल्लाहु अकबर” पढ़े।

6- एक दफा यह दुआ पढ़ना: “ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुआ अला कुल्ली शयीन कदीर।”

7- अपने हाथ सामने की तरफ फैलाकर हाथों को खोलकर अर्श की तरफ करना, जो रहमतों का क़िब्ला है, और तुम्हे रहमत देता है पुरसुकुन सच्चाई से।

8- अगर तुम जमाअत के साथ हो (यानि अगर तुमने नमाज़ जमाअत में पढ़ी हो) तो दुआ करने का इंतज़ार करो (जोकि साथ की जायेगी)।

9- “आमीन” कहना दुआ के आख़िर में।

10- अपने हाथ नज़ाकत से अपने चेहरे पर मलना।

11- उसके बाद सूरह **इख़्लास** 11 बार पढ़ना, हर बार बिस्मिलाह से शुरूआत करके, जोकि एक हदीस शरीफ का हुक्म है जो **बरीका** किताब के पहले वॉल्यूम के आख़िरी पन्ने पर दर्ज है। फिर दो आयतें करीमा जो “**कुल आउजु...**” से शुरू होती है उन्हे एक दफा पढ़ना और उसके बाद 67 दफा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना और इसे 70 तक पूरा करना दुआए इस्तिग़फ़ार तीन बार पूरी पढ़ के, और उसके बाद “**सुब्हानल्लाहि व बिहमिदीही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम**” दस दफा पढ़ना। उसके बाद “**सुब्हाना रब्बिका...**” आयत करीमा को पूरा पढ़ना। यह अदब किताब **मेराकिल फेलाह** में बयान है। यह इस तरह हदीस शरीफ में बयान है: “**पाँच वक़्त की नमाज़ के बाद मांगी हुई दुआए कुबूल होगी (अल्लाह तआला से)।**” पर दुआएँ दिल से मांगी जानी चाहिए यानि जिसका तुम्हे पता हो और तुम्हारी खुसफुसाहट में हो। सिर्फ पंच वक़्ता नमाज़ के बाद ही दुआएँ मांगना या किसी ख़ास वक़्त पर या दुआ की जगह कोई गज़ल पढ़ना मकरूह है। दुआ मांगने के बाद हल्के से हाथों को चेहरे पर मलना सुन्नत है। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ अपनी दुआएँ तवाफ से

पहले, खाने से पहले और सोने से पहले भी मांगते थे। इस तरह की दुआओं में वो अपने हाथ बाहर न निकालते थे न ही वो हाथों को मुबारक चेहरे पर मलते थे। इबादत, दुआएँ और दूसरी तरह का ज़िक्र हल्की आवाज़ में होना चाहिए। (सआदते अब्दिया के पहले एडिशन का 46वां व 48वां बाव, दूसरे एडिशन का 20वां, 23वां, 37वां और 46वां बाव, तीसरे एडिशन का 57वां बाव और छठे एडिशन का 25वां बाव, ज़िक्र के लिए पढ़ें)। दुआएँ मांगते वक़्त या दूसरी दुआएँ जैसे इस्तिफ़ार मांगते वक़्त वुजू में होना मुस्तहब है। नाचना, चक्कर करना, तालिया बजाना, ड्रम, वासुरी, म्यूज़िक वादय़ हराम है; ऐसी चीज़ें झूठे तसव्वुफ़ के लोगों में फैली हुई हैं; कि यह हराम है इस्लामी आलिमों की एक राय से। जैसा कि देखा गया है, जमाअत में नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमान और इमामों का दुआए फुसफुसाहट में मांगना तारीफ़े काबिल है। अपनी अलग दुआएँ मांगना या बिना दुआ मांगे खड़ा होकर चले जाना भी जायज़ है। **फतवा-ए-हिंदिया** किताब (शेख़ निज़ाम मोईनुद्दीन नक्शबन्दी की सिदारत में एक आलिमों में गुप से बना हुआ) में बयान है: “एक नमाज़ जिसमें आग़िरी सुन्नतें हो (मसलन जुहर, मगरिब और इशा), इमाम के लिए मकरूह है (जिसमें फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत में पढ़ाई हो) कि वो सलाम के बाद बैठे रहे। उसे उसी वक़्त खड़ा होकर सुन्नत अदा करनी चाहिए थोड़ा दांये, बांये या पीछे होकर। या वो घर जा सकता है और आग़िरी सुन्नतें घर पर पढ़ सकता है। मुसलमान जो जमाअत के साथ जुड़ा हो या जो जमाअत के साथ पढ़ रहा हो वो बैठा रहकर दुआए पढ़ सकता है। यह उनके लिए भी जायज़ है कि वो खड़े होकर पहले सुन्नत अदा करले थोड़ा दांये बांये या पीछे होकर। नमाज़ जिनमें आग़िरी सुन्नतें नहीं होती उसमें सलाम के बाद इमाम का क़िल्वे का रूख़ करके बैठना मकरूह है; और तो और यह एक विद्वत का काम है। उसे खड़ा होना पड़ेगा और जाना होगा या जमाअत की तरफ़ रूख़ करके या दांये या बांये रूख़ करके बैठना होगा दुबारा।”

नमाज़ के बाद की दुआए

“अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन।अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व साहबिही अजमाईन।ऐ रब (ऐ मेरे अल्लाह)! जो नमाज़ मैने पढ़ी है उसे कुबूल फरमा! मेरे अकीबत (खात्मे) और आखिरत में खैर फरमा।मेरी आखिरी सांस में कलिमाए तौहीद पढ़ने का नसीब अता फरमा।मेरे दादा परदादा जो वफात पा चुके उनकी मग़्फ़िरत फरमा।अल्लाहुम-मग़्फ़िर वरहम व अन्ता खैर-उर-राहिमीन।तेवफ़्फ़ीनी मुस्लिमान व-अल-हिक्की विस सालिहीन।अल्लाहुम्मग़्फ़िरली व ली वालिदय्या व ली उस्ताज़िय्या वलिल मुमिनीना वल मूमिनात यौमा याक़्मुल हिसाब।ऐ मेरे रब मुझे शैतान की बुराईयों से, दुश्मनों की बुराईयों से और मेरी नफ़्स-ए-अम्मारा की बुराईयों से बचा! हमारे घरों को बरक़ती और हलाल रिज़्क से नवाज़ दे।अहले इस्लाम (यानि मुस्लिमों) को सलामती अता फरमा।अदाई मुस्लिमीन (मुसलमानों के दुश्मनों) को चुन चुन कर खात्मा फरमा! जो मुसलमान काफ़िरों के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं उनकी मदद फरमा और उनपर इमदाद-ए-इलाही की बरक़त फरमा! अल्लाहुम्मा इन्नका अफूव्वुन करीमुन तुहिब्वुल अफवा फाफू अन्नी।या रब बीमारों को शिफा अता फरमा, अच्छी सेहत अता फरमा! अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सिहहता वल आफियता वल अमानत व हुस्नल खुल्की वर रिदा विल कदरी विरहमतिका या अरहमर राहिमीन।मेरे मुबारक वालदैन्, मेरे बच्चों, मेरे दादाओं मेरे दोस्तों और मेरे सभी मुसलमान भाईयों की ज़िन्दगियाँ खैर और हुस्ने खुल्क से रौशन कर दे और अच्छी सेहत और रूश्द-उ-हिदायत और इस्तिकामात के साथ, या रब्बी! आमीन।वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलेमीन।अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा वारकता अला इब्राहीम वअला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद।अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिददुनिया हसनतन व किना अज़ाव-न्नार

विरहमतिका-या-अरहमर-राहिमीन । वल-हम्दुलिल्लाहि-रखिल-आलामीन ।
अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल
अज़ीम अल-करीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्यल-कय्युमा वा अतूबू
इलैहि ।

नमाज़ के मकरूह

- 1- गर्दन मुड़ते हुए दोनों तरफ देखना ।
- 2- खुद पर की किसी चीज़ से खेलना ।
- 3- (नमाज़ के दौरान) बिना किसी उज़र के अपने हाथ से सज्दे की जगह को साफ करना ।
- 4- मर्द के लिए अपने हाथ छाती पर रखना और सज्दे में भी उन्हे छाती की लाईन में रखना ।
- 5- उंगलिया चटकाना ।
- 6- बिना किसी उज़र के आलती पालती मार के बैठना ।
- 7- सज्दे में अपना कोई भी एक पैर उठाना ।
- 8- नमाज़ में ऐसी चीज़ का पहनना जो तुम अपने आला अधिकारियों के सामने नहीं पहन सकते ।
- 9- किसी के चेहरे के सामने नमाज़ पढ़ना ।
- 10- आग के सामने नमाज़ पढ़ना ।

11- तुम्हारे कपड़े या जिस्म पे किसी तस्वीर -फोटो- का होना,

12- बिना उज़र के जम्हाई लेना ।

13- आस्तीनों में हाथ दाल कर नमाज़ अदा करना ।

14- अपनी पिंडलियों पे बैठना, कुत्तों के तरीके से ।

15- अपनी आँखें बंद करना ।

16- अपने हाथों को क़िब्ले के रूख से दूर मोड़ लेना ।

17- जमात में नमाज़ पढ़ने के दौरान उस सफ में नमाज़ अदा करना जहाँ कम से कम (एक शख्स के) खड़े होने की जगह काफी है। यह तनज़ीही (या तेनज़ीही) केराहत (मकरूह) है के अगर तुम्हारी वाली सफ में एक शख्स की जगह काफी है और कोई और तुम्हारी तरह पहले वाली सफ को पूरा नहीं कर रहा। दूसरे वाले मसले में, तुम वह छोड़ोगे जोकि वाजिब है: वह गलती सिर्फ़ दुबारा नमाज़ अदा करके ही ठीक होगी ।

18- किसी कब्र के सामने नमाज़ अदा करना या तुम्हारे और कब्र के बीच कोई अवरोध ना होना ।

19- नजासत के विरूद्ध नमाज़ अदा करना । (नजासत सआदते अबदिया के चौथी पुलिका के छठें बाब में तफसील से बताया गया है ।)

20- आदमी और औरत का अलग-अलग नमाज़ें बराबर में पढ़ना ।

21- पाख़ाना या पेशाब की हाजत में नमाज़ पढ़ना ।

22- रूकू से सीधे खड़े होने के बाद, सज्दा करने के लिए अपने (हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पे रखना) बिना किसी उज़र की मजबूरी के अगर करते हो।

23- एक रूकू में अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को दो मरतबा खुजाना (जोकि खड़े होने की अवस्था से शुरू होती है और दूसरी अवस्था के होने तक ख़त्म होती है। अगर तुम अपना हाथ तीन मरतबा से ज़्यादा उठाओगे तो तुम्हारी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी और अगर तीन मरतबा खुजाते हो, उस मसले में तुमको नमाज़ दुबारा अदा करनी होगी।)

24- इमाम से पहले रूकू में झुक जाना, (अगर तुम नमाज़ जमात से पढ़ रहे हो।)

25- इमाम से पहले रूकू से खड़े हो जाना।

26- अपना सज्दा इमाम से पहले करना।

27- इमाम से पहले सज्दे से उठ जाना।

28- अपने आस-पास की किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा होना, जबतक कोई उज़र मजबूरी ना हो।

29- जैसे ही तुम सज्दे से उठते हो, ज़मीन से (या जानामाज़ से) अपने घुटनों को हाथों से पहले अलग करना।

30- अपनी आँखों और चेहरे पर से धूल पोछना।

31- किसी भी बाद वाली रकात में, उस सूरा के बाद वाली सूरा को (एकदम) छोड़ देना जोकि तुमने पहली वाली रकात के दौरान पढ़ी थी।

32- दोनों रकातों में हूबहू सूर पढ़ना या किसी एक रकात में एक ही सूर दो मरतबा पढ़ना । (यह नफ़िल नमाज़ में जायज़ है)

33- किसी बाद वाली रकात में, पहली रकात में पढ़ी गई सूर को दुबारा पढ़ना ।

34- किसी बाद की रकात में, ज़म्म-ए-सूरा में शामिल आयतों से तीन सूर से ज़्यादा आयत पढ़ना जोकि तुमने पहली रकात में पढ़ी ।

35- नीचे झुकना और या खड़े होना अपने आस-पास की किसी चीज़ के सहारे से, जबतक के तुम्हारे को कोई उज़र मजबूरी ना हो, (यानि इस्लाम के ज़रिए बताई गई एक अच्छी वजह) जोकि मजबूरन करनी पड़ती है ।

36- मक्खियों को दूर भगाना ।

37- आस्तीनों को मोड़ कर या कंधों, टांगों को खुला छोड़ कर नमाज़ अदा करना ।

38- जब तुम बाहर हो अपनी पर्दगी को नज़रअंदाज़ करना ।

39- दालान में नमाज़ पढ़ना ।

40- रूकू या सज्दे के दौरान अपनी उंगलियों से तसबीह पढ़ना ।

41- इमाम का मेहराब के अंदर इतना खड़ा होना के अगर बाहर पर्दा डाला जाए तो डल जाए ।

42- इमाम के लिए एक धारा के दर्जे से ज़्यादा पे होना जमात से ऊँचा या नीचा होना । अगर वह (उस दर्जे पे) अकेला है । (एक धारा तकरीबन आधे मीटर के बराबर होता है ।)

43- इमाम का मेहराब से हटकर नमाज़ पढ़ना ।

44- नमाज़ के दौरान आमीन ज़ोर से कहना ।

45- क़याम के दौरान जो भी कहा जा रहा हो, उसे पूरा करना, (यानि सूरा फातिहा या ज़म्म-ए-सूरा) रूकू में बैठने के बाद ।

46- रूकू के दौरान जो भी कहा जा रहा हो, (यानि “सुब्हाना रब्बिल अज़ीम”) के बाद पूरा करना ।

47- बिना किसी उज़र ज़रूरी वजह के एक पैर पे खड़ा होना ।

48- नमाज़ के दौरान इधर-उधर देखना ।

49- किसी ऐसे मक्बरी या कीड़े को मारना जोकि काटता ना हो ।

50- नमाज़ के दौरान किसी चीज़ को सूँघना ।

51- नंगे सर नमाज़ पढ़ना । हाजी सिर्फ़ एहराम के दौरान ही नंगे सर नमाज़ पढ़ सकते है । (बराए मेहरबानी सआदते अबदिया की पाँचवी पुलिका का सातवां बाब देखें, एहराम से मुताल्लिक ज़्यादा जानकारी के लिए ।)

52- बांहों को खुला छोड़ कर नमाज़ के लिए खड़े हो जाना ।

53- पैरों को खुला छोड़कर नमाज़ की शुरुआत कर देना । (एक क़ौल के हिसाब से, किसी औरत के लिए खुले पैर नमाज़ पढ़ना मकरूह है । दूसरे क़ौल के हिसाब से, ऐसा करना इसकी नमाज़ को ख़त्म कर देता है ।) यह इब्ने अबीदीन के चार सौ उन्तालीसवें (439) सफ़े पे लिखा है के जब तुम मस्जिद में दाख़ला करते हो उस वक़्त अपने आस-पास जूते/चप्पल छोड़ना

मकरूह है। यह **बरीका** के आखिरी हिस्से में लिखा है के अपने उल्टे हाथ पे कहीं रख देना सुन्नत है, बजाए अपने आगे या सीधे हाथ पे।

यह **तेरगीब-अस-सलात** में लिखा है कि फर्ज और सुन्नत नमाज़ी हिस्सों के दरमियान 'ऐवराद' के जैसी इबादतों का कहना मकरूह है।

हनफी मज़हब में **नमाज़ का ख़त्म** होना, 55 नमाज़ के ख़ात्मे फरमाए गए हैं, जो आपकी नमाज़ ख़त्म और ख़ारिज कर देते हैं, चाहे वह जानबूझ कर हो या गलती से हो:

1- दुनियावी कुछ बोलना।

2- इतनी ज़ोर से हंसना के हंसने वाले या वाली को उसकी हसीं सुनने में आए।

3- कुछ ऐसा करना जो अमल-ए-खातीर कहलाया जाए।

4- (नमाज़) का कोई एक भी फर्ज छोड़ना बिना उज़र (मजबूरी) के।

5- जानबूझकर कोई भी फर्ज छोड़ना।

6- किसी दुनियावी चीज़ के लिए ज़ोर-ज़ोर से रोना।

7- अपने गले को साफ करना या खांसना बिना किसी उज़र/मजबूरी के।

8- चिंगम चवाना।

9- एक हाथ से अपने किसी अंग को तीन मरतबा खुजाना, या किसी एक रूकू के दौरान अपने हाथों को उठाना और ताली बजाना ।

10- नमाज़ के दौरान (किसी से) हाथ मिलाना ।

11- इफ्तितहा की तकवीर इतनी ज़ोर से ना कहना है के तुम्हारे कानों तक भी इसकी आवाज़ ना आए ।

12- नमाज़ के दौरान सूरतें और दुआएँ इतनी ज़ोर से ना कहना के तुम उनको ना सुन सको ।

13- जब तुम्हें कोई बुलाता है, उस वक़्त “ला हौल वला कुव्वाता ईल्ला बिल्लाहील अलैहिम अज़ीम” या “सुब्हाना अल्लाह” या लाईलाहा इललल्लाह कहना । तुम्हारी नमाज़ फ़ासिद (ख़त्म या ख़ारिज) नहीं करता, अगर तुम्हारा मक़सद उनको यह इक़तला करना है कि तुम नमाज़ अदा कर रहे हो, हालांकि यह तुम्हारी नमाज़ तोड़ देगा क्योंकि तुम्हारी नीयत उस शख्स को जवाब देने की थी ।

14- अपनी नीयत से कोई मुबारकवाद कुबूलना । (बराए मेहरबानी सआदते अब्दिया की तीसरी पुलिका का 62वां बाब देखें ।)

15- अपने मुँह से किसी मीठी चीज़ को चख़ना और उस का रस गले से नीचे उतार लेना ।

16- अगर आप बाहर नमाज़ पढ़ रहे हो और अपना मुँह आसमान की तरफ़ बारिश, तूफ़ान या इस तरह की किसी चीज़ के लिए खोलते है और कोई चीज़ हलक़ में चली जाना ।

17- (जब तुम सवारी कर रहे हो) जानवर पे तीन मरतबा लगाम तानना ।

18- अपना हाथ तीन मरतबा उठाना या मक्खी, मच्छर मारना, या मसलना ।

19- एक रूकू के अन्दर तीन बाल तोड़ लेना ।

20- ओ शब्द तीन फोनेमीक आवाज़ों में पुकारना, लानत, कश वगैरह ।

21- जब इस्लाम के हिसाब से घोड़े की पीठ पे नमाज़ की अदाएंगी करना, एक पैर से तीन मरतबा प्रोत्साहित करना ।

22- एक मरतबा दोनों पैरों से प्रोत्साहित करना ।

23- (जमात में नमाज़ पढ़ने के दौरान) इमाम के आगे खड़े होना ।

24- बिना किसी उज़र/मजबूरी के दो पंक्तियों से ज़्यादा चलना, (यानि तुम्हारा ऐसा करना मजबूरन हो और इस्लाम भी उसे अच्छी वजह कुबूलता हो ।)

25- अपने बालों या दाढ़ी को कंधा करना ।

26- आदमियों और औरतों के लिए एक इमाम के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर एक सफ़ में नमाज़ अदा करना- जमात वाली नमाज़ में जिसमें इमाम औरतों और आदमियों दोनों की नीयत से नमाज़ पढ़ा रहा है । (यह जायज़ है के अगर वह हूबहू पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं पढ़ रहे या अगर इनके बीच कोई पर्दा है । औरतों और जवान लड़कियों को अपने सर और बांहें खुली

रखकर बाहर जाना हराम है। यानि अपने किसी अवरत हिस्से को दिखाते हुए, चाहे उनका मकसद जो भी हो, मस्जिद या और कहीं जा रही हो। इस तरह की इबादत से यह सवाब के बदले गुनाह कमाएगी। [सवाब जोकि आविर्गत का ई नाम होगा।])

27- अपने इमाम के अलावा किसी और इमाम की गलती हल करना (यानि एक इमाम की मदद करना जो दूसरी जमात में नमाज़ पढ़ा रहा है और जो बताई गई आयतों को पढ़ कर खिलवाड़ कर रहा है।)

28- अगर कोई औरत किसी खाली जगह पर इमाम के पीछे खड़ी हो जाती है और इमाम के पीछे नमाज़ अदा करनी शुरू कर देती है और उसके बाद दूसरे आदमी आते हैं और अलग नई लाइन बना लेते हैं और वह सब के बीच ढक जाती है जोकि हूबहू नमाज़ पढ़ रही है; तो उनसे से तीन आदमियों की नमाज़ जो उसके दांय बांय और पीछे है उनकी नमाज़ (फौरन) फासिद ख़त्म हो जाएगी।

29- किसी बच्चे को गले से लगा लेना।

30- कुछ चीज़ खाना पीना।

31- कुछ चीज़ जो तुम्हारे दांतों में बची रह गई है कुछ चने के बराबर की उसको निगलना।

32- अपने दोनों हाथों से दोनों कॉलर के किनारे को पकड़ना, या अपने एक हाथ से टोपी उतारना या इसको दुबारा रखना।

33- “इन्ना-लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन” का कहना जब कोई बुरी ख़बर सुनना।

34- किसी अच्छी ख़बर को सुनके “अलहमुदिल्ल्लाह” कहना ।

35- कौल के मुताबिक छिंकना और उसके बाद “अलहमुदिल्ल्लाह” कहना ।

36- किसी करीबी शख्स के छिंकने पे, “या रहमुकल्लाह” कहना ।

37- किसी दूसरे शख्स के छिंकने पे “येहदीकुमुल्लाह” कहना ।

38- मर्द का औरत को नमाज़ी हालत में चूमना ।

39- नमाज़ के दौरान जब दुआ कर रहे है, उस वक़्त किसी दुनियावी चीज़ के बारे में पूछना, जैसे की सोना, चाँदी ।

40- अपने सीने को किल्ले के (ख़ुब्र से) मोड़ लेना । किल्ले के ख़ुब्र को पहचानने के लिए दो रास्ते है । 1- किल्ले के कोण के ज़रिए । 2- किल्ले के घंटे के ज़रिए । 1- अगर किसी नक्शे पे शहर और मक्का के बीच सीधी लाइन खींच दी जाए, वह लाइन (उस शहर से किल्ले का ख़ुब्र है और इसे) **किल्ले की लाइन** कहा जाता है । यह जुनूब से अलग **किल्ले का कोण** है । 2- कोई शख्स जो कलेन्डर पे लिखे **किल्ले के घंटे** के वक़्त (या किल्ले के वक़्त) सूरज की तरफ मुड़ जाता है उसे किल्ले के ख़ुब्र की तरफ मुड़ना होगा । कुदूसी निम्नलिखित वज़ाहत को अपनी (रुब-ए-देयरा) में तशरीह करते है: “जब सुई (तारिख़ के लिए) रुब-ए-देयरा की तरफ करे तो यह किल्ले की चाप की तरफ चलेगा, कोण की समपूरकता का इशारा (स्ट्रिंग) के ज़रिए किया गया जिसे ख़ाएत कहते है, इस्तानबुल के किल्ले के वक़्त की ऊँचाई के चाप फदल-ए-देयर है ।” जब किसी घड़ी को आसमान की तरफ मुँह कर के लटका दिया जाए और इसकी घंटे वाली सुई सूरज की तरफ हो, सुई और जुनूब से बारवां

अंक द्विभाजक कोण है। बराए मेहरबानी सआदते अबदिया की चौथी पुलिका का नवां बाब देखें।

41- सज्दे के दौरान ज़मीन से (या फर्श) से दोनों पैर उठा लेना।

42- कुरानुल करीम की (आयतों को) गलत पढ़ना, उसका मतलब ही बदल देना।

43- औरत का अपने बच्चे को दूध पिलाना।

44- किसी के बोलन से जगह बदल देना।

45- जब तुम सवारी कर रहे हो किसी जानवर को तीन मरतबा कोड़ें मारना।

46- बंद दरवाज़े को खोलना।

47- कम से कम तीन अलफ़ाज़ों में लिखना।

48- अपने ऊपर (कफ़तन) किसी तरह का कपड़ा डालना।

49- अपनी कज़ा नमाज़ों को याद रखना, (यानि रोज़ाना की नमाज़े जो तुमने उनके मुकर्रर वक़्त पे अदा नहीं करी,) अगर वह छः से कम है।

50- जब उज़र में कोई फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर रहे हो (पानी के जहाज़ या रेलगाड़ी में) या किसी जानवर की पीट पे जैसे की घोड़ा क़िब्ले के अलावा किसी और रूख़ को मुड़ जाना।

51- जानवर पे बैठने के दौरान उसपे भार डाल देना।

52- अपने दिल से, मुरतद (धर्मवंचित) बनना।

53- जुनूब बन जाना या किसी औरत का महावारी शुरू कर देना ।

54- इमाम (जोकि जमात में नमाज़ पढ़ाने जा रहा है) उसका अपने को छोड़कर किसी और को खड़ा कर देना क्योंकि यह सोचता है के इसका अपना वुजू टूट गया ।

55- कुरानुल-करीम की आयतों को बदल कर पढ़ना इतना के उनके मतलब ही बदल देना । [इब्ने आबिदीन ‘रहमतुल्लाहि तआला’ ने फरमाया के जैसे ही यह नमाज़ की सुन्नतों पर प्रवचन लगाता है: बताए गए किसी ऐसे शख्स के ज़रिए अदा की गई नमाज़ सही नहीं होगी । यह इमाम या मुअज़्ज़िन के लिए मकरूह है कि अपनी आवाज़ इतनी ऊँची कर ले के जमात के सुनने लायक से ज़्यादा हो जाए । जैसे की जमात में नमाज़ की शुरुआत करने में इमाम और मुअज़्ज़िन का इफतिहा की तकबीर कहना । उनके नमाज़ को शुरू करने के लिए नीयत करनी चाहिए । उनकी नमाज़ सही नहीं होगी अगर उनकी नीयत अपनी आवाज़ को जमात को सुनाने की हो, और उनपे अमल कर रहे लोगों की नमाज़ भी सही नहीं होगी, यह मुअज़्ज़िन के लिए मकरूह है कि नमाज़ में तकबीरों को ज़ोर से दोहराए अगर इमाम की आवाज़ सुनाई देने के लिए काफी है । ऐसे करना धिनौनी बिदत है । जब इसकी ज़रूरत हो उनका ऐसा करना मुसतहब है । लेकिन मुअज़्ज़िन की नमाज़ फासिद हो जाएगी अगर इसका मकसद किसी लय में गाना है । ” इसी वजह से, इमाम और मुअज़्ज़िन अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते है वह सिर्फ़ ना जमात की नमाज़ फासिद करते है बल्कि अपनी नमाज़ को भी सही होने से रोकते है । यह बहुत धिनौना बिदती सौदा है । और बिदत करना बहुत बड़ा गुनाह है । यह सही नहीं होगा के तुम एक इमाम पे अमल करो जोकि टेलीविज़न या कहीं दूर नमाज़ पढ़ा रहा है । यह प्रलेखन के ज़रिए सबूती ग्रंथों के साथ बारबें मुद्दे के एक लेख में लिखा है, उस वक़्त की तारीख़ 1406 रबीउल-

अव्वल, और 1985 दिसम्बर थी, अवधि अल-मुआलीम नामित, हिन्दुस्तानी उलेमाओं के ज़रिए प्रसारित मलाप्पूलम।]

और आपकी किन चीज़ों से नमाज़ ख़त्म नहीं होगी: अगर तुम्हारे आगे की लाइन में जगह ख़ाली है और तुम उधर एक या दो कदम बढ़ाओ या अगर “आमीन” कहो, अगर तुमने किसी को सलाम करते सुन लिया तो उसे जवाब ना देना (यानि कोई “सलामुन अलैकुम” कहता है।), [बराए मेहरबानी सलामों और हलों के मुताल्लिक सआदते अबदिया की तीसरी पुलिका का (62वां) बाब देखें।] अपनी भवों से इशारे के ज़रिए या आँखों से, अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुमने कितनी रकातें पढ़ ली और तुम अपनी उंगली से इशारा कर दो; इन वज़ाहों में नमाज़ के टूटने की कोई वजह नहीं है।

सलात का मतलब अल्लाहु अज़ीम-उश-शान से रहम और अस्तग़फ़ार अपने और फरिश्तों के हिस्से में और ईमान वालों के हक़ में हुआ। इसका तकनीकी मतलब अफअल-ए-मालूमा और अरकान-ए-महसूसा है, यानि तुर्की में नमाज़, (और हुआएँ अंग्रेज़ी में। अफअल-ए-मालूमा मतलब वह अमाल जो हम नमाज़ से हटकर करते हैं, और अरफान-ए-माहसूसा मतलब रकनस (तय की हुई खड़ी अवस्था, बैठा हुआ आसन, घुटने मुड़ी हुई अवस्था, और हुआएँ) नमाज़ के हाल में, और यह तमाम अमाल, नमाज़ को सही करने के हैं।

एक दिन रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अपने सबसे ख़ास नज़दीकी मुबारक शख्स से फरमाया, यानि हज़रत अली करीम अल्लाहु वजाहाहू वा रज़िअल्लाहु अन्हा: “या अली! आप नमाज़ के फर्ज़यात, वाजीबात, सुन्नतें और मुस्तहिबों पे ज़रूर ही ग़ौर फरमाओ।” इसपर एक अन्सार [जब सबसे आला शख्स, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ 622 अ।ह। में मक्का से मदीना हिजरत कर गये तब मदीना के मुसलमानों ने उन्हें बहुत खुशी और सबसे मुबारक नबी के तौर पर अपनाया और फिर उनके

सहाबाओं को भी। हिजरत करने वालों को मुहाजिरीन कहा गया और मदीना के मुसलमान जिन्होंने उनकी मदद की उन्हें अन्सार कहा गया।] ने कहा: या रसूलुल्लाह! हज़रत अली पहले से ही यह सब चीज़ें जानते हैं। हमें फ़र्ज़, सुन्नत, वाजिब और मुस्तहब का मुशहिदा करने की फ़ज़ीलत बताईए, जिससे हम वैसा ही अमल करें। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “ऐ मेरी उम्मत और मेरे सहाबा! नमाज़ वो है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। यह वो है जिसे फरिश्तें पसन्द करते हैं। यह नबियों की सुन्नत है। यह मारिफ़त का नूर है। यह आमालों में आला है। यह जिस्म के लिए ताक़त है। यह रिज़्क की बरक़त है। यह रूह का नूर है। यह दुआओं के लिए कुबूलियत है। यह मौत के फरिश्ते से सिफारिश करने वाली है। यह कब्र की रौशनी है। यह हज़रत मुनकर और नकीर के सवालों का जवाब है। यह आख़िरत के दिन में तुम्हारे सिर का साया है। यह जहन्नुम और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है। यह पुले सिरात से बिजली की रफ़्तार से पार करवायेगी। यह जन्नत में तुम्हारा ताज है। यह जन्नत की चाबी है।”

जमाअत में नमाज़ की फ़ज़ीलत

मसलन कोई जमाअत में दो रकअत नमाज़ पढ़ता है और अपनी 27 रकअतें अलहिदा पढ़ता है तो वो दो रकअत नमाज़ जो उसने जमाअत में पढ़ी है ज़्यादा सवाब पैदा करेंगी।

एक और रिवायत के मुताबिक़, चाहे उसने अलग से हज़ार रकअत नमाज़ भी पढ़ी हो तब भी जमाअत के साथ पढ़ी गई दो रकअतों में ज़्यादा सवाब हासिल होगा। जमाअत में नमाज़ पढ़ने के कई सवाब हैं। उनमें से कुछ यह हैं:

1- जब ईमान वाले साथ आते हैं तो एक दूसरे से मुहब्बत करते हैं।

2- ना सीखे हुए लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं।

3- अगर कुछ लोगों की नमाज़ कुबूल हो जाती है और कुछ की नहीं तो उनकी नमाज़ भी कुबूल हुई नमाज़ियों के सदके में कुबूल फरमा ली जाती है।

एक हदीस शरीफ कहती है: “ऐ मेरी उम्मत और मेरे सहाबा! मैंने तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे हैं: एक है कुरानुल करीम, और दूसरा मेरी सुन्नत। वो शख्स जो इनके अलावा कोई रास्ता अपनाता है वो मेरी उम्मत नहीं!” [अब्दुल ग़नी नवलूसी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ (1050 [1640 A.D.], दमसकस 1143 [1731]) अपनी किताब हदीका के 99वें पन्ने पर बयान करते हैं (जिसकी कमेन्ट्री तरीकते मुहम्मदिया किताब में भी है जिसे इमाम विरगिवी ने लिखा है): जब अल्लाह तआला अपने कुरान से इस्लाम के एक हिस्से का ऐलान करता था, तब उसको दूसरे हिस्से का ऐलान अपने महबूब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की सुन्नत से करता था। रसूलुल्लाह की सुन्नतों में उनके अकीदे, बोल, अमल, अख़लाक और किसी के अमल या बात पर ख़ामोश दख़ल है। [जोकि उनके अपनाने पर बनी (जो भी हुआ और कहा।)] यह हदीस शरीफ इस्लाम के चार स्रोतों अदील्ला-ए-शारीय्या में से दूसरी की तरफ इशारा करती है।]

जमाअत में इमामत

इमाम की पैरवी करने वाले चार तरह के लोग होते हैं: मुदरिफ, मुकतदी, मसबूक और लाहिक।

1- मुदरिक वो मुसलमान होता है जो इमाम के साथ तकवीरे इफतिताह कहता है। (दूसरे लफ्जों में, वो, “अल्लाहु अकबर”, कहता है तकरीबन हर उस वक़्त जब इमाम कहता है। जिसका मतलब कि उसने इमाम के साथ नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी जब इमाम नमाज़ पढ़ा रहा था जमाअत में।)

2- मुसलमान जो तकवीरे इफतिताह पकड़ने से नाकाम रहता है उसे मुकतदी कहते हैं।

3- मसबूक वो मुसलमान है जो नमाज़ इमाम के पीछे तब शुरू कर पाता है जब इमाम एक या दो रकातें पढ़ चुका हो।

4- लाहिक वो मुसलमान है जिसने इमाम के साथ तकवीरे इफतिताह की; पर हदस की हालत में (उसका किसी तरह वुजू टूट जाता है) [सआदते अबदिया के चौथे एडिशन का दूसरा बाब देखें ‘हदस’ के लिए] वो दुबारा वुजू बनाता है और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है। जब मुसलमान ऐसे ही नमाज़ पढ़ता है जैसे उसने इमाम के पीछे पढ़ी हो, (यानी वो किरात नहीं करता, पर रूकू सज्दा और तरवीह करता है) अगर वो उस दौरान कोई दुनियावी मामला या बात नहीं बोलता (जब वो मस्जिद छोड़ता है दुबारा वुजू करने के लिए) यह ऐसे ही होगा जैसे इसने पूरी नमाज़ इमाम के साथ और उसके पीछे पढ़ी हो। पर, मस्जिद छोड़ने के बाद (वुजू दुबारा करने की नीयत से), उसे मस्जिद के करीबी जगह पर वुजू बनाना होगा। कुछ इस्लामिक आलिमों की राय है कि अगर वो मस्जिद से ज़्यादा दूर जाता है तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाती है।

अगर कोई शख्स मस्जिद में इस शकल में दाख़िल होता है कि इमाम रूकू कर रहा हो, और इमाम को पकड़ने की जल्दी में वो तकवीरे इफतिताह पढ़के रूकू के लिए झुक जाता है तो उसने इमाम की पैरवी नहीं करी, (यानी वो जमात में नहीं जुड़ा)। पर अगर वो इमाम को रूकू में पाता है, और इमाम

के पीछे नमाज़ पढ़ने की पैरवी करता है, खड़ी हालत में ही तक्वीरे इफतिताह पढ़ता है और जब इमाम रूकू में ही हो तो तस्वीह भी पढ़ता है, तब उसने इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी उसी रकाअत में। पर अगर इमाम रूकू से खड़ा हो जाता है और वो शख्स अभी भी रूकू में है तो वो रकाअत नहीं पकड़ पाया।

नमाज़ में ताज़ीले अरकान

अगर कोई शख्स नमाज़ की पाँच जगहों पर भूल कर नहीं बल्कि जान बूझकर ताज़ीले अरकान छोड़ देता है तो इमाम अबू यूसुफ 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक उसकी नमाज़ फासिद हो जाती है। तराफेइन (इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद) के मुताबिक, नमाज़ फासिद नहीं होती पर वाजिब की नज़रअंदाज़ करने की वजह से वो नमाज़ दुबारा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। **सज्दा-ए-सहू** तब ज़रूरी होता है जब तुम कुछ भूल जाओ नमाज़ के दौरान। [ईमान के खोने से मुताल्लिक बाव इसी किताब में देखें!]

ताज़ीले अरकान को छोड़ना कुछ 26 नुकसान पैदा करता है:

- 1- यह ग़रीबी लाता है।
- 2- आख़िरत के उलेमा तुमसे नफरत करते हैं।
- 3- तुम अदालत से गिर जाते हो, यानि तुम कभी गवाह नहीं बन सकते।
- 4- जिस जगह पर तुमने वो नामुकम्मल नमाज़ पढ़ी है वो जगह रोज़े कयामत में तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देगी।

5- अगर कोई शख्स बिना ताज़ीले अरकान के नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई दूसरा शख्स जो उसे देखता हो और न समझाए (प्यार से और तरीके से) तो वो शख्स भी गुनाहगार होगा ।

6- तुम्हे वो नमाज़ दोहरानी होगी । (जो ताज़ीले अरकान के बगैर पढ़ी गई हो ।)

7- इससे मौत ईमान पर नहीं होती ।

8- यह तुम्हे नमाज़ का चोर बना देती है ।

9- जो नमाज़ तुमने पढ़ी हो वो आग़िरत के रोज़ तुम्हारे दांतों में एक पुराने चिथड़े की तरह लटकेगा ।

10- तुम अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाओगे ।

11- तुम अल्लाह तआला से अपनी दुआमें बुरा बर्ताव पेश आओगे ।

12- तुम नमाज़ हासिल होने वाले वेशकीमती सवाबों से महरूम रहोगे ।

13- इससे तुम्हारे दूसरी की गई इबादतों के सवाब पर भी रोक लगेगी ।

14- इससे तुम जहन्नुम के हकदार बनोगे ।

15- जाहिलों के लिए तुम बुरी मिसाल बनोगे जब वो तुम्हे ताज़ीले अरकान की नज़रअंदाज़ी करते देखेंगे तो वो भी वैसा ही करेंगे । यह उसी तरह से है, जब किसी ईमान वाले को देख कर दूसरा गुनाह करता है तो उसका बड़ा अज़ाब है ।

- 16- तुम अपने ईमान के खिलाफ हो जाओगे ।
- 17- तुम इत्तिकालात की सुन्नतों को छोड़ दोगे ।
- 18- तुम्हे अल्लाह तआला का गुस्सा सहना पड़ेगा ।
- 19- तुम शैतान को खुश करोगे ।
- 20- तुम जन्नत से दूर हो जाओगे ।
- 21- तुम जहन्नुम के नज़दीक हो जाओगे ।
- 22- तुम अपनी नफ्स से ज़ालिमाना हो जाओगे ।
- 23- तुम अपनी नफ्स को गन्दा कर लोगे ।
- 24- तुम अपने दाएं-बाएं के फरिश्तों को तकलीफ दोगे ।
- 25- तुम रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ को दुखी करोगे ।
- 26- तुम सारी मख़लूक को नुक़सान पहुँचाओगे । तुम्हारे गुनाहों की बिना पर कोई बारिश नहीं होगी या फसले न उगेंगी, या ऐसी तेज़ बारिश होगी जो फसलों को नुक़सान पहुँचाएगी उनको परवारिश के बजाए ।

लम्बे सफ़र की नमाज़

नीमते इस्लाम (हाजी मुहम्मद जिहनी ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ 1262-1332 [1914 A.D.] कुपलुजे-वेयलरवेयी, इस्तानबुल की लिखी हुई:) किताब में लिखा है; हमेशा और हर जगह नफ़िल नमाज़ें पढ़ना बैठकर या हो सके तो खड़ा होकर पढ़ना जायज़ है । जब तुम बैठ के नमाज़ पढ़ते हो तो रूकू

के लिए अपना जिस्म झुकाओ। सज्दे के लिए अपना सिर ज़मीन पर रखो। पर अगर कोई शख्स बिना किसी उज़र के बैठ कर नमाज़ पढ़ता है तो उसे खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले आधा सवाब मिलेगा। दिन की रोज़ाना पाँच वक़्ता नमाज़ों की सुन्नतें और नमाज़ें तरावीह, नफ़िल नमाज़ों में से हैं। ('तरावीह' के लिए सआदते अब्दिया के चौथे एडिशन का 19वां बाब देखें)। किसी सफ़र पर, यानि शहर से बाहर के इलाके में, किसी जानवर की पीठ पर बैठे हुए नमाज़ अदा करना जायज़ है। (मसलन घोड़ा)। यह ज़रूरी नहीं कि उसमें क़िब्ले की तरफ़ रूख़ हो या रूकू या सज्दा हो। इसे इमा (इशारों) से पढ़ा जाता है। दूसरे लफ़्ज़ों में तुम अपना जिस्म थोड़ा झुकाओगे। और सज्दे के लिए थोड़ा सा और झुकाओगे। जानवर पर बहुत ज़्यादा नजासत का होना नमाज़ के लिए नुक़सान देह न होगा। एक शख्स जो ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते हुए थक गया है उसके लिए जायज़ है कि वो एक लाठी या दूसरे इन्सान या दीवार का सहारा लेके नमाज़ पढ़े। खुद चलते हुए नमाज़ पढ़ना सहीह नहीं है। (दूसरे लफ़्ज़ों में ऐसी नमाज़ सही नहीं होगी) जो नमाज़ें फ़र्ज़ या वाजिब हैं; सिर्फ़ जब कोई उज़र हो तो शहर के बाहर किसी जानवर पर पढ़ी जा सकती है। इस मामले में इन चीज़ों का उज़र हो सकता है: डरना कि अगर तुम जानवर से उतर कर नमाज़ पढ़ने लगे तो कही तुम्हारे हमसफ़र तुम्हें छोड़ के आगे न बढ़ जाए; आस-पास डकैतों का डर, जिससे तुम्हें जान खोने का ख़तरा हो या माल का, या जानवर का; कीचड़ भरा इलाका; दुबारा जानवर पर न चढ़ पाने का डर; और ऐसी ही सूरते हाल। अगर हो सके तो तुम अपने जानवर को क़िब्ले के रूख़ पर खड़ा कर नमाज़ पढ़ो। अगर मुमकिन न हो तो उस तरफ़ ही नमाज़ अदा करो जहाँ तुम्हारा जानवर चल रहा हो। ऐसा ही किसी बक्से में बैठ के पढ़ने में है जैसे कि जानवर की पीठ की पालकी, यह इसे सेरीर यानि एक मेज़ या डब्ले में तब्दील करती है, ताकि नमाज़ ऐसी हो जैसे ज़मीन पर पढ़ी गई

हो। इस मसले में तुम्हें नमाज़ क़िल्के का रूख़ में करके खड़े होकर नमाज़ पढ़नी होगी।

जब हज़रत जाफ़र तय्यार [जाफ़र तय्यार 'रज़ि-अल्लाहु अन्ह' रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के चचा अबू तालिब के चार बेटों में से एक थे। वो हज़रत अली से 10 साल बड़े और हज़रत उकायल से 10 साल छोटे थे। वो हैबर लौटने के दिन अबैसीनिया को हिजरत कर गए। हिजरत के आठवें साल में जब आप बायज़ैनतीन की 3 हज़ार दुश्मनों के ख़िलाफ़ दमसकस की एक जगह मूता में जंग कर रहे थे तब कई हमले करने के बाद और एक दिन में 70 से ज़्यादा ज़ख़्म ख़ाने के बाद शहादत पा गए। आप 41 साल के थे। आप उन सात लोगों में से थे जो रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के काफी नज़दीकी मिलते थे।] अबैसीनिया के लिए जहाज़ में बैठ रहे थे तो रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने उनको सिखाया: जहाज़ पर नमाज़ फ़र्ज़ और वाजिब बिना किसी उज़र के पढ़ी जा सकती है। और जमाअत में नमाज़ भी पढ़ी जा सकती है। एक पानी के जहाज़ में इमा (इशारों) के साथ नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं, रूकू और सज़दा करना लाज़िम है। साथ ही क़िल्के की तरफ़ रूख़ होना भी ज़रूरी है। जब तुम नमाज़ पढ़ना शुरू करो तो क़िल्के की तरफ़ रूख़ करो। जब जहाज़ अपना रूख़ बदले तुम भी बदलो। नजासत से तहारत भी ज़रूरी है जहाज़ पर। (सआदते अबदिया के चौथे एडिशन का छठा बाव देखें 'तहारत से नजासत' के लिए।) हनफी मज़हब में बिना किसी उज़र के भी फ़र्ज़ नमाज़ तक बैठ कर पढ़ना, पानी के चलते हुए जहाज़ के सफ़र में, जायज़ है।

एक जहाज़ को तब पाल जहाज़ कहते हैं जब उसका लंगर उठा हुआ हो और जहाज़ काफी तेज़ी से हिल दुल रहा हो। अगर वो हल्के घूम रहा है, यह उस जहाज़ की तरह है जो किनारे पर खड़ा हो। अगर किनारे पर जाना

मुमकिन हो तो जहाज़ पर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। यह ज़रूरी है कि किनारे पर जाए और नमाज़ अदा करे। पर अगर जान का, माल का या जहाज़ के डूबने का खतरा हो तो जहाज़ के ऊपर खड़े होकर भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है। यहाँ हम **निमात-ए-इस्लाम** का हवाला पूरा करते हैं।

यह इब्ने आबिदीन में बयान है: “किसी घोड़ा गाड़ी (दुपहिया) जो बिना जानवर बांधे सीधी खड़ी नहीं रह सकती, जिसपे चलते हुए या रुके हुए एक जैसा हो, उसपर नमाज़ पढ़ना जानवर की पीठ पर नमाज़ पढ़ने जैसा है। एक चार पहिया गाड़ी जब वो न चल रही हो तो सेरीर (भेज) की तरह है। जब वो चलती है तो उजर की बिना पर जैसा कि बिना पर जोकि ऊपर बयान है, उसपर नमाज़ पढ़ना जानवर की पीठ पर पढ़ने जैसा ही है: तुम गाड़ी को रोक कर क़िव्ले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो। अगर तुम उसे रोक ना सको तो ऐसे नमाज़ अदा करो जैसे एक पानी जहाज़ पर पढ़ते हो।” अगर कोई शख्स जो (लम्बे सफर पर हो और जिसे कहते हो) सफारी वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकता। या क़िव्ले की तरफ नहीं ख़ुब्र कर सकता वाहन की वजह से, तो वह शाफी और मालिकी मज़हब की नक़ल करते हुए दो लगातार आने वाली नमाज़ों की जोड़ी बना लेता है जब वो वाहन से उतरता है। [सआदते अबदिया के चौथे एडिशन का पन्द्रवां बाव देखें।] अगर कोई शख्स ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है उसके लिए जाइज़ नहीं की वो इमा (इशारे) के साथ कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़े। वस या हवाई जहाज़ पर नमाज़ पढ़ना, वाहन पर नमाज़ पढ़ना जैसा ही है। कोई शख्स जो तीन दिन के लम्बे सफर की नीयत से निकलता है यानि 18 फेरसाह (पारासंग) = 54 मील $[54 \times 0.48 \times 4 = 104 \text{ किलोमीटर}]$ शहर या गाँव के अहाते से बाहर, सफारी बन जाता है जब वो शहर या गाँव की हद को छोड़ता है। इब्ने आबिदीन एक मील चार हज़ार ज़रा, और एक ज़रा चौबीस चौड़ाई के बराबर है। [एक उंगली की चौड़ाई 2

सेंटीमीटर है। शाफी और मालिकी मज़हब में, 16 फेरसाह = 48 मील = 48
X 0.42 X 4000 = 80 किलोमीटर।]

आओ नमाज़ पढ़े और अपने दिल की धूल साफ करे,
तुम खुदा के नज़दीक नहीं हो सकते, जब तक न पढ़ोगे नमाज़ !

जब भी नमाज़ पढ़ते हो, गुनाह कम होते हैं,
तुम अफ़ज़लियत नहीं पा सकते, जब तक न पढ़ोगे नमाज़!

कुरान करीम में हक़ तआला ने नमाज़ की बहुत तारीफ़ की है,
वो कहता है, “मैं तुझे कभी प्यार नहीं करूंगा, जब तक न पढ़ोगे
नमाज़!”

एक हदीस शरीफ़ है: ईमान ज़ाहिर नहीं होता,
किसी दूसरे शख्स पर जब तक तुम ना पढ़ोगे नमाज़!

नमाज़ न पढ़ना सारे गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है,
तौबा काम न आयेगी जब तक तुम ना पढ़ो छूटी हुई नमाज़!

जो नमाज़ की बेअदबी करता है वो अपना ईमान खो देगा,
वो दुबारा इस्लाम में न आयेगा, जब तक ना पढ़ोगे नमाज़!

नमाज़ दिल को पाक करती है, और जुर्म से रोकती है,
तुम रौशन न हो सकोगे, जब तक न पढ़ोगे नमाज़!

तक्वीर-इफतिताह का सवाब

जब एक इन्सान इमाम के साथ तक्वीर इफतिताह करता है तो, उसके गुनाह पतझड़ की हवा के साथ गिरे पत्तों की तरह झड़ जाते हैं।

एक सुबह रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ नमाज़ पढ़ रहे थे, तभी कोई आया लेकिन उसको सुबह की नमाज़ की तक्वीर इफतिताह के लिए बहुत देर हो चुकी थी, ह्यइसका मतलब है, कि वो इमाम के साथ तक्वीर इफतिताह में शामिल न हो सकाह। उसने एक गुलाम को आज़ाद कराया। उसके बाद, उसने रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ से पूछा, “या रसूलुल्लाह (ओ अल्लाह के पैगम्बर!) आज मैं सुबह की नमाज़ की तक्वीर इफतिताह नहीं कह पाया। मैंने एक गुलाम को आज़ाद कराया। मैं हैरान हूँ कि क्या मुझे ऐसा करके तक्वीर इफतिताह का सवाब मिल पाएगा?” रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने हज़रत अबू ब़कर ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हु’ से पूछा, “तुम इस तक्वीर इफतिताह के बारे में क्या कहते हो?” अबू ब़कर सिद्दीक ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हु’ ने फरमाया या रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ अगर मेरे पास चालीस ऊँट होते और वो सभी ज़ेवरात से लदे होते और मैं उन सबको ज़कात के तौर पर ग़रीबों को दे देता तब भी मुझे उतना सवाब नहीं मिलता जितना के इमाम के साथ तक्वीर इफतिताह कहने पर मिलता।” उसके बाद सबको पैदा करने की वजह पूछी गई, “या उमर तुम इस तक्वीर इफतिताह के बारे में क्या कहते हो?” हज़रत उमर ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हु’ ने फरमाया या रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ अगर मेरे पास मक्का से लेकर मदीना तक के रास्ते के बराबर ऊँट होते और सब ऊँट ज़ेवरात से लदे होते और अगर मैं वो सब ज़कात के नाम पर ग़रीबों को दे देता, तब भी मैं इतना सवाब हासिल नहीं कर पाता जितना कि मैं इमाम के साथ तक्वीर

इफतिताह करने पर हासिल करता।” उस पर, जब सबसे ज़्यादा नवाज़े गए नबी ने पूछा, “या उस्मान तुम इस तक्बीर इफतिताह के बारे में क्या कहते हो?” हज़रत उस्मान बिन नूरएन ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हु’ ने कहा, “या रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’! अगर मैं रात में एक नमाज़ दो रकातों से पढ़ूँ और हर रकात में पूरे कुरआन अल अज़ीमुश्शान की तिलावत करू तो तब भी मैं वो सवाब हासिल करने में नाकाम रहूँगा जो मैं इमाम के साथ तक्बीर इफतिताह करने में हासिल कर सकता हूँ। उसके बाद, हज़रत अली करीम अल्लाहु वज़ीह से पूछा, “या अली! तुम इस तक्बीर इफतिताह के बारे में क्या कहते हो?” आपने ऐसे जवाब दिया, “या रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’! अगर मग़रिब से मशरिक तक के सारे काफिर मुसलमानों को जड़ से मिटा देने के मक़सद से हमला करें और अल्लाहु तआला मुझे इतनी ताक़त दे कि मैं इन काफ़िरों के ख़िलाफ़ जिहाद कर सकूँ और उन्हें काट कर फेंक दूँ तो तब भी मैं वो सवाब नहीं पा सकता जो मुझे इमाम के साथ तक्बीर इफतिताह में शामिल होने पर मिलेगा।” उसके बाद रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “ओ मेरी उम्मत और सहाबा! अगर सात ज़मीन की परतें और सात जन्नत की परतें काग़ज़ होती और अगर सारे बहे आज़म सियाही होते और अगर सारे पेड़ क़लम होते और अगर सारे फ़रिशें हर बात लिखते और अगर क़यामत तक लिखते रहे तब भी वो सब उस सवाब को लिखने में नाकाम रहेंगे जोकि इमाम के साथ तक्बीर इफतिताह में शामिल होने पर मिलता है।”

आप कहना चाहते हैं, “वो सारे फ़रिशें जो अल्लाहु अज़ीमुश्शान ने पैदा किए?” (यहाँ इसका जवाब है), मेराज, [मिहरबानी करके ‘मेराज’ के लिए सआदते अबदिया के तीसरे हिस्से का सौलवाह मज़मून देखें] की रात, जब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ जन्नत की तरफ जा रहे थे, फ़रिशें जन्नत और दोज़ग़्र और बैर्तएमामूर (काबा) के चक्कर लगा रहे

थे! रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने पूछा, “ओ मेरे भाई जिबराईल फरिश्ते बैत-ए-मामूर पर आते हैं और वापस नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं?” जिबराईल ‘अलैहिस्सलाम’ ने फरमाया, “या हबीब अल्लाह (ओ अल्लाह के प्यारे)! जब से मैं वजूद में आया हूँ, मैंने किसी भी फरिश्ते को इस बैत-ए-मामूर पर आने के बाद वापस जाते हुए नहीं देखा। एक बार बैत-ए-मामूर (बैतुलहराम) का तवाफ़ पूरा करके जाने के बाद उनकी बारी दुबारा कयामत तक नहीं आएगी।”

जब एक शख्स नमाज़ में अऊज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह अज़ीमुश्शान अपने उस बन्दे को उसके पूरे बदन पर जितने बाल हैं उसके हर एक बाल के बराबर सवाब देता है। जब वो गुलाम बन्दा फातिर्हाँए शरीफ पढ़ता है तो अल्लाहु तआला उसे वही सवाब देंगे जो हज़ कुबूल करने के बाद देते। जब वो बन्दा रूकू में झुकता है तो अल्लाहु अज़ीमुश्शान उसे उतना ही सवाब देगा जितना कि उसे हज़ारों सोने के सिक्के ज़कात में देने पर देता, और जब वो तीन बार तस्वीह कहेगा (यानी जब सुब्हाना रब्बियल अज़ीम कहेगा) जैसा कि सुन्नत में बताया गया है, अल्लाहु अज़ीमुश्शान उसे इतना सवाब देंगे जैसे कि उसने चार आसमानी किताबें पढ़ली हों और सौ जन्नत के सुहूफ़ (छोटे आसमानी किताबचह) जब वो कहेगा, “**समि अल्लाहु लिमन हमिदह**।” (जब वो रूकू से उठेगा) अल्लाहु अज़ीमुश्शान उस बन्दे को अपनी रहमत के सागर (वहे आज़म) से भर देगा (माफ़ी नेमत) जब वो सज्दे में जाता है अल्लाहु तआला उस बन्दे को सब इन्सानों के बराबर सवाब देता है। जब वो तीन बार तस्वीह कहता है यानी जब वो कहता है सुब्हा न रब्बियल आला जैसे कि सुन्नत हुक्म है कि अल्लाहु अज़ीमुश्शान अपने उस बन्दे को बेहिसाब सवाब दे देता है। उनमें से कुछ रिवायात (औलिया-ए-इस्लाम) की ये है: पहला सवाब है कि अल्लाह अपने बन्दे को अर्श और कुर्सी [मिहरबानी करके सआदते अबदिया के छठे हिस्से का इक्किसवाँ मज़मून देखें।] के वज़न

के बराबर भारी सवाब देगा। दूसरा अल्लाहु अज़ीमुश्शान अपने इस बन्दे की मग़फ़रत (माफ़ी) करेगा। तीसरा सवाब है जब वो बन्दा मर जाएगा तो मीकाईल 'अलैहिस्सलाम' उसकी कब्र पर (वारंवार) क़यामत तक चक्कर लगाएंगे। चौथा, जज़ा के दिन मीकाईल 'अलैहिस्सलाम' उस बन्दे को अपने पंखों पर बिठाकर जन्नत-ए-आला (जन्नत) [वो सारी अच्छी ख़बरें जो अभी तक दी गई उसमें सारे मुसलमान शामिल हैं चाहे वो कोई भी जिनस के हों। उ ले जाएंगें।

जब एक शख्स कअदा-ए-आख़िरा (आख़िरी बैठने का तरीका) में बैठता है। अल्लाह अज़ीमुश्शान उस शख्स को उतना ही सवाब देता है जितना कि फुकरा-ए-साबिरीन को (वो मुसलमान जो ग़रीब और सब करने वाले दोनों हों)।

फुकरा-ए-साबिरीन अग़निया-ए-शाकिरीन से अमीर और शुक्र करने वाले मुसलमान पाँच सौ साल पहले जन्नत में पहुँच जाएंगें। जब अग़निया-ए-शाकिरीन अपने से पहले उनको देखेंगे, तो वो कहेंगे, “हम कैसे चाहते थे कि हमारा शुमार फुकरा-ए-साबिरीन में हो।”

कब्र में तुम्हारे पास सवाल जवाब करने वाले फरिश्तें आएंगे;

“क्या तुमने नमाज़ सही तरीके से पढ़ी,” वो कहेंगे।

“क्या तुमने सोचा था कि मौत तुम्हें बचाने आएगी?”

तुम्हारे लिए तकलीफ़ दह अज़ाब तैयार है,” वो कहेंगे।

जन्नत-ए-आलियात के बारे में

(जन्नत के ऊँचे बागात)

जन्नत के आठ बागों के आठ दरवाज़ें और आठ चावियाँ हैं। सबसे पहला ईमान (यकीन) जो मोमिनों के लिए है जो (रोज़ाना पाँच वक़्त की इबादत जिसे कहते हैं) नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरा विस्मिल्लाह शरीफ़ है (यानी ये कहो विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) बाक़ी (आगे के) छः हैं (पहली सूरत कुरआन-अल-करीम की) फ़ातिहा शरीफ़ में। आठ जन्नतें (जन्नत के बाग़) ये हैं:

1- दर-ए-जलाल । 2- दर-ए-करार । 3- दर-ए-सलाम । 4- जन्नतुल-खुल्द । 5- जन्नतुल-मावा । 6- जन्नतुल अदून । 7- जन्नतुल फिरदौस । 8- जन्नतुल ना-ईम ।

1- दर-ए-जलाल सफ़ेद नूर का है ।

2- दर-ए-करार याकूत का है ।

3- दर-ए-सलाम ज़मरूद का है । (हरा कीमती पत्थर)

4- जन्नतुल खुल्द मूँगे का है ।

5- चाँदी से बना जन्नतुल मावा ।

6- सोने से बना जन्नतुल अदून (बाग़) ।

7- सोने और चाँदी से बना जन्नतुल फिरदौस ।

8- याकूत से बना जन्नतुल न ईम ।

मोमिन जो जन्नत में दाखिल होंगे हमेशा वहीं रहेंगे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। जो हूँ वहाँ होगी उन्हें कभी हैज़ या निफ़ास की हालातों से दोचार नहीं होना पड़ेगा, न ही उनका मन कभी बहकेगा या गलत ख्वाहिश करेगा। (न ही वो कभी नाराज़ होगी) जिस खाने या पीने की ख्वाहिश करेंगे वही उनके सामने हाज़िर होगा। वो हर तरह की परेशानियों जैसे खाना बनाना या उठाना से दूर होंगे। उनके सरो पर मुर्ग उड़ते फिरेंगे। मोमिन उन्हें ऐसे देखेंगे जैसे वो अपने मकानों में बैठकर देख रहे हों। “अगर हम दुनिया में होते और तुम मेरे इतने पास होते तो मैं तुम्हें भून कर खा जाता।” जैसे ही उनके मन में ये ख्वाहिश उठी उनके सामने एक थाल में नूर से बना हुआ भूना मूर्ग खाने के लिए आ गया। मुर्ग को खाने के बाद मोमिन ने उसकी हड्डियाँ एक जगह ढेर कर दी और दिल में ख्वाहिश उठी कि ये हड्डियाँ फिर से मुर्ग बन जाए। जिस लम्हे उसके दिल में ये ख्वाहिश उठी आनन फानन उसी वक़्त वो हड्डियाँ दोबारा पहले जैसा मुर्ग बन गई और वो नया मुर्ग उड़ कर चला गया।

जन्नत की मिट्टी ज़ाफ़रेन से बनी है और मकानात की एक ईंट चाँदी की और एक ईंट सोने की बनी है और उसका गारा मुश्क का होगा।

हर मोमिन को जन्नत में सौ आदमियों की ताक़त दी जाएगी। हर एक को कम से कम सत्तर हूँ और दो दुनियावी औरतें दी जाएंगी।

जन्नत में चार नहरे होंगी जो एक ही जगह से फूटेंगी, लेकिन चारों के बहने में और ज़ायकों में फ़र्क होगा। उनमें से एक मीठे शीरीन पानी की होगी, दूसरी ख़ालिस दूध की होगी, तीसरी जन्नत की शराब होगी और चौथी बिना मिलावट के शहद की होगी।

जन्नत में ऊँचे मकान होंगे। वो झुक जाएंगे और मोमिन उनपर चढ़ कर जहाँ जाने की ख्वाहिश करेंगे (जा सकते हैं) वो उन्हें वहाँ ले जा सकते हैं। (उनकी मुशब्ह दुनिया में आज के चलते हुए जीने और जहाज़ों की सी है।)

जन्नत में एक पेड़ है जिसको 'तूबा' कहते हैं। इस पेड़ की जड़ें बहुत ऊँचाई पर हैं और उसकी टहनियाँ और शाखें नीचे झुकी हुई हैं। उसकी मिसाल दुनिया में चाँद और सूरज की तरह है।

जन्नत के लोग खाने और पीने का पूरा मज़ा लेते हैं और उस खाने और पीने के ज़ायकों को महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें न पेशाब आएगा, न पाख़ाना, वो इन्सानी ज़रूरतों और परेशानियों से दूर होंगे।

अल्लाह तआला जन्नत में अपने मोमिन बन्दों से मुखातिब होगा, “ओ मेरे बन्दों इससे ज़्यादा क्या तुम मुझसे और भी कुछ मांगते हो आगे बढ़ो और नेमतों और राहतों का मज़ा लो।” बन्दे जवाब देंगे, “या रब्बी! तुमने हमें दोज़ख़ से आज़ाद किया और अपनी जन्नत में दाख़िल किया, और कितनी सारी हूरें, ख़ादिम और विवियाँ दी, ये हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात है कि हम और ज़्यादा मांगें।” उसके बाद ख़बी-उल-आलमीन ने उनको दोबारा मुखातिब किया और इर्शाद फरमाया, “ओ मेरे बन्दों वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मुझसे मांग सकते हो, जो इन सब चीज़ों के अलावा हो।” तब बन्दों ने कहा या रब्बी हम किस मुंह से तुझ से कुछ और मांग सकते हैं हमें मालूम ही नहीं कि इसके अलावा हम तुझ से और क्या मांग सकते हैं।” रब्बी-उल-आलमीन ने उनसे पूछा, “ओ मेरे बन्दों! तुम जब दुनिया में किसी उलझन का शिकार हो जाते थे, तो क्या इस्तेमाल करते थे?” उन्होंने जवाब दिया कि वो इस्तेमाल करते थे पूछते थे ‘उलेमा’ (इस्लामी आलिमों) से और वो सुनते थे और उनके मसले हल हो जाते थे। हज़रत हक़ सुबहानहु व तआला ने फरमाया,

“अब भी वही करो और ‘उलेमा’ के साथ मिलो और मशवरा करो।” तो ‘उलेमा’ ने मोमिनों से कहा, “क्या तुम लोग जमालुल्लाह के बारे में भूल गए? जब तुम दुनिया में थे तो दीदार (अल्लाह को देखने की) की दुआ करते थे, और कहते थे, आखिरत में हमारा रब जो हमसे दूर है अपना (हुस्न) दिखाएगा। उसी को तुम अब मांगो।” उसके बाद वो रूयते जमालुल्लाह (अल्लाह का हुस्न देखेंगे) और अल्लाह अज़ीमुश्शान आज़ाद उस जगह से दूर, अपना जमाल-ए-वक़माल दिखाएंगे। जब वो हक़ तआला का जमाल-ए-पाक देखेंगे तो उसके नूर का असर उनपर हज़ारों साल तक रहेगा।

जब मोमिन अपने मकान में बैठा होगा, तो उसके चारों तरफ और खिड़की के सामने फल होंगे। जब वो सोचेगा, “चलो मैं अपना हाथ बाहर निकाल कर उस शाखा तक पहुँचाऊँ, और फल तोड़कर खा लूँ”, उसको अपनी जगह से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो शाखा उसे चाहिए वो वही है जहाँ वो बैठा है, वो फल तोड़ेगा और मुंह में रखेगा। इससे पहले कि उसका ज़ायका उसके गले तक पहुँचे एक दूसरा फल उस पहले वाले फल की जगह पर लग जाएगा। जब वो फल मुंह में रखेगा तो वो पके हुए और मज़ेदार होंगे। इस वजह से रब्बी उल इज़ज़त एक ताज़ा फल उगा देता है।

अगर तुम सच्चे हो, नमाज़ पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए खुशियों का ताज है। तुम्हारी नमाज़ की जानकारी मोमिन की ‘भेराज’ है।

वक़्त पर इबादत ना करना (कज़ा नमाज़ें)

एक नमाज़ जो अपने बताए हुए वक़्त पर पढ़ी जाए उसके बहुत ज़्यादा सवाब है। उनमें से कुछ बयान हैं (औलिया-ए-इस्लाम के):

1- इसका पहला सवाब है कि नमाज़ी का चेहरा नूर (रौशन) से भर जाता है।

2- नमाज़ी की उम्र में वरक़त होती है।

3- जो भी दुआँएँ नमाज़ी माँगता है अल्लाहु तआला उसे कुबूल करता है।

4- नमाज़ी ख़ैर वाला बन्दा बन जाता है।

5- नमाज़ी हर मोमिन का चाहता बन जाता है।

एक नमाज़ बिना किसी उज़र के छोड़ी जाए जैसे कि जो वक़्त उसके लिए बताया गया है उसके बाद पढ़ी जाए बग़ैर किसी वजह के जो कि इस्लाम ने वाजिब की है अगर ऐसा करता है तो पन्द्रह अज़ाब हराम में गिरफ़्तार होगा। पाँच हराम दुनिया में, तीन उनमें से मौत के वक़्त पर, उनमें से तीन क़ब्र में और चार 'अरसात' (अराफ़ात) के मुक़ाम पर जाते हुए।

उसके पाँच हराम अज़ाब दुनिया में ये हैं:

1- उस शख्स के चेहरे पर कोई नूर नहीं होगा।

2- उसकी उम्र में कोई वरक़त नहीं होगी।

3- उसकी इबादतें और दुआँएँ कुबूल नहीं होगी।

4- जो ख़ैरात, नज़र, नियाज़ वो अपने मुसलमान भाई पर करेगा वो अल्लाहु तआला कुबूल नहीं करेगा।

5- जो वो नेकी का काम करेगा उसका सवाब व अज़्र न मिलेगा।

उसके तीन हराम सकरात-ए-मौत के वक़्त (मौत की तकलीफ़ें) हैं:

1- वो भूखा मरेगा।

2- वो प्यासा मरेगा।

3- वो ख़्वा़र और ज़लील मरेगा। बेशुमार ख़ाना भी उसकी भूख़ नहीं मिटा सकता, चाहे कितना भी पानी हो उसकी प्यास नहीं बुझेगी।

तीन हराम क़ब्र में ये हैं:

1- उसकी क़ब्र उसे इतना दबाएगी कि उसकी हड्डियाँ आपस में मिल जाएंगी।

2- उसकी क़ब्र में हर तरफ़ आग़ होगी।

3- एक अज़दहा उसके ऊपर गिरेगा। इस अज़दहे का नाम अक़रा है। एक हाथ में उसने चाबुक ले रखा होगा। एक चाबुक का झटका उसको ज़मीन की गहराइयों में पहुँचा देगा। वो हण्टर से मार खाने के लिए वापस आएगा। ये हण्टर की मार क़यामत तक चलती रहेगी ताकि वो हिसाब किताब के दिन तक सख़्तियों में मुक्ता रहे।

चार हराम अरसात के मुक़ाम पर ये हैं:

1- वो सख़्त आज़माइशों से गुज़रेगा।

2- उसपर अल्लाहु अज़ीमुश्शान का क़हर नाज़िल होगा।

3- वो दोज़ख़ में जाएगा।

4- उसकी पेशानी उसके माथे पर तीन इबारतें लिखी होगी:

पहली इबारत: इस शख्स पर अल्लाह की मार है।

दूसरी इबारत ये होगी: इस शख्स ने अल्लाहु तआला का हक बेकार किया।

तीसरी इबारत में कहा गया: जिसने अल्लाह का हक (ज़िकरे इलाही न किया) बेकार किया वो अल्लाहु तआला की नेमतों से बहुत दूर मेहरूम हो गया।

नमाज़ इस्लाम का अहम रूकन (मस्तूल) है। अगर एक शख्स अपनी नमाज़ (रोज़ाना पाँचों वक़्त की) अदा करता है तो वो अपने ईमान के बादवान (मस्तूल) को सीधा रखता है। जिसके ज़रिए वो एक साएंबा बनाता है जिसमें वो पनाह लेता है।

अगर एक शख्स जानबूझकर एक भी नमाज़ छोड़ता है और उसकी कज़ा भी नहीं पढ़ता (यानी अगर बाद में भी नहीं पढ़ता) तो तीनों मस्लकों में उसको क़ल्ल कर देने का फ़तवा जारी किया हुआ है। हनफी मस्लक के मुताबिक़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे क़ल्ल किया जाए। हालांकि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसे अकबर-ए-कबीर कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उसे कैद किया जाए और उसे जेल में रखा जाए जब तक की वो (अपनी रोज़ाना की नमाज़) नमाज़ पढ़नी शुरू न कर दें। एक शख्स जो नमाज़ छोड़ता है क्योंकि वो नमाज़ की अच्छाईयों को एहमियत नहीं देता और क्योंकि वो नमाज़ की इस सच्चाई को नहीं जानता (एक मोमिन की) कि नमाज़ हमारा बुनयादी फ़र्ज़ है तो वो काफिर बन जाता है।

अगर एक शख्स कोई भी एक (रोज़ाना की पाँचों वक़्त की नमाज़) नमाज़ जानबूझकर छोड़ देता है और उसके बाद कज़ा पढ़ लेता है (यानी जैसे उसने बाद में पढ़ने के बाद अपना कर्ज़ उतार दिया) तब भी वो दोज़ख़ की

आग में एक लम्बे अरसे तक जलता रहेगा जिसे हुक्वा कहते हैं। यानी अस्सी साल तक। सख्तियों से बचने के लिए उसे तौबा और माफ़ी मांगना होगा ताकि अल्लाह उसे माफ़ कर दें।

(यहाँ पर एक दिन दुनिया के एक हज़ार साल के बराबर है। यहाँ पर सालों का शुमार इसी के मुताबिक़ समझा जाएगा।) मुहम्मद अमीन इबने आबिदीन ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ ने अपनी किताब जिसका मज़मून **रज़ू-उल-मोहतर** है में इर्शाद फरमाया जैसा कि इर्शाद हुआ (औलिया-ए-इस्लाम) ने नमाज़ सब मज़हबी फ़िक़कोंह में सबसे अहम मज़हबी हुक्म है। आदम ‘अलैहिस्सलाम’ (रोज़ाना) देर दोपहर में नमाज़ अदा करते थे। याकूब ‘अलैहिस्सलाम’ (रोज़ाना) शाम में (सूरज छुपने के बाद) नमाज़ अदा करते थे। और युनुस ‘अलैहिस्सलाम’ (रोज़ाना) रात में नमाज़ अदा करते थे। जैसा कि ईमान का एक उसूल है इस बात को मानना के कौनसा काम फ़र्ज़ है कौन सा हराम है। इसी तरह ईमान का उसूल है इस बात को मानना कि ये एक फ़र्ज़ है, एक कर्ज़ है (रोज़ाना पाँच वक़्त की) नमाज़ को अदा करना हालांकि ये ईमान का उसूल नहीं है कि नमाज़ अदा करो।

नमाज़ हर मुसलमान आक़िल, बालिग़, मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि वो पाँच वक़्त की नमाज़ रोज़ाना पढ़ें, अगर उनके पास कोई उज़र न हो (यानी कोई चीज़ जो उन्हें इस ज़िम्मेदारी से बचाए) मेराज की रात पाँच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ कर दी गई। (एक इस्लामी हुक्म) **मुक़द्दिमा उस सलात और तफ़सीर-ए-मज़हरी और हालाबिए-कबीर** किताबों में हदीस शरीफ़ से रिवायत है जो कि ऐसे पढ़ी जाएगी: “जिबराईल ‘अलैहिस्सलाम’ (और मैं एक साथ नमाज़ पढ़ रहे थे और जिबराईल ‘अलैहिस्सलाम’) लगातार दो दिन से काबे के दरवाज़े के बराबर में हम दोनों के लिए नमाज़ की इमामत कर रहे थे। हम दोनों ने इबादत करी सुबह सादिक के वक़्त दोपहर होने से पहले इबादत की जबकि

सूरज बीच से ढल रहा था सूरज ढलने के बाद की इबादत जब हर चीज़ का साया असली साये के अलावा दो भिन्न हो गया तब पढ़ी शाम की इबादत सूरज डूबने के बाद की [यानी जब सूरज गुरुव हो गया] और रात की इबादत अंधेरा होने के बाद की। दूसरे दिन सुबह की नमाज़ हमने अच्छी तरह उजाला होने पर पढ़ी दोपहर की नमाज़ जब हर चीज़ का साया उस चीज़ से दुगना हो गया दोपहर के बाद की इबादत उसके फौरन बाद शाम की इबादत रोज़ा खोलने के वक़्त पर और रात की इबादत एक तिहाई रात में। उसके बाद उन्होंने फरमाया ओ मोहम्मद ये नमाज़ (रोज़ाना की पाँच नमाज़ों का वक़्त) के औकात है तुम्हारे लिए और तुम्हारे से पहले आए पैग़म्बरों के लिए। अब तुम्हारी उम्मत इन पाँचों नमाज़ों को उन दोनों वक़्तों के बीच में पढ़ेगी जैसा कि हमने हर नमाज़ पढ़ी है।” हम पर हुक्म नाज़िल हुआ है कि हम रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ें। ये हर मौँवाप पर लाज़िम (ज़रूरी) है कि जब बच्चा सात साल का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे और जब वो दस साल का हो जाए तो उसे हाथ मार कर नमाज़ पढ़वाएँ। किसी को तीन बार से ज़्यादा मारने की इजाज़त नहीं है और न ही उसे लकड़ी से मारा जाए। रोज़े के लिए (रमज़ान के महीने में) या नशीली चीज़ों से बचाने के लिए बच्चे पर यही मार का तरीका लागू/नाफ़िज़ होता है। एक शख्स जो इस बात से इंकार करता है कि नमाज़ अदा करना एक फ़र्ज़ है और ये एक मुसलमान का बुनयादी फ़र्ज़ है तो वो इस्लाम को न मानने वाला (काफ़िर) बन जाता है। अगर वो मुक़र्रर वक़्त की वजह से नमाज़ नहीं पढ़ सका जबकि उसे पता है कि ये फ़र्ज़ है तो वो फ़ासिक मुसलमान बन जाता है। उसको कैद में रखा जाए जब तक कि वो नमाज़ न पढ़ने लगे। ये सब बग़ैर किसी ज़बरदस्ती या माफ़ी के होना चाहिए। अगर वो (रोज़ाना पाँच वक़्त की) नमाज़ पढ़ना शुरू नहीं करता है, तो उसे मरते दम तक कैद में रखा जाए। ऐसे भी इन्सान हैं जो कहते हैं इसको तब तक मारा जाए जब तक इसका खून न निकल आए। शाफ़ई और मालिकी

मस्लक में, एक शख्स जो एक नमाज़ छोड़ता है वो काफिर नहीं बन जाता लेकिन उसको सज़ा के तौर पर क़ल्ल कर देना चाहिए। एक रिवायत है (औलियाओं की) हनफ़ी मस्लक में वो दोनों है वो काफिर भी है उसे क़ल्ल भी कर दिया जाए। शाफ़ई मस्लक में भी कुछ उलेमा इस 'इजतीहाद' को मानते हैं। अगर एक शख्स जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसे मुसलमान करार देना चाहिए। दूसरों के लिए पहले कोई रुकावट नहीं थी कि वो नमाज़ जमात से पढ़े अल्लाह को मानने वाले अपने आप नमाज़ पढ़ सकते थे। दूसरा इबादत का तरीका जो उनको अदा करना था वो था हज (ज़ियारत) क्योंकि नमाज़ इबादत का ऐसा तरीका है जिसे जिस्मानी तौर पर अदा किया जाता है। एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए नमाज़ नहीं पढ़ सकता। क्योंकि ज़कात इबादत का ऐसा तरीका है जो जाएदाद के ज़रिए अदा होता है तो एक शख्स बिना किसी उज़र के दूसरे शख्स को अपने बदले ज़कात देने का इख़्तियार दे सकता है और उसके लिए पहले शख्स की उसी की जाएदाद का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हज (ज़ियारत) ऐसा फरीज़ा है जो जिस्मानी और माली दोनों तरह से अदा किया जाता है इसलिए एक शख्स को अगर कोई उज़र है यानी कोई चीज़ उसके हज करने में रुकावट बने तो वो किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह हज करने भेज सकता है। यानी पहले वाला अपने पैसों से उसे हज्जे बदल करा सकता है। एक बहुत बूढ़ा शख्स जो अब सारी ज़िन्दगी रोज़े नहीं रख पाएगा वो किसी ग़रीब मुसलमान की जाएदाद जिसे फ़िदया बोलते हैं हर एक रोज़े (का जो वो रखने में नाकाम रहा) देना पड़ेगा। नमाज़ के बदले फ़िदया देने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई शख्स नमाज़ अदा करने से कासिर रहे तो ये अच्छा है कि उसके मरने के बाद उसकी छोड़ी हुए जाएदाद में से उसकी इबादतों के कर्ज़ों का फ़िदया अदा कर दिया जाए। अगर जो जाएदाद वो छोड़ कर मरा है इस्कात के लिए पूरी नहीं है तो डाउर अदा किया जा

सकता है। रोज़े के लिए वैसे भी इस्कात वाजिब है। [मिहरबानी करके सआदते अबदिया के पाँचवे हिस्से का इक्विसवाँ मज़मून देखिए]

गर्मियों में शुमाली मुल्कों में कुछ जगहों पर जहाँ फ़ज (सुबह का वक़्त) शाम के बिल्कुल अंधेरे में डूबने से पहले हो जाए जिसका मतलब रात और सुबह की नमाज़ों का वक़्त कभी शुरू न हो इन दोनों इबादतों को अदा करना ज़रूरी नहीं है। हनफी मस्लक के मुताबिक़। आला मुजतहिद इमाम शाफ़ई ‘रहमतुल्लाहु तआला’ ने इस इजतीहाद शरीअत को नकारा कि दोनों नमाज़ें पढ़नी चाहिए। हालांकि बहुत सारे उलमाए इस्लाम के मुताबिक़ यानी जो लोग ऊपर बताए हुए हालात से गुज़र रहे हैं सुबह और रात की नमाज़ पढ़नी नहीं चाहिए। न ही उनको उसकी कज़ा अदा करनी चाहिए। दूसरे लफ़्ज़ों में उनको बाद में भी दोनों नमाज़ों में से कोई भी नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए इसके लिए, किसी भी नमाज़ के लिए मुक़र्रर वक़्त शुरू नहीं हुआ। ये एक फ़र्ज़ नहीं है कि एक नमाज़ जिसका वक़्त शुरू नहीं हुआ वो पढ़ली जाए। रोज़े के साथ भी ऐसा नहीं है। जब एक मुल्क में चाँद निकल आता है, तो सब मुल्कों में रमज़ान हो जाता है।

जब तुम कोई फ़र्ज़ अदा कर रहे हो और उसमें हरज आ जाए या कोई ऐसे काम को नज़र अदाज़ कर रहे हो जोकि हराम है, तुम दूसरे मस्लक की नक़ल को अपना रहे हो (यानी, तीनों मस्लकों में से एक) जिसमें हरज मौजूद नहीं होता। हरज का मतलब है कोई चीज़ मुश्किल के साथ करना या फिर सिर से उसको करने के लायक न होना। अगर तीनों मस्लकों में कोई भी एक हरज से आज़ाद नहीं है और अगर हरज दरूरत [एक ज़रूरत सामवी है (वेइरादाह जो तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर करे या जो इसे छोड़ने के लिए नामुमकिन बना दे यानी एक हालत जो तुम्हारी इच्छा से परे हो।)] के बदले पैदा हुआ तो फिर तुमको उस फ़र्ज़ को अदा करने से छूट मिल जाएगी या फिर उस

हराम से बचो अगर उसकी मौजूदगी दरूरत (ज़रूरत) के बदले नहीं है तो तुम्हें उस हरज से निकलना होगा मेहरबानी करके सआदत-ए-अबदिया के चौथें हिस्से का चौथा मज़मून देखिए!

एक मुसलमान जिसको सुबह की नमाज़ की देर हो गई (सुन्नत की) तो वो सुन्नत को छोड़ सकता है ऐसा न ही उसकी (सुबह की नमाज़ पढ़ने से) जमात छूट जाए। वो वाजिव तौर पर सुन्नत छोड़ सकता है (सुबह की नमाज़ का हिस्सा) ऐसा न हो वो वक़्त गंवा है। (जिस वक़्त में सुबह की नमाज़ अदा की जाए) अगर वो (अदाज़ा लगा लिया) जमात के साथ नमाज़ पढ़ सकता है तो वो सुन्नत मस्जिद (के) बाहर एक खम्बे के पीछे (मस्जिद के अंदर-अंदर) पढ़ सकता है। अगर वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं (सुन्नत पढ़ने के लिए) तो वो सुन्नत को छोड़ सकता है। फिर पढ़ सकता है (जहाँ मुसलमान पढ़ रहे हैं) जमात के पास। मकरूह से बचने के लिए सुन्नत को छोड़ना होगा।

फ़र्ज़ नमाज़ें जो किसी उज़र की वजह से छूटी उन्हें फ़ौत हो जाना कहते हैं जिसका मतलब है (फ़र्ज़) नमाज़ें जोकि तुम पढ़ने में नाकाम रहे। (बताए हुए वक़्त पर) नमाज़ें आलस की वजह से और बग़ैर किसी उज़र के छोड़ी गई उन्हें मकरूहात कहते हैं जिसका मतलब है जो बग़ैर वजह के छोड़ी गई। फ़िकाह के आलिमों ने उन नमाज़ों को जो (किसी उज़र की बिना पर भूल गए) क़ज़ा फ़ौत (ख़त्म हो जाना) कहा है बजाए छोड़ी हुई नमाज़ों के। उसके लिए ये बड़ा गुनाह है के नमाज़ बिना किसी उज़र के उसके बताए हुए वक़्त पर न पढ़े। ये गुनाह (सिर्फ़) क़ज़ा अदा करने से माफ़ नहीं होगा (यानी बाद में अदा किया और कर्ज़ दे दिया) इसके साथ ये ज़रूरी है के तौबा की जाए और एक हज्जे मबरूर किया जाए। जब क़ज़ा नमाज़ पढ़ी जाए (यानी जब बाद में छोड़ी हुई नमाज़ पढ़ी जाए और कर्ज़ अदा किया जाए।) जो एक गुनाह माफ़ किया जाएगा वो आपकी नमाज़ छोड़ने की वजह से

नागवार हो जाएगा न के नमाज़ को (बताए हुए वक़्त में) पढ़ने की वजह से। बग़ैर कज़ा अदा किए तौबा मांगी जाए (यानी कर्ज़ दिये बग़ैर) सही नहीं है (यानी ये तौबा जायज़ नहीं है) तौबा के लिए (किसी ख़ास गुनाह) ये शर्त लागू होती है के जिस गुनाह में शामिल हो उसे पूरी तरह छोड़ दो।

पाँच 'उज़र' है (इस्लाम ने अच्छी वजूहात दी है) जिनसे नमाज़ को बताए गए वक़्त से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर दुश्मन घेर ले, तो एक शख्स चाहे वो क़िब्ले की तरफ से अलग बैठा है या पीठ मोड़ा हुआ है तो वो नमाज़ नहीं पढ़ सकता, अगर एक मुसाफ़िर (यानी एक शख्स लम्बी यात्रा पर ख़ाना हुआ) सफ़र पर है उसको रास्ते में चोर, डाकूओं या लूटेरों के ज़रिए पकड़ें जाने का ख़ौफ़ हो, अगर एक दाई को माँ या उसके बच्चे के मर जाने का अंदेशा हो तो इन लोगों (तीनों) के लिए ये एक उज़र है के वो नमाज़ को मुल्तवी कर दें। चौथा उज़र है भूलना और पाँचवा उज़र है अगर वो सो जाए। ये एक अदा (या ईदा) [एक ख़ास नमाज़ को अदा करने का मतलब है उसको उसके मुक़र्रर किए गए वक़्त में पढ़ना। कज़ा पढ़ने का मतलब है के उसके वक़्त ख़त्म होने के बाद पढ़ना।] है। हनफी मस्लक में तक्वीर इफ़तिताह को पूरी तरह से किया जाए और शाफ़िई मस्लक में बताए गए वक़्त के होने से पहले एक रकात (नमाज़ की) पढ़ली जाए।

सब (फ़र्ज़) नमाज़ों की कज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है और वाजिब की कज़ा वाजिब है। अगर कोई शख्स सुन्नत की कज़ा नमाज़ पढ़ता है तो वो (इस नमाज़ की) सुन्नत के लिए सवाब कमाता है। ये ज़रूरी है के रिवायत के हुक्म को माना जाए जब पाँच वक़्त की नमाज़ की इबादतों के फ़र्ज़ और वित्र को अदा किया जाए और साथ में उनकी कज़ा भी पढ़ी जाए। ये उसूल उस वक़्त लागू नहीं होता जब नमाज़ का वक़्त विल्कुल ख़त्म होने वाला हो। दूसरे लफ़्ज़ों में, जो मौजूद नमाज़ का वक़्त है, उसे कज़ा (यानी छोड़नी) नहीं चाहिए, जो

पिछली नमाज़ें छोड़ी हुई है उनको पढ़ने के लिए (यानी वो नमाज़ पढ़ना जो पहले इबादत वाले वक़्त की और जो तुमने छोड़ दी थी।) एक और वाक्या जो इस उसूल को कमज़ोर करता है, तुम्हारे लिए के तुम भूल जाओ फ़ौत नमाज़ों को (यानी नमाज़ें जो तुम्हारी रह गई या छूट गई।) या फिर फ़ौत नमाज़ों का नम्बर छः बन गया। तरतीब (यानी पाँच नमाज़ों का उसूल) तब तक नहीं आएगी जब तक के नम्बर छः से नीचे न गिर जाए। हालांकि फ़र्ज़ नमाज़ें बिना तरतीब के पढ़ी जाए तो फ़ासिद हो जाती है (जिसका मतलब है टूट जाती है) अगर उनका नम्बर छः हो जाता है तो सारी सही (लागू) हो जाती है जब पाँचवी नमाज़ का वक़्त पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक शख्स जिसने सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी लेकिन जुहर की, और अस्त्र की, और शाम की और रात की और वित्र की नमाज़ें पढ़ी। (बिना सुबह की नमाज़ पढ़े।) हालांकि उसे याद है, उसने सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी, उनमें से कोई एक भी सही नहीं, जब सूरज निकलता है (दूसरी सुबह) तो तब तक सब सही हो जाता है।

जितनी जल्द हो सके फ़ौत नमाज़ों की कज़ा पढ़ लेनी चाहिए। उनको टालने (मुलतवी) की सिर्फ़ उस वक़्त तक इजाज़त है जब तक कि तुम अपने खानदान के ज़िन्दा रहने के लिए कुछ हासिल न करलो और रोज़ाना की पाँच नमाज़ों की सुन्नत को अदा न करलो और नमाज़ों में दुआ और तस्बीह (या अल्लाह की बड़ाई) और तहीयातूल मस्जिद [ये सारी इबारतें सआदते अबदिया के छठे फ़ैसिकल में बताई गई है।] न पढ़ लो। इब्ने आबिददीन ने उस हिस्से में जहाँ बुजू की सुन्नतों के बारे में लिखा है उन्होंने उसमें इशार्द फरमाया है इजाज़त का मतलब है बंद नहीं किया हुआ। एक रूकन जो के मकरूह तन्जीही है (उस काम को कहते हैं जिसको छोड़ने से सवाब है और करने में अज़ाब तो नहीं लेकिन एक तरह की बुराई है।) वो (औलिया-ए-इस्लाम के ज़रिये) वाजिब है। यहाँ ये ज़रूरी है के उन चीज़ों को न किया जाए जो जायज़ बताई

गई है फिर भी कज़ा नमाज़ों को पढ़ने में देर नहीं करनी चाहिए ऐसी सुन्नत नमाज़ों को पढ़ने के लिए। रमज़ान में जो रोज़े तुम रखने में नाकाम रहे उनकी कज़ा करने में कोई जल्दी मत करो।

एक शख्स जो इस्लाम को अपनाता है (काफ़िरों के देश में) दारूल-हरब में तो उन्हें कज़ा नहीं अदा करनी पड़ेगी (फ़र्ज़ इबादतों की जैसे) नमाज़, रोज़ा और ज़कात की जो उसने बताए हुए वक़्त पर अदा नहीं की क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था। हालांकि उन लोगों के लिए जो (मुसलमान मुल्क) यानी दारूल-इस्लाम में रहते हैं उन कामों को न जानना जो फ़र्ज़ है या हराम है ये कोई उज़र वाली बात नहीं है। अगर एक मुरतदीद (यानी काफ़िर जिसने इस्लाम को छोड़ दिया) फिर दोबारा ईमान ले आया तो उसने जो नमाज़ें अपनी मासियत के दौरान नहीं पढ़ी थी उनकी उसे कज़ा नहीं पढ़नी क्योंकि इस्लाम खुद काफ़िरों से कलाम नहीं करता। अगर एक सावे (एक बच्चा जो अभी नाबालिग की उम्र में है उस पर इस्लाम का फरमान लागू नहीं होता) रात की नमाज़ पढ़ता है (उसके बाद सो जाता है और) और फिर एहतिलाक की हालत हो जाता है उसके बाद फज़ (सुबह) में उठता है, तो उसको कज़ा (पिछली रात की) नमाज़ अदा करनी होगी (यानी, रात में जो नमाज़ उसने पढ़ी) जो नमाज़ उसने पढ़ी थी (पिछली रात) वो नफ़िलें थी। (जुमा से पहले और उसके बाद की इबादतें) वो उसके लिए फ़र्ज़ बन गई क्योंकि वो सो गया था। अगर ऐसी नमाज़ें हैं जो सेहतमंदी में नहीं पढ़ी तो तुम पर वाजिब है के बीमारी की हालत में तय्यमुम [एण्डलैस बिलिस के पाँचवें बाब के चौथे फ़ैसिकल में तय्यमुम के बारे में पूरी जानकारी है। पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ से जो मिट्टी के हुक्म में हो बदन को नजासत हुकमिया से पाक करने को तय्यमुम कहते हैं।] करके ई मा [इसका मतलब है इशारों से नमाज़ अदा करना।] (इशारे से) के साथ उन नमाज़ों की कज़ा अदा करे। एक चार रकात की नमाज़ कज़ा के लिए रह गई तो उन चारों रकातों की तुम्हें कज़ा पढ़नी पढ़ जाएगी चाहे तुम (लम्बी यात्रा में

हो) सफ़र में हो। सफ़र के दौरान में (लम्बी दूरी की यात्रा) अगर दोपहर की नमाज़ की चार रकात फ़र्ज़ क़ज़ा के लिए रह गई तो क़ज़ा हो गई तो चाहे तुम मुक़ीम (ठहर जाओ) हो जाओ तुम्हें उसकी दो रकात क़ज़ा ही अदा करनी पड़ेगी। जब तुम (शुरू करते हो) दोपहर की नमाज़ की फ़र्ज़ अदा करते हो तो नीयत करते हो, कि, “आज की दोपहर की फ़र्ज़ (नमाज़) या, सिर्फ़ “दोपहर की फ़र्ज़ नमाज़ अदा करता हूँ।” अगर एक से ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ें (छोड़ी हुई) है (तो उनकी एक-एक करके क़ज़ा अदा की जाएगी), तुम्हें अपनी नीयत इस तरह करनी होगी, “जितनी जुहर की फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा बाकी है उनमें से सबसे पहली क़ज़ा नमाज़ (यानी जो मुक़र्रर वक़्त में नहीं पढ़ी गई)” या फिर “जुहर की जितनी आग़िरी नमाज़ों की क़ज़ा बाकी है उनमें से सबसे आग़िरी फ़र्ज़ नमाज़ की क़ज़ा पढ़ता हूँ।” इसी तरह तुम हर क़ज़ा को अदा (शुरू) करो, दूसरी तरफ़ कई दिनों के रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा भी एक-एक करके करनी चाहिए, उनमें वक़्त की पाबंदी करना कोई ज़रूरी नहीं है।

जैसे ही तुम क़ज़ा नमाज़ें (जो तुमने बताए गए वक़्त में नहीं पढ़ी वग़ैर किसी जायज़ वजह या उज़र के और जिसे) मकरूह (छोड़ी हुई, ख़ल्स की हुई) नमाज़ भी कहते हैं, वो तुम्हें किसी को पता नहीं लगने देनी है, क्योंकि नमाज़ उसके बताए गए वक़्त पर न पढ़ना गुनाह अज़ीम बहुत बड़ा गुनाह है। ये भी अपने आप में एक गुनाह है के दूसरों को अपने इस गुनाह के बारे में बताना। दूसरा गुनाह से भरा हुआ काम ये है के पिछली रात में जो गुनाह तुमने किया उसे दिन में दूसरे लोगों को बताना। यहाँ इब्ने आबिदीन से जो तर्जुमा हमने लिया वो ख़ल्स होता है।

जैसा कि देखा गया है हनफी मस्लक में फ़ौत नमाज़ों की क़ज़ा जल्द से जल्द अदा कर दी जाती है। यही उसूल शाफ़िई मस्लक में भी लागू होता है। शम्स-उद-दीन ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ शाफ़िई मस्लक के इस्लामी मौलवी ने

अपनी फ़तवों की किताब में फरमाया: “अगर एक शख्स को किसी उज़र की वजह से नमाज़ें नहीं पढ़नी है तो ये उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं है। ये कोई गुनाह नहीं है के रमज़ान के बीच में तरावीह की नमाज़ पढ़े और रमज़ान के बाद अपनी फ़ौत नमाज़ों की क़ज़ा अदा कर ले। हालांकि ये उस शख्स के लिए गुनाह वाली बात है के वही चीज़ करने के लिए वो बग़ैर उज़र के नमाज़ें छोड़े।” छोड़ी हुई नमाज़ों के लिए जल्द से जल्द क़ज़ा अदा कर लेनी चाहिए। शाफ़िई मस्लक में इस्लामी मौलवियों ने खुले तौर पर फरमाया है, बिना उज़र के छोड़ी हुई नमाज़ की क़ज़ा अदा करने से पहले अगर सुन्नत नमाज़ें जैसे तरावीह पढ़ली तो ये एक गुनाह है। हनफ़ी मस्लक में भी यही उसूल लागू होता है। हनफ़ी मस्लक का उसूल भी इस बात को जायज़ करार देता है के तुम अपनी फ़ौत नमाज़ें (बताए हुए वक़्त में पढ़ने में नाकाम) रहे उनकी क़ज़ा किसी उज़र की वजह से अदा करने में देरी कर सकते हो। ये इस सच्चाई को बतलाता है के ये अच्छा रहेगा जो तुम उनकी क़ज़ा अदा करने में देरी नहीं करोगे। इजाज़त के लिए (का मतलब है) यहाँ उस पर कोई रोक/बंदीश नहीं है। इब्ने आबिदीन ‘रहमतुल्लाहि तआला’ ने इर्शाद किया है: “...इजाज़त (जायज़) है के बेहते हुए पानी को इस्तेमाल करके ख़ूब जाया करो,” क्योंकि “ये मकरूह तनज़ीही (या तनजीही) है...”। जबके ये अच्छा है के जो क़ज़ा नमाज़ें तुमने किसी उज़र की वजह से छोड़ी है उन्हें पढ़ने में जल्दी करो ये लाज़िम है के सुन्नत रोज़ाना की पाँचों नमाज़ के बदले तुम उन नमाज़ों को पढ़ लो जो तुमने बिना किसी उज़र के छोड़ी है। इब्ने आबिदीन ‘रहमतुल्लाह तआला’ ने फरमाया: “जब तुम बुज़ू करते हो धोते हो तो ये सुन्नत मुअक्किदा है धोना (बुज़ू में जिस के हर हिस्से को धोना) तीन बार। महंगा पानी, ठंडा पानी और पानी हाजत या किल्लत के उज़र की वजह से इस सुन्नत को छोड़ देना मकरूह नहीं है।” ये इस सच्चाई की तरफ इशारा करता है, के इस ख़तरनाक गुनाह की हालत से निकलने के लिए तुम्हे छोड़ी हुई नमाज़ों की क़ज़ा

अदा करनी होगी (रोज़ाना की पाँचों नमाज़ों की) सिवाए फज़ की नमाज़ के। सुन्नतों के बदले कज़ा नमाज़ें कैसे अदा करें ये नमाज़ की एहमियत के आख़िरी बाब में बताया जाएगा।

मैय्यत की इस्कात नमाज़ें

[नमाज़ की इस्कात (ख़त्म) होने का मतलब है के मरने वाले को उसकी नमाज़ों के कर्ज़ों से छुटकारा दिलाना। इसको करने के लिए उसकी (छोड़ी हुई या छुटी हुई) नमाज़ों का कफ़ारा [बराए मेहरबानी कफ़ारे की तफ़सीर के लिए **सआदते अबदिया** के छोटे गुन्चे के तेरवेंह बाब को जाँचिए।] देना होगा। इस कफ़ारे की अदाएगी के लिए ज़रूरी है के मरने वाले ने अपनी वसीयत में ये इच्छा ज़ाहिर की हो और उसे पूरा करने के लिए अच्छा ख़ासा सरमाया छोड़ा हो। दूसरे लफ़्ज़ों में जो उसने अपने पीछे जाएदाद छोड़ी है वो एक तिहाई जाएदाद से कम नहीं होनी चाहिए जो रकम कफ़ारे के लिए चाहिए उससे कम नहीं होनी चाहिए। कफ़ारा या तो मरने वाले का वली या जिसे मरने वाले ने अपनी वसीयत सौंपी है और अपनी जाएदाद का करता धरता बनाया है या फिर उसको जो वारिस है वो अदा कर सकते हैं। इस्लाम में चार तरह के वली (सरपरस्त) है। मरने वाले (मैय्यत) का वली, एक यतीम (अनाथ) का वली, उस औरत का वली (जिसकी शादी) निकाह (और जो **सआदते अबदिया** के पाँचवे गुन्चे के बारवें बाब में खोल कर बताया गया है) होना है और एक बन्दे या जारिया/दासी का वली, आख़िरी (चौथा) वली को **मौला** कहते हैं। इन चार वलियों के अलावा भी वली है। अल्लाहु तआला के वली जिन्हें अल्लाहु तआला बहुत चाहता है। इस चाहत को पाने के लिए उन्हें अपनी बातों में, हरकतों में, उसूलों में अल्लाहु तआला और मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की ताबेदारी करनी होगी और उनकी तालिमात पर चलना

होगा। ये सारी तालिमात एक सच्चे मौलवी से हासिल की जा सकती है। एक शख्स जो किसी इस्लामी मौलवी को दूढ़ने में नाकाम रहे तो वो ये सब उन किताबों से सीख सकता है जिन्हे अहले सुन्नत के मौलवियों ने लिखा है। **इब्ने आबिददीन** 'रहमतुल्लाहु तआला' ने इर्शाद फरमाया: “अगर एक शख्स की फौत नमाज़ें रहती है यानी वो नमाज़ें जो उसने किसी उज़र की वजह से न पढ़ी हो उनके हुक्म दे सकता है (अपनी आख़िरी वसीयत में) के उनका कफ़ारा अदा कर दिया जाए। आधा सेर [2.1 लीटर] या 520 दरहम [1750 ग्राम] गेहूं या गेहूं का आटा गरीबों में बाँट दिया जाए, इन फर्ज़ या वाजिब नमाज़ों का, ये सब सिर्फ एक गरीब आदमी को दे दिया जाए। ये अच्छा है के इसकी कीमत (सोने या चाँदी) में दे दी जाए। अगर वसीयत करने वाले ने अपने पीछे कोई जाएदाद नहीं छोड़ी या एक तिहाई जाएदाद जो छोड़ा वो कफ़ारे की अदाएगी के लिए पूरा नहीं है या कम है या फिर वो बग़ैर वसीयत किए मर गया और उसके वली (सरपरस्त) एक छोटी सी रक़म कफ़ारे के तौर पर अदा करते है और क्योंकि जो रक़म एक रोज़ के हिसाब से बनी है वो $1750 \times 6 = 10500$ ग्राम या साढ़े दस किलो [10.5] किलोग्राम गेहूँ पूरे साल की कीमत = 3780 के.जी. गेहूँ [या, -पहले से साढ़े दस किलो गेहूँ की कीमत एक ग्राम सोने के बराबर है- सोने के सिक्के इसकी कीमत के बराबर यानी 52।5 सोने के सिक्के या 60 सोने के सिक्के असली या दूसरी सोने की चीज़े उसके वज़न के बराबर [432] ग्राम] जैसे- कंगन, अंगूठियाँ और उसके जैसा समान] इस बात को भी नज़र में रखा जाए के (मरने वाले ने) जो नमाज़ें पढ़ी गई है पूरी तरह से, उनमें से बचपने के दिन बारह साल आदमी के लिए और नौ साल औरत के लिए घटा दिए जाए और उसके बाद उन सालों का हिसाब लगाया जाए जिनके लिए मरने वाला मुकल्लफ़ (यानी नमाज़ पढ़ने योग्य) था। क्योंकि रोज़ की नमाज़ों का नंबर जिनके लिए कफ़ारा अदा करना है वो छः है। उसने [3780 किलोग्राम] गेहूँ या साठ सोने के सिक्के ख़रीदें जो अच्छी

पसंद है जोके शम्सी साल के कफ़फ़ारों के लिए ज़रूरी है। वो इसे किसी गरीब मुसलमान को दे सकता है क्योंकि उसने (मैय्यत की) ख़त्म हुई नमाज़ों का कफ़फ़ारा अदा करने की नीयत की है। जो गरीब आदमी है वो एक समझदार, अकलमंद, सालिह (पाक) और मर्द मुसलमान हो। ये गरीब शख्स कहेगा, “**भैं कुबूल करता हूँ,**” और लेता हूँ। उसके बाद वो उसे तोहफे की तरह वारिस को दे देगा। वारिस उसको लेगा और उसे या तो उसी गरीब को दे देगा। यही सिलसिला इन सालों में कई बार चलेगा जिसमें मैय्यत मुकल्लफ़ (नमाज़ें पढ़ने के लायक) थी। अगर जो सोना ख़रीदा गया वो ज़्यादा है (वताई गई रक़म से) तो जो दौर (वक़्त) चलेगा वो एक दूसरे के हिसाब से तब्दील हो जाएंगे। अगर सोने के सिक्के मौजूद नहीं हैं, तो जो वली है वो किसी औरत से सोने के ज़ेवर जैसे कंगन, अंगूठी ख़रीदेगा उसका वज़न करके अलग कर ले। (जिन सालों में उसने नमाज़ नहीं पढ़ी उसे **7.2** ग्राम से गुणा कर दें) और उस अलग की हुई रक़म को एक रूमाल में बाँधकर रख दे, इस तरह मैय्यत ने जितने साल की नमाज़ अदा नहीं की उसने सोने के सिक्के उसमें रखे हो। उस नंबर को साठ से गुणा करके जो हासिल हो उसे गरीब लोगों में तकसीम कर दें। जो इस दौर में हिस्से ले रहे हो और हर फेरे को पूरा कर रहे हैं अगर जो सोना मौजूद है वो कम है, तो पहले वाली हालत में आधे सोने को तोला जाएगा। फिर दो बार फेरे लगाए जाएंगे। जो अदमी साठ साल की उम्र में मरा तो $60 \times 48 \times 7.2 = 20736$ ग्राम सोना एक गरीब आदमी को देना चाहिए। एक साल की इस्कात नमाज़ों के लिए साठ सोने के सिक्कों का खर्चा है। तीस दौर 100 ग्राम सोना और सात गरीब लोगों से मिलकर बनेगा। या 43 दौर 70 ग्राम सोना और सात गरीब लोगों से मिलकर बनेगा। जब दौर पूरा हो जाएगा तो आख़िरी शख्स वली (सरपरस्त) को तोहफे में सोना देगा, जो अपनी बारी में उसका कर्ज़ अदा करेगा। उसके बाद रोज़े, कुरबानी और कसमों का दौर चलेगा। इस तरह कम से कम एक कसम का दौर पूरा करने के कोई

दस लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और हर दिन के हिसाब से एक शख्स को आधे सेर से ज़्यादा न दिया जाए। हालांकि, यहाँ पर एक शख्स को कई नमाज़ों के कफ़ारे एक दिन में अदा करने है न के एक वक़्त में। अगर मैय्यत ने अपनी वसीयत में ज़कात का कफ़ारा अदा करने का हुक्म नहीं दिया है तो उसे अदा नहीं किया जाएगा। मरने वाले ने अपनी वसीयत में इसका हुक्म दिया हो। हालांकि ये शर्त रोज़ों में भी लागू नहीं होती तो वली के लिए ये अच्छा है के वो ज़कात का कफ़ारा चाहे तो अपनी जाएदाद में से दे दे। सारे दोर पूरे होने के बाद वारिस अपनी थोड़ी सी जाएदाद या दौलत उस ग़रीब शख्स (जिसने कफ़ारों में हिस्सा लिया) को तोहफे के तौर पर दे सकता है।

“अगर मरने वाले ने अपने कफ़ारे पूरे करने के लिए जो एक तिहाई जाएदाद वसीयत के तौर पर छोड़ी है वो उसके सारे कफ़ारों फराइज़ अदा करने के लिए पूरी नहीं है तो वली (सरपरस्त) बग़ैर वारिसों की इजाज़त के इन कफ़ारों को अदा करने के लिए एक तिहाई से ज़्यादा (मैय्यत ने जो जाएदाद छोड़ी है) जाएदाद खर्च नहीं कर सकता। अगरचे एक तिहाई जाएदाद कफ़ारे अदा करने के लिए काफी है और अब तक मरने वाला का कर्ज़ बाकी है तो कर्ज़ की अदाएगी कफ़ारे अदा करने से पहले वाजिब है। चाहे सरपरस्त ने उसे इस्कात नमाज़ों के लिए क्यों न दे दिया हो। सरपरस्त के सब बकाया अदा करने के बाद, वो किसी को (वापस) तोहफा नहीं दे सकता ताकि कफ़ारा अदा किया जा सके। कफ़ारा (पूरा करने के लिए) तभी सही होगा जब वारिस अपनी जाएदाद दान में दे दे। अगर एक मरने वाला (मैय्यत) अपनी सारी ज़िन्दगी की नमाज़ों का कफ़ारा अदा करने का हुक्म अपनी वसीयत में दे दे और अभी तक ये पता नहीं लगा के वो कितना जिएगा तो (उसका वही हिस्सा) उसकी वसीयत बातिल (बेकार) हो जाएगी। हालांकि, अगर एक तिहाई रक्म उस नापी हुई रक्म से कम हो जो उसकी सारी ज़िन्दगी के लिए काफी है, तो वो हुक्म दे सकता है कि पूरी एक तिहाई जाएदाद दे दी

जाए, इस हालत में (उस हिस्से के लिए) उसकी वसीयत में एक रकम तए कर दी जाए (उस हिस्से के लिए) जिसके लिए उसकी वसीयत सही (जायज़) हो जाएगी।

“[फिर भी मरने वाला अगर अपनी वसीयत में हुक्म दे (के कफ़ारे अदा किए जाए), ये बली [यानी वारिस या वसी (काम को पूरा करने वाला) के ऊपर वाजिव नहीं है के वो दान करके कफ़ारे अदा करे।] ये मैय्यत के लिए वाजिव है के वो अपने पीछे इतनी जाएदाद छोड़ जाए जिसमें से एक तिहाई उसके कफ़ारे अदा करने के लिए काफी हों और वो अपने वसीयतनामों में ये ताकीद करे के उसके कफ़ारे उसी एक तिहाई में से अदा किए जाए। अगर वो ये हुक्म देता है के एक हिस्से से उसका कफ़ारा अदा किया और बाकी उसके वारिसों या दूसरे लोगों में बाँट दिया जाए तो वो वाजिव की हद को फ़लांगता है जो के एक गुनाह का काम है। इस मामले में ये सही नहीं है के कहा जाए इस एक तिहाई में से एक हिस्सा कफ़ारे अदा करने में और बाकी हिस्सा कुरआन-उल-करीम के ख़त्स और तहलीलो पर लगाया जाए। इसके अलावा कुरआन-उल-करीम को पैसे के बदले पढ़ना (क़िरअत) करना सही नहीं है। जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है वो दोनों शख्स गुनाहगार है। अगरचे ऐसा बयान किया गया है (कुछ आलिमों के ज़रिए) के कुरआन करीम को पैसे लेकर सिखाने की इजाज़त है लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा (यानी किसी भी आलिम ने) पैसों लेकर कुरआन को पढ़ने या उसकी क़िरत करने की इजाज़त है।

“अगर मैय्यत अपनी वसीयत में हुक्म दे के उसकी नमाज़ें (यानी वो जो उसने नहीं पढ़ी) उसका वारिस पढ़ दे तो ये सही (जायज़) नहीं है के वारिस उसकी (यानी, मरने वाले की) कज़ा नमाज़ें पढ़े। हालांकि, ये सही है के एक शख्स नमाज़ पढ़े या रोज़ा रखे और उसका सवाब जो उसे मिलेगा वो

मरने वाले को तोहफे के तौर पर पहुँचा दे। इसकी भी इजाज़त नहीं है के एक आदमी मरते वक़्त या विस्तरे-मर्ग पर अपनी नमाज़ों का फ़िदया अदा करे।” यहाँ इब्ने आबिददीन से जो हवाला लिया गया वो ख़ुत्ब होता है।

अहमद तहतवी ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ ने अपनी (किताब जिसका नाम है) **मीराक़-इल-फ़लाह** की तफ़सीर में इर्शाद फरमाया है: “नास में फरमाया गया है (यानी साफ़ मायनों में आयते करीमा और हदीस शरीफ़ें) के जिन रोज़ों को (बताए गए वक़्त) में रखने में नाकाम रहे उनका कफ़फ़ारा अदा करने के लिए फ़िदया अदा किजिए।” सारे उल्माए दीन ने इसके बारे में एक राए होकर इर्शाद फरमाया है। “चूँकि नमाज़ रोज़े से ज़्यादा अहम है इसलिए नमाज़ पर भी वही उसूल लागू होता है।” इसलिए इर्शाद हुआ, “नमाज़ों की इस्कात ऐसे है जैसे कोई चीज़ बैगर बुनियाद के”, उसके ऊपर (जो शख्स) मज़हबी है उनके लिए ये जहालत की रसीद है। ये ऐसा इर्शाद है जो उलेमाओं की सामूहिक राए के सच को झूटलाता है।

अगर एक शख्स लेटकर सिर के इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो वो उनका अपनी वसीयत में फरमान जारी नहीं कर सकता चाहे वो (रोज़ाना) की पाँच नमाज़ों से भी कम हों। इसी तरह अगर एक शख्स रोज़ा रखने में नाकाम रहा क्योंकि (लम्बे सफ़र में था) या बीमार था और इक़ामत (यानी एक जगह पर मुक़ीम होना) का वक़्त नहीं मिला था हालते सेहत की वजह से रोज़ों का कर्ज़ अदा नहीं हुआ तो उसकी इस्कात वो अपनी वसीयत में नहीं कर सकता। वसीयत (यानी अपने वसीयत नामें में फरमान) जारी करे वाजिब है, सदका-ए-फ़ितर (जो देने में नाकाम रहा) बीबी के खर्च पानी की जो जुर्म किए हज़ के लिए एहराम बाँधने के बाद, ज़कात जो क़सम के कफ़फ़ारे के लिए दी जाए। अगर एक शख्स बग़ैर वसीयत जारी किए मर जाता है तो इनशाहअल्लाह उसके वारिसों को या दूसरे किसी भी शख्स को इजाज़त

होगी के उसके लिए दान करे। अगर एक शख्स मैय्यत अपनी वसीयत में हज करने के लिए कहे तो उसका वकील (नार्इव) मैय्यत के शहर से या जहाँ से वो एक तिहाई माल जो उसने छोड़ा है वो खर्च कर सकता हो बहरहाल ये दानी के ऊपर है के वो अपनी जगह पसंद या तए कर सकता है के कहाँ से हज पर जाया जाए। ये सही नहीं है के कोई भी शख्स मरने वाले की नमाज़ पढ़ले या उसके रोज़े रखले चाहे पैसे से या मुफ्त में क्योंकि खालिस बदनी इबादतें यानी रोज़ा नमाज़ कोई भी किसी दूसरे की तरफ से अदा नहीं कर सकता। हाँ उनका फ़िदया दे सकता है। इस सिलसिले में जो हदीस शरीफ है वो सब मनसूख है। इस मौके पर ज़कात जो कफ़ारे के तौर पर दी जा रही है उससे अल्लाहु तआला मैय्यत के सारे कर्ज़ माफ़ कर देता है (इबादत के मुताबिक़ जो काम है) शाफ़िई की किताब **अनवार** में बयान है: “मरने वाले पर छोड़ी हुई नमाज़ों का फ़िदया वाजिब नहीं है। अगर फ़िदया दे दिया जाता है तो फिर वो इस्कात नहीं होती। मालीकी या शाफ़िई मुसलमान हनफ़ी मस्लक की नक़ल करते हुए दोर अदा करते हैं।

अगर जो जाएदाद की रक्म मैय्यत ने अपनी वसीयत में फरमाई है वो कफ़ारे अदा करने के लिए पूरी नहीं है या अगर एक तिहाई जाएदाद/तरका जो उसने छोड़ा है वो पूरा नहीं है या वो बिना वसीयत किए मर गया, उस छोटी सी जाएदाद से जो किसी ने दान की है उसका दोर बनाया जाएगा ताकि उसके कर्ज़ों का इस्कात पूरा हो सके। ये छोटी सी रक्म इस्कात की नीयत से एक ग़रीब आदमी को दे दी जाती है। वो ग़रीब आदमी उसको लेने के बाद, वली को या किसी दूसरे ग़रीब आदमी को तोहफे में दे देता है, जो अपनी बारी में इस पर कब्ज़ा करता है यानी इसे हाथ में लेता है, उसके बाद वो मैय्यत के कर्ज़ों की इस्कात की नीयत से (उन सब इबादतों जैसे नमाज़ और रोज़े) दूसरे ग़रीब आदमी को ज़कात के तौर पर दे देता है। यहाँ हम तहतवी ‘रहमतुल्लाह अलैहि’ की तफ़सीर का हवाला ख़त्म करते हैं।

जुमे का अहतमाम

जुमे की नमाज़ सही होने के लिए सात शर्तें हैं:

1- जहाँ जुमे की नमाज़ होती है उस जगह का शहर की तरह बड़ा होना ।

2- खुत्वा (तहरीरी तकरीर) का पढ़ना ।

3- नमाज़ से पहले खुत्वा पढ़ना ।

4- जुमे की नमाज़ के लिए जुहर का वक़्त होना ।

5- जमाअत का मौजूद होना । (वो ये के इतने लोगों का होना के जमाअत बन सके [मुसलमानों का इकट्ठा होना] जुमे की नमाज़ जमाअत से पढ़ने के लिए) इमामे आजम और इमाम मोहम्मद ‘रहमतुल्लाह अलैहि तआला’ ने इमाम के लिए फरमाया के वो ऐसा शख्स हो जो (वालिग हो और अकलमंद हो, कम से कम वहाँ पर तीन लोग हो और इमाम अबू यूसुफ ‘रहमतुल्लाह अलैहि तआला’ के मुताबिक इस नवंबर में दो लोगों के साथ इमाम भी शामिल है । तराफ़ैन का कौल ज़रूरी है । (इमाम आजम अबू हनीफ़ी और उनके नवाज़े गए शार्गिद इमाम मुहम्मद को ‘तराफ़ैन’ कहा जाता है ।

6- सबको अज़ादी होना जुमे की नमाज़ में शरीक होने की ।

फत्वे की किताब हिन्दिया में इर्शाद है: “जुमे की नमाज़ आज़ाद वालिग समझदार सेहतमंद और मुकीम (जो सफ़र में न हो) मर्दों पर फ़र्ज़ है । इसी तरह मुसाफ़िरों (लम्बी यात्रा करने वाले), नावालिगों और औरतों पर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है । उन आदमियों पर भी ये फ़र्ज़ नहीं है जो

ख़तरनाक बारिश में फँसने के डर से बाहर न निकलें या सरकारी अफ़सरों से पकड़े जाने के डर से। हाकिम या आला अफ़सर अपने नीचे काम करने वालों को जुमे की नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक सकते। वो उनकी रोज़ की आमदनी में से पैसा काट सकते हैं। अगर जो इमाम जुमे की नमाज़ पढ़ा रहा है वो फ़ासिक [फ़ासिक उसे कहते हैं जो खुले तौर पर हराम काम करे जैसे के शराब पीना, ज़िना करना आदि।] है और उसको नमाज़ पढ़ाने से रोकने में नाकाम है तो उल्टाए दीन की यही हिदायत है के जुमे की नमाज़ छोड़ने के बजाए उसके पीछे नमाज़ पढ़ लो। किसी और वक़्त में (मिसाल के तौर पर रोज़ाना की पाँच नमाज़ें) तुम बजाए इसके के तुम किसी फ़ासिक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ो तुम्हें चाहिए के किसी ऐसी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ो जहाँ सुल्हा इमाम जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ा रहे हों। एक औरत का जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के सबब मस्जिद में जाना मकरूह है। चाहे वो कोई भी औरत हो और कोई सी भी नमाज़ उसे पढ़नी हो।

इमाम मुहम्मद ‘रहमतुल्लाह तआला’ के मुताबिक़ अगर एक शख्स जुमे की नमाज़ की दूसरी रकाअत के रूकू में इमाम के साथ शामिल हो जाता है तो वो (दिन की) दोपहर की नमाज़ अदा कर लेता है। इमाम-आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ ‘रहमतुल्लाह तआला’ के मुताबिक़ वो जुमे की नमाज़ पढ़ लेता है चाहे वो (इमाम के साथ देर से) शामिल हुआ हो या आख़िरी क़अदा (बैठकर) तशहहुद पढ़ा हो। अगर एक शख्स नफ़ीले (जुमे से पहले या उसके बाद की इबादतें) अदा करता है जबकि ख़तीब (पढ़ता है या क़िरअत करता है) ख़ुल्वा बयान कर रहा है तो उसने सिर्फ़ दो रकाअतें ही अदा की हैं उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो जो नमाज़ पढ़ रहा है वो (शुरू की) जुमे की इबादत की मुन्नत है उसके लिए उलेमाओं की कोई सामूहिक राय या शहादत नहीं है के दो रकाअतें पढ़नी हैं और उसके बाद सलाम फेरना चाहिए या फिर चारों रकाअतें पढ़नी हैं। हालांकि ये ज़रूरी है के वो चारों रकाअतें अदा करे।

जुमे में पाँच वाजिवात का ध्यान रखना चाहिए:

1- आज्ञान के वक़्त सारे काम धंधे रोक देने चाहिए। (दोपहर की नमाज़ के लिए)

2- नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चलकर जाना इसे 'सई' (यानी, हज में सफ़ा और मरवा के दरमियान चलने के बराबर है) कहते हैं। (इसे सआदते अब्दिया के पाँचवे गुन्वे के सातवें बाव में खुलकर बताया गया है।)

3- जब इमाम यानी ख़तीब खुत्वा बयान कर रहे हों उस वक़्त नफ़िल नमाज़ न पढ़ी जाए।

4- दुनियावी बातों से बचना।

5- ख़ामोश रहना।

जुमे में छः मुस्तहबात का ध्यान रखना:

1- रहीय्या-ए-तैय्येबा (जिसका मतलब है इत्र लगाना या छिड़कना)

2- मिस्वाक का इस्तेमाल करना (जो के इरक पेड़ की डाली से बनी है।) [बराए मेहरबानी सआदत अब्दिया के चौथे हिस्से के दूसरे बाव के तेरवेंह पैरा को वुजू के आदाब के मज़मून में देखें या गुगल में जाईए और मिस्वाक लफ़्ज़ को लिखिए और देखिए किस तरह इस्लाम हमें पढ़ाता है, चौदह सौ साल पहले, किस तरह अपने दांतों, मुँह और ख़ाने की नली की सफ़ाई रखते थे।]

3- साफ़ कपड़े पहनना।

4- तबकीर [जिसका मतलब है जुमे की इबादत के लिए मस्जिद जल्दी जाना। उस वक़्त (सदी में) जिसे 'ज़माना-ए-सआदत' (यानी जो

इंसानियत का सबसे अच्छा दौर था, जिसमें हमारे रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ और आपके चार सबसे अच्छे खलीफ़ा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और हज़रत अली ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन’ रहते थे) सहाबा ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन’ सुबह (जुमे वाले दिन) की नमाज़ पढ़कर जाया नहीं करते थे, वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद ही जाते थे। पहले जो इस उम्मत (यानी मुसलमानों) ने भूल की थी वो था उनका बरताव जोके सुन्नत है और जिसे तबकीर कहते हैं।]

5- गुस्ल करना, (सआदते अबदिया के चौथे गुन्वे के चौथे बाव में इसको समझाया गया है।)

6- अल्लाह की नयमतों यानी सलवात का ज़िक्र करना (जो हमारे पाक नबी ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ पर इर्शाद हुआ और जो इस तरह पढ़ा जाता है: “अल्ला हुम-म सल्लि अला सय्यैदिन मुहम्मदिन व अला [अलिही व अस्हाबीही] अजमाईन।”))

जुमे में पाँच मकरूहात से बचना:

1- सलाम करना (यानी इस्लामी तरीके से स्वागत करना) जबकि ख़तीब खुतबा बयान कर रहा हो। (इस्लाम के स्वागत करने के तरीके सआदते अबदिया के तीसरे गुन्वे के बासठवें बाव में खोलकर बताया गया है।)

2- कुरआन मजीद (पढ़ना) की तिलावत करना (जबके इमाम खुतबा कह रहे हो।)

3- जब किसी शख्स को छींक आए तो “यारहमुकल्लाह” कहना (और उसके बाद, अल्लहमुदिलिल्लाह) कहना जबके इमाम खुतबा पढ़ रहे हों।

4- खाना पीना करना जुमे की नमाज़ और खुत्बे के वक़्त ।

5- ऐसा काम करना जो मकरूह हो । [इस समय मकरूह वाली बात ये भी है के ख़तीब खुत्बे के नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा लम्बी तक़रीर कर दें ।]

जुमे की पहली अज़ान के बाद, जो मिनार पर पढ़ी जाए (जो मस्जिद के बाहर हो) ख़तीब जुमे की इबादत की पहली सुन्नत मिम्बर के पास अदा करेगा । उसके बाद वो मिम्बर के सामने आ जाएगा और छोटा सा खुत्बा पढ़ेगा किबले की तरफ़ खड़ा होकर, मिम्बर पर बैठे, जमाअत की तरफ़ मुंह करके बैठे और दूसरी अज़ान सुने । उसके बाद वो खड़ा होकर खुत्बा पढ़े । [लोग कहते हैं के वहाबी अहले सुन्नत के मज़हब के नहीं हैं । उनका कोई पक्का मज़हब नहीं है । उनको **वहाबी** या **नजदीस** कहा जाता है । अंग्रेज़ों की साज़िशों से वहाबी मस्लक वजूद में आया । उन्होंने इसको कायम करने में अब्दुल वहाब के बेटे जिसका नाम मुहम्मद था जोके मज़हब से बिल्कुल अनजान था उसका इस्तेमाल किया । वो अपनी किताबों में ग़ैर वहाबी मुसलमानों को काफ़िर कह कर बुलाते हैं । वो लिखते हैं के ग़ैर वहाबियों को क़त्ल करना और उनकी विवियों और बेटियों को माले ग़नीमत बनाने की उनकी इजाज़त है । खुले तौर पर वो अनजान ग़ैर मज़हबी लोगों को रिश्वत देते हैं ताकि वो मज़हब से फिर जाए और उनको वहाबी मस्लक में शामिल करके उनको वहाबी मरकज़ों में भेजते हैं, जिनको **राबीता-त-उल-आलम-इल-इस्लामी** कहते हैं और जो दुनिया के कई देशों में कायम है । उलेमाए इस्लाम ने एकजुट होकर जो 'फ़तवे' जारी किए हैं उनको उन्होंने दूसरी ज़बान में इस्लाम मुग़्बालिफ़ इशायत के ज़रिये सारे मुस्लिम देशों में भेजा । और हज के दौरान मुफ़्त में हाजियों (मुस्लिम तीर्थ यात्री) को भी बाँटते हैं । उनमें से एक में उन्होंने लिखा है: "औरतों पर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है ।" वो ज़बरदस्ती औरतों को जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में भेजते हैं । वहाँ वो मिले जुले गुप में जहाँ मर्द और औरतें जमाअत में एक साथ

नमाज़ पढ़ते हैं। उनकी दूसरी इशाअत में कहा गया है के: “जुमे और ईद का खुत्बा (मुसलमान बना सकते हैं) जमाअत की ज़वान के मुताबिक पढ़ा जाए। उसको अरबी में नहीं पढ़ना चाहिए।” मुसलमान देशों के सही उलेमाएँ दीन ने उसका सही हिस्सा सबूत के साथ आगे भेजा और उनके फतवों को ख़ारिज किया। उनमें से कुछ सही तहरीरें वो फतवे हैं जो अहल-ए-सुन्नत के आलिमों ने भारत के कई हिस्सों (जगहों) में जारी किए। मिसाल के तौर पर अल्लामा हिवर-उन-नीहरीर-वा-ई-फ़ेहम्मा साहिब-उत-तक़रीर व तहरीर, मौलाना मुहम्मद तेमीमी बिन मुहम्मद मदरसी नव्वर अल्लाहु मरकज़; मदरसे के मुफ़ती ने इश़ाद फरमाया:

अरबी ज़वान के सिवा खुत्बे को बयान करना (यानी पढ़ना, किरअत करना या कहना) या फिर दोनों यानी अरबी में या उसकी तर्जुमा की हुई ज़वान में पढ़ना मकरूह है। पूरे खुत्बे को अरबी ज़वान में पढ़ना वाजिब है क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने सारे खुत्बे अरबी में कहे थे। **बहर-उर-राज़िक** नाम वाली किताब में ईद की नमाज़ों का बयान है: “तरावीह और कुसूफ़ की नमाज़ों को छोड़कर बाकी सारी नफ़िलें ग़ैर मुअक्किदा नमाज़ें जमाअत में नहीं पढ़ी जाती। क्योंकि ईद की नमाज़ हमेशा जमाअत के साथ पढ़ी जाती है, वो वाजिब है नफ़िल नहीं।” ये देखा गया है के जो इबादत के काम रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने हमेशा किए वो वाजिब हैं। अल्लामा ज़ेबीदी ‘रहमतुल्लाहु तआला’ **इहया-उल-उलूम** में नशर किया है: जो काम रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने पाबंदी के साथ किए हैं वो सब वाजिब हैं। ये ज़रूरी नहीं है के वो फर्ज़ काम हों। अल्लामा मुफ़ती अबू सुऊद ईफ़ेन्दी ‘रहमतुल्लाह तआला’ ने अपनी किताब जिसका नाम **फतेह-उल्लाह-इल-मूर्ईन** है में इश़ाद फरमाया: “रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने जो इबादत के काम लगातार किए हैं वो सब वाजिब हैं।” इब्ने आबिददीन ‘रहमतुल्लाह तआला’ ने अपनी ‘बुज़ू की सुन्नतें’ के मज़मून में इश़ा

द फरमाया: “किसी भी इबादत के काम को अगर रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने बिना छोड़े लगातार किया हो तो वो सुन्नत मुअक्किदा है। अगर आपने न सिर्फ नज़रअदाज़ नहीं किया लेकिन अगर किसी को छोड़ते हुए देखा तो उसके विचार को बदला तो वो वाजिब बन गया। विचार न बदलने के लिए (एक शख्स इसे छोड़ने से) उसका मतलब ये लगाया के उसे छोड़ने की रज़ामंदी मिल गई। इस मसले के लिए अबू सुऊद इफेन्दी ने फरमाया के जिन इबादतों कामों को हमारे नवाज़े गए नबी ने बिना छोड़े पाबंदी के साथ किया वो सब वाजिब है।” मकरूहात-ए-नमाज़ के आखिरी हिस्से में ये समझाया गया है के दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना मकरूह तहरीमी है। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने हमेशा अपने खुत्वे अरबी ज़वान में दिए ये इस सच्चाई की निशानदही करते हैं के खुत्वे को अरबी ज़वान में अदा करना वाजिब है। तब से खुत्वे को अरबी ज़वान के अलावा किसी दूसरी ज़वान में या अरबी और उसका तर्जुमा दोनों चीज़ें मकरूह तहरीमी है। पहले वाली हालत में, के खुत्वा अरबी में होना चाहिए इस उसूल को तोड़ा जाता है। और बाद की हालत में के खुत्वा सिर्फ अरबी ज़वान में होना चाहिए उस उसूल को तोड़ा जाता है। दोनों हालतों में रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने जो काम लगातार अदा किए उनसे इंकार किया गया। उसी तरह, तक्बीर कहना (इफतिताह की यानी “अल्लाहु अकबर”) अरबी ज़वान में। जब नमाज़ शुरू करने के लिए हो और बीच में “अल्लाहु अकबर” कहना दोनों अलग चीज़ें हैं दोनों में से कोई एक भी छोड़ना मकरूह तहरीमी है। इसलिए ये वाजिब हो गया है क्योंकि रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ हमेशा “अल्लाहु अकबर” कहते थे और इसी वजह से ऐसा न करना मकरूह तहरीमी बन गया। इब्ने आविददीन ‘रहमतुल्लाह तआला’ ने रसूल-उल-मुअत्तर में इर्शाद फरमाया: “मकरूह का मतलब ऐसी चीज़ (उदाहरण काम या बरताव) जिसके करने या न करने से वाजिब या सुन्नत से इंकार किया जाए। पहले (यानी उस

चीज़ से इंकार करना जो वाजिब है) वाला मकरूह तहरीमी है और बाद वाला (यानी सुन्नत से इंकार करना) (मकरूह) तन्जीही (या तन्जीही) है।” **हलाबी कबीर** [इबराहीम बिन मुहम्मद हल्लाबी (866, हालेब [अलिप्पो] 956 [1549 A.D.] में इस किताब में मंदरजाज़ेल लिखा हुआ है: “किसी सुन्नत को छोड़ना (या इन्कार) करना मकरूह तन्जीही है। जो चीज़ वाजिब है उसको छोड़ना मकरूह तहरीमी है।” **फत्व-ए-सिराजिया** (जिसे अली उसी बिन उस्मान ‘रहमतुल्लाह तआला अलैहि’ (d. 575 [1180 A.D.] ने लिखा है) में लिखा हुआ है के “खुत्वे को फ़ारसी (परशीयन) ज़बान में अदा करने की इजाज़त है।” ये बातिल (बेअसर) हो जाता है बिना किसी सबूत के इस बयान को शामिल करना और इस फ़त्वे पर बहस करना के अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में खुत्वा देना सही है और ये के न तो ये मकरूह है और न ही तहरीमी न ही तन्जीही। सिराजिया में इस बयान का मतलब है के ये सही (ज़रूरी) है। इसका मतलब ये नहीं के ये “मकरूह नहीं” है। इब्ने आबिददीन ‘रहमतुल्लाह तआला’ ने **रसूल-उल-मोहतर** में इर्शाद फरमाया: “उनका (यानी अली उशिस) कहना के ये सही है ये इस बात को नहीं दिखलाता है के ये मकरूह नहीं है।” मुहम्मद अब्दुल-हई लकनवी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने अपनी किताब **उम्मत-उर-रिआया** में फरमाया: “ये इर्शाद के अरबी ज़बान में खुत्वा कहना कोई शर्त नहीं है जोके पूरी की जाए (जुमे की नमाज़ सही होने के लिए) खुत्वे को फ़ारसी में या किसी और ज़बान में अदा करने की इजाज़त है, इससे ये ज़ाहिर होता है के (जुमे) की नमाज़ अदा करने की इजाज़त है। दूसरे लफ़्ज़ों में जुमे की नमाज़ के सही होने के लिए खुत्वे की शर्त को पूरा करना चाहिए। इससे ये ज़ाहिर नहीं होता के जो खुत्वा अदा किया वो बिला कराहत (यानी ऐसी चीज़ जो इसे मकरूह बनाए) जायज़ है। क्योंकि रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ और सब सहाबा ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हु’ ने हमेशा और हर जगह खुत्वा सिर्फ अरबी ज़बान में दिया। उनकी बात के ख़िलाफ़

जाना मकरूह तहरीमी है।” इसी तरह तावईन और तावे तावईन ‘रहिमा-हुमुल्लाह तआला’ हमेशा और हर जगह खुत्वा अरबी ज़वान में अदा करते थे। यही नहीं के वो अरबी ज़वान के अलावा और किसी ज़वान में इसको अदा नहीं करते थे बल्कि उनमें से कोई भी अरबी ज़वान और उसका तर्जुमा (दूसरी ज़वान में) दोनों में से किसी में अदा नहीं करते थे। [यही हालत एशिया और अफ्रीका के देशों में भी थी जहाँ पर लोग उनके खुत्वे सुनते थे लेकिन ये नहीं समझ पाते थे के वो अपने खुत्वों में क्या कह रहे हैं क्योंकि उन्हें अरबी नहीं आती थी। हालांकि ये उनके लिए ज़रूरी था के वो अपने खुत्वों का तर्जुमा उन्हें बताए ताकि नए मुसलमानों को इस्लाम के बारे में बता सकें वो ऐसा ख्याल नहीं करते थे के खुत्वों के लिए अरबी ज़वान के अलावा किसी दूसरी ज़वान की इजाज़त है। खुत्वों के अलावा वो और दूसरे मौकों पर उन्हें इस्लाम के बारे में बताते थे। वो उनको मश्वरा देते थे के खुत्वों को समझने के लिए और इस्लाम को अच्छी तरह सीखने के लिए अरबी को सीखिए। इस सिलसिले में हम उन उलेमाओं का उदाहरण ले सकते हैं।]

ये बिदअत है के उनके ख़िलाफ़ जाकर अरबी ज़वान के अलावा दूसरी ज़वानों में खुत्वे अदा करना। ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। पहले वाली हालत को तहरीमी कहना और बाद वाली हालत को तन्ज़ीही कहना वातिल है। मकरूह तन्ज़ीही का मतलब है जो काम सुन्नत है उसे छोड़ना क्योंकि रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ हमेशा अपने खुत्वे सिर्फ अरबी ज़वान में अदा करते थे, पूरा खुत्वा अरबी ज़वान में पढ़ना वाजिव है। जो काम वाजिव है वो किस तरह छोड़ने से तन्ज़ीही बन सकता है? जो चीज़ मकरूह तहरीमी है उसका इंकार करना वाजिव है। मौलाना बहर-उल-उलूम ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने अरकान-उल-अरबा में ऐसे इर्शाद फरमाया है: “ये वाजिव है के वो काम न किया जाए जो मकरूह तहरीमी है। उस मकरूह वाले काम को

करने का मतलब है के (एहकाम जो कहे गए उनकी) वाजिव की नाफरमानी करना।”

एक शख्स जो हमेशा ऐसा काम करता है जो मकरूह तहरीमी है वो एक आदिल मुसलमान नहीं है। इब्ने आबिददीन ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने इब्ने नजय्यम ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ के अधिकार पर ऐसे इर्शाद फरमाया जब उन्होंने अपनी किताब **रसूल-उल-मोहतर** में वुजू की सुन्नतों पर बातचीत शुरू की: “ये एक मुआफी लायक गुनाह है अगर कोई काम ऐसा हो जाता है जो मकरूह तहरीमी है। इन मुआफी लायक गुनाहों को अगर करता रहे तो एक मुसलमान अपनी अदालत [बराए मेहरबानी **सआदते अबदिया** के पाँचवे हिस्से का दूसरा वाव जाँचिए।] को छीन लेता है (दूसरे लफ्ज़ों में बहुत सारे मुआफी के लायक गुनाह अगर हो जाते हैं या कुछ मुआफी लायक गुनाह बहुत बार हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है। और खुले तौर पर बड़ा गुनाह करने की वजह से मुसलमान अपनी अदालत खो देता है इस कारण अब वो एक आदिल मुसलमान नहीं रह पाता।)” इस मसले के लिए खातिब जो अपने तर्जुमे में खुत्वे देते हैं वो अपनी अदालत खो देते हैं और फासिक मुसलमान बन जाते हैं। (एक फासिक मुसलमान वो मुसलमान है जो बड़े गुनाह खुले तौर पर करे। कबीरा गुनाह के कुछ उदाहरण हैं जैसे: बिना किसी उज़र के इस्लाम के एहकामों में से किसी एक को अदा न करना या फिर खुले तौर पर जो काम (हराम) मना है उन्हें करना।) ये मकरूह तहरीमी है, उन लोगों के पीछे नमाज़ पढ़ना (यानी फासिक की जमाअत में शामिल होकर नमाज़ पढ़ना।) **नूर-उल-अज़ाह** किताब में ये लिखा है (जो अब्बुल इज़्लास हसन बिन उम्मार शरनबलाली ‘रहमतुल्लाह तआला अलैहि’ ने 994-1069 [1658 A.D.] मिस्र में लिखी) और **इब्ने आबिददीन** ने “ये मकरूह है गुलाम या गाँव वाले के लिए या नाबालिग लड़के के लिए अगर वो जाहिल है और बिदअती चाहे वो कितना ही आलिम क्यों न हों वो इमाम नहीं बन सकता (और जमाअत

में नमाज़ नहीं पढ़ा सकता) ये बहुत गुनाह की बात है के उनको इमामत करने दी जाए (और उनको उस जमाअत में नमाज़ अदा करने दी जाए।)” अल्लामा इब्राहिम हल्लाबी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने **हल्लाबी-ए-कबीर** में इर्शाद फरमाया: “वो मुसलमान जो फ़ासिक लोगों को इमाम बनने देते है (और जमाअत में नमाज़ें पढ़ाने देते है) वो एक गुनाह कर रहे है (ऐसा करके)। एक फ़ासिक शख्स को इमाम बनाना मकरूह तहरीमी है। **भैराक-इल-फल्लाह** में लिखा है “किसी फ़ासिक शख्स को इमाम बना देना मकरूह है। (और जमाअत में नमाज़ पढ़ाए) चाहे वो आलिम ही क्यों न हो (इस्लाम में) इस्लाम को अपनाने में वो ढीला पढ़ चुका है। ये वाजिब है के उसको बेइज़्जत किया जाए। उसको इमाम बनाए रखने का मतलब है उसकी इज़्जत करना। अगर तुम उसको जमाअत की नमाज़ पढ़ाने से रोक नहीं सकते तो तुम जुमे की नमाज़ और सारी दूसरी नमाज़ें किसी और मस्जिद में जाकर पढ़ो।” जैसा के अल्लामा तहतवी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने इस तहरीर को समझाया है- उन्होंने कहा: “ये मकरूह तहरीमी है (मुसलमानों के लिए) के एक फ़ासिक आदमी को इमाम बनाया (और उनकी नमाज़ों की जमाअत अदा कर रहा है।)” तुम ख़तीब को अरबी के अलावा किसी और ज़बान में खुत्वे पढ़ने का वाइस मत बनो। ये गुनाह का वाइस है। इब्ने आबिददीन ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने **रसूल-उल-मुऊत्तर** में इर्शाद फरमाया: (जमाअत में) “नमाज़ फ़ासिक इमाम के पीछे नहीं पढ़नी चाहिए। तुम्हें ऐसे इमाम को देखना चाहिए जो फ़ासिक न हो। जुमे की नमाज़ का अलग मसला है। हालांकि, फिर भी जुमे की नमाज़ फ़ासिक इमाम के पीछे पढ़ना मकरूह है जबके वो शहर की कई और मस्जिदों में भी पढ़ाई जा रही हो। इस हालत में ये मुमकिन है के किसी दूसरे इमाम के पीछे नमाज़ अदा की जाए। **फह-उल-कदीर** [इब्ने हुमाम ‘रहमतुल्लाह तआला अलैहि’ (730 [1388 A.D.] - 861 [1456] ने अपनी हिदाया की तफ़सीर में इसे लिखा था, जो पहले बुरहानउददीन मरघीनानी ‘रहमतुल्लाह तआला अलैहि’ (593

[1197 A.D.] जिन्हे चंगेज़ ख़ान के आदमियों ने शहीद कर दिया था) ने लिखी थी] किताब ने भी इसी बात पर ज़ोर दिया है।” इसलिए तुम किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ मत पढ़ो जो खुत्वा सिर्फ़ अरबी ज़बान में नहीं बल्कि उसका तर्जुमा दूसरी ज़बान में भी करे और तुम ऐसे इमाम को ढूँढ़ो जो खुत्वा सिर्फ़ अरबी ज़बान में पढ़े और उसी इमाम के पीछे जुमे की नमाज़ पढ़ो (यानी तुम वही नमाज़ पढ़ो जिसकी जमाअत की नमाज़ वो इमाम पढ़ा रहा हो।) तफ़सील के लिए इत-तहकीकात-उस-सैनिय्या-फी-कराहत-इल खुत्वा-ती-बे-गैरिल-अरबिया-व-किरआतिहा-बि-ल-अरबीयात-ए-मआ-तर्जिमातेहा-बे-गैरिल-अरबीयाती। इस नाम की किताब को पढ़िए। यहाँ अल्लामा मुहम्मद तेमीमी मदरासी की तहरीरों से जो तर्जुमा हमने लिया वो ख़त्म होता है।

ऊपर जो तहरीर है जिसे 1349 [1931 A.D.] में हिन्दुस्तान में अरबी में लिखा गया। जिसे हिन्दुस्तान के सबसे आला तेराह इस्लामी आलिमों ने माना और अपनी रज़ामंदी की मोहर ज़बत की। इस तारिखी फ़त्वे के साथ साथ देऊबंद और बाकीयात-उस-सुआलिहात और मदरास और हैदराबाद के हिन्दुस्तानी आलिमों के अरबी के फ़त्वे इस्तानबुल तुर्की में 1396 [1976 A.D.] में छपे थे। दुनिया के हज़ारों मशहूर गहरी समझ बुझ रखने वाले उसमानिया के इस्लामी मौलवियों ने और शैख़-उल-इस्लाम ‘रहीमा-हुमुल्लाहु तआला’ ने लोगों की मदद करने के लिए ऐसे बहुत से रास्ते ढूँढ़े ताकि जो खुत्वे वो सुन रहे हैं उनको समझ आ जाए। वो कोई भी ऐसा सबूत ढूँढ़ने में नाकाम रहे जिससे तुर्की ज़बान में खुत्वों का खुलासा शामिल करने की इजाज़त हो। उन्होंने उसके लिए कोई इजाज़त नहीं दी। जमाअत के बारे में और ज़्यादा जानकारी का मक़सद है (मुसलमानों को बताने के लिए) जुमे की तालिमात को जुमे की नमाज़ के बाद सब मस्जिदों में बताकर हासिल किया गया और उन लोगों को छः सौ साल से ‘फ़त्वे’ के जो मक़ासिद थे उसके बारे में बताया गया

और इस तरह इस्लाम की तालिमात की बाहरी सरहद की किसी भी नुकसान से हिफाज़त की गई।]

ईद की नमाज़ (यानी वो नमाज़ जो दोनों ईदों के पहले दिन सुबह में पढ़ी जाती है) में नौ (तक्वीरें है जिन्हें कहा जाता है) तक्वीर-ए-ज़वाएद है। उनमें से एक फर्ज़ है, दूसरी उसमें सुन्नत है। सात उसमें से वाजिब है। तक्वीर-ए- इफतिताह फर्ज़ है। पहले रूकू की तक्वीर सुन्नत है। ज़वाएद की तक्वीरे वाजिब है। दूसरी रकअत की रूकू की तक्वीर वाजिब है जो एक ही वक़्त में दूसरी वाजिब तक्वीर से मिल रही है। (दूसरे लफ्ज़ों में ये है के एक ही समय में आख़िर की सात तक्वीर-ए-ज़वाएद वाजिब है।)

नमाज़ की अदाएगी

नेमत-ए-इस्लाम में ऐसे लिखा हुआ है: हर मुसलमान आकिल और बालिग को रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ना फर्ज़ है। कोई किसी के बदले नमाज़ नहीं पढ़ सकता। एक शख्स अपनी नमाज़ या और किसी इबादत का सवाब चाहे तो किसी भी शख्स (ज़िन्दा या मुर्दा दोनों सूरतों में) को दे सकता है। उनमें से हर एक (यानी जिन लोगों को सवाब बख़्शा गया) को उतना ही सवाब मिलेगा जैसा के बख़्शने वाले को और बख़्शने वाले के सवाब में से कुछ काटा नहीं जाएगा।] इस बात की इजाज़त नहीं है के नमाज़ अदा की जाए और अपने मक़सिद या भरोसे का सवाब किसी को बख़्शा दिया जाए ऐसे वो अपने फ़राइज़ से हाथ खींच लेंगे। एक शख्स जो इस बात पर ईमान रखता है के (रोज़ाना की पाँच नमाज़ें) नमाज़ फर्ज़ है और उसके वावजूद बिना किसी 'उज़र' के उसको अदा नहीं कर पाता तो वो काफ़िर नहीं बन जाता वो (एक) फ़ासिक (मुसलमान) बन जाता है। [ये इर्शाद है (इस्लाम की पक्की दलीलों में) के एक नमाज़ छोड़ने पर सत्तर हज़ार साल की जहन्नुम की आग की सज़ा

है।] (एक शख्स जो अपने रोज़ की नमाज़ रोक देता है) वो कैद में भेजा जाएगा और तब तक वहाँ रहेगा जब तक के वो दोबारा नमाज़ पढ़नी शुरू न कर दें। जब एक बच्चा सात साल का हो जाता है तो उसके (माँ-बाप) उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दें, अगर दस साल तक भी वो नमाज़ न पढ़े तो उसे हाथों से मारा जाए। तीन बार से ज़्यादा उसे थपका न जाए। न ही डंडे से मारा जाए। डंडे से उस शख्स को पीटा जाता है जिसने किसी इंसान का क़ल्ल किया हो और उसे अदालत का फैसला चाहिए हो। एक शख्स अपनी बीबी को डंडे से नहीं मार सकता। [इस बात की इजाज़त नहीं है के किसी ज़िन्दा इंसान को सर पर या चेहरे या सीने पर या सामने या पेट में] मारा जाए। किसी कमज़ोर के लिए भी ये फ़र्ज़ है के वो अपनी अच्छी जानकारी और ताक़त के हिसाब से नमाज़ अदा करे। (सआदते अबदिया का आख़िरी हिस्सा ज़्यादातर नमाज़ से जुड़ा हुआ है।)

उज़र के साथ होना

अगर किसी के जिस से लगातार कोई चीज़ बहती रहे तो उसे उज़र कहते हैं, (और एक शख्स जो इस निकलने को महसूस करे उसे कहेंगे के वो 'उज़र' के साथ है।) एक शख्स को लगातार कतरा-कतरा करके पेशाब निकलने की बीमारी या (बॉल विस्तरी) या लगातार दस्त होना या लगातार रीह आना, नाक से खून बहना या किसी ज़ख्म से खून बहना आदि, पीप निकलना किसी चोट या अल्सर से आँख दुखने की वजह से पानी बहना और एक औरत का (कसरते हैंज़) इसतीहादा से पीड़ीत होना इस को कहा जाता है **लोगों का उज़र के साथ होना**। ये लोग 'उज़र' की वजह को कुछ तरीक़े इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकते हैं जैसे के बहाओ को बंद करना, ध्यान लगाकर और नमाज़ बैठकर या इशारे से पढ़ना। [एक आदमी जिसे पेशाब निकलने की बीमारी हो

वो जो के दाने के बराबर कुदरती रूई की बत्ती बनाकर पेशाब की नाली में उसे घुसा सकता है। अगर रेशमीन रूई इस्तेमाल की जाएगी तो उसके रेशे गुर्दों में फैलकर बीमारी पैदा कर सकते हैं। पेशाब के दौरान वो बत्ती अपने आप बाहर निकल आएगी। अगर मसाने से ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब एकदम बाहर निकल आए तो जो ज़ाएद बहाओ है वो बत्ती से होता हुआ बाहर टपकने लगेगा जो एक शख्स के बुजू टूटने का सबब बनेगा। पेशाब टपकने से जाँघिया गंदा नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए पेशाब के अज़ू के चारों तरफ एक कपड़ा लपेट दे फिर कपड़े के एक कोने को धागे से कसकर सी दें फिर उसे जाँघिए के साथ सेफ्टी पिन से बाँध दें। अगर पेशाब अब भी तेज़ी से बह रहा है, तो कपड़े के अन्दर कुछ रूई रख सकते हैं। अगर धागे की गाँठ को सेफ्टी पिन से अलग करना मुश्किल हो, तो एक पेपर किलिप सेफ्टी पिन से जोड़कर गाँठ को उसके ऊपर टांग सकते हैं। गाँठ को इस तरह आसानी से खोला जा सकता है, ताकि कपड़े को हाथ धोने वाले तश्ले में तीन बार धोया जा सके। एक शख्स को जिसका मसाना कमज़ोर है यानी पेशाब निकलता रहता है उसे तीन से पाँच कपड़ों के टुकड़े अपनी जेब में रखने चाहिए। एक कपड़े के टुकड़े को धागे के साथ बाँधने के लिए कपड़े के टुकड़े के एक कोने को (12X15) cm. से माप कर मोड़ दें और 50 cm. लम्बे धागे से दूसरे सिरे पर बाँध दें। बूढ़े और कुछ कमज़ोर लोगों की उज़ू-तनासल धीरे-धीरे कम हो जाता है सो जो कपड़ा उसके चारों तरफ लपेटा होता है ढीला हो जाता है, ऐसे लोगों को रूमाल के बराबर बड़े कपड़े का टुकड़ा एक छोटी थैली (मोम जामे) में रखना चाहिए उस थैली में उज़ू तनासल को रखकर उस थैली का मुँह बंध कर देना चाहिए। अगर कपड़े के ऊपर जो पेशाब है वो एक दरहम (4.80 ग्राम) से ज़्यादा है तो कपड़ा बदल देना चाहिए। जब नमाज़ का वक़्त निकल जाता है तो उस 'उज़र' के साथ उस शख्स का बुजू बेकार हो जाता है। अगर जो पहले से उज़र मौजूद है, उसके साथ दूसरे 'उज़र' का मक़सद आ जाता है नमाज़ का वक़्त ख़त्म

होने से पहले तो उनका वुजू उस (नए) सबब की वजह से नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने से पहले टूट जाता है। मिसाल के तौर पर समझ लो के तुमने वुजू किया जब तो तुम्हारे एक नथने से (लगातार) ख़ून जारी है तो तुम्हारा वुजू टूट जाता है अगर तुम्हारे दूसरे नथने से भी ख़ून आने लगे। हनफी और शाफ़िई मस्लकों में एक उज़र वाले शख्स का नमाज़ के पूरे वक़्त में वुजू बेअसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर एक शख्स के आरज़ी रूप से ख़ून निकलना बंद हो गया और दोबारा शुरू नहीं हुआ जब तक के उस शख्स ने वुजू करके उस वक़्त की नमाज़ अदा करली तब वो शख्स ‘उज़र’ वाला बन गया तो वो बना रहेगा तमाम नमाज़ों के वक़्त जब तक के उसका उज़र बार-बार उस वक़्त में न आए। जैसे कहा जाए ख़ून सिर्फ़ उस नमाज़ के बीच में निकला एक बार निकला, चाहे वो एक कतरा ही क्यों न हो। अगर नमाज़ के वक़्त बार-बार ख़ून जारी नहीं हुआ तो वो शख्स अब ‘उज़र’ वाला नहीं रहा। अगर एक दरहम से ज़्यादा नजासत [कोई भी चीज़ जैसे ख़ून, पेशाब, शराब वगैरा का नमाज़ की पढ़ने की जगह से धोना या कपड़ों पर से साफ़ करना। बराए मेहरबानी सआदत अबदिया के चौथे हिस्से के छठे बाब को तफ़सील से देखें।] जिसकी वजह से ‘उज़र’ हो उस शख्स के कपड़ों पर फैली हुई हो तो ये मुमकिन है के उस पर और नजासत लगे हिस्से को धो लिया जाए। **अल-फ़िकह-उ-अला-ल-मस्लक-इल-अरबा** किताब में ऐसे इर्शाद किया गया है: “वहाँ पर दो कौल है मालिकी मस्लक के उसूलों के मुताबिक़ एक बीमार को ‘उज़र’ के साथ वाला शख्स मान लिया जाए। पहले कौल के मुताबिक़ कोई चीज़ जो वुजू को बेअसर करती है वो नमाज़ के आधे वक़्त से ज़्यादा चले और उसका पता न चले के कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। दूसरे कौल के मुताबिक़ बीमार एक उज़र के साथ वाला शख्स बन जाता है (हर हालत में होता है) जब कतरा-कतरा करके कोई चीज़ बहती है, फिर भी पहले कौल में दोनों शर्तें मौजूद नहीं हैं। बीमार का वुजू बेकार नहीं होता अगर जो इसका पता

चल जाए के बहना कब रुका तो ये उस बीमार के लिए मुस्तहब हो जाता है के वो नमाज़ शुरू करने से पहले वुजू कर ले। एक ज़ईफ़ बीमार या बड़े शख्स जो हनफी और शाफ़िई मस्लकों में 'उज़र' के साथ वाले शख्स नहीं है (दोनों मस्लकों के मुताबिक) ये मालिकी मस्लक के दूसरे कौल की पैरवी करता है।”]

अगर एक शख्स को इस बात का डर हो के वुजू करने से वो बीमार हो सकता है या उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है या उसका ढेर हो सकता है तो उसको तयम्मूम कर लेना चाहिए। ये डर उस शख्स के अपने तर्जुबे या एक मुसलमान और आदिल डॉक्टर की सलाह की रोशनी में समझ बुझ वाला लगता है। एक डॉक्टर की सलाह इसलिए मानी जा सकती है के वो खुले गुनाहगार की तरह बदनाम नहीं है। कुछ बीमारियों के सही कारण ये हैं: ठंडा मौसम और कोई रहने की जगह न होना, पानी गरम करने के लिए कुछ भी ढूँढने में नाकाम होना या हमाम में नहाने के लिए पैसा न होना। हनफी मस्लक में तुम एक तयम्मूम के साथ जितनी चाहे फर्ज नमाज़ें अदा कर सकते हो। शाफ़िई और मालिकी मस्लकों में तुम्हे हर फर्ज नमाज़ के लिए एक नया तयम्मूम करना पड़ेगा।

अगर एक शख्स के आधे अज़ू पर ज़ख्म रिस रहा है जहाँ तक वुजू करना है (यानी वो हिस्सा जब वुजू किया जाए तो उसका धूलना ज़रूरी है) तो उसे तयम्मूम कर लेना चाहिए (वुजू के बदले में) अगर आधे से भी कम अज़ू हो (वुजू वाले हिस्सों पर) तो तब वो शख्स जो हिस्सा सेहतमंद है उसे धोएगा और ज़ख्मों पर मसह करेगा। गुस्ल में पूरा जिस्म एक अज़ू की तरह से ख़याल किया जाता है, तुम्हारा आधा बदन रिसने वाले ज़ख्मों से ढका हुआ है ऐसी हालत में तुम तयम्मूम कर लो। अगर जिस हिस्से में ज़ख्म रिस रहा है वो आधे से भी कम है (पूरे बदन के मुकाबले), तब तुम सही हिस्सों को धो लो और ज़ख्मों पर मसह कर लो। अगर ज़ख्मों पर मसह करना नुकसान पहुँचाए तो उस

वक़्त पट्टी या फाये पर मसह करना चाहिए। अगर मसह करने से भी नुक़सान होता है तो तब तुम्हे मसह भी छोड़ देना चाहिए। अगर जब वुजू में या गुस्ल में सर का मसह करने से नुक़सान हो तो सर का मसह नहीं करना चाहिए। एक शख़्स जो हाथ धोते वक़्त हाथों को पानी से नहीं धो सकता या पानी का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथों में ख़राबी है (एकज़ीमा या ज़ख़्म रिसने की) तो उस पर तयम्मुम कर लेना चाहिए ऐसा करने के लिए उसे अपने चेहरे और कोहनी को ज़मीन पर आहिस्ता से रगड़ना चाहिए (या चूने, पत्थर या मिटटी की दीवार पर) मान लीजिए अगर एक शख़्स के न हाथ हैं न पैर और उसके सारे चेहरे पर ज़ख़्म रिस रहे हैं तो उसे नमाज़ बिना वुजू के पढ़ लेनी चाहिए। एक शख़्स जिसे वुजू कराने के लिए कोई नहीं मिलता तो उसे तयम्मुम कर लेना चाहिए। उसके बच्चे या उसका गुलाम या और कोई शख़्स जिसे उसने पैसे देकर मदद के लिए बुलाया (वुजू कराने के लिए) उसे वुजू करा सकते हैं। वो दूसरों से भी मदद ले सकता है। हालांकि दूसरे उसकी मदद नहीं कर सकते। मिया और बीबी वुजू करने में एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते।

मान लो एक शख़्स पट्टी इस्तेमाल कर रहा है [या मरहम, या रूई या फाये पर प्लास्टर बाँध रहा है] ख़ून निकलने की वजह से या जोंक लगवाने या ज़ख़्म रिसने या फोड़ा या टूटी हुई या चोट लगी हुई हड्डी पर, अगर वो उस (नाजुक) हिस्से को ठंडे या गरम पानी से भी धोने में कासिर हो इस वजह से उस हिस्से का मसह भी न कर पाए तो तब वो वुजू या गुस्ल की तरह आधे से ज़्यादा उस हिस्से पर मसह करे। इस सिलसिले में अगर पट्टी को हटाना नुक़सान दे सकता है तो उसके नीचे के साफ हिस्सों को धोने की ज़रूरत नहीं है। जो ख़ाल का साफ हिस्सा पट्टी के अन्दर से नज़र आए उसपर मसह करना जायज़ है। पट्टी लगाने से पहले ज़रूरी है वुजू में होना। मसह करने के बाद अगर पट्टी बदली जाए तो उस नई पट्टी पर मसह करना ज़रूरी नहीं है। चाहे उसके बाद दूसरी पट्टी उसपर बाँधी जाए।

बीमारी के दौरान नमाज़

अगर बीमार में बिल्कुल खड़े होने की ताकत न हो या खड़ा होने से मर्ज़ के बढ़ जाने का खतरा हो तब वो अपनी नमाज़ बैठकर पढ़ सकते हैं, रूकू के लिए वो अपने बदन को थोड़ा झुकाए और बैठने के बाद वो फर्श पर अपना सज्दा कर सकते हैं (यानी नाक और माथे को ज़मीन पर रखें) तब वो उस तरह बैठे जैसे उन्हें आराम मिले। ये उनके लिए जायज़ है के वो घुटनों के बल या टाँगों को मोड़कर या कूल्हों के बल बैठकर बाज़ू बिल्कुल अपने बदन के पास लगाकर रखें। सिरदर्द या दांत दर्द और आँख का दर्द ये सब बीमारियाँ ख्याल की जाती हैं। दूसरा 'उज़र' (इस सिलसिले में) ये डर होना के कहीं दुश्मन न देखले। इसके अलावा अगर एक शख्स को ये डर हो के खड़े होने से उसका बुज़ू जाता रहेगा तो वो बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है। एक शख्स किसी चीज़ का सहारा लेकर झुककर खड़ा हो सकता है तो वो इसी तरह झुककर नमाज़ पढ़ सकता है। एक शख्स अगर इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता तो वो तकवीर इफतिताह (यानी "अल्लाहु अकबर" कहकर नमाज़ शुरू करे) खड़े होकर कहे और जब उसे तकलीफ महसूस हो तो बैठकर (अपनी नमाज़) नमाज़ जारी रखे।

एक शख्स जो फर्श (या ज़मीन) पर सज्दा नहीं कर सकता तो खड़े होकर (आयतों को) पढ़े और फिर रूकू और सज्दे को इशारे से अदा करने के लिए बैठ जाए (ऐसा करने के लिए) उन्हें रूकू के लिए अपने आपको थोड़ा झुकाना होगा और किसी न किसी तरह से थोड़ा सा ज़्यादा सज्दे के लिए। लोग अपने आपको या अपने सर को झुकाने में नाकाम रहते हैं। ये ग़ैरज़रूरी है (ऐसे लोगों के लिए) के वो किसी चीज़ पर सज्दा करें। जो सज्दा वो किसी चीज़ पर करेंगे तो उनकी नमाज़ सही होगी अगर उनका झुकना सज्दे के लिए

रुकू के मुकाबले ज़्यादा है तो, इसके बावजूद वो मकरूह का काम कर रहे हैं। (किसी ऐसी चीज़ पर सज्दा करना जो सज्दे की जगह को उसके माप से ऊँचा कर दें) ये जायज़ नहीं है के लेट कर इशारे से नमाज़ पढ़े जबके बैठकर और टेक लगाकर (किसी चीज़ के सहारे) नमाज़ पढ़ना मुमकिन है। हमारे नवाज़े गए रसूल ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने एक बीमार को देखा जो तकिया अपने आगे रखकर सज्दा कर रहा था, आपने तकिया उठाया और परे फेंक दिया। उसपर उस शख्स ने लकड़ी की कोई चीज़ अपने सामने रखली। सबसे ज़्यादा मुबारक ज्ञात ने उसको भी परे फेंक दिया और इर्शाद फरमाया: “ज़मीन पर इसको अदा करो [यानी अपना माथा ज़मीन पर रखो]! अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हो तो इशारे से काम लो, रुकू और सज्दे के इशारे सर झुकाकर करे और रुकू के इशारे से सज्दे के इशारे में सर को ज़्यादा झुकाएं।” जैसा के बहर-उर-राईक नाम की किताब में इर्शाद है (और इसको लिखा है जैनुल-आबिददीन इब्ने नुजयम-ए-मिस्री ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ 926-970 [1562 A.D.] मिस्र में एक किताब पर टिप्पणी की गई जिसका नाम है कैज़-उद-देकाईक जिसको लिखा है अबुल-बराकात-हफ़ीज़-उद-दीन अब्दुल्लाह बिन अहमद नेसेफी (या नसाफी) ‘रहमतुल्लाह तआला अलैहि’ ने d-710 [1310 A.D.] बग़दाद में) इसका मतलब सुरह अल इमरान की एक सौ इक्यानवीं आयत-ए-करीम में बताया गया है के “वो जो पढ़ सकता है नमाज़ खड़े होकर, वो जो बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता और वो जो दोनों में से कोई भी नहीं कर पाए वो लेटकर नमाज़ अदा करे।” जब इमरान बिन हुसैन ‘रज़ि-अल्लाहु तआला’ बीमार पड़े तो रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “पढ़ो (नमाज़) खड़े होकर! अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते कोई भी तब एक करवट या कमर के बल लेटकर नमाज़ अदा करे।” [जैसा के देखा गया है, एक बीमार जो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता वो बैठकर पढ़ ले। एक जो किसी भी तरह न बैठ पाए वो लेटकर नमाज़ पढ़े। ये उस

शख्स के लिए जायज़ नहीं है जो ज़मीन (या फर्श) पर बैठ सकता है या फिर वो किसी बस में सफ़र कर रहा है या जहाज़ में है और हथ कुर्सी पर पैर लटका कर नमाज़ पढ़ रहा है अगर एक शख्स मस्जिद में जमाअत में खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो वो घर में खड़े होकर अदा करे। वहाँ पर बीस उज़र मौजूद है (कोई भी एक) जो तुम्हें बाहर जाने से रोके (मस्जिद को) जमाअत के लिए (यानी जमाअत में नमाज़ पढ़ने के सबब) नीचे बताई गई हालते वो 'उज़र' है जिनमे तुम जुमे की नमाज़ के लिए अपनी जगह न छोड़ पाओ: वारिश, झुलसा देने वाली गर्मी, या बहुत जाड़ा, दुश्मन का खौफ़ होना के कही वो तुम्हारी जान या माल लेने के लिए हमला न कर दें, इस बात का डर होना के कही सफ़र में साथी तुम्हें अकेला छोड़कर न चलदे, गुप अंधेरा होना, अंधे, लूले लंगड़े (केवल) एक पाँव का होना (दूसरा) कट गया हो, रास्ते में ज़्यादा कीचड़ होना, बहुत बूढ़ा होना, फिकह पर ऊँचा ओहदा खोने का डर, मनपसंद खाने का न मिलने का डर, सफ़र की खानगी का वक़्त करीब आ जाना, बीमार की ख़िदमत करने वाला जिसकी जगह कोई और हाज़िर न हो, रात में आँधी तूफ़ान का होना, पेशाब (या पाख़ाना) की हाजत होना, ऐसे बीमार जिनको डर हो के उनकी बीमारी और ख़राब या बढ़ जाएगी या बीमार की ख़िदमत करने वाला जिसको डर हो के उनका बीमार बिना देखभाल के रह जाएगा। ज़्यादा उम्र होने की वजह से चलने में परेशानी होना। जुमे की नमाज़ के लिए गाड़ी के बजाए पैदल मस्जिद चलकर जाना और आना बहुत मरतबे वाली बात है। ये जायज़ नहीं है के मस्जिद में किसी कुर्सी या हथ कुर्सी पर बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ना। किसी भी इबादत को इस्लाम के हुक्म के मुताबिक न करना बिदअत है और ये फिकह की किताबों में लिखा है ये बहुत बड़ा गुनाह है के ऐसे काम को करना जो बिदअत है।]

एक शख्स जो बहुत ज़्यादा बीमार है (नमाज़ पढ़ने को) किवले की तरफ मुँह करके तो वो किसी भी तरफ मुँह करके नमाज़ अदा कर सकता

है। अगर बीमार कमर के बल चित लेटे और सर के नीचे कोई (नर्म) चीज़ रखे ताकि उनका मुँह किबले की तरफ हो। घुटने खड़े रखें। अगर एक शख्स (इतना बीमार है के) सर से इशारा भी न कर सके तो उसके लिए जायज़ है के वो नमाज़ कज़ा के लिए छोड़ दे (जिसका मतलब है के नमाज़ का वक़्त पूरा होने तक उसे मुल़्तवी कर देना) एक शख्स अगर नमाज़ के बीच में बीमार हो जाता है तो वो जिस तरह चाहे नमाज़ अदा कर सकता है। अगर एक बीमार जो बैठकर नमाज़ पढ़ रहा है अगर नमाज़ के बीच में अच्छा हो जाता है तो उसे अपनी नमाज़ खड़े होकर अदा करनी होगी। एक शख्स जो दीवाना हो या दीवानी हो वो नमाज़ नहीं पढ़ सकता/सकती अगर पाँच नमाज़ों के वक़्त पूरे होने से पहले उनकी हालत सुधर जाती है तो उन्हें पाँच कज़ा नमाज़ें पढ़नी लाज़िम होगी। अगर छः नमाज़ों का वक़्त निकल गया तो उन्हें कोई कज़ा नहीं अदा करनी होगी।

ये एक फ़र्ज़ है के जो नमाज़ तुम उसके ठीक वक़्त पर पढ़ने में नाकाम रहे तो उसकी कज़ा में जल्दी करो, चाहे इशारे के साथ ही क्यों न हो। अगर एक शख्स अपने को विस्तरे-मर्ग पर पाता है और अपनी कज़ा नमाज़ें अदा नहीं कर पाता तो ये उसके लिए वाजिव नहीं है के वो अपनी वसीयत में ये हुक्म दे के जो नमाज़ें उसने नहीं पढ़ी उनकी इस्कात के लिए जो माल उसने छोड़ा है उसमें से उन नमाज़ों का फ़िदया अदा कर दिया जाए। हालांकि ये उस पर वाजिव है के अगर उसकी हालत सुधरती है और उसकी ताक़त इतनी लम्बी रही के काफी वक़्त था कज़ा नमाज़ें पढ़ने का तो वो उनको अदा करे। अगर उसने अपनी वसीयत में ये हुक्म नहीं दिया तो उलेमाओं के इर्शाद के मुताबिक़ ये जायज़ है उसके वली के लिए या किसी बाहर वाले के लिए के वो अपनी जाएदाद में से उसकी इस्कात अदा करे। यहाँ हम उस तहरीर को ख़त्म करते हैं जो हमने 'नयमत-ए-इस्लाम' से ली थी।

हदीस शरीफ में ऐसे इर्शाद हुआ है: यहाँ चौबीस काम हैं जो एक शख्स पर गरीबी लाते हैं।

1- ज़रूरत के बग़ैर खड़े होकर पेशाब करना। (एक ज़रूरत ऐसी हालत है जिसमें तुम कोई मदद नहीं कर सकते और न ही किसी को काम करने या न करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।)

2- उस वक़्त खाना खाना जब तुम जुनूब (इस हालत में हो) (यानी जब तुम्हें गुस्सा की ज़रूरत हो)

3- रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े करके फेंकना और उनके ऊपर चढ़ना।

4- प्याज़ और लहसुन के छिलके जलाना।

5- अपने बड़ों से आगे चलना।

6- अपने माँ-बाप को नाम से बुलाना।

7- अपने दांतों को पेड़ या झाड़ू के तिके/डाली से कुरेदना।

8- अपने हाथों को मिट्टी से धोना।

9- देहलीज़ पर बैठना।

10- जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ वुजू करना।

11- बिना धुले वर्तन या कड़ाही में खाना रखना।

12- कपड़े को पहने पहने सीना।

13- जब भूख हो तो प्याज़ खाना।

- 14- अपने चेहरे को अपने ही लेहगें से सुखाना ।
- 15- अपने घर में मकड़ीयों को रहने देना ।
- 16- (जमाअत में) सुबह की नमाज़ जल्दी पढ़कर मस्जिद से बाहर आना ।
- 17- बाज़ारी जगह पर जल्दी जाना और देर से वापस आना ।
- 18- एक गरीब शख्स से रोटी खरीदना ।
- 19- अपने माँ-बाप को कोसना बुराभला कहना उनसे गलत बात करना ।
- 20- नंगे सोना ।
- 21- वर्तनों और कटोरियों को बिना ढक्कन लगाए रखना ।
- 22- रौशनी को फुक मारना जैसे के मोमबत्ती ।
- 23- बिना विसमिल्लाह कहे सारे काम करना ।
- 24- अपनी शलवार को खड़ा टांगना ।

अगर एक शख्स विस्तर पर जाने से पहले सुरह “इन्ना-आ-तयना...,” पढ़ले और उसके बाद दुआ मांगे, “या रब्बी (ओ मेरे अल्लाह)! मेहरबानी करके मुझे कल सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए जल्दी उठा दे ।” वी-इज़नील्लाही तआला वो शख्स सुबह की नमाज़ के लिए वक़्त पर उठेगा ।

नमाज़ की एहमियत

इशाअत-उल-लेमाअत नाम की किताब (और लिखी है अब्दुल-हक-बिन सैफ़उददीन देहलवी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' ने 958 [1551 A.D.]- 1052 [1642] देहली में) में नमाज़ की एहमियत पर बहुत सारी हदीस शरीफ है। ये किताब टिप्पणी पर मुबनी है जो फारसी ज़बान में लिखी गई है हदीसों पर। जिसका नाम है **मिशकात-उल-मेसाबीह** (और जिसे लिखा है वली-उद-दीन-खातिब-ए-तवरेज़ी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' d. 749 [1348 A.D.] ने ये टीप्पणी करी है और तारीफ़ भी की है उस किताब की जिसका नाम है **मेसाबीह** (जिसे लिखा है इमाम बेगवी हुसैन बिन मसूद-मुहीउस-सुनना 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' d. 516 [1122 A.D.] में) इशात-उल-लेमात ऐसी किताब है जिसके चार हिस्से हैं। उसकी नवी इशाअत 1384 [1964 A.D.] में लग्नऊ हिन्दुस्तान में छपी।

नमाज़ को अरबी ज़बान में **सलाअत** भी कहते हैं और सलाअत का असली मतलब है इबादत, रहमत (हमदर्दी, मुआफी) और इस्तग़फ़ार (अल्लाह से मुआफी की भीख माँगना) के, क्योंकि नमाज़ में ये तीनों मतलब आते हैं इसलिए नमाज़ को **सलाअत** कहा जाता है।

1- अबू हुरैरा 'रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हु' से रिवायत है रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' इश्आद फरमाते हैं: “रोज़ाना की पाँच नमाज़ें और जुमे की नमाज़ अगले जुमे तक काफ़ारा है जो गुनाह तुम करोगे वो सब गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और रोज़े (तीस दिन के) रमज़ान में अगले रमज़ान तक के सारे गुनाह धुल जाएंगे। नमाज़ और रोज़े मुआफी का सबब है जो छोटे गुनाह मुसलमानों ने किए हैं और बड़े गुनाहों को करने से बचना चाहिए।” वो मुआफी के लायक़ गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं जो इस बीच होते हैं और इंसानी

हुकुम इसमें शामिल नहीं है। उन मुसलमानों के साथ जिनके मुआफी के लायक गुनाह सब मुआफ हो गए और उसमें से कुछ भी नहीं बचा, वो (यानी जुमे की नमाज़ और रमज़ान के रोज़े) उनके बड़े गुनाहों को भी ख़त्म करने का सबब बनते हैं। बड़े गुनाहों की मुआफी के लिए चाहिए के वो तौबा करे अपने गुनाह की जिसका मतलब है अपने गुनाहों पर पछताना और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तौबा करना के ये गुनाह दोबारा नहीं करूँगा/करूँगी और अल्लाह से वादा करना के ये गुनाह दोबारा नहीं करूँगा। अगर एक मुसलमान कोई बड़ा गुनाह नहीं करता है तो वो अपने ज़मीर को साफ रखता है। ये हदीस शरीफ सही मुस्लिम नाम की किताब में लिखी हुई है। जुमे की नमाज़ उन मुसलमानों को मुआफी दिलाती है जिनकी पाँच वक़्त नमाज़ें ख़राब हैं। अगर उनकी जुमे की नमाज़ भी ख़राब है तो फिर रमज़ान के रोज़े उसको मुआफी दिलाएंगे।

2- अबू हुरैरा ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हु’ ने दोबारा बयान में कहा रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “मान लो किसी घर के दरवाज़े के आगे से नहर बह रही है और वो शख्स रोज़ाना पाँच वक़्त उस नहर में नहा रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई मैल, कूड़ा रह जाएगा?” “नहीं वहाँ पर कोई कूड़ा नहीं रह जाएगा, ओ अल्लाह के पैग़म्बर, सहाबा ने जवाब दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह ने कहा: “यही रोज़ाना की पाँच नमाज़ों के साथ है। अल्लाहु तआला सब बड़े गुनाह मिटा देता है उस मुसलमान के जो रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं।” ये हदीस शरीफ सही-बुख़ारी के साथ-साथ सही मुस्लिम में भी लिखी हुई है।

3- अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ ने एक किस्सा बयान फरमाया: किसी ने एक औरत को चूमा जो उसके लिए नामहरम थी। या फिर इसकी तफ़सील ऐसे है, अन्सार में से एक शख्स था जो ख़जूरे बेचता था। एक औरत उसके पास ख़जूरे ख़रीदने आई। उसकी ख़ूबसूरती को देखकर उसके

दिल में शैतानी ख्याल आया, “मेरे पास घर में इससे अच्छी ख़जूरे है। मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें अच्छी ख़जूरे दे सकूँ।” उसने कहा। जब वो दोनों उसके घर पहुँचे तो उसने उसे गले लगाया और चूमा। “तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह से डरो,” औरत ने उसकी मुग़्गालफ़त की। उसको अपनी ग़लती का एहसास हुआ। वो रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के पास आया और उसने जो किया था वो बताया। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और अल्लाहु तआला की तरफ से ‘वही’ नाज़िल होने का इंतज़ार करने लगे। उसके बाद उस शख्स ने नमाज़ पढ़ी। अल्लाहु तआला ने एक सौ चौदहवीं सूरह हूद की आयात (अपने नवाज़े गए पैग़म्बर को) हमारे प्यारे नबी को भेजी। उन आयत-ए-करीमा का मतलब है: “दिन के दोनों तरफ पाबंदी से नमाज़ अदा करो और जब रात बढ़ने लगे तब भी। ताकि जो पाक है वो बुराई गंदगी को ख़त्म कर दें या मिटा दें;...”। दिन को दोनों तरफ का मतलब है दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। तो, यहाँ नमाज़ों का मतलब है सुबह और दोपहर के बाद की इबादतें। और रात की तरफ बढ़ने वाली नमाज़ों का मतलब है शाम की और रात की इबादतें। इस आयत-ए-करीमा ने बताया के रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ें अदा करने से गुनाहों की मुआफी मिलती है। (गुनाह मुआफ हो जाते हैं) उस शख्स ने पूछा: “या रसूलुल्लाह (ओ अल्लाह के पैग़म्बर)! क्या ये सिर्फ मेरे लिए अच्छी ख़बर है? “ये मेरी पूरी उम्मत के लिए है (मुसलमानों के लिए),” प्यारे नबी ने फरमाया। ये दोनों हदीसे शरीफ ‘सही’ नाम की किताबों में लिखी हुई हैं, (यानी सही-ए-बुख़ारी में और सही-ए-मुस्लिम में) [बराए मेहरबानी सआदते अबदिया के दूसरे हिस्से का छठा बाब देखिए।]

4- उनसे बिन मलिक ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ (ने बयान फरमाया) से रिवायत है: कोई शख्स हमारे रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के पास आया और बोला: “मुझसे एक जुर्म हो गया है जिसमें मुझे हद [बराए

मेहरबानी सआदते अबदिया के छठे हिस्से का दसवाँ बाब देखिए।] की सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे इस हद के लिए कोड़ों से मारा जाए।” रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने उससे नहीं पूछा के तुमने क्या गुनाह किया है। जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो हम सबने एक साथ नमाज़ अदा की। जब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ नमाज़ पूरी कर चुके तो वो शख्स खड़ा हुआ और बोला: “या रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’! मैंने एक गुनाह किया है जिसकी मुझे हद का जुर्माना अदा करने की सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे वो सज़ा दिजिए जिसका हुक्म अल्लाहु तआला ने अपनी किताब में दिया है!” “क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ अदा नहीं की,” सब पैग़म्बरों से आला ने पूछा। उसके बाद उसने कहा: “हाँ, मैंने पढ़ी।” “उदास मत हो। अल्लाहु तआला ने तुम्हारा गुनाह माफ कर दिया” ये अच्छी ख़बर अल्लाहु तआला के प्यारे नबी की तरफ से आई। ये ‘हदीस शरीफ’ हदीसों की दोनों की बुनियादी किताबों में है। वो शख्स ये बात मान रहा था के उससे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से उस पर हद आएद होता है। नमाज़ पढ़ने की वजह से उसको माफ किया जा सकता है इससे ये ज़ाहिर होता है के ये काबिले माफी गुनाह था। या, फिर “हद” कहने से उसका मतलब हो ‘ताज़ीर’ जो काबिले माफी गुनाह के बदले आएद किया गया हो। वो ज़रूर यही सिलसिला रहा होगा, बहरहाल उसने ये नहीं कहा, “मेरे ऊपर हद लगाओ”, अपनी दूसरी छानवीन में।

5- अब्दुल्लाह इबनी मसूद ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ से रिवायत है: मैंने रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ से पूछा अल्लाह तआला को कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है। “सही वक़्त पर पढ़ी गई नमाज़”, सबसे ज़्यादा प्यारे नबी ने जवाब दिया। असल में, किसी हदीस-ए-शरीफ ये इशार्द है के अल्लाह तआला “पसंद करता है एक नमाज़ को जो अव्वल वक़्त में पढ़ली जाए।” मैंने पूछा क्या काम है जो अल्लाहु तआला को दूसरे नंबर पर पसंद

है। “**वालदैन के साथ अच्छा रहना,**” आपने कहा। मैंने पूछा तीसरे नंबर पर ‘अल्लाहु तआला’ को क्या पसंद है, और अल्लाहु तआला के प्यारे नबी ने जवाब दिया: “**अल्लाह की राह में जिहाद करना।**” ये हदीस-ए-शरीफ भी ‘सही’ की दोनों किताबों में लिखी हुई है। एक और हदीस-ए-शरीफ में रिवायत है: “**सब कामों से अफ़ज़ल है किसी को खाना देना।**” एक और में: “**सबसे अच्छा काम है ऐसे तरीके को फैलाना जिसमें मुसलमान एक दूसरे को खुशआमदीद कहें।**” (बराए मेहरबानी सआदत अबदिया के तीसरे हिस्से का बासठवाँ वाव देखें) एक दूसरी में: “**सबसे अच्छा काम है आधी रात को नमाज़ पढ़ना जब सब लोग सो रहे हो।**” एक दूसरी हदीस-ए-शरीफ में: “**सबसे कीमती काम है (इस तरह बरताव करना) के किसी को तुम्हारे हाथों से नुकसान न हो, (यानी तमीज़) और ज़बान से, (यानी बातें)।**” एक दूसरी हदीस-ए-शरीफ में: “**जिहाद सबसे कीमती काम है।**” एक दूसरी हदीस-ए-शरीफ में ये इर्शाद हुआ है: “**सबसे कीमती काम है हज़-ए-मबरूर।**” हज़-ए-मबरूर का मतलब है एक हज़ जो बिना कोई गुनाह किए पूरा हो गया हो। एक और हदीस-ए-शरीफ में आया है के सबसे कीमती काम है “**अल्लाह तआला का ज़िक्र करना।**” और एक दूसरी में इर्शाद है के: “**एक अमल जो मुसलसल अदा किया जाए।**” जवाब में जो मतभेद है वो लोगों के ज़रिए पूछे गए अलग-अलग सवालों के मुताबिक है। या, अलग जवाबों के लिए अलग वक़्त का होना। मिसाल के तौर पर इस्लाम के फैलने के शुरू के दिनों में जिहाद को सबसे ज़्यादा काबिल काम समझा जाता था। [हमारे वक़्त में सबसे ज़्यादा काबिल काम है उन काफ़िरों और लोगों को इशाअत और नशरयात के ज़रिए ग़लत साबित करना जो मज़हब से फिर गए हों, और उन तालिमात को फैलाना जो (उलेमाओं ने) अहल-अस-मुन्नत ने बताई हों। लोग जो जिहाद के बहादुरों की माली और/या ज़कात के ज़रिए और/या जिस्मानी मदद करते हैं, वो जो भी सवाब कमाते हैं उसमें उनका भी हिस्सा होता है। आयत-ए-करीमा और हदीस-

ए-शरीफ से ये ज़ाहिर होता है के नमाज़ ज़कात या दूसरी किसी भी ख़ैरात से ज़्यादा कीमती है। क्या चीज़ नमाज़ अदा करने से भी कीमती है वो है, कोई चीज़ किसी को देना जो मरने वाला हो और इसकी वजह से उनको मौत से बचा लिया जाए।]

6- जाविर-बिन अब्दुल्लाह ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ बयान फरमाते हैं: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: **“आदमी और कुफ़्र (काफिर) के बीच की हद है नमाज़ को ख़ल कर देना।”** इसके लिए नमाज़ एक पर्दा है जो आदमी को कुफ़्र के राबते में आने से बचाता है। एक बार ये परदा बीच से हट जाए, तो गुलाम (बन्दा) कुफ़्र में धसता चला जाता है। ये हदीस-ए-शरीफ **सही मुस्लिम** में लिखी हुई है। इस हदीस-ए-शरीफ के ज़रिए से ये ज़ाहिर होता है के नमाज़ को नज़रअंदाज़ करना कितना ख़तरनाक है। ज़्यादातर सहाबा-ए-कराम ने फरमाया के जो शख्स बिना किसी उज़र के नमाज़ छोड़ता है ऐसा करने से वो बिना ईमान वाला (काफिर) बन जाता है। शाफिई और मालिकी मस्लकों के मुताबिक वो शख्स काफिर नहीं बन जाता, लेकिन तब उसको मौत दे देना वाजिब हो जाता है। हनफी मस्लक में उसको कैद में रखो और मारो और तब तक जेल में रखो जब तक के वो दोबारा नमाज़ पढ़नी शुरू न कर दें।

7- उवेद-बिन सावित ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ से रिवायत है: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: **“अल्लाहु तआला ने हुक्म दिया (हमें) पाँच वक़्त (रोज़ाना) की नमाज़ पढ़ने का। अगर एक शख्स अच्छे तरीके से वुज़ू करता है और सही वक़्त पर अदा करता है और पूरे दिमाग के साथ रूकू और खुशूअ करता है, तो अल्लाहु तआला ने वादा किया है के वो उस शख्स को माफ कर देगा।** उसने ये वादा उन लोगों के लिए नहीं किया जो ये सब चीज़ें नहीं करते। वो या तो उन्हें माफ कर देता है या उन्हें परेशानियों में

डाल देता है, ये उसकी मरज़ी पर है।” ये हदीस-ए-शरीफ इमाम अहमद, अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है। ऐसा देखा गया है, के नमाज़ के लिए जो ज़रूरी है जैसे उसके रूकू और सज्दे उनको पूरे दिमाग के साथ अदा करना। अल्लाहु तआला कभी अपनी बातों से नहीं फिरता। वो पक्के तौर पर मुसलमानों को माफ कर देता है जो नमाज़ सही ढंग से अदा करते हैं।

8- अबू-इमामा-ए-बहिली ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ से रिवायत है रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: **“(रोज़ाना) अदा करो अपनी पाँच वक़्ता नमाज़ ! (रमज़ान में) एक महीने के रोज़ें रखो! अपनी जाएदाद की ज़कात अदा करो! अपने हाकिमों का कहना मानो। अपने रब के बाग़ में दाखिल हो जाओ।”** ऐसा देखा गया है, एक मुसलमान जो रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ता है और रमज़ान में रोज़े रखता हो और माल की ज़कात देता हो और हाकिमों के जो ज़मीन पर अल्लाहु तआला के ख़लीफा है उनके इस्लामी शरीअत के एहकाम को मानता हो। वो जन्नत में दाख़िल होगा। इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला इमाम अहमद और तिरमुज़ी ने दिया।

9- बरदा-ए-इस्लेमी ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ जाने माने सहाबियों में से एक, ने फरमाया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: **“नमाज़ तुम्हारे और हमारे बीच एक मुआहिदा/समझौता है। वो जो नमाज़ को ख़त्म करे वो काफ़िर बन जाता है।”** ऐसा देखा गया है, एक शख्स जो नमाज़ पढ़ता है वो मुसलमान साबित कर दिया जाता है। अगर एक शख्स नमाज़ की तरफ ध्यान नहीं देता और नमाज़ नहीं पढ़ता क्योंकि वो ये नहीं मानता के नमाज़ एक बुनियादी फरीज़ा है, वो काफ़िर (बिना ईमान वाला) बन जाता है। इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला इमाम अहमद ने, तिरमुज़ी ने, नेसाई ने और इब्नी माजा ने दिया (चार सबसे बड़े हदीसों के आलिम।)

10- अबुजर-ए-गफ़फ़ारी 'रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह' से रिवायत है: पल्लव के एक दिन में रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' और मैं बाहर चले गए। पल्लव रहे थे। आपने एक पेड़ में से दो टहनियाँ उठाई उसमें से एक साथ सारी पल्लियाँ झड़ गई। "या अबुजर! जब एक मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ता है, उसके सारे गुनाह इन टहनियों के गिरे हुए पल्लों की तरह झड़ जाते हैं," आपने फरमाया। इस हदीस शरीफ की रिवायत इमाम अहमद ने दी है।

11- ज़ैद बिन ख़ालिद जुहेमी की रिवायत है: रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' ने इशार्द फरमाया: "जब एक मुसलमान एक नमाज़ की दो रकाअतें सही तौर पर और खुशूअ के साथ पढ़ता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।" वो है, उसके सारे काबिले माफी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये रिवायत इमाम अहमद 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' की हदीस-ए-शरीफ की है।

12- अब्दुल्लाह बिन अमिर इवनी आस 'रज़ि-अल्लाहु तआला' अन्हुमा से रिवायत है: रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' ने इशार्द फरमाया: "अगर एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, वो नमाज़ एक नूर (रोशनी) बन जाती है और एक बुरहान (सबूत) और उनके लिए निजात का सबब बनती है। अगर वो नमाज़ को नहीं बचा पाते, वो उनके लिए न तो नूर बनेगी और न ही बुरहान, तो वो निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। वो एक साथ रखे जाएंगे कारून के साथ, फिरओन के साथ, हम्मान के साथ और उवेए बिन खलेफ के साथ।" ऐसा देखा गया है, अगर एक मुसलमान अपनी नमाज़ पूरे दिमाग के साथ उसके फर्ज़, वाजिब, सुन्नत और अदब अदा करता है, वो नमाज़ उनको हशूर के दिन नूर अता फरमाएगी। अगर वो इस तरीके से नमाज़ अदा नहीं करते, तो कयामत के दिन उनका शुमार ऊपर बताए गए काफ़िरों के साथ

होगा। वो ये, के दोज़ग़्र में उनको बहुत तकलीफ़े उठानी पड़ेंगी। उबेए बिन ख़लेफ़ अपनी राए को न बदलने वाले मक्का के काफ़िरों/मुशरिकों में से एक था। जंग ओहोद में रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ ने उसको अपने मुबारक हाथों से ख़ुद दोज़ग़्र में भेजा। इस हदीस-ए-शरीफ़ का हवाला इमाम अहमद ने, इमाम बेएहकी, और दरीमी (अब्दुल्लाह बिन अवद-उर-रहमान हाफ़िज़ अबू मुहम्मद) ने दिया है।

13- अब्दुल्लाह बिन शकीक ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’, ताबिईन में सबसे अफ़ज़लों में से एक ने इर्शाद फरमाया: “सहाबाए कराम ‘रज़ि-अल्लाहु अनहुम’ ने सब इबादतों में से सिर्फ़ नमाज़ ही है जो अपने नज़रअदाज़ करने वाले को काफ़िर (अल्लाह का दुश्मन) बना देती है।” ये जानकारी दी है (मुहम्मद बिन ईसा) तिरमुजी ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ ने। इस हदीस-ए-शरीफ़ का हवाला अब्दुल्लाह बिन शकीक ने (सहाबी जैसे के) उमर, अली, उसमान और आएशा ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हुम’ की इजाज़त से दिया। उन्होंने हिजरा के एक सौ आठवें साल में रहलत फरमाई।

14- अबु-बी-दरदा ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने इर्शाद फरमाया: मेरे सबसे प्यारे मुबारक ने मुझसे फरमाया: “चाहे तुम टुकड़ों में काट दिए जाओ या आग में जला दिए जाओ, कभी किसी को अल्लाहु तआला का शरीक न बनाओ! कभी फ़र्ज़ नमाज़ न छोड़ो! एक शख्स जो फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ता है वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। कभी शराब मत पियो। शराब सब बुराइयों की चावी है।” ऐसा देखा गया है, एक शख्स जो बिना दिमाग़ के फ़र्ज़ नमाज़ अदा करे वो काफ़िर बन जाता है। एक शख्स जो नमाज़ छोड़े आलस की वजह से वो काफ़िर नहीं बन जाता, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये कोई गुनाह की बात नहीं है के नमाज़ अदा नहीं कर पाना, इस्लाम के बताए गए पाँच उज़रों में से किसी एक की वजह से। शराब और दूसरी सभी नशीली चीज़ें

दिमाग को बंद कर देती है। एक शख्स जिसका दिमाग बंद है वो कोई भी बुरा काम कर सकता है।

15- अली 'रज़ि-अल्लाहु अनह' ने बयान फरमाया। रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' ने इर्शाद फरमाया: "या अली! वहाँ पर तीन चीज़ें हैं जिन्हें तुम टाल नहीं सकते: जब नमाज़ का वक़्त आ जाए, उस नमाज़ को जल्दी से पढ़लो। जब एक जनाज़ा (एक मरा हुआ मुस्लिम जिसे दफ़नाना हो) तैयार हो (दफ़नाने के लिए), जनाज़े की नमाज़ जल्दी से पढ़ लेनी चाहिए, जब तुम अपनी बेटी के लिए कुफ़व को ढूँढ लो, उसकी फ़ौरन शादी कर दो।" इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला तिरमुजी 'रहिमा-हुल्लाहु तआला' ने दिया। एक जनाज़े की नमाज़ फिर भी पढ़ लेनी चाहिए तीन वक़्तों के दौरान जब नमाज़ पढ़ना मकरूह होता है। (तीन वक़्तों को किराहत कहते हैं, और जो सआदत अबदिया के चौथे हिस्से के दसवें बाव के आख़िरी हिस्से में तफ़सील से बताया गया है।)

[ऐसा कहा गया है, एक औरत या लड़की की उसके कुफ़ के साथ शादी कर देनी चाहिए, यानी उस आदमी के साथ जो उसके लायक हो। कुफ़ होने का मतलब है एक सालिह मुस्लिम जो अहल-अस-सुन्नत को मानता हो, पाँच वक़्त की रोज़ाना नमाज़ पढ़ता हो, नशीली चीज़ें न पीता हो, यानी इस्लाम को मानता हो, और इतनी आमदनी का होना जो नफ़का (वो ये, के वो एक खानदान को चलाने लायक हो) के लिए काफी हो, वालदैन जो एक आदमी को सिर्फ़ उसके अमीर होने से या उसके बड़े घरों से जाँचते हैं वो अपनी बेटियों को बरबादी की तरफ़ धकेल देते हैं और उन्हें दोज़ख़ में धक्का दे देते हैं। और लड़कियों को नमाज़ पढ़नी चाहिए (पाँच वक़्त की रोज़ाना) बाहर अपने सर और बाजूओं को खुला न रखें, और अकेले में नामहरम के साथ न बैठे, चाहे वो उसके रिश्तेदारों में से कोई एक क्यों न हो।]

16- अब्दुल्लाह इबनी उमर ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हुमा’ ने बयान फरमाया रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “अल्लाहु-तआला उन लोगों से बहुत खुश होता है जो अपनी नमाज़ अव्वल वक़्त में ही पढ़ लेते हैं। और वो माफ़ कर देता है उनको जो उसको देर से अदा करें।” ये रिवायत तिरमुज़ी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ की हदीस-ए-शरीफ से है।

शाफ़िई और हनवाली मस्लकों में ये बात काबिले तारिफ़ है के हर नमाज़ को उसके अव्वल वक़्त पर पढ़ लिया जाए। मालिकी मस्लक भी करीब करीब इसी बात को मानता है। हालांकि, एक बहुत गरम मौसम में अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिए ये अच्छा है के वो अपनी दोपहर की नमाज़ देर से पढ़ले। हनफी मस्लक में ये बात मानी जाती है के सुबह और रात की नमाज़ें देर से पढ़ी जाए, और दोपहर की नमाज़ तब पढ़ी जाए जब मौसम ठंडा हो जाए उन महीनों में जब बहुत गरमी हो। [बेहरहाल, ये अच्छा है और पहले से हिफाज़त कर ली जाए, दोपहर की नमाज़ असर के वक़्त के शुरू होने से पहले पढ़ली जाए तराफ़ईन कौल के मुताबिक़, और दोपहर के बाद वाली और रात की नमाज़ें उनके वक़्त शुरू होने के बाद पढ़ी जाए। इमाम-ए-आज़म अबू हनीफ़ा के कौल के मुताबिक़ (नमाज़ों के वक़्त की तफ़सील के लिए बराए मेहरबानी सआदते अबदिया के चौथे हिस्से का दसवां बाब देखिए।) लोग जो तक्वा के साथ हैं (अल्लाहु-तआला का डर) वो हर काम जो भी करते हैं पूरी हिफाज़त के साथ करते हैं।]

17- उम्मे-फरवा ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने कहा: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ ने पूछा सबसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल कौन सा काम है। उन्होंने कहा: “सबसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल काम है नमाज़ जो के वक़्ते अव्वल में पढ़ली जाए।” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला इमाम अहमद ने, तरमीज़ी ने और अबू दाऊद ‘रहीमा-हुमुल्लाहु तआला’ ने दिया। नमाज़

सबसे आला इबादत का काम है। ये और भी ज़्यादा अफ़ज़ल हो जाता है जब इसे वक़्त शुरू होते ही जल्द से जल्द अदा कर लिया जाए।

18- ‘आईशा ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने फरमाया: “मैंने कभी रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम’ को एक नमाज़ को दोबारा उसके वक़्त के बाद पढ़ते हुए नहीं देखा।”

19- उम्मे-हवीवी ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने फरमाया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “अगर एक मुसलमान गुलाम (अल्लाहु तआला का) बारह रकअतें नमाज़ की पढ़े तैतावु के तौर पर रोज़ाना की फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा, तो अल्लाहु तआला जन्नत में उसका एक महल बना देते है।” ये हदीस-ए-शरीफ सही मुस्लिम में लिखी हुई है। ऐसा देखा गया है, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ सुन्नत नमाज़ों को जो फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ रोज़ाना पढ़ी जाती है उन्हें ‘तैतावु’ कहते है, जिसका मतलब है नफ़िल (फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा) नमाज़ें।

20- अब्दुल्लाह बिन शकीक ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ताबईन के अफ़ज़लों में से एक है: मैंने पूछा हज़रत आईशा ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ से रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ की तैतावु की नमाज़ों के बारे में, जो के नफ़िल (फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा) नमाज़ें है। हमारी नवाज़ी गई माँ ने कहा: “वो चार रकअते दोपहर की नमाज़ के फ़र्ज़ वाले हिस्से से पहले पढ़ते है और दो रकअते उसके बाद, (यानी, फ़र्ज़ों के बाद,) दो रकअतें शाम की नमाज़ के फ़र्ज़ वाले हिस्से के बाद, दो रकअतें रात की नमाज़ के फ़र्ज़ वाले हिस्से के बाद, और दो रकअते सुबह की नमाज़ के फ़र्ज़ हिस्से से पहले। ये जानकारी मुस्लिम और अबू दाऊद ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने दी है।

21- आईशा 'रज़ि-अल्लाहु अनह' ने फरमाया: "नफ़िल नमाज़ की इबादत के अलावा, सुबह की नमाज़ की सुन्नतें ऐसी थीं जो के रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' बहुत जल्दी अदा करते थे।" ये हवाला (सही-ए-) बुख़ारी और (सही-ए-) मुस्लिम में लिखा हुआ है। आईशा 'रज़ि-अल्लाहु अनह' ने सुन्नत नमाज़ों को जो रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ों को जो रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ों के साथ पढ़ी जाती है उन्हें नफ़िल नमाज़ कहा।

[इमाम रब्बानी मुजदीद-ए-अलीफ़-सानी अहमद बिन अबद-उल-आहद-फारूकी सिरहंदी 'रहमतुल्लाहि अलैहि' एक बड़े इस्लामी उलेमा, अहले-सुन्नत के ताकतवर माहिर, विद्वान और ला-मज़हबी लोगों के मुख़ालिफ़, एक बड़े मुजाहिद जिन्होंने उस मज़हब को फैलाया जो अल्लाहु तआला ने चुना और जिन्होंने विद्वानों को ख़त्म किया, अपनी किताब जिसका मज़मून है **मक़तूबात**, उसके पहले हिस्से के उन्नीसवें पैग़ाम में, उसके जैसा लिखा हुआ इस्लामी मज़हब में नहीं मिलता उसमें ऐसे इशार्द फरमाया:

अल्लाहु तआला को जो काम पसंद है वो काम है फ़र्ज़ और दूसरे इबादत के काम (नफ़िल)। नफ़िलों का जब फ़र्ज़ के साथ मवाज़ना किया जाता है तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। एक फ़र्ज़ नमाज़ को उसके बताए गए वक़्त पर अदा कर लेना बहुत एहमियत रखता है उन नफ़िल इबादतों से ज़्यादा जो के लगातार हज़ार साल तक अदा की गई हो। ये उसूल हर किस की नफ़िल इबादतों पर लागू होता है, मिसाल के तौर पर नमाज़, ज़कात, रोज़ा, उमरा, हज, ज़िक्र और फ़िक्र (मुराक्का/ध्यान)। असल में जब नमाज़ अदा की जाती है जो के फ़र्ज़ है, और उसकी सुन्नत और अदाव अदा करना ये सब दूसरे नफ़िलों के मुकाबले ज़्यादा एहमियत रखते हैं। एक दिन, जब अमीर-उल-'मोमिनिन' उमर-अल-फारूक 'रज़ि-अल्लाहु अनह' सुबह की नमाज़ जमाअत से पढ़ा रहे थे, उन्होंने ग़ौर किया के कोई शख्स जिसे वो जानते थे वो

नमाज़ में मौजूद नहीं था उन्होंने पूछा (जो मुसलमान वहाँ मौजूद थे उनसे) वो शख्स यहाँ क्यों नहीं है। “वो हर रात नफ़िल नमाज़ें अदा करता है। हो सकता है वो सो गया हो और जमाअत में आने में नाकाम रहा हो”, उन्होंने समझाया। उसके बाद नवाज़े गए ख़लिफ़ा ने इर्शाद फरमाया: “ये ज़्यादा अच्छा होता है के वो सारी रात सोता और सुबह की नमाज़ जमाअत से अदा करता।” ऐसा देखा गया है, जब तुम कोई इबादत का काम करते हो जो के फ़र्ज़ है (मिसाल के तौर पर, रोज़ाना की पाँच वक़्त की नमाज़ों के फ़र्ज़) अदाव (या मंज़ब) को मानना या इसके किसी भी मकरूह को नज़रअंदाज़ करना ये लाताअदाव वक़्त से ज़्यादा कीमती है बजाए इसके कोई भी एक काम करना (ख़ुद की नफ़िलें) इबादत का जैसे ज़िक्र, फ़िक्र और मुराकिबा में जाना। ये सही है के अलग से जो काम इबादत के किए जाए वो वेशक बहुत फायदेमंद है अगर पूरे अदाव का ख़याल रखा जाए और मकरूह को नज़रअंदाज़ किया जाए। तब तक इनकी कोई अच्छाई नहीं जब तक के ये बग़ैर किसी इबादत के अलग से अदा की जाए। उसी तरह, किसी को देना (तुर्की) लीरा ज़कात के तौर पर, (जो के मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है **सआदत अबदिया** के पाँचवें हिस्से के पहले बाव में तफ़सील से समझाया गया है,) ये अच्छा है उससे के हज़ारों लीरा ख़ैरात के नाम पर बाँट दिए जो के फ़र्ज़ से अलग है। दरअसल, अदाव को ध्यान से देखना (ज़कात के) जब तुम लीरा दे रहे हो यानी अपने करीबी रिश्तेदार [ये बिना कहे बात है, के करीबी रिश्तेदारों में जिनको तुम सहारा दे रहे हो, इसमें तुम्हारी बीबी, बच्चे, वालिदैन शामिल नहीं होते।] वो किसी भी नफ़िल इबादत से अच्छा है। [यहाँ से, जो लोग आधी रात में तहज्जुद (या तेहज्जुद) पढ़ना चाहते हैं उनको चाहिए वो क़ज़ा नमाज़ें पहले अदा करें। अल्लाहु तआला के हुक्मों को **फ़र्ज़** (या **फर्द**) कहा जाता है, और उसकी मना की हुई बातों को **हराम** कहा जाता है। हमारे रसूल के हुक्मों को **सुन्नत** कहा जाता है, और जो काम आपने करने से मना किए है

उन्हें **मकरूह** कहते हैं। ये सब चीज़ें, मिलकर **अहक़ाम-ए-इस्लामिया** कहलाती हैं। ये फ़र्ज़ हैं के हम अपना रवैय्यह ख़ूबसूरत रखें और लोगों के साथ अच्छे से पेश आए। एक शख्स इंकार करता है या नफ़रत करता है किसी अहक़ाम-ए-इस्लामिया के उसूल को मानने से तो वो **बिना ईमान (काफ़िर)**, एक **दगाबाज़ (मुरतदीद)** बन जाता है। एक शख्स जो अहक़ाम-ए-इस्लामिया, को मानता है वो पूरे तौर पर एक **मुस्लिम** कहलाता है। एक मुस्लिम जो अहक़ाम-ए-इस्लामिया की नाफ़रमानी करता है अपने आलस की वजह से वो **फ़ासिक** मुस्लिम बन जाता है। एक फ़ासिक मुस्लिम वो है जो अल्लाह के हुक्मों या मकरूह कामों की नाफ़रमानी करे वो दोज़ख़ में जाएगा। कोई भी अच्छा काम और सुन्नतें जो एक फ़ासिक मुस्लिम करेगा वो कुबूल नहीं किया जाएगा और न ही उसका कोई सवाब उसको दिया जाएगा। अगर एक शख्स ज़कात अदा नहीं करता, चाहे वो (तुर्की) लीरा, हो उनका कोई भी ख़ैरात या दान का काम कुबूल नहीं किया जाएगा। चाहे उन्होंने मस्जिदों और या स्कूलों और या अस्पतालों के बनने में अपना कितना ही पैसा लगाया हो या किसी ख़ैराती अदारे/तंज़ीम को दान दिया हो उनको किसी भी चीज़ का सवाब नहीं मिलेगा। एक शख्स ने तरावीह की नमाज़ पढ़ी लेकिन उसने रात की नमाज़ अदा नहीं की तो वो नमाज़ कुबूल नहीं की जाएगी। वो इवादत के काम जो फ़र्ज़ या वाजिब के अलावा किए जाए उन्हें नफ़िल (अलग से की गई इवादतें) कहा जाता है। सुन्नतों को अलग से की गई इवादतें कहते हैं। इस मतलब की रौशनी में, एक शख्स जो क़ज़ा नमाज़ अदा करता है उसे साथ में सुन्नत नमाज़ें भी पढ़नी होंगी। एक फ़र्ज़ को अदा करने का या एक हराम को नज़रअंदाज़ करने का जो सवाब (कमाया जाएगा) उसे मिलेगा वो उस सवाब से कहीं ज़्यादा है जो दस लाख नफ़िल इवादतों से उसे हासिल होगा। एक शख्स जो फ़र्ज़ को छोड़ता है या कोई हराम काम करता है वो दोज़ख़ में आग में जलाया जाएगा। उनकी नफ़िल इवादते उनको दोज़ख़ से नहीं बचा पाएंगी। इवादत के

कामों में रद्दोबदल करने को **बिदअत** कहते हैं। कोई भी इबादत का काम करते हुए अगर एक बिदअत का काम हो जाए तो वो हराम है और वो इस इबादत के काम को ख़राब कर देता है। [बराहमहबानी उस बाब पर नज़रसानी करिए जो ‘अज़ान-ए-मुहम्मद’ के बारे में है।] हदीस-शरीफ में इर्शाद है: **“एक शख्स ने बिदअत की उसका कोई भी इबादत वाला काम जो उसने अदा किया वो कुबूल नहीं होगा।”** एक शख्स जो फ़ासिक है, मिसाल के तौर पर, उसकी बीबी और बेटी अपने आपको सही तरीके से ढक्कर बाहर नहीं जाती; या उसने बिदअत की; मिसाल के तौर पर, अगर उसने मस्जिद में लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल किया; तुम उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ोगे; (दूसरे लफ्ज़ों में, तुम उसकी जमाअत में नमाज़ अदा नहीं करोगे;) तुम उसकी धोखेबाज़ी वाली तक़रीरें नहीं सुनोगे न ही उसकी किताबें पढ़ोगे। बहरहाल, तुम सबके साथ मुस्कुरा कर मिलोगे, दोस्त और दुश्मन के साथ एक जैसा बरताव करोगे, और सबके साथ तमीज़ से बात करोगे, तुम्हारा किसी के साथ कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हदीस-ए-शरीफ में इर्शाद है: **“मुख्य की बात का जवाब नहीं देना चाहिए।”** इबादत दिल की पाकी को बढ़ाती है। गुनाह दिल को काला करता है, तो इसलिए उसको कोई फ़ैज़ नहीं मिल पाता। हर वाहिद मुस्लिम के लिए ईमान और फराइज़ और हराम की ज़रूरी बातों को याद करना फ़र्ज़ है। उनको न जानना कोई सही ‘उज़र’ नहीं है। वो ये के वो उन्हे जानते हैं लेकिन बराबरी से अदा नहीं करते। [मकतूबात मज़मून के नाम से किताब अरबी ज़वान में है। उस किताब का तर्जुमा यहाँ पर ख़त्म होता है। हज़रत इमाम रब्बानी ने 1034 [1624 A.D.] में हिन्दुस्तान के शहर सरहिंद में रहलत फरमाई।]

अब तक जितना लिखा गया है उससे ये समझ आता है के रोज़ाना की पाँच नमाज़ों की सुन्नतें नफ़िल (अलग से इबादत के काम) नमाज़ों में शुमार की जाती है और फ़र्ज़ हिस्सों की कमियों को पूरा करने के लिए पढ़ी जाती है, इसलिए ये और दूसरी ग़ैर मुअक्किदा नमाज़ों से ज़्यादा एहमियत की

हामिल है। एक मुस्लिम जो एक फर्ज नमाज़ को उसके बताए हुए वक़्त पर नहीं पढ़ पाता बिना किसी (कोई ख़ास वजह जिसे कहते हैं) उज़र के हालांकि वो नमाज़ को बहुत ऊँचे मक़ाम पर रखता है और उसे अपना सबसे बुनियादी फरीज़ा समझता है, वो ऐसा करके बहुत बड़ा गुनाह करता है। वो दोज़ख़ में फिरओन और हम्मान के साथ होगा। ग़ैर मुअक्किदा, यानी सुन्नतों का हिस्सा (पाँच नमाज़ों का) उसे बहुत बड़े गुनाह सख़्त परेशानियों को झेलने से बचा नहीं पाएंगे। इस मसले के लिए, ये ज़रूरी के छोड़ी हुई फर्ज नमाज़ों की कज़ा अदा करें। ये सख़्त अज़ाब की बात है के उनकी कज़ा को टाला जाए। कभी भी बढ़ना और कभी भी पैदा होने वाला गुनाह ख़त्म कर देना चाहिए। तब से कज़ा नमाज़ को अदा करना फर्ज है, ऐसा करके उसे हज़ार बार से ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्वत सुन्नत अदा करने के। इसलिए, और तब से इसकी इजाज़त है के किसी उज़र, की वजह से सुन्नतें छोड़ सकते हैं, हर मुस्लिम को चाहिए के जो फर्ज नमाज़ें उसने बिना किसी उज़र के और चार सुन्नतों के बदले भी रोज़ाना की चार इबादतें जो उन्होंने छोड़ी है उसकी कज़ा अदा करे। क्योंकि यहाँ पर इस्लामी उलेमाओं ने कहा सुबह की इबादत की सुन्नत वाजिब है, सुबह की नमाज़ की सुन्नत के बदले कज़ा अदा नहीं की जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमेशा कज़ा नमाज़ें अदा कर लें ताकि इस सख़्त गुनाह से बचा जा सके। जब सारी कज़ा अदा कर ली जाए, तो रोज़ाना की पाँच नमाज़ों की सुन्नतें लगातार पढ़ लेनी चाहिए। इसके वास्ते, ये एक काबिले माफी गुनाह है के कायम रहना के बिना उज़र, के (दूसरे को भी इनके अदा करना से रोका जाए) सुन्नत को अदा न किया जाए। और एक शख्स जो सुन्नत को मामूली समझता है वो काफ़िर बन जाता है।

हालांकि ये ज़रूरी है के जितनी जल्दी हो सके जो (फर्ज) नमाज़ें तुमने छोड़ी हैं, यानी जो तुम वक़्त मुक़र्रर पर पढ़ने में नाकाम रहे किसी 'उज़र' की वजह से उसकी कज़ा पढ़ लो, हनफी मस्लक के उलेमाओं ने कहा है के

इसकी इजाज़त है के तुम इनकी कज़ा देर से अदा कर सकते हो, जब तक के तुम सुन्नत (रोज़ की पाँच नमाज़ों की) अदा कर लो, क्योंकि ये कोई गुनाह नहीं है के फ़र्ज़ नमाज़ को उसके मुक़र्रर वक़्त में पढ़ने में नाकाम रहे किसी उज़र की वजह से। हालांकि उनके (एक राय) इस इशार्द का मतलब ये भी नहीं है के इसकी इजाज़त है के फ़र्ज़ नमाज़ को बिना किसी उज़र के देर से अदा किया जाए। इसके अलावा, 'इजाज़त' है कहने का मतलब ये नहीं है के कहना 'वाजिब' या 'अच्छा' है। यहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको 'जायज़' कहा गया है और उसी समय उसे 'मकरूह' भी कहा गया है। मिसाल के तौर पर इसकी इजाज़त है के **सदका फ़ितर** किसी ज़म्मी काफ़िर को दे दिया जाए, फिर भी ऐसा करना मकरूह है। (बराए मेहरबानी सदका-ए-फ़ितर के लिए सआदत अबदिया के पाँचवे हिस्से के तीसरे बाब को देखिए। ज़म्मी का मतलब है एक ग़ैर मुस्लिम जो एक मुस्लिम देश में रहता है।)

*नमाज़ पढ़ो, और अपने हाथों को किसी हaram को मत छूने दो;
लम्बी ज़िन्दगी की उम्मीद मत रखो, या फिर अनमिट दुनिया की!
पाँच वक़्त की नमाज़ों को मज़बूती से पकड़ो, के तुम अब तक जवान हो!
जो कुछ तुम यहाँ बोओगे, वो तुम दूसरी दुनिया में पाओगे।*

*दो लोग कभी भी मौत को याद नहीं रखते:
एक जो हaram करे, दूसरा जो नमाज़ छोड़े!
एक दिन ये हाथ कुछ पकड़ने के काबिल नहीं रहेंगे;
ज़बान जो नहीं कहती "अल्लाह", बोलने से कासिर हो जाएंगी!*

ज़कात देना

इस बात की सच्चाई के (अदा करना) ज़कात का एक फर्ज़ है इसका लिखा हुआ सबूत है सूरह बकरा की तैंतासिवीं और एक सौ दसवी आयत-ए-करीमा में।

यहाँ पर बारह लोग हैं जिन्हें ज़कात देना जाइज़ नहीं है:

एक दीवाने को; मैय्यत के कफ़न (कपड़े) के लिए; एक काफ़िर (ग़ैर मुस्लिम) को; एक मालदार आदमी को; अपने अस्ल (अजदाद) को और फ़ुरू (औलाद) को; अपनी बीवी को; अपने गुलाम को; अपने मुकातबा को [गुलाम जो एक तय की गई कीमत दे कर आज़ाद कराया गया हो]; किसी मुदब्बेरा को [गुलाम जो अपने मालिक के मरने के बाद आज़ाद हो गया हो] एक बीवी का अपने ख़ाविन्द/पति को ज़कात देना ये ग़ौर तलब बात है (इस्लामी उलेमाओं के बीच में); ज़रूरी है, के ऐसा न किया जाए।

मान लीजिए आप सोच रहे हैं ये शख्स मेरा रिश्तेदार नहीं है और तभी वो शख्स आपके बच्चों (वारिसों) में से एक निकल आता है, या उस आदमी या औरत में से एक काफ़िर निकल आता है हालांकि तुम सोच रहे हो के वो मुस्लिम है; ये लोग ज़कात के लायक नहीं है; लेकिन अगर तुमने बिना जाने बुझे किसी ऐसे शख्स को ज़कात दे दी, दोबारा से ज़कात देना ग़ैर-ज़रूरी है।

मंदरजाज़ेल आठ लोगों को ज़कात देना वाजिब है:

1- एक शख्स जो के 'मिस्कीन' है इस्लामी माइनों में। (एक मुस्लिम जिसके पास एक दिन से ज़्यादा का अस्बाब नहीं वो 'मिस्कीन' है;)

2- गरीब मुस्लिम जिसके पास कुरबानी के निसाब से भी कम माल हो। (निसाब का मतलब है हद/सीमा इसका मतलब है इस्लामी मआनो में गरीबी और अमीरी के बीच की सीमा। कुरबानी के लिए निसाब और ख़ास ख़ैरात जिसे फ़ितर कहते हैं वो ज़कात से अलग है। बराए मेहरबानी इसकी ख़ासियत जानने के लिए सआदत अब्दिया के पाँचवे हिस्से के 1, 3 और 4 बाब देखिए;)

3- एक कर्ज़दार मुस्लिम;

4- एक मुस्लिम जिसके ऊपर इलज़ाम हो ज़कात का माल और 'उधर' (मज़दूरी का पैसा) जमा करने का;

5- एक मुस्लिम जो अपनी मौजूद जगह पर गरीब हो, घर वापस जाते ही अमीर हो जाएगा;

6- एक मुस्लिम जो जिहाद या हज के लिए जाते हुए रास्ते में गरीब हो जाए;

7- एक गुलाम जो अपने मालिक को कुछ रकम अदा करे और बदले में अपनी आज़ादी हासिल करे;

8- ग़ैर-मुस्लिम जिन्हे मुअल्लफ़ा-ए-कुलूब, कहा जाता था, जो अब मौजूद नहीं हैं;

एक शख्स जिसके पास एक दिन से ज़्यादा का माल हो लेकिन निसाब की कीमत के बराबर नहीं तो वो 'गरीब' कहलाया जाएगा (इस्लामी मआनों में)। हर शहरी नौकर को जिसे अपने खानदान को पालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे उसे कितना ही वेतन मिलता हो, वो ज़कात लेने का हक़दार है, और उसपर कुरबानी करना या फ़ितरा अदा करना वाजिब नहीं

होता। एक मुस्लिम जो पढ़ा रहा हो या सीखा रहा हो इस्लाम के बारे में उसे ज़कात लेना वाजिब है चाहे उसके पास इतना माल या पैसा क्यों न हो जो चालीस साल तक उसकी देख-रेख के लिए काफी हो। ज़कात का पैसा मस्जिद की तामीर, जिहाद के लिए, या फिर एक मय्यत के लिए कफ़न का कपड़ा खरीदने में नहीं लगाया जा सकता। ज़कात का पैसा तुम किसी मालदार आदमी की नाबालिग औलाद, या अपने वालदैन, या बच्चों या बीबी को नहीं दे सकते। इसका सवाव तब ज़्यादा मिलता है जब अपने भाई बहन को दिया जाए, बहु, दामाद, सास, ससुर, फूफी, चाचा, मामा और खाला को दिया जाए। एक गरीब मुस्लिम को निसाब की कीमत से कम दिया जा सकता है। हालांकि, अगर उसके एक बीबी और बच्चा है, तो कुल कीमत ज़्यादा होगी (निसाब से) इस शर्त पर के परिवार में किसी भी फर्द को निसाब की कीमत से ज़्यादा न मिले। ज़कात ऐसे शख्स को नहीं देनी चाहिए जिसने अपना माल फुज़ूल खर्च कर दिया हो या इस तरह खर्च किया हो जो हराम हो। सैयदों को भी ज़कात दे सकते हैं क्योंकि अब उनको ग़नीमत में से सही हिस्सा नहीं मिलता। (बराए मेहरबानी सआदत अबदिया के पाँचवे हिस्से के पहले बाब के आग़िरी हिस्से में 'बैतुलमाल' को ध्यान से देखिए।)

यहाँ पर छः शर्तें हैं जो एक शख्स को पूरी करनी चाहिए ताकि ज़कात फर्ज़ (उसपर) हो जाए देने के लिए:

- 1- मुस्लिम होना;
- 2- बालिग़ उम्र का होना;
- 3- आक़िल होना;
- 4- आज़ाद होना;

5- ज़कात का माल हलाल होना ज़कात के लिए निसाब का होना;

6- निसाब का अपनी असली ज़रूरतों से ज़्यादा और कर्ज़ से बचा हुआ होना ।

एक शख्स पर ज़कात फर्ज़ होने के बाद भी वो इतना लम्बा अरसा किसी गरीब को ज़कात नहीं देता, तो वो एक कर्ज़दार की तरह समझा जाएगा, और इसलिए उसका कोई भी सदके का काम जैसे दान और खैरात, सिर्फ उसे अकेले सवाब दिला सकता है साथ में वो गुनाह भी कमाएगा। ये उसके लिए फर्ज़ है के वो ज़कात दे या कर्ज़ अदा करे अगर उसका कोई है। जैसा के लिखा हुआ है **हदीका** के दूसरे हिस्से के छः सौ पैतीसवें (635) सफ़े पर और **बरीका** के तैराह सौ उनत्तर (1369) सफ़े में, इसकी इजाज़त नहीं है के [ज़कात देना और उसको] खैरात देना उस शख्स को जिसने अपना माल हराम जगहों पर खर्च किया या जिसने अपना पैसा फुज़ूल खर्च किया। क्योंकि, किसी हराम चीज़ को सहारा देना भी हराम है।]

ऐसा ज़रूरी नहीं है के जो शख्स ज़कात दे रहा है उसे उसका फायदा होता रहे। अगर एक ख़ाविन्द/पति और बीबी में से कोई एक दूसरे को ज़कात देता है, इसका फायदा उस दल को होगा जिसने अदा किया ये पूरे तौर पर ख़त्म नहीं होगा। जैसा के हर इबादत में होता है, नीयत (इरादे) का होना ज़रूरी है ज़कात देने के लिए। ज़कात के माल का अपने कर्ज़ (ज़ों) से ज़्यादा होना और **हाजत-ए-अस्लिया** (असली ज़रूरतों) से ज़्यादा होना, और (उसकी कीमत) माल की ज़्यादा होना **निसाब के माल से**। इस तरह से (उसकी कीमत) सोने के लिए निसाब 20 मीतकल है, [जो के बराबर है 96 ग्राम के या 13.3 सोने के सिक्कों के।] चाँदी के लिए निसाब 200 दरहम है [672 ग्राम]। इसलिए फर्ज़ है एक शख्स के लिए ज़कात देना, जब ज़कात का माल निसाब की कीमत के बराबर हो जाए और वो उसका मालिक रहे एक हिज़र

(हिज्राल) साल तक। इमाम मुहम्मद के मुताबिक, ये मकरूह है, के अदा करना एक (कानूनी चाल जिसे कहते हैं) हिलार्एशारीआ (हिजरी) साल के ख़त्म होने से पहले ऐसा न हो के ज़कात फ़र्ज़ हो जाए। इमाम अबू यूसुफ़ के मुताबिक ये मकरूह नहीं है। इस तरह से साबिक ने समझाया: इस वजह से, जब एक बार ये फ़र्ज़ बन जाएगा, तो उसकी नाफ़रमानी करना गुनाह हो जाएगा। और गुनाह को नज़रअंदाज़ करना ताअत है। इस तरह से इमाम मुहम्मद के कौल से फ़तवा रज़ामंद है। (फ़तवा जारी करना आख़िर में इसमें माने हुए इस्लामी उलेमा मुसलमानों के सवालों के जवाब देते हैं। वो फ़तवे के ज़रिये इसमें जुड़े हुए हैं। जिनको अधिकार मिला हुआ है उन इस्लामी उलेमाओं के बारे में हमारी इशाअत/पब्लिकेशन, **ईमान और इस्लाम, सुन्नी रास्ता**, और **सआदत अबदिया** में समझाया गया है [दूसरे हिस्से के तैतिख़ें बाब में और तीसरे हिस्से के दसवें बाब में]।)

ज़कात के माल से मुराद है जो बढ़े, गुणा हो जाए। चार किस्म के ज़कात के माल होते हैं: चौपाए जानवर जो आधे से ज़्यादा साल से मिले जुले झुंड में चरागाह में घास चर रहे हों, या सिर्फ़ मादाएँ, और जिन्हें **साइमा** कहा जाता है; जाएदाद ख़रीदी और बेची जाएँ तिजारत के मक़सद से; सोने और चांदी का सामान; ज़मीन से ख़ाने की पैदावार हासिल होना। सिर्फ़ नर जानवरों के या गधों या ख़च्चरों के मालिक जो आज़ादाना तौर पर चरागाहों में घूमते हैं उनपर कोई ज़कात नहीं है; यानी ज़कात उनपर फ़र्ज़ नहीं है। जब जानवरों के बच्चे जैसे के ऊँट, मवेशी और भेड़ अपने बड़ों के साथ होते हैं, तो उनको ज़कात की गिनती में जमा कर लिया जाता है। जाएदाद के बदले जो अदा की जाएगी ज़कात के तौर पर, अशर, के तौर पर, कफ़ारे के तौर पर, (जो के बताई गई है पाँचवें हिस्से के छठे बाब में, और छठे हिस्से के तेरहवें बाब में **सआदत अबदिया** में,) और सदका फ़ितर के तौर पर, इसकी इजाज़त है के उसकी कीमत के बराबर अदा किया जाए। शाफ़िई मस्लक़ ऐसा करने की

इजाज़त नहीं देता। अगर किसी का माल बरबाद हो गया ज़कात फ़र्ज़ (अदा करने का) होने के बाद, उसकी ज़कात उसके ज़िम्मे से उतर गई; (यानी, अब ये कोई फ़र्ज़ नहीं रहा के इसको अदा करो। ये उतरती नहीं है अगर इसका मालिक आगे माल भेजता है; (यानी, इस माल की ज़कात देना अभी भी फ़र्ज़ है।)

एक (चाँद) का साल जब एक आकिल और वालिग़ मुस्लिम का ज़कात का माल अपने निसाब की कीमत को पहुँचने के बाद, अगर ये उनकी पूरी जाएदाद है और वो इसे हलाल तरीक़े से कमाते हैं, तो ये उनके लिए फ़र्ज़ हो जाता है के अपने उस माल में से कुछ रक़म वो किसी एक को या उन आठ मुस्लिम समूह में से कुछ को अदा करें; ये (ज़रूरी) अदाएंगी ज़कात कहलाती है। जिस शख्स को ज़कात दी जाए वो मुस्लिम होना चाहिए। अपनी पूरी जाएदाद से मुराद है वो जाएदाद जो आपके लिए मुमकिन भी हो और जिसकी इस्तेमाल करने की इजाज़त भी हो। जाएदाद जो आप ख़रीदते हैं वो आपकी जाएदाद बन जाती है एक बार जब उस पर रज़ामंदी हो जाती है; फिर भी बाँटने से पहले ये पूरी जाएदाद आपकी नहीं हो सकती, पहले से इसको इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। जाएदाद जो हासिल की जाए धमकी देकर जुल्म करके, ताक़त से, चोरी से, सूद से, रिश्वत से, जुए से या कमाई जाए कोई संगीत का साज़ बजाकर, या गाना गाकर या नशीली चीज़ें बेचकर, इन सबको **ख़बीस जाएदाद** कहते हैं। ख़बीस जाएदाद के लिए ज़कात अदा नहीं की जाती। इसलिए, वो जाएदाद आपकी नहीं है (अपनी जाएदाद को कहते हैं) मिल्क: (दूसरे लफ़्ज़ों में, ये आपकी अपनी जाएदाद नहीं है।) ये इसके मालिक को वापस कर दी जाए, या मरे हुए मालिक के जानशीन (नो) या, जानशीन न होने की सूरत में, गरीब मुसलमानों को दे दी जाए। अगर जाएदाद (जो तुमने ऊपर बताए गए हaram तरीक़ों से हासिल की है) उसे तुम दूसरे हaram माल के साथ या अपने हलाल माल के साथ मिला दो, तो वो तुम्हारी मिल्कियत

वन जाएगी, (यानी तुम्हारी अपनी जाएदाद;) अब इस बार **मिल्क-ए-हबीस** (ख़बीस जाएदाद) वन जाएगी, जो किसी और को देना हराम है या उसे किसी भी तरह इस्तेमाल करना, और इसकी ज़कात भी नहीं दी जाएगी क्योंकि ये पूरी तुम्हारी मिल्क नहीं है। मालिकों को हरजाना देने के बाद अपनी हलाल ज़कात की जाएदाद में से इस कदर (कोई चीज़) ख़बीस माल में से, या इसकी कीमत अगर इसकी मौजूद नहीं है, ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा मिल्के ख़बीस को इस्तेमाल करना और तुम उसे अपने निसाब की गिनती में जोड़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास इतना हलाल माल नहीं है के तुम अपना कर्ज़ चुका सको, तो तुम उसे अदा कर सकते हो उधार लेकर (अपने किसी जान पहचान वाले से)। हालांकि ये हराम है मिल्क-ए-हबीस को इस्तेमाल करना या किसी और को देना; अगर तुम उसे बेच दो या किसी को तोहफ़े के तौर पर दे दो, तो जो शख्स इसे खरीदेगा या तोहफ़े के तौर पर कुबूल करेगा उसके लिए ये हराम नहीं होगी। अगर मालिक या मालिक के जानशीन जाने पहचाने नहीं है, या अगर हराम चीज़ें अलग तोहफ़े अलग लोगों से जमा करके आपस में एक दूसरे से मिला दी है और उसकी वजह से वो मिल्क-ए-ख़बीस बन गई है, तब पूरी मिल्के ख़बीस गरीब मुसलमानों को ख़ैरात के तौर पर बाँट देनी चाहिए।

अगर एक गरीब मुस्लिम कोई चीज़ जो उसे ख़ैरात के तौर पर मिली थी वो उसे तोहफ़े के तौर पर वापस कर सकता है, तब उस शख्स को जिसने इसे दी थी उसे इजाज़त है वो वापस उसे ले सकता है।

सोना और चाँदी अपनी ख़ालिस शक्ल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर वो पचास फीसद से ज़्यादा ख़ालिस है, उनकी ज़कात हर हाल में अदा की जाए और उनका वज़न करके उसके हिसाब से निसाब लगाया जाए। अगर उनमें से दो किस्म के बाहर बाज़ार में निकल आए और वो थीमन के तौर पर इस्तेमाल हो, एक बहुत ज़्यादा ख़ालिस जिसे जेईद कहेंगे और एक

जो थोड़ा कम ख़ालिस उसे जुयूफ़ कहेंगे। अगर उनकी ख़ालिस्ता पचास फ़ीसद से कम है और वो तिजारात में इस्तेमाल की जा रही है और जब उनकी कीमत अलग-अलग सोने और चाँदी के निसाब तक पहुँच जाए तो उनकी ज़कात ज़रूर दी जाए।

चाहे अगर जो ज़मीन से पैदावार हुई है जिसकी सिंचाई बारिश के पानी या झरने के पानी से हुई है वो कम है या उसकी सब्जियाँ और फल ख़राब हो जाती है या मिट्टी हो जाती है बहुत जल्दी, तो दस में से एक हिस्सा उन कर्मचारियों को दे देना चाहिए जो 'उश्र' वसूल करने पर लगे हुए हैं। उसके बाद ये कर्मचारी 'उश्र' को बेच देते हैं जो उन्होंने जमा किया और उसका पैसा ख़ज़ाने के महकमे में जिसे **बैतुलमाल** कहते हैं उसमें जमा करा देते हैं। (बराए मेहरबानी **सआदत अबदिया** के पाँचवे हिस्से के पहले, उनतीसवें और सैतिसवें बाब को तफ़सील से देखिए।) यहाँ पर उलेमाओं ने बयान करते हुए फरमाया के फल जब निकल आए या जब पक जाए या जब कटने लगे तो उसकी 'उश्र' देना फ़र्ज़ हो जाता है। फसल का बीस में से एक हिस्सा दे देना चाहिए जब उसकी सिंचाई जानवर के ज़रिये हो या पम्प के साथ हो या इंजन से या किसी और मशिनरी से हो। इस पर जो भी खर्चा आया है वो सब काटने से पहले इसको अदा करना चाहिए। सरकार को इसकी इजाज़त नहीं है के वो 'उश्र' को उसको दान कर दें जो जाएदाद का मालिक है या उसे भूल जाए या बंद कर दें। जो शहद पहाड़ों से हासिल हो रहा है या उस ज़मीन से जो 'उश्र' के साथ है उसके लिए भी 'उश्र' अदा करना चाहिए।

ज़म्मी को ज़कात नहीं देनी चाहिए। उनको सदका-ए-फितर और मन्नत वाली चीज़ें या दूसरी ख़ैरात दे सकते हैं। (ज़म्मी ग़ैर मुस्लिम लोग होते हैं जो मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं।) एक ग़ैर मुस्लिम जो ज़म्मी नहीं है उसको ख़ैरात नहीं देनी चाहिए जो के फ़र्ज़ हो या वाजिब या नफ़िल (ज़ाइद

फराइज़), चाहे वो मुस्त-ए-मीन क्यों न हो, (यानी, एक ग़ैर मुस्लिम जो मुसलमानों के देश में आरज़ी तौर पर रह रहा हो), या एक हरबी, (यानी वो जो ग़ैर मुस्लिमों के देश में रहता है।) (बराए मेहरबानी सआदत अबदिया के पाँचवे हिस्से के छयालिसवें वाव को ग़ौर से देखिए।) अगर एक गरीब मुस्लिम जिस पर कोई कर्ज़ नहीं है, उसको ज़कात इतना ज़्यादा देना या निसाब से ज़्यादा देना मकरूह है। अगर एक गरीब शख्स के पास अपना परिवार है पालने के लिए, यानी बीवी और बच्चों, तब ये इजाज़त है के उसे जो पैसा दिया जाए उसको जितने उसके परिवार के लोग है उनमें ऐसे तकसीम किया जाए के जो भी कीमत हो वो निसाब से कम हो।

इसकी इजाज़त है के जाएदाद बेच दी जाए फुलुस के बदले जो भी बाज़ार में मौजूद भाव हो। फुलुस का मतलब है पैसे वाले सिक्के जो धातु के बने हो बजाए सोने और चाँदी के, या कागज़ के पैसे; क्योंकि ये चलन के मुताबिक़ थीमेन (पैसा) के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसको तार्इन बना लेना ज़रूरी नहीं है; ये ज़रूरी नहीं है के इसको दिखाने के लिए, इसका संकेत बाहर दिया जाए। अगर ये कासिद बन जाए, वो थे, अब अगर ये बाज़ार में मौजूद नहीं है, तो उसको बेचना (जो बनाया गया है) वातिल (कमज़ोर) हो जाएगा इमाम आजम अबू हनीफ़ा ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ के मुताबिक़। (दूसरी तरफ़,) इमामईन, यानी इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’, के मुताबिक़ बेचना वातिल नहीं बन सकता। उसके बराबर की कीमत का रूपया देना चाहिए। अगर फुलुस, (यानी, धातु या कागज़ी पैसा,) कासिद, बन जाती है, (तो बाज़ार में वो रूपया नहीं रह पाता,) इमाम आजम के मुताबिक़ ख़रीदने के बाद इसकी मिथल, यानी फुलुस जितनी उसकी कीमत है ख़रीदी हुई उसको दोबारा, अदा किया जाए। इमामईन के मुताबिक़, बहरहाल, रूपया, (यानी, सोना या चाँदी।) जिसकी ख़रीदी हुई कीमत उसके निसान के बराबर हो उसे दोबारा अदा करे। बेचने के लिए जो फुलुस इस्तेमाल नहीं हो रही उसके

ज़रिये ख़रीदने और बेचने के लिए फ़ुलुस के 'ताईन' की ज़रूरत है, यानी उसको दिखाने की। उस जाएदाद को जिसे ताईन बनाया गया है वो तपेयुन (की ख़ासियत) रखती है। (बराए मेहरबानी जो नामकरण यहाँ इस्तेमाल हुए है उनकी राए हासिल करने के लिए तो सआदत अबदिया के पाँचवे हिस्से का उन्तीसवाँ बाब देखिए।) कहने का मतलब ये हुआ के एक बार कोई जायदाद अगर ताईन बना दी जाए (यानी, दिखा दी जाए,) तो वो जाएदाद दे देनी चाहिए (लेन-देन में ले लेनी चाहिए)। इसका ख़दोबदल नहीं दिया जा सकता। मान लो एक शख्स ने पैसे भुनाने वाले को चाँदी दी जिसका वज़न एक दरहम है और उससे कहा के आधे दरहम की फ़ुलुस दे दो और चाँदी जिसका वज़न एक हब्बा कम है आधे दरहम से जो उसका बाकी बचा हुआ है तो ये बेए (बेचना) फ़ासिद बन जाता है। इस कारण से, ये फैज़ या (फ़ैध) का काम हो जाता है। आधी दरहम चाँदी को बेचना उस चाँदी के बदले जिसका वज़न आधे दरहम से कम है। (हब्बा मिज़ान की एक मिकदार/तौलने की एक इकाई है जो बाजरे के एक दाने के बराबर है।) अगर वो कहे, “मुझे इसके आधे की फ़ुलुस दे दो और आधे बचे हुए की चाँदी जिसका वज़न एक हब्बा कम हो इस आधे दरहम से वो मुझे दे दो”, इस तरह फ़ुलुस का बेचना सही (जाइज़) माना जाएगा। अगर वो कहे, “मुझे फ़ुलुस दे दो जिसका वज़न आधा दरहम है और चाँदी जिसका वज़न एक हब्बा आधे दरहम से कम है इस एक दरहम चाँदी के बदले”, तब दोनों फ़रोख़्त सही है। इस तरह, चाँदी जिसका वज़न एक हब्बा कम है वो बराबर के वज़न के साथ उस चाँदी के बदले बेची गई और एक दरहम का आधा फ़ुलुस उस चाँदी के बदले बेचा गया जो एक हब्बा ज़्यादा है उस आधी दरहम चाँदी से। हालांकि फ़ुलुस और चाँदी जो इसके बदले दी गई वो वज़न से अलग है, उनकी तिजारत की इजाज़त है क्योंकि वो दोनों किसम के ऐतबार से अलग है।

इस किताब जिसका नाम बेदाई-उस-सनाई फी तरतीब-इश्-शेराई [अबू बकर बिन मसूद अलाऊददीन शाशी काशानी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' (d. 587 [1191 A.D.]) अलेप्पो) ने इस किताब को तुहफा-त-उल-फुवकाहा नाम की किताब के लिए नशरयात के तौर पर लिखा, जो उसके बाद उनके उस्ताद अलाऊददीन मुहम्मद बिन अहमद समरकंदी 'रहमतुल्लाहि अलैहि' (d. 540 [1145 A.D.]) ने लिखी।] जो माल ज़कात में दिया जाए वो उसी किसम का माल हो जिसकी ज़कात बनती है, या ज़कात के माल की कोई और किसम भी हो सकती है। [इसकी इजाज़त नहीं है के किसी गरीब को सोने के बदले कपड़े, जूते, गेहूँ, चिकनाई, या इसी किसम की दूसरी चीज़ें दे दी जाएं] ज़कात का माल कोई सा भी एक हो सकता या तो 'आइन' होता है या फिर दाइन। ज़कात का माल जो आइन है वो किसी एक के ज़रिए नापा जा सकता है वज़न के ज़रिए या भारी पन के ज़रिए, या जो कोई चीज़ नापी न जा सके। अगर ये कोई चीज़ नापी नहीं जा सकती, वो या तो साईमा जानवर है, या तिजारती 'उरूस', (यानी जानवरों के अलावा आसानी से ले जाया जाने वाला कियामी माल।) (बराए मेहरबानी सआदत अबदिया के पाँचवे हिस्से का उन्नीसवें बाब का सतरवाह पैरा 'कियामी' के लिए देखिए।) अगर ये एक साईमा जानवर है; जब ये जानवर खुद, जैसा के सूरह नास में बताया गया है (आयत-ए-करीमा और हदीस-ए-शरीफ में साफ माऊनी के साथ) दिया जाए, तो बीच का देना चाहिए। जब एक पतला दुबला दिया जाए, तो बीच वाले इसका फर्क सोना और चांदी देकर भी किया जा सकता है उसके फर्क की कीमत के बराबर जब एक जानवर की कीमत दी जाए तो बीच वाले की कीमत। दोबार अदा की जाए। जब दुबले पतले की कीमत अदा की जाए। तब उसका फर्क सोना और चाँदी जोड़कर बराबर किया जा सकता है। दो बीच की दो भेड़ों के बदले, इसकी इजाज़त है के उनकी कीमत के बराबर एक मोटी भेड़ दें दी जाए। इस वजह से, उन कीमतों को महत्व दिया

जाता है जिनके माल फैज़ (सूद) से असर पज़ीर होते हैं। तिजारती 'उरूस' के लिए, चालीस में से एक हिस्सा सूरह नास में इर्शाद है के उसके माल को (ज़कात के तौर पर) दे दो। अगरचे दूसरा माल उसी किस्म का दिया जाए, अदाएगी की जाए कोई चीज़ की जो बीच की हो या कम गुण वाली हो उसका बराबर का फर्क ज़रूरत के हिसाब से (गुण और कीमत) के साथ रखा जाए। इस वजह से, उरूस का मतलब वो जाएदाद जो न तो वज़न में तोला जा सके और न उसकी गुंजाईश के मुताबिक तोला जा सके। उरूस के साथ, मिकदार में जो फर्क है उसकी वजह से फैज़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर, एक अच्छी किस्म के सूट के बदले, दो हल्की किस्म के कपड़े के सूट दिए जा सकते हैं। जब दूसरी जाएदाद मुख़्तलिफ़ किस्म के पैसे दिए जाए, तो कुछ चीज़ के जो पैसे दिए जाए वो उसकी फर्ज़ की कीमत से कम हों, उसके फर्क को बराबर करने की ज़रूरत है। जब ज़कात का माल कोई भी हो जिसे वज़न के ज़रिए या गुंजाईश के ज़रिये तोला जाए, तो उस माल का चालिखें हिस्से के पैसे दे दिए जाए। अगर एक शख्स ज़कात का माल मुख़्तलिफ़ किस्म का दे रहा है, तो उसको उनकी कीमत के मुताबिक पैसे देने होंगे। अगर एक शख्स दूसरा माल भी एक ही किस्म का अदा कर रहा है, तो उसको एक जैसा पैसा देना होगा, न के एक जैसी कीमत का पैसा, शैख़यान, (यानी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और उनके शार्गिद इमाम अबू यूसुफ़,) 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' के मुताबिक। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए दो सौ किलोग्राम अच्छी किस्म के गेहूँ की कीमत दो सौ दरहम चाँदी के है, इसकी इजाज़त है के ज़कात के तौर पर हल्की किस्म के पाँच सौ किलोग्राम गेहूँ अदा कर दिए जाए। इसी तरह, पाँच दरहम जेय्यद (ऊँची किस्म की) चाँदी के बदले, पाँच दरहम जुयूफ़ (नीची किस्म की) चाँदी दी जा सकती है, दो सौ दरहम जेय्यद चाँदी की ज़कात के तौर पर। ये उसूल नज़र के मामले में लागू किया जाता है। (बराए मेहरबानी सआदत अब्दिया के पाँचवें बाब को देखिए 'नज़र' के लिए।)

“सोना और चाँदी पूरी तरह **थेमनस** (कीमते) है। उनको थेमनस की तरह बनाया गया है। उनका इस्तेमाल लोगों की ज़रूरयात को मुतमईन करने की वजह से नहीं हो सकता। उनका मतलब है लोगों की अहम ज़रूरतों को ख़रीदना। दूसरी चीज़ें, दूसरी तरफ, बनाई गई है दोनों थेमनस की तरह और चीज़ों की तरह अपने खुद के इस्तेमाल के लिए।” यहाँ हम बेदाई से लिया गया तर्जुमा ख़त्म करते हैं।

चीज़ें जो आदमी के लिए ज़रूरी हैं ताकि वो अपनी ज़िन्दगी आरामदह और इस्लाम की सहमती के मुताबिक़ गुज़ार सके उन्हें **ख़ास ज़रूरतें** कहते हैं। बराए मेहरबानी इस्लाम के उसूल अख़्लाक नाम की किताब का दसवाँ बाब जाँचिए! ख़ास ज़रूरतों का बदलना निर्भर करता है रियास्तों पर, हालात पर और वक़्त पर जहाँ लोग रह रहे हों। फ़ालतू चीज़ें जो आरामदह ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी नहीं हैं और जो सिर्फ़ खुशी के लिए या ज़ेवर के तौर पर या अपनी हैरत को जगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें सजावटी चीज़ें (ज़ीनत, या ज़ीनेत) कहा जाता है। सोना और चाँदी ख़ास ज़रूरतों में शामिल नहीं होती, ये सजावट की चीज़ें हैं। सजावटी चीज़ों का इस्तेमाल करना मुबाह (इजाज़त) है और आदमियों को इजाज़त है के वो घर में और बाहर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और औरतें सिर्फ़ जब वो घर में होती हैं।

ऐसा देखा गया है, फ़ुलुस जो ख़ाँ है वो हमेशा तिजारती जाएदाद है। जब उसका दाम निसाब की कीमत तक पहुँच जाता है, इस बुनियाद पर सबसे कम खुशी वाले सोने के सिक्के जो बाज़ार में इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए फ़र्ज़ हो जाता है के उनके लिए ज़कात दे। तिजारती माल के लिए जो उसका निसाब जमा करके बताया गया है, इमामईन के मुताबिक़ (इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’, दो माने हुए शार्गिद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ के), वो सोने या चाँदी के साथ,

उसको ज़्यादा फ़ौकियत मिली है जिसका तिजारती लेन देन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उस माल की ज़कात या तो पैसो से, (यानी सोने या चाँदी से,) अदा कर दी जाए जिस बुनियाद पर उसका निसाब कायम किया गया है या चालिस्वाँ हिस्सा माल में से दिया जाए। गरीब लोग इसको अपनी ख़ास ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फुलुस का मतलब है सोने और चांदी के अलावा पैसा। ये धातु के सिक्के हैं जो ताँबे और पीतल को मिलाकर बने होते हैं या दूसरे मेल से, या काग़ज़ी बिलों से। इसका मतलब है कहना के काग़ज़ी बिल फुलुस होती हैं। इनके लिए ज़कात देनी चाहिए। हालांकि, उनकी कीमत, सोने और चांदी की तरह, असली कीमत नहीं होती। ये आरज़ी कीमत होती हैं। ये सरकार से बंधी हुई कीमतें होती हैं। ये अपने बनाने को खुद ख़त्म कर सकते हैं। जब आरज़ी कीमत (फुलुस की) चली जाती है, तो ये फिर थेमन (कीमत) नहीं रहती। ये ज़कात के माल के तौर पर अपना काम खो देती हैं। इबने अबिदिन ने इर्शाद फरमाया: “तिजारती माल की सोने या चांदी के सिक्को से कीमत लगाओ जिनको टकसाल की रुपये की इकाई माना जाए और जिनको अक्सर तिजारत की गरज़ से इस्तेमाल किया। मान लो कुछ माल की कीमत बराबर है दो सौ और चालीस दरहम चांदी के जब उसका हिसाब चांदी और बीस माशा सोना के जब उसका हिसाब सोने के साथ किया जाए, उसका दाम दोनों हालतों में निसाब की कीमत है; वहरहाल, वो माल चांदी की बुनियाद पर जाँचा जाए। उस माल के मालिक के लिए है के वो छः दरहम चाँदी या आधा माशा सोना, जो के पाँच दरहम चाँदी के बराबर है, और जो गरीब आदमी के लिए कम मुनाफ़े वाला है (ज़कात देने के लिए) [इसके लिए, चूँकी बीस माशा सोना और दो सौ दरहम चाँदी एक जैसी (कीमत) है निसाब की, वो एक जैसे है कीमत में।] एक सोने का सिक्का जिसका वज़न एक माशा है उसे दीनार कहेंगे। [सब तुर्कीश लीरा सोने की उनका वज़न है डेढ़ मिथकल। माशे के, वो है, 7.2 ग्राम हर एक।] ये वाजिब है के सिक्के की ज़कात अदा करना जिसे

फुलुस कहा जाता है [सोने और चांदी में] जो इस्तेमाल किया जाता है उसके निसाब की कीमत का हिसाब लगाने के लिए।” इसका मतलब ये हुआ के कागज़ी विलों का निसाब लगाने के लिए उसका हिसाब सबसे कम कीमत वाले सोने के लीरा जो तिजारती मक़सद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी ज़कात सोने में अदा की जाए। इस वास्ते, चाँदी अब सिक्के के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। काग़ज़ी विलों की ज़कात दी जाती है धातु में यानी सोने में, जो निसाब (कीमत की) का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चालिखें हिस्से की कीमत काग़ज़ी विलों में अदा नहीं की जाती। इस सबब, काग़ज़ी विल अपने आप ख़ास ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये फुज़ूल ख़र्ची है के रद्दी काग़ज़ों के बदले जो के मौजूद है काग़ज़ी विलों का इस्तेमाल किया जाए। और फुज़ूल ख़र्ची, अपने आप में हराम है। नहीं इसकी इजाज़त है के काग़ज़ी विलों को काग़ज़ के विलों की ज़कात देने के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि वो सिक्के के तौर पर इस्तेमाल हो सके। इसके लिए, यहाँ पर सोना है, हमेशा कीमती रहने वाली और ख़ालिस सिक्के, जो ज़कात देने के लिए हमेशा फोकियत दिए जाते हैं।

सोना दिया जाता है, न सिर्फ़ सिक्कों के शक्ल में लेकिन और किसी भी शक्ल में। ये हमेशा और हर जगह मिलता है। मान लीजिए एक मुस्लिम को जिस शहर में वो रहता है वहाँ सोना नहीं मिलता; तब वो अपने एक दोस्त को काग़ज़ी विल भेजेगा वहाँ जिस शहर में सोने से बना सामान मिलेगा उसे लिखेगा के इस पैसे से सोना ख़रीदकर उसकी तरफ से ज़कात दे दे। उसके लिए इसकी इजाज़त है के बाद में उस काग़ज़ी विलों से वो अपना कर्ज़ अदा कर सकता है। इसके साथ ये आसान हो गया है के काग़ज़ी विलों की ज़कात देना, ये कोई इंसान की बात नहीं है के सोने को देने से मना किया जाए काग़ज़ी विलो की वजह से आरज़ी और काम चलाऊ मुख्य कीमत के साथ, अफ़ोररिओरी जब होता है जब इस्लाम की किताब की फ़िक़ह [वराए मेहरबानी सआदत

अबदिया के दूसरे हिस्से के तैंतीसवें बाब को ज़रूर देखिएगा और तफ़सील से जानकारी लिजिएगा। इस्लामी तालीमात की जिसे ‘फिक्कह’ बोलते हैं।] में जो हुक्म दिए गए हैं उनकी नाफ़रमानी की जाए उनको फ़ौकियत देने के चक्कर में। लोग जो बिना मरज़ी के इस्लाम की तालीमात जो फिक्कह की किताब में बताई गई हैं उन्हें अपने मुताबिक़ अपनाते हैं और इबादत के काम अपने नतीजे के मुताबिक़ अदा करते हैं कुरआन और आयत-ए-करीम को उन्हें ला मज़हबी लोग, (यानी, लोग बिना किसी मज़हब के,) या बिदअती कहा जाता है। हमारा जवाब ऐसे बिदअतियों के लिए ये होना चाहिए: “मैंने अपनी इबादत के काम तुम्हारे नतीजों के मुताबिक़ जो तुमने कुरआन करीम और हदीस-ए-शरीफ़ से निकाले हैं उनके मुताबिक़ नहीं अदा किए, लेकिन उन (चारों) मस्लकों के इमामों ने जो समझाया और बताया है उसपर रज़ामंदी दी है।” मस्लकों के इमामों ‘रहीमा-हुल्लाहु’ ने जिन तालीमात को किताबों के ज़रिए समझाया है उन्हें फिक्कह की किताबें कहा जाता है।

किताब-उल-फिक्कह अलल मज़ाहिब-इल-एरबिआ, जिसको मुदर्रि सिन (मोअलिमों) ने मदरसे (युनीवरसिटी) जामिया-उल-इज़हर के एक गिरोह ने प्रोफेसर अबद-उर-रहमान जेज़िरी की सदारत में फिक्कह की तालीमात को चार अलग मजमूओं में पेश किया, हर मजमूए में चारों मस्लकों की अलग तालीमात हैं। पूरी किताब, पाँच हिस्सों में 1392 हिजरी [1972 A.D.] में काहेरा में छपवाई गई। इसमें ‘ज़कात’ नाम के बाब में जो ओराक़-ए-मालिया (बैंकों के नोटों का) के लिए है ऐसे इर्शाद हैं: “फिक्कह के आलिमों ने इर्शाद फरमाया है के ओराक़-ए-मालिया, यानी, काग़ज़ी बिलों के लिए ज़कात देना ज़रूरी है। क्योंकि वो तिजारत में सोने और चांदी के बदले इस्तेमाल की जाती है। वो हमेशा सोने और चांदी के साथ आसानी से बदली जा सकती है। एक शख्स को जिसके पास बहुत सारा रूपया/काग़ज़ी बिल है उसको अपने सोने और चांदी के साथ उसकी कीमत का हिसाब नहीं लगाना चाहिए, जब वो

ज़कात की कीमत के निसाब का हिसाब लगा रहे हों, और उसकी वजह से ज़कात नहीं देनी चाहिए, इंसानी दिमाग़ इसे कुबूल नहीं करता। इस मसले के लिए, फ़िक्कह के आलिमों ने तीन मसलकों में एक राए होकर ये इर्शाद फरमाया के काग़ज़ी बिलों/रूपये के लिए ज़कात देना ज़रूरी है। सिर्फ़ एक मसलक जो इस मुतफ़िक़/सामूहिक राए से इतेफ़ाक़ नहीं रखता वो है हनबली मसलक। हनफ़ी मसलकों के आलिमों ने कहा है के रूपया/काग़ज़ी बिल **दैन्-ए-कौल** है और वो ये के उन्हे अपनी रज़ा से और जल्दी सोने और चांदी के साथ बदल देना चाहिए। (बराए मेहरबानी **सआदत अबदिया** के पाँचवें हिस्से के पहले बाब को 'दैन्-ए-कौल' के जाँचिए।) उन्होंने आगे कहा इस मसले के लिए उनके लिए ज़कात को जल्दी अदा कर देना चाहिए। इस वजह से, एक कर्ज़ा जो अदा करना बाकी है वो फर्ज़ बन जाता है जब सोने और चांदी को अपनी तहवील में ले लिया जाता है। अगरचे ज़कात उनपर फर्ज़ हो जाती है उसका कब्ज़ा लेने से पहले ही, लेकिन ये फर्ज़ नहीं बन जाता के उसे अदा भी करो।" इस सिलसिले में, तुम्हारे पास दो इख़्तियार हैं: या तो तुम इतेज़ार करो जब तक उसे जमा न कर लो या साथ के साथ पिछले सालों की भी ज़कात दे दो, या फिर साल के साल उनकी ज़कात दे दो, जो आइन सोना और चाँदी तुम्हारे पास से उसमें से। तुम्हारे पास जो नोट अमानत के रखे हुए हैं उसमें से तुम अपने सोने के सिक्कों की ज़कात नहीं दे सकते; जब तुम इतने सोने और चांदी के सिक्के जमा करलो जो अमानत वाले नोटों पर कर्ज़ देने वाले के लिखे हुए हैं, तो ये फर्ज़ बन जाता है तुम्हारे लिए के तुम उनमें से चालिसवां हिस्सा अलग करलो हर गुजरे साल का और गरीबों में बांट दो। उन्ही सिक्को से, रूपये की ज़कात नहीं दी जा सकती। करना ये चाहिए के पैसे बदलने वाले से सब से कम कीमत के सोने के सिक्के ख़रीद लेनी चाहिए और चालिसवाँ हिस्सा उसमें से ख़र्च कर देना चाहिए और जो सिक्के तुमने ख़रीदे हैं, या सोने की अगूँठी सिक्को के वज़न के बराबर उसे गरीबों में बाँट देना चाहिए।

इस की इजाज़त नहीं है के तुम अपने कर्ज़दार को उसके कर्ज़ से बरी कर दो ज़कात के बदले में जो तुम एक तरीके से उसे दोगे जबके ज़कात और कर्ज़ एक दूसरे के खिलाफ बराबर कर दी गई है, तो न तो वो (असल में) तुम्हे अपना कर्ज़ देगा न तुम (असल में) उसे ज़कात अदा कर पाओगे। तुमको (असल में) गरीब शख्स को ज़कात देनी होगी, और उसके बाद वो अपना कर्ज़ अदा कर पाएगा जो कुछ भी दिया गया है उसे वापस करके। एक साहूकार के लिए जो ये नहीं मानता के उसके कर्ज़दार को जो कुछ दिया गया वो उसने वापस कर दिया, यहाँ पर एक तरीका तजवीज़ किया गया है जो **फतवा-ए-हिंदिया** नाम की किताब की छठी ज़िल्द के आखिरी हिस्से में है। ये कहा गया: “साहूकार अपने कर्ज़दार को एक आदमी को दिखाएगा जिस पर उसे भरोसा है और कहेगा, इस शख्स को अपना नाएब बना लो ज़कात लेने के लिए जो मैं तुम्हे अदा करूँगा और तुम मुझे अपना कर्ज़ अदा करना। इस वजह से गरीब कर्ज़दार उस शख्स को अपना नाएब बना लेगा। जब वो शख्स ज़कात ले लेगा, तो जो माल उसने लिया है (ज़कात के तौर पर) वो गरीब शख्स की जाएदाद बन जाएगी। उसके बाद वो उस माल को अमीर आदमी को वापस कर देगा, और इस तरह उस गरीब शख्स का कर्ज़ा अदा हो जाएगा। मान लो एक गरीब शख्स को दो अलग लोगों के कर्ज़ देने हैं और उनमें से एक शख्स इस गरीब आदमी को अपने कर्ज़ से बरी करना चाहता है इतना ज़कात देकर जितना उस गरीब शख्स को उसका कर्ज़ देना है; तब वो उसका बकाया उस गरीब शख्स को दान कर देगा ख़ैरात के तौर पर। इस तरह वो इस गरीब शख्स को हलाल तरीके से कर्ज़ से बरी कर देगा। उसके बाद वो गरीब शख्स वापस कर देगा (सोना जो उसे अदा किया गया) ज़कात के तौर पर वो उस अमीर आदमी को तोहफे के तौर पर दे देगा। या, वो गरीब शख्स अपने कर्ज़ के बराबर सोना ख़रीदेगा किसी से और अमीर आदमी को तोहफे के तौर पर दान कर देगा, जो अपनी बारी में उस गरीब शख्स को वो सोना ज़कात अदा करने की नीयत से

वापस कर देगा, और उस गरीब शख्स को उसके कर्ज़ से आज़ाद कर देगा, वो ये, के वो अपना कर्ज़ माफ़ कर देगा। उसके बाद वो गरीब शख्स उस सोने को जो उसे ज़कात के तौर पर मिले है (अमीर आदमी के ज़रिये) वो उसे सोना उधार देने वाले को दे देगा। (माल जो अदा हुआ है) ज़कात के तौर पर (या कस्म खाया ज़मानती माल) वो किसी नेक काम या दान (ज़कात के बदले में अदा करना [या ज़मानती/कस्म खाये माल को अदा करना।]) में खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए वो तुम्हें उनको अदा करना होगा (ज़कात के तौर पर [या कस्म खाई चीज़ों की तरह]) उस गरीब शख्स को जिसे तुम जानते हो, और वो शख्स इस ख़ैरात के नाम किए गए कामों को आगे बढ़ाए।” जैसा के इन मिसालों से नतीजा निकला है, रुपये में ज़कात अदा करने का इंतज़ाम करने के लिए, तुम्हें सोने के ख़ूबसूरत ज़ेवरात ख़रीदने होंगे जिनका उतना ही वज़न हो जितने सोने के सिक्के तुम रुपये के बदले अदा करना चाहते हो अपनी बीवी से या किसी भी एक जानकार से। तुम ये सोने के ज़ेवरात ज़कात की नीयत से अपने किसी भी एक जानने वाले को या रिश्तेदार को दे सकते हो। अब तुम अपने रुपये की ज़कात दो (सोने की चीज़ें देकर जिनका वज़न उन सोने के सिक्कों के बराबर है जो के कीमत में उन हिसाब लगाए हुए रुपये के निसाब के बराबर है जो ज़कात के तौर पर दिए जाएंगे)। उसके बाद वो गरीब शख्स इन सोने के सिक्कों को तुम्हें तोहफ़े के तौर पर दे देगा, और तुम बदले में अपना कर्ज़ अदा करोगे इन सोने की चीज़ों को उधार देने वाले को देकर। चूंकी ज़कात अदा हो चुकी है, तुम, इस तरह से अमीर आदमी हो, कुछ रुपया उसमें से जो तुम्हारी तहवील में है दे दो और जिसे तुमने बचाकर रखा है गरीब शख्स को ज़कात देने के मक़सद से। तुम बचा हुआ खर्च कर सकते हो सब तरह की ख़ैरात करके जिस तरह तुम चाहो। अगर गरीब शख्स की भी इच्छा हो के इस सवाब में से उसे कुछ हिस्सा मिल जाए जो इस ख़ैरात को करके हासिल हो रहा है, तो वो अपने सोने के

सिक्के जो उसे ज़कात के तौर पर मिले हैं उन्हें बेच सकता है। उसके बाद वो रूपया तुम्हें वापस कर देगा और तुम्हें अपना नाएब मुकर्रर करेगा ताकि तुम उसकी तरफ से ख़ैरात बाँट सको।

सैय्यद अब्द-उल-हकीम अरवसी ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ (1281 [1865 A.D.], बास्कले, वान, तुर्की - 1362 [1943], अकांरा) चारों मस्लकों की तालिमात के माहिर, ने इर्शाद फरमाया: “कागज़ के पैसों की कीमत एक आमिल कीमत की तरह है। जब इसमें तबदिलियाँ की जाती हैं, तो ये अपनी कीमत खो देते हैं। इसलिए, इस बात की इजाज़त नहीं है के फितरा कागज़ी पैसों में की जाए। जो ज़कात तुम कागज़ी पैसों में अदा कर चुके हो उसकी तुम्हें कज़ा अदा करनी होगी, (यानी दोबारा अदा करनी होगी) सोने के साथ दौर के ज़रिये। सारे माली किस्म के इबादत के काम, हज को छोड़कर, नाकी सब की दौर के तरीके से कज़ा अदा की जाएगी।” (बराए मेहरबानी दौर के लिए सआदत अबदिया के पाँचवे हिस्से के इक्किसवें बाब को देखिए।)

ऐसा कहा गया है जैसा के माना गया है दुर-उल-मुख़्तार में: “अगर बागी, यानी मुस्लिम जो सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं और ताक़त छीन लेते हैं, और ज़ालिम मुस्लिम हाकिम जानवरों की ज़कात और फसल की ज़कात (जिसे ‘उश्र’ कहते हैं) वो जमा करता है और उन्हे बाँटता है (इस तरह और) उन जगहों पर जो अल्लाहु तआला ने हुक्म फरमाई है। तो जो माल जमा किया गया है (मुसलमानों से) वो ज़कात बन जाता है (और ‘उश्र’) (उन मुसलमानों की)। अगर, इस तरह, जो बताया गया माल है उसे बाँटा (दूसरी तरह और) दूसरी जगहों पर, तो वो माल जो जमा किया गया वो ज़कात (या ‘उश्र’) नहीं समझा जाएगा। उस माल के मालिकों को ज़कात (या उश्र) दोबारा देनी होगी गरीब मुसलमानों में बाँटकर। अगर पहले बताए गए हाकिम त्जारती माल के लिए ज़कात जमा करते हैं और पैसों की ज़कात के लिए, तो इस्लामी

आलिमों की अकसरीयत के मुताबिक, ये ज़कात की तरह नहीं मानी जाएगी। जो फतवा इसके लिए दिया गया वो इसके इजतिहाद को मानता है। दूसरे इस्लामी आलिमों के मुताबिक, क्योंकि ये ज़ालिम हाकिम जिन्होंने इसे जमा किया वो मुस्लिम है (उसी वक़्त में) और जो माल जमा किया गया वो हक़ के हिसाब से लोगों का है, उनको गरीब लोग माना गया है, और इसलिए जो माल उनको ज़कात की नीयत (इरादे) से दिया गया वो ज़कात माना जाएगा।” **इब्ने आबिदीन** का अदांज़ा इस मसले में ऐसे माना गया: “ये कानून उस माल और पैसों में भी लगाया जाएगा जो लगान या महसूल या किसी और फ़ेहरिस्त के तौर पर जमा किए जाते हैं। सबसे आम दानिश्वराना वहस है के माल जो जमा किया जाए वो ज़कात नहीं माना जाए, चाहे आपकी नीयत सही क्यों न हो। दूसरे लफ़्ज़ों में, ज़ालिम मुस्लिम हाकिमों को ये हक़ नहीं है के वो लोगों के माल के लिए ज़कात जमा करे।” जो फतवा इस इजतिहाद से रज़ामंद है **तेहतवी** की तफ़सीर में लिखा हुआ (पहले वाली किताब तक) है। ऐसा देखा गया है, ज़कात जो जानवरों के लिए और उशर (फसल के लिए) अदा की जाती है वो सही है (इस्लाम में जाइज़ है) अगर जो सरकार उसे जमा कर रही है वो मुस्लिम सरकार है और उन लोगों में बाँटे जिनको रियास्ती ख़ज़ाने जिसे **बैत-उल-माल** कहा जाता है उसके चारों महकमों से बकाया लेना हो। कोई भी लगान सरकार को अदा नहीं की गई, बहुत से इस्लामी आलिमों के मुताबिक, वो माल और पैसों के लिए ज़कात मानी जाएगी। यहाँ आलिमों की एक ख़बर में इशार्द है के इसकी इजाज़त है इस शर्त पर के जो सरकार जमा कर रही है वो मुस्लिम सरकार हो और माल और पैसा सब ज़कात की नीयत से दिया जाए। इस ख़बर का ज़रिया, हालांकि, **दाईफ़** (कमज़ोर) है (बराए मेहरबानी **सआदते अबदिया** के दूसरे हिस्से का छठा बाब जाँचिए ‘दाईफ़’ के फनी मानी जानने के लिए।)

आ जाओ, ओ मेरे भाई, वजह जानिए और पाइए काबू इस सख्त दिली पर!
तुम्हारी ज़िन्दगी बहुत कीमती है, इसको बरबाद मत करो फालतू!

बचाओ अपने दिल को अपने नफस की इच्छाओं के खिलाफ!
अपने अंदर को, अपने बाहर की तरफ साफ होने दो!

जब सोना तांबे के साथ मिलता है,
क्या पैसे बदलने वाला इसे खुशी से लेता है?

मत घमंड करो अपने हाई स्कूल के डिप्लोमा पर!
बोलने से पहले सोचो, ऐसा न हो अजीब हालत में शामिल हो जाओ!

ढूँढ़ो एक शख्स को जो मआरीफ हो और ध्यान से उसे सुनो!
इस तरह हक से हासिल करो नरमाई बहुत सारी!

हकीकत के समुंदर में जाओ और गोता लगाओ,
और ऊपर आओ ऐसी चीज़ के साथ जो आला हो ख़ासियत में!

एक अनजान ग़ोज़ुएट तुम्हें गुमराह न कर पाए!
पहले के आलिमों ने तुम्हें पाकी का रास्ता दिखाया!

रोज़े पे सबक

यहाँ पर रोज़े के तीन फ़राइज़ हैं:

1- नीयत (इरादे) का करना

2- नीयत का करना रोज़े का वक़्त शुरू होने के बीच से और ख़त्म होने तक।

3- रोज़े की मंसूख़ बातों को नज़रअंदाज़ करना नहार-ए-सहरी के दौरान (इस्लाम के मुताबिक़ सुबह का वक़्त), और सूरज छूपने से ख़त्म होता है। इमसाक का वक़्त वो होता है जब सफ़ेदी जिसे फ़ज़ सादिक़ कहते हैं वो जल्दी से ज़ाहिर होती। उफ़क़-ए-ज़ाहिर (उफ़क़ पर ज़ाहिर होना) की सतह पर एक शख़्स जो सारी नाजाइज़ बातों से बचा रहे शाम तक बिना रोज़े की नीयत (इरादे) किए (इस्लाम के बताए गए मुकर्रर वक़्त तक) तो उस दिन का रोज़ा न होगा। उसे सिर्फ़ उस दिन का कज़ा रोज़ा रखना होगा।

एक शख़्स के लिए रोज़ा फ़र्ज़ होने की यहाँ पर सात शर्तें हैं:

1- एक मुसलमान होना। 2- बालिग़ उम्र तक पहुँच जाना। 3- एक बच्चे का रोज़ा रखना सही है। 4- आक़िल उम्र को पहुँच जाना। 5- एक मुसलमान जो दार-उल-हरब में रहता हो उसका सुनना के रोज़े रखना फ़र्ज़ है (रमज़ान में)। 6- मुकीम होना (एक जगह पर होना, यानी लम्बे सफ़र पर न जाना। बराए मेहरबानी सआदते अबदिया के चौथे हिस्से के पन्द्रहवें बाब को देखिए।) 7- (एक औरत या एक लड़की के लिए) हैज़ (माहवारी) की हालत में न होना। 8- (एक औरत के लिए) निफ़ास (ज़च्चह, ज़च्चगी) की हालत में न होना।

यहाँ पर छः मकरूहात हैं रोज़े के: ख़ाना खा लेना पीने के लिए कोई चीज़ पीना; हैज़; निफ़ास, मुँह भर कर उल्टी होना। झूठ बोलना, ग़ीबत करना, नेमिमा, यानी मुसलमानों के बीच कहानी सुनाने वाला, और हल्फ़ लेते वक़्त ग़लत बयानी करने वाला रोज़े के मकरूहात में शामिल नहीं है। बहरहाल, ऐसे काम रोज़े के ज़रिए कमाए गए सवाब को ख़त्म कर देते हैं।

सात लोग (नामज़द हैं) रोज़ा बंद करने के लिए:

1- एक नावालिग; 2- एक मुसाफिर; (एक शख्स जो लम्बी यात्रा पर जाता है यानी सफर पर उसे मुसाफिर कहते हैं। उसको एक सफरी शख्स भी कह सकते हैं, बताए गए मुक़िम शख्स के बरअक्स।) 3- (एक औरत जो महावारी से गुज़र रही हो जिसे कहते हैं) हैज़; 4- एक औरत (अपनी ज़च्चगी की हालत में यानी) नीफ़ास; 5- एक हामला औरत, अगर वो बहुत कमज़ोर हो रोज़ा रखने के लिए; 6- एक औरत का दूध पिलाने की हालत में होना, अगर उसके रोज़े से बच्चे को नुक़सान पहुँचता हो; 7- एक (शख्स जिसे कहते हैं) पीर-ए-फ़ानी (और जो रोज़ा रखने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो)।

ये ज़रूरी है के रोज़े की रोज़ाना नीयत (इरादा) किया जाए। ये **फ़त्वा-ए-हिंदिया** में लिखा हुआ है: “नीयत दिल से करनी चाहिए। उठना (दर रात के खाने के लिए जिसे कहते हैं) सहरी के लिए जिसका मतलब है नीयत करना।” यहाँ पर दो तरह के रोज़ों की नीयत है: पहली वाली किस्म की नीयत वो नीयत है जो रमज़ान के महीने में रोज़ की जाती है, या एक रोज़े के जो नफ़ली है (सुन्नत) या ऐसे रोज़े के लिए जो किसी क़स्म को पूरा करने के लिए रखा जाए जिसकी नीयत रात से करे या सुबह को आधे दिन से पहले तक जो **दहवा-ए-कुबरा** है। दहवा-ए-कुबरा का मतलब है शरीअत के मुताबिक़ दिन यानी रोज़ाना के रोज़े का आधा दिन जिसको नीचे लिखे हुए अज़नी वक़्त के मुताबिक़ हिसाब लगाया गया:

$$\text{फ़ज्र} + \frac{24 - \text{फ़ज्र}}{2}, \text{ या } \text{फ़ज्र} + 12 - \frac{\text{फ़ज्र}}{2} = 12 + \frac{\text{फ़ज्र}}{2}$$

इसका मतलब ये हुआ के दहवा-ए-कुबरा का वक़्त जो आधा नम्बर है फ़ज्र के वक़्त से अज़नी वक़्त की शक़ल में। ज़व्वाल (आधे दिन) से पहले जितना भी फ़र्क़ आधे शरीअत के दिन के वक़्त में और सूरज के दिन के वक़्त

में मुकर्रर वक़्त के मुताबिक़; वो फ़र्क़ आधे हिस्स-ए-फ़ज़ के बराबर है, जो फ़ज़ और सूरज उगने के बीच के वक़्त की मुददत है, या इम्साक का वक़्त। तुम दहवा-ए-कुबरा के देर वक़्त तक अपने रोज़े की नीयत कर सकते हो- अगर तुमने न कुछ ख़ाया और न कुछ पिया हो (इम्साक के वक़्त के बाद)। दहवा के वक़्त पर तुम नीयत नहीं कर सकते। जो नीयत फ़ज़ से पहले की जाए वो इस तरह से हो: “मैं कल का रोज़ा रखने की नीयत करता हूँ” जबके फ़ज़ के बाद नीयत की जाए वो इस तरह हो: “मैं आज के रोज़े की नीयत करता हूँ।”

दूसरी किस्म की नीयत क़ज़ा या कफ़ारे के लिए या नज़रे मुऐयन के लिए है। इन तीनों किस्म के रोज़ों के लिए एक जैसी नीयत की ज़रूरत है, यानी दूसरी किस्म की नीयत की। इसका सबसे पहला वक़्त है पिछले दिन के सूरज छुपने का, और सबसे आख़िरी वक़्त है फ़ौरन फ़जे सादिक से पहले का, यानी उफ़क़ पर सुबह की सफ़ेदी नमदार होने से पहले। सहर का वक़्त ख़त्म होने के बाद नीयत करना- इन तीनों किस्म के रोज़ों में से किसी एक के लिए- इसकी इजाज़त नहीं है। इवने आबिदीन के आख़री हिस्से के बाव में लिखा हुआ है जहाँ क़ज़ा नमाज़ का बयान है उसके साथ, वो ये के तुम कई दिन के क़ज़ा रोज़े रख रहे हो पिछले साल के रमज़ान के महिने के रोज़े जो तुम नाकाम रहे थे रखने में तुम्हें उन दिनों की या नाम लेकर या सिलसिलेवार नीयत करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर तीन रोज़ों के दर्जे हैं, जो लोग रोज़े रख रहे हैं उन पर मुनहसिर करता है: जाहिल लोगों के रोज़े; आलिमों के रोज़े; और अंबिया (पैग़म्बरों) के रोज़े और औलियाओं (वो रहमती लोग जिनको अल्लाहु तआला का प्यार मिला) के रोज़े। जब जाहिल लोग रोज़ा रखते हैं, वो न कुछ ख़ाते हैं या पीते हैं या सुहबत भी नहीं करते। लेकिन वो सारे बुरे काम करते हैं। आलिम लोग कोई भी बुरा काम नहीं करते। इसी तरह अंबिया और औलिया भी हर सन्देह वाले काम से बचते हैं जब वो रोज़ा रखते हैं।

यहाँ पर तीन किस्म की 'ईद' है, उन लोगों पर निर्भर करता है जो इसे मनाते हैं रोज़ों के बाद: जाहिल लोगों की ईद; आलिम लोगों की ईद, और अंबिया और औलिया की ईद। जाहिल लोग (अपना रोज़ा खोलते हैं और) लेते हैं (ख़ाना जिसे कहते हैं) इफ़्तार शाम में, खाते हैं और पीते हैं जो कुछ भी उनको पसंद होता है, और कहते हैं, “ये हमारी ईद है।” आलिम लोग भी इसी तरह शाम में अपना इफ़्तार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं, “ये हमारी ईद है अगर अल्लाहु अज़ीम-उस-शान हमारे रोज़ों से खुश हो जाए।” और वो उदास होकर सोचते हैं, “हमारा क्या होगा अगर वो हमारी इबादत से खुश नहीं हुआ तो!” अंबिया और औलिया की ईद रूयेतुल्लाह है। वो अल्लाहु अज़ीम-उस-शान की रहमत के मुस्तहीक होते हैं।

यहाँ पर पाँच किस्म की ईद है सब ईमान वालों के लिए:

सबसे पहली जब फ़रिश्तें ईमान वाले के उल्टे हाथ में कोई गुनाह का काम ढूँढ़ नहीं पाते।

दूसरी जब, ईमान वाला मौत की तकलीफ़ में होता है (शुक्रातुल मौत), फ़रिश्तें खुशी की वशारत देने वाले उसके पास आते हैं और उसे मुबारक बाद देते हैं और ये खुशी की ख़बर सुनाते हैं के तुम एक ईमान वाले हो जिसे जन्नत दी गई।

तीसरे नम्बर की जब एक ईमान वाला अपनी क़ब्र में आता है और अपने आपको जन्नत के बागात में पाता है।

चौथे नम्बर की जब एक ईमान वाला रोज़े महशर में अपने आपको अंबिया और औलिया और उलमा और सुलेहा के साथ अरश-उर-रहमान के साए में बैठा पाएगा।

पाँचवे नम्बर की जब एक ईमान वाला सब सवालियों के जवाब दे देगा जो उससे सात जगहों पर पूछे जाएंगे पुल 'सिरात' को पार करते हुए, जो बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा धारदार, और रात की तारीकी से ज़्यादा अंधेरा होगा, और जो हज़ार सालों का नीचे उतरने का रास्ता है, एक हज़ार सालों का ऊपर चढ़ने का, और एक हज़ार सालों का हमवार रास्ता है। अगर वो सवालियों के जवाब देने में नाकाम रहा, तो वो हर नाकामी के लिए एक हज़ार साल तक सख्त अज़ाब में मुबतिला रहेगा। सात सवालियों में से सबसे पहला सवाल 'ईमान' पर होगा, दूसरे नम्बर का नमाज़ पर होगा, तीसरे नम्बर का रोज़े पर होगा, चौथे नम्बर का हज पर होगा, पाँचवे नम्बर का ज़कात पर होगा, छठे नम्बर का बन्दों के हक़ूक पर होगा, और सातवें नम्बर का उसके गुस्ल, इस्तिंजा, और वुजू पर होगा (इस्तिंजा का मतलब है पैशाब या पाख़ाना करने के बाद अपने आगे या पीछे को साफ़ करना, ये सआदत अबदिया के चौथे हिस्से के छठे बाब में तफ़सील से समझाया गया है।)

अगर एक शख्स जानबूझकर अपना रोज़ा तोड़ दे, (सूरज छुपने से पहले) जिसके लिए उसने इमसाक से पहले नीयत की थी, तो उसको कफ़ारा और कज़ा दोनों अदा करने होंगे। (तोड़ना) एक नफ़िल रोज़े को या एक कज़ा रोज़े को (फ़ासले के अंदर) तो उसका कफ़ारा नहीं है।

कफ़ारे के लिए, एक गुलाम को आज़ाद करो। एक शख्स अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उसे लगातार साठ दिन के रोज़े रखने होंगे रमज़ान के दिन और जो पाँच दिन रोज़ा रखने के लिए हराम है उनको छोड़कर। इसके साथ, वो रोज़े रखे कज़ा रोज़ों की नीयत के साथ उतने दिन के जितने दिन के उसने रोज़े तोड़े (पूरे होने से पहले)। [ये हराम है के रोज़ा रखना रमज़ान की ईद के दिन या कुरबानी की ईद के चारों में से किसी एक दिन में भी।] एक शख्स जो इसकी ताक़त नहीं रखता, वो या तो, साठ गरीब लोगों को एक दिन

के लिए दो वक़्त का खाना खिला दे या एक गरीब शख्स को साठ दिन तक दो वक़्त का खाना खिला दे। या वो उनमें से हर एक को इतना माल दे दे जो फितरे की कीमत के बराबर हो।

एक दिन के रोज़े की कज़ा के लिए, तुम्हें एक दिन का रोज़ा रखना होगा।

पाँच लोगों के लिए कफ़ारा नहीं है। पहला है एक बीमार आदमी। दूसरा है एक मुसाफ़िर, (यानी वो जो लम्बे रास्ते की यात्रा पर हो जिसे सफ़र कहते हैं।) तीसरा है एक औरत जो दूध पिला रही हो और जो रोज़ा नहीं रख सकती क्योंकि ये नुक़सानदह हो सकता है। चौथा है एक पीर-ए-फ़ानी। पाँचवा है एक शख्स जिसे भूख और प्यास से मरने का डर हो।

जब उनका उज़र बिल्कुल बाकी न बचे, तो इन लोगों को एक दिन का कज़ा रखना होगा सिर्फ़ एक दिन के लिए।

योम-ए-शक़ [इसका मतलब है शक़ वाला दिन, लुख्खी मानो में। इस्लाम के शब्दों के मुताबिक़ इसका मतलब है एक दिन जिसके बारे में पक्के तौर पर पता नहीं है के वो रमज़ान का पहला दिन है या शाबान का आख़री दिन है।] की नीयत, यहाँ कई किस्म की हैं: योम-ए-शक़ के लिए इसकी इज़ाज़त है, बहरहाल किराहत के साथ, नीयत करना (रोज़े की) एक दिन की रमज़ान में या फिर दूसरे रोज़े के लिए जो वाजिब है या फिर नीयत करना एक दिन के रोज़े की रमज़ान में, अगर वो रमज़ान हो, या फिर रोज़ा रखना जो के नफ़िल हो (इबादत से ज़ाइद) या फिर जो वाजिब नहीं है, अगर वो (एक दिन) रमज़ान का नहीं है। दूसरी किस्म की नीयत वो है जो बग़ैर किराहत के हो और जो अलग से रोज़े के लिए या फिर (एक रोज़ा) शाबान में, जिसका मतलब है एक नफ़िल रोज़े के लिए नीयत करना। (किराहत का

मतलब है कुछ चीज़, मिसाल के तौर पर- एक आदत, एक वक़्त जबके ये हमारे मुबारक पैग़म्बर ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ न तो पसन्द किया और न इसका मशवरा दिया, के किसी ख़ास काम को अदा किया इबादत के काम के तौर पर। अगर वो काम नफ़ली है, तो उसे किराहत के वक़्त में नहीं करना चाहिए। अगर वो काम फ़र्ज़ है और जिसे तुमने नहीं किया हालांकि वो उसके मुकर्रर वक़्त के पूरा होने से पहले कर लेना चाहिए था, तुम्हें उसको कर लेना चाहिए चाहे किराहत के साथ कुछ करके भी तुम्हें करना पड़े। बराए मेहरबानी **सआदत अबदिया** के चौथे हिस्से के दसवें बाब के आख़िर में ‘किराहत का वक़्त’ देखिए।)

एक किस्म का रोज़ा जिसकी कभी इजाज़त नहीं होती वो इस तरह नीयत करके अदा किया जाता है: “मैं नीयत करता हूँ रोज़े की अगर ये महीना (हम जिस में है) रमज़ान का है; अगर नहीं तो मैं एक नीयत के बग़ैर हूँ।”

मान लीजिए एक शख्स ने फ़ज्र के बाद तक रोज़े की नीयत नहीं करी, यानी मशरिकी उफ़क़ पर सफ़ेदी नमूदार होने के बाद तक, रमज़ान में, और दोपहर होने से पहले कुछ खा लिया; इस शख्स को कफ़़ारा अदा करने की ज़रूरत नहीं है, (जिसका मतलब है रमज़ान के बाद लगातार साठ दिन के रोज़े रखने,) इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुताबिक़। इमाम ईन के मुताबिक़, बहरहाल इस शख्स को कफ़़ारा अदा करना होगा। इसके लिए, उसने खा लिया जबके उसके लिए मुमकिन था के वो नीयत करता और अपना रोज़ा रखता। अगर वो दोपहर के बाद खाता, तो उसे कफ़़ारा अदा करने की ज़रूरत नहीं है- इजतीहाद की एक राए के मुताबिक़।

मान लीजिए एक शख्स हाल के दो या तीन रमज़ान के महीनों का उल्लंघन करता है, अपने रोज़े पहले से इन हर एक बरक़ती महीनों के छोड़ दे, तो क्या उसको हर रोज़े का अलग कफ़़ारा अदा करना होगा, या फिर उसको

दो या तीन रोज़ें छोड़ने का एक ही कफ़ारा अदा करना काफी होगा? ये तनाज़े वाला मसला है (मुस्लिम आलिमों के बीच में)। ये अकलमंदी वाली बात है हर रोज़े का कफ़ारा अलग से अदा किया जाए। मान लीजिए एक शख्स पर रमज़ान के रोज़े का कर्ज़ है; कुछ आलिमों के इशारेदत के मुताबिक, वो शख्स गुनाहगार हो जाता है अगर एक साल गुज़र जाने के बाद भी वो छोड़े गए दिन (नो) के रोज़ों के कर्ज़ (जों) को अदा न करे।

मान लीजिए साल की दो ईदों में से कोई एक, यानी रमज़ान शरीफ की ईद या कुरबानी की ईद, एक शख्स के कफ़ारा करते वक़्त आ जाए, यानी- वो साठ दिन के लगातार रोज़े रख रहा है कफ़ारे के,- ऐसा जाना जाता है के ईद के दिनों के रोज़ें रखना हराम है, कोई सा भी सबब हो रोज़ों का- उसको अपने रोज़ों का कफ़ारा दोबारा से अदा करना होगा शुरू से, उसके पिछले रोज़ें उसमें शामिल नहीं होंगे (साठ दिन के रोज़ें पूरे करने के लिए)।

अगर एक शख्स अपना रोज़ा सफ़र (लम्बे-रास्ते की यात्रा) की नीयत किए बग़ैर तोड़ देता है और उसके बाद नीयत करता है सफ़र की और चला जाता है, तो उसको क़ज़ा और कफ़ारा, (यानी उसको उस छोड़े हुए रोज़े का रोज़ा रखना पड़ेगा और लगातार साठ दिन के रोज़ों का जुर्माना भी कफ़ारे के तौर पर अदा करना होगा।) एक लम्बे रास्ते का सफ़र इसे मुवाह (एक इजाज़त दिया हुआ काम) नहीं करता रोज़ा तोड़ने के लिए। जब एक शख्स सफ़र पर निकलता है, तो ये उसके लिए वाजिब है के वो उस दिन का रोज़ा न छोड़े। अगर एक मुसाफ़िर अपनी नीयत करता है (रोज़े के लिए) रात में या किसी भी वक़्त दहवा-ए-कुबरा के वक़्त से पहले, ये उसके लिए हलाल नहीं है के उस दिन के दौरान रोज़ा तोड़े। अगर वो अपना रोज़ा तोड़ता है, तो उसको उसकी सिर्फ क़ज़ा अदा करनी होगी, (यानी उसको रमज़ान के मुबारक महीने

के बाद एक दिन का रोज़ा रखना पड़ेगा।) कैसा एक लम्बे रास्ते का सफ़र मुवाह बताता है: एक (रोज़ाना) के रोज़े को शुरू न करना।

अगर एक शख्स रमज़ान के दौरान अपना दिमागी तवाज़ुन खो दे, जिसकी वजह से वो रोज़े न रख पाए, और उसके बाद तन्दरूस्त हो जाए, तो उसे उन दिनों की कज़ा रखनी पड़ेगी जो रोज़े उसने छोड़े। अगर वो पूरे रमज़ान तन्दरूस्त नहीं होता, इसकी वजह से उसका दीवानापन देर तक रहता है, तब उसे रमज़ान के रोज़ों से ख़लासी मिल जाती है।

अगर एक शख्स भूल जाता है के उसका रोज़ा है और वो अपना रोज़ा तोड़ देता है, उसका रोज़ा फ़ासिद (बेकार) नहीं होता। अगर उसे याद हो के उसका रोज़ा है लेकिन वो खाए पिए जाए ये सोचकर के उसका रोज़ा फ़ासिद हो चुका है, तब उसको उसकी कज़ा अदा करनी होगी (रमज़ान के बाद)। कफ़़ारा वाजिब नहीं है। बहरहाल, अगर वो खाना खाता रहे अगरचे उसे पता है के उसका रोज़ा फ़ासिद नहीं हुआ, तब उसे कज़ा और कफ़़ारा दोनों अदा करने होंगे।

अगर एक रोज़ेदार शख्स अपना ही पसीना निगल ले या रंगा हुआ धागे का टुकड़ा चवाले और तब रंगाई वो निगल ले या किसी और का थूक निगल ले या अपना ही थूक निगल जाए उसे बाहर निकालने के बाद मुंह से या दातों के बीच में फंसे हुए खाने को निगलना जो चने के दाने से बड़ा हो या अपने आपको सीरिंग में दवाई भर कर इंजेक्शन लगवाना, उसका रोज़ा फ़ासिद हो जाता है और उसको उसकी सिर्फ़ कज़ा अदा करनी होती है।

अगर एक शख्स एक कागज़ का टुकड़ा खा ले या मुट्ठी भरके नमक खाले या एक कच्चे गेहूँ का दाना या चावल का, तो उसका रोज़ा फ़ासिद हो जाता है। बहरहाल, उसको उसकी सिर्फ़ कज़ा अदा करनी होगी। इसके लिए,

ये दस्तूर के मुताबिक नहीं है के मुट्ठी भर नमक खाना, न तो खाने के तौर पर, न ही दवाई की तरह। ये मुट्ठी भर मिट्टी की तरह है। दूसरी तरफ, अगर नमक जो खाया गया वो मिक्कदार में थोड़ा है, तब भी कफ़फ़ारा लाज़मी है। ये एशबाह नाम की किताब में लिखा हुआ है। इसके लिए, नमक की थोड़ी मिक्कदार दोनों तरह से इस्तेमाल की गई हो खाने की तरह और दवाई की तरह।

अगर एक काम करने वाले को मालूम है के वो बीमार हो सकता है क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए काम करता है, उसे (तब भी) इस बात की इजाज़त नहीं है के वो बीमार पड़ने से पहले अपना रोज़ा छोड़े। अगर वो अपना रोज़ा (इफ़्तार के वक़्त से पहले) तोड़ता है, तो उसको कफ़फ़ारा अदा करना पड़ेगा। कफ़फ़ारे से बचने के लिए (अदा करने से), उसको पहले एक काग़ज़ का टुकड़ा निगलना होगा, (यानी कुछ खाने से पहले।) अगर एक हामला औरत या एक दूध पिलाने वाली औरत जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो (-भूख के साथ, प्यास के साथ, आदि,- अपने रोज़े के फ़ासले के साथ) खाना (या पीना), उसे सिर्फ़ कज़ा अदा करनी होगी। एक शख्स जो खुले तौर पर खाता है और पीता है बिना किसी 'उज़र' के रमज़ान वाले दिन तो वो मुरतदीद (फ़ासिक, मुशिरक) बन जाता है। (फ़त्वा-ए-फ़ैज़ीया)

अगर एक शख्स सिर्फ़ एक तिल का दाना चबाता है, उसका रोज़ा फ़ासिद नहीं होता। अगरचे, अगर वो उसे निगल लेता है, चाहे उसने उसे चबाया हो या नहीं, उसका रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। ये लाज़मी हो जाएगा के उसकी कज़ा अदा की जाए।

यहाँ पर पन्द्रह किसम के रोज़े हैं: तीन उनमें से फ़र्ज़ है, तीन उनमें से वाजिब है, पाँच उसमें से हराम है, चार उनमें से सुन्नत है। रोज़ें जो फ़र्ज़ है वो हैं: रमज़ान में रोज़ें, कज़ा के लिए रोज़ें, और कफ़फ़ारे के लिए रोज़ें।

रोज़ें जो वाजिब है वो है: नज़र-ए-मुऐयन के रोज़ें, नज़र-ए-मुल्लक के रोज़ें, और नफ़ली रोज़ा जो तुम तब तक रखते हो जब तक सूरज छुप नहीं हो जाता।

रोज़ें जो हराम है वो ये है: रमज़ान के ईद के दिन का रोज़ा रखना और कुरबानी की ईद के चार दिनों में से किसी एक दिन में भी। इन पाँचों दिनों में रोज़ा रखना हराम है।

रोज़ें जो सुन्नत है वो ये है: अयाम-ए-बैदही के रोज़ें हर (अरबी) महीने में, उन दिनों में रोज़ें रखना जिन्हें सोम-ए-दाऊद कहते हैं, पीर का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, आशूरे का रोज़ा, अरफ़ा का रोज़ा और दूसरे मुबारक दिनों का। चौदहवीं और पन्द्रहवीं और सोलहवीं ये अरबी महीनों के दिन हैं जिन्हें **अयाम-ए-बैदही** कहा जाता है। हर दूसरे दिन के रोज़ें, और साल में बीच के दिनों में रोज़ा न रखना, इसे **सौम-ए-दाऊद** कहते हैं। (आशूरे का दिन मुहर्रम का दसवां दिन होता है जो पहला अरबी महीना भी होता है। अरफ़ा का दिन अरबी महीने के ज़िलहज का नवां दिन होता है, यानी कुरबानी की ईद के पहले दिन से पिछला दिन।)

यहाँ पर रोज़ा रखने के ग्यारह फ़ायदे हैं:

- 1- ये आपको दोज़ख़ से बचाता है।
- 2- ये दूसरे इबादत के काम भी करता है (जो तुम अदा करते हो) जो (अल्लाहु तआला) कुबूल करता है।
- 3- ये एक ज़िक्र है जो जिस्म अदा करता है।

4- ये एक शख्स के किवर को तोड़ता है (घमण्ड को, गुरूर को, ग़लत ख़्याल को) ।

5- ये एक शख्स के उजब को तोड़ता है (अना परस्ती, अपने इबादत के कामों पर इतराना) ।

6- ये खुशुअ को बढ़ाता है (अल्लाहु तआला का डर) ।

7- इससे जो सवाब हासिल होगा वो मिज़ान पर होगा (एक शख्स के ज़रिए जो अच्छे काम किए गए हैं उनको बाद में वज़न के लिए तोला जाएगा) ।

8- अल्लाह अपने (रोज़ेदार) गुलाम से बहुत खुश होता है ।

9- अगर एक शख्स ईमान के साथ मर जाए, ये (यानी उसका रोज़ा) उसे जल्दी जन्नत में दाख़िल कराएगा ।

10- एक शख्स का दिल नूर से चमकीला हो जाएगा ।

11- एक शख्स का दिमाग नूर की रोशनी से जगमगा उठेगा ।

शावान की उनत्तीस्वी तारीख़ को रमज़ान का चाँद देखना और मग़रीबी उफ़क़ पर दूँदना वाजिब है । जब एक शख्स जो के आदिल हो, यानी जिसने कोई बड़ा गुनाह न किया हो, और जो अहल-अस-मुन्नत के मज़हब में हो, वो नया चाँद देख लेता है अवर वाले आसमान में, तो उसकी इतलाह वो कानूनी जज को या गर्वनर को दे सकता है । एक मुस्लिम के चाँद देख लिए जाने के बाद ही रमज़ान शुरू होता है । एक शख्स जो विदअती है या जो फ़ासिक है उसके ज़रिए दी गई गवाही को कुबूल नहीं किया जाता । अगर मतला साफ़ हो तो कई लोगों की गवाही ज़रूरत है (इतनी आंखों देखी गवाही

जो रमज़ान के शुरू करने के लिए ज़रूरी है)। अगर नया चाँद नज़र न आए, तो शाबान का (मौजूदा साल का) महीना तीस दिन का माना जाए, और उसके बाद वाला दिन, मान लिया जाए, (महीने का पहला दिन) रमज़ान का। रमज़ान की शुरुआत कैलेंडर या जौतिष के हिसाब से नहीं लगाई जा सकती। ये **बेहर-उर-राईक** और **फत्वा-ए-हिंदिया** और **कादीखान** नाम की किताबों में लिखा हुआ है: “अगर एक बन्दा **दार-उल-हरब** में रहता है और रमज़ान के शुरू होने से अनजान है तो वो कैलेंडर की मालूमात का इस्तेमाल कर सकता है और एक महीने के रोज़ें रख सकता है, वो रमज़ान के एक दिन पहले से अपना रोज़ा रख सकता है या उसके दूसरे दिन या बिल्कुल रमज़ान के पहले दिन वो अपना रोज़ा रख सकता है। पहले वाले मामले में वो रमज़ान से एक दिन पहले रोज़ा रख रहा है और रमज़ान के आख़री दिन वो ईद मना रहा है। दूसरे मामले में उसने रमज़ान के पहले दिन रोज़ा नहीं रखा, और ईद वाले दिन उसने रोज़ा रख लिया ये इरादा करके के वो रमज़ान के आख़री दिन रोज़ा रख रहा है। इन दोनों मामलों में वो रमज़ान के अठाइसवें दिन का रोज़ा रख रहा है; इसलिए उसको ईद के बाद दो दिन का रोज़ा रखना होगा क़ज़ा की नीयत से। तीसरे मामले में, ये बात संदेह वाली है के क्या पहला और आख़री दिन एक महीने का जिसमें उसने रोज़े रखे वो रमज़ान के अनुसार थे। इसलिए जो इन संदेह वाले दिनों में रोज़े रखे गए रमज़ान के अंदर वो सही नहीं है, उसको इस मामले में भी दो दिन के रोज़ें क़ज़ा रखने होंगे।” बहरहाल, जो लोग रमज़ान के रोज़ों की शुरुआत करते हैं बिना चाँद को आसमान में देखे लेकिन पहले से तैयार कैलेंडर के मुताबिक़ तो उनको रमज़ान की ईद के बाद दो दिन के रोज़ें रखने होंगे क़ज़ा की नीयत से। रमज़ान के पहले दिन का हिसाब किस तरह लगाया जाता है ये बहुत तफ़सील से **सआदत अबदिया** के चौथे हिस्से के दसवें बाब में समझाया गया है।

[इबनी आबिदिन 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' ने इर्शाद फरमाया: "जब मतला साफ न हो/आसमान पर गुबार हो तो इफ़्तार नहीं करना चाहिए, (यानी रोज़ा नहीं खोलना चाहिए,) जब तक के आप मुतमईन न हो जाएं के सूरज छुप चुका है, चाहे आज्ञान अगर (शाम की इबादत का एलान करना [और अफ़्तार का]) अदा कर दी जाए (यानी कही जाए।) जब तक एक शख्स इफ़्तार करता है इशतीबाक-उन-नुजूम (इस वक़्त को कहा जाता है), यानी उस वक़्त तक बहुत सारे सितारें आसमान में निकल आते हैं, एक शख्स को मुस्तहब काम जिसे 'ताजील' कहते हैं (और जिसका मतलब है इफ़्तार के लिए जल्दी करना) कर लेना चाहिए। जब सूरज छुप जाए और कुछ जगहों पर इफ़्तार हो जाए, एक शख्स जो एक बुलंद जगह पर हो, मिसाल के तौर पर वो मिनार पर हो, उसे जब तक ये पता न चल जाए के सूरज छिप गया है तब तक वो इफ़्तार न करे। ये उसूल सुबह की नमाज़ और सहरी के लिए भी आईद होता है।" इल्मे फ़लकियात/खगोल विज्ञान की किताब **तमकीन** के नक्शे की फहरिस्त में, बुलंद वक़्त की लम्बाई के तबदील पज़ीरों में से एक है जिसे तमकीन कहते हैं जो **सआदत अबदिया** के चौथे हिस्से के दसवें बाब में तफ़सील से तारीफ़ की गई है और समझाया गया है।) जैसे के सारे इबादत के वक़्त का हिसाब लगाया जाता है, एक वाहिद तमकीन का वक़्त है जिसे कुछ जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी तमकीन का वक़्त उस मकाम की सबसे ऊँची जगह के मुताबिक़ किया जाता है। (बराए मेहरबानी **सआदत अबदिया** के चौथे हिस्से में शामिल तमकीन की फहरिस्त को देखिए।) कैलेंडर जो तमकीन के अरसे का हिसाब किताब लगाए बग़ैर तैयार किए गए वो सूरज छुपने के वक़्त को कुछ लम्हों पहले दिखाते हैं (सूरज छुपने की निसबस से उसका हिसाब करने में तमकीन के अरसे को काबिले ग़ौर समझा गया।) सूरज नहीं निकलता ग़रूब होने के लिए सूरज के छुपने के वक़्त पर (उन कैलेंडरों पर

लिखा हुआ है) लोग रोज़ें रखते हैं और इफ़्तार करते हैं कैलेंडर के साथ बग़ैर तमकीन के तो वो फ़ासिद हो जाता है।]

यहाँ पर तीन शर्तें हैं जो कुरबानी (को अंजाम देने) के लिए पूरी होनी चाहिए:

- 1- एक आकिल और बालिग़ मुस्लिम होना।
- 2- मुक़ीम होना (एक जगह होना, यानी सफ़री न हो)।
- 3- इतने माल का रखना जो निसाब की कीमत को अदा करने के लिए काफ़ी हो।

रुकन (बुनयादी उसूल) के लिए (जो जानवर मारा जाए ऐसे) कुरबान करो चाहे एक भेड़ या एक बकरी या एक ऊँट या एक मवेशी वाला जानवर (जैसे के एक साँड या एक गाय या एक बैल), एक ऊँट या एक साँड (या गाय या बैल) सात कुरबानी के लिए सही है, जिसका मतलब है सात लोग एक बैल (या साँड या गाय) को कुरबानी के तौर पर मार सकते हैं उन सातों के लिए। अगर एक और शख्स कहता है, “मुझे भी शामिल कर लो,” उस आठवें शख्स की कुरबानी के लिए निसाब वैसा ही है जैसे के फ़ितरा के लिए निसाब है, (जो के सआदत अबदिया के पाँचवें हिस्से के तीसरे बाब में बहुत तफ़सील से पेश किया गया है।)

[जैसे के इवनी आविदिन ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’, ने इश्आद फरमाया है, अगर उनमें से किसी एक का हिस्सा सात में से एक हिस्सा भी कम हुआ तो उन सातों लोगों की कुरबानी की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए, सात लोगों के

बजाए कुछ लोगों को इजाज़त है के वो एक साथ आए और मिलकर आम कुरबानी करें। ये सही (जाइज़) है के ख़रीदारी करने के दौरान उसमें शामिल हो। हालांकि ये सही है के ख़रीदारी के बाद भी उसमें शामिल हुआ जाए, एक शख्स भागीदारी में कुरबानी कर सकता है एक दूसरे शख्स के साथ एक में से सातवें से लेकर छः में से सात हिस्से तक साँड़ की (या गाय या बैल) पहले वाला उन सबका मालिक हो। वो गोश्त को बाँटेंगे उसी सीधे अनुपात की तरह भागीदार के हिस्से तक। अगर उनमें से कोई एक भागीदार मर जाता है, तो ये सही है के उसके वारिस उससे कहे के (दूसरे भागीदार से), “उसके तरफ से और अपनी तरफ से तुम कुरबानी करो।” इसलिए, ये है (एक काम) कुरबत का के मरने वाले मुस्लिम की तरफ से कुरबानी की जाए। अगर वारिस ये न कहें तो, मरने वाले के भागीदार की कुरबानी कुरबत नहीं कहलाएगी और किसी भी भागीदार की कुरबानी सही नहीं होगी। अगर भागीदारों में से एक मुशरिक है या उसने साझेदारी (सिर्फ) गोश्त के लिए की है, तो किसी भी साझेदार की कुरबानी की इजाज़त नहीं है। इसलिए, हर साझेदार को कुरबत की नीयत करनी होगी। एक काफिर की नीयत बातिल है (बेकार और बेअसर)। अपनी नीयत ख़ाने के लिए बनाना, दूसरी तरफ, कुरबत का (एक काम) नहीं है। इसी तरह, अगर एक साझेदार मौजूदा साल के लिए नीयत करता है कुरबानी की, और दूसरे अगले साल की कुरबानी की नीयत करते हैं, तो दूसरों की नीयत बातिल (बेकार और बेअसर) हो जाती है और जो गोश्त उनके हिस्से में आया वो तेतव्यू (ख़ैरात) बन गया, और उसे उनको गरीब लोगों में ख़ैरात की तरह ही बाँटना होगा। पहले वाले ने जो नीयत की वो सही (जाइज़) है, लेकिन तब वो गोश्त नहीं खा सकता। इसलिए, ये फैसला के गोश्त को ख़ैरात की तरह बाँट दो गोश्त की हर जगह पर ये बात फैलादी गई। कुरबत जिसके लिए नीयत की जाती है ज़रूरत नहीं के वो कुरबत वाजिब हो। ये हो सकता है एक कुरबत हो जो के सुन्नत है या नफ़िला। ये हो सकता

है के कुरबत हो जिसमें बहुत सारे काम वाजिब हों। इस की इजाज़त है के वो या तो बच्चे का अक़ीका है या बड़े का। (बराए मेहरबानी सआदत अबदिया के पाँचवें हिस्से के चौथे बाब का आख़री पेराग्राफ देखिए ‘अक़ीके’ के लिए।) इसलिए, अक़ीका एक कुरबत है जो शुक्रिया अदा करने के तौर पर मनाया जाता है एक बच्चे के जन्म के बाद। इसी तरह, एक मुबारकबाद देने वाला ख़ाना जहाँ मुसलमान निकाह की खुशियाँ मनाते हैं (इस्लाम के मुताबिक़ शादी का आपसी समझौता, और जो सआदत अबदिया के पाँचवें हिस्से के बारहवें बाब में तफ़सील से समझाया गया है), ये एक किस्म का शुकराना है और एक कुरबत जो सुन्नत है। सबसे ख़ास काम जो सब साझेदार को करना है वो है ईद की कुरबानी के लिए नीयत करना। हनफी मस्लक में एक जानवर को ज़बह करना अक़ीका के लिए वो सुन्नत का काम नहीं है। ये मुस्तहब या मुवाह है। एक मुस्तहब का काम एक कुरबत है। एक मुवाह का काम भी कुरबत हो जाता है जब उसे शुकराने की नीयत से अदा किया जाए। रीति रिवाज़ के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे दूसरे काम भी हैं जो नीयत करने की वजह से इबादत का काम बन जाते हैं। एक मुवाह इसी तरह एक ताअत का काम बन जाता है जब वो नीयत करता है (ताअत के लिए)। अरबी किताबें जिनके नाम हैं उकूद-उद-दुर्रिया और दुर-उल-मुख़्तार पूरी तफ़सील से जानकारी देती हैं एक जानवर को ज़बह करने के बारे में (जहासील मरज़ के ज़रिए) अक़ीके के लिए।]

हज के तीन रुकन हैं:

1- हज की नीयत करना जैसे ही तुम (लिबास जिसे कहते हैं) एहराम पहनते हो बाँधते हो।

2- अदा करना (जिसे कहते हैं सीधे खड़े रहो) वक़फ़ा (पहाड़ी जिसे कहते हैं) अराफ़ात पर।

3- तवाफ़-ए-ज़ियारत अदा करना (काबा पर)।

वक़फ़ा अदा करने का सबसे पहला वक़्त है 'अरफ़ात' पर ज़वाल (बीच का दिन) जुलहिज्जा की नवीं तारिख़ और उसकी दूसरी आने वाली सुबह। [अगर तुम वक़फ़ा के लिए एक दिन पहले या एक दिन बाद में खड़े हो तो तुम्हारा हज जो तुमने अदा किया वो बातिल (बेकार और बेअसर) हो जाएगा। वहाबी (कुरवानी वाली) ईद एक दिन पहले मनाते हैं, बिना (पिछली शाम को) नया चाँद देखे। लोग जो हज अदा करते हैं और मुक़र्रर वक़्त पर वक़फ़ा के लिए नहीं खड़े होते तो ये सही (जाइज़) नहीं है।]

यहाँ पर सात किस्म के तवाफ़ हैं (मस्जिद-ए-हरम में काबा-ए-मुअज़्ज़मा के चारों तरफ चक्कर लगाना):

सबसे पहला है तवाफ़-ए-ज़ियारत।

दूसरा है उमरा के लिए तवाफ़। (ये दोनों किस्म के तवाफ़ फ़र्ज़ हैं।)

तीसरा है तवाफ़-ए-कुदुम, जो के सुन्नत है।

चौथा है वीदा के लिए तवाफ़ (विदाअ)

पाँचवा है नज़र के लिए तवाफ़, जो के वाजिब है।

छठा है तवाफ़-ए-नफ़िला।

सातवां है तेतव्वो का तवाफ़ (या ततवो) जो के मुस्तहब है।

हज के लिए एहराम बाँधते वक़्त नीयत करना फ़र्ज़ है। ये सुनअ है के कपड़े के टुकड़े (डों) को जिसे एहराम कहते हैं बाँधना। सिले हुए कपड़ों को नज़रअंदाज़ करना ये वाजिब है।

यहाँ पर आठ शर्तें हैं जो एक शख्स के हज अदा करने के लिए पूरा करना फ़र्ज़ है:

1- एक मुसलमान होना।

2- बालिग़ उम्र को पहुँच गया हो।

3- अक़ल ओ शऊर की उम्र को पहुँच गया हो।

4- सेहतमंद होना।

5- किसी का गुलाम न होना।

6- इतनी जाएदाद का होना जो उसकी बुनयादी ज़रूरतों के लिए काफी हो।

7- हज के लिए उसका वक़्त होना। हज के लिए वक़्त अराफ़ा का दिन होना और चार दिन ईद (कुरबानी के) होना। जो रास्ते में वक़्त लगा उसे हिसाब में जोड़ लिया जाता है।

8- एक औरत के लिए जो दूर है (मक्का से) (जो कर रही है लम्बी दूरी की सफ़र) सफ़र- तीन दिन का चलना, या एक सौ चार किलोमिटर हनफी मस्लक में,- वो अपने शौहर के साथ हो या एक आदमी और महरम रिश्तेदार के साथ हो जिसके साथ उसका (इस्लामी शादी का समझौता जिसे कहते हैं) निकाह नहीं हो सकता। [जो लोग आठों शर्तों को पूरा करते हैं उनपर सारी

ज़िन्दगी में एक बार हज करना फर्ज़ हो जाता है। अगर वो एक हज से ज़्यादा हज अदा करते हैं, तो जो बाद के सालों में उन्होंने हज अदा किए वो एक नफ़ली हज होगा। एक काम जो **इबादत है नफ़िल की** वो ये है जो एक शख्स अपनी मरज़ी से करता है अगरचे वो न तो फर्ज़ या सुन्नत है (उसको अदा करना)। नफ़िल इबादत का सवाब, जब फर्ज़ इबादत के सवाब के साथ मवाज़ना किया जाता है, वो उतना ही कम है जितना के एक पानी की बूँद का जब मवाज़ना किया जाए महासागर के पानी से। इस्लामी उलेमा इस बात पर रज़ामंद नहीं हैं के जो मुस्लिम लोग मक्का से दूर जगहों पर रहते हैं वो दोबारा हज करें। अब्दुल्लाह-ए-देहलवी ‘कुद्दीसा सिरूह’ इस तरह इर्शाद फरमाते हैं अपने तरेसठवें ख़त में (अपनी कीमती किताब जिसका नाम है **मेकातिब-ए-शरीफ़ा**: “हज के लिए जो सफ़र किया जाता है, इसमें अक्सर इबादत के काम सही अदा हो पाना मुमकिन नहीं होता। इस मसले के लिए, इमाम रब्बानी ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ ने इर्शाद फरमाया (अपनी पहली जिल्द के मकतूबात मुबारक काम जिसका नाम है) अपने एक सौ तेइस्वें और एक सौ चौबिस्वें ख़तों में के वो इस बात पर राज़ी नहीं हैं के जाओ (सफ़र पर) उमरा या नफ़ली हज [दोनों ख़त मौला ताहिर बैदाक़शी को लिखे गए। इन ख़तों का अंग्रेज़ी तर्जुमा और एक छोटी सी जीवनी ताहिर बैदाक़शी की मौजूदा किताब में शामिल की गई है।) करने की गरज़ से।” नफ़ली हज हराम है अगर ये रोकता है अदा करने से एक इबादत के काम को जो के हराम है या एक औरत को जो अपने आपको सही तरीक़े से ढकी हुई है। इस तरह से नफ़ली हज पर जाना गुनाह का ज़िम्मेदार होता है, बजाए सवाब कमाने के। यही मसला उमरा के लिए सफ़र पर जाने में है।

चौवन फराईज (या फर्ज)

एक बच्चा जब बालिग़ उम्र को पहुँचता है तो एक मुसलमान बन जाता है, और ऐसा ही जब होता है जब एक ग़ैर मुस्लिम कलिमा-ए-तौहिद कहता है, यानी कहे, “**ला इलाहा-इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,**” और माने के ये कहने के क्या मआनी है। सारे गुनाह जो उस वक़्त तक उस ग़ैर मुस्लिम ने किए होंगे वो वहीं के वहीं माफ़ कर दिए जाएंगे (अल्लाहु तआला के ज़रिए)। बहरहाल, इन दोनों लोगों को, और दूसरे मुस्लिम की तरह, छः ईमान की बुनयादी बातों को याद करना होगा, जिनको मजमूई तौर पर आमन्तु कहा जाता है, जब भी उनको वक़्त हो, उनके मआनी याद करें, और कहें, “**मैं ईमान लाया (इस यकीन के साथ) के पूरा इस्लाम, यानी सारे हुक्म और मना किए हुए काम (कुली तौर पर) अल्लाहु तआला के ज़रिए ऐलान किए गए हैं।**” बाद में, जब भी उनके पास वक़्त हो और हालात मुनासिब हों, ये भी फर्ज है उनके लिए के उन फर्जों को याद करना, यानी सारे हुक्म और हराम काम, यानी जो मना किए गए हैं सब इस्लाम की तालिमात में जिसका सम्बन्ध उसूल इज़्लाक और तरीकें ज़िन्दगी से हैं और नए हालतों से जो उनके ख़िलाफ़ आएंगी। अगर वो इंकार करें या ईमान न रखे या बुरा कहें उस हकीकत को जो के फर्ज है याद करना उन तालिमात को और ये के फर्ज है इन फर्जों में से किसी एक को भी अदा करना और उनमें से किसी एक को नज़रअंदाज़ करना जो के हराम है, वो **मुरतद (मुशिरक, काफिर)** बन जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, एक शख्स जो इस्लाम की किसी एक तालिमात को बुरा कहता है, मिसाल के तौर पर उन औरतों को जो अपने आपको ढकती हैं (इस्लाम के बताए गए तरीकें के मुताबिक), वो मुरतद बन जाता है। जब तक एक मुरतद अपने कुफ़्र की तौबा न कर ले, वो एक मुस्लिम नहीं बन जाएगा ये कहने से, “**लाइलाहा इल्लल्लाह** या कुछ इस्लाम के हुक्मों को मानने से जैसे के नमाज़ अदा करने से,

रोज़ा रखने से, हज पर जाने से या अच्छा काम करने के ज़रिए या ख़ैरात का काम करने से। न ही वो कोई फायदा उठा सकते हैं अपने इन अच्छे कामों का उसके बाद। वो अपने कुफ़्र पर पछताए और अपने मुनकिर होने पर तौबा करें, यानी इस्लामी अकीदा जो उन्होंने मानने से मना किया।

इस्लामी आलिमों ने चव्वन फराइज़ को चुना जो हर एक मुस्लिम को मानना है और ईमान रखना है:

1- ये जानना के अल्लाहु तआला एक है और उसे कभी भूलना नहीं।

2- वही ख़ाना और पीना जो हलाल है।

3- एक वुजू का करना।

4- रोज़ाना की पाँच नमाज़ों को अदा करना, हर एक का जब वक़्त आए।

5- जब तुम्हें नमाज़ पढ़नी हो, तो गुस्ल करो हैज़ (अगर तुम एक लड़की या एक औरत हो) और जुनाबत की वजह से।

6- ये जानना सच्चाई के लिए और ईमान रखना के अल्लाहु तआला एक शख्स को रिज़्क (ख़ाना) देने वाला है।

7- साफ़ और हलाल कपड़े पहनना।

8- काम करना और अल्लाहु तआला पर तवक्कुल (भरोसा) रखना।

9- राज़ी रहना।

10- अल्लाहु तआला की नेमतों का शुक्रिया अदा करना। वो ये के उनको इस्तेमाल करना जगह-जगह पर (और इस तरीके से) जैसा के हुक्म दिया गया है।

11- पूरी सुपुरदगी के साथ जो जनाब-ए-बारी की तरफ से कज़ा आए उसे खुशआमदीद कहना।

12- जो उतार चढ़ाओ आएँ उनपर सब्र करना। वो ये के उनके ख़िलाफ़ विरोध न करना।

13- अपने गुनाहों की (जो तुमने किए हैं) तौबा करना। [ये कहना (नमाज़ पढ़ना जिसे कहते हैं) इस्तराफ़ार रोज़ाना।]

14- इबादत के कामों को इख़्लास के साथ करना। (वो ये, सिर्फ़ अल्लाहु तआला की मेहरबानी के लिए इबादत करते हैं, अल्लाहु तआला को खुश करने के लिए।)

15- इंसानों और जिन शैतानों को अपने दुश्मन की तरह देखना।

16- कुरान-ए-अज़ीम-उस-शान को तहरीरी शहादत, असली शहादत मानना। उसके दस्तूर पर पूरा ईमान रखना।

17- ये जानना के मौत हक़ है (अल्लाहु तआला की वसीयत है), और मौत के लिए तैयारी करो।

18- जो कोई भी और जैसा भी अल्लाहु तआला को प्यारा हो उसे प्यार करो और जिसे (और किसको) अल्लाहु तआला ने नापसंद किया उसे तुम भी नज़रअंदाज़ करो। [इसे कहा जाता है हुब-ए-फिलाह और बुख्दे-ए-फिलाह।

19- अपने वालदैन के साथ अच्छा रहना ।

20- अच्छे काम करने को बढ़ावा देना और बुरे कामों के करने में हौसला पस्त करना ।

21- अपने महरम रिश्तेदारों में जाना ।

22- किसी के भरोसे को न तोड़ना ।

23- हर वक़्त अल्लाहु तआला से डरना और हराम कामों से बचना ।

24- अल्लाहु अज़ीम-उस-शान और उसके पैग़म्बर की इताअत करना । वो ये के, फर्ज़ कामों को करना और हराम कामों से बचना ।

25- गुनाहों से बचना और अपना वक़्त इबादत करने में गुज़ारना ।

26- उलउ-ल-इमर की नाफ़रमानी न करना और क़वानीन की ख़िलाफ़ वरज़ी न करना ।

27- अपने चारों तरफ़ पूरी कायनात को देखो और गहराई के साथ प्रशंसा करो ।

28- अल्लाहु तआला के वजूद पर ध्यान लगाओ यानी उसकी तख़लीक़ और गुणों को जानो ।

29- अपनी ज़वान को हराम और ग़ंदा बोलने से बचाओ ।

30- अपने दिल को मा-सिवा [दुनिया का प्यार] से पाक रखना ।

31- किसी का मज़ाक़ न बनाओ ।

32- किसी पर न देखो (कोई चीज़ जो हराम हो (उसे न देखो) ।

33- अपने वादे को रखो चाहे उसकी कोई भी कीमत हो ।

34- अपने कानों को गुनाह की चीज़ों को सुनने से बचाना जैसे गंदी बातों और गाने के साज़ों से ।

35- फराइज़ और हराम को याद करना ।

36- तराजू और वज़न तौलने के औज़ारों को पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल करना ।

37- अपने आपको कभी मुतमईन न हो अल्लाहु अज़ीम-उस-शान के अज़ाब से जो वो तुम पर डालेंगे और हमेशा अल्लाह से डरो ।

38- गरीब मुसलमानों को ज़कात दो और उनकी मदद करो ।

39- अल्लाहु अज़ीम-उस-शान की शफ़क़त/रहम से कभी ना उम्मीद न हो ।

40- अपने नफ़स की हराम ख़्वाहिशात में कभी शामिल न हो ।

41- अल्लाह के फ़ज़ल/करम के लिए किसी भूखे को खाना खिलाना ।

42- काम करना और मुनासिब रिज़क कमाना, [यानी खाना, कपड़ा और मकान ।]

43- अपनी जाएदाद के लिए ज़कात देना और अपनी फसल के लिए उशर देना ।

44- हैज़ और ज़खी के दौरान अपनी बीबी से जिस्मनी मेल ना करना ।

45- अपने दिल को गुनाहों से पाक रखें ।

46- घमंडी होने से बचना ।

47- उस यतीम की जाएदाद की हिफाज़त करना जो बालिग़ उम्र को नहीं पहुँचा है ।

48- जवान लड़कों के करीब मत जाओ ।

49- रोज़ाना की पाँच नमाज़ें अपने वक़्त पर पढ़ना और उन्हें कज़ा के लिए न छोड़ना, (यानी उनको पढ़ने में इतनी देर न करो के मुक़रर वक़्त निकल जाए ।)

50- किसी की जाएदाद ज़बरदस्ती मत छीनो ।

[ये एक इनासी हक़ है के जब तुम अपनी बीबी को तलाक़ दे दो तो उसे पैसा अदा करो जिसे महर कहते हैं । ये हक़ अदा न करना तुम पर दुनिया में सख़्त जुर्माना लगाएगा और उसके बाद सख़्त अज़ाब में मुबतिला होंगे । इंसानी हकूक में, सबसे अहम है अपने रिश्तेदारों और जो लोग तुम्हारे हुक़म में हैं उन पर अमर-ए-मारुफ़ करना, (यानी उनको इस्लाम सिखाना,) और जब इसको नज़रअंदाज़ किया जाए तो ये सख़्त अज़ाब का ज़िम्मेदार होगा (आख़रत में) । इसलिए, एक शख्स जो उनको रोकता है और सारे दूसरे मुसलमानों को अपना मज़हब याद करने से और इबादत के काम करने में उन्हें तंग करे और दांव लगाकर वार करे वो एक काफ़िर है और इस्लाम का एक दुश्मन है । उसकी एक मिसाल बिदअती और ला मज़हबी लोग हैं जो अहल अस

सुन्नत के ईमान को नापाक करते हैं और मुसलमानों को राह से भटकाते हैं इस्लाम और ईमान के बाहर अपनी पामाल तकरीरों और इशाअत के ज़रिए।

51- अपने भागीदारों के गुणों को अल्लाहु अज़ीम-उस-शान से मत मिलाओं।

52- हराम कारी से बचना।

53- शराब और दूसरी नशीली चीज़ों का इस्तेमाल न करना।

54- अपनी झूठी कसम मत खाओ।

[शराब और स्पिरिट और सब दूसरी नशीली चीज़ें काबा नजासत है, (दो किस्मों की नजासत में से एक सआदत अबदिया के चौथे हिस्से के छठे बाव में तफ़सील से तारीफ़ किया गया है और समझाया गया है।) ये लिखा है बहर-उर-राईक और इबनी आबिदिन नाम की किताबों में के जब पानी और ज़मीन आपस में मिल जाते हैं तो नतीजें वाली मिट्टी साफ़ होता है, ये कौल सही वाला है, और इस कतई फ़त्वे के फैसले से सब रज़ामंद है इजतिहाद के साथ। हालांकि कुछ आलिम ऐसे भी हैं जो इस फ़त्वे पर तर्क करते हैं और उसे एक दा-इफ़ कहते हैं, ये लिखा हुआ है इबनी आबिदिन और हकीका में के ये दा-इफ़ कौल तब काम करता है जब वहाँ पर कोई हरज (मुश्किल) होती है। इसलिए, अगर जो चीज़ शराब के साथ मिलती है अपना मतलब का माल बनाने के लिए जैसे के ईओ-डी-कोलौन, वारनीश, अलकोहोलीक दवाइयाँ और डाई जो साफ़ की जाती है, उनका मिश्रण भी साफ़ किया जाता है। ये लिखा हुआ है नशरयात में (जो सुलेमहन बिन अब्दुल्लाह शी रीदी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' ने मौला हलील शी रीदी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' ने अल-माफूवत नाम की किताब में दिया है के ये उसूल इसी तरह शाफ़ई मस्लक में भी लागू होते हैं। वो नमाज़ को नहीं रोकते (सही होने से) अगर उसे साफ़ करने में

हरज हो। ग़ैर अमली तौर पर इन बहने वाली चीज़ों को साफ करना किसी हरज की वजह से (उनको साफ करने में), इसकी इजाज़त नहीं के जब तक इसकी ज़रूरत न हो इसे पीना। नशीली चीज़ें कभी साफ नहीं की जाती। इसके लिए अलकोहोल जो इन पीने वाली चीज़ों में मिलाया जाता है वो किसी की ज़रूरत को मुतमईन करने के लिए नहीं बल्कि उसके मज़े के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़ जो उसपर दाग़ डाल दे वो नजस बन जाती है। ये हमेशा ही हराम है के बिना ज़रूरत इनको पीना।]

गुनाह-ए-कबीरा का बयान (बड़े गुनाह)

यहाँ पर बहुत सारी किस्म के बड़े गुनाह हैं जिनको गुनाह-ए-कबीरा कहा जाता है। उन में से बहत्तर नीचे बताए गए हैं:

- 1- अनुचित तरीके से कल्ल करना।
- 2- हरामकारी करना।
- 3- एक साथ ज़िना करना हर मज़हब में हराम है।
- 4- शराब या और दूसरी नशीली चीज़ें पीना।
- 5- चोरी करना।
- 6- नशीली चीज़ों को खाना या पीना।

7- ताकत का इस्तेमाल करके किसी की जाएदाद को हथियाना। वो ये के धमकी देकर छीनना।

8- झूठी गवाही को सहना।

9- बिना किसी उज़र के दूसरे मुसलमान के सामने खाना रमज़ान के मुबारक महीने में।

10- रीबा, यानी खरीदना या जाएदाद देना या पैसे देना सूद के साथ।

11- सन्जीदगी के वक्त कसम खाना और दोबारा।

12- अपने वालदैन की नाफरमानी करना।

13- सिला-ए-रहम को बंद कर देना अपने महरम रिश्तेदारों में जाने से जो के सालिह मुसलमान है। (सिला-ए-रहम का मतलब है अपने नज़दिकी रिश्तेदारों के घर जाना।)

14- एक जंग में, मैदाने जंग को छोड़ देना और अपने दुश्मन से भाग आना।

15- किसी यतीम की जाएदाद को बगैर उस यतीम की मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लेना। ये आगे ऐसे इर्शाद किया गया है सआदत अब्दिया के पाँचवे हिस्से के (दसवें शुमारे में) दो सौ छीयासठवें सफहे के आखिर में: “(यतीम की) देख रेख करने वाला मरने वाला का कर्ज़ यतीम की जाएदाद से अदा नहीं कर सकता। न ही वो यतीम का फ़ितरा दे सकता है या यतीम के लिए कुरबानी भी नहीं कर सकता (उस यतीम की जाएदाद में से।) लेकिन (यतीम का) वाप कर सकता है। अगर देख रेख करने वाला ज़रूरतमंद बन

जाए, तो वो उस यतीम का माल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो किसी को उसको ख़ैरात नहीं कर सकता । ”

16- अपने मिज़ान और तराजू का सही इस्तेमाल न करना ।

17- रोज़ाना की पाँच नमाज़ों के उसके (मुक़र्रर) वक़्त से पहले या बाद में पढ़ना ।

18- अपने ईमान वाले भाई का दिल दुखाना ।

19- झूठा इर्शाद बयान करना इस दावे के साथ के ये हवाला रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम’ का है अगरचे हकीकत में वो इर्शाद हमारे नबी का नहीं हो ।

20- रिश्वत लेना ।

21- सच्ची गवाही को नज़रअंदाज़ करना ।

22- अपनी जाएदाद की ज़कात या अश्र न देना ।

23- जब तुम एक शख्स को एक गुनाह करते हुए देखो, और ये कोशिश न करो के तुम उसे बदल सको हालांकि तुम ऐसा कर सकते हो ।

24- एक जानवर को ज़िन्दा जला देना ।

25- कुरआन अज़ीम-उस-शान को याद करने के बाद (किस तरह पढ़ें) भूल जाना के इसको किस तरह पढ़ते हैं ।

26- अल्लाहु अज़ीम-उस-शान से रहम की उम्मीद छोड़ देना ।

27- लोगों के भरोसे को तोड़ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता के मुस्लिम है या गैर-मुस्लिम ।

28- सुअर का गोشت खाना, जो के हराम है ।

29- किसी भी रसूलुल्लाह के सहावा 'रिज़वानुल्लाही तआला अलैहिम अजमईन' से नफरत करना और कोसना ।

30- पेट भरने के बाद भी खाना खाते रहना, ऐसा करना हराम है ।

31- एक औरत का अपने शौहर से शादी की बातें करने को नज़रअंदाज़ करना (बिना किसी ठोस वजह के) ।

32- एक औरत के लिए अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर अपने किसी जानने वाले से मिलने बाहर जाना ।

33- एक पारसा औरत पर हरामकारी का इल्ज़ाम लगाना ।

34- नेमिमा, यानी बार-बार मुसलमानों में किस्से सुनाना ।

35- अपने अवरत अज़ू को दूसरों को दिखाना । [एक आदमी का ओरा अज़ू नाफ़ और घुटनों के बीच में होता है । एक औरत के बाल, बाज़ू और टांगें भी अवरत के हिस्से में शुमार होते हैं ।] दूसरों के ओराह हिस्सों को देखना ।

36- उस जानवर का गोشت खाना (खाने लायक) जो मर जाए (अपने आप) । ऐसे गोشت को 'लेश' कहते हैं । इसी तरह, एक (खाने लायक) जानवर जो इस तरह मारा जाए जो इस्लाम के हुक्म के मनाफ़ी हो उसे 'लेश' गोشت कहते हैं, (और वो अब खाने लायक नहीं रहा ।)

37- भरोसे की ख़िलाफ़ वरज़ी करना ।

38- एक मुस्लिम की ग़ीबत करना ।

39- हासिद होना ।

40- अपने किसी साथी को अल्लाहु अज़ीम-उस-शान से मिलाना । (इस बुराई के काम को शिर्क कहते हैं [मुशारिक] ।)

41- झूठ बोलना ।

42- घमंड करना, अपने को सबसे ऊपर सोचना ।

43- एक शख्स के लिए बिस्तर-ए-मर्ग पर अपने एक वारिस को वीरसे से अलग कर देना (किसी न किसी तरह से) ।

44- बहुत कंजूस और लालची होना ।

45- दुनिया से बहुत लगाओ होना, [ये हराम है ।]

46- अल्लाहु तआला के ज़रिए दिए जाने वाले अज़ाब से न डरना ।

47- अगर एक ख़ास चीज़ हराम है, तो ये नहीं मानना के ये हराम हैं ।

48- अगर एक ख़ास चीज़ हलाल है, तो ये नहीं मानना के ये हलाल हैं ।

49- एक ज्योतषी की बातों को मानना लोगों की किस्मत के बारे में और जो ग़ैब है (अनजाना, मुस्तकबिल) ।

50- अपने मज़हब को छोड़ देना, एक मुरतदीद (मुशारिक) बन जाना ।

51- किसी दूसरे की बीवी या बेटी पर निशाह करना बिना किसी उज़र के ।

52- औरतों का आदमियों के कपड़े पहनना ।

53- आदमियों का औरतों के कपड़े पहनना ।

54- हरम-शरीफ़ के अंदर गुनाह करना ।

55- अज़ान देना या नमाज़ अदा करना नमाज़ का वक़्त होने से पहले ।

56- रियास्ती हुक्मरानों की नाफरमानी करना, कानून की ख़िलाफ़ वरज़ी करने के लिए ।

57- अपनी बीवी के महरम हिस्सों को अपनी माँ के महरम हिस्सों से मिलाना ।

58- अपनी बीवी की माँ की कसम ख़ाना ।

59- एक दूसरे पर ग़न से निशाना लगाना ।

60- कुत्ते का बचा हुआ ख़ाना या पीना ।

61- ताना मारना (किसी को) जो मेहरबानी तुमने की (उनपर) ।

62- आदमियों का सिल्क के कपड़े पहनना ।

63- जहालत में बाकी रहना इसी पर कायम रहना। [अहल-अस-सुन्नत के ईमान को याद न करना, फराइज़, हराम और सारी ज़रूरी याद करने वाली बातों को याद न करना।]

64- अल्लाहु तआला के नाम के अलावा दूसरे नामों की कस्म खाना या उन नामों को बोलना जो इस्लाम के ज़रिए नहीं बताई गई।

65- ईल्म से भागना।

66- इस बात को न समझना के जहालत एक बुराई है।

67- लगातार माफी के लायक गुनाहों को करते रहना बिना बदले हुए।

68- हंसना बहुत तेज़ आवाज़ के साथ हंसना बिना किसी उज़र के।

69- इतना लम्बा वक़्त जनाबत की हालत में रहना जिससे तुम्हारी एक वक़्त की नमाज़ रोज़ाना की छूट जाए।

70- अपनी बीबी के साथ उसके हैज़ या ज़च्ची के दौरान जिमा करना।

71- मधुर संगीत बनाना। नाशाईस्ता गाने गाना। संगीत के साज़ों को बजाना।

मिर्जा मज़-हर-ए-जान-ए-जानान 'रहीमा-हुल्लाहु तआला', हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिमों में से एक, ने इर्शाद फरमाया मंदरजाज़ेल तरीके से अपनी कलिमात-ए-तैय्यबात नाम की किताब में और फारसी में: “ये एक इत्तेफ़ाक़ राए का इर्शाद है (इस्लामी आलिमों के ज़रिए) वो ये के ये हराम है

के किसी भी तरह का संगीत का साज़ बजाना या उनके बजते वक़्त उन्हें सुनना। यहाँ पर एक आलिमाना इर्शाद है के सांरगी एक ऐसा वाहिद साज़ है जिसे बजाना मकरूह है और वो ये के मुवाह (इजाज़त है) शादियों में ढोलक बजाने की। [जैसे के कुरआन-अल-करीम पढ़ा जाता है या किरअत की जाती है मधुरता से या अज़ान खुशनुमा आवाज़ से अदा करना, ये हराम है अगर उसके मआनी बदल गए या लफ़ज़ अलग हुआ (इस तरह से अर्थ बदल जाएगा)। ये मंदरजाज़ेल तरीके से अल-फिक्ह-उ-अलल-मज़ाहिब-ऊल-एरबाअ नाम की किताब में इर्शाद हुआ है: आज़ान को गाकर अदा करना हराम है। इस बात की इजाज़त नहीं है के ऐसे कामों को सुना जाए।” इसे तेग़ाननी या सिमा पढ़ने के लिए (या किरअत) के लिए एक तवाज़ुन होना बोलने में आवाज़ में उतार चढ़ाओ होना।

तेग़ाननी का मतलब है कहना, (पढ़ना या किरअत) करना शीरीन ज़बान में जो के कानों को भली मालूम दे। यहाँ पर दो किस्म का पढ़ना (या किरअत) करना है कुरआन-अल-करीम का या अज़ान अदा करना या मौलियद या इलाहिस (तारीफ़ करना) तेग़ाननी के साथ:

1- तेग़ाननी जो के सुन्नत है और जिस से इसलिए सवाब कमाया जाता है, (यानी यहाँ के बाद उसे इनाम दिया जाएगा। ये साईंस को नज़र में रखते हुए अदा किया जाता है जिसे ‘तेजवीद’ कहते हैं (और जो ये बात पढ़ाता है के कुरआन-अल-करीम को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए या किरअत की जाए)। इस किस्म की तेग़ाननी दिलों और जानों में मज़बूती पैदा करती है।

2- तेग़ाननी जो के मना है, हराम है, वो है के उसे मधुर संगीत और साज़ के साथ अदा किया जाए। इस किस्म की तेग़ाननी तरज़े अदा को ख़राब करती है; यह तलफ़्फ़ुज़ को बिगाड़ देती है और उनके मआनी को बदल देती है। तरज़ वो जो अदा करते हैं वो बड़ी भली मालूम देती है और नफ़ज़ अल-

अम्पारा को बड़ी मीठी लगती है। वो लोगों को ज़ेर कर देती है उनके अपने रोते हुए नफ़ज़ से, चिल्लाने और ख़ुश होने से, जो बदले में उनको अनजाना कर देता है उसके मआनी से और उनके लिए नामुमकिन बना देता है के वो अपने दिलों और जानों को इस भूलने वाली हालत और बीमारी से उभार सके।

ये ऐसे इर्शाद हुआ है एक सौ बासठवें सफ़ेह पर **तरगीब-उस-सलात** में (लिखी गई है मुहम्मद बिन अहमद ज़ाहिद 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' के ज़रिए, d. 632 [1234 A.D.], इंडिया में, (तेरह सौ और बयालिस सफ़ेह पर **बेरीका** के दूसरे हिस्से में (लिखी गई है मुहम्मद बिन मुस्तफा हाज़िमी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि' के ज़रिए d. 1176 [1762 A.D.], हाज़िम, कोनया, तुर्की में,) और पाँच सौ और उन्नासी सफ़ेह पर **हदीका** के दूसरे हिस्से में (लिखी गई है अबद-अल-ग़नी बिन इस्माईल नवलूसी, 1050 [1640 A.D.7, दमस्कस- 1143 [1731], उसी जगह पर:) के ज़रिए “तुम एक घंटीयों से सजे हुए जानवर की सवारी नहीं कर सकते अपने आप को मज़े दिलाने के सबब, ऐसा करना मकरूह है। क्योंकि घंटियाँ शैतान के संगीत के साज़ है। रहम करने वाले फ़रिश्तें उस काफ़िलें पर नहीं उतरते (जानवरों के साथ) जिसमें उनको घंटियों से सजाया गया हो।” (हालांकि,) किसी कारोबार या फ़ायदे के लिए ऐसे करने की इजाज़त है।

यहाँ पर एक आलिमों की इत्तेफ़ाक़ राए से इर्शाद हुआ है के ये हराम है के पढ़ना या बयान करना किसी शायरी का जो के वेजोड़ है इस्लाम और उसूल इख़लाक़ के साथ या पढ़ना या बयान करना उसको उन जगहों पर जो फिस्क़ है जहाँ गाना बजाना हो और नशीली चीज़ें इस्तेमाल की जाए या आदमी और औरतें आपस में एक साथ मज़े करें चाहे अगर शायरी अपने आपमें मुनासिब हो इस्लाम और उसूल इख़लाक़ के साथ या उसे सुने मिले जुले गुप में उन जगहों पर जहाँ शायरी का बयान किसी और जगह पर किया जा रहा हो

और जिसको दूर-दूर नशर किया जा रहा हो या टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा हो या रेडियो पर बजाया जा रहा हो या टेलीविज़न पर या टेप-रिकोर्डर पर या औरतों और लड़कों के लिए बयान किया जा रहा हो मिले जुले सामूहिक गान की तरह।] इस बात की इजाज़त है के पढ़ो या बयान करो सही शायरी सही जगहों पर। ये नरम ध्यान डालती है (सुनने वालों के) दिलों में और इस तरह अल्लाहु तआला की हमदर्दी का सबब बनती है। कुछ आलिमों को फिर भी इस मुवाह (इजाज़त मिला हुआ) सिमा के बयान (गाने में) कोई कशिश महसूस नहीं होती। उनकी सिमा की तरफ रज़ामंदी न होना उन्हें जुनून से पीछे रोकती है जो उनके स्वभाव में शामिल है और जो उनको उससे मुतासिर होने से बचाती है। ये कुदरती दिल फिरना, हालांकि इन महबूब आलिमों को अपने कीमती साथियों को जिनका दिल सिमा की तरफ फिर गया है उनको छोड़ने पर या इंकार करने पर रागिव नहीं होता।” ये हराम है के कुरआन-अल-करीम या मौलिट या इलाहिस (तारीफ करना) या सलावात-ए-शरीफ (ख़ास दुआएं जो रसूलुल्लाह के लिए कही जाती हैं और तोहफे के तौर पर महबूब रूह को भेजी जाती हैं) उन्हें पढ़ा या बयान किया जाए उन फिस्क की जगहों पर, चाहे वो पूरी इज़ज़त के साथ क्यों न अदा की जाए। (फिस्क की जगह वो जगह होती है जहाँ गुनाह किए जाते हैं।) ये कुफ़्र (बेईमानी) है अगर इसे ख़ुशी या तफरीह के लिए किया जाए। ये लिखा हुआ है **दुर्-उल-मआरिफ़** के छठे सफेह पर: “संगीत के औज़ार और औरतों और लड़कों की आवाज़ें गीना (गुनाह वाला संगीत) और हराम है। इस्तेमाल वाली शायरी सिमा और मुवाह है, अगर नहीं तो इसको अदा किया जाए (इस तरीके से और) ऐसी आवाज़ों के साथ।”

72- ख़ुदकुशी करना यानी अपने आपको मारना ये इन्सान के क़ल से भी बड़ा गुनाह है। एक ख़ुदकुशी क़ब्र में दोज़ख़ की सख्तियों का सबब बनती है। अगर वो उसी वक़्त नहीं मर जाता और तौबा कर लेता है, तो उसके

सारे गुनाह भुला दिए जाते हैं। उसको फिर अपनी कब्र में अज़ाब को नहीं झेलना पड़ता। [दुरुस्त होना (सही होना) तौबा का जो नमाज़ें छोड़ने के लिए मांगी उसकी इत्तेफ़ाक़िया तौर पर (अदा की जाए) कज़ा अदा की जाए। एक शख्स जो कज़ा अदा करनी शुरू करता है (उन नमाज़ों की जो उसने छोड़ी हैं) वो साफ़ तरीक़े से नीयत करता है के वो मरते दम तक अपनी कज़ा नमाज़ें अदा करेगा। उसकी इस नीयत के बदले, उसकी सारी कज़ा नमाज़ों के कर्ज़ें भूला दिए जाते हैं। इसी तरह, मान लो एक मुशिरक़ एक ईमान वाला बन जाता है और अपने काफ़िर होने की या शिर्क़ रखने की (दीन से फिरना जिसे कहते हैं) विदअत करने की तौबा माँगता है दीन के ख़िलाफ़ होने के लिए, वो साफ़ तौर पर नीयत करते हैं के दोबारा काफ़िर और विदअती नहीं बनेंगे, अलग-अलग, और दोबारा वो बुरे काम नहीं करेंगे जो उन्होंने अपने मज़हब से ख़िलाफ़ वरज़ी के पुराने दिनों में किए थे। इस नीयत (ख़ालिस इरादे) के बदले, उनको सारे गुनाह भूला दिए जाते हैं।]

अवरत अज़ू और औरतों का अपने को ढाँपना

ये ऐसे इर्शाद किया गया है निकाह वाले बाव में (शादी का समझौता जो इस्लाम के ज़रिए बताया गया है) एशी'अत-उल-लेमे'अत नाम की किताब में (जो के लिखी है अबद-उल-हक़ देहलवी 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि', ने 958 [1551 A.D.] - 1052 [1642] में):

1- अबू हुरेरा 'रज़ि-अल्लाहु अनह' ने बयान किया: कोई रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के पास आया और कहा: "मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो अंसार से हो।" मुबारक रसूल ने इर्शाद फरमाया:

लड़की को देख लो [एक बार]। वहाँ पर आँखों में कुछ है (वो लोग जो तअल्लुक रखते हैं) अंसार के कबिले में।” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला सही-ए-बुखारी नाम की किताब से लिया गया है। ये सुन्नत है के शादी से पहले एक बार लड़की को देख लिया जाए।

2- अब्दुल्लाह इब्नी मसूद ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “औरतों को अपने शौहरों को दूसरी औरतों की खूबसूरती और अच्छाईयाँ नहीं बतानी चाहिए जिन्हे उन्होंने देखा हो। ये ऐसा ही है जैसे के उनके शौहरों ने उन औरतों को देखा।” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला सही-ए-बुखारी और सही-ए-मुस्लिम नाम की किताबों में दिया गया है।

3- अबू-सईद-ए-हुजरी ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ (d. 64 [683 A.D.]) ने बयान फरमाया: “रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “एक आदमी को दूसरे आदमी के अवरत अज़ू को नहीं देखना चाहिए, और एक औरत को दूसरी औरत के अवरत अज़ू को नहीं देखना चाहिए।” ऐसा देखा गया है ये आदमियों के लिए हराम है के औरतों के और औरतों के लिए आदमियों के अवरत अज़ू को देखें, और इसी तरह ये हराम है आदमियों के लिए के दूसरे आदमियों के अवरत अज़ू को देखें और औरतों के लिए के वो दूसरी औरतों के अवरत अज़ू देखें। एक आदमी का अवरत अज़ू (जो के हराम है) दूसरे आदमी के लिए (उसको देखना) उसके घुटनों और नाफ के बीच में होता है। यही उसूल औरतों पर भी लागू होता है। एक औरत के अवरत अज़ू के लिए (जो के हराम है) आदमियों के लिए (उनपर देखना); वो उसकी पूरी जिस्म है हाथ और मुँह को छोड़के। इसलिए, औरतों को अवरत (तों) कहा जाता है। इसकी परवाह नहीं के एक औरत एक मुस्लिम है या गैर-

मुस्लिम, ये हराम है के नामहरम औरत के चेहरे को शहवा (हवस) से देखना, और उसके अवरत अजू को देखना हराम है चाहे बिना हवस के देखें।

4- जाविर-बिन अब्दुल्लाह ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ (शहीद कर दिए गए थे 74 में [693 A.D.] ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “एक नामहरम औरत के घर में रात मत गुजारो।”

5- अकाबा बिन अमीर ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “अकेले में एक कमरों में नामहरम औरत के साथ नहीं रुकना चाहिए! अगर एक औरत अकेले में अपने शौहर के भाई के साथ या उसके बेटे के साथ रुकती है, तो वो मौत की तरह दूर धकेल दी जाती है।” वो इस तरह, फितनों का सबब बनती है, (जिसका मतलब हुआ तवाहकुन नतीजा।) कोई कोशिश उसको छोड़ने की नज़रअंदाज़ नहीं की जाती। इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला सही-ए-बुखारी और सही-ए-मुस्लिम में किया गया है।

6- अब्दुल्लाह इबनी मसऊद ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “एक औरत का शरीर अवरत है।” इसलिए, उसको ढाँपना ज़रूरी है। “जब एक औरत बाहर जाती है, शैतान उसको हर वक़्त देखता रहता है।” (वो इस तरह, वो उसे इस्तेमाल करता है फ़साने के लिए आदमियों को धोखे से और उनको गुनाह करने की तरफ ले जाता है।)

7- बुरेदा ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया हज़रत अली से: “या अली! जब तुम किसी औरत को देखो तो अपना चेहरा उसकी तरफ से मोड़

लो। उसकी तरफ दोबारा मत देखो! ये कोई गुनाह नहीं है उसको बेध्यानी में देखना। हालांकि ये गुनाह है के उसको दोबारा देखना।” इसका हवाला अबू दाऊद और दरिमी के ज़रिए दिया गया।

8- अली ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने वयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “या अली! अपनी रान किसी को मत दिखाओ, और न ही किसी की रान देखो, मुरदा या ज़िन्दा की।” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला अबू दाऊद के ज़रिए और इब्नी मआजा के ज़रिए किया गया। बहरहाल, एक मुर्दा शख्स के अवरत अज़ू को देखना ऐसा ही है जैसे के एक ज़िन्दा शख्स के अवरत अज़ू को देखना। [खिलाड़ियों और तैराकी करने वाले लोगों के अवरत अज़ू को देखना हमें कतई तौर पर नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए।]

9- अब्दुल्लाह इब्नी उमर ‘रज़ि-अल्लाहु अनहुमा’ (d. 73 [692 A.D.], मक्का) ने वयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “अपने अवरत अज़ू को मत दिखाओ! [चाहे तुम जब अकेले हो तबभी उनको मत दिखाओ।] क्योंकि, यहाँ पर ऐसी मख़्तूक भी है जो तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ती। उनकी मौजूदगी में शर्म महसूस करो और उनकी इज़्ज़त करो!” वो फरिश्ते हैं जिन्हें हाफ़ाज़ा कहते हैं, जो तुम्हें जिनों से बचाते हैं और जो तुम्हें सिर्फ़ उस वक़्त छोड़ते हैं जब तुम बैतुलग़बला में हो या जिसका वास्ता शादी से हो वो काम चल रहे हो।

10- उम्मत-ए-सलमा ‘रज़ि-अल्लाहु अनहा’ ने वयान किया: मेमूना ‘रज़ि-अल्लाहु अनहा’ और मैं रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के साथ थी, जब इब्नी उम्म-ए-मख़्तूम ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने (अंदर आने की) इजाज़त के लिए पूछा और अंदर आ गए। जब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने उन्हें देखा तो हमसे कहा: “परदे के पीछे छुप जाओ!” तो जब मैंने

कहा, “क्या वो अंधे नहीं है? वो हमें नहीं देख सकते”, क्या तुम भी अंधी हो? क्या तुम उनको नहीं देखोगी”, सबसे प्यारी तख़लीक ने कहा। दूसरे लफ़्ज़ों में उन्होंने कहा, “उनका अंधा पन तुम्हें अंधा नहीं बना सकता।” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला इमाम अहमद के ज़रिए और तिरमुज़ी के ज़रिए और अबू दाऊद ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ के ज़रिए दिया गया। इस हदीस-ए-शरीफ के मुताबिक, जैसा के एक आदमी के लिए हराम एक औरत को देखना जो के उसके लिए नामहरम है, इसी तरह एक औरत को इजाज़त नहीं है एक आदमी को देखना जो के उसके लिए नामहरम है। इसी तरह हमारे चारों मसलकों के इमाम (आलिम) ‘रहीमा-हुमुल्लाहु तआला’, ने दूसरी हदीस-ए-शरीफों पर गौर किया, और कहा: ये एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है के किसी नामहरम आदमी के सिर और वालों को न देखना। फरमान जिनका करना मुश्किल हो वो ‘अज़ीमत’ है। एक औरत के लिए एक आदमी के अवरत अज़ू उसकी नाफ और घुटनों के बीच में होते हैं ये बहुत आसान है उन हिस्सों को न देखना। फरमान जो के करने में आसान है **रुख़सत** है।

[ऐसा देखा गया है, के अज़वाज-ए-ताहिरात (पाक वीवियाँ हमारे मुबारक नबी की, यानी मुस्लिम मॉए,) ‘रज़ि-अल्लाहु अनहुम’ और सहाबा-ए-ई कराम ‘रज़ि-अल्लाहु अनहुम’ ने अज़ीमत का रास्ता अपनाया और रुख़सत को नज़रअंदाज़ किया। ये हिदायत जो इस बात पर बहस करता है के औरतें “नबी के वक़्त में अपने आपको ढकती नहीं थी। आज के नाटकीय तमाशों में जिसमें हम औरतों को देखते हैं के अपने आपको जिनों की तरह ढकी हुई हैं इस तरह उस ज़माने में नहीं था। हज़रत आयशा, एक बार, खुले सिर बाहर गई थी। आज का रिवाज औरतों को अपने आपको ढकने का वो बाद में धर्मात्माओं और फ़िक्ह के लोगों ने ईजाद किया,” ये एक ख़ौफनाक इलज़ाम है जो अंग्रेज़ों ने साज़िश करके फैलाया और उनका असली मक़सद है इस्लाम को यहाँ से पूरे तौर पर ख़त्म कर दें **जिन्दीक** के ज़रिए। ये सही है के औरतों को अपने

को ढकना पहले का कोई इस्लामी फरमान नहीं है। ये तीसरे और पाँचवे हिजरा (हिजरत) के बीच के वक़्त की बात है जब औरतों को हुक्म हुआ अपने आपको ढकने का। बावनज़ादा अहमद नईम बैग़ (1290 [1872 A.D.] - 14 अगस्त 1352 [1934], इदिरनेकापी, इस्तानबुल) ने अपनी (टर्कीश) किताब जिसका नाम **तेकरीद-ए-सरीह तेरजीमेसी** है उसमें लिखा के हिजाब की आयात (औरतें अपने आपको ढकें) अहिस्ता-अहिस्ता बेजोड़ तरीक़े से तीन अलग-अलग मौकों पर ज़ाहिर हुई।

11- बैहज़ विन हकीम, तावाईन के सबसे बड़े लोगों में से हैं ने, बयान किया अपने बाप और दादा के हुक्म पर: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “अपने अवरत अज़ू को ढको! किसी को उनको देखने मत दो, अपनी बीवी और जारियाओं को छोड़कर! इसी तरह अल्लाहु तआला की मौजूदगी में भी शर्म करो!” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला तिरमुज़ी के ज़रिए, अबू दाऊद के ज़रिए और इबनी माजा ‘रहीमा-हुमुल्लाहु तआला’ के ज़रिए हुआ। जारिया कहते हैं **मुल्क-ए-येमिन**, जिसका मतलब है मुल्क (माल) सीधे हाथ का। क्योंकि, एक जारिया का मुआएना सीधे हाथ से किया जाता है ख़रीदारी के दौरान, और जारिया के लिए जो पैसा अदा किया जाता है वो सीधे हाथ से किया जाता है।

12- उमर-अल-फारूक ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “अगर एक आदमी हलवत करता है एक औरत के साथ जो के उसके लिए नामहरम है, (यानी अगर वो और औरत एक साथ एक कमरे में रहते हैं जिसमें उनके साथ और कोई नहीं है,) तो शैतान उनके साथ तीसरे शख्स की तरह शामिल हो जाता है।” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला तिरमुज़ी ने दिया। [ये हाराम है के एक नामहरम औरत के साथ हलवत की जाए, यानी एक आदमी और एक औरत

के लिए बंद जगह में तन्हाई में रहना। इवनी आबिदिन ने इर्शाद फरमाया इस तरह अपनी तकरीर में इमाम बनने पर: “अगर वहाँ पर एक और आदमी या एक औरत है जो उस (पहले) आदमी के रिश्तेदारों में से है जिन्हें ज़ी-रहम-ए-महरम, कहते हैं, ये वाक्या हलवत नहीं है।”]

13- जाविर बिन अब्दुल्लाह ‘रज़ि-अल्लाहु अनहा’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: “उन औरतों को देखने मत जाओ जिनके शौहर बाहर है। इस वास्ते (अगर तुम ऐसा करते हो) तो शैतान तुम्हारी नसों में खून बनकर फिरेगा।” जब उन्होंने कहा, “क्या आपके अंदर भी ऐसे ही दौड़ता है,” तो अल्लाहु तआला के महबूब ने इर्शाद फरमाया: हाँ। वो मेरे अंदर भी ऐसे ही फिरेगा। अब तक अल्लाहु तआला उसके खिलाफ मेरी मदद करते आए हैं। उसने उसको एक मुस्लिम बनाया, इसलिए वो मेरे आगे अपने हथियार डाल देता है।” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला तिरमुज़ी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने दिया।

14- उम्म-ए-सलमा ‘रज़ि-अल्लाहु अनहा’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ मेरे साथ थे (मेरे कमरे में)। मेरे भाई अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या का गुलाम भी कमरे में था। वो गुलाम मुहाननेथ (औरत नुमा) था। जब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने उस औरत नुमा शख्स को देखा और उसकी आवाज़ सुनी तो कहा: “ऐसे लोगों को अपने घर में मत आने दो!” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला सही-ए-बुख़ारी और सही-ए-मुस्लिम में है। मुहाननेथ एक आदमी (या लड़का) है जिसका चलन, हरकतें, बातें, आवाज़ और कपड़े सब एक औरत की तरह हो। लोग जो ऐसा करते हैं उनपर लानत है। एक हदीस-ए-शरीफ में उनके बारे में ऐसे इर्शाद है: “अल्लाह उन आदमियों को बुरा कहे जो अपने आपको औरतों की तरह बनाए और औरतों को जो अपनी सूरत आदमियों की तरह बनाए।” औरतें जो कपड़े पहनती हैं

आदमियों की तरह और बाल कटवाती है आदमियों की तरह और वो काम करती है जो आदमियों के ज़रिए किए जाते हैं और आदमी जो अपने बाल लम्बे रखते हैं औरतों की तरह और अपने आपको औरतों की तरह चाहते हैं, बिना किसी उज़र के उनको मजबूर करना ऐसा करने के लिए, ये इस हदीस-ए-शरीफ के दायरे में आता है। मिस्वेर बिन महरमा ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ की पैदाइश हिजरत (हेगिरा) के दूसरे साल में हुई थी। वो अबद-ऊर-रहमान बिन औफ़ की बहन ‘रज़ि-अल्लाहु अनहुमा’ के बेटे थे। उन्होंने बयान किया: मैंने एक बड़ा पथर उठाया हुआ था, तभी जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो गिर गए। मैं उनको उठाने में नाकाम रहा। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने मुझे इस हालत में देखा और इर्शाद किया: **“अपने कपड़े ऊपर उठाओ! बिना कवर के बाहर मत जाया करो!”** इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला सही-ए-मुस्लिम में है। इस हदीस-ए-शरीफ में दोनों आदमियों और लड़कियों को मना है बिना किसी कवर के सड़कों या साहिलों या खेल के मैदानों में जाना।

16- अबू उमामा ‘रज़ि-अल्लाहु अनह’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: **“अगर एक शख्स जो एक लड़की की खूबसूरती देखता है और अपनी आँखें उससे फेर लेता है, तो अल्लाह तआला उसको सवाब बख़्शते है एक नए इबादत के काम के लिए और वो फौरन उस ज़ायके का मज़ा चख लेता है।”** इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला इमाम अहमद बिन हनबल ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ने दिया।

17- हसन बसरी ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ ने बयान की मंदरजाज़ेल हदीस-ए-मुरसेल: [बराए मेहरबानी सआदत अबदिया के दूसरे हिस्से के छोटे बाव को कई तरह की हदीस-ए-शरीफों के लिए देखिए।] रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: **“अल्लाहु तआला उस एक शख्स पर बुराई भेजें जो अपने अवरत अज़ू को खोले और दूसरे के अवरत**

अज़ू को देखें!” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला इमाम बएहाकी ने अपनी किताब जिसका नाम **शुअब-उल-ईमान** में किया है ।

18- अब्दुल्लाह इब्नी उमर ‘रज़ि-अल्लाहु अनहुमा’ ने बयान किया: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: **“अगर एक शख्स अपने आपको एक ख़ास कबिले (लोगों के समूह) से मिलाता है, तो वो उनमें से एक बन जाता है!”** इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला इमाम अहमद के ज़रिए और अबू दाऊद ‘रहीमा-हुमुल्लाहु तआला’ के ज़रिए हुआ। इसका मतलब ये हुआ कहना के वो एक शख्स जो अपनी आदत, अपनी हरकतें, या कपड़े है इस्लाम के दुश्मनों की तरह पहनता है, वो उनमें से एक बन जाता है। [ये हदीस-ए-शरीफ उन लोगों के लिए चेतावनी है जो काफ़िरों के ढंग के साथ चले और जो हराम को ‘नफ़ीस हुनर’ कहें और उन लोगों को जो हराम करें उन्हें ‘फंकार’ बुलाएं।]

19- अम्र शुऐब ने बयान किया अपने बाप और दादा के हुक्म पर: रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने इर्शाद फरमाया: **“अल्लाहु तआला उन तुहफों को देखना पसंद करता है जो उसने अपने बन्दे को दिए।”** इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला तिरमुजी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ के ज़रिए हुआ। ऐसा देखा गया है, अल्लाहु तआला पसंद फरमाता है (एक शख्स के) कपड़े अच्छे और साफ हों। वो पसंद करता है एक शख्स को जो उन्हें बनाता है (और एक जो उन्हें पहनता है) अपने तोहफे को दिखाने के सबब। वो नापसंद करता उस एक शख्स को जो उन्हें बनाता है (और एक जो उन्हें पहनता है) अपने हल्के पन की वेजा तारीफ़ करने के लिए। इसकी इजाज़त नहीं है के अल्लाहु तआला के नवाज़े गए तोहफे को छुपाया जाए। इसी तरह, इल्म वाला होना भी एक तोहफा है अल्लाहु तआला के ज़रिए बख़्शा गया।

20- जाविर बिन अब्दुल्लाह 'रज़ि-अल्लाहु अनह' ने बयान किया: रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' हमारे घर आए। वहाँ पर घर में एक शख्स था बिखरे वालों के साथ जब नबी ने उसको देखा तो कहा: “क्यों ये कोई ऐसी चीज़ ढूँढने में नाकाम रहा जिससे ये अपने बाल संवार सकता?” जब आप किसी को गंदे कपड़ों के साथ देखते तो फरमाते: “क्या इसके पास कोई चीज़ नहीं थी जिससे ये अपने कपड़े धो सकता?”

21- अबू-ए-एहवेस, ताबईन में एक ने अपने बाप के हुक्म देने के अधिकार पर बयान किया: मैं रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के घर गया। मेरे कपड़े पुराने और फटे हुए थे। “क्या तुम्हारे पास जाएदाद नहीं है,” आपने पूछा। मैंने कहा मेरे पास जाएदाद है। आपने दोबारा पूछा: “किस किस की जाएदाद तुम्हारे पास है?” “मेरे पास सब तरह की जाएदाद है,” मैंने कहा। इसपर सब मख़्लूकों में अव्वल ने फरमाया: “जब अल्लाहु तआला ने दी है (तुम्हें) जाएदाद, तो वो इसकी निशानी तुम पर देखना चाहता है!” इस हदीस-ए-शरीफ का हवाला इमामा अहमद के ज़रिए और नेसाई 'रहीमा-हुमुल्लाहु तआला' के ज़रिए हुआ। यहाँ हम अपना तर्जुमा जो एशीअत-उल-लेमेअत नाम की किताब के तीसरे हिस्से से लिया ख़त्म करते हैं।

22- यूसुफ़ करदवी की अल-हलाल-ऊ-व-ल-हराम-ऊ-फी-ल-इस्लाम नाम की किताब में मंदरजाज़ेल तरीके से इर्शाद हुआ: इस्लाम मज़हब ने एक औरत को अपने आपको ऐसी चीज़ से ढकने को मना फरमाया है जो इतनी बारिक हो जिससे ये ज़ाहिर हो के अंदर क्या है। ये एक हदीस-ए-शरीफ में इस तरह इर्शाद हुआ है जिसकी हवाली सही-ए-मुस्लिम और मुवत्ता नाम की किताबों में दी गई है: “औरतें जो ढकी हुई होती हैं (लेकिन) गंगी होती हैं और (औरतें) जिनके सिर ऊपर की तरफ फूले हुए होते हैं ऊँटों के कुब्बड़ की तरह वो जन्नत में नहीं जाएंगी। उनको जन्नत की खुशबू तक हासिल नहीं

होगी। दूसरी तरफ, जन्मत की खुशबू बहुत दूर जगहों पर जाएगी।” ये हदीस-ए-शरीफ औरतों को मना करती है बारिक, आर-पार दिखने वाले और बहुत ज़्यादा तंग कपड़े पहनने को, मोड़े और सिर में बैण्ड और अपने बालों को सिर के ऊपर गेंदों की तरह बाँध कर रखने को मना करती है। इस तरह सजना (ऐसा गुनाह है जैसे) बाहर नंगे जाना। मुस्लिम औरतों और लड़कियों को बारिक और तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही अपने बालों को इस तरह बाँधना या विग में बालों को ऐसे पहनना जैसे ऊँट की तरह कुबड़ जैसी गेंदों को सिर पर रखना। उनको ये पता होना चाहिए के गुनाह वाले काम इतने ज़्यादा ख़राब है के वो एक शख्स को दोज़ख़ में ले जाने को काफी है।

[करदवी एक मज़हबी आदमी है बिना किसी एक ख़ास मसलक के जो पिछले मूल पाठ में इर्शाद किए गए। इस्लामी मज़हब ने ऐलान किया ये फ़र्ज़ है औरतों के लिए अपने आपको सही ढंग से ढँकना और जो कवर इस्तेमाल होगा उसे बयान किया। ये बयान इतनी तफ़सील से नहीं है के ऐसे बताए के कौनसे किस का सामान इसमें इस्तेमाल किए जाए या कपड़े या स्कर्ट या कोट जो पहने जाए। ये फिकह की किताबों में लिखा हुआ है के ये औरतों के लिए फ़र्ज़ है अपने आपको ढँकना (उस तरीके से जिस तरह बयान हुआ है) और जिस किस का कवर इस्तेमाल किया जाए या वो कपड़ा जो पहना जाए वो **मुन्नत-ए-जैवाईद** है, जो बदले में वो मुन्नते है जो रस्म से संबध रखती है इबादत के मुकाबले। इस मसले के लिए, जो कवर की किस इस्तेमाल की जाए वो ख़ासतौर पर उसमें से हो जो दस्तूर के मुताबिक हो। ये मकरूह है रस्मों को उस चीज़ में शामिल न करना जो इबादत से संबध नहीं रखती। दरहक़िकत, ये हराम है अगर इससे फितना पैदा हो। ये **हिंदिया** में इर्शाद है: “इसकी इजाज़त है के एक औरत को देखना जो कुछ मोटा और कुशादा हो। एक औरत जो तंग कपड़े पहने हुए है उसे देखने की इजाज़त नहीं है। ये हराम है एक औरत के चेहरे को हवस की निगाह से देखना जिसने अपने आपको कवर किया हुआ

हो (ढंग) से। ये मकरूह है विना हवस के भी उसको देखना अगर इसका कोई सबब न हो। एक जैसा उसूल लागू होता है गैर मुस्लिम औरतों को देखने के लिए। आलिमाना इर्शाद के मुताबिक, सिर्फ उनके बालों को देखने की इजाज़त है।”

पहनना एक कुशादा, मोटे और गहरे रंग के ऊपर से पहनने वाले कोट की तरह जो ऐंद्री की हड्डी तक हो और जिसमें बाजू और कलाईयाँ ढकी हो वो अच्छा है उससे (ऊपर से कपड़ा पहनना जिसे कहते हैं) एक चारशाफ (और) जो दो हिस्सों में बटा हुआ हो। ये **हलाबी-ई-कबीर** में इर्शाद है: “एक आज़ाद (मुस्लिम) औरत के बाल जो कान से नीचे आए वो (उसके अंदर) अवरत (अज़ू) में है, एक जैसी राय के मुताबिक (इस्लामी आलिमों के बीच में)। ऐसा ही मसला उसके उन अज़ू के साथ है जो हिस्से कान से नीचे लटक रहे हों आलिमों की अकसरिअत के मुताबिक। कुछ आलिमों के मुताबिक, लटकने वाला हिस्सा नमाज़ पढ़ने के दौरान अवरत नहीं होता। बहराल, इस बात की इजाज़त नहीं होती एक नामहरम आदमी के लिए के उसके उस हिस्से को भी देखे।” वो अपने सारे बालों को एक मोरे हैडगियर में कवर करके रखते हैं। हैडगियर के आगे वाले हिस्से के बीच का हिस्सा उसके माथे से चिपका होता है और भवों तक गया हुआ होता है, इसके दोनों हिस्सों को भवों के बाहरी हिस्से तक होना चाहिए उलटा मोड़के, उसे थोड़ी तक नीचे ले जाए, थोड़ी पर मिलाकर उसपर पिन लगा दी जाए और उसके सिरों को सिने तक लटकने दे; और उसकी पीछे वाली जगह का बीच का हिस्सा उसकी कमर के ऊपर के हिस्से को कवर करे। अगर ऐसा मुमकिन हो के फितना हो सकता है, तो गालों को भी ढक लेना चाहिए। उसको मोटे और गहरे मोज़े पहनने चाहिए। अगर एक चौथाई एक औरत के लटकने वाले बाल इतनी देर तक दिखे के एक रूकन (नमाज़ में), तो नमाज़ जो वो अदा कर रही है वो सही नहीं होगी। और ये मकरूह है अगर एक छोटा हिस्सा (इतना लम्बा) खुला

रह जाए। कोई एक भी इस्लामी किताब तफ़रका/फर्क नहीं करती जवान से बुढ़ों में औरतों की उम्र के मामले में। वहाँ पर इस्लामी आलिम है जो ये इर्शाद करते हैं के इसकी इजाज़त है एक बूढ़ी औरत के सलाम को कुबूल किया जाए या उसके साथ मुसाफ़ाह (हाथ मिलाया जाए) [बराए मेहरबानी **सआदत अबदिया** के तीसरे हिस्से का बासठवाँ बाब देखिए] या उसके साथ हलवत की जाए, (यानि उसके एक बंद कमरे में रहना;) इसके बावजूद कोई भी इस्लामी आलिम ये नहीं फरमाता के इस बात की इजाज़त है एक बूढ़ी औरत को के वो अपने बाल दिखाए या (उस आदमियों के लिए जो नामहरम है उसके लिए) देखना उसके (खुलें) बालों को। कुछ इस्लामी आलिम कहते हैं के एक ग़ैर मुस्लिम औरत के बाल को देखने की इजाज़त है। लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा के एक बूढ़ी मुस्लिम औरत के बाल देखने की इजाज़त है। वो इस्लामी आलिम जो कहते हैं इस बात की इजाज़त है एक बूढ़ी औरत के लिए के मस्जिद में अंदर जाना या एक कब्रिस्तान में जाना उन्होंने ये शर्त रखी के उसके बाल तरीके से ढके हुए होने चाहिए।

ये कहना सही नहीं है के, “ऐसे इर्शाद हुआ है सूरह अहज़ाब की उनसठवीं आयत में के मुस्लिम औरतों को अपने आपको पूरे तरीके से ढकना चाहिए **जिलबाब/हिजाब** के साथ। ये आयत उनको हुक्म देती है के अपने को चारशाफ़ से ढकों, जो दो हिस्सों पर मुबनी हो।” अगर ये आयत हुक्म देती (औरतों) को चारशाफ़ पहनने का, तो रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की नवाज़ी गई वीवियाँ और सहाबा ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अनहुम अजमईन’ की वीवियाँ चारशाफ़ पहनती। लेकिन कोई इस्लामी किताब से ये ख़बर नहीं मिलती के उन्होंने चारशाफ़ पहना हो। तुर्की की तफ़सीर वाली किताब जिसका नाम **तिबयान** है उसमें (इस आयत) को एक हुक्म की तरफ़ बताया गया के औरतों को “अपने सिरों को ढकना चाहिए।” ये इस तफ़सीर की किताब जिसका नाम **जिलालेन** है में है, (यानी जिलबाब,) सिर की पौशाक जो औरतें

पहनती है इस तरीके से के वो उनके चेहरे पर लटकती है। सावी ने इस तरह समझाया, कहा: “इसमे एक सिर की पौशाक और एक धीर थी, यानि एक कपड़े का टुकड़ा जो पौशाक के ऊपर पड़ा रहता है।” ये तफ़सीर की किताब जिसका नाम **रूह-उल-बयान** और **अबू-स-सूऊद** में मंदरजज़ेल तरीके से लिखा हुआ है: “जिलबाब/हिजान एक सिर की पौशाक है जो गौज़ के ऊपर रखकर सिर के चारों तरफ बाँधा जाता है ताकि बाल जो है बिखरे नहीं; जिलबाब/हिजाब गौज़ से चौड़ा होता है, ये सीने तक जाता है और जेएब को ढक लेता है, [यानि गर्दन खुला हुआ, छाती,] पौशाक की। इस आयत-ए-करिमा में औरतों को हुक्म दिया जाता है के अपने सिरों को ढको और पूरे जिस्मों को भी।” **ज़ैवाजीर** और **अल-फिकह-ऊ-अला-ल-मज़ाहिब-उल-अरबा** में एक हदीस-ए-शरीफ में बयान किया गया है जिससे ज़ाहिर होता के जिलबाब/हिजाब है (एक कपड़ा जिसे) आदमी भी पहनते हैं और समझाया के जिलबाब आदमियों के लिए एक लम्बी पौशाक जिसे कामिस (कैमिज़) कहते हैं। औरतों का बाहर जाने का एक जोड़ा जिसमें एक लम्बा कौट और एक मोटा सिर की पौशाक और एक किस्म का कपड़ा जिसे चारशफ़ कहते हैं और जो दो हिस्सों में बना हुआ है वो उसी तरह बराबरी से हुक्म को पहुँचाता है औरतों के अपने आपको ढकने में और जो ऊपर बताया गया है।” औरतों को अपने आपको अपनी मकामी रस्मों के मुताबिक ढक लेना चाहिए ताकि कोई फितना पैदा न हो। **सही-ए-बुख़ारी** नाम की किताब के छठे भाग के छव्विस्वें सफ़हे में लिखा हुआ है वो ये के एक आयत-ए-करीमा का हिस्सा जिसमें औरतों को अपने को ढकने का हुक्म था वो ज़ेनब ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अनहा’ के निकाह वाले दिन ज़ाहिर हुआ। निकाह हिजरा के तीसरे साल में हुआ था।]

एक शख्स जो मुस्लिम होने का इक़रार करता है उसको ये जानना चाहिए के जो कुछ वो कर रहा है वो इस्लाम की रज़ा के मुताबिक है के

नहीं। अगर वो नहीं जानता, तो अहल-ए-अस-सुन्नत के एक आलिम से पूछ कर याद कर सकता है या इन आलिमों के ज़रिए लिखी गई किताबों को पढ़कर। अगर जो वो करना चाहता है वो इस्लाम की रज़ा के मुतालिक नहीं है, तो वो गुनाहगार होने से या लामज़हबी होने से महफूस नहीं रह सकता। एक सच्ची तौबा रोज़ाना माँगनी होगी। एक गुनाह से भरा हुआ या ग़ैर मज़हबी काम हर हाल में माफ़ किया जा सकता है (अल्लाहु तआला के ज़रिए) अगर उसके लिए तौबा की जाए। अगर तौबा न की जाए, तो दुनिया में और दोज़ख़ में अज़ाब है, यानी सज़ा झेलनी/भूगतनी होगी। सज़ाए जो दी जाए वो मौजूदा किताब में जगह-जगह लिखी हुई है।

मर्दों और औरतों के जिस्मों के हिस्सों जो ढके हुए हो जब नमाज़ अदा कर रहे हो और जिन्हें **अवरत अज़ू हिस्से** कहा जाता है। “**ये हaram है अपने अवरत अज़ू को दिखाता या दूसरों के देखना (खुले हुए) अवरत अज़ू।**” ये एक आदमी के लिए सुन्नत है अपने पाँव को ढकना (मिसाल के तौर पर मौज़े पहनना) जब वो नमाज़ अदा कर रहा हो। एक शख्स जो कहे के इस्लाम में कोई अवरत अज़ू नहीं है वो काफ़िर बन जाता है। हमारा मज़हब हमें हुक्म देता है के हम अपने अवरत अज़ू को ढकें। एक जगह जहाँ पर एक आदमी या औरत अपने अवरत अज़ू को दिखाए या जहाँ पर संगीत की साज़ बजाए जाए और या लोग जुआ खेलें और नशीली चीज़ें पीए और लोग औरतों को सुनें गाना गाते हुए वो **फिस्क की जगह** है। फिस्क की जगहों पर जाना हaram है। दिल भी पाक होना चाहिए। दिल का पाक होने से मतलब है इल्मे अख़लाक़ का ख़ूबसूरत होना। दिल पाक होगा इस्लाम की फरमावर्दारी करने से। लोग जो इस्लाम के नाफरमावर्दार है उनके दिल पाक नहीं होते। अगर एक शख्स कहे, “हलाल”, जिस्म के किसी भी एक अज़ू को दिखाने के लिए जिनको अवरत कहा जाए ‘इजमा’ के ज़रिए (इस्लामी आलिमों की सामूहिक राय), यानि जो चारों मसलकों में अवरत है, या दूसरे के अवरत अज़ू को देखने के बारे में,

यानी अगर वो डरता नहीं है के अपने इस गुनाह भरे काम से उसे अज़ाब की सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी, तो वो काफ़िर बन जाता है। यही वाला उसूल उन औरतों पर लगता है जो अपने अवरत अज़ू को दिखवाती है, गाना गाती है या मौलीद गाती है आदमियों की मौजूदगी में। एक आदमी के जिस्म के अज़ू जो उसकी रान और घुटनों के बीच में है सिर्फ़ हनवली मस्लक में अवरत नहीं है।

एक शख्स जो कहे, “मैं मुस्लिम हूँ” उसे ईमान और इस्लाम और फराइज़ और हराम के लाज़मी याद करने पढ़ेंगे जो चारों मस्लकों ने एक राय होकर पढ़ाए हैं, यानी इजमा (सामूहिक राय) के ज़रिए तालिमात और उनको आला मकाम पर रखे। ये कोई उज़र नहीं के उनको नहीं जानना। वो ये, ये इस तरह है के उसको जानना और इंकार करना। **“एक औरत का पूरा जिस्म, हाथ और मुँह छोड़कर अवरत है, (वो ये, उनको ढको,) चारों मस्लकों में।”** अगर एक मुस्लिम बेपरवाह होकर अपने जिस्म का एक अज़ू दिखवाता है जिस पर कोई इजमा नहीं है, यानी ये अवरत नहीं है उन तीनों मस्लकों में से एक के मुताबिक, वो एक बहुत बड़ा गुनाह करता या करती है अपने मस्लक के मुताबिक, हालांकि वो कोई काफ़िर (नास्तिक) नहीं बन जाता। इसकी एक

मिसाल है के आदमी अपने रानों और घुटनों के बीच के अज़ू को दिखवाए। ये एक मुसलमान के लिए फर्ज़ है के जो उसे नहीं पता उसे याद करे। जब एक बार वो इसके बारे में सीख जाए तो फौरन तौबा कर लें और अपने अज़ू को ढक लें।

एक ईमान वाले की लियाक़त

यहाँ पर सात हुक्क है जो के एक ईमान वाला मानता है दूसरे ईमान वाले के हवाले के साथ:

उसके बुलावे/दअवत में हिस्सा लेना:

इयादत, [यानी जब वो बीमार हो तो उसे मिलने जाओ।]

उसके मरने में जाओ और हिस्सा लो।

उसको मश्वरे दो।

उसको इस तरह सलाम करो (जैसे के पढ़ाया गया सआदत अबदिया के तीसरे हिस्से के बासठवें बाब में।)

उसको ज़ालिम के जुल्मों से बचाना।

“य-र-हमुकल्लाह”, कहना जब वो, “अल-हमद-ऊ-लिल्लाह,” कहना।

अच्छे ईमान वाला वो है जो मंदरजाज़ेल छः हुनर को पूरा करे:

वो इबादत अदा करे। जो इल्म याद करे। वो बुराई न करे। वो हराम को छोड़े। वो किसी के माल पर लालची निगाह न रखे। वो मौत को कभी नहीं भूलता।

एक नोट: ये एक हदीस-ए-शरीफ़ में लिखा हुआ है: “हर एक उन लोगों को पसंद करता है जो उनपर कोई इनायत करे। ये इच्छा हर इंसान की फ़ितरत में पैदाइशी होती है।” एक शख्स जो अपने नफ़स की इच्छाओं को खुश करता है उन लोगों को पसंद करता है जो उसके नफ़स की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। एक अकलमंद और आलिम शख्स, दूसरी तरफ़, उन लोगों को पसंद करता है जो उनको एक काश्तकार शख्स बनने में मदद करते हैं। इसका खुलासा इस तरह है, अच्छे लोग अच्छे लोगों को ही पसंद करते हैं। बुरे लोग बुरे लोगों को ही पसंद करते हैं। किस तरह एक ख़्वास शख्स

को ध्यान से देखकर वो साफ कर सके जिन लोगों को वो पसंद करता है और फौकियत देता हो अपना दोस्त बनाने पर। हमें हर एक को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और मीठे लफ्ज़ों के साथ बरताव करना चाहिए, दोस्त और दुश्मन दोनों को एक बरताव करना चाहिए, दोस्त और दुश्मन दोनों को एक समान, और मुस्लिम और गैर मुस्लिम को एक समान, बीदअती लोगों के अलावा। सबसे ज़्यादा फायदेमंद इनायत जो इन लोगों को बख़्शी जाए और सबसे कीमती तोहफ़ा जो उन्हें दिया जाए वो है उनके साथ खुशदिली से बात करना उनको मुस्कुराकर देखना। जब हम देखते हैं एक शख्स को बैल की पूजा करते हुए, तो हमें चाहिए उस बैल के मुँह में भूसा गिरा दें, इससे हम उसकी दुश्मनी से बच सकते हैं। हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। झगड़ा दोस्ती को कमज़ोर करता है और दुश्मनी को और बढ़ाता है। हमें किसी के साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा नसों और दिल की बीमारियों को पैदा करता है। एक हदीस-ए-शरीफ विचार बदलती है: **“गुस्से वाले मत बनो!”** (इस हदीस-ए-शरीफ में मुबारक नबी ने मश्वरा दिया है के गुस्से को नज़रअंदाज़ करो।)

एक शख्स अच्छा हो सकता है (और फायदेमंद) अगर वो चार चीज़ें छुपा ले:

- 1- अपनी गरीबी;
- 2- अपनी ज़कात;
- 3- अपनी तकलीफ़;
- 4- अपनी परेशानी।

जन्नत चार लोगों के लिए बैचेन होती हैं:

- 1- एक शख्स जिसकी ज़वान ज़िकर करती है।

2- एक शख्स जो एक हाफिज़-ए-कलाम उल्लाह हो ।

3- एक शख्स जो लोगों को खिलाता हो ।

4- एक शख्स जो रमज़ान के मुबारक महिने में रोज़े रखे ।

हर एक शख्स नीचे लिखी हुई सात बातें कहने से अपने को न रोके:

वो जब भी कोई काम शुरू करे तो बिस्मिल्ला-ए-शरीफ़ पढ़े (अच्छा, फायदेमंद, या इजाज़त वाला काम) । (कहना या करना बिस्मिल्ला का मतलब है ये कहना, “बिस्मिल्लाह-ईर-रहमान ईर-रहीम ।”)

उन्को कहना चाहिए, “अल-हमद-ऊ-लिल्लाह,” जब वो कही से आर पार हो (अच्छा या फायदेमंद या इजाज़त वाला ।)

वो बहुत ज़्यादा उसके साथ बोले, “इनशा-अल्लाह,” जब वो कहे, मिसाल के तौर पर मैं जाऊँगा (एक ख़ास जगह पर ।)”

उन्को कहना चाहिए, “इन्ना लिल्लाह-वा-इन्ना इलैहि राजेऊन,” जब भी वो कोई बुरी ख़बर सुने ।

उन्को तौबा और अस्तग़फ़ार करनी चाहिए जबभी वो कहें (या करें) कोई ग़लत काम । (तौबा करने का मतलब है अपने किसी ख़ास गुनाह के लिए पछताना, और ठान लेना और अल्लाहु तआला से वादा करना के वो गुनाह दोबारा नहीं करेगा । अस्तग़फ़ार करने का मतलब है ये कहना, “अस्तग़फ़िरुल्लाह,” और इसलिए अल्लाहु तआला से माफ़ी माँगना ।)

उनको हमेशा कलिमा-ए-तय्यबा कहना चाहिए, यानी कहे,
 “लाइलाहा-इल्लल्लाहु वाहदहू ला शरीका-लेह-लेहुल-मुलकू वा-लेहुल-हमदू-
 वाहुवा अला कुल्ली शेईन-कदीर ।”

उन्हें हमेशा कलिमा-ए-शरीफा बोलना चाहिए यानी कहे, “अशहदु
 अन लाइलाहा-इल्लल्लाह वा अशहदु अनना मुहम्मदन अबदुहू वा रसूलुह ।”

इनको मंदरजाज़ेल दिन और रात कहना चाहिए:

1- “अस्तग़फ़िरुल्लाह ।”

2- “सुबहान-अल्लाही व लहमद-उ-लिल्लाही व ला-इलाहा-इल्लल्लाहु
 वल्लाहु अकबर वा-ला होला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह-इल अलय-ईल-
 अज़ीम ।”

अख़्लाक-ए-हमीदा का बयान

(काबिल-ए-तारीफ़ मुहज़ज़ब गुण)

वहाँ पर कुछ बाहत्तर मुहज़ज़ब गुण हैं जो एक शख्स पर प्यारे हैं:

ईमान; अहल-अस-सुन्नत का एतेकाद; इख़्लास, अहसान, तेवाद्द;
 ज़िक्र-ए-मिन्नत; नसीहत; तसफीया; ग़ैरत; ग़ीबत; सेव्वा; इसार; मुरव्वत;
 फुतूवत; हिकमत; शुक्र; रीदा; सब्र; ख़ौफ़; रैजा; बुग़द-ए-फिलाह; हुब्ब-ए-
 फिलाह; हमूल; इस्तीवा-ए-ज़ैम वा मैज़; मुजाहदा; सा-ए-क़सद; अमाल; ज़िक्र-
 ए-मौत; तफ़वीज़; तसलीम; तलब-उल-इलम; सेला-अहद; इंजाज़-ए-वाद;
 हुस्न-ए-ख़ुलक़; जुहद; कनाअत; रूश्द; सई-ए-फी-ल-ख़ैरात; रीक्कत; सवेक़;
 हया; थेवात-ए-फी एमरील्लाह; आऊज़ो बिल्लाह; शेवकु इला-लीकाइल्लाह;

वकार; ज़कावत; इस्तीकामत; अदब; फीरासत; तवक्कुल; सीदक; मुरावाता; मुराकवा; मुहासवा; मुआतवा; कज़म-ए-रौज़; हुब्ब-ए-तुल-ए-हयाती-ली इबादतीही; तौबा; खुशूअ; यकीन; उबुदीयात; मुकाफत; रियायत-ए-हुकुक-ए-ईबाद।

तेवदू का मतलब है आजज़ी; ज़िक्र-ए-मिन्नत का मतलब है हर ताअत को जानना (अल्लाहु तआला की फरमावरदारी का काम) फर्ज है रहनुमाई तक, मददगार और रहमदिल अल्लाहु-अज़ीम-उस-शान की तरफ से और शुक्र मनाओ (अल्लाह तआला का) उसके लिए; नसीहत का मतलब है अपने मुस्लिम भाई को नसीहत करना; तसफीया का मतलब है अख़लाक़-ए-जेमिमा (बुरे मुहज़ब गुण) को अपने दिल से निकालना और अख़लाक़-ए-हमीदा से इसको सजाना, ग़ैरत का मतलब है अपने ईमान की हिफ़ाज़त करना; ग़ीबत का मतलब है जो इनाएते किसी और ने हासिल की है उनको शौक से चाहना; सेख़ा और फ़तूवत (दोनों का) मतलब है सखावत; इसर का मतलब है अपने मोमिन भाई की परेशानी के लिए कोई हल सोचना; मुरव्वत का मतलब है इंसानियत की तरफ अपने फर्ज निभाना; हिक्मत का मतलब है अपने इल्म-ए-हाल को जानना (इस्लामी तालिमात मुसलमानों के मज़हबी फराइज़ से ताअलुक रखने वाली) और अपने इल्म की मशक़त करना; शुक्र का मतलब है बरक़तों को इस्तेमाल करना जगहों पर (और इस तरह से) बयान की गई है (इस्लाम के ज़रिए से); रीदा का मतलब है अल्लाहु तआला ने जो पहले से तुम्हारे लिए बन्दोबस्त किया है उस पर खुश रहो और सब का मतलब है आफ़तों के लिए सब रखना।

[रियायत-ए-हुकुक-ए-इबाद का मतलब है (अल्लाहु तआला के) बंदों (यानी लोगों) के हुकुक की निगेहबानी रखे। सबसे ख़ास इन बन्दों के हुकुक में से वो है वालदैन् के हुकुक। मीठे बोलों के साथ और एक मुसकुराते हुए चेहरे

के साथ हमें उनकी मदद के लिए भागना चाहिए और उनका दिल जीतने के लिए हमें खुदको सबसे अच्छा दिखाना चाहिए। उसके बाद जो हुकुक आते हैं वो हैं हमारे पड़ोसियों के हुकुक, उस्तादों के हुकुक, शादी के हुकुक, हमारे दोस्तों के हुकुक और हमारी सरकार के हुकुक। हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए या किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और हमें नापने वाले औज़ार सही इस्तेमाल करने चाहिए और मज़दूरों का पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना दे देना चाहिए। ये बदखुवाही है के हम अपने कर्ज़ न चुकाए या हम बस या उस जैसी और कोई चीज़ से सफ़र करे और किराया अदा न करें। सरकार को टैक्स अदा न करने से हज़ारों लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। मान लो सरकार जुर्म करती है सज़्ज़ी बरतती है और इस वजह से जुल्म सहने वाले लोग रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर देते हैं, वो ये के इसकी इजाज़त नहीं है के वागियों की मदद की जाए **बरीका** नाम की किताब में लिखा हुआ है, उसके उस बाब में जो फितना के मुतालिक है और जो **फत्त्व-ए-हिंदिया** और **दुर्-उल-मुख्तार** में भी है। ये एक हदीस-ए-शरीफ में लिखा हुआ है: “अगर एक शख्स सरकार को धोखा देता है तो अल्लाह भी उससे बेवफ़ाई करता है।” यानी वो वागी को बेइज़्ज़त कराता है और उसे हकीर [नीबरास] बनाता है। इस मसअले के लिए, हमें इतवार को जाने नहीं देना चाहिए पामाली की तरफ और जो बरवाद इशाअत मुसलमानों को हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़काने वाली है और जो उन लोगों के ज़रिए चलाई जा रही है जिनका कोई ख़ास मज़हब नहीं है, जैसे के सैय्यद कुतुब और मौदूदी। बगावत ऐसी चीज़ नहीं है जो काबिले मंज़ूर हो, चाहे वो एक जुल्म करने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, और न ही इस बात की इजाज़त है के वागियों का साथ दिया जाए। इबनी आबिदिन ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’, जैसे के उन्होंने समझाया के ये हराम है आदमियों का रेशमीन कपड़े पहनना, ने इर्शाद किया: “इस बात की इजाज़त है के सिल्क के सामान को या सोने और चाँदी के ज़ेवरों को बिना इस्तेमाल करे

तुम खुशियों के मौकों पर जैसे के ईद के दिन और शादियों में सिर्फ हुक्मत के अहकाम को मानने के लिए किया जाए न के दिखवावा करने के लिए। हालांकि, ये बरवाद करना है और बेज़रूरत है के माल का इस्तेमाल किया जाए बत्तियाँ लगाने के लिए, मोमबत्तियाँ जलाने के लिए या दिन में रोशनी वाले इश्तेहारत चलाना, इस सबकी इजाज़त नहीं है। इस बात की इजाज़त है या अपने बच्चों को मिले जुले स्कूलों में भेजो जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ तालीम हासिल करें, अगर सरकार ऐसा करने के लिए लोगों को हुकुम दे। दूसरी जगह जिसकी इजाज़त नहीं है (मुसलमानों के लिए) वहाँ जाने के लिए वो है जहाँ आदमी और औरतें मिले हुए हों और लोग अपने अवरत अज़ू दिखा रहे हों।”

ये लिखा हुआ है **इबनी आबिदिन** में, उन बाबों में जो जुमे की नमाज़ और एक कादी होने से मुनसलिक है, वो ये के इसकी इजाज़त नहीं है के काफिरों के कानून के खिलाफ भी बगावत नहीं कर सकते। ये इर्शाद है (इस्लामी आलिमों के ज़रिए) के इबादत का काम जो अदा किया जाए अल्लाहु तआला के बंदों (यानी इंसान) के हुक्क की पामाली करके तो वो कुबूल नहीं किया जाएगा और इबादत करने वाले की जन्नत में दाख़िल होने में कोई मदद नहीं करेगा। ये इर्शाद है के ग़ैर मुस्लिम के हुक्क को अदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बनिसवत एक मुस्लिम के हुक्क अदा करने के। हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए और बुराई करने वालों के साथ रहम के साथ पेश नहीं आना चाहिए। एक सच्चा मुसलमान अल्लाहु तआला के हुक्मों की और सरकार के क़वातीन की फरमावरदारी करता है।]

*एक मुबारक वली की साथ बहुत मुश्किल से मिलता है,
लोग जो उसे हासिल करते हैं वो उस मरतबे को जाने नहीं देते।*

*एक को दूर और पास देखना चाहिए सही लड़का ढूँढने के लिए;
एक पैसे भुनाने वाला ही गौहर को जानता है, न के एक पागल लड़का।*

अगर तुम एक बंद जग को पानी के निकास पर रख दोगे;
चाहे वो चालिस साल वहाँ रहे, वो सूखा ही रहेगा।

सोहबत दिल को पाक करती है, आसमान को अपना दुश्मन बनाने के लिए;
एक आदमी को जो अक्लमंद बनाती है वो उसके सिने की पौशाक को ऊँचा
करती है।

सबसे पहले ईमान लाओ, और हराम को बंद करो;
जिस पर आत्मा को खिलाओगे वो पाए पर लगे बादाम नहीं है!

सहाबा की फज़ीलतो मुताल्लिक

सारे सहाबाओं में रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के चार ख़लीफा सबसे अफज़ल है ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन’। हर एक की ख़िलाफ़त 30 सालों तक रही। [यह ऐलान हो चुका है कि सहाबा ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन’ जन्त में जायेंगे। उनके बारे में बुरा कहना जायज़ नहीं।

औलियाओं की करामत हक़ यानि सच है। [यह अल्लाह तआला की आदते इलाहिया है कि वो चीज़ों को सबब के ज़रिए बनाता है। मसलन पानी से भरी चीज़ पानी में डूब जाती है। कभी-कभी अल्लाह तआला अपने प्यारे बन्दों के लिए अपना कानून बदल देता है, जैसे औलिया और नबी, इसलिए इन बड़े लोगों के साथ करामाते और मोज़िज़ाते होते हैं। अगर ऐसा नबियों के ज़रिए होता है तो उसे मोज़िज़ा कहते हैं और औलियाओं के ज़रिए हो तो करामात।]

हज़रत अबू बकर सिद्दिक ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’ सारे वलियों में सबसे अफज़ल है। आपकी ख़िलाफ़त हक़ है। इजमा के सबूत के मुताबिक

आप पहले ख़लीफा है। आप रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के ससुर हैं। आपने अपनी बेटी आयशा ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हा’ का निकाह रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ से किया। आप हकीकत के इल्म में माहिर हैं। अपने अपनी पूरी जायदाद हक़ (यानि इस्लाम) के रास्ते पर खर्च की, इतना कि आपके पास एक टुकड़ा न बचा। तो आपने ख़जूर के रेशों से बुना हुआ कपड़ा अपनी कमर पर बांध लिया। जिवराईल ‘अलैहिस्सलाम’ भी वैसा ही लिबास पहने अल्लाह के रसूल के पास पहुँचे। जब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरिश्ते को इस भेस में देखा तो आपने फरमाया: “ऐ जिवराईल मेरे भाई। मैंने तुम्हे इससे पहले ऐसा नहीं देखा। मैं हैरान हूँ कि क्या हो रहा है।” तब जिवराईल ‘अलैहिस्सलाम’ ने वज़ाहत की: “या रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’। आप मुझे इस भेस में देख रहे हैं। सारे फरिश्ते भी इसी हाल में हैं। इसकी वजह यह है कि: अल्लाह तआला ने ऐलान किया है: “मेरे बन्दे अबू बकर ने अपना पूरा माल मेरी रज़ा और मेरे रास्ते में खर्च कर दिया हत्ता कि वो ख़जूर के रेशों से बने कपड़ों में लिपटा हुआ है। ऐ मेरे फरिश्तों! तुम भी ऐसा ही लिबास पहनों!” तो सारे फरिश्ते इस हाल में हैं। उस दिन से हज़रत अबू बकर को सिद्दिक कहा गया। (अल्लाह तआला की तरफ से)

आपके बाद सबसे बड़े वली हज़रत उमर ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हा’ हैं। आपकी ख़िलाफ़त इजमा के मुताबिक़ सही रहबरी की थी। आप इस्लामी इल्म के सूवे में माहिर हैं। एक दिन एक मुनाफ़िक़ [एक मुनाफ़िक़ वो काफ़िर होता है जो एक मुसलमान होना दिखाता है, मुसलमानों में रहता है, उनकी कुछ जमातों में इबादत भी करता है।] और एक यहूदी रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के पास आये, आपस के मतभेद है मसले के निपटारे के लिए, रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने दोनों के दावे सुने। फैसला यहूदी के हक़ में आया (प्यारे नबी ने यहूदी के हक़ में फैसला दिया)। जब मुनाफ़िक़

फैसले से मुतमईन नहीं हुआ तो रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “ऐ इन्सानों! उमर के पास जाओ और उसे तुम्हारा फैसला करने दो।” तो वो हज़रत उमर ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’ के पास पहुँचे। जब मुबारक सहाबा ने पूछा कि वो लोग यहाँ क्यों आये हैं तो मुनाफिक ने कहा: “इस यहूदी और मुझमे एक मतभेद है।” हज़रत उमर ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’ ने फरमाया: “मैं अल्लाह के नबी के होते हुए तुम्हारे मामले का फैसला कैसे कर सकता हूँ?” मुनाफिक ने बताया: “हम रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के पास गए थे। उन्होंने फैसला यहूदी के हक में सुनाया। मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूँ।” उमर ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ ने कहा: “तुम रूको, मैं एक हल (जवाब) के साथ वापस आता हूँ, और अन्दर चले गए। कुछ देर बाद वो अपने कपड़ों में एक खंजर छुपाए आए और उस मुनाफिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। “उसके लिए यही सज़ा है जो रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के फैसले से मुतमईन न हो,” महान सहाबी का यह जवाब था। इस मामले की बिना पर आपका नाम उमर-उल-फारूक ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’ पड़ा और आप हमेशा यही कहे जायेंगे।

रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “उमर वो है जो सही को ग़लत में से फर्क करता है।”

उनके बाद सबसे बड़े वली है उसमान-ए-जिन्नुरैन ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ आपकी ख़िलाफ़त की सही रहबरी थी। यह इजमा-ए-उम्मत (सहाबा की एक राय) से सच बात है। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अपनी दो मुबारक बेटीयों की शादी उनसे की, एक के बाद एक। जब आपकी दूसरी बेटी भी वफ़ात पा गई तो आपने फरमाया: “अगर मेरी एक और बेटी होती तो वो भी मैं उसमान को ही देता।

जब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अपनी दूसरी मुबारक बेटी की शादी उसमान ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’ से की तो उन्होंने अपने दामाद की खूब तारीफ की। तजवीज़ के बाद बेटी ने फरमाया: “ऐ मेरे प्यारे बाबा! आपने हज़रत उसमान की खूब तारीफ की। वो आपकी मुबारक तारीफ के मुताबिक अच्छे नहीं है!” तब रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अपनी बेटी से कहा: “ऐ मेरी बेटी! जन्नत के फरिश्तें भी उसमान से हया करते हैं!”

चूँकि रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अपनी दो बेटियों का निकाह उसमान ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’ से किया था इसलिए आपका नाम उसमान-ए-जिन्नुरैन पड़ा। जिन्नुरैन का मतलब है, दो नूर का मालिक। वो मारिफत के इल्म में महारथ पाये हुए थे। (अल्लाहु तआला का नूरानी इल्म)

चौथे सबसे आला ख़लीफा व वली है अली करीमुल्लाहु वेजहा व ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’। आपकी ख़िलाफत हक़ पर थी इजमा-ए-उम्मत के मुताबिक। आप रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के दामाद हैं। प्यारे नबी ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा आपको निकाह में दी। आप तरीक़त के इल्म में माहिर हैं। आपका एक गुलाम था। एक दिन उस गुलाम ने अपने मालिक को आज़माने की सोची। हज़रत अली ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’ उस वक़्त घर से बाहर थे। फिर आपने अपने गुलाम से किसी काम को कहा, पर गुलाम चुप रहा। फिर हज़रत अली ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्ह’ ने पूछा: “ऐ गुलाम! मैंने ऐसा क्या किया कि तू मुझसे नाराज़ है या मेरे किसी हिस्से ने तुझे नुक़सान पहुँचाया?” गुलाम ने जवाब दिया: “आपने मेरे साथ कुछ ग़लत नहीं किया। मैं आपका गुलाम हूँ। मैंने सिर्फ़ आपको आज़माने के लिए ऐसा किया। आप सच्चे वली हो।”

[मुसलमान जो सभी सहावा इकराम से मुहब्बत करते हैं और उनके नक्शे कदमों पर चलते हैं उन्हें **अहले सुन्नत** (या **सुन्नी मुस्लिम**) कहते हैं। वो जो कहते हैं कि हम इनमें से कुछ को पसन्द करते हैं और काफी सहावाओं से नफरत करते हैं **शिया** कहलाते हैं। जो सहावा के खिलाफ हैं उन्हें **रफीदी** कहते हैं। वो जो यह कहता है कि वो सारे सहावाओं से मुहब्बत करता पर असल में किसी के भी नक्शे कदम पर नहीं चलता उसे **वहाबी** कहते हैं। **वहाबियत** पाखंडी मज़हब के आदमी अहमद इब्नी तैमिय्या और ब्रिटिश जासूस हैमपर की साज़िश का नतीजा है। वो अहले सुन्नत को 'काफिर' कहते हैं क्योंकि सच्चे मुसलमान वहाबियों के ईमान की बुनियादों को नहीं मानते। [उनकी बात उनपर वापस आती है ख़ुद काफिर बन के]

वहाबियों का सिधांत ब्रिटिशों ने 1150 [1737 A.D.] में अरब पेनिनसुला में मनगढ़त बनाया। उन्होंने अपने इस मनसूबे में कामयाब होने के लिए कई मुसलमानों का ख़ून बहाया। आज भी वो वहाबी मरकज़ बना रहे हैं जिन्हें वो **राबिता-तुल-अलैहिस्सलामी** कहते हैं, हर मुल्क में अनपढ़ लोगों को पकड़ कर ख़ोज करते हैं और उन पर सोने की वारिश करते हैं। इन तरीकों से वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। यह अहले सुन्नत के उलेमाओं को बदनाम कर रहे हैं जिन्होंने चौदह सौ सालों से इस्लाम की हिफाज़त की और ऑटोमन की भी। मुबारक आलिमों की तरफ से नास (हदीस और आयत) से लाई गई इस्लामी इल्म को यह लोग ख़राब कर रहे हैं।

कुछ वहाबी कहते हैं, “हम भी सुन्नी मज़हब से हैं। हम हनफी मज़हब से हैं।” इनका यह दावा एक पाखंडी गुप मुताज़िला की तरह ही है जो कहते हैं “हम भी सुन्नी मुस्लिम हैं। हम हनफी मज़हब से हैं।” वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लोग जो सुन्नी नहीं हैं दोज़ग़ में जायेंगे। जबकि सच यह है कि, मज़हबी काम की लय और इबादत किसी एक मज़हब का

शख्स हो उसे यह कहने की ज़रूरत नहीं कि वो उस मज़हब से है। किसी शख्स का किसी मज़हब में होने का मतलब है उस मज़हब की ईमान की बुनयादें अपनाना और उसके मुताबिक़ इबादत करना। चारों मज़हब अपने ईमान की बुनयाद में एक जैसे हैं। चारों मज़हब अहले सुन्नत हैं ईमान में। किसी शख्स का हनफी या हनबली मज़हब में होने का मतलब है अहले सुन्नत के मज़हब में होना। वहाबी सुन्नी ईमान रखते हैं।]

खाने और रिज़्क से मुताल्लिक

खाने से पहले यह सोचकर हाथ धोना कि यह एक सुन्नत है तो उसके दस फायदे हैं:

अगर कोई शख्स खाने से पहले अपने हाथ धोता है और अपने गीले हाथ यानि शहादत की उंगली अपनी आंखों के नीचे हिस्से पर मलता है और आंखे बन्द करके आंखों के पर्दों पर भी मलता है, उस शख्स पर अल्लाह के हुक्म से कभी भी आंखों के दर्द की परेशानी नहीं होगी। दस फायदे हैं:

1- अर्श के नीचे का फरिशता अभिवादन करता है: जैसे तुमने अपने हाथ साफ़ किए हैं, उसी तरह से तुमने अपने गुनाह साफ़ किए हैं। (सगीरा गुनाह)।

2- नफिल नमाज़ के बराबर सवाब मिलेगा।

3- वो फकीरी से महफूज़ रहेगा।

4- वो सिद्दिक के बराबर सवाब पायेगा।

5- फरिश्तें उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे।

6- उसके खाये हुए एक लुक्मे का सवाब उसे ऐसा मिलेगा जैसे उसने सारा खाना बांट दिया हो ।

7- अगर वो बिस्मिल्लाह करके खाये तो उसके गुनाह भी साफ हो जायेंगे ।

8- खाने के बाद जो वो दुआ करेगा वो अल्लाह तआला कुबूल करेगा ।

9- अगर वो उस रात मर जाता है तो वो शहीद के बराबर सवाब कमायेगा ।

10- अगर वो उस दिन मरता है तो उसका नाम शहीदों में लिख दिया जायेगा ।

मुन्नत अदा करने की नीयत से हाथ धोने के छः सवाब है:

1- अर्श-उर-रहमान के नीचे का फरिश्ता कहता है: “ऐ ईमान वाले! रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ तुझसे राज़ी है ।”

2- इस बरक़त का सवाब हासिल होगा ।

3- सवाब इतना मिलेगा जितने तुम्हारे जिस पर बाल है ।

4- रहमत के सागर में एक हिस्सा मिलेगा ।

5- जितने पानी के कतरे तुम्हारे हाथ से गिरेंगे उतना सवाब मिलेगा ।

6- शहीद की मौत मिलेगी ।

[अल्लाह तआला का हुक्म दो सूवों में है अमरे तकवीनी और अमरे तकलीफी या अमरे तैशीरी।

अमरे तकवीनी: यह उसका कहना है, “होजा, वो चीज़ें जो वो बनाना चाहता है। चीज़ें उसी वक़्त वजूद में आ जाती हैं जब वो कहता है, होजा!” कोई उस चीज़ को वजूद में आने से नहीं रोक सकता। उसने कुछ चीज़ों को बाकी चीज़ों के लिए वजह से बनाया। जैसा कि उसने कुछ चीज़ों को दूसरी चीज़ें बनाने का ज़रिया बनाया है, इसी तरह से आदमी की ताकत, माद़ा और रूहानी ताक़त और अलग तरह की ऊर्जा भी वजह बनी हैं कई दूसरी चीज़ें बनने की। अगर वो अपने बन्दे पर कोई ईनाम अता फरमाना चाहता है तो वो उसका ज़रिया बना देता है। जब वो वजह होनी हो तो अगर वो चाहे तो कहता है, होजा!” और वो चीज़ वजूद में आ जाती है। कोई भी चीज़ उसके चाहे बग़ैर वजूद में नहीं आती। उसने अपनी हिकमत को अपनी चीज़ों की बनाने की वजहों में छुपा रखा है। कई लोग सिर्फ वजहों को देखते हैं और हिकमत को नहीं देख पाते, उसकी ख़ल्क के पीछे की वजह। यह नासमझी उन्हें बरबादी की तरफ ले जाती है।

अमरे तकलीफी: यह वो हुक्मों का मजमुआ है जिसमें वो अपने इन्सानी बन्दों को जोड़ता है यह कहके कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह हुक्म इन्सान की मर्ज़ी और चाह पर है। उसने इन्सान को उसकी मर्ज़ी के लिए खुला छोड़ रखा है। फिर भी वो उन चीज़ों को बनाता है जो इन्सान चाहता है। अगर कोई इन्सान कुछ चाहता है या चुनता है तो वो उस चीज़ को बना देता है। अगर वो खुद भी चाहे तो। वो नहीं बनाता अगर वो ना बनाना चाहे तो। वो अकेला ही सब बनाता है और सारा सामान मुहय्या कराता है। उसके अलावा कोई ख़ालिक नहीं। उसके अलावा किसी और को ख़ालिक मानना उसकी ज़ात में शरीक मानना होगा। जिसे उलूहियत कहते

है। उसने ऐलान कर दिया है कि जो इस दुनिया में उसका शरीक बनायेगा वो उसे बहुत शदीद अज़ाब देगा। जो शख्स उसका हुक्म मानता है और अच्छे काम करता है तो वो उसके लिए रहम का मामला करता है और उसकी नफ़ा की चीज़ें बनाता है। वो लोग जो उसके हुक्मों के ख़िलाफ़ करते हैं और बुरे काम करना चाहते हैं, वो चाहता है तो उनके बुरे कामों को बनाता है। जब उसका कोई मानने वाला (ईमान वाला) उससे कुछ बुरा काम करने को मांगता है तो वो उसे उस बुरे काम से बचाता है और उसका ज़रिया नहीं बनाता। क्योंकि उसके दुश्मनों की सारी बुरी नियतें पूरी होती हैं, तो वो उसमें और घुसता जाता है और धंसता जाता है।

अल्लाह तआला के अमरे तकलीफ़ के दर्जे उनकी अहमियत के मुताबिक़ है:

1- उसने सारे इन्सानों को ईमान और मुसलमान होने का हुक्म दिया है।

2- जिनके पास ईमान है उन्हें हराम न करने और बुराई से बचने का हुक्म दिया है।

3- उसने ईमान वालों को फ़र्ज़ पूरा करने का हुक्म दिया है।

4- उसने मुसलमानों को जो हराम से बचते हैं और फ़र्ज़ अदा करते हैं उन्हें मकरूह से बचने और सुन्नत और नफ़िल इबादत करने का हुक्म दिया है।

ऊपर दिए गए दर्जे में से, किसी दर्जे को किसी दूसरे पर एहमियत देना और दूसरे को कम एहमियत देने जैसा कुछ नहीं है। वो कारगर नहीं होगा। अगर कोई शख्स बिना ईमान लाए बुराईयों से बचता है या बिना बुराईयों और हराम से बचे फ़र्ज़ करता है और नफ़िल और सुन्नत अदा करता है बिना

फर्ज़ अदा करे तो अल्लाह तआला उसे पसन्द नहीं करेगा और जो उसने किया उसे कुबूल नहीं करेगा। हू वा हू मसले के लिए, अगर एक मुसलमान नमाज़ अदा न करे या ज़कात अदा न करे और या अपने माँ बाप या बीबी बच्चों के हुक्क अदा न करे तो अल्लाह तआला इसे नापसन्द करेंगे और इसके नेक अमाल कुबूल नहीं करेंगे जैसे की भीख और दान, चंदा, मस्जिदों की तामीर, पैसों से मदद। या खाने से पहले या बाद में हाथ धोना, या उमरा करना, जैसे की यह ऊपर फरमाए गए एहमियत के हुक्म में देखा जाता है के हर किसी को अवामीर-ए-तेकलीफिया अदा करनी चाहिए, दूसरे हाथ, अगर कोई शख्स आला तबके के अमालात अदा किए बगैर कुछ कम एहमियत से अदा करता है। और अगर इसका कहना इसकी वजह बनता है और फर्ज़ को छोड़ना या कोई हराम करना; ये कोई सवाब नहीं कमाएगा यह सच है लेकिन फिर (दोनों में से कोई एक) उसे अपने आपको उस अच्छे काम के बगैर नहीं रहने देना चाहिए। यह तफसीर की हकदार किताब **रूह-उल-बेयान** में लिखा है, इसके छठे बाब के आखिर में, उस अच्छे अमाल को लगातार अदा करने की बरकत के साथ यह उम्मीद है के अल्लाह तआला इसके आला तबके के हुक्मात अदा करने पे रहमत फरमाए।]

खाने में चार फर्ज़यात है:

1- खाने पीने के दौरान, अल्लाह अज़ीम-उश-शान के ज़रिए दिए गए इतमिनान और मुतमईन को जानना।

2- वह खाना खाना जो हलाल है।

3- उस खाने की ज़रूरत के लिए अपनी पूरी ताकत खर्च कर देना अपने फाराईज़ों को अल्लाह तआला के गुलाम की तरह करना।

4- जो भी तुमने हासिल किया उसके साथ मुतमईन रहना ।

जब खाना खाना शुरू करो तुम्हें नीयत करनी चाहिए अल्लाह तआला की इबादत के ज़रिए ताक़त को हासिल करने की, और अल्लाह तआला का मज़हब हासिल करना, हमेशा-हमेशा की खुशियाँ और सुकून हासिल करना, व तमाम लोगों तक पहुँचाना, नंगे सर खाना जायज़ है ।

खाने में मुस्तहिबें: किसी लकड़ी की थाली को फर्श पे रखना (खाने की टेबल की जगह पे); खाने के लिए बैठते वक़्त साफ़ सुथरे कपड़े पहनना; अपने घुटनों पर बैठना; खाने से पहले हाथ मुँह धुला हुआ होना; बिस्मिल्लाह करना, (यानि बिस्मिल्लाह-हिर-रहमान-निर-रहीम कहना,) खाने की शुरूआत में थोड़ा सा नमक चख़ना और फिर खाना; जो के आटे से बनी रोटी खाना; रोटी को हाथ से तोड़ना: और रोटी के टुकड़े को बरबाद न करना; थाली की एक तरफ़ से खाना जो तुम्हारे करीबी हो; एक छोटा सिरका खरीदना: रोटी को छोटे निवाले में खाना; खाने को अच्छे से चबाना; अपनी तीन उंगलियों से खाना; अपनी उंगलियों से थाली को पोछना; अपनी उंगलियों को तीन बार चाटना; खाने के बाद हम्द पढ़ना, दन्तखुदनी का इस्तेमाल करना ।

खाने में मकरूह: उल्टे हाथ से खाना; जो खाना तुम खाने जा रहे हो उसको सूँघना; बिस्मिल्लाह को नज़रअंदाज़ करना; (बिस्मिल्लाह जब भी याद आ जाए उसको करना लाज़िम है, चाहे तुम काफ़ी खाना खा चुके हो ।)

खाने में हराम: पेट भरे होने के बावजूद लगातार खाना; (अगर तुम्हारे पास मेहमान है, तो तुम्हें खाना खाने को जताना जारी रखना चाहिए कही ऐसा न हो के तुम उसे खाने से रोक दो; खाने की बरबादी होगी; इस्लाम के कुछ उलेमाओं के हिसाब से, बिना बुलावे के किसी के खाने में नाहक बिस्मिल्लाह करना, खाने में से थोड़ा सा ले लेना; यह खाना जोकि तुम्हारी सेहत

को कमज़ोर बना देगा: और वह ख़ाना ख़ाना जो की रीया (दिग्वावट) से बनाया गया हो: वह ख़ाना जो तुमने देख लिया हो ।

गर्म-गर्म खाना खाने के नुकसानात की वजहें निम्नलिखित हैं: यह बेहरेपन की वजह होती है: यह चेहरा फीका पड़ने की वजह होती है; आँखों को बिना चमक के बनाने की वजह होती है; दाँतों का पीला पड़ने की वजह होती है; मुँह का स्वाद ख़ो देने की वजह होती है; यह लोभ की वजह बनती है; याद-दाशत कमज़ोर बनती है; दिमाग़ को नुक़सान पहुँचाती है; और जिस्मानी मर्ज़ की वजह बनती है ।

थोड़ा खाने के फायदे निम्नलिखित हैं: तुम्हारा जिस्म ताकतवर होगा; तुम्हारा दिल नूर से भर जाएगा: तुम्हारी याद-दाशत मज़बूत होगी; तुम्हारी जीविका असान होगी; तुम अपने काम को पसंद करोगे; तुम अल्लाहु अज़ीम-उश-शान का बहुत ज़िक्र करोगे; तुम अपना ध्यान आख़िरियत पे लगाओगे; तुम इबादत से बहुत सारे स्वाद हासिल करोगे; तुम्हारे तमाम मामलातों में शहरी पहुँच और मार्गदर्शन होगा; तुम (क़यामत के दिन) असानी से फैसले से गुज़रोगे ।

जब कोई शख्स कहता है, “मैं मुसलमान हूँ, ”

रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ उसपे लाज़िम है ।

ऊपर जाने वाला दिन जो की करीबी है,

पोशाक और ताज़ ,और एक घोड़ा उसको ले जाने के लिए ।

शादी के मुताल्लिक

शादी के कई फायदे हैं ।

पहला यह है कि आपके भरोसे की हिफाज़त होती है। तुमसे अच्छी आदतें आयेंगी। आपकी आमदनी में बरकत होगी। एक सच्चे मामले के तौर पे, आपने एक सुन्नत अदा की। हमारे नबी ने फरमाया: “निकाह करो (यानि शादी करो इस्लामिक तौर पे जिसे ‘निकाह’ कहते हैं,) और खूब औलाद करो, ताकि मैं रोज़े महशर के दिन में दूसरी उम्मतों के मुकाबले में अपनी (मुसलमान) उम्मत की तादाद पे फ़ख्र करूँ।”

शौहर और बैग़म को एक दूसरे के हुक्कू महसूस करने चाहिए।

एक शख्स जो शादी करने का इरादा करता है इसको अच्छे से तलाश करनी चाहिए जब तक के यह एक लड़की (या औरत) ना ढूँढ ले जो सालिहा हो (यानि जो अपने भरोसे की पक्की हो) और जोकि इसकी (करीबी रिश्तेदार नहीं है) एक महरम रिश्तेदार, और जो लड़की (या औरत) मुकरर शर्तें पूरी करती हो। ऐसी औरत के साथ निकाह करना जायज़ (मान्य) होगा जो ज़िना के ज़रिए गर्भवती हो गई हो। अगर हमविस्तरी करने वाला मर्द कोई और है, तो वाटी (संभोग) बच्चे की पैदाईश से पहले जायज़ नहीं होगा (फतवा-ए-फैज़ीय्या) [फ़ेज़उल्लाह एफ़ेन्दी ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ के ज़रिए लिखा गया (एडिर्ने 1115 [1703 A.D.] में शहीद एरज़ुरूम) तुर्की, 46वें ओटोमन शेख़-उल-इस्लाम।]

किसी लड़की से उसकी ख़ूबसूरती या जाएदाद के मक़सद से शादी ना करो। नही तो तुम नीच हो जाओगे। हमारे मुबारक नबी ‘सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम' ने फरमाया: "अगर कोई शख्स किसी लड़की की खूबसूरती या जाएदाद के मकसद से शादी करता है, तो वह उसकी जाएदाद और खूबसूरती से मेहरूम रहेगा।"

अगर कोई शख्स किसी लड़की से सिला-ए-रहम और अच्छी आदत की वजह से शादी करता है, हक़ तआला उस लड़की की जाएदाद और खूबसूरती बढ़ा देते हैं।

एक बेग़म को अपने शौहर से चार तराहियतों से कम रहना चाहिए: उसकी उम्र, उसका कद, उसके दोस्त और उसका परिवार और चार तराहियतों में एक बेग़म को अपने शौहर से बेहतर होना चाहिए: वह खूबसूरत हो, उसके पास अदब हों, अच्छी नैतिक शिक्षा हो और उसको हराम से व शकशुबा चीज़ों से बचना, व उसकी अपने बाल, सर, बाँह और पैर ना महरम मर्द को ना दिखाना।

जवान लड़कियों को बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए, यह फसाद की वजह बन सकती है, (जिसका मतलब, क्रोध, या गलत काम की वजह बन जाती है।)

शादी करने से पहले शादी के मुताल्लिक़ ज़रूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए (शादी का ज़िम्मा जिसे) निकाह कहते हैं घरवालों को जोड़े के प्रति तमाम जानकारी छोटों के ज़रिए हासिल करनी चाहिए, जोकि सुन्नत भी है और निकाह को मुसलसल कायम रखने में मदद करेगी। उलेमाओं के बयानातों के हिसाब से यह तीन फ़ायदें पैदा करेगा: पहला, इससे जोड़े के दरमियान ता उम्र मोहब्बत कायम रहेगी: दूसरी बरक़त होगी उनके रिज़क़ में (रोज़ाना की चीज़ों, व ख़ाने में) तीसरा उन्होंने सुन्नत अदा की।

इसके बाद कानूनी वैवाहिक प्रक्रियाओं को नगरपालिका के ज़रिए पूरा किया जाना चाहिए। यह बहुत बड़ा गुनाह है कि (शादी का सिलसिला) निकाह के अंतर्गत व सुन्नत के मुताबिक न किया जाए और यह एक गलती होगी कि शादी की प्रक्रियाओं को कानूनी तौर पर पूरा ना किया जाए।

सुन्नत के मुताबिक निकाह अदा कर लेना और उसके बाद, लड़के के परिवार को खूबसूरत और कीमती तोहफे लड़की के परिवार को भेजने चाहिए ऐसा करने से मोहब्बत की वजह बनती है।

एक बेग़म के लिए यह जायज़ है कि वह अपने शौहर के लिए खुद को अच्छे से सवारें; यह ज़्यादा सबाब कमाएगी (यानि अख़िरत में ईनाम)।

ब्याह की शाम को खाना देना सुन्नत है। [वह भोज खाना शाम की इबादत के बाद खाना चाहिए, और रात की इबादत के बाद दुल्हा-दुल्हन को दुल्हा की जगह ले जाना चाहिए, तय हुई इबादतों और दुआओं के बाद लोगों को गायब हो जाना चाहिए।

एक सुन्नत का काम जो दुल्हा-दुल्हन को पहली रात अदा करना चाहिए वह यह है कि दुल्हन के पैर धोने चाहिए और घर के आस-पास उस पानी को छिड़क देना चाहिए। दुल्हा को दो रकात नमाज़ अदा करनी चाहिए और इबादत करनी चाहिए, उस रात की गई कोई भी इबादत (अल्लाह तआला के ज़रिए) कुबूल की जाएगी। लोग जो दुल्हा-दुल्हन को देखें उन्हें दुल्हा को इसे जताना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए, “**बाराकल्लाहु लेक वा बाराकल्लाहु अलैयहा वा जेमिआ बेयनाकुमा बिल खैरी,**” जिसका मतलब, “अल्लाह तआला तुमपे करम करें और साथ में तुम्हारी बीबी पे भी रहम फरमाए, और तुम्हें खैर के साथ मिला कर रखे!” कुछ लोग नए दुल्हा-दुल्हन को यह कहकर भी मुबारकवाद देते हैं कि, “तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारे पास बेटे व

नौकर हो!” यह जहालतपना व वक्त ग़ैर इस्तेमाल लायक बयानात है। उस वक्त के लिए जो इबादतें बताई गईं उनको कहना सुन्नत है।

आपको मज़हबी तालीमियत को जानना ज़रूरी है और अपनी बीबी को सिखानी चाहिए क्योंकि तुमसे इस के लिए आख़िरत में सवाल होंगे। ना जानने का बहाना कुबूल होने के लायक नहीं होगा। अहल-अस-सुन्नत के फ़र्ज यात ईमान, हराम और उसूलों को जानना और अपने बीबी बच्चों को इनको सिखाना फ़र्ज है।

तुम्हें अपनी बीबी को ऐसी जगह ले जाना या भेजना नहीं चाहिए जिसकी इस्लाम में इजाज़त ना हो! बिना जिस्म को अच्छी तरह ढाँके ना उसे बाहर भेजे और ना जाने दे। इसके लिए हमारे मुबारक नबी ‘अलैहिस्सलाम’ ने फरमाया: “अगर एक औरत हमारी मस्जिद में खुशबू लगाकर नमाज़ अदा करती है, तो (अल्लाह तआला) के ज़रिए वह नमाज़ कुबूल नहीं की जाएगी जबतक के वह घर जाए और गुस्ल करे जैसे की वह जुनूब की हालत से बाहर आई हो।” जब से औरतों के लिए खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है हमें इस बहुत बड़े गुनाह की दिमागी तसवीर बनानी चाहिए के औरत का कही जाना और अपने आप को लोगों को दिखाना कितना बड़ा गुनाह है। हमें तुलना करनी चाहिए और सोचने की कोशिश करनी चाहिए के वह कितने बड़े गुनाह की शिकार बनेगी!

हमारे मुबारक नबी ने अपनी एक हदीस-ए-शरीफ में फरमाया के: “जन्नत के ज़्यादातर लोग वह है जो (दुनियावी ज़िन्दगी के दौरान) गरीब थे। और दोज़ख़ की पौशिन्दा ज़्यादातर औरतें हैं!” इसके बाद हज़रत आईशा ‘रज़ि-अल्लाहु अन्ह’ ने छान बिन की: “के ऐसी क्या वजह है जो दोज़ख़ ज़्यादातर औरतों के ज़रिए घिरी हुई है?” रसूल-ए-अकरम ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने समझाया: “के जब उनपे कोई मुसीबत आन पड़ती है वह सब नहीं

दिखाती। जब कोई शख्स जो हमेशा से उनके साथ अच्छा रहा और उसने इनके बारे में दस खट्टी बातें करदी, वह हमेशा उनकी खट्टी बातों को गिनेगी, उनके पुराने दस पक्षों को बिल्कुल भूल जाएगी, यह दुनियावी गहनों से प्यार करती है और आखिरत की तैयारी नहीं करती और ख़ास तौर पर गपशप की शौकीन होती है,”

तमाम, औरतें व मर्द जो इन शैतानी आदतों में मुबतला है वह दोज़ख़ के लोग हैं।

हज़रत अली ‘करीम-अल्लाहु वाजेह’ फरमाते हैं: एक दिन मुबारक रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ की मौजूदगी में एक औरत तशरीफ़ लाई और कहने लगी के: “या रसूलुल्लाह (या अल्लाह के नबी)! मैं एक आदमी से शादी करना चाहती हूँ, आपकी मुबारक सलाह क्या होगी?” और शौहर के हकूक क्या होंगे?” अल्लाह तआला की सबसे खुश मख़लूक ने फरमाया: एक आदमी का अपनी बीवी पे हकूकों की तादाद है, क्या तुम उनको महसूस करोगी संभालोगी?” औरत ने कहा: “या रसूलुल्लाह! एक आदमी के हकूक क्या हैं?” अगर तुम अपने शौहर का दिल दुखाओगी तो तुम अल्लाह की तरफ से नकार दी जाओगी, और तुम्हारी नमाज़ कुबूल नहीं की जाएगी” आपने यह मुबारक जवाब फरमाया। औरत ने कहा और दूसरे हकूक भी हैं?” आपने फरमाया: “अगर कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बिना बाहर चली जाती है, तो (उसकी अमाल की किताब में) हर एक कदम का एक गुनाह लिखा जाएगा”। औरत ने कहा: “और दूसरे हकूक?” यह सबसे ख़ूबसूरत जवाब रसूल-ए-अकरम ने फरमाया: “अगर कोई औरत अपने शौहर का गन्दें अलफ़ाज़ों से दिल दुखाती है, रोज़े मेहशर में वह उसकी ज़बान पीछे की तरफ से पकड़ कर खिंच लेंगे” औरत ने पूछा और?” (मुबारक नबी) रसूल-ए-अकरम ने फरमाया “कोई औरत जिसके पास जाएदाद है और वह

अपने शौहर को ज़रूरत पड़ने में उसकी मदद नहीं करती तो वह आखिरत में उसकी मदद नहीं करती, वह आखिरत में एक काले चेहरे के साथ उठाई जाएगी,” औरत ने पूछताछ की: “और दूसरे हकूक?” रसूल-ए-अकरम ने जवाब दिया: “अगर कोई औरत अपने शौहर के माल में खयानत/धोका करती है, और वह किसी और को देती है तो अल्लाह तआला उसकी ज़कात ख़ैरात को कुबूल नहीं करेंगे जब तक के वह औरत अपने आदमी से माफी ना मांग ले और वह इस को माफ ना कर दे।” औरत ने पूछा: “और कोई?” इसके बाद अल्लाह के मुबारक नबी ने फरमाया: “अगर कोई औरत अपने शौहर की कसम खाती है, या उसको मानने से इन्कार करती है, तो वह दोज़ख़ की आग में ज़बान से बांध कर लटकाई जाएगी, और अगर कोई औरत बाहर जाती है और नाचने वाली औरतों को देखती है वा गाना बजाना सुनती है और उसपे एक पैसा भी खर्च करती है, जो भी सारा सवाब उसने बचपन से नैक अमालों के लिए कमाया है वह बरबाद हो जाएगा कपड़े जो वह पहनती आ रही है उसके खिलाफ मुकादमा करेंगे कहेंगे इसने हमें अपने पाक दिनों में नहीं पहना था जब वह अपने हलाल शौहर के साथ थी। इसने हमें हराम जगहों पे पहना जहाँ यह गई।’ इसके बाद हक तआला ऐलान करेंगे: ‘मैं ऐसी औरतों को हज़ारों सालों के लिए जलाऊंगा।’ [इसलिए हमें सिनेमा रेडियों टी.वी के प्रोग्रामों के देखने से बचना चाहिए] जब इस औरत ने यह तमाम जवाबात सुने कहा: “या रसूलुल्लाह! मैंने अभी तक शादी नहीं की है, और ना ही करूंगी।”

इस वक़्त रसूल-ए-अकरम ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने अपनी बातों को मोहब्बत से बयान किया: “या ख़ातून (या औरत) मैं तुमको यह भी बताऊँगा कि एक आदमी से शादी करने से कितनी रहमत है: सुनो! अगर किसी औरत का शौहर उसको कहे, अल्लाह तुमपे अपना रहम फरमाए, उसे साठ साल से भी ज़्यादा इबादत का फायदा होगा और इसका अपने शौहर को थोड़ा पानी भी पीने को देना एक साल से भी ज़्यादा रोज़े रखने का सवाब

है। अगर वह अपने शौहर के साथ की हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करती है, तो वह इतना सवाब हासिल करेगी के जैसे उसने कुरबानी अदा की हो। अगर वह अपने हलाल (शौहर) के साथ चाले ना खेलती हो, तो जन्नत में फरिश्ते इसकी तरफ से तसबीह पढ़ेंगे। [तसबीह पढ़ना यानि “सुबहान-अल्लाह” कहना, जिसका मतलब, “मैं जानता हूँ कि अल्लाह तमाम तरह की ख़राबियों से दूर है,” तसबीह पढ़ना यानि ख़ूब सवाब कमाना (आख़िरत में इनाम)।] अगर वह अपने शौहर के साथ हंसमुख है, वह साठ गुलामों को अज़ाद करने से भी ज़्यादा मुबारक है। अगर वह अपने शौहर का रिज़क बचाती है और शौहर के नातेदारों पे रहम करती है और पाँचों वक़्त नमाज़ व रमज़ान में सारे रोज़े अदा करती है, तो यह हज़ार बार काबे की ज़ियारत से ज़्यादा खुशनसीब होगी।” फातिमा-ए-जेहरा ‘रज़ि-अल्लाहु अन्हा’ (रसूलुल्लाह की मुबारक बेटी) ने पूछा: उस औरत का क्या होगा जो अपने हलाल (शौहर) का दिल दुखाती है?” फिर तमाम वालीदों से ज़्यादा मुबारक वालीद ने फरमाया: “अगर कोई औरत अपने शौहर की बात मानने से इन्कार करती है, अल्लाह का अज़ाब उसपे रहता है जबतक के वह अपने शौहर से माफ़ी ना मांग ले और वो इसे माफ़ ना कर दे; अगर वह अपने शौहर के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से इन्कार करती है तो वह उसका सारा सवाब खो देगी; अगर वह अपने शौहर के साथ घमंडी रहती है, वह अल्लाह तआला के गुस्से की वजह बन जाएगी, अगर वह अपने शौहर से कहती है, क्या तुम एक दस्तदाज़ दख़लअंदाज़ हो? या कभी तुम मेरे किसी काम आए? तो अल्लाह तआला अपनी रहमत उसपे हराम कर देते हैं, अगर वह अपनी जवान से अपने शौहर का ख़ून पोछ दे तब भी वह अपने शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। अगर उसका शौहर अपनी बीबी को उसको जिस्म अच्छे से ढकें वग़ैर जाने की इजाज़त देता है, तो हज़ार गुनाह उस आदमी के अमाल-ए-नाम में लिख दिए जाते हैं।” यह इस बात का अंदाज़ा लगाने में

मदद करती है कि सिर्फ अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर बाहर जाना कितना बड़ा गुनाह है!

रसूल-ए-अकरम 'सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम' ने फरमाया: "या फातिमा! अगर अल्लाह तआला ने इन्सानों को दूसरों से पहले अपने आप को पराजित करने का, हुक्म दिया होता तो मैं औरतों को अपने शौहर से पहले पराजित होने का हुक्म देता।"

हज़रत आईशा 'रज़ि-अल्लाहु अन्हा' फरमाती हैं: मैंने आप रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' से एक वसीअत के लिए पूछा। मुबारक नबी ने फरमाया: "या आईशा! मैं तुम्हारे लिए एक वसीअत करूंगा तुम वो वसीअत मेरी उम्मा की औरतों के लिए कर देना! जब लोग फैसले के लिए रोज़े महशर के दिन उठाए जाएंगे: सबसे पहले उनसे ईमान के बारे में सवाल होगा, दूसरा वुजू और नमाज़ के ऊपर किया जाएगा औरतों के साथ तीसरा सवाल उनके शौहरों के (हकूक) के बारे में होगा। अगर कोई शौहर अपनी बीवी की बदमिजाज़ी पर सब्र करे, तो हक़ताआला उसको सवाब से नवाज़ेंगे जितना हज़रत अय्यूब (जोब) को दिया था। और अगर कोई औरत अपने शौहर की बदमिजाज़ी पर सब्र करे तो अल्लाह तआला उस को हज़रत आईशा सिद्दिका के दर्जे के बराबर नवाज़ेंगे।"

"अगर कोई आदमी अपनी बीवी को मारता है तो मैं रोज़े मेहशर के दिन उस के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करूंगा," रसूल-ए-अकरम 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के ज़रिए बताई गई दूसरी हदीस शरीफ़।

तीन वजहें हैं जिसके लिए किसी आदमी को अपनी बीवी को मारने की इजाज़त है, अपने खुले हाथ से या अंगोछे से: नमाज़ छोड़ने की वजह से या गुस्ला या उसके बिस्तर पर आने से मना करने पर या इसकी इजाज़त के

बगैर बाहर जाने पर, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लकड़ी या घूसे से या ठोकर या गाठ बांध कर रूमाल बगैरह से या सर पर और जिस्म पर मारों। किसी और गलतियों के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। उसे कई बार समझाओं, अगर वह अपने आपको सुधारती है, तो उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए ताकि तुम अज़ाब ना कमाओ।

[यह शिरयत-उल-इस्लाम में फरमाया गया है: “अगर तुम्हारी बीवी बदमिजाज़ी बरताओं दिखाने लगे तो, आप अपने आपको ज़िम्मेदार मानये। आप को अपने आप से कहना चाहिए, “वह ऐसा बरताव नहीं करती अगर मैं सही होता, अगर आपकी बीवी (सालिह) नेक है, तो आपको दूसरी बीवी नहीं लानी चाहिए। किसी शख्स के लिए अपने परिवार के अंजाम-ए-इन्साफ देख-रेख के लिए दूसरी शादी करनी जायज़ नहीं है अगर यह जानता है कि यह अंजाम-ए-इन्साफ के लिए काबिल होगा, तो इसके लिए (दूसरी बीवी लाना) जायज़ होगा। हालांकि, ऐसा ना करना इसके लिए सराहनिय होगा, जब आपकी बीवी कहीं जाए जहाँ उसको जाने की इजाज़त हो, उसको ज़रूर ही अपने सर और जिस्म को पूरी तरह ढंकना चाहिए। यह हराम है कि औरत खुशबू लगाकर या ज़ेवरात पहन के दिखाती हुई जाए। एक सालिह (नेक) औरत दुनिया की निगाह में बहुत मान्य होती है। किसी मुसलमान से रहम और कोमलता से बात करना नफ़िल नमाज़ के पक्ष में ज़्यादा सवाब देता है।” यह रियाद-उन-नासीख़ीन में लिखा है: निसा सूर की 18वीं आयत से मुराद है: “अपनी बीवियों के साथ नम्रता और अच्छा बर्ताव रखें।” निम्नलिखित हदीस-शरीफ: “या अबू बकर! अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ मुस्कुराहट और नम्रता से बात करता है, तो इसको इतना सवाब मिलता है जैसे की इसने किसी गुलाम को आज़ाद किया हो।” और “जो औरत किसी फासिक आदमी से शादी करती है उसके लिए अल्लाह का कोई रहम नहीं होगा।” और “जो मेरी शफाअत चाहता है वह अपनी बेटी की शादी फासिक

आदमी से ना करे।” और “लोगों में सबसे अच्छे लोग वह हैं जो लोगों के साथ अच्छे हैं। वा बुरे लोग वह हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।” और “नाइन्साफी से किसी मुसलमान का दिल दुखाना काबे शरीफ को सत्तर मरतबा गिराने से भी ज़्यादा बुरा है।”

यह **दुर्-उल-मुख्तार** में फरमाया गया है: “एक मरतबा एक मुसलमान आदमी ने एक औरत से सही (मान्य) शादी कर ली (उसके साथ मुआहेदा शादी जिसे निकाह कहते हैं, (यह उसकी बीवी बन जाती है) और यह शौहर पे फर्ज बन जाता है कि उसको **नफाका** (यानि गुजर बसर) अदा करे **नफाका** में खाना कपड़ा और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इसे अपनी बीवी को घर में रखना होगा जो या तो इसका अपना हो या फिर किराये का। बीवी ये ख्वाहिश कर सकती है के उसके शौहर के रिश्तेदार को घर में दाखिले की इजाज़त ना हो। और इसी तरह से शौहर भी ख्वाहिश कर सकता है कि उसकी बीवी का कोई रिश्तेदार घर में दाखिले ना करे। दोनों को यह इख़्तियार है। घर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ सालिह मुसलमान रहते हों। [मुअज्जिन की खुद की आवाज़ सुनाई दे (बिना किसी लाउडस्पीकर के, क्योंकि यह इस्लामिक तरीके से एक बिदत है)] शौहर अपनी बीवी को हफ्ते में एक बार अपने माँ-बाप से मिलने जाने के लिए नहीं रोक सकता। और इसी तरह से वह भी अपनी बेटी से हफ्ते में एक बार मिलने आ सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक बीमार हो जाता है और वहाँ उसके अलावा उनको देखने के लिए कोई नहीं है, तो बीवी को चाहिए वह जाए और उनका साथ दे चाहे उसका शौहर उसके ऐसा करने से ख़िलाफ हो। शौहर अपनी बीवी के दूसरे महरम रिश्तेदारों से साल में एक मरतबा, मिलने से नहीं रोक सकता, या उसे उनके पास जाने से, अगर वह इसको दूसरों के पास जाने या गुनाही जगहों पे जाने की इजाज़त देता है, तो दोनों गुनेहगार होंगे, वह इसको दूसरों के काम करने से रोके जिससे उसे तोहफें या पैसे मिले, घर पे या कहीं और, स्कूल या उपदेशों से बाहर जाने पे: एक औरत को घर

के काम में मुबतला (मसरूफ) रहना चाहिए; उसको मूर्ति की तरह नहीं बैठना चाहिए। शौहर को लोगों के साथ अपनी बैगम को अवरत हिस्सों को खुला दिखाते हुए नहीं भेजना चाहिए, जैसे की सार्वजनिक स्नान (आम नहाने की जगह) [समुंद्र के किनारे या और किसी जगह जहाँ खेल की चहल पहल हो। उसको अपने घर में टी.वी नहीं रखना चाहिए ताकि वह इस तरह की हरकतों को ना देख सके।] उसको ज़ेवर पहन कर या नए कपड़ों में बाहर नहीं जाने देना चाहिए।” वह उसको बाहर ले जा सकता है जहाँ मुसलमान हराम चीज़ों को नज़रअंदाज़ करते हो। चाहे वह उसके महरम रिश्तेदार ना हो यानि करीबी रिश्तेदार जिनके साथ इसके लिए शादी करना हराम हो; इस वजह से आदमी और औरतें अलग-अलग कमरों में बैठें। औरत के महरम रिश्तेदार (18) तरह के होते हैं: उसका बाप; दादा; बच्चें; पौते; भाई, सिर्फ सगे और एक माँ-बाप से हो; उसके भाई और बहन के बच्चें उसके माँ, के भाई। यह सात लोग महरम के रिश्तेदार ऐसे हैं जो उसके रिश्ते में दूध पिलाया हो या ज़िना के ज़रिए से भी। और दूसरे चार आदमी निकाह के ज़रिए महरम रिश्तेदार बन जाते हैं (इस्लाम के ज़रिए बताई गई शादी करने से)। वह ससुर और उसके बाप, दामाद, सौतेला बाप; सौतेला बेटा या बेटें, किसी आदमी के बच्चें, बहु और किसी औरत के बच्चें, दामाद यह सब इनके महरम रिश्तेदार हैं, महरम मतलब जिस शख्स के साथ तुम निकाह नहीं कर सकते, (यानि जिसके साथ तुम शादी नहीं कर सकते।) मसला किसी आदमी की बहन उसकी महरम रिश्तेदार है, सबके भाई बहन या बच्चें उनके महरम रिश्तेदार हैं। किसी आदमी की भाइयों की वीवियाँ या इसके मामा और चाचा, और ख़ाला की बेटियाँ या इसके चाचा और मामा की वीवियाँ इसकी महरम रिश्तेदार नहीं होगी। तुम्हारी ख़ाला के बच्चें और उनके शौहर नामहरम हैं, (यानि वह महरम रिश्तेदार नहीं हैं।) तुम्हारे शौहर या वीवी के भाई बहन नामहरम हैं, किसी औरत की बहनें या ख़ाला के शौहर और उसके शौहर के भाई उसके लिए नामहरम हैं, यह

निमत-ए-इस्लाम नामी किताब में दर्ज है, इसके हज (तीर्थ यात्रा) की ज़रूरयात बाब में। यह बीबी के लिए हराम है कि वह इन आदमियों के सामने अपने आप को बिना अच्छे से ढंक जाए जोकि इस्लाम के ज़रिए सिखाया गया या उनके साथ किसी बंद अकेले कमरे में ठहरे जबकि इसने अपने आप को पूरी तरह ढंक रखा है या उसके साथ बहुत दूर के सफर में जाना। किसी औरत के मामा और चाचा की माँएँ दामादों के लिए महरम रिश्तेदार है। कोई लड़की अपने महरम रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकती, इसकी इजाज़त है कि वह उस के सामने बगैर पर्दा बैठ सकती है लेकिन इस तरह जैसे के वह किसी नामहरम आदमी के सामने रहती है। वह बंद कमरे में एक साथ रूक सकती है या वह इसके साथ लम्बे सफर पे जा सकती है जोकि उसका महरम रिश्तेदार हो। जब कोई रिश्तेदार जो महरम नहीं है वह उनकी जगह आता है वह उसका “स्वागत” करती है,” अपने शौहर की मौजूदगी में या किसी औरत के जो उसके महरम रिश्तेदार है और अपने पूरे जिस्म को अच्छी तरह ढंक कर उसको अपना मुँह खोलने की इजाज़त है, वह उनको चाय कॉफी वगैरह दे सकती है लेकिन वहाँ बैठ नहीं सकती। मुसलमानों को चाहिए वह बताए हुए रास्ते पर चले यानि जो इस्लाम की तालीम है। बजाए इसके वह दुनियावी दिग्वावा करें, हर मुसलमान को चाहिए के अपनी बीबी को इस्लाम के तरीके और उसको रोज़ाना की ज़िन्दगी के बारे में बताए, अगर वह खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो उस को किसी औरत के पास पढ़ने के लिए भेजे ताकि वह पढ़े और सालिह (नेक) हो जाए (ताकि उसपे भरोसा किया जा सके) अगर वह ऐसी कोई औरत ना ढूँढ पाए जो इस्लाम का पालन और हराम को नज़रअंदाज़ करती है, इसको और इसकी बीबी को साथ मिलकर बैठना चाहिए और अहल-अस-सुन्नत के उलेमाओं के ज़रिए लिखी हुई इस्लामी तालीमियत को सही से पढ़ना चाहिए; इस तरह दोनों इस्लाम सीख लेंगे, यानि ईमान, हराम, फ़र्जयात सभी को अच्छे से। इसको अपने घर में ऐसी मुशरिकी किताबें नहीं रखनी चाहिए

जिसकी तफसीर किसी ऐसे आदमी ने लिखी हो जोकि किसी पक्के मज़हब का ना हो; उस तरह की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। इसको अपने घर रेडियो टी.वी नहीं रखने चाहिए क्योंकि यह इस्लाम के ख़िलाफ़ चलाने वाली और बरवाद करने वाली चीज़ें हैं। यह शैतान के साथ से भी बदतर है। यह आप की बीबी बच्चों का भरोसा और उन के बरताओं को ख़राब कर देता है। बीवियाँ और बेटीयाँ घर के काम-काज में मुबतला रहनी चाहिए: उनसे बज़ार, दफ़तर, बैंक, फैक्टरी इत्यादि नौकरीयाँ नहीं करानी चाहिए। बीवियों और बेटीयों को अपने शौहरों और वालीदों के व्यापार और कला में मदद नहीं करनी चाहिए। यह आदमी का फ़र्ज़ है कि घर का ज़रूरत का समान बज़ार, दुकान से ख़रीद कर घर लाए। अगर औरत को इस काम के लिए मजबूर किया गया तो वह उस का भरोसा उस का बरताव और उस की सेहत को नुक़सान पहुचाता है, दोनों की दुनिया व आख़िरत पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। वह कड़वी और ग़लत बात महसूस करेगा तो इसको चाहिए ऐसा ना करे! वह उसको गुनाहों और तबाहियों से नहीं बचा सकता। कोई शख्स जो इस्लाम का पालन करता है वह दुनिया व आख़िरत दोनों में राहत (अराम) हासिल करेगा, हमें अपने आप को अपने मज़हब की तालीमियत में रूजू करना चाहिए और हमें ऐसी मुस्कान व चापालूसी अलफ़ाज़ों में शैतानी साथ के हिस्से में नहीं आना चाहिए (धोकेबाज़ लोगों) को मुनाफीख़ कहते हैं। हमें अपने बेटों बेटियों को हराम से बचाना चाहिए। हमें अपने बेटों को ऐसे स्कूल भेजना चाहिए जहाँ मुसलमान उस्ताद हो। औरत को आदमियों के बीच काम करने की ज़रूरत नहीं है जैसे स्टोर, फैक्टरी या नागरिक सेवा, अगर उसका शौहर नहीं है, या उसका शौहर अब दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उस औरत के महरम रिश्तेदारों को उसकी तमाम ज़रूरयात पूरी करनी है। अगर इस औरत के रिश्तेदार गरीब है, तो सरकार उसको वज़ीफ़ा दे। अल्लाह तआला हर औरत की ज़रूरत उस की ज़रूरत के हिसाब से देता है, यह आदमी को इसकी ज़रूरतों का ज़िम्मा दे देता है। हालांकि औरत

को रोजमर्रा की ज़िन्दगी के लिए काम नहीं करना, आदमी अपनी जाएदाद का आधा हिस्सा अपनी बीबी से बांटता है। औरत को घर के अंदर के फर्ज निभाने चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी यह है कि बच्चों को अच्छे से पाले पोसे, बच्चे की सबसे बुनयादी उस्ताद उस की माँ होती है। एक बार जब बच्चा अपनी माँ से मज़हब की अच्छी तालीम सीख लेता है, यह कभी भी ग़ैर मज़हबी उस्तादों के ज़रिए नहीं भटक सकता, शैतानी साथ के ज़रिए या ज़िन्दीख़ों के झूठ के ज़रिए, ज़िन्दीख़ जोकि इस्लाम के दुश्मन है। यह अपने माँ बाप की तरह एक सच्चा मुसलमान बनता है। बराए मेहरबानी सआदते अबदिया के बारवें (12वें) बाव की पाँचवीं पूलिका और पन्द्रहवें (15वें) बाव की छठी पूलिका को भी देखें। मुनाफ़िक जो इस्लाम के विरोध में नुक़सानदायक चीज़ें करते हैं उन्हें ज़िन्दीख़ कहा जाता है।]

किसी जनाज़े के मुताल्लिक़ तेजहीज और तेकफ़ीन और तेदफ़ीन (मुसलमान की मय्यत को कैसे गुस्ल, कफ़न और दफ़न करें)

जनाज़े की नमाज़ अदा करना, किसी मुसलमान की मय्यत को गुस्ल, कफ़न, दफ़न तमाम इबादत के फ़र्ज़ी कर्म हैं।

मुसलमान मय्यत का गुस्ल, मुरदे को कमर के बल मार्बल पे या लकड़ी के तरख़्ते पे तनहाई में रखा जाए, इसकी कमीज़ उतारी जाए, इसे बुजू कराया जाए। उसके जिस्म का ऊपर का हिस्सा सर से नाफ़ तक हल्के गर्म पानी

से धोया जाए। फिर इसके नाफ के नीचे का हिस्सा घुठनों तक ढंक दो और फिर उस को धोओ। जो शख्स उसको धो रहा है वह अपने सीधे हाथ में दास्ताना पहने। फिर वह अपना दास्ताने वाला हाथ ढंके हुए कपड़े के भीतर डाले और ढंके हुए हिस्से को धोए। वह ढंके हुए हिस्से के अन्दर निगाह ना डाले। फिर उसको बांय हाथ की तरफ मोड़ दिया जाए दांय तरफ दस्ताने वाले हाथ से धोया जाए; उसके बाद इसको दांय तरफ मोड़ो और इसकी बांयी तरफ को दास्ताने वाले हाथ से धोओ। फिर कफन के तीन हिस्से तख्ते पर मय्यत के नीचे फैला दो मय्यत को कफन में करने के बाद मसेरी पर रख दिया जाए।

कफन तीन तरह के होते हैं कफन-ए-फर्ज़, [जिसे कफन-ए-ज़रूरत भी कहते हैं;] कफन-ए-सुन्नत और कफन-ए-किफाया।

कफन-ए-सुन्नत में आदमी के लिए तीन हिस्से होते हैं और औरत के लिए पाँच हिस्से होते हैं।

कफन-ए-किफाया में आदमी के लिए दो हिस्से और औरत के लिए तीन हिस्से होते हैं।

यह **बहर-उर-राईक** में फरमाया गया है: औरत के लिए कफन-ए-किफाया इज़ार, लिफाफा और हिमार यानि सर ढंकने का कपड़ा। औरत जब ज़िन्दा होती है (कम से कम) उस वक़्त उसको ढंकने के लिए यह तीन कपड़े होते हैं इज़ार, उन पुराने दिनों में ऐसा कपड़ा था जो उसका तमाम जिस्म ऊपर से लेकर पैरों तक ढंक देता था, इन्हे अबीदीन लिखते हैं लिफाफा कमीज़ है। जैसे की यह देखा जाता है कि औरत एक ओवरकोट और सर पर कपड़ा लपेट कर बाहर जाती है, यह **दुर-उल-मुनतखा** और बहर-उर-राईक में लिखा गया है: “नफाका जोकि शौहर के लिए वाजिब है कि अपनी वीवी को खाना, कपड़ा और ज़रूरत की चीज़ें दें। हिमार की मिलावट से कपड़े (सर को ढंकने

का कपड़ा) और मिलहाफा (मफल्ट), जिसका मतलब बहारी लपेटन। [इसे आज 'फेराजा' या 'मनटो' या 'साया' कहा जाता है। जैसे की यह देखा जाता है, औरत के पहनावे में तीन हिस्सों की मिलावट होती है। और उनमें चादर (चारशक) शामिल नहीं है क्योंकि चादर आज कल फैशन में है, औरत के लिए जायज़ है के वह जहाँ भी रिवाज़ हो चादर पहने और ओवरकोट (मानटो) और सर के लिए मोटा कपड़ा पहने जहाँ इन्हें पहनने का रीतीरिवाज़ हो आम लोगों में अपने आपको न्याय मानना और रिवाज़ी इस्तेमालात फितने की वजह बनते हैं, जो हराम में बदल जाता है।]

कफन-ए-फर्ज़- यह आदमी और औरत दोनों के लिए एक टुकड़ा होता है।

वह जगह जहाँ सिल्क (रेशम) के अलावा कोई और कपड़ा ना हो तो मर्द के लिए एक और औरत के लिए दो टुकड़े होने चाहिए।

अगर वह मुसलमान है, जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने के लिए ऐसे इमाम को तरजीह देनी चाहिए जैसे सदर, किसी शहर का जज ख़तीब जो जुम्मे की नमाज़ पढ़ाता हो और इमाम-ए-हाए है। (बराए मेहरबानी ज़्यादा जानकारी के लिए सआदते अबदिया के (20वें) बाब की चौथी पूलिका को देखें।)

इमाम-ए-हाए उस को कहते हैं जो काबिल मुसलमान हो और मुसलमानों की जानकारी रखता हो (जो नमाज़े जनाज़ा पढ़ा सकता हो) और जब वह मुर्दा ज़िन्दा हो तो उस इमाम पे अच्छी अक़ीदत रखता हो। उसके बाद दूसरी तर्ज़ी पुराने वली की है। अगर कोई वली न हो तो नमाज़ कोई और मुसलमान पढ़ा दे जो ऊपर बताए लोगों में से ना हो, वली की मर्ज़ी होगी। यह दोबारा नमाज़ पढ़ाए या ना पढ़ाए। तफ़सीली जानकारी सआदते अबदिया की चौथी वा पाँचवीं पूलिका में मौजूद है।

फर्ज़ करो कि अगर किसी शख्स की आधी (लम्बाई में) कटी हुई लाश मिलती है तो उस आधी लाश की नमाज़े जनाज़ा होनी ज़रूरी नहीं है।

फर्ज़ करो कि अगर लाश टुकड़ों में मिलती है और टुकड़े इधर-उधर पड़े हो तो उस शख्स की भी नमाज़े जनाज़ा ज़रूरी नहीं है। हाँ अगर टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर ले तो नमाज़े जनाज़ा पढ़ेंगे।

अगर किसी मय्यत को गुस्ल दे दिया गया और कोई एक हिस्सा सूखा रह गया; तो उस हिस्से को धोना होगा अगर कफ़न नहीं पहनाया गया तो। दूसरे अलफ़ाज़ों में, फर्ज़ करो की जनाज़ा कब्र के पास लाने के बाद कहा जाता है कि एक वुजू वाला हिस्सा सूखा रह गया है तो वह उस हिस्से को धोए और उस के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़े। और अगर मय्यत को कब्र में रखने के बाद कोई कहे तो मय्यत को ना दफ़नाएँ। अगर (यह कब्र में उतारने के बाद पता चला है कि) मय्यत को गुस्ल नहीं हुआ; तो ज़रूर ही मय्यत को बाहर निकाला जाए और गुस्ल दिया जाए, अगर मय्यत को अभी तक दफ़नाया नहीं हो तो।

फर्ज़ करो कि मय्यत को तय्यम्मूम करा दिया हो और जब तुम मय्यत को (मसेरी पे) ले जा रहे हो तो पानी मिल जाए उस वक़्त आपकी मर्ज़ी होगी की गुस्ल कराएं या नहीं।

फर्ज़ करो कि किसी शहर में बहुत से लोग एक साथ मर जाते हैं; तो तमाम के लिए सिर्फ़ एक ही नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई जा सकती है। यह बताना ज़रूरी है कि, इस्लामिक हुक्मत से मुहाएदा है बेहतर होगा अगर हर एक की नमाज़ अलग-अलग अदा कि जाए।

मुसलमान को नमाज़े जनाज़ा की नीयत इस तरह करनी चाहिए:
“(नियत करता हूँ मैं) नमाज़े जनाज़ा अल्लाह तआला की रज़ा के लिए इस

आदमी [या औरत] की मग़फ़िरत के लिए इस इमाम के पीछे जो यहाँ मौजूद है और जो नमाज़ पढ़ाने वाला है।”

फर्ज़ करो कि कोई शख्स मुसाफ़िरों सवारियों को लूटता हुआ पकड़ा जाता है और जज या किसी वली के फैसले पर मार दिया जाता है या कोई राज-द्रोही जोकि राज्य के खिलाफ लड़ाई करते में मारा जाता है या कोई शख्स इस लिए मारा गया क्योंकि इसने अपने माँ-बाप की हत्या कर दी ऐसे तीन मुजरीमों की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाई जाती।

अगर किसी ने खुदकुशी कर ली हो यानि जिसने अपने आपको मौत के गले लगा लिया हो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई जाती है (दुर-उल-मुख़तार)

सुन्नी मुसलमान की दस खूबी है:

1- सुन्नी मुसलमान (पाँचों वक़्त की नमाज़ों के लिए) रोज़ाना मस्जिद में जमाअत के लिए जाएगा।

2- वह जमाअत में मिलेगा और इमाम के पीछे नमाज़ अदा करेगा (जिसका ईमान और अक़ीदा (गुनेहगारता) इतनी बुरी नहीं होगी कि वह अंधविश्वासी बन जाए।

3- वह गंदगी के लिए मसाह की जाईज़ता को समझेगा। (जोकि सआदते अबदिया के चौथी पूलिका के तीसरे बाब में तफसीर से बताया गया है।)

4- वह किसी असहाब-ए-ईकराम ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन’ को बदनाम नहीं करेगा।

5- वह रियासत के खिलाफ बगावत नहीं करेगा।

6- वह मज़हबी मामलातों पर ज़बरदस्ती बेईमानी या झगड़ा नहीं करेगा।

7- वह मज़हबी धोकेबाज़ी पर ध्यान नहीं देगा।

8- वह अल्लाह तआला की तरफ से अच्छाई या बुराई सबको समझेगा।

9- वह ऐसे मुसलमान को माफ नहीं करेगा जो क़िब्ले पे यकीन नहीं करते [जब तक कि उसका इलहाद ना जान ले।]

10- वह दूसरे सहाबियों पे (शुरूआती) चारों ख़लीफ़ाओं का हवाला देगा, (यानि, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली,)

मौत के मुताल्लिक

ओ ग़रीब कमज़ोर, तू मौत से भागता है! “फला फला शख्स मर गए है। अगर प्लेग या कोई और छूत की बीमारी या ख़तरनाक मर्ज़ किसी ईलाके में फैल जाता है, तो तुम दूसरी जगह बदल देते हो, यह कहते हुए के, अगर मैं इसके पास रहा तो हो सकता है इस छूत की बीमारी से मेरी भी मौत हो जाए।” इस तरह के अक़ाईद का होना हराम है। कोई भी बीमारी तुमको हो सकती है अगर अल्लाहु तआला चाहें।

ऐ ग़रीब कमज़ोर, तुम कहाँ तक भागोगे! तुमसे यह वादा लिया गया है मौत ही तुम्हारा अन्त है। एक लम्हें के लिए भी मौत नहीं टलेगी। जब तुम्हारी मौत का वक़्त आएगा, ख़ालीक़-ए-आलम (तमाम मख़्लूक़ात का बनाने वाला)

तुमको पलके झपकने के बराबर भी मोहलत नहीं देगा। मौत ना वक़्त से पहले और ना वक़्त के बाद यह अपने मुक़र्रर वक़्त पर आएगी।

जहाँ कहीं भी हक़ तआला की तरफ़ से उस शख्स की पहले से तय की हुई मंज़िल होगी, वह शख्स उस जगह जाएगा अपनी तमाम जाएदाद, परिवार और बच्चे छोड़कर और उसकी रूह जब तक नहीं निकलेगी की जबतक के वह उस जगह नहीं पहुँच जाता जहाँ उसकी मिट्टी उसका इत्तेज़ार कर रही है।

जब मौत का वक़्त आएगा तो हर कोई मर जाएगा। सूरत आराफ़ में यह फरमाया गया है: “...जब उसकी मौत का वक़्त पूरा हो जाता है, तो किसी तरह की देरी नहीं होती है और ना ही पहले मौत आती है (यह पहले ही तय होती है)।”

किसी शख्स के पैदा होने से पहले, यह मुक़र्रर हो जाता है कि यह कितना जीएगा और यह लोह-ए-मेहफूज़ में लिखा गया है: कहाँ ये शख्स इन्तेक़ाल फरमाएगा, के तौबा करके मरेगा या बिना तौबा किए बग़ैर मर जाएगा (अगर किसी) वीमारी से मरेगा तो कौनसी, हालांकि यह ईमान से मरेगा या बग़ैर ईमान के मरेगा। हकीकत में, ये सच्चाई लोकमान सूरा की आख़िरी आयत में छेड़ी हुई है।

ख़ालिक्-ए-आलम ने मौत बनाई। उसके बाद इसने हयात (ज़िन्दगी) बनाई। और उसके बाद हमारा रिज़क बनाया वा लौह-ईल-महफूज़ में लिखा।

हक़ तआला जानता है कि तुम कितने सांस लोगे और इसने लोह-ईल-महफूज़ लिख दिया है। फ़रिश्ते इसकी देखभाल करते हैं, और जब वक़्त आता है तो वह मलाकुल-मौत (मौत के फ़रिश्ते) को बता देते हैं।

अगर तुमने अपनी ज़िन्दगी कुरान-अल-करीम के मुताबिक गुज़ारी और जो उसमें हुक्मात लिखे हैं उनपे मशक्कत करी, तो तुम (अगली दुनिया में) खुश शख्स बनके जाओगे! अल्लाह तआला की हर बात मानना। किसी शख्स की मौत पर मत रोओ पीटो। इस तरह की चीज़े किसी शख्स के बग़ैर ईमान के मरने की वजह बनती हैं। हम अल्लाह तआला की पनाह में ले लिए जाएंगे। क्या हमें कोई गुनाह या गलती करनी चाहिए, हमें तौबा-ए-नसूह करनी चाहिए।

हक सुब्हानल्लाहु वा तआला ने इज़राईल ‘अलैहिस्सलाम’ (मौत के फ़रिश्ते) को हुक्म दिया: “ले आओ मेरे दोस्तों की रूहों को असानी से, और मेरे दुश्मनों की रूहों को कठोरता से” इन आऊजु विल्लाह, अगर कोई ना फ़रमान हो !

आख़िरत में एक दिन इतना लम्बा होगा जोकि एक हज़ार साल या पचास हज़ार साल के जैसा इस मामले से मुताल्लिक बहुत सारे बयानात हैं। यह हकीकत सजदा सूरा की पाँचवीं आयत-ए-करीमा और मेराज सूरा की चौथी आयत-ए-करीमा में समझा जाता है।

उसके बाद मौत का फ़रिश्ता ना फ़रमान आदमी की रूह को बहुत तकलीफ़ से खींच लेगा। उसके बारे में बताने में ज़वान कम पड़ेगी। हमको अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, जिसने हमें शुन्य (नबुदगी) से बनाया, कुछ लोग तड़पेंगे और एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ मोड़ दिए जाएंगे जैसे की वसंत। सच्चाई के तौर पर, अल्लाह तआला उन्हें वा-न-नाज़ीआती सूरा में बताते हैं। फ़रिश्तें उनको बहुत ज़्यादा तड़पाएंगे, और एक दूसरे से बातचीत के दौरान। ज़िबराईल ‘अलैहिस्सलाम’ उनके लिए कहते हैं: “रहम दया ना करो!” मुनाफ़िक की रूह उस की नाक की नोक तक आएगी। तब फ़रिश्तें उस को ढीला छोड़ देंगे, उसके सारे जिस्मी हिस्सों को इतनी मज़बूती से मींच देंगे के

उसकी आँखों की रौशनी ज़मीन पर गिर जाएगी। फ़रिश्ते उनको कहेंगे: “तुम जन्नत के लिए नहीं हो! क्या तुम भूल गए ज़िन्दगी में जो तुमने गलत काम किए थे? तुम अच्छे काम के आदमी नहीं थे। अज़ाब जो तुम्हारे लिए तैयार हुआ है वह अज़ाब मुनाफ़िकों और मुशरिकों का होता है। तुम्हारे लिए नमाज़, ज़कात, भीख या गरीबों के लिए रहम कोई मायने नहीं रखता था। तुमने हराम को नहीं छोड़ा, और तुमने तमाम फ़साद कि। तुमने ग़ीबत की और फिर कहा: ‘अल्लाह करीम है’, और अब तुम्हारे लिए सज़ा अज़ाब है” फिर हज़रत हक़ सुबहानाह वा तआला बताते हैं: “वो मुनाफ़िक जिन्होंने एक बार भी अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा। वह घमंडी थे। वह फ़र्ज़यात सुन्नतें या वाजीबात महसूस नहीं कर पाए। तो अब इन्हें मेरा अज़ाब देखने दो!” दोबारा, ज़ेवानिस (सज़ा देने वाला फ़रिश्ता) उसका नाखून नीचे पकड़ेगा और उस की रूह को छाती की नाभी से खींचेगा और उस को ग्रसनी (जो आधानाल होती है) उस तक उठाएगा और फिर उस को वापस दो बार नीचे तक जाने देगा। दुबारा दूसरी आवाज़ आएगी (अल्लाह की तरफ से) कहेंगे: “क्या तुम्हें उलेमाओं ने नहीं बताया था? तुमने हमारी किताबें नहीं पढ़ी थी? क्या तुमसे नहीं कहा था: ना जानने वालों की पकड़ में ना आना और शैतानी बातों को ना मानना? क्या यह नहीं बताया था: के जान लो तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं?” इस दुनिया की तलब मत करना, जो कांटों से भरी है, जो कुछ अल्लाह तआला ने दिया उसका शुक्र करना और अल्लाह के गुलामों पर रहम (दया) करना, गरीब और मिसकीनों को खाना खिलाना। अल्लाह तआला इतना बड़ा शासकीय है कि उसने तुमको बनाया तुम्हारे लिए खाना पैदा किया, अगर कोई मुसीबत इसकी तरफ से तुमपे आती तो तुम इससे दुबारा भीक माँगे, और इससे दुबारा बचाव की दुआ करो, यह मत कहो के “भिने डॉक्टरों को पैसे दिए और उन्होने मुझे ठीक कर दिया।” यह जान लो कि अल्लाह तआला ने तुम्हें बचाया है। जाएदाद जो तुम कहते हो तुम्हारी है दरअसल तुम इसकी देख-रेख के लिए

हो। यह तुम्हारी बीमारी का ईलाज नहीं है। अगर यह वह है जो तुमने हलाल तरीके से कमाया है, तो तुमको उसके हक में बुलाया जाएगा। जिस चीज़ के लिए भी हक सुबहानाहु वा तआला तुमको हुक्म देता है, वह तुमको लेना होगा; तुम्हारी जाएदाद तुम्हारे बच्चों या तुम्हारे दोस्तों से कोई भी मदद नहीं आएगी और तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे कोई मसला नहीं होगा तुम कितना चिल्लाओं कितनी ऊँची आवाज़ से रोओ या कितना ही भागने की कोशिश करो। आख़िरकार तुम उस ही मिट्टी में दफ़नाए जाओगे जहाँ तुम्हारी कब्र तुमको पुकारती है। जबतक तुम्हारी मौत का वक़्त नहीं आ जाता कोई तुमको नुक़सान नहीं पहुँचा सकता, सिर्फ़ तुम खुद को ख़तरों से बचा सकते हो और जो तुम्हारी बीमारियों की वजुहात है उसका पालन कर सकते हो।

और जब भी हक़ तआला तुमपे दया करता है जैसे सेहत, माल और बच्चें, तुम उनमें खुश रहते हो और कहते हो, “हमारे रब की मेहरबानी है,” लेकिन जब अल्लाह तआला तुमको मुसीबत में डालता है यानि जब कोई आफ़त परेशानी आती है, तो तुम उदास हो जाते हो बजाए इसके सब करो और सारी मेहरबानी भूल जाते हो।

एक आवाज़ अल्लाह तआला की तरफ़ से कहती है: **“ओ मेरे फ़रिश्तों! इसको पकड़ो!”** फ़रिश्ते उसके वालों को गहराई से पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे, और इसके बाद बार-बार ऐसे ही करेंगे। किसी के पास भी इतनी ताक़त नहीं होगी के अल्लाह की तरफ़ से किसी अज़ाबित शख्स को बचा सके।

जब आदमी अपनी मौत के बिस्तर पे यह अज़ाब देखता है हैरान हो जाता है: अफ़सोस, अफ़सोस, कैसे मैं ख़्वाहिश करू के दुनिया में अल्लाह तआला कि बताई गई चीज़ों (इस्लामियत) पर अमल करता, तो आज मैं इस अज़ाब में ना घिरता! दुवारा, अल्लाह तआला की तरफ़ से एक आवाज़ ग़लत लोगों के लिए आएगी: **“ओ मेरे घमंडी गुलाम! जाओ अपनी जाएदाद को खर्च**

करके अपने इस दोस्त को बचा लो! दुनिया में जब मेरी तरफ से मुसीबत आई थी तुमने सब्र नहीं दिखाया, और मेरे बारे में शिकायत थी। यहाँ यह गुलाम अज़ाब में है मेरी ताकत से इसकी रूह गले की हड्डी तक आ गई है।” फ़रिश्ते यह आवाज़ सुनेंगे और खुद को झुका देंगे, यह कहते हुए “ओ हमारे ख़ब! तेरी सज़ा बरहक (सच्ची और बिल्कुल) ठीक है!” इसके बारे में हक़ तआला ने हमको कुरानुल करीम बताया था। इसके बाद दूसरी आवाज़ आती है, फ़रिश्ते को हुक्म होगा के “इसको पकड़ो।” ऐसे दर्दनाक तरीके से इसके जड़ से बाल उखाड़ो कि इसके जिस्म पे एक भी बाल अज़ाब से ना बचे, फ़रिश्ते एक के पीछे एक चिल्लाएंगे: “ओ अल्लाह के गुलाम की नाफरमान रूह! आज्ञा अपने जिस्म से बाहर निकल आज का दिन तेरे लिए अज़ाब का है, क्योंकि तूँ अल्लाह तआला के अलावा दूसरी चीज़ों से मुहब्बत करता था और तूँ इतना घमंडी था के गरीबों को हिकारत से देखता था और तूने वह चीज़ें करी जो हाराम थी और तूँ गलत को सही, और सही को गलत मानता था।” इन वाक़ियात पे कुरानुल करीम में इर्शाद है।

उसके बाद वह शख्स फ़रिश्ते से कहता है: मुझे एक पल के लिए छोड़ दो ताकि मैं अपने आपको एक साथ घसीट लूँ। जबकि मौत का फ़रिश्ता उस के विस्तर की तरफ़ खड़ा होगा, जैसे ही वह मौत के फ़रिश्ते को देखेगा कांपना शुरू कर देगा, अज़ाब के बारे में भूल जाएगा जो उसने देखा। जब मौत के फ़रिश्ते को देखेगा तो कहेगा तुम कौन हो तुम इन अज़ाब देने वाले फ़रिश्तों में से हो, और तुम यहाँ क्यों हो? उसके बाद मौत की धोकनी उसपे हावी हो जाएगी: मैं मौत हूँ जो तुझे ज़मीन से ले जाने आई हूँ, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे और तेरी जाएदाद दुनियावी रिश्तेदारों की विरासत हो जाएगी।

जब वह मौत से यह अलफ़ाज़ सुनेगा, वह कांपना शुरू कर देगा और मुँह इधर-उधर करेगा। यह निशानियाँ रसूल-ए-करीम ‘सल्लल्लाहु तआला

अलैहि वसल्लम' के ज़रिए सही-ए-बुख़ारी हदीस शरीफ में बताई गई है: “जब यह फ़रिश्तों को सुनता है, वह अपना मुँह दीवार की तरफ करता है और मौत के फ़रिश्तों को खड़ा पाता है।”

जिधर भी यह मुड़ता है मौत उसके ठीक सामने होती है और फिर दुबारा पीछे की तरफ मुड़ता है।

मौत का फ़रिश्ता ज़ोरदार आवाज़ से चिल्लाएगा: “मैं वह बड़ा फ़रिश्ता हूँ जो तेरे माँ-बाप की रूह ले गया; तब तुम वही थे; तुमने उनकी तब क्या मदद की? और आज सब तुम्हारे बच्चों और मिलने जुलने वाले तुम को देख रहे हैं। किस फायदे के लिए? मैं बहुत बड़ा फ़रिश्ता हूँ और जिन लोगों को मैं तुमसे पहले मार चुका हूँ वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे।

जैसे यह विस्तर पर लेटेगा फ़रिश्तों से बात करेगा, तब तड़पाने वाला फ़रिश्ता हार जाएगा और वह चला जाएगा, जब वह तमाम फ़रिश्तों के साथ इज़राईल ‘अलैहिस्सलाम’ (मौत का फ़रिश्ता) की मौजूदगी देखेगा, वह अपना दिमाग़ खो देगा यानि उस नज़ारे को देख कर घबरा जाएगा।

इज़राईल ‘अलैहिस्सलाम’ पूछेंगे: तुमको दुनिया कैसी लगी? वह जवाब देगा: मैं दुनिया की बातों में मौजमस्ती कर रहा था। और यह नतीजा है मेरी मौजमस्ती का।

और ख़ालिक-ए-जहान (दुनिया को बनाने वाले) दुनिया को एक औरत में बदलता है। अपनी अपमानजनक आसमानी आँखों में, उस के दांत जैसे भेस के और डरावनी बंदबु के साथ वह उसकी छाती पर बैठ जाएगी।

फिर वह उस शख्स की जाएदाद उसके सामने लाते हैं। उसकी आँखों के सामने और उसके मिनमिनाने के बावजूद, वह इसको जाएदाद देते हैं, जोकि

इसने अपने विरासतियों के लिए हलाल और हराम में फर्क किए बगैर कमाई थी।

उसके बाद जाएदाद अपने मालिक से कहती है: “ओ नाफरमावरदार गुलाम! तूने मुझे कमाया और बगैर ज़कात या ख़ैरात के गलत तरीके से खर्च किया। और अब मैं तेरे पास से जा रही हूँ और उन लोगों का माल बन जाऊँगी जिन्हें तू नापसन्द करता था। वह अब मुझे तुझसे बगैर किसी शुकर अदा करे लेंगे।”

जैसे ही यह इस हाल में होगा, वह अपने चारों ओर बेताबी से देखेगा जैसे के इसका दिल बुरी तरह जल रहा हो।

इसकी हरकतों का यह हाल शैतान के लिए अवसर होगा वह इसे पकड़ने के लिए बहुत खुश होगा: और शैतान अपने हाथ में एक गोलाकार लेकर उसके विस्तर के पास जाएगा ताकि वह उसका ईमान चुरा ले वह उसके विस्तर के पास गोलाकार को ठंडे पानी में डालकर हिलाएगा। यह वह वक़्त है जहाँ और जब एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी एक दूसरे को जानते होंगे।

अगर वह शख्स बगैर सआदत के होगा, तो कहेगा: “मुझे वह पानी पीने दो।” शैतान को और क्या चाहिए था! यह कहता है कहो के -हाशा- दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है। अगर वह अशक्त आदमी होगा, तो इसको जो भी कहने को कहा जाएगा कहेगा, फिर इनआऊजु बिल्लाह उसका ईमान चला जाता है। हालांकि जैसे की हिकमत हुदा (अल्लाह तआला) से वास्ता रखती है, इस तरह के अशक्त लोग हाथ के पास कुछ पानी रखते हैं।

फटाफट अशक्त व्यक्ति का मुँह अजर खुलता है और वह कुछ पानी पीना चाहता है।

अगर उसके बचाव के लिए हिदायत आती तो यह शैतान से नफरत करता और जो पानी वह देता उसको नाकार देता।

अगर ईमानवाले का वक्त ख़त्म हो गया इज़राईल 'अलैहिस्सलाम' इसकी रूह को बाहर निकालने का हुक्म करते हैं और मुबारक फ़रिशतें हुक्म पे अमल करते हैं। तीन सौ साठ फ़रिशतें उस (किस्मतवाली) रूह को इज़राईल 'अलैहिस्सलाम' के हाथों से लेंगे, वह सभी दोस्तों और जान पहचान वालों में बात करेंगे, वह रूह को जन्नत के कपड़े पहनाएंगे और जन्नत लेकर जाएंगे और इसको जन्नत में इसकी जगह देखा कर फौरन बाद इसके जिस्म में रूह को रख देंगे।

और अगर कोई बिना ईमान के मर गया। सिज्जीन से तीन सौ साठ फ़रिशतें उसके लिए (दोज़ख़ के पेड़ का) ज़क्कूम लाएंगे, जोकि तार से भी ज़्यादा काला होगा, इसकी रूह को इसमें लपेटेंगे, जिसने इसके जिस्म को बग़ैर ईमान के छोड़ा, फौरन दोज़ख़ लेकर जाएंगे, इसको इसकी जगह दिखाएंगे, और दुबारा इसकी मय्यत के पास वापस ले आएंगे।

अगर कोई शख्स बालिग़ हो जाता है, दुनिया में काफी लम्बी उम्र गुज़ार देता है, हुक्मात की नाफरमानी करता है, और दुनिया में बग़ैर तौबा किए मर जाता है - इनाऊजु विल्लाह (अल्लाह हमें ऐसे खात्मे से बचाए) - वह यह तमाम सज़ाएँ देखता है, तमाम शर्मिन्दगी वाले व्यवहारों से गुज़रेगा, और दोज़ख़ में ख़त्म होगा, जबतक के अल्लाह तआला की हिदायत (रहमत) उस को बचाने के लिए नहीं आती या हज़रत मुहम्मद 'सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम' की शफाअत। (बराए मेहरबानी [बचाव के लिए] सआदते अबदिया का दूसरी पूलिका का 35वां बाब देखें। शफाअत की तफसीली जानकारी के लिए)

(मासूम) बच्चे की मौत के मुताल्लिक

जब कोई मुस्लिम बच्चा बीमार हो जाता है और मौत के विस्तर पर पहुँच जाता है, इसका ठिकाना मकाम-ए-इल्लिय्यीन होता है, यानि, जन्नत। तीन सौ साठ फ़रिशतें वहाँ से आते हैं, और उस बच्चे के पास लाईन में खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं: “या मासूम (ओ मासूम बच्चे)। तुम्हारे लिए खुशख़बरी है! आज का दिन वह दिन है जब तुम्हारे बीते हुए कल के लिए हक़ तआला से दरख्वास्त होगी। तुम्हारे बाप के लिए, दादा दादी के लिए और पड़ोसियों के लिए।” इसके बाद सौ फ़रिशतें इसके सर पे शफ़ाअत का ताज रखते हैं और दूसरे सौ इसे प्यार का ताज पहनाते हैं और दूसरे सौ इसे जोश के और ताक़त के कपड़े पहनाते हैं और बाकी साठ फ़रिशतें इसकी आँखों से पर्दा और अवरोध को हटाते हैं। जितनी जल्दी जैसे ही तमाम बाधाओं को उठाया जाता है, यह दिखाता है के हज़रत आदम से लेकर तमाम मरहूम ईमान वालों के, वालिद और दादा, और उनमें से कुछ के ज़रिए किया हुआ आज़ाब भी। जब उन लोगों के मुताल्लिक यह हालात और सच्चाई दिखती है, यह रोते हैं और कंपकपाते हैं, कि वह लोग जो मौत के अंदरूनी सार कष्टों; ऐठन के मतलब को नहीं जानते हैं।

जब फ़रिशतें इसकी रूह बाहर निकालने आते हैं और इसे शहफ़ाअत में ढके हुए व ताज पहने देखते हैं और इसकी आँखें खुलने से पहले पर्दों के साथ और अब वह इसकी रूह निकालने लायक़ नहीं है, वह इससे कहते हैं: “या मासूम! ख़ालिक-ए-आलम (तमाम मख़्लुकात के बनाने वाले ने) तुझे सलाम भेजा है (तुझे सलाम किया और नेक ख़्वाहिशात पेश की है), तुझसे कहता है: मैंने तुझे बनाया था, और अब इसे मेरे पास वापस आने दो, और इसके बदले में मुझे इसे जन्नत देने दो और अपना दीदार कराने दो, अगर तुम

हमारा यकीन नहीं करते तो अपना चेहरा जन्नत की तरफ करो, ताकि तुम (अपने लिए) देखेंगे।” इसके बाद बच्चा नज़र डालता है और फ़रिश्तें व अल्लाहु तआला की ख़ूबसूरती (जमाल) देखता है यह कंपकपाता है, मुँह पे झाग आते हैं, और खुशी से लाल हो जाता है, कितना महान है यह खुश होता है और छलांग लगाने की कागार पे आ जाता है और अपनी रूह को छोड़ने की जल्दी करता है, जब किसी तरह यह अपने पूर्वजों पे अज़ाब का नज़ारा देखता है, और फिर अपनी रूह को छोड़ने से मना करता है। फ़रिश्तें कहते हैं: “या मासूम!” तुम क्यों अपनी रूह नहीं छोड़ रहे?” बच्चा कहता है “ओ फ़रिश्तों अल्लाह तआला से मेरे हक़ से गुज़ारिश करो के मेरे रिश्तेदारों और पूर्वजों को माफ़ कर दे” फ़रिश्तें कहते हैं: “या रब्बी! आप जानते हैं कि हम इस मासूम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं” इसके बाद अल्लाह जल्लाला शहानूह उनको इकतेला करते हैं: “कि मेरे इज़ (ताकत, व जलाल) के हक़ के लिए, मैंने उनको माफ़ कर दिया है।” फिर फ़रिश्तें बच्चे के पास जाते हैं और कहते हैं: या मासूम! तुम्हारे लिए खुशख़बरी है! अल्लाहु तआला ने उन सभी को माफ़ कर दिया जिनके पास ईमान था और तुम्हारी सारी दरख़्वास्त कुबूल कर ली है।” जैसे ही बच्चा इतनी बड़ी खुशख़बरी में खुश होता है हक़ तआला इसके पास जन्नत से अपनी दो हूरों को भेजता है इसके वालिदैन् का भेस बदलकर जो इसे दिख़ते हैं, अपनी बांहें खोलते हैं, और कहते हैं: “ओ मेरे बेटे, या बेटा! हमारे साथ आओ। हम जन्नत में तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, उन्होंने उसके हाथ में एक सेब दिया जो वह जन्नत से उस बच्चे के लिए लाए थे और कहा, “ये लो” जैसे ही बच्चा सेब सूंघता है, हज़रत इज़राईल ‘अलैहिस्सलाम’ (मौत के फ़रिश्ते) एक इतने प्यारे बच्चे बन जाते हैं जितना की यह है और इसकी ज़िन्दगी [रूह] एकदम से बाहर निकाल लेते हैं।

दूसरी रिवायत के मुताबिक, जैसे ही बच्चा सेब सूंघता है, इसकी रूह सेब से चुपक जाती है और मौत का फरिश्ता सेब से बच्चे की जान ले लेता है। दोनों रिवायते जायज़ है।

उसके बाद मौत का फरिश्ता रूह को जन्नत में ले जाता है, रूह रास्ते में जन्नतें देखती हुई जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा खुला देश है हरे चन्द्रकान्त से बना हुआ, जब वह वहाँ पहुँचते हैं बच्चा पूछता है: “तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो?” फरिश्तें समझाते हैं: “या मासूम! वह कयामत के दिन की जगह है। वहाँ बहुत गर्मी है। इस बड़े देश में सत्तर हजार फव्वारे रहमत के सिर हैं। जोकि हज़रत रसूल-ए-करीम ‘अलैहिस्सलाम’ के ज़रिए खड़े किए गए मुबारक तलाव और नूर के चश्मे देखें! जब तम्हारे वालिदैन् कयामत के दिन की जगह पे आएंगे, तुम इन चश्मों को पानी से भरना और उनको दे देना, और उनको यहाँ रख लेना और जाने ना देना, ऐसा ना हो की वह दोज़ख़ की तरफ जाँए और अज़ाब व कलंक का निशाना बने, उस हाल में, तुम जो दुआ करोगे हक़ तआला की नज़र में कुबूल होगी। और जुम्मे की रातों को (यानी जुम्मेरात और जुम्मे के बीच वाली रातें) नीचे ज़मीन पे चली जाँएगी, जब तुम वहाँ जाओ अल्लाह तआला का उम्मत-ए-मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ के लिए सलाम लेते जाना। और उनपे नूर छिड़क देना और उनके हम्द की बारात अल्लाहु तआला के लिए लेना।”

बच्चे की रूह के इन दर्जों के सफर करने के बाद वह जल्दी से इसे वापस ले आएंगे और इसको मरे हुए बच्चे के सिरहाने रख देंगे। जनाज़े की नमाज़ की अदाएगी की प्रक्रिया के दौरान, मुर्दे को दफ़नाना और कब्र में सवालात, रूह कब्र में रहती है। अगर इसके वालिदैन् बग़ैर ईमान के वफ़ात पा लेते हैं। तो वह बच्चा उनको कही नहीं दिखेगा और मिलेगा उनके बीच एक

पर्दा होगा, ताकि वह एक दूसरे को देखने के इच्छुक हो, यह मुसलमान बच्चे के बालिग उम्र से पहले मर जाने के बारे में सच्चाईयाँ हैं।

मुसलमान औरतों की मौत के मुताल्लिक

अगर एक औरत जेर से मर जाती है या गर्भवती या अंदरूनी बीमारी या, इनमें से बिना किसी वजह से, सामान्य मौत से मरती है जैसे कि इसने अपनी ज़िन्दगी जी जिसमें इसने कभी भी अपने आप को अपने जिस्म (शरीर) को बिना ढके किसी भी नामहरम मर्द को नहीं दिखाया, (यानि इस्लाम के ज़रिए सिखाए गए रास्ते पे चली) और जिसमें उसका शौहर उससे राज़ी था, उसकी मौत के वक़्त जन्नत के फ़रिश्तें आए और उससे पहले कुछ अलफ़ाज़ात कहे और उसको गहरी इज़ज़त से सलाम करके, उसको कहते हैं: “ओ अल्लाह तआला की मुबारक व शहीद बंदी। बाहर आ जाओ तुम इस दुनियावी जगह में क्या कर रही हो? अल्लाह तआला तुमसे राज़ी है और अल्लाह ने तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हें माफ़ फरमा दिया है और अपनी जन्नत में तुम्हें कुबूल लिया है। आ जाओ और अपने आप की हिफ़ाज़त करना छोड़ दो।” जब वह औरत उस ऊँचे दर्जे को देखती है जो वह हासिल करने जा रही है तो फिर वह अपनी रूह छोड़ना चाहती है, हालांकि वह अपने आस पास देखती है और कहती है: “पहले अल्लाह तआला को दुनिया में मेरे दोस्तों का फैसला रहम के साथ करने दो, और उसके बाद में अपनी रूह को छोड़ दूंगी।” फ़रिश्तें इसकी इलतिजा जनाव-ए-हक़ को हाज़िर करते हैं। उसके बाद अल्लाहु तआला अपने आप इज़हार करते हैं कि: अपनी अज़मत के हक़ के लिए, मैंने अपनी इस बंदी की तमाम इबादतों को कुबूल फरमा लिया है,” फिर फ़रिश्तें उसको खुश ख़बरी

देते हैं। उसके बाद मौत का फ़रिश्ता और रहमत के (120) एक सौ बीस फ़रिश्तें उधर आते हैं। उनके चहरों का नूर अर्श तक पहुँचता है, वह अपने सर पे ताज पहने होते हैं, वह नूर की पोशाक और सोने मोदरी में नाल दार पहने आते हैं, और इनके हरे पंख हैं। हाथ में जन्नत के फल और खुशबू से महकदार मुसक के जैसे उनपे थपका, वह नीचे आए और गहरी इज़्जत व रहम के साथ सलाम किया और कहा: ख़ालिक-ए-आलम (तमाम मख़्रलुकात के बनाने वाले ने) तुम्हें सलाम भेजा है, तुम्हें जन्नत दे रहे हैं, और तुम्हें अपने महबूब नबी मुहम्मद 'अलैहिस्सलाम' का पड़ोसी बना रहे हैं और हज़रत आएशा का साथी।”

यह ईमान वाली औरत जो भी उससे कहा जा रहा है सुन रही होती है, उसकी आँखों का पर्दा खुल रहा होता है, और ईमान के साथ वाली औरत दिख रही होती है और वह जोकि अपने गुनाहों के खाते में अज़ाब झेलती है। इसलिए वह गिड़गिड़ाती है: “या रब्बी! बराए मेहरबानी उनको उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दो” इसके बाद जनाब-ए-इज़्जत से एक आवाज़ आती है, कहते हैं: “ओ मेरी जारीया! मैंने तेरी सारी ख़्वाहिशातों को सच कर दिया है। अब अपनी रूह को महफूज़ करना छोड़ो मेरे महबूब लोगों बिबी और बेटी के साथ हाज़िर और इन्तेज़ार करो।” जैसे ही वह यह आवाज़ सुनती है तो अपनी ज़िन्दगी छोड़ने की कोशिश करती है, उसकी रूह कांप रही है, उसके पेर आगे भाग रहे हैं, और वह पसीने में है। और वह अपनी ज़िन्दगी छोड़ने के करीब है, तब दो फ़रिश्तें दृष्य पे दिखाई पड़ते हैं दोनों अपने हाथों में आग की लकड़ी पकड़े हुए हैं, वह उसके दोनों तरफ खड़े हैं, उनमें से एक दाएं तरफ है और एक बाएं, इतने में शापित शैतान दृष्य की तरफ दौड़ता है, तेहरीर करते हुए की: “मैंने इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मुझे देखने दो” वह उसको गहने के बर्तन दिखाता हुआ किनारे पे बर्फीले पानी के साथ आगे आता है। जब वह फ़रिश्तें उस दज मख़्रलूक को देखते हैं, वह अपने हाथों की

लाठीयों से उसके वर्तन को तोड़ देते हैं और उसको डरा कर दूर भगा देते हैं, जैसे ही वह मुस्लिम औरत उनको देखती है वह हंस पड़ती है। उसके बाद जन्नत की कुमारी जिसे हूर कहते हैं वह उसको (जन्नत का) मदिरा कवतार तलाब से गहने के बने वर्तन में पेश करती है, और वह उसे पीती है। जन्नत का मदिरा कितना लज़्ज़ती है के उसकी रूह कूद के जाम को चिपक जाती है, जहाँ से मौत का फ़रिश्ता उसे उठाता है। फ़रिश्तें एक दूसरे से मौत का ऐलान करते हुए कहते हैं: “**इन्ना लिल्लाही वा इन्ना इल्यही राजीऊन** (यकीनन हम उस से हैं, और वेशक हमें उसके पास वापस जाना है)!” और वह रूह को ऊपर जन्नतों में ले जाते हैं दर्शनीय जगहों के सफ़र की तरह जन्नत में उसका ठिकाना दिखाते हैं, और उसी वक़्त रूह के साथ वापस आते हैं, मुर्दे के सिरहाने उसकी रूह रख देते हैं।

जब वह इसके कपड़े उतारते हैं और बाल खोलते हैं, उसी वक़्त उसकी रूह उसकी लाश के सिरहाने आती है और कहती है: “ओ तुम, वह शख्स हो जो नेहलाओगे! धीरे से पकड़ना! क्योंकि, इस जिस्म ने इज़राईल की तलोनो से फतल ज़ख़्म हासिल किया है, और मेरी त्वचा तमाम थकानों से गुज़रने के बाद कमज़ोर हो गई है।” जब जिस्म को नेहलाने के तख़्ते पे लाया जाता है रूह दूबारा आती है और कहती है: “पानी को ज़्यादा गर्म न करना! मेरी त्वचा बहुत कमज़ोर है, जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे अपने हाथों से बचाओ, ताकि मैं राहत हासिल कर लूँ!” जब मुर्दे को नेहलाकर कफ़न में कर दिया जाता है, रूह थोड़ी देर का इंतज़ार करती है और फिर कहती है: “यह आख़री मरतबा में दुनिया देख रही हूँ, मुझे अपने रिश्तेदारों और उनको मुझे देखने दो, ताकि यह उनके लिए एक इशारा हो, के जब से भी वह है, जल्द ही मेरी तरह ही मर जाएंगे, उनको मेरे बाद रोने चिल्लाने मत देना। उसको मुझे भुलने न देना, और उनका मेरे को हमेशा याद रखना, कुरानुल करीम की तिलावत करना (और उसका सवाब मेरी रूह को भेजना जोकि अच्छा अमाल

उन्होंने किया उसके लिए), उनका जाएदाद के ऊपर कोई झगड़ा न हो जोकि भैने उनके लिए छोडी ताकि में कब्र में उनके झगड़े की वजह से अज़ाबित न हूँ। उनको मेरे को जुम्मे और ईद के दिनों में याद रखने दो।”

उसके बाद जब मुर्दे को मसेरी पे रख दिया जाता है (बैच जिसे मुस्ल्ला कहा जाता है जनाजे की नमाज़ के लिए), रूह कहती है: “ओ मेरे बेटों, बेटीयों और वालिदैन् अच्छे से रहना। जुदाई का कोई भी दिन इस तरह का नहीं है, हम एक दूसरे को याद करेंगे जब तक दूबारा मुलाकात नहीं होगी, क़यामत के दिन ज़्योंही। अलवीदा तुम्हें, ओ लोगों जो मेरे बाद रोओगे।”

जब मसेरी ऊपर कंधों पे रख ली जाती है, उसकी रूह दुबारा बुलाती है, कहती है: “मुझे आराम से ले जाना। अगर तुम्हारा मकसद सवाब कमाना है, मुझे परेशानी मत देना! और मुझे अल्लाह तआला के पास तुम्हारे लिए अपनी खुशी ले जाने दो!

जब मसेरी कब्र के पास रख दी जाती है, उसकी रूह दुबारा बुलाती है कहती है: “मेरा हाल देखो जिसमें मैं हूँ और इसे अपने लिए एक चुनौती लो। अब तुम मुझे अंधेरी जगह रखोगे व छोड़ दोगें, मैं अपने अमाल के साथ अकेली रहूँगी (अमाल यानि दुनियावी काम,) अपना मायूस वक़्त सुधारों कही ऐसा न हो की तुम इस नकली दुनिया के चालवाज़ों के ज़रिए न उठाए जाओ!”

जब मुर्दा कब्र में भेज दिया जाता है इसकी रूह अपनी जगह सिरहाने पे ले लेती है। किसी हालत में भी मरे हुए शख्स को तेलख़ीन (उपदेश) के बिना उसकी कब्र में नहीं छोड़ना चाहिए सालिह मुसलमान के लिए दफनाने के बाद तेकख़ीन को अनजाम देना जिसे उपदेश कहते हैं एक सुन्नत का काम है। [बराए मेहरबानी तेलख़ीन के लिए सआदते अबदिया की पाँचवी पूलिका के सोलवें बाब को भी देखें।] वहाबी इस सच से इन्कार करते हैं। कि तेलकीन

करना सुन्नत है। वो कहते हैं कि ऐसा करना विद्वत है। वो कहते हैं कि एक मुर्दा तुम्हें नहीं सुन सकता। अहले सुन्नत के उलेमाओं ने कई किताबों में लिखा है कि तेलकीन देना सुन्नत है। इनमें से एक कीमती किताब है **नूर-उल-यकीन फी मेबासित-तक्लीन** जोकि मुस्तफा बिन इब्राहीम सियामी 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' ने लिखी है। तवरानी और इब्ने मेन्दा की आथोरिटी की हदीस शरीफ भी इस किताब में है। यह हदीस शरीफ तेलकीन अदा करने का हुक्म देती है। किताब यानि **नूर-उल-यकीन...**, बैककौक, थाईलैंड में 1396 [1976 अ।ड.] में छपी। अल्लाह के हुक्म से इसकी कवों के मुर्दे उठते हैं। जैसे सो कर उठे हो और इसको एक अंधेरी जगह में पाते हैं। वो अपने नौकर या बन्दी या उसके दुनयावी मदद गार को पुकारती है और कहती है: “मेरे लिए एक मोमबत्ती जला दो!” फिर कोई जवाब कोई आवाज़ नहीं आती। फिर कब्र दो टुकड़ों में फट जाती है और सवालों के फरिश्तें दाखिल होते हैं। [मुनकर व नकीर] उनके मुँह से आग निकल रही होती है और नाक से धुआं। वो उसके करीब जाते हैं और पूछते हैं: “**मन रब्बुका व मा दीनुका, व मन नब्बियुका**, (यानि तेरा रब कौन है और तेरा मज़हब क्या है, और तेरा नबी कौन है।)?” अगर वो इनका सही जवाब दे देती है तो वो उसे हक़ तआला की रहमत की खुशख़बरी देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। उसी वक़्त उसके सीधे हाथ की तरफ कब्र में एक खिड़की खुल जाती है और चांद सी शक्ल का शख्स उसके करीब आता है। जब वो ईमान वाली औरत उस ख़ूबसूरत शख्स को देखती है और न सोचा हुआ साथ महसूस करती है तो पूछती है: “तुम कौन हो?” “मैं तुम्हारे दुनयावी सब और शुक से बना हूँ,” वो जवाब देता है। “मैं क़यामत के दिन तक तुम्हारा साथी रहूँगा।”

जब तक नफ़्स हराम की तरफ खिचती रहेगी।

तब तक दिल फरिश्तों की तरफ से आने वाली रौशनी से नहीं जगमगायेगा!

ग़लत लोगों के मुताल्लिक, बीमार और ग़रीब शहीदों की मौत

इन सभी लोगों की मौत समान है। हम उनमें से एक का खुलासा करेंगे वो यह है कि बाकी के हिसाब से मिलान किया जाएगा। वहाँ 2 तरह के गरीब (अकेला, लाचार, अकेला छोड़ा हुआ) लोग हैं: इनमें से एक वो है जो अपनी ज़मीन से दूर रहता है और जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है और उसके साथ कोई जानने वाला नहीं। दूसरा गरीब इन्सान, हालांकि वो अपने घर के देश में रहता है। कोई उसके यहाँ जाना पसन्द नहीं करता और न ही उनको देखना यह दोनों ईमान वाले गरीब लोग हैं, कौन शहीद होगा व मर जाएगा (इस हालत में)। एक दूसरे ईमान वाला शहीद वो कहलाएगा जिसने अपनी साठ साल की उम्र में कभी पाँच वक़्त की नमाज़ का नागा नहीं किया [एक वो व्यक्ति जो कि हराम काम करता है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे शहीद कहा जाए मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति जो कि शराब पीता है और ज़हरी बन जाता है। (वो शख्स शहीद नहीं होगा अगर वो ज़हर से मरा है) हाँ अगर वो शख्स शराब के दौरान मरा है पर किसी और वज़ह से मसलन जिस इमारत में वो शराब पी रहा हो वो गिर जाये तो वो शहादत हासिल करेगा। एक औरत के हाथ और चेहरा छोड़के बाकी हिस्सें अवरत है उसके लिये फर्ज़ है कि वो किसी ना-महरम के सामने अपने आपको ढके रहे इन हिस्सों को। एक औरत जो इन मामलों को एहमियत नहीं देती वो काफिर हो जाती है। एक औरत को शहादत मिलेगी यानि शहीद का दर्जा मिलेगा जो अपनी पूरी ज़िन्दगी बिना अपने आपको ढके कही न गई हो और जिसने अहक़ाम-ए-इस्लामिया का पालन करा हो। वालदैन जो अहक़ाम इस्लामिया सीखते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं उनका भी रूतवा शहीद का होगा।] यह लोग जब तक शहीद का रूतवा नहीं पायेंगे जब तक कि इनमें ईमान न हो और पाँच वक़्त नमाज़ न पढ़ते हो। (ईमान अहले सुन्नत के

मुताबिक) कोई मुसलमान जो किसी दुश्मन की कैद में मर जाये वो भी शहीद है। कोई काफिर जो पीड़ित होके मर जाये तो वो शहीद नहीं होगा। एक शख्स जो काफिर मरे वो कभी जन्नत में नहीं जा पाएगा।

जो वक़्त जब ऊपर लिखे हुए शहीद लोग अपना सर अपने कफ़न में डालेंगे, तो जन्नत के दरवाज़ें खोल दिये जायेंगे और बहुत सारे फरिशतें ज़मीन पर उतर आयेंगे जिनकी तादाद सिर्फ़ अल्लाह जानता है। अपने हाथों में नूर के कपड़ें और ताज लिये हुए होंगे। और बहुत अदब से वो उसकी रूह को पुकारेंगे। सच्चाई यह है कि अल्लाह तआला ने यह हाल सूरह फज्र के आखिरी हिस्से में बताया है।

दूसरा ईमान वाला शहीद वो है जो अपना चेहरा दरगाह-ए-इज़ज़त की तरफ करता है और कहता है, “ऐ मेरे माबूद! जब तक मैं जिया हूँ मैंने अपनी उम्मीद तेरे अलावा किसी से नहीं लगाई! और न तेरे अलावा किसी के आगे सिर झुकाया और न किसी दुश्मन के झांसे में आके तुझसे दूर गया। या रब्बी! अब, मुझे तुझसे उम्मीद है कि तू मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैयहि वसल्लम’ की उम्मत को मग़फ़िरत फरमायेगा।” यह शख्स भी शहीद है।

फरिशतें उस रूह को कपड़े में लपेटेंगीं। जो कपड़ें वो अपने साथ लाये थे। उस वक़्त एक आवाज़ आयेगी अल्लाह की तरफ से कहते हुए: “इस रूह को जन्नत ले जाओ। क्योंकि यह दूसरों से ज्यादा नमाज़ें पढ़ता था और मेहमानों का आना पसन्द करता था, और लोगों को उनकी गलतियों पर माफ़ कर देता था और बहुत ‘अस्तग़फ़ार’ करता था। और मेरा बहुत ज़िक्र करता था। और बिना खुद को अच्छे से ढके बाहर नहीं जाता या जाती थी। और हराम से बचता था। और दुनिया में नबियों और इस्लाम को मानता था “फिर शख्स के कन्धे के दो फरिशतें जो इन्सान के अच्छे और बुरे कामों का हिसाब लिखते हैं कहेंगे: या रब्बी! तुने हमें इस शख्स की ज़िम्मेदारी दी थी दुनिया

में। और अब इस शख्स की रूह के साथ हमें भी जन्नत में जाने की इजाज़त दे। फिर आवाज़ आयेगी अल्लाह की तरफ से कहते हुए: “तुम इस शख्स की कब्र में रहो, तस्वीह पढ़ो और तकवीर कहो और सजदा करो और इसका सवाब मेरे इस बन्दे को भेजो। तो वो तस्वीह करते हैं और सवाब उस बन्दे को भेजते रहते हैं क़यामत के रोज़ तक।

[एक जरूरी नोट: मिस्र के मुनाफ़िक, ख़लीफ़ा उस्मान ‘रज़ि अल्लाहु अन्ह’ के ख़िलाफ़ हुए और उन्हें मारने के इरादें से मदीना पहुँचे। मदीना में उनके गुनाह के साथियों ने उनका साथ झूठ से दिया। उन्होंने सहाबा को गालियाँ दी यह अफवाह उड़ाते हुए कि, “मदीना के मुसलमानों ने ख़लीफ़ा की मदद नहीं की थी।” जबकि सच यह था कि ख़लीफ़ा का मकसद शहीदों को जन्नत में ऊँचा मुक़ाम हासिल कराना था और वो अल्लाह तआला की बड़ी रहमत के लिए इबादत करते थे। दूसरे मुसलमान उनकी मदद करने आये पर आपने उन्हें इस मामले से दूर रहने की गुज़ारिश की। उन्होंने वापस भेज दिया। इसका फायदा उठाके विद्रोहियों ने ख़लीफ़ा को आसानी से शहीद कर दिया। इस तरह उनकी ख़्वाहिश पूरी हुई। अल्लाह तआला ने उनकी दुआ सुनली। शहीद को मरते वक़्त किसी दर्द का एहसास नहीं होता। उन्हें जन्नत में दी जाने वाली बरक़तें दिखा दी जाती हैं। ताकि वो अपनी रूह अपनी मर्ज़ी से फ़रिश्तों को सौंप दे क्योंकि उनका ईमान उनका इन्तेज़ार कर रहा है।]

काफ़िर की मौत से मुताल्लिक

जब कोई काफ़िर या मुरतद या कोई बेवकूफ़ जो इस्लाम से नफरत करता हैं और क़ुरान-करीम को ‘रेगिस्तानी कानून’ कहता हैं और जो ऐसा जाहिल हैं जो मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’- सबसे बड़े और इज़्ज़तबख्श इंसान और नबियों के उस्ताद- को ‘ऊँट रेवड़’ कहता हैं- अल्लाह

तआला हमें ऐसे जाहिलाना काम से बचाये-, और जो कहता हैं इस्लाम मज़हब की शुरूआत बिना किसी ज़रूरत के हुई हैं- जबकि इस्लाम खुशियों की जगह, सुकून का ज़रिया, इल्म का ज़रिया, अख़लाक, सफ़ाई, सेहत व कानून न्याय हैं- उसे एक कंजूसी तरीक़ीब और एक सड़े हुए दिमाग जोकि नुक़सान पहुँचाने वाला अम्ल हैं जैसे मुर्दों का बक्सा हो-, और जोकि कुछ नहीं हैं बस अपनी नफ़्स का गुलाम हो-, मरने वाला हो, उसकी आँखों के सामने से पर्दे हट जाते हैं। उसे जन्नत दिखाई जाती हैं। एक ख़ूबसूरत फ़रिश्ता उससे कहता हैं: “ऐ काफ़िर! ऐ जाहिल इंसान, जो मुसलमानों को ‘पुराने ढंग’ का कहते थे, और जो हवस के पीछे भागते थे और जो अपने अख़लाकी उसूलों को कुचलते हैं ये ऐसे रौशन और नये ज़माने के इंसानों! तुम ग़लत रास्ते पर थे। तुम सही मज़हब इस्लाम से नफ़रत करते रहे। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की तालीम मुहम्मद ‘अलैहिस्सलाम’ से सीखी और उसपे ईमान लाये वो इस जगह जन्नत में जायेंगे।” वो जन्नत की रहमत देखेंगे। और जन्नत की हूरें कहेंगी: जिन लोगों के पास ईमान हैं वो अल्लाह तआला के ज़रिये मुसल्लत किये हुए अज़ाब से बच जायेंगे।” फिर उसके बाद शैतान एक पादरी के भेस में आयेगा और कहेगा: “ऐ तू, फला-फला के बेटे! जो कुछ वक़्त तेरे साथ थे वो झूठे थे। वो नेमतें तुम्हारी हो सकती थी।” तब उसे जहन्नुम दिखाई जाती हैं। उसमें आग के पहाड़, बिच्छू और ख़च्चर जितने बड़े कनख़जूरे हैं। वो हदीस शरीफ में बयान अज़ाब देखेगा। जहन्नुम के फ़रिशतें जिन्हे ‘जवानिस’ कहते हैं वो आग की छड़ी से मार रहे होंगे। उनके मुँह से आग की लपटे निकल रही होगी। वो मीनारों जितने लम्बे होंगे और उनके दांत, बैल के सींगों जितने बड़े होंगे। उनकी आवाज़ बिजली कड़कने जैसी हैं। काफ़िर उनकी आवाज़ सुनके कपकपा उठता हैं और शैतान की तरफ़ ख़ुब करता हैं। शैतान खुद डरा हुआ होगा और वो अपनी पूँछ मोड़ लेता हैं। फ़रिशतें शैतान को पकड़ते हैं और उसे नीचे धक्का दे देते हैं। फिर काफ़िर से ख़िताब करते हुए कहते हैं: “ऐ तू;

इस्लाम के दुश्मन! दुनिया में तू अल्लाह के नबी मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम’ को झुठलाता रहा। और अब तू फरिश्तों को झुठला रहा हैं, एक बार फिर अभागे शैतान ने तुझे धोखे में डाल दिया।” वो उसके गले में आग की जंजीर डालते हैं, उसके पैर उसके सिर तक खींचते हैं, इससे उसके पैर उसके सिर के पिछले हिस्से तक पहुँच जाते हैं, और उसका सीधा हाथ उसके उल्टे हाथ के सीने की तरफ धकेल दिया जाता हैं और उल्टा हाथ सीधे हाथ की तरफ, जिससे उसके दोनों हाथ कन्धों से अलग हो जाते हैं। एक आयत करीमा में इस भयंकर वाक्ये के बारे में मौजूद हैं। वो रोता हैं और अपने चापलूसों को मदद के लिये पुकारता हैं। ज़ेबानी इसका जवाब देते हैं: “ऐ काफिर; ऐ कमअक्ल तूने मुसलमानों को झूठा बोला! अब वक़्त भीग्न मांगने का नहीं हैं। ईमान और इबादत अब कुबूल नहीं होगी। यह वक़्त तेरे कुफ़ की सज़ा का हैं।” वो उसकी गर्दन के पीछे से उसकी ज़बान खींच लेते हैं। उसकी आँखें निकाल लेते हैं। और भी कई तरीकों से यह ख़तरनाक अज़ाब दिया जाता हैं और उसकी धिनौनी रूह को निकाल कर उसे जहन्नुम की तरफ उछाल दिया जाता हैं। अल्लाह तआला हमारी रूह को मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ के मज़हब में रखे और हमें अहले सुन्नत की लिखी हुई किताबों के सच से भर दे, जिन्होंने अज़ीम नबी के मज़हब को हम तक सही पहुँचाया! आमीन।

चाहे तुम कितना भी जी लो, आख़िर में मरना हैं। हमारे नबी ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: जब एक इंसान की रूह उसका जिस्म छोड़ती हैं तो एक आवाज़ कहती हैं: ऐ इंसान, तूने दुनिया को छोड़ा, या दुनिया तूझे छोड़ गई? तूने दुनिया कमाई या दुनिया ने तूझे कमाया? तूने दुनिया को मारा या दुनिया ने तुझे मार दिया? जब जनाज़े को नहलाना शुरू किया जाता हैं तो एक आवाज़ तीन सवाल पूछती हैं:

1- कहाँ हैं तेरा मज़बूत जिस्म? किस चीज़ ने तुझे कमज़ोर बना दिया?

2- कहाँ हैं तेरी मीठी बातें? किस चीज़ ने तुझे खामोश कर दिया?

3- कहाँ हैं तेरे अज़ीज़ दोस्त? वो कहाँ चले गये, तुझे अकेला छोड़कर?

जब जनाज़े को कफ़न में लपेटा जाता है, तब एक और आवाज़ कहती है: मुक़द्दर के बग़ैर कुछ नहीं है! इस सफ़र की वापसी नहीं है, तुम कभी वापस नहीं आ सकते। तेरा ठिकाना अज़ाब देने वाले फ़रिश्तों में है। जब लाश को ताबूत में रखा जाता है तो एक अलग आवाज़ कहती है: अगर तू जनाब-ए-हक़ को राज़ी करने में कामयाब रहा है तो तेरे लिए खुशख़बरी है, खुशियाँ और कामयाबी तेरा इन्तेज़ार कर रही हैं! अगर तू जनाब-ए-हक़ का गुस्सा कमाया हुआ है तो तुझ पर दुखः आ पड़ेंगे! जब जनाज़ा कब्र के करीब लाया जाता है एक और आवाज़ कहती है: ऐ आदमज़ात! तूने अपनी कब्र के लिए दुनिया में क्या तैयारी की? तू इस अंधेरी जगह में अपने साथ क्या नूर लाया है? तू अपनी दौलत और शौहरत में से क्या लाया है? इस बंजर कब्र को सजाने और सवारने के लिए तू क्या लाया है? जब जनाज़ा कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र कहना शुरू करती है: तूने मेरी पीठ पर बहुत बोला है, अब तू मेरे पेट में ख़ामोश है। और आख़िर में, जब दफ़नाना पूरा हो जाता है और ख़िदमत गुज़ार चले जाते हैं, तब हक़ तआला की आवाज़ आती है: ऐ मेरे बन्दे, तू अब अकेला है; वो जा चुके, तुझे अंधेरी कब्र में अकेला छोड़कर। वो तेरे दोस्त, भाई, बच्चे और वफ़ादार थे। पर किसी का कुछ तुझे फ़ायदा न पहुँचाया। ऐ मेरे बन्दे, तू मेरा नाफ़रमान रहा; तूने मेरा हुक्म नहीं माना, तूने कभी इस हालत के बारे में नहीं सोचा। अगर मरने वाला इंसान इंसान पर मरता है तो उम्मीद की जा सकती है कि जनाब-ए-हक़ उसे मग़फ़िरत से

नवाज़ेंगे, यह कहते हुए: ऐ मेरे ईमान वाले बन्दे! यह मेरी शान के खिलाफ हैं कि मैं तुझे तेरी कब्र में अकेला छोड़ दूँ। मुझे मेरी इज़्ज़त-उ-जलाल की कसम, मैं तुझे ऐसी रहमत से नवाज़ूंगा कि तेरे दोस्त हैरान हो जायेंगे और तुझपे ऐसी मेहरबानी दिखाऊंगा जो वालदैन के अपने बेटे पर की गई मेहरबानी से भी ज़्यादा होगी। अपनी मुनफरिद मेहरबानी और एहसानों से, वो उस बन्दे के सारे गुनाह माफ कर देगा, तो उसकी कब्र जन्नत का बगीचा बन जायेगी जिसमें हूरे और जन्नत की बरकतें होंगी। अल्लाह तआला रहीम हैं कि वो अपने गुनाहगार बन्दों को भी माफ कर देता हैं। वो निहायत रहम वाला हैं कि वो अपने बन्दों के गुनाहों पर पर्दा डाल देता हैं बजाये कि उन्हें दिखाने के। तो हमें ऐसे ख़ालिक का हुक्म मानना चाहिए और उसकी मना की हुई चीज़ों से बचना चाहिए और अमल-ए-सालिह करके खुद को उस करीबी अज़ाब से बचाना चाहिए।”

हर ईमान वाला चाहे गुनाहगार हो या न हो हर एक कब्र के सवालों से ख़बर होगा। जिनको मगफिरत नहीं मिली और काफ़िरों को अज़ाब भी मिलेगा। लोग जो मुसलमानों में अफवाहे उड़ाते हैं और जो अपने कपड़ों पर पेशाब की छींटे उड़ा देते हैं वो कब्र के अज़ाब के हक़दार हैं। [कब्र का अज़ाब सिर्फ़ रूह पर नहीं बल्कि रूह और जिस्म दोनों पर होगा (यानी जिस्मानी तौर पर भी), यह सच्चाई समझ से काफ़ी परे हैं। तो हमें इन्हें अपने दिमाग से समझ के हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।]

अगर वो इंसान बिना ईमान के मर जाता हैं (यानी काफ़िर,) वो महशर (यानी क़यामत का दिन) के रोज़े तक बहुत दर्दनाक अज़ाब में होगा। [और उसके बाद अबदी जहन्नुम में भी।]

अब्दुर रहमान समी पाशा एक रिटायर्ड ऑटोमन जनरल जो अपनी सनत की सदस्यता में 1295 [1878 A.D.] में वफात पा गये, उनकी लिखी हुई तुर्की नज़म का आसान तर्जुमा पेश हैं:

ऐ तूँ, ज़िन्दा मुसाफिर! अपना दिल अल्लाह के सिवा किसी पर न फिदा करना!

कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के सिवा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई नहीं बस अल्लाहु तआला हमेशा रहेगा।

हर कोई खुशी और ग़म के दिन देखता है। इस मुकाबले के लायक़ यह दुनिया नहीं है।

मैं, भी, मेरे वक़्त मे, राष्ट्रपति के हाथ की अंगूठी का नगीना था, खुद मुख्तार का दस्तख़त था। अब नसीब ने सब उलट पलट कर दिया।

फिर मेरा दिल बीमार पड़ा। मेरी ताक़त सारी चली गई। और आख़िर में मेरी ज़िन्दगी का परिंदा [मेरी रूह] उड़ गई। और पिंजरा सताया और बर्बाद कर दिया गया।

मेरी सेहत, एक मोमबत्ती की तरह, निकल गई। मेरे चारों तरफ़ अंधेरा था। आख़िरत के फूल का सूरज। सब अल्लाह के नूर से जगमगा रहा था।

उस लम्हे मुझे मेरा रब मिला। मेरे उपरी गुनाह दिये गये। फिर जब मैंने मग़फ़िरत की भीख मांगी वो अपनी अज़ीम रहमत के नूर के साथ मुझसे मिला।

या रब्बी! मैंने हज़ारों लाखों गुनाह किये हैं। फिर भी मुझे खुद पर भरोसा है, मेरे सियाह चेहरे के साथ, कि तेरा दर सबसे बड़ा है। मुझे माफ़ कर दे!

जब मैंने नज़म लिखी तेरा नाम ग़फ़ूर उस तारीख़ को दिया।[1286] इसके
मायने बेशक सच्चे हैं।अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है।और अल्लाह के
सिवा किसी को बका नहीं!

यह ज़िन्दगी एक ख़्वाब है, ग़मों से घिरा हुआ;
क्या हम आख़िर में मरने के लिये नहीं बने?
खुशी के चन्द घंटों के बाद,
परवाह हर चीज़ खुशी का पीछा करती है।

हम जहालत में हर पल डुबकी लगाते हैं:
मौत की गहराईयों में पूरे जोश से।
डुबकी लगाने वाले की परेशानियों और मुश्किलातों में,
यह दुनिया हमें दिवालेपन की तरह घक्का दे रही है।

और हम बेचारे, यह इमारत देखते हुए,
पूछते हैं कि इसके निवासी जहाँ से आ रहे हैं।
उसका ख़ालिक, उसकी मख़लूक, उसके राज़,
उसकी छुपी वजहे, बहुत शानदार हैं।

पर हक़ तआला के खुद के राज़,
बेशक बन्दों की समझ के बाहर है।
इन्सान, अनजान, खाली, असमर्थता के साथ,
ग़लती में भ्रम बनाया जायेगा।

कब्रों की ज़ियारत करना और कुरान करीम का पढ़ना ।

कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत है। कब्रों की ज़ियारत हर हफ्ते या कम से कम ईद पर करनी चाहिए। ज़ियारत जिसमें ज़्यादा सवाब है वो हैं जुमेरात या जुमा या हफ्ते की ज़ियारत। **शीरतुल इस्लाम** [मुहम्मद बिन अबू बकर 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि', d. 573 [11788 A.D.] बुख़ारा की लिखी हुई] किताब के आख़िरी पन्नों में लिखा है कि कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत है। ज़ियारत करने वाला इस सच पर गौर करेगा की कब्र के अंदर की लाश गल-सड़ चुकी है, जो उसे एक चेतावनी और इब्रत का सबब बनेगा। जब भी उसमान 'रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हु' कब्र के पास से गुज़रते तब इतनी शिद्दत से रोते कि आपकी दाढ़ी गीली हो जाती। इसके अलावा, [ज़ियारत वाले को आगाह करने के लिए], जो शख्स कब्र में दफ़न है उस शख्स से सवाब हासिल करेगा। रसूलल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने अपने रिश्तेदारों और सहाबा अकरम 'रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम' की कब्रों की ज़ियारत की। सलाम पढ़ने और दुआएं पढ़ने के बाद, ज़ियारत करने वाला कब्र के पास बैठता है उसकी तरफ चेहरा करके और पीठ क़िव्वे की तरफ कर के। अपने हाथ मलना और कब्र की तरफ आराम से चेहरे करना या कब्र को चूमना ईसाईयों का रिवाज़ है। यह हदीस शरीफ का मफहूम है: "जब कोई शख्स अपने जान पहचान के बन्दे की कब्र पर जाता है और सलाम करता है, उसके जान पहचान वाला जो उस कब्र में है वो उसके सलाम को पहचानता है और तसलीम करता है।" अहमद इब्ने हमबल 'रहीमा-हुल्लाहु तआला' बयान करते हैं: "जब तुम कब्रिस्तान से गुज़रों, इख़्लास पढ़ो, और दो सूरत जो कुल आऊजू से शुरू होती है, और फातिहा, और इसका सवाब कब्रों में दफन लोगों

को भेजो। सवाब उनके पास पहुँच जायेगा।” अनस बिन मलिक ‘रहमतुल्लाही तआला अन्ह’ हदीस शरीफ की रिवायत करते हैं: “जब आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है और उसका सवाब कब्रों में लेटे हुए लोगों को भेजते हो, अल्लाह तआला उसका सवाब उन सभी मुर्दों को पहुँचाता है।”

किताब खज़ानात-उर-रिवायत में लिखा है, (काजी हिन्दी ‘रहमतुल्लाहि तआला अलैहि’ के ज़रिये लिखी गई): “अगर किसी आलिम की ज़ियारत उन की हयात में की गई हो, तो यह जायज़ है। उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी ज़ियारत की जाये चाहे के कितनी ही दूर दफ़न हो। फ़ायदेसो मुतालिक, नवियों ‘अलैहिम-अस्सलावातु वत-तसलीमात’ और औलिया या उलामा ‘रहीमा-हुमुल्लाहु तआला’ की ज़ियारत करने में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ उनके दर्जे का है।”

[अगर कोई मुसलमान एक नाम लिखी हुई पट्टी लगाता है उसका जिसे के बहुत मुहब्बत करता है, किसी भी दिवार पर उसकी बैठक की, या उस शख्स की कब्र पर उसके नाम का एक पत्थर खड़ा करता है, तो जब भी कोई मुसलमान जो उस कमरे में आता है या कब्र पर जाता है और उस बन्दे के लिए दुआ करता है, अल्लाह तआला उस नाम के शख्स को अपनी रहमत और मग़फ़िरत से नवाज़ता है। तख़्ती पर नाम लिखना या पत्थर पर लिखने की नीयत यह नहीं कि उस इन्सान का नाम याद रखा जाए। यह इसलिए कि फातिहा पढ़ने वाला शख्स उस नाम के इन्सान के लिए दुआ कर सके। इसलिए मुसलमानों के मुल्कों में नाम की तख़्ती लटकाना या कब्रों पर पत्थर गाढ़ना एक रिवाज बन गया है। अगर किसी वली का नाम लिखा हो, जब तुम नाम पढ़ते हो और नाम के मालिक से शफ़ाअत और दुआओं के लिये कहते हो, वली तुम्हे सुनते है और इस दुनिया और आख़िरत की तुम्हारी दुआओं को पूरा होने के लिए दुआ करते है और उनकी दुआएं अल्लाह कुबूल करता है।]

हालांकि कब्रों की ज़ियारत औरतों के लिये भी जायज़ है, उनके लिये बेहतर है कि वो कब्र की ज़ियारत न करे, हैज़ और जुनूब की हालत में रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की कब्र छोड़के बाकी ज़ियारत करना जायज़ है। पर फिर भी ज़ियारत से पहले वुजू करना मुन्नत है। यह हदीस शरीफ में बयान है: “जब तुम किसी ईमान वाले की कब्र पर जाते हो और यह दुआ पढ़ते हो: अल्लाहुम्मा इन्नी अस अलुका बि हक्की मुहम्मदिन वा अली मुहम्मदिन अन ला तुआज्जीबा हाज़िल मय्यित; तो वो ईमान वाला अज़ाब से बचा लिया जायेगा।” दूसरी हदीस शरीफ में है: “अगर कोई शख्स अपने वालदैन् की कब्र की ज़ियारत करता है या किसी एक की कब्र पर हर जुमे के दिन, वो मग़फ़िरत पायेगा।” अगर कब्र तुम्हारे माँ या बाप की हो तो सिर्फ़ उनकी कब्र की मिट्टी को चूमना जायज़ है। किताब **किफ़ाय़ा** में है कि किसी ने रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ से पूछा: “मैंने जन्नत की हद को चूमने की कसम खाई है। मैं अपनी कसम कैसे पूरी करूँ?” “अपनी माँ के कदम चूमो”, नावियों के उस्ताद ने जवाब दिया। जब उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे वालदैन् नहीं हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया: “अपने वालदैन् के कदम चूमो! अगर तुम उनकी कब्र नहीं जानते तो दो लकीरें उनकी कब्रों की नीयत से बनाओ! तो तुम अपनी कसम पूरी कर लोगे।”

हमें बड़ें लोगों की कब्रों पर जो घर से दूर हो, भी ज़ियारत करनी चाहिए जब तुम वहाँ किसी काम से नहीं बल्कि सिर्फ़ उनकी ज़ियारत करने जा रहे हो। साथ ही, हमारे नबी रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ का सबब है। एक शख्स जो नवियों ‘अलैहिम-उस-सलाम’ और औलियाओं की कब्रों पर जाता है वो उनकी रूहे मुबारक से सवाब हासिल करता है। उसका दिल उन पाक रूहों से जुड़ने से खुद पाक हो जाता है। अगर औलिया के मकबरे पर गुनाह करे जाये जैसे अगर वो अपनी औरतों के साथ जाये जिन्होंने अच्छी तरह से खुद को न ढका हो, इस बिना पर ऐसी जगहों की ज़ियारत करना बन्द

नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं रोक सकते तो हमें उनसे नफरत करनी चाहिए। इसी तरह से हमें एक मुसलमान के जनाजे में शिरकत करनी चाहिए चाहे वहाँ औरत हो गाने या प्रशंसनिए भाषण पढ़े जा रहे हो या बयान दिये जा रहे हो।

अगर औरत का ज़ियारत करना रोने धोने या दो आदमियों के दरमियान फसाद की नीयत से है तो यह हराम है। जो औरत ऐसा करती है उनकी निंदा करनी चाहिए। हालांकि बूढ़ी औरत, औलिया या अपने रिश्तेदारों की क़ब्र पर बिना मर्दों के साथ के जाना जायज़ है, पर यह शर्त जवान लड़कियों के लिये मकरूह है। यही बात जनाजे में शिरकत लेने वाली औरत पर भी लागू होती है।

ज़िला-उल-कूतूब (ज़ैनुद्दीन मुहम्मद बिन अली विरगिवी, 928 [1521 A.D.], बालिकेसिर, तुर्की - 981 [1573], विरगी में भी लिखी हुई है) किताब में बयान है: कोई शख्स जो कब्रिस्तान में दाख़िल होता है। वो कहे: “अस्सलामु अलैकुम, या अहला दारिल कौमिल मुमिनीन! इन्ना इन्शा अल्लाहु अन करीबीन बिकुम लहीकुन,” जैसे के खड़ा है वैसे ही। फिर वो बिस्मिल्लाह के बाद सूरह इज़्ज़ास पढ़े 11 दफ़ा (हर बार से पहले बिस्मिल्लाह के बाद पढ़ के) और सूरह फातिहा एक बार, (बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद)। फिर यह सूरत पढ़े: “अल्लाहुम्मा रब्ब-इल-एजसाद-इल-बालियेह, वल इज़ामिन नीरहा-तिल्लति हराजत मिन-अज दुनिया वा हिया बिका मुमिनातुन, अज़ील-अलैहि रैवहान मिन इन्दिका व सलामान मिन्नी,”। वो क़ब्र के सीधे हाथ पर, (क़िब्ले की तरफ़) मय्यत के पैर के करीब बैठना ज़्यादा अफ़जल है। वो सलाम करता है, (यानि वो कहता, “सलामुन अलैकुम।”) खड़े होके, घुटने के बल या बैठके, सूरह बकर की शुरूआती और आख़िरी हिस्सा पढ़ता है, फिर सूरह

यासीन, मूरह तवारिका और तकातुर और इख़्लास-ए-शरीफ और फ़ातिहा और सबाव हृदये के तौर पर मय्यत को भेजे ।

एक ख़ास नोट: किसी और की तरह से हज की गुफ्तगू में हमारे आलिमों ने फरमाया है की फ़र्ज या नफ़िल इबादत या दूसरे नेक काम और अच्छे काम जैसे नमाज़, रोज़ा, अमल, कुरान करीम पढ़ना, ज़िक्र करना, तवाफ़ करना, हज, उमरा, नबियों की कब्रों की ज़ियारत, औलियाओं की ज़ियारत, मुर्दे मुसलमान को कफ़न पहनाना, इनका सबाव किसी मरे हुए मुसलमान की रूह को पहुँचाना जायज़ है। दोनों शख्स, जो इबादत करता है और इसका सबाव भेजता है और वो शख्स जिसको सबाव भेजा जाता है दोनों को अल्लाह की तरफ से सबाव मिलेगा। इसलिए कब्रों की ज़ियारत करते वक़्त कुरान करीम पढ़ना चाहिए, या कही और से भी, इसका सबाव ईमान वाले मुर्दे की रूह को पहुँचाना चाहिये और तभी उनके लिए रहमत की दुआयें करनी चाहिए। वरक़त और रहमत वहाँ भेजी जाती है जहाँ कुरान करीम पढ़ा जाता है। उस जगह पर की गई दुआएं कुबूल की जाती है (अल्लाह तआला)। जब यह कब्र के पास पढ़ा जाता है वो कब्र रहमत और वरक़त से भर जाती है। हनफी मजहब के मुताबिक़ जब कोई शख्स नफ़िल नमाज़ अमल या कुरान करीम पढ़ता है और दुआ करता है और ज़िन्दा या मुर्दा मुसलमानों को इसका सबाव पहुँचाता है, तो सबाव उन तक पहुँच जाता है। इस्लामिक आलिम का कहना यह भी है कि यह बात फ़र्ज इबादत पर भी लागू होती है। मय्यतों के मुताबिक़ सिर्फ़ जिस्मानी इबादत जैसे कुरान करीम का पढ़ने, का सबाव दूसरे मुसलमानों को नहीं पहुँचाया जा सकता। उन पर दुआयें एक जिस्मानी इबादत के तौर पर पढ़ी जाती है।

किताबुल फ़िक अलाल मज़ाहिबिल एरबिया किताब में लिखा है: कब्र ज़ियारत करना सुन्नत है आदमियों के लिए ताकि वो मौत से आगाह रहे और

इबरात ले और आखिरत का ध्यान करे। हनफी और मालिकी मज़हब में, जुमेरात, जुमे और हफ्ते को ज़ियारत करना सुन्नत मुअक्किद है। शाफी मज़हब में देर दोपहर बाद जुमेरात और हफ्ते के सवेरे ज़ियारत करना सुन्नत मुअक्कद है। ज़ियारत करने वाले को मय्यत के लिये कुरान करीम पढ़ना चाहिए और सवाब पहुँचाना चाहिए। यह मय्यत के लिए काम की चीज़ें हैं। जब तुम कब्रिस्तान पहुँचो तो यह दुआ पढ़ना सुन्नत है: “अस्सलामु अलैकुम, या अहला दारिल कौम इल मुमिनीन: इन्ना इन्शाअल्लाहु अन करीबीन बिकुम लहि कून।” हर कब्र की ज़ियारत करनी चाहिए पास हो या दूर। दर असल दूर सफर करके वली ‘रहीमा-हुमुल्लाहु तआला’ और सालिह मुसलमानों की ज़ियारत करने जाना सुन्नत है। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की कब्र पर ज़ियारत करना एक इबादत में से एक है। बूढ़ी औरतों के लिए भी कब्र की ज़ियारत करना जायज़ है पर उसने पूरे और अच्छे कपड़े पहने हों। अगर बूढ़ी औरत से फसाद या फितना कब्र का तवाफ करना या उसकी मिट्टी को चूमना जायज़ नहीं या ज़ियारत के दौरान उनसे कुछ मांगना।” औलिया ‘रहीमा-हुमुल्लाहु तआला’ अल्लाह तआला की रहमत से शफाअत की दुआ करते हैं।

दो चीज़ें हैं जो गुमशुदा हैं,
 वो जला देगी इस बात से बेपरवाह की वो क्या है।
 खून भरी आंखें कभी अपना बकाया नहीं भरेगी;
 एक है जवान, दूसरा मुसलमान भाई!

तीसरा बाब, नौवा ख़त

मकतूबात, इमामे रब्बानी मुजद्दी अलफसानि अहमद फारूकी की लिखी हुई किताब के तीसरे बाब का नौवां ख़त मीर मुहम्मद नोमान के लिये

लिखा गया था। यह आयत करीमा की वज़ाहत करती है वो दावा करती है, जो रसूलुल्लाह तुम्हारे लिये लाये है उसे लो!” ख़त अरबी ज़बान में है। मनदरज़ा इसका हिन्दी तर्ज़ुमा है।

विस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम! हशर सूरत की 7वीं आयत यह दावा करती है: “जो रसूलुल्लाह तुम्हारे लिये लाये है उसे लो! उनकी मनाहियों से बचो और अल्लाह से डरो! [अल्लाह के हुक्म को मानना और मनाहियों से बचना इस्लाम कहलाता है] अल्लाह तआला ने जोड़ा है, “...अल्लाह से डरो,” “उनकी मनाहियों से बचो...” के बाद, यह दिख़ाता है कि मनाहियों से बचना कितना अहम है। तक़वा इस्लाम की बुनियाद है। शक़ वाले मसलों से बचना वारा कहलाता है। रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ ने फरमाया: “वारा हमारे मज़हब के जहाज़ का मास्टर मस्तूल है।” अपने एक और हदीस में फरमाया: “वारा जैसा कुछ नहीं हो सकता।” हराम से बचने के लिए हमारे मज़हब ने जो अहमियत दी है यह इस बिना पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम से बचा जाये और हराम से बचना बहुत लाभदायक है। हुक्म में भी मनाही होती है। और यह और भी अहम है कि नफ़स के उल्टे अमल हो। जब एक हुक्म पूरा किया जाता है तो उसके मज़े में नफ़स का भी एक हिस्सा होता है। नफ़स को किसी काम में जितनी कम रियायत दी जाये तो उतना ही वो काम मुफ़ीद होगा। दूसरे लफ़्ज़ों में अल्लाह तआला की रज़ा हासिल करना जल्दी आसान होगा। अहक़ाम-ए-इस्लामिया, यानि इस्लाम का हुक्म और मनाही, की नियत नफ़स को कमज़ोर करना है। नफ़स अल्लाह तआला की दुश्मन है। एक हदीस-कुदसी में बयान है: “अपने नफ़स के मुख़ालिफ़ रहो! क्योंकि वो भेरी दुश्मन है।” इसलिए सभी तुरूके आलिया (रास्ता और हुक्म तसव्वुफ़ का), वो जो इस्लाम को बहुत कड़े तरीक़े से मानता है वो जो अल्लाह के नज़दीक़ का रहबर हो। इसलिए हर कोई अपनी नफ़स से उल्टे होना चाहिए। जैसा कि इस मामले के माहिर को पता है कि जो रास्ता हम इख़्तियार करते आ रहे थे। यह इसलिए

कि बड़े आलिम बहादीन बुख़ारी, हमारे आला रहबर ने फरमाया है: मैंने अल्लाह तआला को पाने का सबसे छोटा रास्ता ढूँढा है।” यह रास्ता नफ्स के उल्टे है। इस रास्ते की जीत इसके इस्लाम को अच्छे से पालन करने में है, यह एक समझदार इन्सान के लिए काफी आसान है जो रहबरों की किताबें पढ़ता है सच जानने के लिए। वो शख्स सच साफ-साफ देख लेगा। इस की तरह कई सच है, मैंने अपने ख़तों में काफी वज़ाहत से बताया है। अल्लाह तआला हर चीज़ का सच जानता है। उसकी मदद हमारे लिये काफी है। वो सबसे अच्छा वकील है। हमारे प्यारे नबी ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ पर सलातो सलाम हो और उनकी आल और सहाबा अकरम और उन लोगों पर भी जो सही रास्ता इख़्तियार कर रहे हैं।

तीसरा बाब, 84वां ख़त

हम्द हो अल्लाह की, और उसके बन्दों पर सलाम जिसको उसने चुना और चाहा! एक शख्स जो इस रास्ते पर चलना चाहता है [अल्लाह की मुहब्बत पाने के लिये], सबसे पहले उसे अपना मज़हब सही रास्ते के आलिमों के मुताबिक़ करना होगा (यानि अहले सुन्नत के आलिम) (एव बड़ें आलिमों ने अपनी तालीम असहाबा-ए-ईकराम से इख़्तियार की है। उन्हे इनकी ज़ाती राय के लिये ग़लत नहीं समझना चाहिए या फिलोस्फ़रों की बातों से।) अल्लाह तआला इन महान लोगों को इनके काम के लिए ईमानों से नवाज़े! उसके बाद उस शख्स को फिक्र का इल्म जो हर एक के लिये ज़रूरी है सीखना चाहिये। फिर उसने जो सीखा हो उसे अमल में लाना चाहिये। फिर उसे अपने हर वक़्त में अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिये। [यानि उसे हर वक़्त अल्लाह तआला और उसकी ज़ात जिसे सिफाते ज़ातिय्या कहते हैं, याद करनी चाहिए।] ज़िक्र करना शर्तिया है पहली सीख उस शख्स से सीखना जो कामिल

हो (यानि और जिसने किसी दूसरे बड़े इन्सान की निगरानी में सीखा हो) और मुकम्मिल, (यानि वो जिसे अपने बड़े उस्ताद से दूसरे मुसलमानों का रहबर बनने की इजाज़त मिली हो।) अगर के गलत लोगों से सीखता है (यानि वो जिन्हे अनपढ़ या पाखंडी शेख कहते हैं) तो वो सही तरह से नहीं सीख पायेगा। शुरूआत में उसे बहुत ज़िक्र करना चाहिए: पाँचों फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, और उनके सुन्नत हिस्से, ज़िक्र के अलावा कोई और इबादत न करनी चाहिए; यहाँ तक की कुरान करीम पढ़ना और नफ़िल इबादत भी कुछ देर के लिये रोक देनी चाहिए। ज़िक्र वुजू के या बिना वुजू के भी किया जा सकता है। यह काम हमेशा करना चाहिए, खड़े हुए, बैठे हुए, चलते हुए, लेटते हुए। कोई भी वक़्त ज़िक्र के बग़ैर नहीं होना चाहिए चाहे गली में चल रहे हो, खाना खा रहे हो, या सोने जा रहे हो। एक पारसी दोहा हिन्दी में है:

***ज़िक्र करो, जब तक तुम ज़िन्दा हो, हर वक़्त, हमेशा!
मुहब्बत का ज़िक्र दिल को साफ करता है, बाकी कुछ नहीं।***

उसे इतना जिक्र करना चाहिये कि अल्लाह के सिवा उनके दिल में कोई और ख़्वाहिश या ख़्याल न रहे। इतना कि अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को सोचना की चाहे तो वो ख़्याल लाने में नाकाम रहे। उसके दिल में उनके अलावा कोई न रहे। अल्लाह को पाने की शुरूआत है। ऐसा दिल मतलूब (अल्लाह तआला) की रज़ा और मुहब्बत पाने की लहर है। एक अरबी दोहा हिन्दी में है।

***हम सुआद पाने लायक कैसे हो सकते हैं,
जबकि बड़ें पहाड़ और गहरी वादी बीच में हैं!***

(सुआद, माशूका का नाम है।) अल्लाह तआला वाहिद ही हर बन्दे को। हर चीज़ पाने लायक बनाता है। सही रास्ते के मुसाफ़िरों को सलाम! [तीसरे

बाब के 17वें ख़त में लिखा है: किसी बन्दे का अल्लाह के सिवा दिली मुहब्बत से बाकी चीज़ों का “ज़िक्र, करना । मुहब्बत दिल की बीमारी है। जब तक इस बीमारी से आज़ाद न हो जाये वो सही ईमान और अहकामुलइस्लामिया पर आना बहुत मुश्किल है। यानि अल्लाह का हुक्म और मनाही। इन नियमों को पालन नीयत करके करना भी ज़िक्र है और मुवाह करते वक़्त नफ़्स के बारे में न सोचना।” दिल की बीमारी नफ़्स की मानना है। नफ़्स अल्लाह की दुश्मन है। यह उनको नहीं मानने देती। वो खुद की भी दुश्मन है। यह जिस्म के हिस्सों और दिल को हराम काम करने का चसका लगाती है। वो लामज़हबी और बिना ईमान को पसन्द करती है ताकि वो यह मज़े ले सके। यह दिल को ऐसा बीमार कर देती है कि काफ़िरों के साथ दोस्ती और बिना किसी मज़हब वाले का साथ, उनकी किताबें पढ़ना या अग़्रवार, उनके रेडियो सुनना और उनके ख़तरनाक टेलीविज़न प्रोग्राम देखने, पर मजबूर कर देती है। इस्लाम का पालन करना दिल की सफ़ाई है। और वो नफ़्स को बीमार करता है। वो इसकी दिल की ख़्वाहिशों और उसकी ताक़त को कम कर देती है।]

*इस ज़मीन पर कौन है जो अपनी ख़्वाहिशों पर जीत हासिल कर सकता है?
बरहक़ ज़रूर जो भी नसीब में लिखा है वही होगा!*

एक सौ चौदहा वा ख़त

मक़तबा शरीफ़ जो ‘अब्दुल्ला देहलवी’ ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ हिन्दुस्तान के महान आलिम के जरिये लिखी गई किताब है उसमें 125 ख़ुतूत हैं। मनदरजा 114वे ख़त का हिन्दी अनुवाद है जिसे अंग्रेज़ी में हाजी ‘अब्दुल्ला बुख़ारी ने लिखा था’:

अल्लाह तआला में कोई कमी नहीं है। वो हमेशा सच बोलता है, और अपने बन्दों को सही रास्ता दिखाता है। हमारा सलाम और दुआएँ हमारे सबसे बड़े रहबर मुहम्मद ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ और उनकी मुबारक आल (परिवार) पर और असहावे अकरम ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन’ पर हो! यहाँ तरीका के आदमी रहते हैं [यानि दिल्ली के शहर में] और एसमा पढ़ते व मुस्कस लिखते हैं अपनी ख्वाहिशों के लिए। और इस तरह वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ लुभा रहे हैं। वो अमीरूल मोमीनीन, और बाकी तीन खलीफाओं से अफज़ल हज़रत अली ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम’ को मानते हैं। यह लोग शिया कहलाते हैं। जो लोग तीन खलीफाओं और असहावे अकरम के ख़िलाफ़ दुश्मनी रखते हैं उन्हें रफीदी कहते हैं।

[अहले सुन्नत वल जमाअत ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला के उलेमाओं ने अपनी कई किताबों में बयान फरमाया है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उसमान, हज़रत अली ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन’ से अफज़ल थे, और इस बात के कई सबूत आयत करीमा, हदीस शरीफ और इजमा यानि असहावा-ए-ईकराम ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन’ की एक राय से दिये। इज़ालात-उल-ख़फा अन ख़िलाफत-इल-ख़ुलाफा और कुर्र तुल अयनैन फी तफ़ज़ीले शैख़ियन दो कीमती किताबें हैं, दोनों किताबें वलीयुल्लाह मुहदिस देहलवी ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ (1114 [1702 A.D.] 1176 [1762], देहली) की लिखी हुई है। यह किताबें अरबी और फारसी ज़बान में हैं; पहली किताब उर्दु ज़बान में तर्जुमा हुई और उसके दो एडिशन 1382 [1962 A.D.] में पाकिस्तान में छपे। और एक दूसरी तुर्की और यहाँ से अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुई। अंग्रेज़ी किताब के आग्रिरी हिस्सा ‘मुबारक सहाबा’ (सहाबा द वलैसड) में है, जोकि हकीकत किताबेवी इस्तानबुल, तुर्की के पब्लिकेशन से है। इसमें एक और किताब ‘डाक्यूमेन्ट ऑफ़ द राइट वर्ड’ का भी हिस्सा है। अरबी किताब अस-सावैक-उल-मुहरिका, बड़े आलिम इब्ने मक्की

‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ (899 [1494 A.D.] - 974 [1566], मक्का) को दुबारा इस्तानबुल तुर्की में हकीकत किताब के ज़रिए बनाया गया। एक मुनासिब मुसलमान जो वो किताब पढ़ेगा, समझ जायेगा कि लामज़हबी लोग गलत रास्ते पर हैं। आजकल उनमें से कुछ लोग खुद को जाफरी कहते हैं। वो नौजवानों को यह झूठ बोलके धोखा देते हैं। पर सच यह है कि वारह इमामों की पैरवी करने वाले मुसलमानों को **अहले सुन्नत** के मुसलमान कहते हैं। सच्चे रास्ते वाले आलिम जिन्हे अहले सुन्नत ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ कहते हैं फरमाया: “वारह इमामों की मुहब्बत करने से मौत ईमान पर होती है।”

यह जनाज़े के जुलूस निकालते हैं और दावत देते हैं ‘दौर’ की। [जमात से नमाज़ नहीं पढ़ते मस्जिद में] मौलिव के जोड़ में इनके गुप होते हैं जो इलाही और मरसिया गाते हैं। वो संगीत इस तरह सुनते हैं जैसे मठ में वीणा। यह तरीकत (तसव्वुफ का रास्ता) के नाम पर कई विद्वती काम और कई शिर्क करते हैं। यहाँ तक कि यह लोग लामज़हबी चीज़ें, जुकिस्म और

ब्राहमानिस्म की भी अपने इन कामों जिन्हे यह तरीकत कहते हैं, मिला रहे हैं। वो दुनियावी फायदेमंद लोगों के और फासिक (गुनाहगार) लोगों के साथ रहते हैं। वो नमाज़ में, जमाअत में, जुम्मे की नमाज़ में कौमा और जलसा नहीं दिखाते। (जिसका ज़िक्र हम इस किताब में पहले वज़ाहत से कर चुके हैं। इनके कोई तदफ़ीन और रसूमात इस्लाम में नहीं हैं। यह चीज़ें सलफ-अल-सालिहीन के वक़्त में भी नहीं थी। **अहले सुन्नत वल जमाअत** के आलिम ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ ऐसी विद्वती अमलों से बचते रहे। अल्लाह के करम से असहाबा-ए-ईकराम ‘रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हुम’ में से किसी में भी ऐसे गन्दे विद्वती काम मौजूद नहीं थे। एक शख्स जो मुसलमान होना चाहता है और सलफ-अस-सालिहीन (पहले के इस्लामी आलिम) ‘रहीमा-हुल्लाहु तआला’ के नक्शे कदम पर चलना चाहता है उसे ऐसे झूठ तरीकत के इन्सानों से दूर भाग

जाना चाहिए। यह ईमान के चोर है। यह अल्लाह के बन्दों का ईमान और मज़हब दोनों बरबाद कर रहे हैं। इनका ज़िक्र करना और दूसरे काम नफ़्स और दिल को हरकत में लाते हैं। [ऐसी चीज़ों को दिल मासिवा (अल्लाह के अलावा कोई सोच) से पाक करना चाहिए, कुछ हरकतों के बजाए] ऐसी चीज़ें जैसे कशफ [करामात जो खोई चीज़ों का पता बताए या जिनों से बात करना] की इस्लाम में कोई अहमियत नहीं। काफिर जैसे जूकी भी ख़शफ और करामात दिख़ाते हैं। अकलमंद लोगों को होशियार रहना चाहिए और ग़लत में से सही को अलग करना चाहिए। इस्लाम के करीब होना और दुनियावी चीज़ों से मुहब्बत करना दो ऐसी चीज़ें हैं, जो एक दूसरे से मुताज़ाद (उल्टे) हैं और जो एक शख्स में एक साथ नहीं हो सकते। यह ऐसी चीज़ नहीं हैं जिसे एक अकलमंद शख्स कुछ दुनियावी चीज़ें पाने के लिए अपनी मज़हबी उमूलों को छोड़ देगा। बुख़ारा शहर के शेख़ और आलिम तवक्कुल (अल्लाह तआला पर भरोसा) के लोग थे। वो दुनियावी फ़ायदों के आदि नहीं थे। दुनियावी दिलचस्पी के लिए लोगों का इकट्ठा होने की दावते देना दिल को काला करता है। उन बड़े लोगों ने ऐसी चीज़ों से ख़ुद को बचाया। उन्होंने रोज़ा का पालन करा जैसा कि सलफ़ अस सालिहीन ‘हुमुल्लाहु तआला’ और रसूलुल्लाह ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ की सुन्नतों के मुताबिक़ था। आपने जो भी किया उसमें अज़ीमत का रास्ता अपनाया। विद्वत से बचे। रास्ते में आने वाली हर हराम और मकरूह से बचे। जब मुवाह से हराम होता है तो वो भी हराम है, ज़िक्र-ए-ख़फ़ी यानि ख़ामोशी से ज़िक्र करना, ज़िक्र-ए-ज़ेहरी से बेहतर है यानि तेज़ी से ज़िक्र करना। इन्होंने पहले वाला ज़िक्र किया। आपने हदीस शरीफ़ में बयान ‘इहसान’ का दर्जा हासिल किया। आपका दिल हमेशा फ़ायज़ (अल्लाहु तआला) की तरफ़ रहे। अगर कोई वफ़ादार और सच्चा शाग़िर्द ऐसे अफ़ज़ल तसव्वुफ़ के लोगों की तवज्जुह हासिल करे तो वो उसका दिल, उसके सभी लतीफ़े भी उसी वक़्त ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं। वो हुज़ूर यानि अल्लाह तआला के अलावा

कुछ दिल में न रहना हासिल कर लेता है जिस सूरते हाल को मुशाहदा कहते हैं जज़्बा और फायज़ उसे वरीदत कहते हैं जिसका मतलब नसीब वाले शागिर्द का ज़ाहिर और वातिन नूर में नहा रहे होते हैं। जब शागिर्द अपने मुर्शिद के दिल से फ़ैज़ पाना शुरू कर देता है तो अल्लाह तआला के अलावा उसके दिल में कोई ख़याल नहीं आता। उसके जिस्म के सभी हिस्से खुद ही अजीमत और सुन्नत के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। क्या ख़ूब खुशियाँ हैं इस वरक़त की। या रब्बी! अपने प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा ‘सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम’ और मैशाके ईकराम ‘रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाईन’ जोकि प्यारे नबी की पैरवी करने वाले हैं, हमारे रिज़्क में वरक़त फरमा। इमामे रब्बानी मजददिद अल्फ़सानि ‘रहमतुल्लाहि अलैहि’ के फ़ैज़ से हर शख्स के लतीफ़ा पे वरक़त हासिल करना नसीब फरमा। (सआदते अबदिया के छठे एडिशन 23वां और 26वां वाव और पहले एडिशन का 29वां वाव देखें ‘लतीफ़ा’ के लिए।)

*आपकी राह पे मेरी जान कुर्बान,
नाम में ख़ूबसूरती और जौहर, मुहम्मद!*

*अपने शाईस्ता गुलामों की सिफ़ारिश करें,
नाम में ख़ूबसूरती और जौहर, मुहम्मद!*

*ईमान वालों ने बहुत झेला है इस ज़िन्दगी में,
उन्हे दूसरी ज़िन्दगी में ईनाम मिलना चाहिए।*

*ज़िन्दगी में 18 हजार दुनिया की चारे,
नाम में ख़ूबसूरती और जौहर, मुहम्मद!*

*जिसने सात आसमान का सफ़र करा,
जो आसमान और कुर्सी से ऊपर गये,*

जिसने अपनी उम्मत के लिए हक़ तआला से मिनत की,
नाम में ख़ूबसूरती और जौहर, मुहम्मद!

क्या है युनुस दो जहाँ तुम्हारे बिना?
बिना किसी शुबा के, आप सच्चे नबी हो!

आपके मुख़ालिफ़ जो बग़ैर ईमान के चले गए;
नाम में ख़ूबसूरती और जौहर, मुहम्मद!

जन्नत की राह की किताब से आख़िरी राय

हम ये ग़ौर करते हैं कि सभी चीज़ें ज़िन्दा या मुर्दा एक मुनज़ज़म तरीक़े में हैं। हम सीख़तें हैं कि हर काम, हर हरकत, हर शय एक कभी न बदलने वाली तरतीब और 'हि़साब' (मैथ) की बंदीशों में है। हम इन चीज़ों को फ़िज़िक्स के कानून, कीमिया, एस्ट्रोनोमी, बायलोजी में तक्सीम करते हैं। इन न बदलने वाले कानूनों के ज़रिये हम इन्द्रस्ट्री तामीर करते हैं; फैक्ट्री खोलते हैं, दवा बनाते हैं, चांद पर जाते हैं, और तारों और मादों में राबता कायम करते हैं। हम रेडियो, टेलिविज़न, कम्प्यूटर और नेटवर्क बनाते हैं। अगर यह मग़लूक में इस तरह का निज़ाम न होता, और हर चीज़ बेतरतीब होती, तब हम इन चीज़ों को शुरू नहीं कर पाते। हर चीज़ एक दूसरे से टकरा जाती, और बेतरतीब हो जाती, और तबाहियाँ होती। सारी मौजूदगी मौजूद न होती।

इस तरतीबी, कोई सुडौल आँडर और चीज़ों का एक दूसरे से जुड़ा होना इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि यह अपने आप नहीं बनी, और सारी चीज़ें किसी सर्वज्ञाता (सब जानने वाला), सर्वशक्तिमान (सबसे ताकतवर), सब देखने वाले, और सबकी सुनने वाले ने बनाई है, जो वह चाहता है या करता है। वो वजहे और मायने बनाता है अपनी दूसरी चीज़ों को

बनाने के लिए। वो अपनी मरज़ी से बनाता है और मिटाता है। अगर वो बिना वजाहों और मायनों के कोई चीज़ बनाता तो इन चीज़ों में तरतीब नहीं होती। हर चीज़ उथल-पुथल होती। उसकी मौजूदगी के कोई निशान ही नहीं होते। और फिर कोई साईंस कोई सभ्यता भी मौजूद नहीं होती।

उसने न कि सिर्फ अपनी मौजूदगी अपने तरतीब को दिखाने के ज़ाहिर की बल्कि अपने बन्दों पर अपनी मौजूदगी का ऐलान भी किया, जोकि उसका अपने बन्दों के प्रति उदारता दिखाना है। आदम 'अलैहिस्सलाम' से शुरू करके उसने हर सदी और उम्मत के बन्दों के लिए सबसे आला इन्सान भेजा, और उसपर उसके फरिश्तों भेजे, उसको अपने नाम और मौजूदगी बताई, और उसे सिखाया कि लोगों को दुनिया और आखिरत की ज़िन्दगी को सुखी और खुशहाल बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और किस-किस चीज़ से बचना चाहिए। यह आला और चुने हुए लोगों को **नबी** कहते हैं। हुक्म और मनाहियाँ जो यह लोगों तक पहुँचाते हैं उन्हें **दीन** और **अहकामे दीनीया** कहते हैं। क्योंकि इन्सानी कुदरत भूलने वाली है जो पुरानी मालूमात भूल जाती है और क्योंकि बुरे लोग, जो हमेशा लोगों में मौजूद रहते हैं, नबियों 'अलैहिम अस सलावातु वत तस्लीमात' की आसमानी किताबों को पढ़ते और बदलते रहे हैं, पुराने मज़हब भूले और बदले जा चुके हैं। और उससे भी बुरा यह कि लोग मनघड़त फर्ज़ी मज़हब बना रहे हैं।

क्योंकि अल्लाह तआला ने सबको बनाया है, और अपने इन्सानी बन्दों पर बहुत रहम करता है, उसने हमें अपने आखिरी मज़हब के लिए नबी भेजा। और उसने यह खुशख़बरी भी दी कि इस दुनिया के आखिर तक वो इसकी हिफ़ाज़त करेगा और फैलायेगा, वुर्गे लोगों के हमलों और इसे बदलने की कोशिशों के बावजूद भी।

हम आभारी हैं उस अल्लाह के कि उसने हमारे बचपन से ही उस पर ईमान वाला बनाया, और हमें ख़ालिक का नाम अल्लाह सीखना नसीब हुआ और मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' उसके आख़िरी नबी को पहचाना, और इस्लाम सच्चा मज़हब है जो नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने अल्लाह के बन्दों तक पहुँचाया। हम इस्लामी मज़हब को सही तरीक़े से सीखना चाहते हैं। हम अपनी पूरी ज़िन्दगी की पढ़ाई, स्कूल, यूनिवर्सिटी में इसे सीखने का स्रोत ढूँढते रहे। पर हमारे मुल्क के जवान अमली तौर पर नाकाबिले तसख़ीर शाम के वैज्ञानिकों की रूकावटों से घिरे हुए हैं जिन्होंने खुद को फ़िमासिन और कम्यूनिस्टों और वहाबियों के भाड़े के लोगो को बेच दिया है। और पर्दे के पीछे के कामों को करने वाले चालाक लोग रहे हैं, और पांग्रण्डी लोग जिन्होंने दुनियावी चीज़ों के लिए अपना ईमान अदल कर दिया है तो यह नामुमकिन के बिल्कुल करीब है सही रास्ता ढूँढना। अल्लाह तआला से मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे अल्लाह ने हमपर रहमत की इन अहले सुन्नत के आलिमों 'रहीमा-हुमुल्लाहु तआला' की किताबें पढ़वाकर। पर इस साईंसी इल्म के नाम पर शाम मज़हब के इन्सान कुरान करीम के तर्जुमा के नाम पर अपने खुद के फायदे के लिए हमारी रूहों को तकलीफ पहुँचाते हैं। अल्लाह तआला हमें सही मज़हब के इन्सानों का हिस्सा बनाये ताकि हम असल और वातिल में फर्क कर सकें। हम यह समझने के काबिल हुए थे कि हमारा दिमाग़ किस ज़हर से भरा है, इल्म के अलावा, और हमारा दिल किस तरह की गलत चीज़ों से भरा है। क्या हमने अहले सुन्नत की किताबें नहीं देखी, हम दोस्त और दुश्मनों में फर्क नहीं कर पाये, हम हमारी नफ्स और दीन के दुश्मनों की चालों में आ गए। हम उन दुश्मनों के चंगुल से नहीं निकल पाये जो अपने तानो, नामज़हबों 'एडवान्समेंट' कहते रहे। हम अपने माँ बाप और सच्चे और पाक मुसलमानों को चुप करा रहे हैं और उस इस्लामी इल्म को भी जो हमें उनमें मिला है। हमारे प्यारे नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने हमें ऐसे दुश्मनों के जालों से आगाह

किया है: “रिजाल के मुँह से अपना ईमान सीखों!” जब हम कोई रिजाल न ढूँढ़ पाये यानि मज़हब का सच्चा आलिम, हम उनकी किताबों से सीखेंगे। विद्वतियों या लामज़हबियों की लिखी गई किताबें काफ़िरों की लिखी किताबों की तरह ही ख़तरनाक हैं।

औरतों और लड़कियों को उनके सिर, बाल, बांहें और पैर और मर्दों के लिए नाभि के नीचे से घुटनों तक, किसी दूसरों की मौजूदगी में जिस्म का खुला छोड़ना हराम है। दूसरे लफ़्ज़ों में अल्लाह तआला ने इसकी मनाही की है। चार सच्चे मज़हब, जो अल्लाह तआला का हुक्म और मनाहियाँ सिखाते हैं, आदमी के अवरत हिस्सों के मसले में एक दूसरे से अलग हैं, यानि उनके शरीर के हिस्से जिनकी मनाही है दूसरे मर्द को दिखाने और किसी और मर्द को देखने। हर मुसलमान को उसके मज़हब के हिसाब से अवरत हिस्से ढाकने चाहिए। अगर वो हिस्से खुले हैं तो दूसरों का उसे देखना हराम है। **कीमिया-ए-सआदत** किताब में बयान है: “औरत और लड़कियों के लिए न सिर्फ़ उनके सिर, बाल, बांहें और पैर खुलें छोड़ना हराम है बल्कि बारीक, ज़ेवरी, कसे हुए और खुशबूदार कपड़े पहनना भी हराम है। अगर उनके माँ बाप, भाई या शौहर उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देते हैं तो वो भी उस अज़ाब में हिस्सेदार हो जायेंगे और उस अज़ाब को झेलेंगे जहन्नुम में। अगर वो तौबा कर लें तो माफ़ कर दिए जायेंगे और नहीं जलाये जायेंगे। अल्लाह तआला तौबा करने वालों को पसंद करता है। हिजरत के तीसरे साल में वो लड़कियाँ जो बालिग़ हो चुकी थी और औरतें, तो उनके लिए नामहरम मर्दों को खुद को दिखाने पर मनाही थी। हमें इस मिथ्याकरण पर यकीन नहीं करना चाहिए कि औरतों का खुद को ढकना एक वाद की मनघड़त खोज है फ़िक के आलिमों की तरफ से। यह ब्रिटिश जासूसों की तरफ से एक धोखा है और कुछ अनपढ़ लोग जो उनके झांसे में आ गये हैं कि हिजाब के हुक्म की आयत से पहले औरत खुद को नहीं ढकती थी।

हम दुबारा कहेंगे: जब एक बच्चा आकिल बनता है और बालिग होता है यानी जब वो सही और गलत की समझ रखने की उम्र तक पहुँच जाये और शादी करे, तो उस बच्चे के लिए फौरन फर्ज़ है कि वो ईमान की 6 बुनियादें सीखे फिर उसके बाद अहकाम-ए-इस्लामिया सीखे यानि, फर्ज़, हलाल, हराम और इन नियमों पर चलते हुए ज़िन्दगी गुज़ारना। एक लड़की जब 9 साल की हो जाती है तो आकिल और बालिग हो जाती है, और लड़का 12 साल की उम्र में। उनके लिए यह बुनियादे सीखना फर्ज़ हो जाता है, कानूनों को भी सीखना अपने माँ बाप से पूछके, नातेदारों से, जानने वालों से। उसी तरह जब कोई काफिर ईमान लाता है तो उसको फौरन मज़हब के इन्सान के पास जाना चाहिए, जैसे एक मुफ्ती, और उससे यह इल्म लेना चाहिए, और उस शख्स को उस ईमान लाए हुए शख्स को सिखाना पड़ेगा चाहे सीधे ही या एक सच्ची इस्लामिक किताब के ज़रिए। दोनों पार्टियों पर यह फर्ज़ है अपना काम करना यानि उस नये मुसलमान को सीखना, और सिखाने वाले का काम सिखाना। अगर सिखाने वाला कहता है, “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,” और उसे सिखाने में मदद नहीं करता या उसे सही किताबें ढूँढने में मदद नहीं करता, तो उसने फर्ज़ की अवमानना की है। जो शख्स फर्ज़ की ना मान्ना करता है वो दोज़ख़ की आग में जलेगा। जब सीखने वाला मज़हब के इन्सान की या सच्ची किताब की तलाश कर रहा हो तो उसके लिए जब तक यह एक उज़र हो जाता है कि जब तक वो इल्म का स्रोत न ढूँढ ले। (एक उज़र एक बहाना होता है जो एक मुसलमान को हुक्म पूरा करने से दोषमुक्त कर देता है या मनाहि को करने से।) जैसा कि यह मनाहि और हुक्म इस्लाम के बताये हुए हैं, ऐसे ही हर हुक्म और मनाहियों के लिए उज़र भी इस्लामी तौर पर बताये गये हैं। जैसा कि इस्लामी हुक्म और मनाहियों को अहले सुन्नत के आलिमों की किताबों से सीखा जा सकता है वैसे ही उनके उज़र को भी इन किताबों से सीखा जा सकता

है। हकीकत किताबेवी, तुर्की में कुतुबख़ाना है जहाँ से कोई आसानी से जो चाहे इस्लामी किताब ढूँढ सकता है अलग अलग ज़वानों में।

नयी पीढ़ी को सच्ची इस्लामी तालीमात से ख़बरू कराने के लिए और पूरी दुनिया के लोगों की ख़िदमत के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो इस दुनिया में सुकून पा सके और अख़िरत में अनंत बरक़तें हासिल करे, इन्शाअल्लाह हम इन कीमती किताबों की छपाई जो अहले सुन्नत के आलिमों के ज़रिए लिखी गई है जारी रखेंगे।

ख़्वाहिशों को पूरा करने के लिए यह दुआ है जिसे सलात-उन-तनजिना कहते हैं: “अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिन मुहम्मदिन वा आल आली सय्यिदिया मुहम्मदिन सलात अन तुनजीना बिहा मिन जमीउल अहवाल इ वल आफात वा तक्दी लेना बिहा जामिअल हाजात वा तुताहहिरूना वा तुबेल्लिग़ना बिहा मिन जमी इस सय्यिआत वा तरफ़े उना बिहा अल अद देरेजात वा तुबेल्लिग़ना बिहा अक़स ल गयात मिन जमील ख़ैरात इ फ़िल हयात ए वा वा’द-अल-मेमात।”

यह हदीस शरीफ़ में बयान है कि इस्तग़फ़ार पढ़ना, हर तरह की परेशानियों, ख़तरों और हराम से बचने और दुश्मनों और शैतानों से बचाने में कारगर है।

*मेरी ज़िन्दगी आई और एक हवा के झोके की तरह चली गई।
मेरे लिए यह बस एक पलक झपकने जैसा था।
हक़ तआला गवाह है: जिस रूह के साथ वक़्त बिताता है।
और एक दिन वो इस पिंजरे से एक पक्षी की तरह उड़ जायेगी।*

एक सौ तेईसवां ख़त

यह ख़त हज़रत इमामे रब्बानी 'कुदुसी सिरूह' ने ताहिर-ए-बेदाहशी के लिए लिखा था। यह बताता है कि एक नफिल इबादत, जैसे एक हज, किसी काम का नहीं अगर उसकी वजह से एक फ़र्ज़ छूटता हो:

मेरे दानिशमन भाई। यह कीमती ख़त मौला ताहिर के ज़रिए भेजा है, जो अपने नाम के जैसे पाक है, यहाँ पहुँच गए हैं। मेरे भाई! यह हदीस शरीफ में बयान है: “अल्लाह तआला की नाराज़गी अपने बन्दे से, उस बन्दे का अपना वक़्त बेफ़ज़ूल बरबाद करते देखने से पहचानी जा सकती है।” फ़र्ज़ की जगह पर नफिल इबादत का अदा करना बेकार है। तो, हमें सीखना चाहिए कि हम अपना वक़्त कहाँ लगा रहे हैं। हमें जानना चाहिए हम किसके साथ मशगूल हैं। हम नफिल इबादत कर रहे हैं या फ़र्ज़? एक नफिल हज को करते हुए कई हराम और मनाहिया भी हो जाती है। आपको सही से सोचना चाहिए! समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं आपको और आपके दोस्तों को अपना सलाम भेजता हूँ।

[इस ख़त से ज़ाहिर है कि पाँच वक़्ता नमाज़ों की सुन्नतें, फ़ज़्र नमाज़ की सुन्नत को छोड़के, व क़ज़ा की नीयत से पढ़नी चाहिए।]

एक सौ चौबीसवा ख़त

यह ख़त भी ताहिर बेदाहशी के लिए लिखा गया था। हज का वुजूब और उसके जाने के खर्चों की शर्त पर है। हज पर जाना बिना सफर के पैसों का मतलब है दूसरे फ़र्ज़ों से अपना वक़्त बर्बाद करना। मुबारक ख़त यह बात की वज़ाहत करता है:

ख्वाजा मुहम्मद ताहिर बेदाहशी का कीमती ख़त यहाँ पहुँच चुका है। हम्द हो अल्लाह तआला की और उसका शुक्र कि मुझे फकीर के लिए आपके दिल में मुहब्बत की कोई कमी नहीं आई। बिछड़ने के दिनों की सुस्ती ने उसके लिए रास्ते को पक्का नहीं किया। (बदतर के लिए बदलाव) आपकी हालत खुशियों की अग्रदूत है। ऐ मेरे भाई, जो हमें प्यार करते हैं! तुमने जाने का फैसला किया और हमसे इजाज़त मांगी। जैसे हम अलग हो रहे हैं हम कहते हैं कि शायद दुबारा इस रास्ते पर मिलने की वरक़त हासिल होगी। पर इस्तिहरस [सआदते अब्दिया के छठे एडिशन का 25वां बाब का आखिरी पैराग्राफ देखें।] जो हमने बनाया था उसके पूरे होने के निशान नहीं मिले। वो इकट्ठे नहीं हुए इसलिए आपका सफ़र जायज़ है। तो हमने अपनी राय बदली। उससे पहले, आपकी ख़वानगी के लिए मंजूरी नहीं थी। पर, आप इतने जोश से आये जोकि एक साफ़ नाराज़गी की दूर ले गई। सफ़र पर जाने के लिए पैसा होना शर्त है। अगर कोई शख्स वो शर्त पूरी करने में नाकाम है, उसने अपना वक़्त हज़ जाने के लिए निरर्थक व्यापार में खर्च किया। [हज़ के वुजूब की शर्त है पैसा होना। (दूसरे लफ़्ज़ों में मुसलमान के पास इतना पैसा हो कि उसपे हज़ फर्ज़ हो जाए।) हज़ पर जाने वाले शख्स के पास अगर सफ़र का पैसा नहीं है तो उसपर हज़ फर्ज़ नहीं है। अगर वो पैसों के बिना हज़ पर जाता है तो उसे नफ़िल हज़ करना पड़ेगा। यह सच है कि, उमरा पर जाना फर्ज़ या वाजिब नहीं है। के एक नफ़िल इबादत है। और अगर कोई नफ़िल इबादत के लिए, फर्ज़ छोड़ा जाये या हराम किया जाए तो वो नफ़िल इबादत अपनी पहचान खो देती है। वो गुनाह करने पर बदज़ात हो जाती है। [29वां ख़त देखें (जिसका आज की तारीख़ में अंग्रेज़ी तर्जुमा नहीं है!)] फर्ज़ की जगह पर कोई ऐसा काम जो फर्ज़ न हो, करना जायज़ नहीं है। मैंने यह बातें अपने कुछ ख़तों में लिखी हैं। मैं नहीं जानता वो आपको मिले कि नहीं। हम अपना मुकदमा छोड़ते

हैं। आप जानते हो बाकी क्या करना है। वस्सलाम। [यह हज की मालूमात थी
250वें ख़त में, (जो अब तक अंग्रेज़ी में तर्जुमा नहीं हुआ।)]